बी एच ई एल
BHEL

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

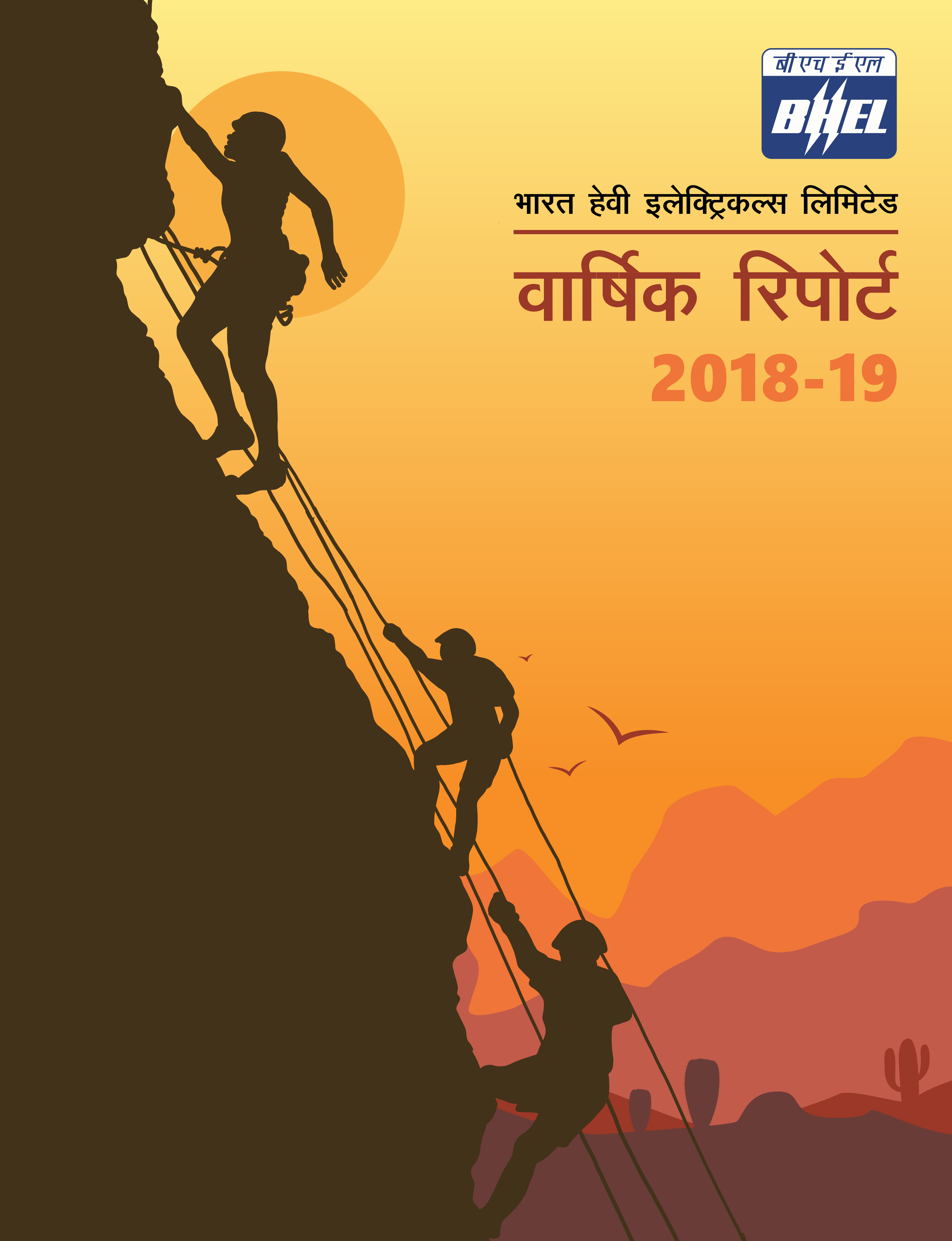

नए बीएचईएल, नए भारत का निर्माण

हम हैं...

भारत का अपनी तरह का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण उद्यम

देश की स्थापित उत्पादन क्षमता में सबसे बड़ा योगदान >53% हिस्सेदारी के साथ

पूरे भारत में उपस्थितरू **16 विनिर्माण इकाइयां, 8 सेवा केंद्र**

भारतीय पूँजीगत सामान उद्योग में **दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता**

हम सेवा प्रदान करते है

- पावर
- उद्योग
- परिवहन
- अक्षय ऊर्जा
- पारेषण
- रक्षा और अंतरिक्ष
- उर्जा भण्डारकरण
- तेल और गैस

हमारे पास है

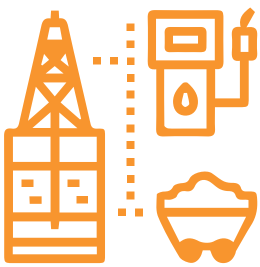

देश के सभी राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में निष्पादित **447 कोयला, 418 हाइड्रो, 102 गैस, 12 परमाणु और 40 मेगावाट पैमाने पर ग्रिड से जुड़े** सौर पीवी संयंत्र

बसे हुए सभी 6 महाद्वीपों के 83 देशों में पहचान

ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए कई समाधानों का एकल स्रोत।

हम भारतीय विद्युत संयंत्र उपस्कर निर्माताओं के निर्विवाद अग्रणी हैं।

विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक परिसंपत्तियां।

भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पर अधिकतम निवेश।

भारत के पड़ोसी देशों को बिजली उपलब्ध कराने में योगदान।

कल के बीएचईएल के निर्माण के लिए रणनीतिक परिवर्तन पर ध्यान केन्द्रित करना।

आधुनिक परिवहन के लिए प्रौद्योगिकी

भारत में निर्मित

बीएचईएल ने भारतीय रेलवे को देश के अंदर निर्मित 6000 एचपी डबल्यूएजी 9 एच इलेक्ट्रिक इंजनों की पहली आपूर्ति की है और इसने भारत में निर्मित उच्चतम क्षमता वाली 1190 किलोवाट की ट्रैक्शन मोटर विकसित की है। बीएचईएल ने रि–जेनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली भी विकसित की है, जिसे पहली बार भारतीय रेलवे के 5000 एचपी, डबल्यूएजी 7 इलेक्ट्रिक इंजनों में रेट्रोफिट किया गया है।

बीएचईएल भारतीय रेलवे का लंबे समय तक आपूर्तिकर्ता रहा है और अब मेट्रो कोचों के निर्माण, उच्च गति रेल के लिए रोलिंग स्टॉक, रेलवे विद्युतीकरण और भारतीय रेलवे के लिए पर्यावरण के अनुकूल और दक्ष रोलिंग स्टॉक का विनिर्माण करके परिवहन क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

अपनी अभियांत्रिकी और उत्पाद विकास क्षमताओं के साथ, बीएचईएल रेल परिवहन की आगामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

भेल निर्मित 5000 एचपी WAG7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रेट्रोफिटेड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के साथ

सामग्री

वार्षिक समीक्षा 4

शेयर धारकों को पत्र 4

बीएचईएल में नेतृत्व 6

वर्ष पर एक नजर 12

कॉर्पोरेट प्रोफाइल 12

बीएचईएल के बारे में 14

अखिल भारतीय उपस्थिति 18

बीएचईएल की दुनिया 20

उत्कृष्टता का सम्मान 22

बोर्ड की रिपोर्ट 24

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण 33

- व्यवसाय क्षेत्रों की रूपरेखा और कार्य निष्पादन 36
- वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण 62

कॉर्पोरेट अभिशासन 78

सतत विकास 120

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 133

अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकीय प्रगति 142

वित्तीय सांख्यिकी 165

एकल वित्तीय विवरण 166

समेकित वित्तीय विवरण 238

अतिरिक्त जानकारी 326

वित्तीय सारांश 327

वर्षवार पूंजीगत व्यय 328

लाभांश वितरण नीति 329

उत्पाद प्रोफाइल 331

शब्दावली 341

मूल्य वर्धन विवरण 345

नोटिस 346

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारक,

अपने बहुमूल्य शेयरधारकों को 55 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना हमारे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में योगदान करते हुए, आपकी कंपनी ने 2018–19 के दौरान लाभ के साथ वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के पारंपरिक उत्पादों के लिए बाजार में लगातार गिरावट और घरेलू पूंजीगत माल उद्योग में निष्पादन की मंद गति को देखते हुए यह निष्पादन महत्वपूर्ण है।

प्रमुख उपलब्धियां:

पिछले वर्ष के 127,850 करोड़ रु. के मुकाबले 129,349 करोड़ रु. का कारोबार किया, जो 5.4% अधिक है।

- पिछले वर्ष के 11,585 करोड़ रु. की तुलना में 12,058 करोड़ रु. का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) अर्जित करके 30% की वृद्धि दर्ज की।
- 11,215 करोड़ रु. का कर पश्चात (पीएटी) लाभ दर्ज किया, जो गत वर्ष के 1807 करोड़ रु. से 51% अधिक है।
- कई परियोजनाएं प्राप्त करके घरेलू उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण बाजार में स्वयं को मजबूती से स्थापित किया।
- परिवहन, सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण व्यवसाय और परमाणु ऊर्जा जैसे नए व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए।

आर्थिक और व्यावसायिक वातावरण

वैश्विक आर्थिक विकास पिछले तीन वर्षों से मंदी के दौर से गुजर रहा है और निकट भविष्य में भी यही स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। इस परिदृश्य में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसे बड़े प्रमुख उद्योग पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़े हैं। भारत दुनिया में स्टील और सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। 2025 तक अमेरिकी + 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के सरकार के विजन से बीएचईएल जैसी इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनियों को विकास के नए अवसर मिल रहे हैं। इस विजन को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारत के विनिर्माण क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में क्षमता का विस्तार करने और निरंतर एवं भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।

सभी को प्रतिदिन 24 घंटे (24x7) बिजली उपलब्ध कराने पर सरकार द्वारा विशेष बल दिए जाने के फलस्वरूप बिजली की मांग बढ़ने उम्मीद है। अन्य महत्वपूर्ण पहलों, जैसे– ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन नियंत्रण मानदंडों को लागू किया जाना, परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में वृद्धि, बिजली संयंत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग और ट्रांसमिशन एवं वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण पर बल दिए जाने के फलस्वरूप उद्योग में विकास के नए अवसर मिल रहे हैं। इससे हमारे मौजूदा उत्पादों

के लिए, जो पिछले कुछ वर्षों से कमी का सामना कर रहे थे, विकास की बेहतर संभावनाएं उपलब्ध होंगी।

आपकी कंपनी ने पहले से ही परिवहन के बुनियादी ढांचे जैसे कि रेल ट्रैक विद्युतीकरण आदि में निवेश से उत्पन्न कुछ अवसरों से लाभ उठाना शुरू कर दिया है। इन सफलताओं से हमारा उत्साह बढ़ा है और हम अन्य क्षेत्रों – जैसे शहरी मेट्रो रेल और तीव्र गति रेल परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। सरकार द्वारा एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में देश के अंदर विनिर्माण पर बल दिए जाने के फलस्वरूप भी आपकी कंपनी के लिए, रक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता रहने के पिछले रिकॉर्ड के आधार पर विकास की बड़ी संभावना है।

सीमेंट, कोयला, पेट्रोकेमिकल और स्टील जैसे प्रमुख उद्योगों में भविष्य के निवेश और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास, जैसे– स्मार्ट–सिटीज का विकास, कचरे–से–ऊर्जा, समुद्र–जल डिसेलिनेशन, सीवेज ट्रीटमेन्ट आदि से भी हमें विकास के नए क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरणा मिल रही है।

विकास की नींव

बीएचईएल अपनी बड़ी, समृद्ध और विविध प्रतिभाओं से युक्त जनशक्ति, मजबूत इंजीनियरिंग और विनिर्माण आधार तथा प्रौद्योगिकी की गहन जानकारी के साथ, वर्तमान में मौजूद और भविष्य में उभरने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है। आने वाले वर्ष में, कंपनी समेकन पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि निम्नलिखित प्रयासों द्वारा भविष्य में विकास के लिए मजबूत नींव तैयार की जा सके:

1. **काम को पूरा करने पर बल:** आपकी कंपनी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए, कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और उसे सख्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके दो उद्देश्य हैं – पहला कंपनी को उन परियोजनाओं में बकाया राशि की तुरंत वसूली करने में मदद मिलेगी, जहां अधिकांश काम पूरा हो चुका है, किंतु कुछ कुछ काम शेष रह जाने के कारण बकाया राशि की वसूली नहीं हो पाई है। दूसरा यह कि कंपनी को बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में कम लागत और समय पर काम पूरा करने की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

2. **कार्यशील पूंजी:** आपकी कंपनी कार्यशील पूंजी की स्थिति में सुधार करने और भविष्य में विकास के लिए धन जुटाने के लिए काफी समय से लंबित देय राशियों की वसूली के लिए विशेष प्रयास कर रही है।

3. **गुणवत्ता:** विश्व स्तर की गुणवत्ता और आपकी कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों और प्रणालियों की मजबूती हमेशा प्रतिस्पर्धी ताकत का बड़ा स्रोत रहे हैं। कंपनी को बाजार में गुणवत्ता की बढ़ती हुई सख्त अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने के लिए, पूरी कंपनी में गुणवत्ता सर्वप्रथम का अभियान चलाया जा रहा है।

4. **कर्मचारियों में निवेश:** बीएचईएल ने हमेशा माना है कि कंपनी के विकास के लिए उसके कर्मचारी उसकी सबसे बड़ी संपत्ति और संचालक हैं। इस दिशा में, कंपनी अपने लोगों के कौशल को तेज करने और उभरते बाजार परिदृश्य के लिए उन्हें तैयार करने के लिए मानव संसाधन उत्कृष्टता हेतु एक प्रमुख पहल कर रही है।

5. **विस्तार एवं विविधीकरण:**

   क) आपकी कंपनी विकास के नए माध्यमों के निर्माण के लिए परिवहन, रक्षा, ई–वाहन, जल व्यवसाय, कोयला–से–मेथनॉल आदि क्षेत्रों में नए उत्पादों/प्रणालियों पर काम कर रही है।

   ख) हम विद्युत व्यवसाय के मौजूदा पोर्टफोलियो में अधिकतम हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार हैं और उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण / प्रणालियों में नए अवसरों का लाभ उठाने, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास और ईंधन एवं जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को इष्टतम बनाने के लिए अपने उत्पाद प्रोफाइल को उन्नत कर रहे हैं।

6. **प्रौद्योगिकी विकास:** बीएचईएल, एनटीपीसी और आईजीसीएआर के साथ मिलकर कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए दुनिया की सबसे कुशल उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी (AUSC) विकसित कर रहा है। इसके अलावा, बीएचईएल एनटीपीसी के साथ मिलकर एयूएससी आधारित 1x800 मेगावाट प्रौद्योगिकी डेमॉन्स्ट्रेशन पावर प्लांट स्थापित करेगा। यह आपकी कंपनी के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएगा।

हमें विश्वास है कि उपर्युक्त पहल आपकी कंपनी के आधार को और मजबूत करेगी और आने वाले वर्षों में तेजी से विकास में सहायक सिद्ध होगी।

आभार

मैं अपने सम्मानित शेयरधारकों, ग्राहकों, व्यावसायिक सहयोगियों और अन्य सभी भागीदारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने हमारी यात्रा में हम पर निरंतर विश्वास बनाए रखा। बीएचईएल परिवार के प्रत्येक सदस्य का जुड़ाव और सहयोग तथा बोर्ड पर मौजूद मेरे साथी निदेशक हमारी ताकत के स्रोत हैं। मैं हमारे प्रयासों में निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से भारी उद्योग विभाग को धन्यवाद देता हूँ।

मुझे विश्वास है कि आपके निरंतर सहयोग से हम सदैव विकास करेंगे और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(डॉ. नलिन सिंघल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
9 अगस्त, 2019

बीएचईएल में नेतृत्व

निदेशक मंडल (20.07.2019 को)

बाएं से दाएं

श्री डी. बंद्योपाध्याय
निदेशक (मानव संसाधन)

श्री अमित वर्धन
संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभागः अंशकालिक शासकीय निदेशक

डॉ. नलिन सिंघल
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

श्री आर. स्वामीनाथन
स्वतंत्र निदेशक

श्री देश दीपक गोयल
स्वतंत्र निदेशक

बाएं से दाएं

श्री राजेश शर्मा
स्वतंत्र निदेशक

श्री कमलेश दास
निदेशक (इंजीनियरिंग, आर एंड डी)

श्री मनोज कुमार वर्मा
निदेशक (पावर)

श्री सुबोध गुप्ता
निदेशक (वित्त)

श्री रंजीत राय
स्वतंत्र निदेशक

श्री एस. बालाकृष्णन
निदेशक (औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद)

बीएचईएल में नेतृत्व

प्रबंधन टीम | 20.07.2019 की स्थिति

डॉ. नलिन सिंघल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डी. बंद्योपाध्याय
निदेशक (मानव संसाधन)

सुबोध गुप्ता
निदेशक (वित्त)

एस. बालाकृष्णन
निदेशक (आईएस एवं पी)

मनोज कुमार वर्मा
निदेशक (पावर)

कमलेश दास
निदेशक (इंजीनियरिंग, आर एवं डी)

एस.वी.एन. जितिन सुन्दर
कार्यपालक निदेशक कॉर्पोरेट आर एवं डी हैदराबाद

डी. के ठाकुर
कार्यपालक निदेशक (एचईपी), भोपाल

डी.के. दीक्षित
कार्यपालक निदेशक (टीपी), झाँसी

ए.के. मुखोपाध्याय
कार्यपालक निदेशक (आईओ), नई दिल्ली

एस. चतुर्वेदी
कार्यपालक निदेशक(टीबीजी), नोएडा अतिरिक्त कार्यभार (आईएस-सीएफ़पी, आईपीई एवं आईपीएम)

जी. के. हेडाऊ
कार्यपालक निदेशक (पीएस-मार्केटिंग, टी एवं जी) पीएस-डब्ल्यूआर, दिल्ली/ नागपुर

के.के. खुराना
कार्यपालक निदेशक (पीएस-पीईएम), नोएडा

राणा बासु
कार्यपालक निदेशक (पीसीएसजी), नोएडा

जी. उदय कुमार
कार्यपालक निदेशक (एचपीईपी), हैदराबाद

ए. एम. गुप्ता
कार्यपालक निदेशक (एचबीजी), नोएडा

सी. मूर्ति
कार्यपालक निदेशक (बीएपी), रानीपेट

संजय गुलाटी
कार्यपालक निदेशक (हीप), हरिद्वार

अनिल कपूर
कार्यपालक निदेशक (मा. सं. एवं सीसी) नई दिल्ली अतिरिक्त कार्यभार (पीएसजी, सीएलडी)

सी. आनंदा
कार्यपालक निदेशक (ईडीएन), बेंगलूरु अतिरिक्त कार्यभार (ईपीडी)

अजीत कुमार सिन्हा
कार्यपालक निदेशक (आईएस-सीपीपी एवं पीएमजी) नई दिल्ली

सुरेन्द्र सिंह
कार्यपालक निदेशक
(पीएस-ईआर), कोलकाता

गौतम चकलादर
कार्यपालक निदेशक
(एफ़एसआईपी), जगदीशपुर

ज्ञान शंकर श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक
(पीएस-टीएस), नोएडा

आर. पद्मनाभन
कार्यपालक निदेशक
(एचपीबीपी), तिरुचिरापल्ली
पीपीपीयू, तिरूमयम एवं पाइपिंग, केन्द्र, चेन्नई

पी. नागामणिक्कम
कार्यपालक निदेशक
(पीएस-एसएसबीजी)
नोएडा

पी. पी. यादव
कार्यपालक निदेशक
(एनबीजी), नोएडा

पी. जगदीश्वर रेड्डी
कार्यपालक निदेशक
(पीई एवं एसडी), हैदराबाद
अतिरिक्त कार्यभार (एचपीवीपी)

जय प्रकाश सिंह
कार्यपालक निदेशक
(सीएफ़एफ़पी), हरिद्वार

मनोज शाह
कार्यपालक निदेशक
सचिव, प्रबंधन, कमेटी

ए. के जैन
कार्यपालक निदेशक
(टीबीएसजी), नई दिल्ली,
अति. कार्यभार (डीएबीजी)

शकील कुमार मनोचा
कार्यपालक निदेशक
(आईएसजी), बेंगलूरू

रेणुका गेरा
कार्यपालक निदेशक
(ईएसएस), नई दिल्ली

अनिल जोशी
कार्यपालक निदेशक
(सीडीटी), नई दिल्ली

तरसेम लाल
महाप्रबंधक एवं प्रमुख
(पीएस-एसआर) चेन्नई

ए.बी. गुप्ता
महाप्रबंधक एवं प्रमुख, सीओएम, नई दिल्ली
अति. कार्यभार (सीक्यू एवं बीई)

कौशिक आचार्य
महाप्रबंधक एवं प्रमुख
(पीएस-एनआर), नोएडा

अलका टुटेजा
महाप्रबंधक एवं प्रमुख,
(सीटीएम), दिल्ली

उपिंदर सिंह मठारू
महाप्रबंधक एवं प्रमुख,
(पीएस-पीएमजी), दिल्ली

एस. सीतारमण
महाप्रबंधक एवं प्रमुख,
(ईपीडी), बेंगलूरू

टी. के बागची
महाप्रबंधक एवं प्रमुख,
(आरईडबल्यूबी), दिल्ली

राजीव शर्मा
महाप्रबंधक एवं प्रमुख,
(आरओडी), दिल्ली

पंकज जैन
महाप्रबंधक
(वित्त-आरएम) दिल्ली

निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कार्यकारी निदेशकों की समिति

निदेशक इंजीनियरिंग, आर एंड डी

- **कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास**
  - कोर्पोरेट आर एंड डी, हैदराबाद
  - सिरेमिक तकनीकी संस्थान, बंगलूरु
  - एएसएससीपी, गुरुग्राम
- **कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी प्रबंधन**
  - नवाचार रणनीति और निष्पादन
  - प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग
  - ज्ञान प्रबंधन
  - उन्नत विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी
  - संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण
- **कॉर्पोरेट परिचालन प्रबंधन**
  - परिचालन प्रबंधन
  - सोर्सिंग स्ट्रेटेजी एवं नीति
  - परिचालन सुधार पहल एवं पुरस्कार कार्यक्रम
- **कॉर्पोरेट डिजिटल परिवर्तन**
  - डिजिटल रणनीति और शासन
  - उत्पादों एवं सेवाओं का डिजिटलीकरण
  - आईटी सिस्टम और अप्लिकेशन्स का विकास
  - आईटी सेवा, सुरक्षा और सहायता
  - आईटी संबंधी आधारभूत सुविधाओं का प्रबंधन
- **कॉर्पोरेट गुणवत्ता एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता**
  - नई गुणवत्ता पहल
  - समग्र गुणवत्ता प्रबंधन
  - गुणवत्ता प्रमाणन
  - क्षेत्र गुणवत्ता आश्वासन
- उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल(एयूएससी) परियोजना

निदेशक वित्त

- **कॉर्पोरेट वित्त**
  - बजट और बजटीय नियंत्रण
  - परियोजना और सामान्य बीमा
  - कॉर्पोरेट बहियां एवं खाते
  - विदेशी व्यापार नीति
- **निधि प्रबंधन और बैंकिंग**
  - प्राप्य प्रबंधन
  - कोष एवं नकदी प्रबंधन
  - बैंकिंग परिचालन
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन
- **कर लगाना**
  - प्रत्यक्ष कर प्रबंधन
  - अप्रत्यक्ष कर प्रबंधन
- **लेखा परीक्षा**
  - आंतरिक लेखापरीक्षा
  - सांविधिक एवं लागत लेखापरीक्षा
  - सी एवं एजी लेखापरीक्षा

निदेशक मानव संसाधन

- **कॉर्पोरेट मानव संसाधन एवं कॉर्पोरेट संचार**
  - मानव संसाधन -नीति
  - मानव संसाधन- एनेलीटिक्स
  - चिकित्सा सेवाएँ
  - वैकल्पिक विवाद समाधान और कॉर्पो. कानून
  - औद्योगिक संबंध
  - कॉर्पोरेट संचार
  - कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व
  - स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण
  - प्रशासन और सुरक्षा
  - केंद्रीय लोक सूचना कार्यालय
- **पीपुल स्ट्रेटेजी ग्रुप**
  - जनशक्ति योजना एवं नियुक्ति
  - जनशक्ति लेखापरीक्षा
  - प्रतिभा प्रबंधन
  - उत्तराधिकार योजना
  - कर्मचारी की तैनाती
  - निष्पादन प्रबंधन
- **कॉर्पोरेट ज्ञानार्जन और विकास**
  - ज्ञानार्जन और विकास रणनीति: तैयार करना, उसमें सुधार करना और रिपोर्ट करना
  - ज्ञानार्जन और विकास रणनीति: तैयार करना, उसमें सुधार करना और रिपोर्ट करना

मुख्य सतर्कता अधिकारी

- सतर्कता

कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्रबंधन

- रणनीतिक योजना और निष्पादन
- जोखिम की पहचान और प्रबंधन
- बाहरी व्यवस्था
- विकास के नए क्षेत्र
- सहयोग प्रबंधन

कंपनी सचिव

- सचिवीय शिकायतें और निवेशक सेवाएं
- कंपनी अधिनियम और लिस्टिंग करार
- एजीएम, बोर्ड और बोर्ड स्तर की समितियों की बैठकें

निदेशक पावर

निदेशक इन्डस्ट्रियल सिस्टम्स एवं प्रोडक्टस

बीएचईएल में नेतृत्व

कॉर्पोरेट संगठनात्मक ढांचा

(01.07.2019 को)

प्रबंधन समिति

- पावर क्षेत्र - विपणन (थर्मल और गैस)
- न्यूक्लियर बिजनेस ग्रुप
- हाइड्रो बिजनेस ग्रुप
- परियोजना प्रबंधन समूह
- तकनीकी सेवा
- प्रोजेक्ट क्लोजर सिनर्जी ग्रुप
- कन्ट्रेक्ट क्लोजिंग ग्रुप
- परियोजना इंजीनियरिंग प्रबंधन
- स्पेयर्स एंड सर्विसेज बिजनेस ग्रुप
- हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट, वाराणसी
- इंडस्ट्रियल सिस्टम्स ग्रुप, बंगलूरु
- पावर सेक्टर – उत्तरी क्षेत्र, चेन्नै
- पावर सेक्टर – दक्षिणी क्षेत्र, नोएडा
- पावर सेक्टर – पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता
- पावर सेक्टर – पश्चिमी क्षेत्र, नागपुर
- पावर सेक्टर – मुख्यालय, एमएसएक्स, मा. सं.

- कैप्टिव पावर प्लांट बिज़नेस
- आईएस – पीएमजी एंड कॉन्ट्रेक्ट क्लोजिंग
- इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बिज़नेस (इलेक्ट्र. एंड मैके.)
- क्षेत्रीय परिचालन समूह
- परिवहन प्रणाली एवं व्यवसाय समूह
- रक्षा एवं एयरोस्पेस व्यवसाय समूह

- अक्षय ऊर्जा एवं जल व्यवसाय
- पारेषण व्यापार समूह
- परियोजना इंजीनियरिंग और सिस्टम प्रभाग
- ऊर्जा भंडारण समाधान समूह

- अंतरराष्ट्रीय परिचालन

इकाई	संयंत्र
भोपाल	हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट
हरिद्वार	हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विप्मेंट प्लांट
	सेंट्रल फ़ाउन्ड्री फ़ोर्ज प्लांट 1
हैदराबाद	हेवी पावर इक्विप्मेंट प्लांट
तिरुचिरापल्ली	हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट, तिरुचि सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट, तिरुचि
	पावर प्लांट पाइपिंग इकाई,तिरुमयम पाइपिंग सेंटर, चेन्नै
	इंडस्ट्रियल वॉल्व प्लांट
रानीपेट	बॉयलर ओग्जीलरी प्लांट
बंगलूरु	इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिवीजन इलेक्ट्रिकल मशीन्स प्लान्ट
	इलेक्ट्रो पोर्सीलिन्स डिवीजन 2
झांसी	ट्रान्सफॉर्मर प्लांट
जगदीशपुर	फेब्रिकेशन, स्टेंपिंग एवं इन्सुलेटर प्लांट 1
रुद्रपुर	कॉम्पोनेंट फैब्रिकेशन प्लांट
विशाखापटनम	हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स प्लांट

1. निदेशक (ई, आर एवं डी) को रिपोर्ट करते हैं

2. ईडीएन स्थित सौर व्यवसाय और ईपीडी को समेकित करके ईपीडी में एक इकाई के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

वर्ष एक नजर में 2018-19

(आंकड़े ₹ करोड़ में हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो)

प्राप्त ऑर्डर

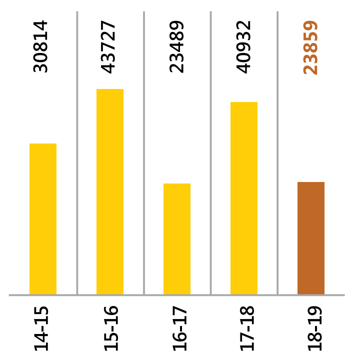

कारोबार

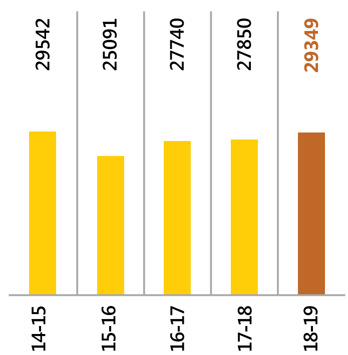

जनशक्ति (संख्या में) (प्रति कर्मचारी कारोबार) ₹ लाख

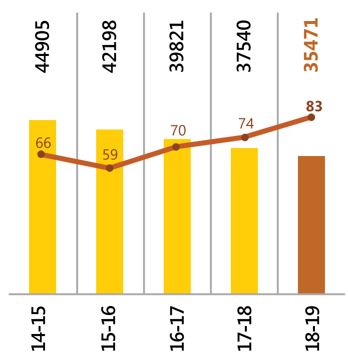

ईबीआईटीडीए (% औसत शुद्ध मूल्य)

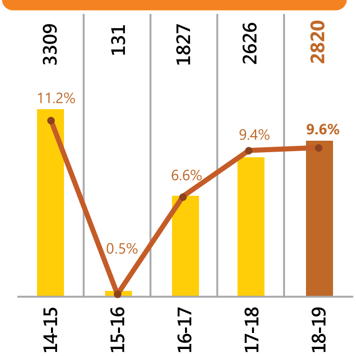

कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (% औसत शुद्ध मूल्य)

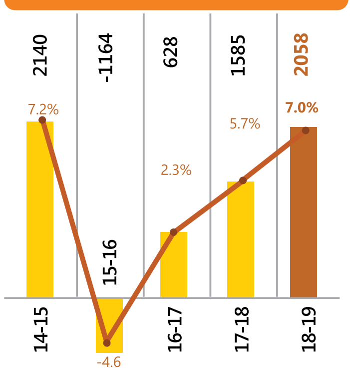

कर पश्चात लाभ (पीएटी) (% कारोबार)

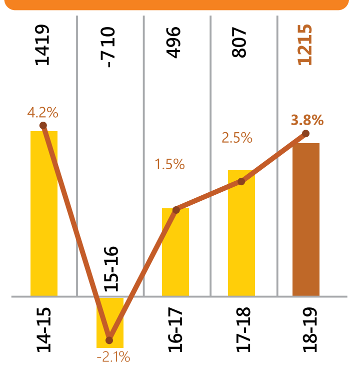

लाभांश भुगतान (लाभांश कर सहित)

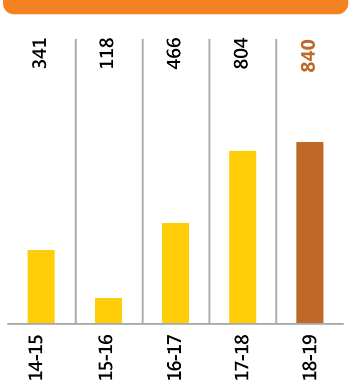

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (₹ में)

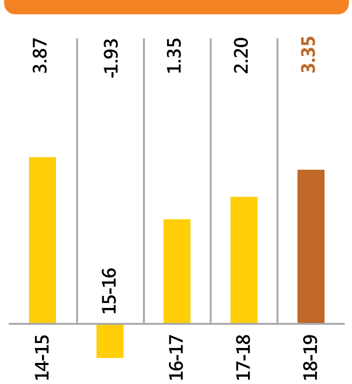

कोष में योगदान

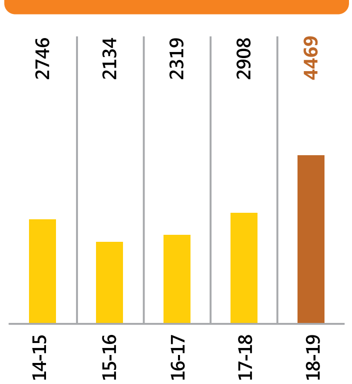

वित्त वर्ष 2014-15 के आंकड़े आईजीएपी के अनुसार हैं और 2015-16 और उसके बाद के आंकड़े इंड एएस के अनुसार हैं।
लाभांश भगतान अंतरिम लाभांश है और वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश है।

वर्ष की एक झलक 2018-19

कुल 1,09,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर

थर्मल युटिलिटी सेगमेंट में बाजार में दो साल लगातार **100%** हिस्सेदारी।

अब तक के सबसे अधिक ऑर्डर

परिवहन, सौर, पुर्जों और सेवाओं के कारोबार में बुक किए गए ।

आज तक भारत और विदेशों में

185 GW + बिजली पैदा करने वाले उपकरण स्थापित हैं।

700 मेगावाट + सौर पीवी पोर्टफोलियो:

129 मेगावाट एसपीवी संयंत्रों के लिए सबसे बड़ा एकल ईपीसी ऑर्डर।

उच्च दक्षता कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकी

उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नॉलॉजी (AUSC) चरण - पूरा होने वाला है; एनटीपीसी, सीपत में ई-सेटअप स्थापित करने के लिए 800 मेगावाट का प्रौद्योगिकी डिमॉन्स्ट्रेशन यंत्र।

50% से अधिक ट्रैक्शन उपकरण

बीएचईएल द्वारा भारतीय रेलवे के लोको और ईएमयू में ।

20.75 मिलियन यूनिट

बिजली विभिन्न इकाइयों में 27 मेगावाट से अधिक क्षमता के इन-हाउस सौर ऊर्जा संस्थापन के माध्यम से उत्पन्न होती है।

24,775 प्रशिक्षु

(6,022 शिक्षुता अधिनियम-प्रशिक्षु सहित) कुशल भारत के हिस्से के रूप में प्रशिक्षित किए गए।

क्षमता / उत्पादकता को बढ़ाने/

स्वदेशीकरण के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों में 270 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश

आरएंडडी और इनोवेशन में **800** करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ **558** पेटेंट / कॉपीराइट दर्ज **>4500** से अधिक बौद्धिक पूंजी

जन शक्ति पूंजी **35,471**

2000 + महिला कर्मचारी

17 विश्वकर्मा पुरस्कार

बीएचईएल के 82 कर्मचारियों ने जीते।

बीएचईएल के बारे में

बीएचईएल भारत की औद्योगिक उपलब्धियों का द्योतक है, जो ऊर्जा और बुनियादी सुविधा के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम है तथा विश्व स्तर पर बिजली के उपकरणों का अग्रणी निर्माता है। अपनी 55 वर्षों से अधिक की यात्रा में, इसने भारतीय उद्योग के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक होने का गौरव प्राप्त किया है। बीएचईएल अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में कार्य करता है और विद्युत, पारेषण, परिवहन, अक्षय ऊर्जा, जल, रक्षा और एयरोस्पेस, तेल एवं गैस और उद्योग क्षेत्र में विविध उत्पाद उपलब्ध कराता है। बीएचईएल ने अपने परिचालन के स्तर और गहनता, व्यापकअनुभव, सक्षम जनशक्ति, अभिनव पारिस्थितिक तंत्र, विविध उत्पाद मिश्रण और स्थायी व्यावसायिक समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के कारण अपने पणधारकों के बीच महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। बीएचईएल की सबसे बड़ी संपत्ति - 35,000 से अधिक कर्मचारियों का अत्यंत कुशल और प्रतिबद्ध कार्यबल इसकी सफलता का आधार है।

बीएचईएल की राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता कई रूपों प्रतिबिंबित होती है। इनमें से कुछ हैं - देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के आधे से अधिक में इसका योगदान; नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को देश में लाना;भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में आर एंड डी और नवाचार पर अपने कुल कारोबार का 2.5% से अधिक का लगातार अधिकतम खर्च; संपूर्ण भारत में उपस्थिति; विश्व स्तरीय संपत्तियों की स्थापना और सामाजिक कार्यक्रमों में निवेश जैसे कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और हाइजीन, शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण ।

बीएचईएल, भोपाल में अल्ट्रा हाई वोल्टेज लैब

16 विनिर्माण संयंत्रों, 2 मरम्मत इकाइयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों, 8 सेवा केंद्रों, 1 सहायक, 3 सक्रिय संयुक्त उपक्रम, 15 क्षेत्रीय विपणन केंद्र, 3 विदेशी कार्यालय और भारत और विदेशों में वर्तमान में 150 से अधिक परियोजना स्थलों पर परियोजना निष्पादन, बीएचईएल विभिन्न उद्योगों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विविध प्रकार के उच्च गुणवत्ता से युक्त और विश्वसनीय उत्पादों का निर्माण करता है ।

दुनिया भर में बिजली पैदा करने वाले उपकरणों के स्थापित आधार में बीएचईएल का योगदान 185 GW से अधिक है - जिससे यह भारत में बिजली संयंत्र उपस्कर बनाने वाली कम्पनियों में निर्विवाद रूप से अग्रणी है।

बीएचईएल ने थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और गैस आधारित बिजली संयंत्रों को ध्यान में रखते हुए,देश के अंदर 1000 से अधिक बिजली उत्पादन सेट स्थापित किए हैं।

बसे हुए सभी छह महाद्वीपों के 83 देशों- बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, ओमान, इराक, सूडान, अफगानिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड में बीएचईएल की पहचान है।आज तक, बीएचईएल ने विदेशी बाजारों में लगभग 11 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की है, और 6 गीगावाट निष्पादन के अधीन है।

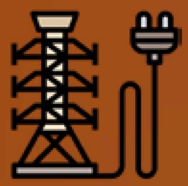

पॉवर सेक्टर

बीएचईएल दुनिया की कुछ कंपनियों में से एक है जिसमें थर्मल, गैस, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए सिद्ध क्षमताओं के साथ विद्युत संयंत्र उपकरणों की पूरी श्रृंखला का निर्माण करने की क्षमता है। इसके उत्पादों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- 1000 मेगावाट यूनिट तक के फॉसिल फ्यूल एप्लिकेशन्स के लिए स्टीम टरबाइन, जनरेटर, बॉयलर और इसके सहायक पुर्जे
- उत्सर्जन नियंत्रण उपस्कर, जिनमें SOx उत्सर्जन नियंत्रण के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम, पार्टिकुलेट उत्सर्जन नियंत्रण के लिएउच्च दक्षता इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपीटेटरऔर NOx उत्सर्जन नियंत्रण के लिए सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन सिस्टम शामिल हैं।
- 297 मेगावाट यूनिट आकार तकके गैस टरबाइन और जेनरेटर
- 400 मेगावाट यूनिट आकार तक के हाइड्रो टरबाइन और जेनरेटर
- 220/235/540/550/700 MWe न्यूक्लियर टरबाइन जेनरेटर सेट
- सयंत्रों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, अपरेटिंग, शेष जीवन मूल्यांकन, स्वास्थ्य निदान और कार्य करने की अवधि का विस्तार करके संयंत्र निष्पादन सुधार

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बीएचईएल को पनकी टीपीएस के बारे में जानकारी देते हुए तत्कालीन सीएमडी, बीएचईएल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में

उद्योग क्षेत्र

बीएचईएल उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में एक जाना-पहचाना नाम है। भारतीय रेल के आधे से अधिक रोलिंग स्टॉक में बीएचईएल द्वारा बनाए गए ट्रैक्शन उपस्कर लगे हुए हैं। बीएचईएल ने देश में 200+ विद्युत सबस्टेशन और 5 प्रमुख एचवीडीसी परियोजनाएं कमीशन की हैं तथा देश में इलेक्ट्रिकल एसी मशीनों के सबसे बड़े निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।

बीएचईएल अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रणालियों और उत्पादों का अग्रणी निर्माता है। इसके परिचालन और सेवा के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र हैं:

- परिवहन: आईजीबीटी आधारित प्रोपल्शन उपकरण (ट्रेक्शन कनवर्टर / सहायक कनवर्टर / वाहन नियंत्रण इकाई), 25 केवी के एसी लोको, ईएमयू कोच, 6000 एचपी तक के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और 3000 एचपी तक के डीजल इलेक्ट्रिक लोको
- अक्षय ऊर्जा:किलोवाट से लेकर मेगावाट तक के आकार के संयंत्रों,स्पेस ग्रेड सौर पैनलों और स्पेस ग्रेड बैटरी के लिए ग्रिड से जुड़े और स्टैंडअलोन सौर पीवी एप्लिकेशन्स हेतु संकल्पना से कमीशन तक ईपीसी समाधान
- ई-मोबिलिटी: इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स, इलेक्ट्रिक पावर, ट्रेन, लिथियम आयन बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक वाहन, पावर कंडीशनिंग प्रणाली, एमरी प्रबंधन प्रणाली, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए कंटेनर समाधान, रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण के लिए ईपीसी समाधान
- रक्षा तथा एयरोस्पेस: नौसेना के जहाजों के लिए सुपर रैपिड माउंट गन और एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली सहित भारतीय रक्षा बलों के लिए सामरिक उपकरण, एलसीए के लिए ताप विनिमायक, टी 72 टैंकों के लिए बुर्ज कास्टिंग, जहाजों के लिए कास्टिंग, सिमुलेटर आदि।
- जल: पूर्व उपचार संयंत्र, समुद्री जल रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, डेमिनेरलाइजेशन प्लांट्स, प्रदूषण उपचार संयंत्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, टेरिटरी ट्रीटमेंट प्लांट्स और शून्य द्रव रिसाव प्रणालियों सहित विद्युत संयंत्रों, उद्योगों और नगर निगम के अनुप्रयोगों के लिए पूर्ण जल प्रबंधन समाधान।
- ट्रांसमिशन: 132 केवी से 765 केवी तक ईएचवी और यूएचवी सबस्टेशन और + 800 केवी तक एचवीडीसी कनवर्टर स्टेशन, पावर ट्रांसफार्मर, शंट रिएक्टर, वैक्यूम और एसएफ6 स्विचगियर, गैस इन्सुलेटेड स्विचगियर, सिरेमिक इंसुलेटर, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम डिवाइसेज आदि।
- औद्योगिक उत्पाद: तेल रिग, वेलहेड्स और क्रिसमस ट्री वाल्व, यांत्रिक पैकेज, फैब्रिकेटेड उपकरण और बॉयलर फीड पंप, कंप्रेसर और एसी मशीनों सहित विविध प्रकार के औद्योगिक उत्पाद
- कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स: भाप और गैस टरबाइन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट्स

इसरो द्वारा लॉन्च किए गए सभी भारतीय उपग्रहों में बीएचईएल द्वारा बनाए गए सौर पैनल और बैटरी लगे हुए हैं। बीएचईएल के देश भर में फैले 700 मेगावाट से अधिक के सौर पोर्टफोलियो में शामिल हैं- ग्राउंड माउंटेड, रूफटॉप, कैनाल टॉप और फ्लोटिंग पीवी प्लांट्स। बीएचईएल भारतीय नौसेना को उनके युद्धपोतों के लिए बंदूकों का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है।

वातानुकूलित एसी ईएमयू, जिसमें बीएचईएल द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक्स लगे हुए हैं

बीएचईएल, बंगलूरू में अत्याधुनिक सौर फोटोवोल्टाइक के विनिर्माण की सुविधा

बीएचईएल द्वारा आपूर्त किए गए ट्रांसफार्मरों से युक्त 1200 केवी बीना सब-स्टेशन

बीएचईएल अपनी प्रौद्योगिकी क्षमताओंऔर प्रतिबद्ध जनशक्ति के बल पर अपने नवनिर्माण के नए स्रोत सृजित कर रहा है। कंपनी का 35,000+ मजबूत कार्यबल नए व्यावसायिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि वे आगे बढ़ सकें, विकास कर सकें और अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर सकें।

परिवर्तन की पहल में कंपनी की सफलता का एक सबसे बड़ा कारक यह है कि बीएचईएल अपने व्यवसायों में प्रतिस्पर्धा के लिए नवीन प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर बल दे रहा है।

बीएचईएल कल के बीएचईएल के निर्माण के अपने विजन को साकार करने के लिए कार्य कर रहा है। यह यात्रा रोमांचक अवसरों और बड़ी चुनौतियों से भरी हुई है। अपनी पहल की सफलता सुनिश्चित करने की दिशा में कंपनी का ध्यान और प्रयास भविष्य में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होगा।

कल के बीएचईएल के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध कर्मचारी

बीएचईएल के शॉप फ्लोर, जहां नए भारत के निर्माण की नीव रखी जाती है

अखिल भारतीय उपस्थिति

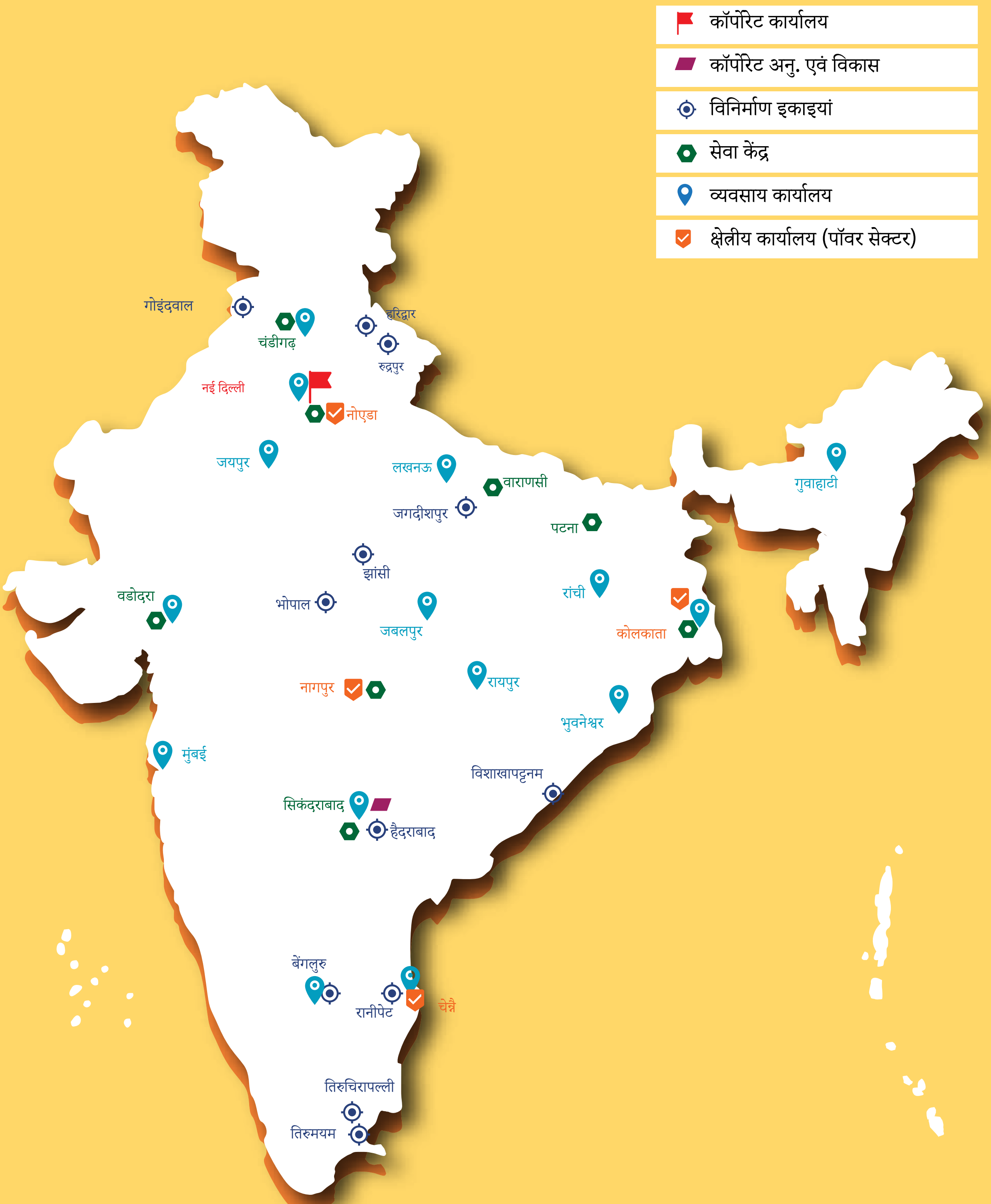

ग्राफिकल प्रस्तुति का आशय राजनीतिक नक्शा नहीं है।

16 विनिर्माण इकाइयां

08 सेवा केंद्र

15 व्यावसायिक कार्यालय

150+ भारत और विदेश में परियोजना स्थल

04 क्षेत्रीय कार्यालय

02 मरम्मत इकाइयां

विनिर्माण संयंत्र/ इकाइयां

विनिर्माण इकाइयां	बंगलूरू	1. इलेक्ट्रॉनिक्स डिविजन (ईडीएन) 2 . इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिविजन (ईएसडी) 3. इलेक्ट्रिक एवं फोटोवोल्टाइक डिविजन(ईपीडी)
	भोपाल	4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लान्ट (एचईपी)
	गोइंदवाल	5. इंडस्ट्रियल वॉल्व्स प्लान्ट (आईवीपी)
	हरिद्वार	6. हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट प्लान्ट (हीप) 7. सेंट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लान्ट (सीएफएफपी)
	हैदराबाद	8. हेवी पावर इक्विपमेन्ट प्लान्ट (एचपीईपी)
	जगदीशपुर	9. फेब्रिकेशन स्टाम्पिंग एवं इन्सुलेटर प्लान्ट (एफएसआईपी)
	झांसी	10. ट्रान्सफॉर्मर प्लान्ट (टीपी)
	रुद्रपुर	11. कम्पोनेंट फेब्रिकेशन प्लान्ट (सीएफपी)
	रानीपेट	12. बॉयलर ऑग्जिलरीज प्लान्ट (बीएपी)
	तिरुचिरापल्ली	13. हाई प्रेशर बॉयलरप्लान्ट (एचपीबीपी) 14. सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट (एसएसटीपी)
	तिरुमयम	15. पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट (पीपीपीयू)
	विशाखापट्टनम	16. हेवी प्लेट और वेसल्स प्लांट (एचपीवीपी)
बीएचईएल के रिपेयर प्लांट	मुम्बई	1. इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट (ईएमआरपी)
	वाराणसी	2. हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लान्ट (एचईआरपी)
सहायक कम्पनी	कासरगोड	3. बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

बीएचईएल की दुनिया

विजन

बेहतर कल के लिए समाधान प्रदान करने वाला विश्व स्तर का इंजीनियरिंग उद्यम

मिशन

ऊर्जा, उद्योग एवं बुनियादी सुविधा के क्षेत्र में संधारणीय व्यावसायिक समाधान प्रदान करना

राष्ट्रीय संस्था

- अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने वाली भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनियों में से एक
- 150 से अधिक परियोजना स्थलों के साथ पूरे भारत में उपस्थिति
- भारत के पड़ोसी देशों को बिजली उपलब्ध कराने में योगदान

क्या आप जानते थे?

बीएचईएल ट्रैक्शन प्रणाली को सीधे बिजली उपलब्ध कराने के लिए रेलवे की जमीन पर अपने प्रकार का पहला सौर स्थापित करेगा।

एनपीसीआईएल की कागा यूनिट -1 (220 मेगावाट) में बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए सेटों ने 962 दिनों तक लगातार काम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है|

बीएचईएल ने किसी भी एप्लिकेशन के लिए, 50 टन की मिश्र धातु 625 के लिए दुनिया की सबसे भारी कास्टिंग सफलतापूर्वक की है।

बीएचईएल ने कोठागुडम में 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल प्लांट 46 महीनों में चालू किया– यह देश में एक रिकॉर्डहै।

बीएचईएल ने कालेश्वरम् लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए सबसे बड़ी रेटिंग (116 मेगावाट प्रत्येक) के वर्टिकल पंप-मोटर सेट डिजाइन, निर्मित और कमीशन किए हैं।

बीएचईएल अब तक देश भर में 200+ इलेक्ट्रिकल सब-स्टेशन कमीशन कर चुका है।

बीएचईएल इलेक्ट्रिकल एसी मशीनों का सबसे बड़ा भारतीय आपूर्तिकर्ता है।

बीएचईएल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में रेट्रोफिटिंग के लिए रि-जनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का विकास करने वाली देश की पहली कंपनी है।

विश्व स्तर पर उपस्थिति

- 83 देशों में उपस्थिति।
- देश से बाहर 11 GW बिजली उत्पादन क्षमता; 6 GW पर काम चल रहा है।
- भूटान में ~ 3000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएं। नेपाल में 900 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएं चल रही हैं।
- बांग्ला देश में 1320 मेगावाट का सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट निष्पादन केअधीन।

ऊर्जावान भारत

- भारत और विदेशों में 185+ जीडब्ल्यू विद्युत उत्पादन उपस्कर स्थापित।
- देश की कुल स्थापित विद्युत उपयोगिताओं में एकल सबसे बड़ा योगदानकर्ता 1000+ युटिलिटि सेट कमीशन करके देश की कुल स्थापित इलेक्ट्रिक युटिलिटि में अकेला सबसे बड़ा योगदानकर्ता।
- 700+ मेगावाट - कंपनी का कुल सौर पोर्टफोलियो
- देश में 47% परमाणु ऊर्जा उत्पादन (पारंपरिक द्वीप) और 45% जल विद्युत उत्पादन बीएचईएल द्वारा बनाए गए उपस्करों से होता है।

अन्य मुख्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान

- 6,30,000+ एमवीए ट्रांसमिशन उपकरण
- 31,500+ एसी मशीनें
- 380 इलेक्ट्रिक लोको
- 330+ डीजल इलेक्ट्रिक लोको
- 400 + कंप्रेशर्स और 90 ऑयल ड्रिलिंग रिग्स
- भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए 40+ सुपर रैपिड गन माउंट

प्रगति को गति ...
जीवन को ज्योति

लोगों का सम्मान

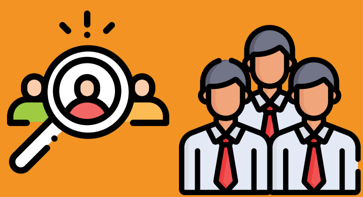

- भारतीय पूंजीगत माल उद्योग में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता (>35000 कार्यबल)।
- 1973 से सहभागिता पूर्ण प्रबंधन की संस्कृति।
- 2000+ महिला कर्मचारी

दीर्घकालिक भविष्य के लिए प्रौद्योगिकियां

- उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (AUSC) का घरेलू विकास और कोयले से मेथनॉल प्रौद्योगिकियों पर काम चल रहा है।
- भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए उत्सर्जन नियंत्रण उपस्कर के विकास एवं स्थापना में अग्रणी।
- 27 मेगावाट + सौर ऊर्जा की स्थापना।
- उच्च दक्षता EHV ट्रांसमिशन सिस्टम और उत्पाद (V 800 kV HVDC सहित)

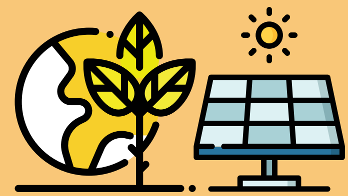

नए प्रयास

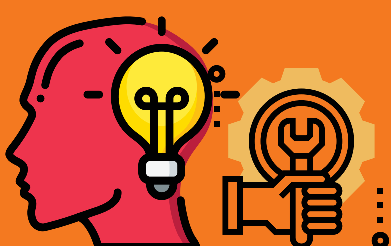

- आरएंडडी व्यय लगातार कारोबार के 2.5% से अधिक - भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में सबसे अधिक
- पिछले दो वर्षों में 6 प्रौद्योगिकी सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर
- पांच शोध संस्थान
- 14 उत्कृष्टता केंद्र
- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) ने 12 विनिर्माण इकाइयों और प्रभागों को घरेलू अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की।

समाज के साथ विकास

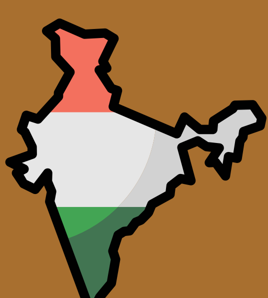

- संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध।
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अखंडता संधि पर हस्ताक्षर।
- स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, हरित भारत और स्वच्छ भारत के लिए सक्रिय योगदानकर्ता स्वच्छ भारत पहल
- 4.7 मिलियन वर्ग मीटर का इन-हाउस ग्रीन कवरेज

डिजिटल बनने की ओर अग्रसर

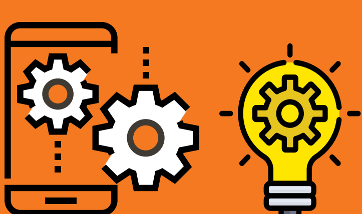

- विद्युत संयंत्रों में रिमोट के माध्यम से निगरानी और निदान प्रणाली द्वारा निष्पादन में सुधार
- परिचालनों की उत्पादकता में वृद्धि

1964 से भारत में निर्माणरत

उत्कृष्टता का सम्मान

प्रतिष्ठित राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने की अपनी परंपरा को कायम रखते हुए, संगठन और उसके कर्मचारियों ने वर्ष के दौरान कई पुरस्कार जीते। इनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:

- 17 **विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार:** बीएचईएल के 82 कर्मचारियों को उनके अभिनव सुझावों के लिए, जिनसे लागत में कमी आई और गुणवत्ता, उत्पादकता तथा काम करने की स्थिति आदि में सुधार हुआ।
- सबसे लंबी दुर्घटना रहित अवधि और सबसे कम दुर्घटना आवृत्ति दर के संदर्भ में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए **छ: राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार**।
- महारत्न श्रेणी में अनु.जा. / अनु.ज.जा. उद्यमी के समर्थन के लिए **एमएसएमई मंत्रालय द्वारा पुरस्कार**।
- "उत्पाद समूह - प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स - लार्ज एंटरप्राइज में वर्ष 2016- 17 के लिए स्टार पर्फॉर्मर" श्रेणी में निर्यात उत्कृष्टता के लिए **ईईपीसी राष्ट्रीय पुरस्कार**।

वर्ष 2016- 17 के लिए स्टार पर्फॉर्मर" श्रेणी में निर्यात उत्कृष्टता के लिए ईईपीसी राष्ट्रीय पुरस्कार।

- भारत में शीर्ष 12 नवप्रवर्तकों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है और कॉर्पोरेशन्स श्रेणी में क्लैरिवेट एनालिटिक्स **इंडिया इनोवेशन अवार्ड 2018** से सम्मानित किया गया।
- 'इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स / कैपिटल गुड्स' श्रेणी में **डून एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2018** ।

विज्ञान भवन , नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सम्मानित विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता

- नवीन एवं अक्षय ऊर्जा और विद्युत के लिए 'बेस्ट पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज़ेशन' के लिए **सीबीआईपी अवार्ड 2019।**

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा और बिजली के लिए 'बेस्ट पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज़ेशन' के लिए सीबीआईपी अवार्ड 2019।

- इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स से निष्पादन वर्ष 2016 और 2017 के लिए **सेफ्टी इन्नोवेशन अवार्ड 2018।**
- राज्य और केन्द्र स्तर के सार्वजनिक उद्यमों के बीच 'रणनीतिक प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक उद्यम' होने के लिए गवर्नेंस नाउ सर्वश्रेष्ठ पीएसयू पुरस्कार और 'डिजिटलाइजेशन में **सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक उद्यम' पुरस्कार 2019।**
- रेल विश्लेषण द्वारा रोलिंग स्टॉक कॉम्पोनेंट्स के विनिर्माण और अभिनव प्रयासों में उत्कृष्टता।
- लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए **आईसीएआई राष्ट्रीय पुरस्कार 2017।**

लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई राष्ट्रीय पुरस्कार 2017

- आई सीसी पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए सीएमडी, बीएचईएल का सम्मान।
- इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार – एचआरएम उत्कृष्टता के लिए रनर अप ट्रॉफी, सीएसआर स्थिरता और अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी परिनियोजन और नवाचार।
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में प्रौद्योगिकी परिनियोजन के लिए कॉर्पोरेट उत्कृष्टता की श्रेणी में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट।

सबसे लंबी दुर्घटना रहित अवधि और सबसे कम दुर्घटना आवृत्ति दर के संदर्भ में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए छः राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार

बोर्ड रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 25

अनुलग्नक -1
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण 33

अनुलग्नक -II
कॉर्पोरेट अभिशासन 78

अनुलग्नक -III
सीईओ और सीएफओ प्रमाण पत्र 118

अनुलग्नक -IV
सतत विकास 120

अनुलग्नक -V
व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 133

अनुलग्नक -VI
आर एंड डी और तकनीकी उपलब्धियां 142

अनुलग्नक -VII
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समामेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय 149

अनुलग्नक –VIII
फॉर्म एओसी-I और एओसी-2 150

अनुलग्नक -IX
स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट और सीएजी की टिप्पणियाँ 153

निदेशक बोर्ड रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

निदेशक मंडल को आपकी कंपनी के व्यवसाय और परिचालनों के संबंध में 55 वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है।

वित्तीय परिणाम

(रु. करोड़)

	वर्ष के अंत में		
	31मार्च, 2019	31मार्च, 2018	वृद्धि
कुल कारोबार	29349	27850	5.4%
परिचालनों से राजस्व	30349	28813	5.3%
ईबीआईडीटीए	2820	2626	7.4%
परिचालन ईबीआईडीटीए	2142	1932	10.9%
कर पूर्व लाभ	2058	1585	29.8%
कर पश्चात लाभ	1215	807	50.6%
कुल व्यापक आय	1096	890	23.1%
लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) प्रदत्त	653	485	34.6%
ईपीएस (रु. में)	3.35	2.20	52.3%

ध्यान दें:

लाभांश में पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश और चालू वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश शामिल हैं।

"आपकी कंपनी ने परिचालन ईबीआईडीटीए (EBIDTA) में सुधार और वर्ष के लिए लाभ में महत्वपूर्ण वृद्धि की है, जिसे विभिन्न परिचालन सुधार पहलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सका है, जिससे खर्चों में कमी आई"।

कम्पनी के व्यवसाय की स्थिति

वित्त वर्ष 2018-19 में टर्नओवर Rs.29509 करोड़ था। वित्त वर्ष 2017-18 में Rs.27850 करोड़ के मुकाबले, पिछले वर्ष 5.4% की वृद्धि हुई थी। वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2018-19 में परिचालन से राजस्व 5.3% बढ़ा है।

EBIDTA वित्त वर्ष 2017-18 में 2626 करोड़ रुपये के मुकाबले 2018-19 में 2820 करोड़ रुपये था, जो कि 7.4% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 में 2058 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) दर्ज किया, जो 2017-18 के 1585 करोड़ रुपये से 29.8% अधिक है।

निवल लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 2017-18 के 807 करोड़ रु. की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 में 1215 करोड़ रुपये रहा, जो 50.6% था। यह बेहतर परिचालन, ग्राहकों के साथ संविदागत मुद्दों के निपटान से संबंधित प्रावधानों को निष्प्रभावी किए जाने आदि के कारण प्राप्त किया गया है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 में रु.23859 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त किए। इनमें विद्युत क्षेत्र में 1,5490 करोड़ रुपये, उद्योग क्षेत्र में 7016 करोड़ रुपये और अंतरराष्ट्रीय परिचालन में 1353 करोड़ रु.के ऑर्डर शामिल हैं। पावर सेक्टर में, कंपनी ने अपने बाजार नेतृत्व को बनाए रखा और एक थर्मल पावर प्लांट के मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए वह एकमात्र ऑर्डर प्राप्त किया, जो पूरे वर्ष में देश में दिया गया। इसके अलावा, उन विभिन्न निविदाओं को भी 2019-20 में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है , जिनमें बीएचईएल अनुकूल स्थिति में है । 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली ऑर्डर बुक रु.18000 करोड़ (Rs.99000 के निष्पादन योग्य ऑर्डर) के मुकाबले 31 मार्च, 2018 तक लगभग Rs.109000 करोड़ (Rs.87000 करोड़ का निष्पादन योग्य ऑर्डर) थी। ऑर्डर बुक के आंकड़ों में लागू कर शामिल हैं।

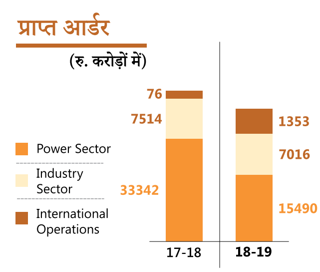

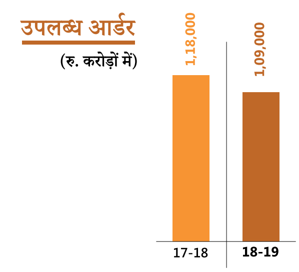

शेयर पूंजी में बदलाव

बोर्ड ने 25 अक्टूबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में 2 रु. प्रत्येक के अंकित मूल्य के पूर्णत: प्रदत्त 18,93,36,645 इक्विटी शेयरों, जिनका अधिकतम मूल्य 1628.30 करोड़ रु. है और प्रति इक्विटी शेयर मूल्य 86 रु. है, के बायबैक के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो जारी किए गए कुल शेयरों और कंपनी के पास इक्विटी शेयरधारकों से प्राप्त इक्विटी शेयर पूंजी का 5.16% है। बायबैक ऑफर का आकार स्टैंडअलोन और समेकित भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की आरक्षित निधि दोनों का 5% था और जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूर्णत: प्रदत्त शेयर पूंजी तथा कम्पनी की आरक्षित निधि के 10% की सांविधिक सीमा के भीतर था, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 06 नवंबर, 2018 थी। 13 दिसंबर, 2018 को बायबैक ऑफ़र खोला गया और 27 दिसंबर, 2018 को निविदा प्रस्ताव के माध्यम से बंद किया गया। जनवरी 2019 में भुगतान किए गए Rs.1628.30 करोड़ के कुल बहिर्वाह के साथ 18,93,36,645 के कुल इक्विटी शेयरों को रु. 66 प्रति इक्विटी शेयर (प्रीमियम सहित) पर वापस खरीदा गया। परिणामतः भुगतान की गई पूंजी जो वित्त वर्ष 2017-18 में रु.734.28 करोड़ रु. की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 में 696.41 करोड़ रु. शेयर पूंजी कम हो गई है।

आरक्षित निधि में अंतरण

कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अपने पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बायबैक के लिए रु .7.87 करोड़ को "कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व" में अंतरित कर दिया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी शेयरों के बायबैक के लिए 1628.30 करोड़ रु. के जनरल रिजर्व का उपयोग किया है।

लाभांश

आपकी कंपनी ने फरवरी 2019 में रु. 696.41 करोड़ रु. की चुकता शेयर पूंजी पर रु. 2.80 प्रति इक्विटी शेयर (रु.2 /- प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर 40% की दर से) का अंतरिम लाभांश भुगतान किया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 27 मई, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में, प्रति शेयर रु. 20 का अंतिम लाभांश (रु. 2/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर 60% की दर से) भुगतान करने की अनुशंसा की है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लाभ में से 417.85 करोड़

रु. है और आपके अनुमोदन के अधीन है। इससे, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल लाभांश 696.42 करोड़ रु. (लाभांश वितरण कर को छोड़कर) और 839.58 करोड़ रु. (लाभांश वितरण कर सहित) रहा।

कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियमन 43ए (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 एलओटीडीआर ("LOtDR") की आवश्यकताओं के अनुसरण में एक लाभांश वितरण नीति स्थापित की है। लाभांश वितरण नीति कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर उपलब्ध है और वार्षिक रिपोर्ट में भी अलग से उपलब्ध कराई गई।

बीएचईएल वर्ष 2018-19 के लिए तत्कालीन भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री अनंत गीते और भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो को अंतरिम लाभांश के रूप चेक प्रस्तुत करते हुए।

कंपनी शेयरधारक मूल्य बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और 1976-77 से लगातार लाभांश देने का इसका ट्रैक-रिकार्ड है। इस वर्ष का लाभांश पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने 2018-19 में शेयरों की वापसी खरीद भी की है।

जमा

कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के दायरे में आने वाली जनता से जमा स्वीकार नहीं किया है।

एमओयू रेटिंग

आपकी कंपनी को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एमओयू निष्पादन पर 'उत्कृष्ट' का दर्जा दिया गया है।

क्रेडिट रेटिंग

वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इस प्रकार थी:

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग की तिथि	दीर्घावधि रेटिंग	आउटलुक	अल्पावधि रेटिंग
सीआर आईएस आईएल	6 नवम्बर, 2018	सीआर आईएस आईएल एए+	स्टेबल	सीआरआईएस आईएल ए1+
इंडिया रेटिंग्स	29 नवम्बर, 2018	इंडिया एए+	स्टेबल	इंडिया ए1+
केयर	15 फरवरी, 2019	केयर एए+	स्टेबल	सीएआरई ए1+

वित्त वर्ष 2018-19 में सीआरआईएसआईएल ने आउटलुक को नेगेटिव से स्टेबल में अपग्रेड किया है। इंडिया रेटिंग्स और केयर द्वारा आउटलुक स्थिर रहा है।

वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष के अंत और वित्त वर्ष 2018-19 की इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी प्रत्यक्ष परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हैं।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसरण में, निदेशक मंडल इसकी पुष्टि करता है:

क) वार्षिक लेखा तैयार करते समय, सामग्री भेजी जाने से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानक (भा. ले. मा.) का पालन किया गया है;

ख) निदेशकों ने इस तरह की लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है और निर्णय दिए हैं और जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और कंपनी के लाभ के मामले में कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष विचार दिया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

घ) निदेशकों ने गोइंग कंसर्न के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है;

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया है और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं;

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ये पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

2018-19 की दूसरी छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ी। वित्त वर्ष 2018-19 में 7.4% की अनुमानित वृद्धि की तुलना में देश ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% दर्ज की, लेकिन घरेलू अर्थव्यवस्था के वृहद बुनियादी ढाँचे मजबूत बने हुए हैं। 2024 तक भारत को US $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की सरकार की दृष्टि से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जिससे मुख्य क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा।

"कल के बीएचईएल के निर्माण" की यात्रा में, जिसे बीएचईएल ने सर्वाइव, रिवाइव और थ्राइव की अपनी मौलिक रणनीति के ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया और उनके संबंधित नौ तत्वों (नीव) को ध्यान में रखते हुए, कई महत्वपूर्ण पहलें की जा चुकी हैं और कई योजना के अधीन हैं।

लाभदायक विकास को बनाए रखना, मुख्य व्यवसाय में नेतृत्व को शामिल करना, और उभरते अवसरों का दोहन करके विविधीकरण हमारी व्यापार रणनीति की आधारशिला है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया बोर्ड की रिपोर्ट अनुबंध- I में देखें।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

सेबी के 34 नियम (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015

के विनियमन, कॉर्पोरेट प्रशासन (बोर्ड / समिति की बैठक के विवरण सहित) पर एक रिपोर्ट, निम्नलिखित के साथ बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक- II में दी गई है।

(i) लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के तहत निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(ii) कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ऑडिटर्स प्रमाण पत्र

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

(iv) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसरण में वार्षिक विवरण का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत घोषणा स्वतंत्रता के मानदंडों से संबंधित स्वतंत्र निदेशकों द्वारा निदेशक मंडल को दी गई है।

कंपनी की वेबसाइटों के लिए लिंक:

1. स्वतंत्र निदेशकों का परिचय कार्यक्रम:
http://www.bhel.com/index.php/ind_dir

2. संबंधित पक्ष के लेन-देन से संबंधित सामग्री सहायक और नीति निर्धारण नीति:
http://www.bhel.com/pdf/Policy_with_regard_to_Related_Party_Transactions_010419.pdf

3. वार्षिक विवरणी का सारांश
http://www.bhel.com/index.php/notice_announce

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 के नियमों के संबंध में बोर्ड स्तर की ऑडिट कमेटी है, जिसमें सेबी के 18 नियमों और विनियमों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनका विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट के बिंदु 3 पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी ने लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की स्थिति में परिवर्तन

नियुक्ति

18 दिसंबर, 2015 को अंशकालिक अशासकीय (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त श्री आर. स्वामिनाथन का कार्यकाल 30 नवंबर, 2018 को पूरा होने के बाद उनका कंपनी का निदेशक पद समाप्त हो गया था। उन्हें 1 दिसम्बर, 2018 से फिर से कम्पनी के अंशकालिक अशासकीय (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री मनोज कुमार वर्मा को 19 दिसंबर, 2018 को पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने निदेशक (पावर) के पद पर कार्यभार संभाला है।

श्री राजेश शर्मा को 20 फरवरी, 2019 से अंशकालिक अशासकीय निदेशक (स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री कमलेश दास को 19 दिसंबर, 2018 को पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने निदेशक (ई,आर एंड डी) के पद पर कार्यभार संभाला।

श्री अमित वर्धन संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय को 27 मार्च 2019 को अंशकालिक अशासकीय निदेशक (स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त किया गया है।

3 जुलाई, 2019 को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किए गए डॉ. नलिन सिंघल ने 8 जुलाई, 2019 को बीएचईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके अलावा, भारी उद्योग विभाग के 1 जुलाई, 2019 के आदेशानुसार, श्री डी. बंद्योपाध्याय, निदेशक (मा. सं.), बीएचईएल को 2 जुलाई, 2019 से लेकर डॉ. नलिन सिंघल की सीएमडी के रूप में नियुक्ति होने तक उनके मौजूदा दायित्वों के अलावा सीएमडी पद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी के लेखों के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार, अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए श्री मनोज कुमार वर्मा, श्री राजेश शर्मा, श्री कमलेश दास, अमित वर्धन और डॉ. नलिन सिंघल कंपनी की 55 वीं वार्षिक आम बैठक तक निदेशक के रूप में रहेंगे और बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (10) के साथ पठित धारा 161 और अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार, श्री आर. स्वामिनाथन कंपनी की 55 वीं वार्षिक आम बैठक तक निदेशक के रूप में रहेंगे और स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जिसके लिए बैठक में विशेष प्रस्ताव रखा जाएगा।

सेवा का समापन

10 अगस्त, 2016 को निदेशक (पावर) के रूप में नियुक्त किए गए श्री अखिल जोशी को 30 सितंबर, 2018 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के निदेशक पद से मुक्त कर दिया गया।

18 दिसंबर, 2015 को अंशकालिक अशासकीय (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त श्री राजेश किशोर को 30 नवंबर, 2018 को कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी के निदेशक पद से मुक्त कर दिया गया था। उन्हें 1 दिसंबर, 2018 को फिर से अंशकालिक अशासकीय (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में 19 दिसंबर, 2018 को उनके दुःखद निधन के कारण उनका निदेशक पद समाप्त हो गया।

18 दिसंबर, 2015 को अंशकालिक अशासकीय (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए श्री केशव एन. देसिराजू का कार्यकाल 30 नवंबर, 2018 को पूरा होने पर कंपनी में उनका निदेशक पद समाप्त हो गया।

श्री सुब्रत बिश्वास, जिन्हें 24 सितंबर, 2015 को निदेशक (ई, आर एंड डी) के रूप में नियुक्त किया गया था, 28 फरवरी, 2019 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के निदेशक पद से मुक्त हो गए।

18 मई, 2018 को अंशकालिक शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त श्री प्रवीन एल. अग्रवाल संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का अंशकालिक शासकीय निदेशक का पद 27 मार्च, 2019 से समाप्त हो गया।

2 फरवरी, 2017 को अंशकालिक शासकीय निदेशक (स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त की

गईं सुश्री सुरमा पाधी ने 31 मार्च, 2019 को कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।

श्री अतुल सोबती, जिन्हें 1 जनवरी, 2016 को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, 30 जून, 2019 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के सीएमडी पद से मुक्त हो गए।

डॉ. सुभाष चंद्र पांडेय पूर्व विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिन्हें 31 मार्च, 2016 को अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, 30 जून, 2019 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के निदेशक पद से मुक्त हो गए।

निदेशक मंडल श्री अखिल जोशी, स्वर्गीय श्री राजेश किशोर, केशव एन. देसिराजू, सुब्रत बिस्वास, प्रवीन एल. अग्रवाल, सुश्री सुरमा पाधी, और डॉ. सुभाष चंद्र पांडेय को उनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं, परामर्श और मार्गदर्शन के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता है। निदेशक मंडल श्री अतुल सोबती द्वारा सीएमडी, बीएचईएल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए दूरदर्शी नेतृत्व और रणनीतिक दिशानिर्देशों के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 और एसोसिएशन ऑफ कंपनी के अनुच्छेद 67 (i) के अनुसार, श्री सुबोध गुप्ता और श्री एस. बालकृष्णन वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा रिटायर होंगे और अपनी पुन: नियुक्ति का प्रस्ताव रखने के लिए पात्र होंगे।

सेबी (सूची निर्धारण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) के विनियम 36 (3) विनियम, 2015 के अनुपालन में, नियुक्ति और पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण विशिष्ट कार्यक्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता, उन कंपनियों के नामों, जिनमें वे निदेशक पद पर हैं और विभिन्न बोर्डों की समितियों में उनकी सदस्यता संबंधी जानकारी के साथ नोटिस के व्याख्यात्मक विवरण / अनुबंध में दिया गया है।

श्री आई.पी. सिंह के पद त्याग के कारण श्री राजीव कालरा को 17 दिसंबर, 2018 को कंपनी सचिव और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया।

सीईओ / सीएफओ प्रमाण पत्र

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) के अनुसार सीईओ/ सीएफओ प्रमाण पत्र बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध- III में दिया गया है।

ऋण और निवेश

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत शामिल ऋण और निवेश का विवरण वित्तीय विवरण का हिस्सा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बीएचईएल की सहायक कंपनी मेसर्स बीएचईएल ईएमएल को कार्यशील पूंजी के रूप में 3 करोड़ का ऋण दिया गया था, जिसके इम्पेयरमेन्ट का प्रावधान किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों पर संक्षिप्त जानकारी और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम 2015 के विनियम 34 के पैरा 1.5.4 में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण के तहत दी गई है।

सतत विकास

संधारणीयता का सिद्धांत हमारी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है, जो हमारे मिशन स्टेटमेन्ट "ऊर्जा, उद्योग एवं बुनियादी सुविधा के क्षेत्र में संधारणीय व्यावसायिक समाधान प्रदान करना" में परिलक्षित होता है। बीएचईएल सदैव समग्र बहुमूल्य क्षेत्र में पर्यावरण पदचिह्न स्थापित करने के अवसर की तलाश कर रहा है। स्वच्छ उत्पादों का विकास, हमारे उत्पादों / प्रक्रियाओं में प्राकृतिक संसाधन की खपत में कमी, , रिड्यूस, रि-साइकल- रि-यूज (3 आर) के सिद्धांत पर आधारित स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन, अपने परिसरों में हरियाली के विकास से पर्यावरण को समृद्ध बनाना, स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बन को जिम्मेदारी से नियंत्रित करना, ऊर्जा संरक्षण/ दक्ष उपाय और अपने सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देना कुछ ऐसे उपाय हैं ,जो बीएचईएल के सतत विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत की गई विभिन्न पहलों का विवरण **बोर्ड रिपोर्ट की अनुलग्नक** - IV में दिया गया है।

कॉर्पोरेट आर एंड डी, बीएचईएल हैदराबाद में स्वनिर्मित सौर ऊर्जा संयंत्र

व्यावसायिक दायित्व रिपोर्ट

लिस्टिंग विनियम की अपेक्षा के अनुरूप पर्यावरण, समाज और शासन के क्षेत्र में कंपनी द्वारा की गई पहलों की व्यावसायिक दायित्व रिपोर्ट **बोर्ड रिपोर्ट की अनुलग्नक** V में संलग्न है।

अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी विकास की उपलब्धियां

बीएचईएल की इनोवेशन रणनीति, आरएंडडी संरचना और बुनियादी ढाँचा वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक अपेक्षाओं की प्रौद्योगिकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। 2018-19 के लिए कंपनी का अनुसंधान एवं विकास खर्च रु.820 करोड़ था, जो कारोबार का लगभग 2.8% है। इसमें अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अलावा, उत्पादों / डिजाइनों में ग्राहकों की अपेक्षानुसार किए गए बड़े संशोधनों / सुधारों के लिए विनिर्माण इकाइयों में किए गए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर किए गए व्यय भी शामिल हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान 558 पेटेंट और कॉपीराइट आवेदन दायर किए, जिससे कंपनी की बौद्धिक पूंजी बढ़कर 4561 हो गई। इन-हाउस विकसित उत्पादों से रु. 5761 करोड़ प्राप्त हुए, जो कंपनी के टर्नओवर का लगभग 19.6% है। विस्तृत विवरण **बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक** - VI में दिया गया है।

कॉर्पोरेट आर एंड डी, हैदराबाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस फैटेशन (ईआरएफ) टेस्ट मशीन

राजभाषा कार्यान्वयन

कंपनी की सभी इकाइयों में राजभाषा के प्रचार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और प्रगति की लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। संसदीय राजभाषा समिति ने विभिन्न इकाइयों के निरीक्षण के दौरान इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। भारी उद्योग विभाग ने भी कुछ इकाइयों का निरीक्षण किया।

कंपनी की 12 इकाइयों को 15 मई, 2018 को आयोजित प्रबंधन समिति की बैठक में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा शील्ड प्रदान की गई। कॉर्पोरेट कार्यालय सहित सभी इकाइयों / प्रभागों में हिंदी दिवस / सप्ताह / पखवाड़ा / माह का आयोजन किया गया, जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि-सम्मेलन आदि आयोजित किए गए। दिल्ली/ एनसीआर स्थित कार्यालयों में राजभाषा उल्लास पर्व का आयोजन किया गया। कॉर्पोरेट कार्यालय में 14.09.2018 को हिंदी दिवस समारोह निदेशक (मा.सं.) की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के वाइस चांसलर, प्रो. विष्णु दत्त राकेश को आमंत्रित किया गया था।

कंपनी विभिन्न नगरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इन समितियों के तत्वावधान में अनेक रोचक प्रतियोगिताएं, सेमिनार, सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कंपनी में कुल 17 हिंदी पत्रिकाएँ प्रकाशित की जा रही हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, 30 कर्मचारियों को कॉर्पोरेट कार्यालय की हिंदी पत्रिका अरुणिमा में प्रकाशित उनके उत्कृष्ट लेखों के लिए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

18 मई, 2018 और 29 नवंबर, 2018 को क्रमशः मुन्नार (केरल) और हैवलॉक (अंडमान) में भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मुख्य समन्वयकर्ता की भूमिका बीएचईएल ने निभाई।

भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 18 मई, 2018

सतर्कता प्रणाली

बीएचईएल के सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है, जिसे भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। बीएचईएल की प्रमुख विनिर्माण इकाइयों / पावर क्षेत्र के प्रभागों में सतर्कता प्रणाली का नेतृत्व वरिष्ठ सतर्कता कार्यपालक द्वारा किया जाता है, जो सीवीओ को रिपोर्ट करते हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 के अवसर पर भ्रष्टाचार विरोधी संदेश फैलाने के लिए दिल्ली-एनसीआर में एक मोटर साइकिल रैली

निवारक सतर्कता हमेशा बीएचईएल सतर्कता का फोकस क्षेत्र रहा है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को प्रबंधन के साथ साझा किया गया था और प्रणालीगत सुधार की सलाह दी गई थी ताकि विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग को कम किया जा सके और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। अन्य भिन्नताओं के बारे में समय-समय पर प्रबंधन को जानकारी दी जाती है, ताकि परिपत्र / दिशानिर्देश जारी किए जा सकें और इन क्षेत्रों में व्यवस्थित सुधार किए जा सकें। वर्ष में किए गए कुछ प्रमुख उपाय थे:

- नीतियों, दिशानिर्देशों और नियम-पुस्तकों की समीक्षा करने और उन्हें अद्यतन करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई, जिनमें सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल थीं, ताकि उन्हें सरकार की नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया जा सके, जिससे विवेकानुसार निर्णय लेने की शक्तियों को कम किया जा सके और उन प्रावधानों में स्पष्टता लाई जा सके, जहां अलग-अलग व्याख्या की गुंजाइश है।
- सीवीसी की सलाह पर अखंडता संधि को अपनाने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया की समीक्षा की गई और 16 जुलाई, 2018 को इसे अधिसूचित किया गया।
- कंपनी के सभी इकाइयों, क्षेत्रों और कार्यालयों में औचक निरीक्षण, नियमित निरीक्षण और सीटीई (मुख्य तकनीकी परीक्षक) प्रकार के निरीक्षण किए गए।
- पाई गई कमियों और प्राप्त फीड्बैक के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों में प्रणाली सुधार लागू किए गए थे, जैसे कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की निश्चित कार्यकाल के आधार पर नियुक्ति के संबंध में संशोधित नीति, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के दौरान दिशानिर्देशों का सख्त पालन करना, अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश, ठेकेदारों के साथ संविदा संबंधी विवादों से बचने के लिए बीएचईएल की सभी इकाइयों /क्षेत्रों में हिंड्रेन्स रजिस्टर के रख-रखाव के संबंध में निर्देश, आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों के साथ व्यावसायिक संबंधों के निलंबन के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन आदि। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 4524 कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच की गई।

सतर्कता ने 31 मामलों की जांच की। जहां भी चूक / अनियमितता के लिए कंपनी के अधिकारी सीधे जिम्मेदार थे, वहां उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की गई, जिसके परिणामस्वरूप दंड लगाया गया। जांच के निष्कर्षों के आधार पर, सतर्कता द्वारा सलाह दी गई थी और संबंधित अनुशासनात्मक अधिकारियों ने वर्ष के दौरान 34 दंड (25 मामूली और 9 प्रमुख) लगाए। इसके अलावा, 18 चेतावनी / सुझाव पत्र जारी किए गए। वर्ष के दौरान 232 शिकायतें (सीवीसी से 03 और भारी उद्योग विभाग से 02 शिकायतें भी शामिल हैं) प्राप्त हुई थीं और 224 शिकायतें थीं। सतर्कता की सलाह पर विक्रेताओं / ठेकेदारों से बीएचईएल द्वारा 4.49 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। सतर्कता की सलाह पर, 05 विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई 'आपूर्तिकर्ता / ठेकेदारों के साथ व्यावसायिक संबंध के निलंबन के दिशानिर्देशों' के अनुरूप की गई। आयोग ने पीआईडीपीआई रिज़ॉल्यूशन के तहत 01 शिकायत अग्रेषित की, जिस पर समय सीमा के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। सतर्कता की दृष्टि से 67 आंतरिक रिपोर्टों की लेखापरीक्षा (3419 पैरा) की गई। 03 पैरा में, सतर्कता का मामला पाया गया और विस्तृत जांच की सिफारिश की गई थी।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 29 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2018 तक कॉर्पोरेट कार्यालय, विनिर्माण इकाइयों, प्रभागों, पावर सेक्टर के क्षेत्रों और बीएचईएल के परियोजना स्थलों पर 'भ्रष्टाचार समाप्त करें- नए भारत का निर्माण करें' विषय पर आयोजित किया गया। युवा पीढ़ी के बीच भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 59 स्कूलों के छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों, नैतिकता, सुशासन प्रथाओं आदि पर व्याख्यान, पैनल चर्चा, बहस, प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, नारे और पोस्टर प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। इनमें देश भर के 59 स्कूलों के 6159 और 26 कॉलेजों के 8615 छात्रों ने भाग लिया।

इकाइयों और क्षेत्रों में निवारक सतर्कता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। बीएचईएल के कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट (सीएलडी) विभाग द्वारा आयोजित सभी प्रबंधन कार्यक्रमों में, निवारक सतर्कता पर एक सत्र शामिल किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान, लगभग 2956 गैर-सतर्कता अधिकारियों के लिए लगभग 120 प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। खरीद नीति, नियमों और प्रक्रियाओं आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, समय-समय पर सीवीसी और भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का प्रसार किया जाता है और सर्वोत्तम प्रथाओं और केस स्टडीस को साझा किया जाता है। सतर्कता विभाग त्रैमासिक ई-न्यूज़लैटर "दिशा" प्रकाशित करता है। समाचार पत्र के 23 अंक अब तक प्रकाशित हो चुके हैं।

कॉर्पोरेट ऑफिस, नई दिल्ली में बीएचईएल ज्ञानार्जन सप्ताह का उद्घाटन 5 सितंबर 2018

इसके अलावा, नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, और क्षमता निर्माण के एक भाग के रूप में, बीएचईएल सतर्कता अधिकारियों के लिए इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

बीएचईएल प्रबंधन व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पर विशेष ध्यान देता है। सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने और कर्मचारियों और हितधारकों के बीच सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।

बीएचईएल में कॉर्पोरेट सेक्टर, यूनिट, डिवीजन, प्रोजेक्ट साइटों पर और स्थानीय स्तरों पर संगठनात्मक व्यवस्था के माध्यम से व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के प्रबंधन के लिए एक बहु स्तरीय संरचना है। एचएसई से संबंधित मुद्दों की समीक्षा विभिन्न मंचों जैसे जोखिम प्रबंधन समिति, संयुक्त समिति, संयंत्र स्तर सर्वोच्च समिति, केंद्रीय सुरक्षा समिति, शॉप काउन्सिल आदि में की जाती है।

बीएचईएल की इकाइयों और साइटों पर, एचएसई मानकों के अनुरूप प्रमाणित एचएसई प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है, जिसने उच्च स्तर की परिपक्वता प्राप्त की है। प्रशिक्षित आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ-साथ थर्ड पार्टी ऑडिटर द्वारा आंतरिक ऑडिट करने की एक स्थापित प्रणाली है। ऊंचाइयों पर काम करने के दौरान, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऊंचाई परमिट और ऊंचाई की कार्य सूची लागू की गई है। श्रमिकों और सामग्री की सुरक्षा के लिए सभी इकाइयों/ साइटों पर, सांविधिक नियमों और प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त संख्या में योग्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

हमारे उप-ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा मानदंडों और पद्धतियों के सख्त अनुपालन और प्रवर्तन के लिए, "उप-ठेकेदारों द्वारा साइट परिचालन की एचएसई योजना" स्थापित की गई है और इसे संविदाओं का हिस्सा बनाया जाता है। कर्मचारियों और हितधारकों के बीच एचएसई जागरूकता बढ़ाने और बनाए रखने के लिए, अग्नि सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सामान्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रासायनिक सुरक्षा पर जागरूकता अभियान आयोजित किए गए थे।

बीएचईएल की इकाइयों की सभी टाउनशिप में केवल एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक का उपयोग वर्जित है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान टाउनशिप, कारखाने और आसपास के क्षेत्रों में 21500 से अधिक पौधे लगाए गए। कम्पनी में स्वच्छता एवं स्वास्थ्यवर्धक वातावरण की संस्कृति का विकास करने के लिए 16.08.2018 से 31.08.2018 तक "स्वछता पखवाड़ा" और 15.09.2018 से 02.10.2018 तक "स्वच्छता ही सेवा" जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में बीएचईएल के कर्मचारियों ने कुल 9.63 लाख श्रमघंटों का योगदान किया।

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत, कॉर्पोरेट ऑफिस, नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान का आयोजन

अच्छी सुरक्षा पद्धतियों और निष्पादन को मान्यता प्रदान करते हुए, बीएचईएल को सुरक्षा के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 6 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (तिरुचि इकाई), सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2018 आदि शामिल हैं। इसके अलावा, हमारी ईडीएन, बैंगलूरू इकाई के आर्टिजंस की टीम ने लगातार सातवें वर्ष राज्य स्तरीय सुरक्षा प्रश्नोत्तरी जीती।

डेटा और साइबर सुरक्षा

बीएचईएल ने अपनी आईटी परिसंपत्तियों में पीसी, लैपटॉप और सर्वर सहित एंड पॉइंट सुरक्षा की व्यवस्था की है और वर्तमान खतरों और हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे अपने साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र के साथ एकीकृत किया गया है। यह एक उन्नत एंटी-मैलवेयर तकनीक है, जो एकल कंसोल द्वारा मैनेज किए जाने वाले प्रत्येक डिवाइस के लिए डेटा सुरक्षा प्रदान करता है। सफल एकीकरण बीएचईएल को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, जिसमें कंपनी के भौगोलिक रूप से वितरित एंड पॉइंट और सर्वर की सुरक्षा एक ही छत के नीचे शामिल है।

"साइबर स्वच्छता केंद्र, सीएसके" (बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर) भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) के तहत भारत में बॉटनेट संक्रमण का पता लगाकर एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने के लिए है। साथ ही, यह भविष्य में संक्रमण को रोकने के लिए एंड यूजर्स के सिस्टम्स को नोटिफाई करने और उनकी सफाई एवं सुरक्षा में भी सहयोगी है। सीएसके को "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति" के उद्देश्यों के अनुसार स्थापित किया गया है, जो देश में एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी तंत्र है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 बी के प्रावधानों के तहत इंडियन कम्प्यूटर एमर्जेंसी रेस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इंडिया) द्वारा संचालित किया जा रहा है। बीएचईएल का सार्वजनिक आईपी रेंज सीएसके के साथ जोड़ा गया है।

अन्य विवरण

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के बारे में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार सूचना बोर्ड की **रिपोर्ट में अनुलग्नक** - VII में दी गई है।

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को बोर्ड की रिपोर्ट में निदेशकों आदि के पारिश्रमिक का विवरण देना आवश्यक है। तथापि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी गई है। बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए बोर्ड की रिपोर्ट में ये विवरण शामिल नहीं किए गए हैं।

सहायक कंपनी और संयुक्त उपक्रम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 (फार्म एओसी -1) की धारा 129 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 134 (3) (एच) के अनुसरण में फार्म एओसी -2 के अनुसार विवरण बोर्ड **रिपोर्ट में अनुलग्नक**- VIII में दिया गया है।

लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सांविधिक लेखा परीक्षकों की तीन फर्मों को संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में और पांच फर्मों को शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियुक्त ऑडिट फर्मों के नाम अलग से वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी के वित्त वर्ष 2018-19 के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और टिप्पणियां बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध- IX में दी गई हैं। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (क) के तहत पूरक लेखा परीक्षा आयोजित करने के बाद कंपनी के वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणी दी है।

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) के संदर्भ में, कंपनी ने मैसर्स के.के. सचदेवा एंड एसोसिएट्स, पूर्णकालिक कंपनी सचिव को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के लिए सेक्रेटरी ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया और उनकी रिपोर्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस खंड का हिस्सा है।

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

> निदेशक मंडल की संरचना भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) एवं कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुपालन में नहीं है, क्योंकि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक अपेक्षित संख्या में नहीं हैं।
>
> उपर्युक्त टिप्पणी पर प्रबंधन का उत्तर निम्नानुसार है:
>
> बीएचईएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों का चयन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग विभाग द्वारा लोक उद्यम विभाग की सर्च समिति के परामर्श से किया जाता है। हमारी कंपनी सेबी लिस्टिंग विनियम के प्रावधानों तथा एवं लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु अपने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने लिए भारी उद्योग विभाग के निरंतर संपर्क में रहती है।

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और कंपनी (लागत रिकॉर्ड एवं ऑडिट) नियम, 2014 तथा उनके संशोधनों के अनुसार, बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति की संस्तुति पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आपकी कंपनी के लागत लेखों की

लेखापरीक्षा के लिए लागत लेखा परीक्षकों के रूप में सात लागत लेखाकारों फर्मों की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत लेखे और रिकॉर्ड समुचित रूप में रखे गए हैं और उनका अनुपालन किया गया है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट 23 अगस्त, 2018 को एक्सबीआरएल मोड के तहत दायर की गई है, जो कि भरने की नियत तारीख के भीतर है और लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई विसंगति नहीं थी।

आभार अभिव्यक्ति

मंडल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, शाखा लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक और लागत लेखा परीक्षकों को रचनात्मक सुझाव और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल भारत और विदेशों में मौजूद कंपनी के बहुमूल्य ग्राहकों और सम्मानित शेयरधारकों द्वारा किए गए सहयोग और कंपनी के प्रबंधन में व्यक्त किए गए विश्वास के लिए प्रशंसा करता है और आशा व्यक्त करता है कि भविष्य में भी हम एक- दूसरे के सहयोग से काम करते रहेंगे।

निदेशक सभी प्रौद्योगिकी सहयोगियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों से प्राप्त निरंतर सहयोग तथा वित्तीय संस्थाओं, बैंकरों तथा स्टॉक एक्स्चेंजों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

आपका निदेशक मंडल बीएचईएल कर्मचारियों को, निष्ठापूर्ण प्रयासों, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता द्वारा इस संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(डॉ. नलिन सिंघल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26 जुलाई, 2019

एचपीईपी हैदराबाद के युवा करमचारी

बोर्ड रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - I

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1.1 आर्थिक और व्यावसायिक अवलोकन

विश्व अर्थव्यवस्था ने पिछले दो वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। वर्ष 2017 में और 2018 की शुरुआत में मजबूत वृद्धि दर्ज करने के बाद, वैश्विक आर्थिक गतिविधि की गति 2018 की दूसरी छमाही से धीमी होनी शुरू हो हुई। औद्योगिक उत्पादन, वैश्विक व्यापार और क्रय प्रबंधक सूचकांक जैसी आर्थिक गतिविधियों के सभी प्रमुख संकेतकों में गिरावट देखी गई। अमेरिका, चीन और अन्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच भू-राजनीतिक मुद्दे, व्यापार तनाव, कुछ तेल निर्यातक देशों पर आर्थिक प्रतिबंधों के कारण कई अर्थव्यवस्थाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में भारत में भी आर्थिक गतिविधियों की गति धीमी हो गई। वित्त वर्ष 2018-19 में देश में 6.8% की वृद्धि हुई, दूसरी छमाही में विकास दर पहली छमाही के 7.5% की तुलना में 6.2% तक गिर गई। घरेलू अर्थव्यवस्था के मैक्रो फंडामेंटल मजबूत रहे। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, बुनियादी ढांचा क्षेत्रों (बिजली, दूरसंचार, सड़क और अन्य) ने वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वितरण में महत्वपूर्ण और निरंतर वृद्धि देखी है जिसके परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) जीडीपी अनुपात 32% हो गया है, जो कि पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है।

घरेलू बिजली क्षेत्र में, 2022 तक 175 गीगावॉट के लक्ष्य की दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि की गति में पिछले दो वर्षों की तुलना में मंदी देखी गई। नवीकरणीय बाजार, विशेष रूप से सौर पीवी आधारित, परिपक्व हो रहा है क्योंकि घरेलू कारोबारियों के बीच प्रतिस्पर्धा और आत्मविश्वास लाने के लिए नीतियां निर्माण जारी है। न्यूक्लियर पावर संयंत्र का कारोबार विकास बढ़ रहा है। थर्मल संयंत्रों के लिए उत्सर्जन नियंत्रण व्यवसाय और पुराने थर्मल पावर संयंत्रों के प्रतिस्थापन में भी प्रगति देखी जा रही है।

राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर, भारतीय रेलवे ने परिचालन को डीकार्बोनाइज करने, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और आधुनिकीकरण और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।

ई-मोबिलिटी क्षेत्र में, नागरिकों के आवागमन और यात्रा करने के तरीके को बदलने के लिए उद्योग तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के अनुरूप और ई-गतिशीलता पर जोर दिए जाने पर, चार्जिंग स्टेशन आदि जैसे संबंधित इलेक्ट्रिक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ निजी वाहनों और सार्वजनिक परिवहन सेगमेंट दोनों में तीव्र वृद्धि की उम्मीद है। मांग पक्ष प्रोत्साहन के लिए,फेम- II जैसी नीतिगत योजनाएं सरकार द्वारा पहले ही घोषित की जा चुकी हैं।

बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ी मात्रा में कच्चे माल जैसे स्टील की आवश्यकता होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय इस्पात नीति (2017) के तहत वर्ष 2017 में

: भुवनेश्वर में स्टील कन्क्लेव के दौरान एमईसीओएन (मैकान) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

वैश्विक क्षेत्र में, पूंजीगत सामान निर्माण क्षेत्र के बड़े कारोबारी बड़े बदलावों से गुजर रहे हैं। अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और उसको मज़बूत करने के लिए, कंपनियां रणनीतिक अधिग्रहण के साथ-साथ डी-कॉंग्लोमिनेशन कर रही है, जिससे उनके पोर्टफोलियो को पुन:संगठित किए जा सके। इस तरह के विकास के साथ भविष्य में व्यवसाय परिदृश्य पर प्रभुत्व जमाने के लिए पूंजीगत वस्तु बाजार प्रभावी रोल अदा कर सकते हैं।

1.2 अवसर और आशांकाएं

पिछले चार वर्षों में मजबूत विकास के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था 2018-19 में धीमी गति से बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण विनिर्माण और संबद्ध क्षेत्रों में धीमी वृद्धि, कमजोर घरेलू खपत और अन्य लोगों के बीच धीमी वैश्विक वृद्धि है। न्यू इंडिया निर्माण के अपने लक्ष्य के तहत, सरकार 2024-25 तक भारत को $ यूएस 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है और 2018 में $ यूएस 2.6 ट्रिलियन से 2030 तक $ यूएस 10 ट्रिलियन। ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में प्रमुख निवेश और नीति समर्थन प्राप्त होने की उम्मीद है। बेंचमार्क ब्याज दरों में कमी से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित होना अपेक्षित है। रेलवे, बंदरगाह, शहरी बुनियादी ढांचा, पर्यावरण समाधान और सीमेंट, इस्पात, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल जैसे मुख्य उद्योग विकास के लिए उम्मीद हैं। "मेक इन इंडिया" जैसी पहल मजबूत होने की संभावना है, और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में आगे की पहल की उम्मीद की जा सकती है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में दो सालों की मजबूत आर्थिक वृद्धि के बाद 2018-19 की दूसरी छमाही में मंदी देखी गई। विश्व आर्थिक आउटलुक का अनुमान है कि वैश्विक आर्थिक विकास के 2018 में 3.6% से 2019 में 3.3% और फिर 2020 में 3.6% पर रहने की संभावना है। मंदी के कारण व्यापार संरक्षणवादी नीतियों और भू-राजनीतिक जोखिम हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर आने वाली नीतियों के प्रभाव का खतरा अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के एकीकरण के लिए हानिकारक है और विशेष रूप से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के

लिए खतरा पैदा कर सकता है।

लगातार विकसित हो रहा घरेलू कारोबारी माहौल एक ओर चुनौतीपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर, यह अवसर भी प्रदान करता है। "सौभाग्य योजना" जैसी पहलों के साथ, सरकार का ध्यान विश्वसनीय और टिकाऊ '24x7 पॉवर फॉर ऑल' प्रदान करने पर है। यह, अन्य पहलुओं जैसे कि तीव्रता से शहरीकरण, रेलवे परिचालनों के डिकार्बोनाइजेशन, ई-मोबिलिटी पर सरकार का जोर और मेट्रो रेल आदि के माध्यम से शहरी परिवहन विकास के साथ मिलकर भविष्य में बिजली की मांग में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस ऊर्जा की मांग को स्वच्छ कोयला, जल, परमाणु, सौर और पवन ऊर्जा से युक्त एक संतुलित मिश्रित ईंधन के माध्यम से पूरा करने की परिकल्पना की गई है। कोयला आधारित थर्मल प्लांटों के ऑर्डर में हाल के वर्षों में मंदी हुई है, हालांकि सुपरक्रिटिकल प्लांट और उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों के साथ पुराने सब-क्रिटिकल प्लांट प्रतिस्थापना के क्षेत्रों में अवसर जारी हैं। कोयले के बेहतर उपयोग के लिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का विकास अत्यावश्यक है और बीएचईएल पहले से ही एयूएससी प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास और कोयला-से-मेथनॉल प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में काम कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में गति आई है और इसके बने रहने की उम्मीद है बशर्ते कि पैमाने और लागत पर बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशन के विकास का मार्ग प्रशस्त रहे। कोयला आधारित बिजली संयंत्र विशेष रूप से उन्नत जनरेशन की प्रौद्योगिकी, थर्मल जनरेशन के फ्लेक्सिबलाइजेशन और उत्सर्जन नियंत्रण उपायों के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

"मेक इन इंडिया" पहल के तहत भारतीय उद्योग में विकास के लिए नए सिरे से जोर देने के परिणामस्वरूप रक्षा, परिवहन, ट्रांसमिशन, नवीकरण आदि जैसे क्षेत्रों में नए अवसर आने जारी हैं। हाल के वर्षों में एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के बाद, ऊर्जा और धातु क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में कॉर्पोरेट कैपेक्स चक्र में वापसी की उम्मीद है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भारतमाला जैसी पहलों के माध्यम से सागरमाला, ई-मोबिलिटी, रेल और सड़क परिवहन आधुनिकीकरण सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, और स्मार्ट शहरों को नए व्यापारिक रास्ते में तब्दील किया जाएगा। सरकार की विकासात्मक नीतियों से घरेलू उद्योग में निवेश में वृद्धि जारी रहेगी। विभिन्न अवसरों पर संबंधित व्यापार क्षेत्र में विस्तार से चर्चा की गई है।

1.3 प्रगति के लिए तैयारी

बीएचईएल ने अनिश्चित कारोबारी माहौल की पृष्ठभूमि में "कल के बीएचईएल का निर्माण" की यात्रा शुरू की, जिसमें चुनौती भरे अवसर हैं। हमने इस दिशा में अपने प्रयासों को अपने सेमिनल स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क: सर्वाइव, रिवाइव और थ्राइव और इसके संबंधित नौ तत्वों (एनईईवी) के माध्यम से केंद्रित किया है। हमने इस यात्रा में पहले से ही लाभप्रद विकास को बनाए रखने और मुख्य व्यवसाय में नेतृत्व का दावा करने और उभरते अवसरों का दोहन करके विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और कई और कदम उठाने के लिए दृढ़ हैं।

मौजूदा आदेशों के त्वरित निष्पादन, कंपनी की परिसंपत्तियों और व्यावसायिक समूहों के रणनीतिक समेकन और प्रक्रियाओं और नीतियों के सरलीकरण के लिए लगातार प्रयासों ने हमें बेहतर प्रदर्शन की गति को जारी रखने में सक्षम बनाया। हमने 2018-19 सहित पिछले तीन वित्तीय वर्षों में टर्नओवर में लगातार वृद्धि दर्ज की है, और लाभप्रदता में भी वृद्धि दर्ज की है।

बीएचईएल को चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों के भाग रूप विभिन्न पहल की गई हैं जिनमें शामिल हैं-जगदीशपुर स्थित तीनों इकाइयों (सीएसयू,एफ़पी एवं आईपी) का फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग और इंसुलेटर प्लांट (एफ़एसआईपी) के रूप में समेकन, ईएमआरपी को भारतीय रेलवे के लिए मुंबई में एक सेवा केंद्र बनाना और भोपाल में आरएमएसजी को बंद करना।

प्रमुख व्यवसाय में निरंतर व्यवधानों का सामना करते हुए, कंपनी अपने नेतृत्व को बचाने और उसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि हाल के वर्षों में थर्मल सेगमेंट में ऑर्डरिंग में मंदी रही है, लेकिन बीएचईएल ने पिछले दो वर्षों से थर्मल सेगमेंट में मुख्य प्लांट पैकेज के लिए 100% ऑर्डर प्राप्त किए हैं। कंपनी भारत में 32 फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन सेटों और 11 चुनिंदा कैटेलिटिक रिडक्शन सेटों के मौजूदा पोर्टफोलियो के साथ उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण कारोबार में अपने नेतृत्व को मजबूत कर रही है और असंख्य अवसरों के साथ आगे बढ रही है। प्रतिस्थापन अवसरों से, परमाणु चक्र के लिए प्राथमिक क्षमताओं, सिंचाई प्रणालियों और पुर्जों और सेवाओं के व्यापार के विस्तार से ऑर्डर बढाने पर पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। नए विकास अवसरों के चलते डिजिटलाइजेशन का लाभ उठाकर पावर प्लांट कारोबार में मूल्य प्रस्तावों को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

बीएचईएल द्वारा विकसित रिजनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली से लैस डब्ल्यूएजी-7 लोकोमोटिव, बीएचईएल, झाँसी से रवाना

वर्ष के दौरान परिवहन व्यवसाय में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई उनमें शामिल हैं - भारतीय रेलवे के लिए इन-हाउस विनिर्मित 6000 एचपी डब्ल्यूएजी -9 एच इलेक्ट्रिक इंजनों की आपूर्ति और देश में पहली बार 5000 एचपी डब्ल्यूएजी -7 इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए रिजनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली सफल इन-हाउस विकास।

बीएचईएल ने हैदराबाद में कोयला गैसीकरण सुविधा विकसित की

सौर व्यवसाय में, कंपनी ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड से तेलंगाना में 129 मेगावाट एसपीवी संयंत्रों के लिए अपना सबसे बड़ा एकल ईपीसी ऑर्डर प्राप्त किया। रायपुर में तेलीबांधा झील शोधन परियोजना के सफल निष्पादन ने झील / जल निकाय शोधन और कायाकल्प परियोजनाओं में प्रवेश के लिए रास्ते खोल दिए हैं।

उभरते अवसरों को संभावित विकास की कहानियों में परिवर्तित करने के लिए नए विकास क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। बीएचईएल कई नए क्षेत्रों, जैसे कि बैटरी ऊर्जा भंडारण सहित पी वी प्लांट,सौर फ्लोटिंग पीवी प्लांट, रेलवे विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स, और नगर निगम जल आदि के क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। सौर व्यापार में डेवलपर मोड मॉडल से अवसरों को बढ़ाने के लिए, बीएचईएल ने पहले ही गेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो बीएचईएल को अपनी विनिर्माण और ईपीसी ताकत का लाभ उठाने में सक्षम करेगा, जिसमें गेल परियोजना डेवलपर की भूमिका निभाएगा। दुनिया में अपनी तरह की पहली परियोजना के रूप में, बीएचईएल भारतीय रेलवे के लिए 1.7 मेगावाट के पायलट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भी कर रहा है ताकि ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे बिजली दी जा सके। हरिद्वार में एक रेल आधारित

सोलर फोटोवॉटिक प्लांट स्थापित करने के लिए गेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

लॉजिस्टिक टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है, जिसे बाद में कस्टम क्लीयरेंस सुविधाओं और वेयरहाउसिंग जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं को जोड़कर एक बहु-मोडल लॉजिस्टिक सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा। भविष्य के लिए व्यापार के विकास के नए रास्ते की नींव रखने के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना प्रमुख उपायों से एक होगा। उन्नत-अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी, कोयला से मेथनॉल, लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रणोदन (प्रोपल्सन) आदि प्रमुख इन-हाउस प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कंपनी वैश्विक उद्योग के प्रमुखों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग से अपने प्रौद्योगिकी आधार को मजबूत कर रही है। पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में छह नई प्रौद्योगिकी सहयोगों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

कार्पोरेट आर एंड डी, बीएचईएल हैदराबाद में धातु सामग्री के लिए परिवेश और उच्च तापमान तन्यता और न्यून चक्र श्रम (एलसीएफ) परीक्षण सुविधा

हमारी पहल की सफलता हमारे लोगों पर निर्भर करती है- जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। कंपनी ने कर्मचारी विकास को गति देने के लिए नीति और संरचनात्मक परिवर्तनों पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। नए विकास क्षेत्रों में लोगों की रिस्किलिंग और पुनर्विकास को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। कई प्रगतिशील पहल पहले ही लागू की जा चुकी हैं और इसी तरह के प्रयास जारी हैं। "कल के बीएचईएल का निर्माण" की हमारी यात्रा में अब तक बहुत कुछ किया जा चुका है और बहुत कुछ हासिल किया जाना बाकी है। हमारे लगातार प्रयासों और पहल के परिणाम हमें विश्वास दिलाते हैं कि हालांकि आगे की यात्रा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, लेकिन, हम एक नया बीएचईएल, और एक नया भारत बनाएंगे।

व्यवसाय सेगमेंट का प्रोफ़ाइल एवं निष्पादन

पावर सेक्टर

1.4 व्यवसाय सेगमेंट का प्रोफ़ाइल एवं निष्पादन

1.4.1 पावर सेक्टर

संक्षिप्त विवरण

भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और पिछले कुछ वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरी है। राष्ट्र की सफलता की कहानी बुनियादी ढांचे के विकास, जनसांख्यिकीय विस्तार, डिजिटलीकरण और शहरीकरण द्वारा संचालित की गई है और एक सक्रिय नीतिगत ढांचे और सरकार की पहल द्वारा सहायता प्राप्त है। परिणामस्वरुप, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखे हुए है। हालांकि, देश के लिए एक कठिन भू-राजनीतिक वातावरण में टिकाऊ विकास पथ पर विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाते हुए अभी भी एक लंबी यात्रा बाकी है।

किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का उच्च विकास प्रक्षेप वक्र उसके ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि के साथ दृढ़ता से संबंधित है। किफायती दरों पर सभी के लिए विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा की उपलब्धता निरंतर आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में वर्तमान में 356 गीगावाट से अधिक की स्थापित ऊर्जा क्षमता का आधार है और इसकी वार्षिक बिजली उत्पादन 1,372 बिलियन यूनिट (31 मार्च 2019 तक) है। देश में वित्त वर्ष 2018-19 में पारंपरिक स्रोतों, जिनमें से अधिकांश तापीय बिजली संयंत्रों से, लगभग 6 गीगावाट क्षमता वृद्धि देखी गई है।

भारत में संस्थापित जेनरेशन क्षमता

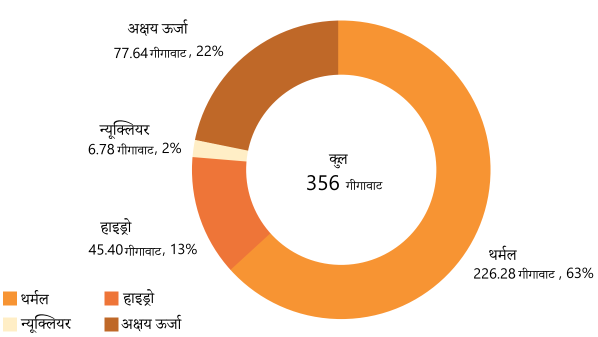

[मार्च 31, 2019 को, स्रोत : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत मंत्रालय]

देश में बजिली उत्पादन पछिले कुछ वर्षों में लगभग 5-6% की दर से बढ़ा है, और 2018-19 में लगभग शून्य घाटा हुआ है। आने वाले वर्षों में भी मांग में काफी वृद्धहिोने की उम्मीद है, और जो मौजूदा स्तर से लगभग 1.5 गुना हो जाएगा। इससे आने वाले वर्षों में बजिली परयिोजनाओं के लएि एक महत्वपूरण अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

वर्तमान व्यापार परिदृश्य

'मेक इन इंडिया', 'स्मार्ट सिटीज', "24x7 पावर फॉर ऑल' आदि सरकारी पहलों से आने वाले वर्षों में देश में बिजली की मांग और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। रेलवे के विद्युतीकरण और ई-मोबिलिटी समाधान के विकास पर बल दिए जाने से बिजली की मांग को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

ढांचागत विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और विनिर्माण उद्योग में विकास के साथ, बिजली की मांग और बढ़ने की उम्मीद है। 19वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वे और सीईए की राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार 2027 तक बिजली की मांग 2050 बीयू तक होगीजो बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षमताओं के वर्तमान स्तर में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

भारत सरकार का उद्देश्य थर्मल बिजली उत्पादन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाना है। तदनुसार, मौजूदा और आगामी थर्मल पावर प्लांट के लिए संशोधित उत्सर्जन मानदंड दिसंबर 2015 में अधिसूचित किए गए थे, जिनमे थर्मल पावर प्लांटों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों की स्थापना को आवश्यक किया गया था। विभिन्न यूटीलिटी द्वारा उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों के लिए आदेश देने से 2019-20 में और अधिक प्रगति हुई है, और मौजूदा बिजली संयंत्रों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों की रेट्रोफिटिंग के लिए दोनों केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं में कई निविदाएं प्रगति पर है। हाल के थर्मल पावर प्लांट के टेंडरों में मुख्य संयंत्र उपकरण के साथ-साथ उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण को कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है और यह प्रवृत्ति आगामी परियोजनाओं में जारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, इन नए पर्यावरणीय मानदंडों को मौजूदा संयंत्रों के लिए लागू किए जाने से नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) व्यवसाय में महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, सरकार पुराने और अक्षम संयंत्रों को नए और अधिक कुशल, सुपरक्रिटिकल संयंत्रों के साथ प्रतिस्थापन को भी प्रोत्साहित कर रही है।

पिछले कुछ वर्षों में, डेवलपर्स ने सुनिश्चित ईंधन आपूर्ति, समय पर मंजूरी और भूमि अधिग्रहण, वित्त पोषण से संबंधित मुद्दों और डिसकॉम के साथ पावर ऑफ-टेक समझौतों को प्राप्त करने में बाधाओं का सामना किया है। सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधार जैसे कि उदय योजना, कमीशन क्षमता, जहां पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) नहीं है, से मध्यम अवधि की बिजली खरीद की सुविधा, आदि से बिजली क्षेत्र के व्यापार परिदृश्य में और सुधार होने की उम्मीद है। भारत में कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं द्वारा सामना किए जाने वाले तनाव के कुछ पहलुओं ने कोयले की उपलब्धता और बिजली की मांग में सुधार के साथ काफी आसानी की है, लेकिन वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान में विलम्ब, गैस आपूर्ति की कमी, क्षेत्र में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों आदि से बिजली उत्पादकों के लिए चुनौतियों का सामना करना जारी है। इसके बावजूद, हाल के वर्षों में सुधार हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्रों से आर्डर मिल रहे है, निजी क्षेत्र अभी भी मौजूदा क्षमता के मुद्दों से जूझ रहे हैं।

हालांकि सरकारी नीतियों ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आर ई एस) आधारित ऊर्जा की ओर बाजार बदलाव प्रदर्शित किया है और वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट आरईएस आधारित स्थापित क्षमता का सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जिसमें पारम्परिक स्रोतों से अब आरईएस आधारित क्षमता वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो गया है हालाकि आरईएस पावर सेगमेंट ने 2018-19 में मंदी देखी गई जिनके प्रमुख कारण रहे-सौर मॉड्यूल के लिए मूल्य वृद्धि, सौर पीवी आयात पर सुरक्षा शुल्क, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे, आरईएस डेवलपर्स और डिस्काम के बीच पुन: बातचीत और पावर खरीद प्रस्तावों को रद्द करना। आरईएस आधारित बिजली उत्पादन प्रणालियों की क्षमता वृद्धि के साथ-साथ हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर क्षमता, विशेष रूप से पंप भंडारण, और गैस आधारित बिजली संयंत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि भी अपेक्षित है, ताकि आरईएस आधारित बिजली प्रणालियों की अंतर्निहित परिवर्तनशीलता द्वारा ग्रिड संतुलन और स्थिरीकरण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

कोयला आधारित संयंत्रो के अविरत और वर्षो तक लगातार परिचालन के लिए अपनी उपयुक्तता तथा उन्नत प्रौद्योगिकी से दक्षता उत्सर्जन स्तर में सुधार से स्वच्छ बिजली उत्पन्न करने के मद्देनजर, आने वाले वर्षों में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता में कोयला आधारित बिजली संयंत्रो के मुख्य आधार बने रहने की संभावना है।

भारत में अब तक 149 गीगावाट की विशाल जल विद्युत क्षमता का केवल एक-तिहाई हिस्सा ही उपयोग किया गया है। परम्परागत और पंप भडारंण जनरेटिंग स्टेशनों से जल विद्युत उत्पादन, उत्पादन के सतुंलन, जो नवीकरणीय विद्युत उत्पादन के बढ़ते हिस्से के साथ एक बड़ी चुनौती है, में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इससे जल विद्युत परियोजनाओं पर अधिक जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, भारत के 30% जल विद्युत सयंत्रं 35 साल पुराने हो चुके है। अत: उनके लाइफ विस्तार तथा निष्पादन और दक्षता उन्नयन की आवश्यकता है।

'मेक इन इंडिया', स्मार्ट शहर, सभी के लिए 24X7 पावर, रेलवे का विद्युतीकरण और ई-मोबिलिटी समाधानों के विकास संबंधी सरकारी पहलों से बिजली की मांग बढ़ने की उम्मीद है।"

स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा भारत सरकार की रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा है। 2 X 700 मेगावाट गोरखपुर-हरियाणा परमाणु ऊर्जा परियोजना (जीएचएवीपी 1 और 2) के अलावा 10 X 700 मेगावाट पी एस डब्लयू आर के लिए क्रय गतिविधियां पहले से ही प्रकिया में है।

प्रस्ताव

बीएचईएल दुनिया की कुछ कंपनियों में से एक है जिसके पास थर्मल, गैस, जल और परमाणु विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन की सिद्ध क्षमताओं के साथ सभी श्रेणी के विद्युत संयंत्र उपकरण विनिर्माण की क्षमता है।

बीएचईएल के पास 1000 मेगावाट रेटिंग तक के स्टीम टरबाइन, जेनरेटर, बॉयलर और सहायक उपकरण सहित थर्मल विद्युत संयंत्रों के लिए अवधारण से कमीशनिंग तक की निष्पादन क्षमता है। कम्पनी ईपीसी आधार पर 600/700/800 मेगावाट रेटिंग के सुपरक्रिटिकल थर्मल सेट के साथ कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं का निष्पादनकर रही है।

बीएचईएल के हरिद्वार प्लांट स्थित 800 मेगा वॉट जनरेटर टेस्टिंग संयंत्र

बीएचईएल, थर्मल संयत्रों के लिए सर्कुलेटिंग फ्लुडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी बॉयलर जो पेट-कोक, लिग्नाइट इत्यादि जैसे कम-कैलोरीफिक ईंधन की विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त है, का भी निष्पादन और आपूर्ति करता है। बीएचईएल खुले और कम्बाइंड साइकिल दोनों की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिए 299 मेगावाट (आईएसओ) तक श्रेणी के लिए गैस टर्बाइन और मैचिंग जेनरेटर ऑफर करता है।

न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र में, बीएचईएल उन कुछ संगठनों में से है, जो देश के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के सभी तीन चरणों में प्राथमिक और माध्यमिक साइड पर जुड़े हुए हैं। बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए 220/235/500/540 मेगावाट परमाणु टर्बाइन जेनरेटर सेट से ही संचालन में हैं और वर्तमान में, बीएचईएल 700 मेगावाट सेट निष्पादन कर रहा है।

बीएचईएल में 400 मेगावाट तक मैचिंग जेनरेटर के साथ कपलान, फ्रांसिस और पेलटन प्रकार के कस्टम-निर्मित पारम्परिक हाइडो-टरबाइनों की इंजीनियरिंग और विनिर्माण की क्षमता है। 10 मेगावाट तक के मैचिंग जनरेटर के साथ बल्ब टर्बाइन और 250 मेगावाट तक के मैचिंग मोटर-जेनरेटर के साथ पंप टर्बाइन बनाने की क्षमता है। उच्च क्षमता वाले पंपों के साथ-साथ 150 मेगावाट तक की लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए मोटरें और 10-25 मेगावाट क्षमता के छोटे जल विद्युत संयंत्र की क्षमता हैं।

हाइड्रो मॉडल टेस्ट प्रयोगशाला परिष्कृत परीक्षण सुविधाओं और डेटा एनालिटिक्स सिस्टम से लैस है

संशोधित उत्सर्जन मानदंडों से उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक अवसरों के संबंध में, बीएचईएल थर्मल पावर प्लांट से उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अनुकूलित समाधान प्रदान करता है। बीएचईएल इलेक्ट्रो-स्टेटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी), फ्लू गैस डिस्फ़ुफराइजेशन(एफजीडी), एनओएक्स नियंत्रण उपकरण और फर्नेस संशोधन के लिए रेट्रोफिट समाधान प्रदान करने के लिए भी तैयार है। बीएचईएल ने न केवल स्वयं के बॉयलरों बल्कि अन्य निर्माताओं के बॉयलरों के लिए भी कणों (पार्टिकुलेट) के नियंत्रण के लिए ईएसपी की आपूर्ति की है।

नवीकरण, आधुनिकीकरण और विभिन्न प्रकार के बिजली संयंत्र उपकरणों के उत्थान के माध्यम से, अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन, स्वास्थ्य निदान और संयंत्रों के विशेष ज्ञान के अलावा कंपनी ने संयंत्र निष्पादन सुधार में सिद्ध विशेषज्ञता हासिल की है। बीएचईएल द्वारा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ ईएसपी, एफजीडी और सीएंड आई के लिए रेट्रोफिट पैकेज भी तैयार किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

ऑर्डर बुकिंग

वित्त वर्ष 2018-19 में, बीएचईएल ने मुख्य संयंत्र थर्मल यूटीलिटी क्षैत्र में 100% बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। संगठन ने पावर सेक्टर में 1,5490 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्राप्त किया है, जिसमें पुर्जो और सेवाओं और आर एंड एम बिजनेस सेगमेंट से 3851 करोड़ रुपए का उच्चतम स्तर का आदेश शामिल है।

थर्मल

- 1x660 मेगावाट डब्ल्यूबीपीडीसीएल / सागरडीघी एक्सन # 5 (एफजीडी और एससीआर सहित मुख्य संयंत्र टर्न की पैकेज)
- 1x660 मेगावाट महाजेनको / भुसावल # 6 (चेंज आदेश, एफजीडी और एसटीएस सहित)
- 4x270 मेगावाट टीएस जेनको / भद्राद्री (एफजीडी पैकेज,बॉयलर और ईएसपी संशोधन)
- 1x800 मेगावाट टीएस जेनको / कोठगुडम (एफजीडी पैकेज)
- 3x660 मेगावाट एनटीपीसी / बाढ एसटीजी। (एफ़जीडी पैकेज)
- 2x660 मेगावाट एनटीपीसी / बाढ एसटीजी। II (एफजीडी पैकेज)
- 3x660 मेगावाट एनटीपीसी / बाढ करनपुरा (एफजीडी पैकेज)

तेलंगाना के कोठागुडेम में बीएचईएल द्वारा 800 मेगावाट का सुपरक्रिटिकल सेट कमीशन, ईपीसी के आधार पर 46 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया।

- 2x500 मेगावाट एनटीपीसी / मोडा (एफजीडी पैकेज)
- 3x800मेगावाट पी वी यू एन एल / पतरातू (टाउनशिप पैकेज)
- 2x660 मेगावाट टेनजेडको / एन्नोर एसईजेड (बॉयलर संशोधन)

न्यूक्लियर

- 2x700 मेगावाट एनपीसीआईएल / जीएचएवीपी # 1 और 2 (मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर्स की आपूर्ति)
- 2x700 मेगावाट एनपीसीआईएल / जीएचएवीपी # 1 एवं 2 (D2o हीट एक्सचेंजर्स की आपूर्ति) पुर्जो और सेवाओं की आपूर्ति

पुर्जों और सेवाओं की आपूर्ति

- 1x370 मेगावाट केपीसीएल येलहंका सीसीपीपी (गैस टर्बाइन पुर्जो)
- 2x200 मेगावाट यू पी आर वी यू एन एल ओबरा टीपीएस यूनिट -12 और 13 (पुनर्वास पैकेज)
- 4x210 मेगावाट सीएसपीजीसीएल कोरबा वेस्ट टीपीएस यूनिट -1 से 4 (सी एंड आई अप-ग्रेडेशन)
- एनटीपीसी लॉट -1 परियोजनाएं (कम्बशन संशोधन पैकेज)
- 2x250 मेगावाट टीएस जेनको कोठागुडम टीपीएसयूनिट -9 और 10 (सी एंड आई आर एंड एम)
- Ix500 मेगावाट सी एस पी जी सीएल मारवा टीपीएस यूनिट -1 (एच पी टी मॉड्यूल एसेम्बली)

वर्ष 2018-19 में कड़ी अतंर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के तहत डब्ल्यू बी पी डी सीएल से 1 x 660 मेगावाट सागरदीघी एक्सटेंशन # 5 परियोजना का आर्डर हासिल करके बीएचईएल ने देश के सभी कुल 56 स्टीम टर्बाइन सेट और 46 टर्बाइन जेनरेटर्स सेट का लक्ष्य हासिल कर लिया है जो देश में किसी भी एकल विद्युत उपकरण आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त उच्चतम आदेश है। इनमें से 17 स्टीम जेनेरेशन सेट और 15 टर्बाइन जेनरेटर सेट 31 मार्च 2019 तक कमीशन कर दिए गए हैं।

पिछले वर्ष उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण व्यवसाय में अपनी उपलब्धियों के आधार पर, बीएचईएल ने 2018-19 के दौरान 17 सेटों के लिए एफ जी डी और 2 सेटों के लिए एसजीआर के आदेश जारी किए हैं, जिसमें एनटीपीसी से कुल 6.3 जी डब्ल्यू परियोजनाओं के लिए एफजीडी के आदेश भी शामिल हैं।

बीएचईएल मेक एफजीडी को एनटीपीसी दादरी जैसी पुरानी थर्मल इकाइयों में चालू किया जाएगा

इसके साथ, बीएचईएल ने घरेलू बाजार में 32 सेटों के लिए एफजीडी और11 सेटों के लिए एससीआर के आदेश प्राप्त किए हैं;और इस क्षेत्र में देश में एकल सबसे बड़े बाजार हिस्सेदारी के साथ विनिर्माता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है।

विविधीकरण के क्रम में, बीएचईएल ने पीवीयूएनएल से 3x800 मेगावाट पतरातू एसटीपीएस फेज-1 परियोजना के लिए अपना पहला टाउनशिप पैकेज ऑर्डर हासिल किया है।

परमाणु क्षेत्र में नए उत्पाद की पेशकश के साथ, बीएचईएल ने गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत योजना 1 और 2 के लिए एनपीसीआईएल से निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त किए हैं:

- 4 मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर्स
- 18 डी 2 ओ हीट एक्सचेंजर्स

उल्लेखनीय है की, यह D2O हीट एक्सचेंजर्स के लिए बीएचईएल द्वारा प्राप्त पहला ऑर्डर है।

पुर्जे और सेवाएं व्यवसाय में, बीएचईएलने वित्त वर्ष 2017-18 के आदेश स्तर पर 37% की वृद्धि दर्ज की है। बीएचईएल ने 6 दीर्घ अवधि स्पेयर्स आपूर्ति समझौते किए हैं।

- बॉयलर प्रेसर पार्टस, जेनरेटर स्पेयर्स और बायलर सहायक पुर्जो के लिए एनटीपीसी के साथ।
- टर्बाइनस्पेयर्स, कम्प्रेसर और ओवर स्पीड गवर्नर के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ।
- मिल स्पेयर्स के लिए सिंगरेनी कोलियरीज के साथ

प्रोजेक्ट रिवाइवलसभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों से, बीएचईएल पीएसपीसीएल की 206 मेगावाट शाहपुर कंडी एचईपी परियोजना (जिसे सितम्बर 2015 में रोक दिया था) को पुनर्जीवित करने में सक्षम रहा है।

परियोजना निष्पादन

पारंपरिक बिजली संयंत्रों के लिए यूटिलिटी क्षेत्र में, बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2018-19 में 2,130 मेगावाट की क्षमता वृद्दि की है जो वर्ष के दौरान किसी एकल उपकरण निर्माता द्वारा हासिल की गई उच्चतम क्षमता वृद्धि है।

बीएचईएल द्वारा बिहार में 4x250 मेगावाट की बीआरबीसीएल नबीनगर थर्मल पॉवर प्लांट को चालू किया गया

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं ने क्षमता वृद्धि प्राप्त की है:

- 1x800 मेगावाट टीएसजीईएनसीओ / कोथागुडेम टीपीएस
- 2 x800 मेगावाट की 01 इकाई एनटीपीसी / गाडरवारा टीपीएस
- 4 x250 मेगावाट की 01 इकाई बीआरबीसीएल / नबीनगर टीपीएस
- 3 x250 मेगावाट की 01 इकाई एनटीपीसी बोंगईगांव / टीपीएस
- 4 x30 मेगावाट की 01 इकाई एपीजीईएनसीओ / पुलिचिंतला (हाइड्रो)

तेलंगाना के बे हाल (Bay Hall) में बीएचईएल द्वारा स्थापित 4X30 मेगावाट की पुलिचिंतला जलविद्युत परियोजना

बीएचईएल ने वर्ष 1964 में इसकी स्थापना के बाद से देश में इस वर्ष तक 1,000 से अधिक यूटिलिटी सेट स्थापित करने की उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत में इसमें 447 कोयला आधारित सेट, 418 हाइड्रो यूटिलिटी सेट, 102 गैस आधारित यूटिलिटी सेट और 12 परमाणु आधारित यूटिलिटी सेट शामिल हैं। । भारत में बीएचईएल आपूर्ति यूटिलिटी सेटों की स्थापित क्षमता ~ 157 गीगावाट है, जिसमें ~ 125 गीगावाट कोयला आधारित और ~ 21 गीगावाट जल विद्य़ुत आधारित उपकरण शामिल हैं।

इसके साथ, बीएचईएल ने देश की पारंपरिक बिजली परियोजनाओं की स्थापित क्षमता में 53%

की अपनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी को बनाए रखा है।

स्थापित क्षमता - यूटिलिटी *

2,94,608 MW
(March 31, 2019)

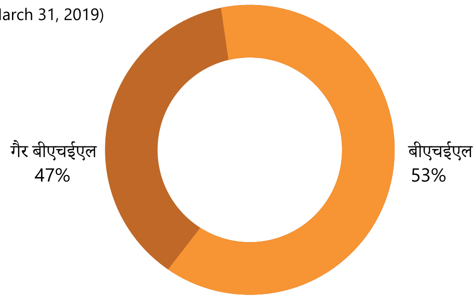

कोयला, गैस एवं सीसीपी, डीजल, न्यूक्लियर एवं हाइड्रो शामिल हैं: इसमें अक्षय ऊर्जा शामिल नहीं है।
संस्थापना के समय रेटिंग पर आधारित

इसके अलावा, बीएचईएल ने 3,480 मेगावाट यूटिलिटी बिजली परियोजनाएं और 957 मेगावाट कुल क्षमता की लिफ्ट सिंचाई योजना वाली परियोजनाएं सिंक्रनाइज़ की:

यूटिलिटी बिजली परियोजनाएं:

- 1x800 मेगावाट जीएसईसीएल / वानाकबोरी टीपीएस
- 2x660 मेगावाट ओपीजीसीएल / आईबी घाटी टीपीएस की 2 इकाइयाँ
- 2x660 मेगावाट की इकाई आरवीयूएनएल / सूरतगढ़ टीपीएस
- 2x500 मेगावाट एनएलसी / न्यू नेवेली टीपीएस की इकाई
- 4x200 मेगावाट एनएचपीसी / पारबती चरण- II एचईपी की इकाई

2x660 मेगावाट की आईबी वैली परियोजना की दोनों सुपरक्रिटिकल इकाइयों को बीएचईएल द्वारा 2018-19 में सिंक्रनाइज़ किया गया और क्षमता वृद्धि के लिए तैयार किया गया

लिफ्ट सिंचाई योजनाएं:

- 5x30 मेगावाट गैमन / कलवाकुर्ती एलआईएस स्टेज- III (1 यूनिट)
- 7x139 मेगावाट आई और कैड, तेलंगाना / कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) पैकेज-8 (5 यूनिट)

बीएचईएल द्वारा स्थापित 5x30 मेगावाट के कलवकुर्थी लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) का टर्बाइन हॉल

- 7x116 मेगावाट आई और कैड, तेलंगाना/कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) पैकेज -6 (2 यूनिट)

वर्ष के लिए कुछ प्रमुख परियोजना निष्पादन लक्ष्य हैं:

- बीएचईएल ने 46 महीने के रिकॉर्ड समय में ईपीसी के आधार पर 1x800 मेगावाट की TSGENCO / कोठागुडेम टीपीएस में 800 मेगावाट की सुपरक्रिटिकल इकाई की स्थापना की।
- 3x110 मेगावाट किशनगंगा एचईपी श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर से 19.05.2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस परियोजना के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल पैकेज की आपूर्ति एवं संस्थापना बीएचईएल द्वारा की गई है।
- कोराडी यूनिट-6 में आरएंडएम काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया और यूनिट को 210 मेगावाट से 228 मेगावाट तक उन्नत किया गया था।

उपकरण का निष्पादन

देश की कुल 1022 बीयू जेनरेशन में 59.6% योगदान बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए थर्मल यूटिलिटी (कोयला आधारित) सेटों से हैं जो बीएचईएल सेट के बेहतर निष्पादन की पुष्टि करते हैं।

जेनरेशन - यूटिलिटी (कोयला एवं लिग्नाइट)

1022 BU (2018-19)

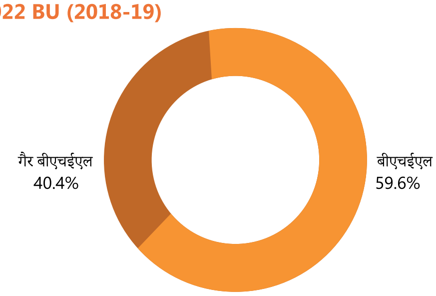

बीएचईएल की बेहतर इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए, एनपीसीआईएल की कैगा यूनिट -1 (220 मेगावाट), जो बीएचईएल द्वारा आपूर्ति की गई, ने 940 दिनों से अधिक के सबसे लंबे समय तक निरंतर संचालन कर सभी परमाणु ऊर्जा उत्पादक स्टेशनों के बीच एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है।

बीएचईएल निर्मित टर्बाइन-जेनरेटर सेट से लैस एनपीसीआईएल कैगा

निष्पादन गारंटी (पीजी) परीक्षणों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने के परिणामस्वरूप 51 इकाइयों के मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए पीजी परीक्षण पूरा हो गया और 41 इकाइयों के पूर्व रिकॉर्ड को पार कर बीएचईएल द्वारा अब तक के सबसे अधिक पीजी परीक्षण किए गए, । इनमें से, 2x250 मेगावाट नेवेली यूनिट 1 & 2 में स्थित 250 मेगावाट रेटिंग सीएफबीसी बॉयलर का पीजी परीक्षण बीएचईएल के लिए सबसे पहला पीजी परीक्षण रहा।

बीएचईएल आपूर्ति उपकरणों के साथ पावर प्लांट ऑपरेटिंग उपलब्धता (OA) *, प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ), और आउटेज के संबंध में समान से अधिक स्तर पर निष्पादन जारी रखे हुए हैं । बीएचईएल सेट की कुछ प्रमुख निष्पादन उपलब्धियाँ हैं:

- थर्मल सेटों द्वारा 2017-18 में 5,89,513 एमयू के तुलना में 6,09,747 एमयू का उत्पादन किया गया।
- थर्मल सेटों से 61.3% पीएलएफ और 85.0% ओए दर्ज किया।

"आपकी कंपनी ने पारंपरिक बिजली परियोजनाओं की देश में कुल स्थापित क्षमता में 53% की अपनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनाए रखी है।"

- 195 मेगावाट और उससे अधिक के सेटों से उत्पादन (जो देश की बिजली उत्पादन का आधार है) 62.0% पीएलएफ और 85.6% ओए के साथ 594470 एमयू तक पहुँचा है।
- 154 थर्मल सेटों ने 70% से ऊपर, 67 थर्मल सेटों ने 70% और 80% के बीच, 65 थर्मल सेटों ने 80% और 90% के बीच और 22 थर्मल सेटों ने 90% से ऊपर पीएलएफ हासिल किया है।
- 205 थर्मल सेटों ने 90% से ऊपर ओए दर्ज किया।

*~ परिचालन उपलब्धता की गणना करते समय कम प्रणाली मांग के तहत इकाईयों, कोयले की कमी और रिजर्व शट डाउन को उपलब्ध के रूप में माना जाता है। पीएलएफ और ओए गणना के लिए, केवल स्थिर अवधि यानी सीओडी के बाद की अवधि मानी जाती है।

नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम)

वर्ष के दौरान, बीएचईएल ने 6 ईएसपी सेटों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया। इसके अलावा, 2 सीएंडआई आरएंडएम प्रोजेक्ट्स (एनटीपीसी फरूक्का यूनिट-4 & 5) कमीशन किए गए, कोराडी यू-6 (जिसे 210 मेगावाट से 228 मेगावाट तक बढ़ाया गया था) ने पूरा लोड हासिल किया, और यूपीआरवीयूएल ओबरा यूनिट-12 को सिंक्रनाइज़ किया गया।

उत्कृष्टता की पावती और पहचान

समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने, उपकरण निष्पादन और बिक्री उपरांत सेवाएं (एसएएस) में सुधार के माध्यम से ग्राहकों को उच्च मूल्य प्रदान करने के लिए बीएचईएल के प्रयासों की व्यापक रूप से सराहना की गई है:

- बीएचईएल पावर सेक्टर ने सक्रिय ग्राहक संबद्ध - विनिर्माण (बड़े व्यावसायिक संगठन) के लिए ग्राहक संतुष्टि के लिए "सीआईआई अवार्ड - 2018" प्राप्त कर एक पहचान बनाई है।

सक्रिय ग्राहक संबद्ध-विनिर्माण (बड़े व्यावसायिक संगठन) हेतु ग्राहक संतुष्टि के लिए "सीआईआई अवार्ड - 2018"

- परियोजना निदेशक - बीआईएफपीसीएल, मैत्री एसटीपीपी, बांग्लादेश ने बॉयलर और चिमनी की नींव डिजाइन के लिए असीम क्षमता बढ़ाने के लिए अद्वितीय समाधान प्रदान करने पर बीएचईएल की सराहना की।
- ओएचपीसी ने ऊपरी कोलाब हाइड्रो यूनिट-2 और यूनिट-4 के बटर फ्लाई वाल्वों के डोर सील के प्रतिस्थापन के लिए बीएचईएल की सराहना की।
- बीबीएमबी ने देहर हाइड्रो यूनिट-5 के जेनरेटर और टर्बाइन के आरएंडएम के लिए बीएचईएल की सराहना की है।
- सिंगरेनी कोलियरीज ने यूनिट-2 में जेनरेटर अर्थ फॉल्ट रेक्टिफिकेशन के लिए बीएचईएल की सराहना की है।

विकास के लिए तैयारी

पाँच दशकों से अधिक के अपने समृद्ध अनुभव का उपयोग करते हुए, बीएचईएल न केवल विभिन्न क्षेत्रों में विश्व नेतृत्व से प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण करते हुए घरेलू बिजली क्षेत्र में विकास कर रहा है, बल्कि अत्याधुनिक इन-हाऊस विनिर्माण संरचना और क्षमताओं का निर्माण भी कर रहा है। अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से, बीएचईएल ने पहले से ही भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी और विकसित किया है। इसके अलावा, बीएचईएल राष्ट्र में उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास पर भी काम कर रहा है।

संशोधित उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने की दृष्टि से डेवलपर्स के साथ उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण व्यवसाय में महत्वपूर्ण गतिविधियां शुरू की गई हैं। बीएचईएल में नई परियोजनाओं के साथ-साथ पहले से ही संचालित सेटों के लिए अनुकूलित उत्सर्जन नियंत्रण समाधान प्रदान करने की क्षमताएं है। अपनी प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों में निरंतर सुधार के माध्यम से, बीएचईएल एफजीडी डोमेन में उत्सर्जन नियंत्रण व्यवसाय के पूरे स्पेक्ट्रम में अपना बाजार नेतृत्व बढ़ा रहा है।

पुराने संयंत्रों को नष्ट करने और उनके प्रतिस्थापन के लिए समाधान प्रदान करने के लिए पुरानी सबक्रिटिकल क्षमता को उच्च दक्षता वाले नई सुपरक्रिटिकल क्षमता के साथ प्रतिस्थापन पर सरकार का ध्यान आवश्यक होगा। बीएचईएल डेवलपर्स को इष्टम टेक्नो-इकोनॉमिक की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए तैयार है।

ग्रिड में आरईएस आधारित बिजली प्रणालियों के बड़े पैमाने पर प्रवाह के साथ, ग्रिड बैलेंसिंग समाधानों की आवश्यकता थर्मल पावर प्लांटों के लिए फ्लेक्सिबलाइजेशन समाधानों के लिए एक अवसर पैदा करेगी, जो गैस और हाइड्रो आधारित परियोजनाओं के साथ मिलकर काम कर सकती है। साथ ही, विस्तार परियोजनाओं में स्थान की कमी और परियोजनाओं के लचीले और

न्यूक्लीयर ऊर्जा

24x7 बिजली के लिए

भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आधार बनने वाले 18 दबाव वाले हेवी वॉटर रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) में से 12 बीएचईएल आपूर्ति वाले स्टीम टरबाइन जनरेटर सेट से लैस हैं। एनपीसीआईएल द्वारा देश में स्थापित की जा रही 10x700 मेगावाट की बिजली परियोजनाओं में भी बीएचईएल भागीदारी कर रहा है। बीएचईएल प्रस्तावों में प्राथमिक के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के द्वितीयक पक्षों के उपकरण शामिल हैं, जैसे भाप जनरेटर, टरबाइन जनरेटर, हीट एक्सचेंजर्स आदि।

बीएचईएल आपूर्ति वाले परमाणु ऊर्जा उपकरणों से लैस एनपीसीआईएल की कैगा यूनिट-1 ने 962 दिनों तक निरंतर संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है।

बीएचईएल एकमात्र भारतीय कंपनी है जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीनों चरणों से जुड़ी है।

बीएचईएल ने एनपीसीआईएल के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना इकाइयों 3 & 4 की स्थापना की

राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन (आरएपीएस) बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए न्यूक्लियर स्टीम जेनरेटर से सुसज्जित है

एनपीसीआईएल कैगा बीएचईएल निर्मित टरबाइन जनरेटर सेटों से सुसज्जित है

दो-शिफ्ट संचालन के लिए आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम रेटिंग वाली सुपरक्रिटिकल परियोजनाओं की भी आवश्यकता हो सकती है। बीएचईएल ने इस तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाधान विकसित किया है और ग्राहकों को अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए इसके समाधान के और अधिक अनुकूलन की दिशा में कार्य कर रहा है।

बीएचईएल पहले से ही स्वदेशी रूप से देश का पहला उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी आधारित संयंत्र विकसित कर रहा है, जो एनटीपीसी और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च (आईजीसीएआर) की एक संयुक्त अग्रणी आरएंडडी परियोजना है। परियोजना आरएंडडी फेस में है और बीएचईएल प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संयंत्र की स्थापना के लिए एनटीपीसी के साथ कार्य करेगा। इस तकनीक के विकास से क्षमताओं में महत्वपूर्ण सुधार होगा, जिससे कोयले की खपत में कमी के साथ-साथ सीओ2 उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

बीएचईएल डेवलपर्स को उनके मौजूदा सेटों के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) और जीवन विस्तार में अपने अनुभव प्रदान करता है। बीएचईएल पुर्जों और सेवाओं के कारोबार सहित ग्राहकों में अपने मूल्य प्रस्तावों को बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकी का भी उपयोग कर रहा है। इस क्षेत्र में, कंपनी ने 'डिजिटलाइजेशन ऑफ स्पेयर्स एंड सर्विसेज बिजनेस' के लिए एक ऊर्जस्वी ऑन-लाइन प्रणाली के माध्यम से ऑफ़र सृजित करने के लिए पहल की है, जिसके माध्यम से, मांग तैयार करना, और ग्राहक ऑर्डर प्लेसमेंट स्वचालित किए गए हैं।

कंपनी के अपने विस्तारित पावर सेक्टर डोमेन में जल प्रबंधन प्रणाली, एयर कूल्ड कंडेनसर, बीओपी सिस्टम, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण जैसे चुनिंदा गैर-उत्प्रेरक कमी (एसएनसीआर), आदि शामिल हैं।

हाइड्रोपावर क्षेत्र में, संगठन ने 400 मेगावाट हाइड्रो सेट विनिर्माण की अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। इस क्षेत्र में अपने कुशल प्रोफाइल का विकास किया है और हाइड्रो टर्बाइन भार में कमी लाई गई है। बीएचईएल, लिफ्ट सिंचाई योजना संबंधी परियोजनाओं में उपयोग आने वाली आकार की पम्प-मोटर्स क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभरा है।

हाइड्रो सेक्टर में ईपीसी व्यवसाय की दिशा में बीएचईएल ने सिविल और हाइड्रो मैकेनिकल कार्यों के लिए कंसल्टेंसी सेवाएं लेने और साथ ही ईपीसी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में संयुक्त बोली के लिए एनएचपीसी के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किया है, जिसमें सिविल और एचएंडएम (हाइड्रो-मैकेनिकल) कार्यों के लिए एनएचपीसी और ईएंडएम (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल) कार्यों के लिए बीएचईएल जिम्मेदार हैं।

परमाणु क्षेत्र में, बीएचईएल आगामी पीएचडब्ल्यूआर जिन्हें एनपीसीआईएल द्वारा फ्लीट मोड के अधीन खरीदा जा रहा है, के लिए ईपीसी आधार पर 700 मेगावाट टीजी द्वीप व्यवसाय के लिए पूरी तरह तैयार है, । बीएचईएल विदेशी सहयोग के तहत स्थापित की जा रही परमाणु परियोजनाओं जैसेकि कुडनकुलम 2x1000 मेगावाट इकाइयाँ 3&4 में भी अपना विस्तार कर रहा है।

राष्ट्र को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में ले जाने की दिशा में, बीएचईएल ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के सहयोग से 300 मेगावाट उन्नत भारी जल रिएक्टर (एएचडब्ल्यूआर) परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए द्वितीयक टरबाइन चक्र विकसित किया है। अपनी मजबूत इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमता के साथ, बीएचईएल परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में अपने योगदान को बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

रावतभाटा परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए बीएचईएल का 40 वाँ परमाणु स्टीम जनरेटर एचपीबीपी, तिरुचिरापल्ली से भेजा जा रहा है

भारतीय बिजली क्षेत्र प्रवाह की स्थिति में है, जो उद्योग के लिए नई चुनौतियां और नए अवसर पैदा करेगा। सेक्टर में आए बदलावों से उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति योजना बनाने में अपने ग्राहकों को उच्च मूल्य के प्रस्ताव उपलब्ध करने के लिए बीएचईएल सभी मोर्चों पर अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है

एचपीईपी, हैदराबाद में जनरेटर स्टेटर का निरीक्षण करते इंजीनियर

बीएचईएल निर्मित विद्युत उपयोगिता (यूटिलिटी) संस्थापना
31.03.2019 तक स्थापित

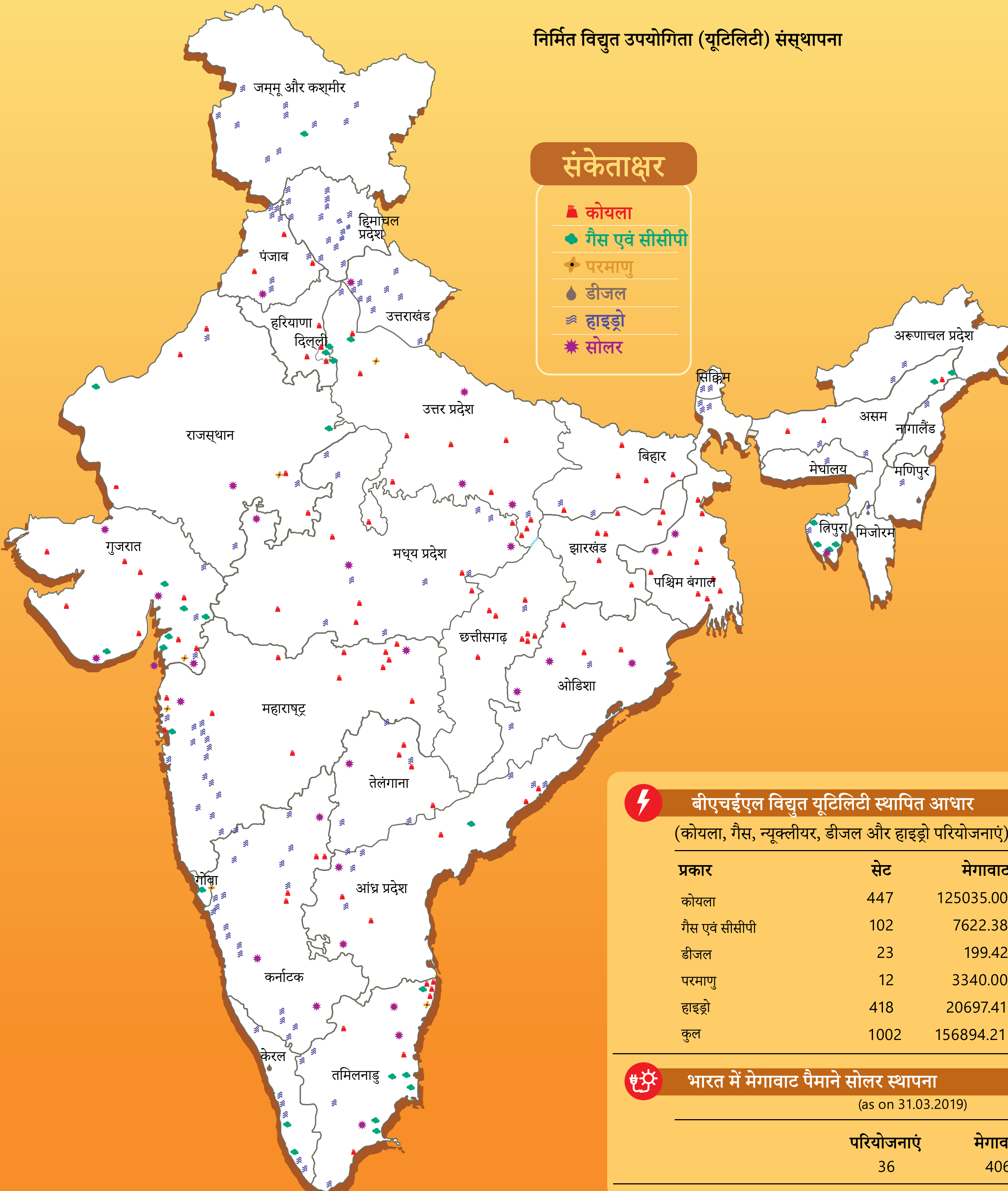

बीएचईएल विद्युत यूटिलिटी स्थापित आधार
(कोयला, गैस, न्यूक्लीयर, डीजल और हाइड्रो परियोजनाएं)

प्रकार	सेट	मेगावाट
कोयला	447	125035.00
गैस एवं सीसीपी	102	7622.38
डीजल	23	199.42
परमाणु	12	3340.00
हाइड्रो	418	20697.41
कुल	1002	156894.21

भारत में मेगावाट पैमाने सोलर स्थापना
(as on 31.03.2019)

परियोजनाएं	मेगावाट
36	406

सूर्य से प्राप्त

उपहार को उपयोग में लाना

बीएचईएल भारत की उन कुछ कंपननयों में से एक है जो सौर ऊजाा से संबंधित सभी आवश्यकताओं के ललए संपूऱ् समाानि प्रदान करती है। सोलर सैल्स तथा मॉड्यूलों के ननमाार् हेतु अत्याुनिनक सुववाएं,सवोत्तम सैल दक्षता,स्पेस ग्रेड पैनलों तथा एसपीवी पलांटों संबंीी उपकरऱ्ों तथा ववशेष रूप से सहायक आर एंड डी पहलकदलमयों के साथ

बीएचईएल सौर ऊजाा के क्षेत्र में एक ही स्थान पर समग्र समाानि देने वाली कंपनी है। देश भर में 700 मे.वा.+ का पोटाफोललयो ललए बीएचईएल ने सौर ऊजाा व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक प्रारंलभक प्रयास ककए हैं । ववलभन्न ववननमाार् इकाइयों में MWp से अधिक के सोलर पावर पलांटों की स्थापना द्वारा वषा 2018 में बीएचईएल ने 24,196 MT CO2-e के काबना फु ट वप्रटं पड़ने से बचाया है ।

बीएचईएल रेलवे की खाली पड़ी हुई जमीन में 1.7 मे.वा. का एक प्रायोधिक सौर ऊजाा संयंत्र स्थावपत करने जा रहा है,जजससे ट्रैक्शन प्ऱ्ाली को ऊजाा प्रदान की जाएिी और यह पररयोजना ववश्व में अपने प्रकार की पहली पररयोजना होिी । इसके अलावा बीएचईएल सारिदीनि ,पजश्चम बंिलि में 5 मे.वा.का एक फ्लोटटंि सोलर पलांट भी स्थावपत करने जा रहा है और बीएचईएल इसरो के उपग्रहों में उपयोि हेतु स्पेसग्रेड पैनलों तथा बैटरी का ववशषे रूप से आपूनतका ताा है ।

50 MW solar PV installation by BHEL at Kadiri (Ananthapur)

व्यवसाय क्षेत्रों की रूपरेखा एवं निष्पादन

उद्योग क्षेत्र

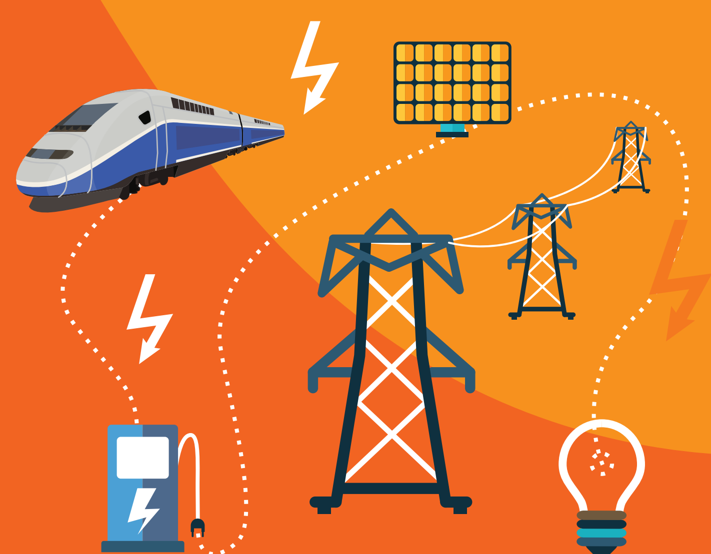

1.4.2 उद्योग क्षेत्र

संक्षिप्त विवरण

वर्ष 1980 के दशक से ही उद्योग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े औद्योगिक खंड के लिए प्रणालियों तथा व्यक्तिगत उत्पादों की एक बड़ी श्रंखला प्रदान कर रहा है।कंपनी के गैर कोयला आधारित व्यवसाय की अभिवृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्योग क्षेत्र,जिसमें बाजार केंद्रित समूह शामिल है,परिवहन,रेलवे ट्रैकों के विद्युतीकरण ,ई-मोबिलिटी ,ऊर्जा भंडारण प्रणाली,ट्रांसमिशन,अक्षय ऊर्जा,जल प्रबंधन रक्षा तथा अंतरिक्ष,कैप्टिव पावर जनरेशन तथा औद्योगिक उत्पादों (मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान करता है ।

वर्ष 2018-19 के दौरान उद्योग क्षेत्र ने रु.7,016 करोड़ मूल्य के ऑर्डर प्राप्त किए जिनमें परिवहन तथा सोलर व्यवसाय क्षेत्रों में अब तक के सर्वाधिक ऑर्डर शामिल हैं ।

1.4.2.1 उद्योग क्षेत्र

व्यावसायिक वातावरण एवं अवसर

- भारतीय रेलवे ने वर्ष 2022 तक सभी रूटों के विद्युतीकरण की योजना बनाई है। परिणामत: इलेक्ट्रिक लोको तथा प्रोपल्शन प्रणालियों की आवश्यकता में काफी वृद्धि की संभावना है । माला भाड़ा तथा यात्री ट्रैफिक के बढ़ जाने से नए प्रकार के रोलिंग स्टॉक जैसे ट्रेन सैट्स,उच्च अश्वशक्ति (एचएचपी)लोको,वातानुकूलित इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट्स (ईएमयू) तथा मेन लाइन ईएमयू की आवश्यकता में बढोतरी हो रही है। आगामी कुछ वर्षों में 500-600 ईएमयू /एमईएमयू कोचों की औसत वार्षिक मांग संभावित है ।
- भारतीय रेलवे अपने 5000 से अधिक डीजल लोकोमोटिव के वर्तमान बेड़े को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में बदलने की संभावना तलाश रहा है तथा करीब 2000 से अधिक परंपरागत WAG-7 लोकोमोटिव की ब्रेकिंग प्रणाली में रिट्रोफिटमेंट की भी भारतीय रेलवे की योजना है ।
- परिवहन क्षेत्र में कुछ नई तकनीकों को भी तलाशा जा रहा है,जिनमें पुश-पुल लोको,हाई स्पीड रेल तथा एडवांस्ड सिगनलिंग प्रणाली शामिल है ।
- शहरी परिवहन के क्षेत्र में 2 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में मैट्रो स्थापित करने की योजना है तथा छोटे शहरों के लिए लाइट रेल/मोनो रिलेशन की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं । 50 से भी अधिक शहरों में मैट्रो परियोजनाओं की घोषणा की जा चुकी है।
- मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कार्य प्रारंभ हो चुका है ।

प्रस्ताव:

- रोलिंग स्टॉक
  - ➢ 6000 एचपी तक के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
  - ➢ 3000 एचपी तक के डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
  - ➢ ट्रैक्शन मशीनें
  - ➢ ट्रैक्शन मोटरें तथा आल्टरनेटर्स
- **ट्रैक्शन ड्राइव प्रणाली और नियंत्रण**
  - ➢ ट्रैक्शन कनवर्टर और ऑग्जिलियरी कनवर्टरों वाले रोलिंग स्टॉक के लिए आईजीबीटी आधारित प्रोपल्शन प्रणाली ।
  - ➢ ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली तथा वाहन नियंत्रण यूनिट
  - ➢ होटेल लोड कनवर्टर तथा कम्पोजिट कनवर्टर
  - ➢ परंपरागत रोलिंग स्टॉक के लिए कंट्रोल गियर उपकरण
- इलेक्ट्रिक इंजनों और एसी ईएमयू /मेन लाइन ईएमयू (एमईएमयू) के लिए ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर

परिवहन के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सबसे अधिक मूल्य के ऑर्डर प्राप्त हुए । इनमें से कुछ निम्नवत हैं:

- **विकास के लिए सर्वप्रथम ऑर्डर :-**
  - ➢ सीएलडब्ल्यू से 1 नग 9000 एचपी फ्राइट लोको के लिए अपग्रेडेशन किट
  - ➢ मैसर्स प्रोग्रैस रेल इंडिया लिमिटेड से उनके समुद्र पारीय व्यवसाय के लिए 3000 एचपी डीपी लोकोमोटिव्स के लिए 10 नग ट्रैक्शन आल्टरनेटर्स
  - ➢ ईस्टर्न रेलवे कंचरापारा से WAG-7 लोको के लिए 2नग रीजनरेटिव ब्रेकिंग विशिष्टताओं का प्रावधान
  - ➢ सीएलडब्ल्यू से घरेलू रूप से विकसित एल्युमीनियम टैंक वाले 6531 केवीए के 2 नग मेन ट्रांसफॉर्मर

"उद्योग क्षेत्र ने परिवहन तथा सौर ऊर्जा व्यापार समूह में अब तक की सर्वाधिक ऑर्डर बुकिंग दर्ज की "

- प्राप्त सबसे बड़े ऑर्डर
  - ➢ डी एम डब्ल्यू पटियाला तथा आईसीएफ चैन्नई से डेजल इलेक्ट्रिक टॉवर कार के 118 सैट्स की आपूर्ति के लिए प्राप्त ऑर्डर
  - ➢ डी ए डब्ल्यू वाराणसी से 563 नग ट्रैक्शन मोटर
  - ➢ आईसीएफ चैन्नई से मेमू(एमईएमयू) के लिए 3 फेज वाले प्रोप्ल्शन सिस्टम के 104 सैट्स

अन्य उपलब्धियां

- बीएचईएल द्वारा निर्मित पहले 6000 एच पी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टाइप WAG-9H को मेंबर (ट्रैक्शन) तथा पदेन सचिव भारत सरकार,रेल मंत्रालय ने झांसी प्लांट से सितंबर 18 में रवाना किया ।

री जनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली सहित WAG-7 5000 एचपी लोकोमोटिव बीएचईएल झांसी में उत्पादन के अंतिम चरणों में

WAG-9H लोकोमोटिव की बीएचईएल झांसी से रवानगी

- 5000 एच पी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टाइप WAG-7 के लिए भारत की अब तक की सबसे पहली अत्याधुनिक रीजनरेशन प्रणाली जो कि बीएचईएल द्वारा विकसित की गयी है, को सदस्य (ट्रैक्शन) तथा पदेन सचिव भारत सरकार,रेल मंत्रालय ने फरवरी 2019 में झांसी प्लांट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ।
- सबसे पहले 9000 एच पी इलेक्ट्रिक लोको ,जिसमें बीएचईएल द्वारा निर्मित सर्वाधिक पावर वाली 3फेज ट्रैक्शन मोटर टाइप KW लगी है, को मार्च 2019 में सीएलडब्ल्यू ,चित्तरंजन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया ।
- घरेलू रूप से विकसित प्रोटोटाइप आईजीबीटी आधारित कंपोजिट कनवर्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और इसे सीएलडब्ल्यू ,चित्तरंजन को प्रेषित किया गया ।
- भारतीय रेलवे के 9000 एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए आईजीबीटी आधारित प्रोपल्शन उपकरण का सफलतापूर्वक विकास किया गया ।

"आपकी कंपनी ने भारतीय रेलवे को बीएचईएल द्वारा निर्मित पहले 6000 एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टाइप WAG-9H और 5000 एचपी लोकोमोटिव टाइप WAG-7 के लिए पहले अत्याधुनिक री जनरेशन सिस्टम की सुपुर्दगी की है।"

विकास के लिए तैयारी

- **प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता**

  सभी प्रकार के रोलिंग स्टॉक के लिए आईजीबीटी आधारित प्रोपल्शन प्रणाली का डिजाइन और निर्माण करने के लिए इन-हाउस क्षमता को पूरा करना । वातानुकूलित एसी ईएमयू के लिए ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली सहित आईजीबीटी आधारित प्रणाली को विकसित किया गया । डीई लोकोमोटिव्स ,डीईएमयू और एमईएमयू तथा 3 फेज वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के लिए आईजीबीटी आधारित कंपोजिट कनवर्टर्स भी बीएचईएल द्वारा शुरु किए गए हैं ।

1.4.2.2 ट्रांशमिशन

- **कारोबारी माहौल एवं अवसर**

भारत सरकार की 2017-2022 कीअवधि के दौरान 2,92,000 एमवीए की सब-स्टेशन क्षमता जोड़ने की योजना के तदह पारेषण एवं वितरण क्षेत्र में विशाल अवसरों की संभावना है । भारत सरकार के 'सबके लिए बिजली 'उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्युत वितरण क्षेत्र को मजबूत करने की सरकारी योजनाओं के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया (टीबीसीबी) पर लंबी दूरी पर विद्युत के थोक पारेषण के लिए उच्च क्षमता के कॉरिडोरों का नियोजन एवं निष्पादन किया जा रहा है । 2022 तक लक्षित भारी अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि ग्रड स्तर पर ऊर्जा भंडारण प्रणाली एकीकरण के साथ विद्युत की निकासी के अवसर प्रदान करेगी । प्रभावी भूमि उपयोग के कारण गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन परियोजनाओं का विकास जारी रहेगा ।

बीएचईएल विश्व स्तरीय ट्रांसमिशन उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रंखला प्रदान करता है ।

प्रस्ताव :

- ईएचवी और यूएचवी सब स्टेशन और ईपीसी आधार पर एचवीडीसी कनवर्टर स्टेशन सहित अवधारणा से कमीशनिंग तक टर्न-की ट्रांसमिशन परियोजना निष्पादन ।
- 765 केवीए तक के ट्रांसफॉर्मर और शंट रिएक्टर्स,1200 केवी सीवीटी और 1200 केवी ऑटो ट्रांसफॉर्मर,वैक्यूम और एसएफ 6 स्विचगियर , कैपैसिटर बैंक्स,सर्किट ब्रेकर,नियंत्रण और सुरक्षा उपकरण ,थाइरिस्टर वाल्व्स आदि ।
- 420 के वी तक के गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस)
- सिरामिक तथा कंपोजिट इंस्युलेटर । बीएचईएल के पास 1200 के वी एसीए +- 800 के वी डीसी तक के ईएचवी और यूएचवी एसी/डीसी अनुप्रयोगों,400 केवी तक सॉएिलड इंसुलेटर्स और 765 केवी एसी तक हॉलो पोर्सलेन इंसुलेटर्स के लिए डिस्क इंसुलेटरों की एक बड़ी श्रंखला उपलब्ध है ।
- 400 के वी लाइनों के लिए फ्लैक्सिबल ए सी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफएसीटीएस) डिवाइस जैसे निश्चित श्रंखला क्षतिपूर्ति और लंबी 400 केवी पारेषण लाइनों के गतिशील प्रतिक्रियात्मक विद्युत प्रबंधन के लिए नियंत्रित शंट रिएक्टर (सीएआर) तथा 765 केवी अनुप्रयोगों तक विद्युत प्रवाह को नियंत्रित एवं संतुलित करने के लिए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर(पीएसटी)।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर

- यूपीपीटीसीएल से रसरा (बलिया)और शामली में टर्न– की आधार पर 400/220/120 केवी जीआईएस सब-स्टेशन।ईएचवी जीआईएस ईपीसी क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बीएचईएल का पहली बार प्रवेश ।
- टैनट्रांसको से टर्न-की आधार पर 400/230/110 केवी वैल्लालविद्युती सब-स्टेशन।
- यूपीपीटीसीएल से टर्न –की आधार पर बारा टीपीपी में 765/400 केवी सब-स्टेशन विस्तार।इस ऑर्डर में बीएचईएल द्वारा निर्मित 765 केवी ट्रांसफॉर्मर शामिल हैं –खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त 765 केवी ट्रांसफॉर्मर का पहला ऑर्डर ।
- यूपीपीटीसीएल से कुल 5920एमवीए क्षमता के उच्च रेटिंग वाले पावर ट्रांसफॉर्मर पैकेज के कुल 32 नग।
- एमवी स्विचगियर पैकेज 171 नग । इनडोर वीसीबी पैनल

मुख्य उपलब्धि

- 400 केवी के 3 नग और 220 केवी का 1 नग,क्लास पावर ट्रांसफॉर्मरों का सफलतापूर्वक डायनामिक शॉर्ट सर्किट टैस्ट

चालू की गयी परियोजनाएं

- टैनट्रांसको थाप्पकुंडु सब-स्टेशन (400 केवी -9 बे ,110 केवी- 12 बे) पूर्णरूप से चालू की गयी ।
- पावरग्रिड भुज सब-स्टेशन (765केवी -10 बे,400केवी-7बे) और बनस्कांता एक्सटेंशन (765केवी- 6बे) परियोजनाएं चालू की गयी गयीं ।

बीएचईएल विश्व स्तरीय ट्रांसमिशन उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रंखला प्रदान करता है ।

- पावर ग्रिड बनस्कांता सब-स्टेशन (765 केवी-10-बे ,400 केवी-12 बे) तथा शंखरी सब-स्टेशन (400 केवी- 2 बे) चालू की गयीं ।

एचवीडीसी अनुप्रयोगों के लिए 765 केवी क्लास ट्रांसफॉर्मर

विकास के लिए तैयारी यूएचवीएसी तथा यूएचवीडीसी प्रणालियां : बीएचईएल ने 765 के.वी. श्रेणी ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टरों का सफलतापूर्वक डिजाइन,निर्माण एवं आपूर्ति कर उन्हें चालू किया है,और यूएचवीडीसी उपकरण जैसे कनवर्टर ट्रांसफॉर्मर,थाइरिस्टर वाल्व्स ,फिल्टर कैपासिटर आदि के लिए विनिर्माण सुविधाएं मौज़ूद हैं। यूएचवी एसी तथा डीसी अनुप्रयोगों के लिए 1200 के वी ट्रांसफॉर्मर,कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर और 420 के एन तथा 530 के एन डिस्क इंसुलेटर भी सफलतापूर्वक संस्थापित किए जा चुके हैं तथा प्रचालनाधीन हैं।

बीएचईएल ने विश्व के सबसे बड़े +-800 के.वी.मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी परियोजना (उत्तर-पूर्व से आगरा),जो सितम्बर 2017 से वाणिज्यिक प्रचालन में है को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है।भविष्य में यूएचवीएसी तथा यूएचवीडीसी क्षेत्रों की बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीएचईएल अब पूरी तरह से तैयार है।

गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस):

बीएचईएल ने अपने द्वारा निर्मित 145 के वी जीआईएस के टीएस ट्रांसको ,विट्ठलवाड़ी में दिसंबर 2018 में सफलता पूर्वक क्षेत्र प्रचालन का एक वर्ष पूरा कर लिया है, जिसमें ओ एंड एम भी शामिल है ।

बीएचईएल द्वारा आपूरित तथा चालू की गयी +- 800 के वी मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी परियोजना (उत्तर-पूर्व से आगरा) का हवाई दृष्य

1.4.2.3 नवीकरणीय ऊर्जा

व्यापार परिदृष्य और अवसर

जवाहर लाल नेहरु नेशनल सोलर मिशन (जेएनएनएसएम) की सोलर नीति के रोड मैप के अनुसार वर्ष 2022 100 गीगावट क्षमता वृद्धि की योजना है। 31 मार्च 2019 को देश में 28 गीगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है । सोलर पीवी संयंत्रों के साथ ही बैतरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस)के समेकन पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है। सरकार द्वारा सौर ऊर्जा आधारित बिजली देने पर जोर के कारण इस क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है।

प्रस्ताव :

- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) सहित और रहित पावर प्लांटों के लिए ईपीसी समाधान ।
- रूफटॉप,कैनाल(नहर) टॉप और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र
- सौर आधारित सिंचाई पंप

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए पहाड़ी क्षेत्र बेराडोल ,हि.प्र. में 5 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट की सफलतापूर्वक संस्थापना ।

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर :

- पहला वाणिज्यिक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट – बीएचईएल ने फ्लोटिंग सोलर क्षेत्र के अवसरों का लाभ उठाते हुए डब्ल्यूबीडीपीडीसीएल से पहला वाणिज्यिक स्केल का 5 मे.वा. का आदेश प्राप्त कर अपने पदचिह्न स्थापित कर दिए हैं।
- सिंगरेनी कोलियरीज एंड कार्पो.लिमिटेड (एससीसीएल) से तेलंगाना में विभिन्न स्थानों पर सोलर पीवी प्लांट स्थापित करने के लिए 129 मे.वा. का सबसे बड़ा सिंगल ईपीसी ऑर्डर
- विभिन्न ग्राहकों जैसे राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड (आरईआईएल), कोचिन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ,लुधियाना स्मार्ट सिटी लिमिटेड आदि से कुल 4.6 मे.वा. क्षमता के रूफ टॉप सोलर ऑर्डर ।

चालू की गयी परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 61 मे.वा. के एसपीवी प्लांट चालू किए गए जिनमें निम्न: शामिल हैं:

- 25 मे.वा. जीआईपीसीएल गुजरात
- 15 मे.वा. जीएसीएल चरंका
- 10 मे.वा. बीईएल बोलंगिर

लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों में बीएचईएल ने 2 मे.वा. से भी अधिक की संचयी क्षमता को सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट स्थापित किए हैं

- 5 मे.वा. एचपीपीसीएल बेरा डोल
- 5 मे.वा. डब्ल्यूबीएसईडीसीएल, संथालदिह
- 1 मे.वा. बीईएल, मेदक

इसके साथ ही दिनांक 31.03.2019 को बीएचईएल के सोलर पोर्टफोलियो 716 मे.वा. पहुंच गया है जिसमें वर्तमान में चल रही परियोजनाएं शामिल हैं।

गुजरात में चरंका ग्राम के पास बीएचईएल द्वारा 15 मे.वा.क्षमता संयंत्र ईपीसी आधार पर स्थापित किया गया 65 मे.वा. का गुजरात सोलर पार्क

विकास के लिए तैयारी

- एसपीवी बाजार की बढती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बीएचईएल अपनी मॉड्यूल निर्माण क्षमता के और अधिक विस्तार की योजना बना रहा है।
- भारतीय रेलवे के लिए एसपीवी अवधारणा के अनुरूप 25 के.वी. ट्रैक्शन सब-स्टेशन को पावर देने के लिए रेलवे ट्रैकों के आस पास एसपीवी परियोजना स्थापित करने की प्रायोगिक परियोजना।

1.4.2.4 जल व्यापार

व्यापार परिदृश्य एवं अवसर

भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता घट रही है । सीवेज का लगभग सत्तर प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से उत्पन्न होता है और आधे से भी अधिक औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन नहीं किया जाता जो नदियों,झीलों और अन्य जल निकायों को प्रदूषित करता है। उच्च औद्योगिक शुल्क और जल निर्वहन विनियमों के लागू हो जाने के कारण उद्योग अपनी पानी की बढती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल को री-साइकलिंग तथा उसके पुन: उपयोग का विकल्प अपना रहे हैं ।

बीएचईएल ने रायपुर में तेलिबंध झील के शुद्धीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ।

प्रस्ताव:

विद्युत संयंत्रों,उद्योगों और नगरपालिका अनुप्रयोगों के निम्न के लिए व्यापक समाधान सहित पूर्ण जल प्रबंधन समाधान:

- प्री ट्रीटमेंट प्लांट्स (पीटी)
- सागर जल रिवर्स ओसमोसिस (एसडब्ल्यूआरओ)और विखनिजीकरण (डीएम) प्लांट्स
- अपशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी)
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स(एसटीपी)तथा तृतीयक ट्रीटमेंट प्लांट्स (टीटीपी)
- शून्य तरल निर्वहन (जैडएलडी)प्रणाली

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बीएचईएल द्वारा तेलीबंध झील के शुद्धीकरण की परियोजना को समय पर पूरा करने की सराहना की है ।
- सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर (एसबीआर) प्रौद्योगिकी पर आधारित 3 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों के ऑर्डर प्राप्त हुए ,जिसमें 10 वर्षों की ओ एंड एम सेवा शामिल है ।यह रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से लगातार दूसरा ऑर्डर है ।

विकास के लिए तैयारी

बीएचईएल ने जल, अपशिष्ट जल तथा त्याज्य से बिजली क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करने और कार्यान्वयन के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

बेल्लारी टीपीएस में क्लैरिफ्लोकुलेटर । बीएचईएल पावर प्लांटों के लिए जल संबंधी संपूर्ण समाधा प्रदान करता है।

1.4.2.5 रक्षा तथा एरोस्पेस

व्यापार परिदृश्य एवं अवसर

भारत सरकार (GOI) अगले एक दशक में 30% के वर्तमान स्तर से स्वदेशी खरीद को 70% तक बढ़ाने के लिए स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से रक्षा उपकरणों की खरीद को बढ़ावा दे रही है। प्रमुख पहलें निम्न हैं:

- रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) 2016 भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया 'पहल को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण पर केंद्रित है। क्रय (IDDM - स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण) श्रेणी शुरू की और सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी ।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार ड्राफ्ट रक्षा उत्पादन नीति 2018, देश में रक्षा डिजाइन और उत्पादन क्षमताओं के विकास के लिए एक केंद्रित, संरचित और महत्वपूर्ण पद्धति पर जोर देती है । इस नीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। ड्राफ्ट पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं हैं:
  - ➢ ' मेक इन इंडिया ' पहल के अंगस्वरूप एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग का निर्माण ।
  - ➢ देश में एकरूप रक्षा औद्योगिक ईको सिस्टम का निर्माण ।
  - ➢ आयात पर वर्तमान निर्भरता को कम करना और हथियार प्रणालियों / प्लेटफार्मों के विकास और निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास करना।
- 2025 तक GSLV / GSLV MkIII की प्रक्षेपण आवृत्ति को प्रति वर्ष 6 तक बढ़ाने की इसरो की योजना है। उपग्रह प्रक्षेपण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए,इसरो 5 से 10 वर्षों में वैकल्पिक / अतिरिक्त सुविधाओं / बुनियादी सुविधाओं की तलाश कर रहा है। इसके लिए इसरो की संपूर्ण उपग्रह निर्माण को ऑफलोड करने की योजना है ।

भारतीय नौसेना के लिए बीएचईएल हरिद्वार प्लांट में बनाया जा रहा सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम)

प्रस्ताव :

- नौसेना जहाजों के लिए 76/62 मिमी SRGM (सुपर रैपिड गन माउंट) और इसके पुर्जे
- रक्षा और एयरोस्पेस के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स अनुप्रयोग
- क्रायोजेनिक टैंक, टाइटेनियम शैल / डोम, वेल्डिंग और टाइटेनियम शीट और ट्यूबों की मशीनिंग के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता ।
- अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए, बीएचईएल ने विभिन्न क्षमताओं के स्पेस ग्रेड सोलर पैनलों और बैटरियों के संयोजन और परीक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना की है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

ऑर्डर बुक

- सुखोई एसयू -30 एमकेआई विमान अनुप्रयोग के लिए एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर (AAHE) के विकास का ऑर्डर एचएएल से प्राप्त हुआ ।

1.4.2.6 कैप्टिव पावर प्लांट्स व्यापार परिदृश्य एवं अवसर

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार से कैप्टिव पावर और स्टीम (भाप)की मांग बढ रही है। राज्यों के स्वामित्व वाली रिफाइनरियों की विस्तार योजना से सजीटीजी आधारित कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट पैकेज की मांग बढेगी।प्रक्रिया उद्योगों जैसे सीमेंट आदि क्षेत्र में भी मुख्य भूमिका निभाते हुए इस क्षेत्रों में क्षमाताओं के विस्तार की योजना है,जिससे कि कैप्टिव पावर व्यवसाय की बढती मांग की दिशा में योगदान किया जा सके ।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में इस्पात निर्माण की वर्तमान क्षता 130 एमटी को बढाकर वर्ष 2030 तक 300 एमटी करने की योजना है ।
- आने वाले वर्षों में इस्पात क्षेत्र में कैप्टिव जनरेशन आवश्यकताओं की मांग में बढोतरी अपेक्षित है ।

प्रस्ताव:

- स्टीम टरबाइन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट्स
- गैस टरबाइन आधारित कोजनरेशन तथा कंबाइंड साइकिल कैप्टिव पावर प्लांट्स

बीएचईएल हैदराबाद में कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 150 मे.वा.स्टीम टरबाइन पर चल रहा कार्य

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर:

- टाटा कलिंगनगर के लिए 120 मे.वा. बीटीजी पैकेज 1 नग । गैस फार्यड ब्यॉलर के लिए ऑर्डर ।
- 9 एसटीज़ी (सब. 50 मे.वा.)

चालू की गयी परियोजनाएं

2018-19 के दौरान 160 मे.वा. से अधिक की सीपीपी परियोजनाओं को चालू किया गया ।

- 40 मे.वा. टाटा स्टील लिमिटेड ,जमशेदपुर
- 36 मे.वा. शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड –यूनिट 2
- 27 मे.वा. श्री सीमेंट लिमिटेड- कर्नाटक सीमेंट प्रोजेक्ट के लिए
- 20 मे.वा. सीपीसीएल ,चैन्नई –यूनिट 5
- 16.75 मे.वा. रोहित सल्फैक्टेंट्स प्रा.लि. (आरएसपीएल) यूनिट 1
- 16.75 मे.वा. रोहित सल्फैक्टेंट्स प्रा.लि. (आरएसपीएल) यूनिट 2
- 12 मे.वा. टाटा प्रोजैक्ट्स लि. कलिंगनगर

1.4.2.7 औद्योगिक उत्पाद (तेल एवं गिस और विद्युत मशीनें सहित)

व्यापार परिदृश्य एवं अवसर

- सरकार अपस्ट्रीम तेल और गैस उत्पादन में 2.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है ताकि प्राकृतिक गैस का उत्पादन 60 बीसीएम तक दोगुना हो सके और 2022 तक 120 से अधिक अन्वेषण कुंए खोदे जा सकें । इससे आने वाले वर्षों में ऑयल फील्ड उपकरण, वैल हैड्स , क्रिसमस ट्री, कंप्रेशर्स,फायर्ड हीटर, कॉलम और वायु पृथक्करण इकाइयों के लिए व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी।
- आने वाले वर्षों में लगभग32 एमएमटीपीए क्षमता विस्तार परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं जिनमें आईओसी बरौनी में ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन , आईओसीएल पानीपत, आईओसीएल गुजरात, सीपीसीएल नागपट्टिनम, एनआरएल विस्तार आदि शामिल हैं तथा बाड़मेर में ग्रीन-फील्ड रिफाइनरियों, जिनसे कंप्रेशर्स, फायर्ड हीटर्स कॉलम और एयर सेपरेशन यूनिटों आदि के लिए अच्छी व्यावसायिक क्षमता प्राप्त करने की संभावना है।
- भारत की तैयार स्टील की खपत अप्रैल 20 में 100 मीट्रिक टन से बढ़कर 2030 तक 230 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। घरेलू बाजार में वृद्धि से मांग को समर्थन मिलेगा। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 की शुरूआत सहित इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस्पात क्षेत्र में प्रत्याशित वृद्धि स्वदेशी इस्पात बनाने के उपकरण निर्माता के रूप में इस्पात उद्योग में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करती है।

प्रस्ताव:

ऑयल रिग्स - 9,000 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग के लिए एसी- वीएफडी और एसी-एससीआर तकनीक के साथ ऑन-शोर ड्रिलिंग रिग्स, 6,100 मीटर की गहराई तक सर्विसिंग के लिए कार्य-ओवर रिग्स और गहराई तक ड्रिलिंग के लिए मोबाइल रिग्स। 3,000 मीटर की दूरी पर। संपूर्ण रिग पैकेज के अलावा, ड्रॉ वर्क्स, मास्ट एंड सबस्ट्रक्चर, एसी एंड डीसी पीसीआर, मोटर्स आदि जैसे ऑन-रिग ड्रिलिंग रिग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरण की आपूर्ति, बहुत पुराने ऑयल रिग्स के नवीनीकरण और उन्नयन भी किया जा रहा है।

ओएनजीसी अंकलेश्वर में बीएचईएल द्वारा निर्मित और आपूरित ईवी-2000 ऑयल रिग

- वैलहैड्स तथा क्रिसमस ट्रीज – 10,000 पीएसआई तक के मडलाइन सस्पेंशन ,चोक एवं किल मैनिफोल्ड सीबीएम वैलहैड्स ,डीएसपीएमएच –मैनिफोल्ड असेंब्ली ,मड वाल्व्स ,ईएसपी हैंगर ब्लॉक टाइप क्रिसमस ट्रीज तथा केसिंग हैड्स के लिए लैंडिंग बेस ।
- कंप्रैसर्स- फर्टिलाइजर्स,रिफाइनरीज, पैट्रोकैमिकल्स ,पाइपलाइंस ,गैस प्रोसेसिंग ,इस्पात उद्योगों आदि अनुप्रयोग के लिए एपीआई 617 के अनुसार विभिन्न प्रकार के मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्युगल कंप्रेशरों का अभिकल्पन, अभियांत्रिकी एवं आपूर्ति ।
- मैकेनिकल पैकेज – क्रायोजेनिक एयर सस्पेंशन यूनिट्स, फायर्ड हीटर्स ,कॉलम्स,रिएक्टर्स,प्रैशर वैसल्स ,हीट एक्सचेंजर्स,फायर्ड हीटर्स तथ पर्ज गैस रिकवरी यूनिट ।
- इलेक्ट्रिकल मशीनें – सुरक्षित एवं खतरनाक क्षेत्रों में अनुप्रयोग के लिए ए सी सिक्रेरल केज, स्लिप रिंग ,सिंक्रोनस मोटर्स ,वेरिएबल स्पीड मोटर्स ,इंडस्ट्रियल आल्टरनेटर्स तथा विशिष्ट उपयोग हेतु मशीनें ।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

प्राप्त ऑर्डर:

- ओएनजीसी उरान से 1 नग लीन गैस सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेशर का एलएसटीके (लम्प् समाचार टर्न की)/ ईपीसी ऑर्डर ।
- बीपीसीएल कोचि से 1 नग री-साइकिल गैस(आरसीजी) तथा 1 नग नैट गैस कंप्रेश ऑर्डर । यह(आरसीजी कंप्रेशर) बीएचईएल द्वारा निर्मित सबसे बड़ा बैरल टाइप कंप्रेशर (बीसीएल 800 सीरिज) होगा ।
- ओएनजीसी तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ वैल हैड तहा क्रिसमस ट्रीज की आपूर्ति के ऑर्डर को अंतिम रूप दिया गया ।
- मैसर्स केएसबी लि.पुणे से एनपीसीआईएल,2X 700 एमडब्ल्युई ,गोरखपुर हरियाणा अनु विद्युत परियोजना (जीएचएवीपी) के लिए 10 नग ,6मे.वा. स्क्रिरल केजे इंडक्शन मोटरों (एससीआईएम) के लिए ऑर्डर ।

विकास के लिए तैयारी

- तेल तथा गैस क्षेत्र में अनुप्रयोग के लिए 15000 पीएसआई वैल हैड्स एवं क्रिसमस ट्रीज और स्टेल उद्योग में ब्लास्ट फर्नेस के लिए एक्शियल कंप्रेशरों के व्यसाय में प्रवेश के प्रयास जारी हैं।

1.4.2.8 ऊर्जा भंडारण समाधान समूह

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

व्यापार परिदृश्य एवं अवसर

- फेम-2 (FAME-2) योजना अधिसूचित की गई है और इसे 01 अप्रैल 2019के प्रभाव से कुल 10,000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए ईवीएस को बढावा देने चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के अपनाया गया है ।
- फेम- I के तहत कुछ एसटीयू (स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स) ने पहले ही फ्लोटिंग टेंडर / इलेक्ट्रिक बसें तैनात करना प्रारंभ कर दिया है ।
- बिजली मंत्रालय ने 3 किमी x 3 किमी के ग्रिड में और राजमार्गों के दोनों ओर प्रत्येक 25 कि.मी. की दूरी पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए विद्युत वाहनों हेतु बुनियादी ढांचे के लिए दिशानिर्देश और मानक जारी किए हैं।
- भारी उद्योग विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वदेशी विनिर्माण, इसकी असेंबली /सब -असेंबली / पुर्जों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6 मार्च 2019 को चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) जारी किया है।

प्रस्ताव:

- ईवी चार्जिंग स्टेशन
- ई-बसें
- ई वी कंपोनेंट्स – पावर ट्रेनें तथा बैटरी पैक्स

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- निम्नलिखित का आंतरिक रूप से विकास सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया :
  - ➢ 50 किलोवाट ईवी चार्जर
  - ➢ 67 किलोवाट इंडक्शन मोटर
  - ➢ 130 किलोवाट इंडक्शन मोटर
  - ➢ 125 किलोवाट स्थायी मैग्नैटिक सिंक्रोनोमस मोटर (PMSM)

  ईवी पावर ट्रेन, ईवी चार्जर्स और ई-बस पर विकास कार्य प्रगति पर हैं।
- बीएचईएल ने दिल्ली –चंडीगढ़ हाईवे पर एथीनिक रिसोर्ट ,राइ ,सोनीपत (हरियाणा) में सबसे पहले सौर ऊर्जा आधारित विद्युत वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन की सफलतापूर्वक कमीशनिंग कर ली है ।
- 12 मीटर इलेक्ट्रिक बस प्रोटोटाइप विकसित ।

एथीनिक रिसोर्ट ,राइ ,सोनीपत (हरियाणा) में सबसे पहले सौर ऊर्जा आधारित विद्युत वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन का श्री ए.आर.सिहाग, सचिव, भारी उद्योग विभाग द्वारा उद्घाटन

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर:

- ईईएसएल से 40 नग डीसी 001 चार्जरों आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए सबसे पहला ऑर्डर ।
- भारी उद्योग विभाग से फेम (FAME) योजना के तहत दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग पर सौर आधारित ईवी चार्जर्स की स्थापना के लिए ऑर्डर ।

"आपकी कंपनी ने दिल्ली चंडीगढ़ हाइवे पर पहले सौर ऊर्जा आधारित ईवी चार्जिंग स्टेशन की सफलतापूर्वक कमीशनिंग की है ।"

विकास के लिए तैयारी

बीएचईएल देश के ई-मोबिलिटी मिशन के लिए एकीकृत ई-मोबिलिटी समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, बीएचईएल ने कई इन-हाउस विकास किए हैं और प्रख्यात कंपनियों के साथ रणनैतिक साझेदारी में प्रवेश किया है।

ऊर्जा भंडारण प्रणाली

व्यापारिक परिदृश्य

- सरकार ने 2022 तक 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा को ग्रिड में जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ, ऊर्जा स्थिरता ग्रिड, स्थिरता और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिजली व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनने के लिए निर्धारित है। ऊर्जा भंडारण बाजार के लिए वर्ष 2022 तक बाजार की संभावना 2- 3.5 GWh तक पहुंचने की उम्मीद है।
- पीवी प्लांटों को समर्थन प्रदान करने के लिए एनटीपीसी, एसईसीआई, एनएलसी जैसी कंपनियों ने ऊर्जा भंडारण के लिए निविदाएं मंगाई हैं।
- ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन के अंगस्वरूप , सरकार 40 बिलियन डॉलर के अपेक्षित निवेश के साथ अपने इलेक्ट्रिकल वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा पहलकदमियों को बढ़ावा देने के लिए 40 गीगावाट(GW)की बैटरी बनाने की क्षमता स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है।

प्रस्ताव

- पीसीएस (पावर कंडीशनिंग सिस्टम)
- ईएमएस (एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम)
- पूर्ण कंटेनरकृत समाधान

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम(बीईएसएस) के MWh प्रायोगिक परियोजना की सफलतापूर्वक कमीशनिंग की गयी । बीईएसएस तीन भिन्न –भिन्न प्रकार के समायोजनों जैसे लीथियम ऑयन,लैड एसिड तथा फ्लो बैटरी वर्तमान पी वी प्लांटों के साथ एकीकृत है और आंतरिक रूप से विकसित किए गए पीसीएस और ईएमएस के साथ भी यह एकीकृत है ।

विकास के लिए तैयारी

बीएचईएल ग्रिड इंटरैक्टिव बीईएसएस के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान करने की परिकल्पना करता है ।

रेलवे ट्रैकों का विद्युतीकरण

व्यापारिक परिदृश्य एवं अवसर

- भारतीय रेलवे ने ईपीसी में टेंडर के माध्यम से वर्ष 2022 तक लगभग 30,000 आरकेएमएस(रूट किलोमीटर) विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है।
- भारतीय रेलवे ने रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन (सीओआरए) के माध्यम से 7 खंडों के लिए कुल 6266 रूट किलोमीटर के लिए ईपीसी आधार पर निविदाएं फ्लोट कारण दीं हैं।

प्रस्ताव :

रेलवे विद्युतीकरण के लिए पूर्ण ईपीसी समाधान

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर:

- रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण हेतु ईपीसी आधार पर 386 रूट किलोमीटर (आरकेएम) का पहला ऑर्डर

विकास के लिए तैयारी

- बीएचईएल परियोजना-निष्पादन के अपने सुदीर्घ अनुभव से सभी रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं में भागीदारी के अवसरों में सक्रिय रूप से प्रतिभागिता कर रहा है ।

दिल्ली-चंडीगढ़ हाई-वे पर स्थापित सौर ऊर्जा आधारित विद्युत वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन

व्यापार खंड की रूपरेखा और निष्पादन

अंतर्राष्टीय परिचालन

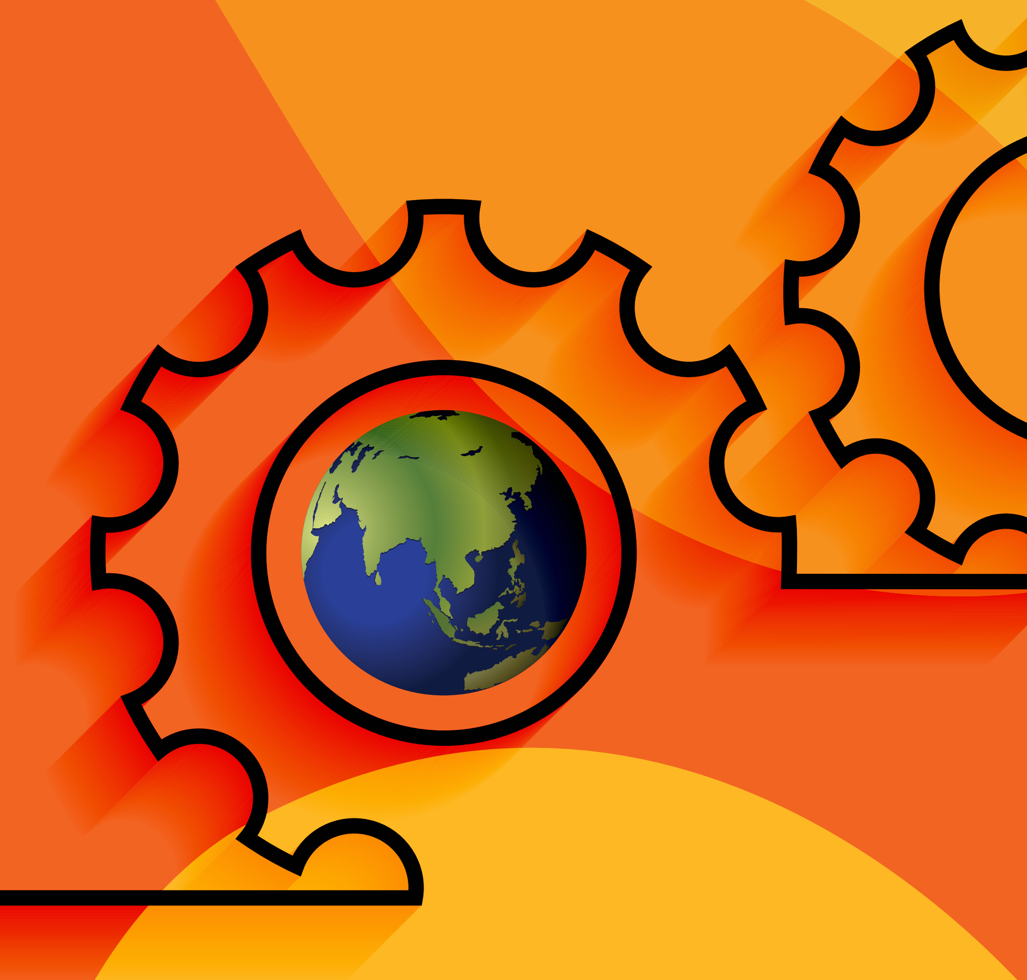

1.4.3 अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

संक्षिप्त विवरण :

व्यापार संबंधी विवादों ,क्षेत्रीय झगड़ों वैश्विक वित्तेय शर्तों तथा जलवायु संबंधी चिंताओं के बढने से विश्व में अप्रत्याशितता और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । इससे विश्व बाजार की व्यावसायिक निरंतरता प्रभावित हुई है । इन सभी के परिणामस्वरूप विश्व भर में देशों और कंपनियों के बीच बाजार समेकन ,कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा संरक्षणवादी प्रवृतियों का जन्म होने लगा है । जहां एक ओर वित्तीय परिस्थितियां साधारणतया सौम्य रही हैं,वहीं दूसरी ओर इन सभी कारकों ने पूंजी के अंतर्प्रवाह में कमी, उच्च वित्तीय लागतें,विनिमय दरों का दबाव कमजोर बुनियादी बातों या उच्च राजनीतिक जोखिम वाले देशों में अधिक तीव्र होते हैं।

सत्तर के दशक के प्रारंभ में पहले निर्यात ऑर्डर के साथ कंपनी ने आज 6 महाद्वीपों के कुल 83 देशों में अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली है। भारत के बाहर बीएचईएल ने 11 गीगावॉट के पावर प्लांट उपकरणों का क्रियान्वयन किया है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिक्री उपरांत सहायता प्रदान करने पर बीएचईएल ने ध्यान केन्द्रित किया है और कंपनी अपने समुद्रपारीय(विदेशी) ग्राहकों को पुर्जों और सेवाओं के रूप में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्राप्त ऑर्डर

वर्ष के दौरान बीएचईएल निम्नलिखित विदेशी ऑर्डर प्रप्त किए हैं:

- नेपाल में अरुण-3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 4X225 मे.वा. के इलेक्ट्रो मैकेनिकल पैकेज का प्रतिष्ठित ऑर्डर ,जो कमीशनिंग हो जाने के बाद नेपाल में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट होगा।
- पी टी अम्मान मिनरल्स,इंडोनेशिया [गैर-बीएचईएल मशीनें] से 4X 28 मे.वा. कोल फायर्ड पावर प्लांट के एक्सपर्ट ओ एंड एम पर्यवेक्षण का अब तक का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर- नए बाजार क्षेत्र में प्रवेश ।
- मोटरों के लिए इंडोनेशिया,जापान और ओमान से ऑर्डर ।
- ओरपिक,ओमान को गैस टर्बाइनों के मेजर इंसपेक्शन (एम आई) के लिए ऑर्डर; मैसर्स जेबीए इंटरनेशनल,एफ जैड सी ,यूईए से Fr-6B GTG के लिए कंपलीट बैलैंस्ड रोटर; मैसर्स सोजिट्ज कैलानिटिस्सा (प्रा.) लि. श्रीलंका से 57 मे.वा. स्टीम टरबाइन के लिए कंप्लीट बैलेंस्ड रोटर,आदि ।
- विभिन्न देशों जिनमें ऑस्ट्रेलिया,बेलारुस ,भूटान ,इंडोनेशिया,इराक,जॉर्डन,कजाकिस्तान ,न्यू केलेडोनिया,ओमान,सेनेगल,श्रीलंका थाइलेंड तथा संयुक्त अरब अमिरात शामिल हैं, से पुर्जों एवं सेवाओं के लिए ऑर्डर ।

विदेशी परियोजना निष्पादन

- अफ्रीका में ताप विद्युत परियोजना चालू की गयी

  1X125 मे.वा. सेंडाऊ थर्मल पावर परियोजना,सेनेगल सफलतापूर्वक चालू की गयी । इससे अफ्रीकी बाजार में बीएचईएल को महत्वपूर्ण संदर्भ प्राप्त हुए हैं और महाद्वीप में भविष्य के अवसरों का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ।

1X125 मे.वा. सेंडाऊ थर्मल पावर परियोजना,सेनेगल

पूर्ण की गयी परियोजना

बीएचईएल ने अफगानिस्तान में 220/20 केवी चारीकर और दोशी सबस्टेशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया । ऊर्जा और जल मंत्रालय, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान ने कठिन परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण वातावरण के तहत परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बीएचईएल सराहना की है।

बांग्लादेश में 2X660 मे.वा. मैत्री परियोजना में चल रहा निष्पादन कार्य

- बीएचईएल का सबसे पहला विदेशी सुपर क्रिटिकल परियोजना निष्पादन

  मैत्री सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना ,बांलादेश की दोनों यूनिटों में 2X 660 मे.वा. बॉयलर स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया गया ।

बीएचईएल की वैश्विक उपस्थिति

83 देशों में और सभी 6 महाद्वीपों में

एशिया
अफगानिस्तान
अजरबेजान
बांग्लादेश
भूटान
चीन
हाँग काँग
इंडोनेशिया
ईरान
इराक
जापान
जॉर्डन
कजाकिस्तान
कुवैत
लाओस
मलेशिया
म्यांमार
नेपाल
ओमान
फिलिपींस
सऊदी अरब
सिंगापुर
दक्षिण कोरिया
श्रीलंका
सीरिया
ताइवान
तजाकिस्तान
थाईलेंड
यू.ए.ई.
वियतनाम
यमन
ओसिआनिया
आस्ट्रेलिया
न्यू केलेडोनिया
न्यूजीलेंड
समोआ

भूटान को ऊर्जा प्रदान करना

हमारे पड़ोसी राष्ट्र को ऊर्जा...

विदेशी पावर प्लांटों को प्रदान की गयी लगभग 11 गीगावाट क्षमता के अतिरिक्त बीएचईएल पड़ोसी देशों बांग्लादेश,नेपाल और भूटान में 5 गीगावाट से भी अधिक की परियोजनाएं स्थापित कर रहा है ।

भूटान में पावर जनरेशन के क्षेत्र में छुखा (336 मे.वा.)कुरिछू (60 मे.वा.)और ताला (1020 मे.वा.) पनबिजली परियोजनाओं से बीएचएल की महत्वपूर्ण उपस्थिति है ।

6x200 मे.वा. पुनात्संगचू I, 6x170 मे.वा.पुनात्संगचू II तथा 4x180 मे.वा.मंगदेछु परियोजनाओं की कमीशनिंग के बाद भूटान की कुल स्थापित पावर जनरेशन क्षमता में बीएचईएल का योगदान 93% हो जाएगा ।

बीएचईएल बांग्लादेश में 1320 मेगावाट की सुपरक्रिटिकल थर्मल परियोजना की भी स्थापना कर रहा है – यह अब तक का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर है, और नेपाल में 900 मेगावाट की अरुण- III पनबिजली परियोजना।

बीएचईएल द्वारा निष्पादित 336 मे.वा. एचईपी परियोजना

4X180 मे.वा.मंगदेछु एचईपी परियोजना का टरबाइन हॉल

पुरस्कारण एवं सम्मान

• निर्यात समूह के अंतर्गत निर्यात उत्कृष्टता के लिए ईईपीसी राष्ट्रीय पुरस्कार उत्पाद समूह परियोजना निर्यात - बड़े उद्यम'में वर्ष 2016-17 के लिए 'वर्ष का स्टार निष्पादनकर्ता पुरस्कार - निर्यात उत्कृष्टता के लिए 49 वें ईईपीसी इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में प्राप्त ।

• वर्ष 2015-16 के लिए शीर्ष निर्यातक की श्रेणी में इंजीनियरिंग निर्यात उत्कृष्टता के लिए ईईपीसी इंडिया उत्तरी क्षेत्र पुरस्कार "उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए बड़े उद्यमों की श्रेणी में " विशेष ट्रॉफी । • 100 मेगावाट बागबाड़ी जीटीपीपी के जनरेटर के लिए बीएचईएल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी), बांग्लादेश से प्रशंसा पत्र।

विकास के लिए तैयारी

वैश्वीकरण बीएचईएल की विकास रणनीति का एक प्रमुख तत्व है। हम बीएचईएल के वाणिज्यिक हित के साथ बाजार की नई आवश्यकताओं को संरेखित करने और संभावित बाजारों में कोयला, गैस और हाइड्रो में इसकी मुख्य क्षमता का लाभ उठाने का विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपना रहे हैं। इन अवसरों में हमारे पारंपरिक क्षेत्रों में कोयला, हाइड्रो और गैस आधारित बिजली संयंत्र शामिल हैं, इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा , उत्पाद और बिक्री के बाद समर्थन भी शामिल है। प्रभावी परियोजना प्रबंधन, तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी को अपनाने, आत्मसात करने और केंद्र सरकारी के उपक्रमों (सीपीएसई) के बीच सहयोग बढ़ाने की कुछ रणनीतियाँ हैं जो बीएचईएल की वैश्विक उपस्थिति को और मजबूत और विस्तारित करने के लिए आगे बढ़ रही हैं।

बीएचईएल द्वारा निर्मित बीआईएफपीसीएल मैत्री परियोजना ,बांग्लादेश को प्रेषण के लिए तैयार कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप (बांए) और बूस्टर पंप (दाहिने)

1.5 वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

1.5.1. बीएचईएल स्वचालन

1. प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
बिक्री रहित वापसी	22402	21888
बाह्य इरैक्शन एवं अन्य सेवा से आय	6947	5962
टर्न ओवर	29349	27850

वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में टर्न ओवर में 5.4% वृद्धि हुई ।

अन्य प्रचालन आय

(रु.करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
अन्य प्रचालन आय	1000	963

वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में टर्न ओवर में 3.8% की वृद्धि हुई।अन्य प्रचालन आय के विस्तृत विवरण के लिए वित्तीय विवरण के नोट सं.29 का संदर्भ ग्रहण करें ।

2. अन्य आय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
ब्याज के रूप में आय	599	591
म्युचुअल फंड्स की इकाइयों की बिक्री से लाभ	17	26
संयुक्त उद्यम में निवेश पर लाभांश – बीजीजीटीएस	16	15
म्युचुअल फंड में निवेश पर लाभांश	-	11
पीपीई,सरकारी अनुदान एवं अन्य मदों की बिक्री पर लाभांश	46	51
योग	678	694

वित्त वर्ष 2018-19 ब्याज के रूप में आय,इसमें आयकर रिफंड पर ब्याज शामिल नहीं हैरु.512 करोड़ रही जो वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 539 करोड़ थी। यद्यपि निवेश पर उपज पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी, वर्ष के दौरान नकदी और बैंक शेष में गिरावट के कारण वर्ष के दौरान किए गए निवेश की मात्रा में कमी, ब्याज आय में के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में मामूली गिरावट आई ।

3. व्यय

(अ) सामग्री खपत ,इरैक्शन तथा अभियांत्रिकी व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
उपकरणों और कच्चे माल की खपत	15030	12096
सिविल,इरैक्शन एवं अभियांत्रिकी व्यय	3866	3418
उप योग	18896	15514
समाप्त वस्तुओं तथा जारी कार्य की सूची में परिवर्तन	(1073)	736
कुल योग	17823	16250

टर्नओवर के प्रतिशत के रूप प्रत्यक्ष में सामग्री- लागत वित्त वर्ष 2017-18 में 58.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 60.7% हो गई। यह मुख्य रूप डीजेयू (डीड ऑफ ज्वाइंट अंडरटेकिंग) के अंतर्गत निर्धारित शर्तों , टर्नओवर, प्रोजेक्ट / उत्पाद मिश्रण की संरचना में परिवर्तन और आयातित सामग्री की उच्च मात्रा में खरीद और घटते मार्जिन के कारण हुआ है ।

(ब) कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
कर्मचारी लाभ व्यय	6261	6067
कर्मचारियों की	35471	37540

कार्यपालक संवर्ग के संबंध में वेतन संशोधन को वित्त वर्ष 2017-18 में अंतिम रूप दिया गया था और उसके के प्रभाव को पिछले साल के कर्मचारी लाभ खर्चों में शामिल किया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 में अन्य संवर्गों के वेतन संशोधन को अंतिम रूप देने के कारण पड़ा प्रभाव भी इन खर्चों में शामिल है। तथापि, मुख्य रूप से वर्ष के दौरान जनशक्ति में कमी के परिणामस्वरूप वास्तविक मूल्यांकन और बचत के अनुसार परिभाषित लाभ देनदारियों में कमी के कारण मुख्य रूप से कर्मचारी लाभ खर्चों में मामूली वृद्धि हुई थी।

(स) विनिर्माण,प्रशासन,बिक्री एवं वितरण व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
विनिर्माण,प्रशासन,बिक्री एवं वितरण व्यय	2761	2522
विनिमय दर में भिन्नता से हानि/ लाभ	(67)	(520)
कुल	2694	2002

वित्त वर्ष 2018-19 विनिर्माण,प्रशासन तथा बिक्री व्यय रु.2761 करोड़ था ,जो वित्त वर्ष 2017-18 में रु.2522 करोड़ था । इस व्यय में बढोतरी का मुख्य कारण अनुसंधान एवं विकास व्यय में बढोतरी रही है जो वर्ष 2017-18 में रु.48 करोड़ से बढकर वर्ष 2018-19 में रु.123 हो गया। इसका मुख्य कारण वित्त वर्ष 2017-18 में एयूएससी परियोजना समायोजन तथा उत्पाद शुल्क (निवल)(-) रु.113 करोड़ था । इन समायोजनों के कारण राजस्व की प्रतिशतता पर व्यय कम था । यह व्यय वित्त वर्ष 2018-19 में 8.9% था जबकि। वित्त वर्ष 2017-19 में यहाँ 9.3% था। वित्त वर्ष 2018-19 में विनिमय दर में भिन्नता–लाभ रु.67 करोड़ रहा जबकि बर्ष 2017-19 में यह रु.520 करोड़ था । इस गिरावट के निम्न कारण थे-

(अ) वित्त वर्ष 2017-18 यूरो के मुकाबले भारतीय रुपए में 3.5% के बढोतरी हुई जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में इसमें 15.8% की गिरावट थी। (ब) वित्त वर्ष 2017-18 यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 0.4% के बढोतरी हुई जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में इसमें 6.1% की गिरावट हुई ।

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय के बेहतर प्रबंधन और हेजिंग रणनीतियों के परिणामस्वरूप रु.42 करोड़ का लाभ हुआ ।

(द) प्रावधान (निवल)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
संदिग्ध ऋण,निर्णीत क्षति एवं अन्य	**1640**	2031
डूबे हुए ऋण,एलडी तथा छोड़े गए ऋण नुकसान	**93**	42
प्रत्याशित उधार- हानि हेतु प्रावधान (समय कारक)	**150**	251
संविदात्मक उत्तरदायित्व	**(51)**	70
जे वी में किए गए निवेश से क्षति	**4**	44
उप¬- योग	**1836**	2438
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	**(760)**	(156)
कुल योग	**1076**	2282

कंपनी के लेखा संबंधी दिशा-निर्देशों और नीतियों के अनुरूप प्रावधान किए गए हैं ।किए गए प्रावधानों में वर्ष के दौरान कमी के निम्न कारण थे-

(अ)कार्यपालक संवर्ग को छोड़कर अन्य संवर्गों के लिए पिछले वर्ष किए गए वेतन संशोधन प्रावधान(रु.760करोड़) का वापस लिया जाना; (ब) कुछ परियोजनाओं में संविदात्मक मुद्दों के निपटान के कारण प्रावधान हटा दिया जाना; (स) बकाया शेष तथा अन्य कारकों के प्रत्याशित उधार हानि (ईसीएल) के लिए प्रावधानों के सृजन में की गयी कमी ।

4. वित्त लागत

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
उधार लागत	**191**	220
ब्याज व्यय	**87**	35
वाणिज्यिक दस्तावेजों पर छूट	**9**	-
योग	**287**	255

उधार लेने की लागत लंबी अवधि के प्रावधानों पर ब्याज को दर्शाती है । ब्याज खर्च में वृद्धि मुख्य रूप से अल्पकालिक परिचालन नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में अल्पावधि उधार (पीसीएफसी ऋण, एफडी और वाणिज्यिक पत्र पर ऋण) के कारण हुई थी। हालांकि, कंपनी ने अपने वित्त कोषीय प्रचालनों का प्रबंधन प्रभावी रूप से किया है, जिससे ब्याज खर्च कम हो गया और आंतरायिक अधिशेष पर उच्च रिटर्न प्राप्त हो रहा है। पीसीएफसी ऋण ने भी कंपनी को स्वाभाविक हेजिंग लाभ भी प्रदान किया है।

5. मूल्य ह्रास एवं ऋण मुक्ति व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
मूल्य ह्रास एवं ऋण मुक्ति व्यय	**475**	786

एएस 16 के पैरा 51के अनुसार में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि की वार्षिक समीक्षा की आवश्यकता होती है। तदनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वस्तुओं के अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि की समीक्षा की गई थी और कुछ निश्चित वस्तुओं के लिए जहां अनुमानित उपयोगी जीवन-अवधि और अनुमानित आर्थिक उपयोगी जीवन अवधि , कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित जीवन अवधि की तुलना में कम थी ,उसे कंपनी अधिनियम के अनुरूप संरेखित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास रु.201 करोड़ कम हुआ है।

6. कर व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
चालू कर – चालू वर्ष	**719**	552
-पूर्व वर्षों में	**16**	27
विलंबित कर –चालू वर्ष	**7**	(63)
-पूर्व वर्षों में	**100**	262
योग	**842**	778

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर की राशि को दर्शाता है। मौजूदा कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार बनाया गया है, जो आस्थगित कर के समायोजन पर निर्भर है ।

वर्तमान कर कर पूर्व लाभ के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2018-19 में 35.7% है जो वित्त वर्ष 2017-18 में 36.5% था ।वर्ष 2018-19 में कर व्यय,जिसमें आस्थगित कर भी शामिल हैं 40.9% है जो आस्थगित कर परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के बाद वर्ष 2017-18 में 49.0% था।

7. लाभप्रदता

वित्त वर्ष 2018-19 में परिचालनात्मक ईबीआईडीटीए रु.2142 करोड़ था जो कि वित्त वर्ष 2017-18 में रु.1933 करोड़ था, 10.8% की वृद्धि हुई है

परिचालनात्मक ईबीआईडीटीए (रु. करोड़ में)

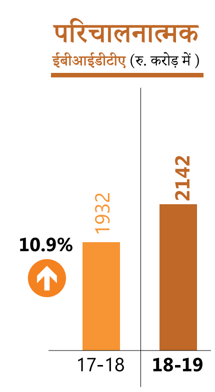

वित्त वर्ष 2018-19 में शुद्ध लाभ(पीएटी) रु.1215 करोड़ रहा ,जो वित्त वर्ष 2017-18 में रु.807 करोड़ था ।इस प्रकार शुद्ध लाभ (पीएटी) में 50.6% प्रतिशत की वृद्धि हुई। कड़े बजट नियंत्रण, खर्च प्रबंधन तथा विभिन्न अन्य रणनैतिक पहलकदमियों से यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। तद्नुसार औसत निवल पर आय वित्त वर्ष 2017-18 में 2.48% से बढ़कर वित्त व्र 2018-19 में 3.79% हो गयी

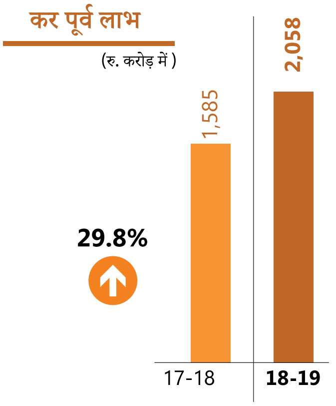

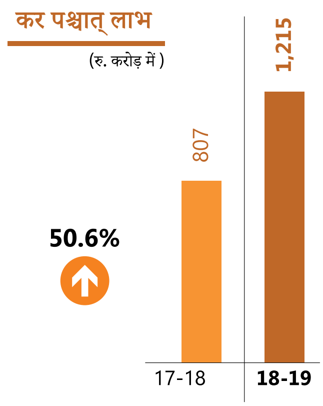

8. अन्य व्यापक आय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
परिभाषित कर्मचारी –लाभों (लाभ/हानि) का पुनर्मापन	**183**	(127)
उपरोक्त मद से संबंधित आयकर	**(64)**	44
योग	**119**	(83)

वर्ष 2018-19 में अन्य व्यापक आय,जो घोषित लाभ योजना जैसे ग्रैज्युटी ,पी एफ सेवानिवृत्ति मे बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)आदि का प्रतिनिधित्व करती है,रु.119 करोड़ ठीक और यह राशि वित्त वर्ष 2017-18 में रु.83 करोड़ थी।

9. निधि प्रवाह स्थिति और चलनिधि

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनों से जनित नकदी	**3839**	4221
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के बाद निवल नकदी अंत: प्रवाह/ (बाह्य प्रवाह)	**(3881)**	991
निवेश संबंधी गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंत: प्रवाह/ (बाह्य प्रवाह)	**1915**	964
वित्त पोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंत: प्रवाह/ (बाह्य प्रवाह)	**(7)**	(671)
वर्ष में कुल शुद्ध नकदी अंत: प्रवाह/ (बाह्य प्रवाह)	**(1973)**	1284

वित्त वर्ष 2018-19 में प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी बहिर्प्रवाह रु.3881 करोड़ था और वित्त वर्ष 2017-18 में नकदी अंतर्प्रवाह रु.991 करोड था,जिसे मुख्य कारण इस प्रकार थे: अ) शॉप उत्पादन को बढाने के लिए बहुत ऊंचा इंवेंट्री स्तर(रु.1944 करोड़ तक बढाया गया) और ब.). ग्राहक विवरण के घटकों तथा भुगतान की शर्तों में परिवर्तन ।इसके अलावा कंपनी ने वष 2018-19 के दौरान वेतन संशोधन की बकाया राशि का भुगतान किया है । यह कुछ हद तक परिचालन और अल्पकालिक उधारी से उत्पन्न नकदी से पूरा किया गया था। इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने इक्विटी शेयरों के बायबैक की के लिए रु.1628 करोड़ का भुगतान किया था।

वित्तीय स्थिति

10. संपत्ति ,प्लांट तथा उपस्कर (पीपीई) ,अमूर्त परिसंपत्तियां तथा डब्ल्यू आईपी पूंजी

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा					
	31 मार्च,2019			31 मार्च,2018		
	पीपीई	अमूर्त	योग	पीपीई	अमूर्त	योग
सकल वहन मूल्य	5746	250	5996	5404	222	5626
घटा: संग्रहीत मूल्य ह्रास/ ऋण मुक्ति	2862	167	3029	2427	131	2558
शुद्ध वहन मूल्य (शुद्ध ब्लॉक)	2884	83	2967	2977	91	3068
विकास के अधीन सीडब्ल्यूआईपी तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	223	12	235	195	8	203
योग			3202			3271

कंपनी ने आईएनडी ए एस 101 के अंतर्गत छूट का चयन किया हुआ है और तदनुसार 31मार्च 2015 तक के वहन मूल्य को आईएनडी ए एस परिवर्तन पर विचारणीय लागत माना गया था ।

11.इक्विटी निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा					
	31 मार्च,2019			31 मार्च, 2018		
	निवेश	क्षति	शुद्ध	निवेश	क्षति	शुद्ध
संयुक्त उद्यमों में निवेश	723	57	666	741	53	688
सहायक कंपनियों में निवेश	5	5	-	5	5	-
अन्य इक्विटी प्रपत्रों में निवेश	6	3	3	6	3	3
योग	734	65	669	752	61	691

संयुक्त उद्यमों(जेवी) और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश की गणना इस पर हुई क्षति पर विचार करते हुए आईएनडी ए एस के अनुसार की गयी । वर्ष के दौरान मैसर्स एनबीपीपीएल ,एक संयुक्त उद्यम के साथ किए गए निवेश पर रु.4.40करोड़ की क्षति हुई । वित्त वर्ष 2018-19 में मैसर्स दादा धुनिवाले खंडवा पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड में किए गए रु. 22.50 करोड़ के निवेश से रु. 17.30 करोड़ की राशि प्राप्त हुई और रु.5.20 करोड़ की क्षति (वित्त वर्ष 2018-19 में 0.30 करोड़ की निकासी) बनी रही ।

रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर अन्य इक्विटी प्रपत्रों में निवेश लाभ और हानि तथा वहन मूल्य में परिवर्तन के द्वारा रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य के आधार पर हिसाब रखा गया ।

12.व्यापार प्राप्य(शुद्ध)

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा					
	31 मार्च,2019			31 मार्च, 2018		
	गैर वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर वर्तमान	वर्तमान	योग
व्यापार प्राप्य	3935	12010	15945	3437	14064	17501

ए एस 115 की आवश्यकता के अनुसार, ग्राहकों को भुगतान की गई राशि और अनुबंध के कारण भुगतान हेतु देय को व्यापार प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया है। ये आंकड़े कंपनी की नीति / दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए गए प्रावधानों के शुद्ध आंकड़े हैं। वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नकदी संग्रह में वृद्धि के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक, व्यापार प्राप्तियों में 1555 करोड़ रुपये की कमी आई थी (व्यापार प्राप्य वित्त में परिचालन से राजस्व की पाप्ति के दिनों के रूप में प्राप्य)। वित्त वर्ष 2018-19 में 167 दिन है जो वित्त वर्ष 2017-18 में 194 दिन था) गैर-वर्तमान व्यापार प्राप्तियां व्यापार प्राप्तियों का गठन करती हैं, जहां संविदात्मक मुद्दों जैसे समय विस्तार के निपटान या ऋणों की प्राप्ति के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू होने के कारण वसूली में अधिक समय लग सकता है।

13. नकद एवं नकद समतुल्य और बैंक शेष

(रु. करोड़ में)

13. नकद एवं नकद समतुल्य और बैंक शेष	यथा	
	31मार्च,2019	31मार्च,2018
नकद एवं नकद समतुल्य	796	2769
3 महीनों से अधिक किंतु 12 महीनों से कम जमाओं की परिपक्वता	6700	8400
निर्धारित बैंक शेष तथा मार्जिन राशि पर एफ डी	7	7
योग	7503	11176

नकद तथा बैंक शेष मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि,बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षित राशि,परियोजना के निष्पादन के समय प्रभावी रूप से समायोजित की जाने वाली राशि को दर्शाता है ।

नकद तथा बैंक शेष के घटने के कारण इस प्रकार थे:अ.) शॉप उत्पादन को बढाने हेतु इंवेंट्री का उच्च स्तर ; ब.) व्यवसाय की प्रकृति के कारण संविदा परिसंपत्तियों के स्तर में बढोतरी ;स.) शेयरों की बायबैक में रु.1628 करोड़ का जाना और द.) वित्त वर्ष 2018-19 में वेतन संशोधन राशि का भुगतान ।

14. आस्थगित कर परिसंपत्तियां(शुद्ध)

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
आस्थगित कर परिसंपत्तियां(शुद्ध)	3515	3626

आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) व्यय की मदों पर कर प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं,जो अस्थायी अंतर की प्रकृति में हैं, को भविष्य अवधि के कर लाभ के रूप में समायोजित किया गया है ।

15. अन्य परिसंपत्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा					
	31मार्च,2019			31मार्च,2018		
	गैर वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर वर्तमान	वर्तमान	योग
संविदा परिसंपत्तियां (प्रावधान का शुद्ध)	14392	7904	22296	10264	7728	17992
इनपुट कर प्राप्य	-	1188	1188	-	1009	1009
वसूली योग्य दावा	-	735	735	-	708	708
कर प्राधिकारियों और अन्यों के पास जमा	160	496	656	145	512	657
अग्रिम तथा अन्य	170	258	428	110	435	545
घटा:	51	187	238	49	270	319
प्रावधान	14671	10394	25065	10470	10122	20592

संविदा परिसंपत्तियां (विलंबित ऋणी और गैर बिर राजस्व) उस राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो संविदा की शर्तों / ग्राहकों के साथ तय कार्यक्रम के अनुसार भुगतान के किए अभी देय नहीं है । संबंधित गतिविधियों की पूर्णता पर ये संविदात्मक रूप से यहाँ राशि देय मानी जाएगी ।

वित्त वर्ष 2017-18 के मुकाबले वित्त वर्ष 2018-19 में अनुबंध की संपत्ति में रु. 4304 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से ग्राहक प्रोफ़ाइल में बदलाव, राज्य उपयोगिताओं का हिस्सा पिछले साल की तुलना में अधिक होने , कुछ अनुबंधों में भुगतान की शर्तों को घटाया गया जिनमें भुगतान का अधिकांश भाग कार्य की पूर्णता से जोड़ दिया जाना आदि के कारण हुआ ।

इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य में वृद्धि मुख्य रूप से जीएसटी के कारण हुई, जो यथा समय समायोजित हो जाएगी।

16. वस्तु सूची

(रु.करोड़ में)

विवरण	यथा	
	31मार्च,2019	31मार्च,2018
कच्चा माल और उपस्कर्	**3930**	3075
डब्ल्यूआईपी	**3220**	2284
एफजी	**1092**	950
भंडर एवं कलपुर्जे	**238**	248
अन्य इंवट्री	**188**	168
उप-योग	**8668**	6725
घटा:	**555**	466
नॉन मूविंग इंवेंट्री के लिए प्रावधान	**8113**	6259
इंवेंट्री		

वित्त वर्ष 2018-19 में टर्न ओवर दिनों के अनुसार 101 दिन थी जो कि वर्ष 2017-18 में 82 दिन थी । इंवेंट्री के बढने का कारण प्रचालन के बढे स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करना और परियोजनाओं के निष्पादन समय में शीघ्रता संबंधी जरूरतों को पूरा करना था ।

17.वर्तमान कर परिसंपत्तिया/देयता(शुद्ध)

रु.करोड़ में

विवरण	यथा	
	31मार्च,2019	31मार्च,2018
वर्तमान कर परिसंपत्तिया/देयता **(किए गए प्रावधनों का शुद्ध)**	**(91)**	223

यह स्रोत पर की गयी कर कटौती और कर के लिए अग्रिम कर के वास्तविक प्रावधान को दर्शाता है ।

18. शेयर पूंजी

रु.करोड़ में

विवरण	यथा	
	31मार्च,2019	31मार्च,2018
प्राधिकृत शेयर पूंजी	**2000**	2000
जारी ,अभिदत्त एवं भुगतान की गयी शेयर	**696**	734

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने अपने 18.93 करोड़ इक्विटी शेयर रु.86 प्रति इक्विटी शेयर की दर से वापस खरीद लिए । परिणामस्वरूप भुगतान की गयी शेयर पूंजी जो वर्ष 2017-18 में रु. 734.28 करोड़ थी, घटकर वित्त वर्ष 2018-19 में रु.696.41 करोड़ रह गयी ।

19. अन्य ईक्यूटी

(रु.करोड़ में)

विवरण	यथा	
	31मार्च,2019	31मार्च,2018
अथ शेष	**31867**	31805
जमा : वर्ष में कुल व्यापक आय	**1096**	890
जमा:आईएनडी ए एस 115 परिवर्तन समायोजन	**126**	-
घटा: शेयरों की वापस खरीद	**1599**	-
घटा: वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	**653**	485
घटा: कार्पोरेट लाभांश कर	**134**	98
घटा : जारी किए गए बोनस का हिस्सा	**-**	245
अंत शेष	**30703**	31867

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में रु.1164 करोड़ के कमी सामान्य आरक्षित राशि में से शेयरों की वापस खरीद,पिछले वर्ष के अंतिम लाभांश के वर्ष के लिए कुल व्यापक आय से ऑफसेट और चालू वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश और उसके बाद लाभांश कर के कारण हुई । कंपनी ने 01 अप्रैल,2018 से आईएनडी एएस 115 को कार्यान्वित किया है, जो कि 01 अप्रैल2018 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पहले से बरकरार आय में समायोजित संक्रमणकालीन प्रभाव के साथ है। इससे ओपनिंग रिनटेंड की आय में रु.126 करोड़ की बढोतरी हुई ।

20. उधार

(रु.करोड़ में)

विवरण	यथा					
	31मार्च,2019			31 मार्च,2018		
	गैर वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर वर्तमान	वर्तमान	योग
उधार	**-**	**2457**	**2457**	-	-	-
	95	**63**	**158**	57	46	103
वित्तीय लीज दायित्व की परिपक्वता	**95**	**2520**	**2615**	57	46	103
योग						

पीसीएफसी ऋण, एफडी पर ऋण और वाणिज्यिक पत्र के रूप में अल्पावधि उधार लेने का लाभ न्यूनतम संभव ब्याज दर पर अल्पकालिक परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिया गया था। उधारों की चुकौती अनुसूची के लिए, नोट 24 से वित्तीय विवरणों का संदर्भ गृहण किया जा सकता है

21. वित्तीय देयताएं

(रु.करोड़ में)

विवरण	यथा					
	31मार्च,2019			31 मार्च,2018		
	गैर वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर वर्तमान	वर्तमान	योग
व्यापार देयताएं	**703**	**11375**	**12078**	479	10587	11066
अन्य वित्तीय देयताएं	**92**	**2005**	**2097**	115	2224	2339
योग	**795**	**13380**	**14175**	594	12811	13405

व्यापार देयताओं में वृद्धि कंपनी के प्रचालनों के अनुरूप थी .अन्य वित्तीत देयताओं में कर्मचारियों को देय,अन्य देय,ठेकेदारों से जमा राशि आदि शामिल है ।

22. प्रावधान

(रु.करोड़ में)

विवरण	यथा					
	31मार्च,2019			31 मार्च,2018		
	गैर वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर वर्तमान	वर्तमान	योग
संविदागत दायित्वों के लिए प्रावधान	**3844**	**1443**	**5287**	3478	1854	5332
कर्मचारी लाभार्थ प्रावधान	**1303**	**781**	**2084**	1260	1563	2823
अन्य प्रावधान	**305**	**242**	**547**	184	336	520
सीएसआर के लिए प्रावधान	**2**	**19**	**21**	1	30	31
योग	**5454**	**2485**	**7939**	4923	3783	8706

कुल प्रावधानों में रु.767 करोड़ की कमी मुख्य रूप से कामगार और पर्यवेक्षक संसंवर्ग के कर्मचारियों के लिए किए गए वेतन संशोधन प्रावधानों का वापस लिया जाना रहा ।

23. अन्य देयताएं

(रु.करोड़ में)

विवरण	यथा					
	31मार्च,2019			31 मार्च,2018		
	गैर वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर वर्तमान	वर्तमान	योग
ग्राहकों से अग्रिम [जिसमें मूल्यांकन समायोजन शामिल है]	**3578**	**3261**	**6839**	3610	3963	7573
वैधानिक देय	**-**	**1311**	**1311**	-	1296	1296
सरकारी	**38**	**6**	**44**	27	8	35
Total	**3616**	**4578**	**8194**	3637	5267	8904

ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान प्रगामी रूप से समायोजित हो जाता है । अग्रिमों में कमी का एक और कारण हाल ही में राज्य सरकारी तथा सीपीएसई द्वारा कम /शून्य अग्रिम की प्राप्ति भी है । वैधानिक देयों में मुख्य रूप से देय तिथियों को जीएसटी देयताएं दिया जाना शामिल है ।तदनुरूप प्राप्त इनपुट क्रेडिट भी उपरोक्त के क्रमांक 15 में अन्य परिसंपत्तियों के अधीन दर्शाया गया है ।

24. खंड निष्पादन

(रु.करोड़ में)

विवरण	2018-19		2017-18	
	पावर	इंडस्ट्री	पावर	इंडस्ट्री
खंड राजस्व	**23405**	**5944**	22881	4969
खंड परिणाम	**2812**	**437**	2792	180
खंड पूंजी नियोजन	**20362**	**4121**	16271	3724
खंड राजस्व के % के रूप में खंड परिणाम	**12%**	**7%**	12%	4%

वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में पावर खंड राजस्व में 2.3% की वृद्धि हुई और खंड लाभ खंड राजस्व % के रूप में 12% ही रहा । उद्योग खंड के राजस्व में वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 में 19.6% की बढोतरी हुई और खंड लाभ में सुधार हुआ ।खंड लाभ परिवहन तथा ट्रांसमिशन व्यवसाय की अधिक हिस्सेदारी से वित्त वर्ष 2017-18 में 4% से वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर 7% हो गया ।

1.5.2 सहायक कंपनी की वित्तीय समीक्षा

बीएचईएल-इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

एक सहायक कंपनी को 19 जनवरी, 2011 को "बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड" के रूप में निगमन किया गया था, जिसमें बीएचईएल ने 51% की बहुमत हिस्सेदारी के साथ 5.36 करोड़ का इक्विटी में निवेश किया था। जिसमें केरल सरकार ने 49% हिस्सेदारी बरकरार रखी।

निदेशक मंडल ने 29 मई, 2018 को "बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड" की बीएचईएल की 51% हिस्सेदारी को केरल सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है, जो अनुमोदन हेतु भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार के अधीन है। बीएचईएल-ईएमएल की संक्षिप्त वित्तीय सारणी नीचे दी गई है:

(रू करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
बीएचईएल का शेयर (%)	**51%**	51%
बीएचईएल का इक्विटी में निवेश	**5.36**	5.36
प्रचालन से आय	**18.65**	14.42
वर्ष के दौरान घाटा	**5.46**	6.02

1.5.3 संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय समीक्षा

ए. बीएचईएल -जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (BGGTS):
बीएचईएल -जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस) बीएचईएल और जीई, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो जीई द्वारा तैयार गैस टरबाइनों की मरम्मत और सर्विसिंग का काम करती है। संक्षिप्त वित्तीय सारणी नीचे दी गई है:

(रू करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
बीएचईएल का शेयर (%)	एक हिस्सा 50 प्रतिशत से कम	एक हिस्सा 50 प्रतिशत से कम
बीएचईएल का इक्विटी में निवेश	**2.38**	2.38
प्रचालन से आय	**675.07**	631.87
टेक्स के बाद लाभ	**60.73**	53.64
कुल मूल्य	**298.83**	277.08

2018-19 के लिए BGGTS ने 490% का अंतरिम लाभांश का भुगतान किया और लाभांश के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल 195% कुल 4.76 करोड़ प्रस्तावित है ।

बी. एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लि. (NBPPL):
एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लि. (NBPPL) एनटीपीसी और बीएचईएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है । इसका उद्देश्य पावर संयत्रों के ईपीसी अनुबंधों का कार्यान्वयन एवं पावर संयत्रों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है । सं युक्त उपक्रम के पास आंध्रप्रदेश के मन्नावरम में संयत्र की बेलेसिंग (बी ओ पी) उपकरण विनिर्माण की सुविधा है।

संक्षिप्त वित्तीय विवरण नीचे दिया गया है :

(रू करोड़ में)

विवरण	2018-19*	2017-18
बीएचईएल का शेयर (%)	**50%**	50%
बीएचईएल का इक्विटी में निवेश	**50.00**	50.00
प्रचालन से आय	**73.52**	139.90
वर्ष के दौरान घाटा	**53.02**	70.54

*लेखा परीक्षा से पूर्व अनंतिम आँकड़ों पर आधारित

शुद्ध वित्तीय स्थिति के अधार पर एनटीपीसी बीएचएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के मुल्य में ह्रास के लिए 50 करोड़ की सीमा तक (पिछले वर्ष का 45.60 करोड़ तक) का प्रावधान किया गया है। दिनांक 8 फरवरी 2018 को आयोजित में निदेशक मंडल की बैठक में एमबीपीपीएल के परिसमापन को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दया गया है।

सी. रायचूर पावर कॉरपोरेशन लि. (RPCL)

रायचूर पावर कॉरपोरेशन लि. (RPCL) बीएचईएल, कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लि. (KPCL) एवं आइएफसीआइ (IFCI) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसेका उद्देश्य 2X800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल ताप ऊर्जा संयत्र येरामरुस रायचूर में एवं 1X800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल ताप ऊर्जा संयत्र एडलापुर, सायचूर, कर्नाटक में निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन के आधार पर स्थापित करना है। 31 मार्च 2019 को कुल प्रदत्त पूंजी 2373.76 करोड़ रूपये थी जिसमें KPCL का 1277 करोड़ रू., बीएचईएल का 664.04 करोड़ रू. तथा IFCI का योगदान 432.72 करोड़ रू. है। कम्पनी के प्रमुख वित्तीय विवरण इस प्रकार हैं-

(रू करोड़ में)

विवरण	2018-19*	2017-18
बीएचईएल का शेयर (%)	**27.97%**	27.97%
बीएचईएल का इक्विटी में निवेश	**664.04**	664.04
प्रचालन से आय	**1030.96**	719.97
वर्ष के दौरान घाटा	**1254.24**	1562.76

*लेखा परीक्षा से पूर्व अनंतिम आँकड़ों पर आधारित

3 जून 2019 को कुल प्रदत्त पूंजी शेयर 2373.76 करोड़ रू. थी। इसमें केपीसीएल का योगदान (आईएफसीआई के इक्विटी योगदान का अधिग्रहण केपीसीएल द्वारा किए जाने पर) 1709.72 करोड़ रू. था, बीएचईएल का इक्विटी योगदान पूर्व की भाँति 664.04 करोड़ रू. था।

डी. दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड (डीडीकेपीएल)

दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड (डीडीकेपीएल) बीएचईएल और मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) का एक संयुक्त उद्यम है । इसका उद्देश्य खंडवा, मध्य प्रदेश में निर्माण, स्वामित्व एवं प्रचालन के आधार पर 2X800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल ताप ऊर्जा संयत्र सथापित करना है ।

कोयले की अनुपलब्धता एवं भूमि अधिग्रहण में समस्याओं के चलते दोनों सहयोगियों ने स्वेच्छिक आधार पर संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है । वित्त वर्ष 2018-19 में संयुक्त उद्यम में 22.50 करोड़ रूपये निवेश करने पर कुल 17.30 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है । सकल वित्तीय स्थिति के आधार पर निवेश पर हानि

का मूल्य 5.20 करोड रूपये का प्रावधान (पिछले वर्ष 5.50 करोड़ रुपये) किया गया है । संयुक्त उद्यम कंपनी परिसमापन पर है ।

ई. पावर प्लांट परफोरमेंस इप्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पीपीआईएल)

पुराने जीवश्म ईंधन पावर संयत्रों के निष्पादन में सुधार को प्रोत्साहन हेतु पावर प्लांट परफॉरमेंस इंप्रूवमेट प्राइवेट लिमिटेड (पीपीआईएल),बीएचईएल और सीमेन्स, एजी, जर्मनी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है ।

कंपनी को उचित कारोबार नहीं प्राप्त होने से सहयोगी पार्टनर कम्पनी को बंद करने पर सहमत हो गए हैं । सभी लंबित अनुबंधों को बंद कर दिया गया है और 2018-19 के दौरान कंपनी को बंद करने की शुरुआत की गई थी । संयुक्त उद्यम कंपनी अब परिसमापन पर है ।

1.5.4 समेकित वित्तीय विवरण (CFS)

समेकित वित्तीय विवरण , Ind AS-110 “समेकित वित्तीय विवरण” एवं Ind AS 28 “सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश ” के अनुसार तैयार किया गया है ।

सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण को संयुक्त रूप से पंक्ति दर पंक्ति द्वारा अंतर्समूह शेष व अंतर्समूह लेनदेन को पूर्ण रूप से खत्म करते हुए तैयार किया गया है तथा संयुक्त उद्यमों के लिए Ind AS के अनुसार इक्विटी विधि अपनाई गई है । M/S DDKPL और NBPPL को समेकित वित्तीय विवरण के लिए विचार नहीं किया गया है क्योंकि ये कंपनियाँ समापन की प्रक्रिया में हैं ।

वित्तीय निष्पादन के परिणाम का संक्षिप्त विवरण पूर्वलिखित

भारतीय लेखा मानक के अनुसार नीचे दिया गया है –

वित्तीय निष्पादन

(रु करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत में	
	31मार्च, 2019	31मार्च, 2018
प्रचालन से आय	**30368**	28827
कर पूर्व लाभ	**1850**	1215
कर पश्चात लाभ	**1009**	438
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	**(119)**	83
कुल व्यापक आय	**890**	522

समूह को वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रचालन से प्राप्त आय में वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में 5.4 % की वृद्धि हुई है । कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ में वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्रमश: 52.2% और 130.3% की वृद्धि हुई है । वित्तीय वर्ष 2018-19 में संयुक्त उद्यमों की हितभागिता में 185.60 करोड रुपए का घाटा हुआ है जो कि वित्तीय-वर्ष 2017-18 में 390.76 करोड़ रूपये था ।

संयुक्त उद्यम कंपनियों (एनबीपीपीएल और आरपीसीएल) को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान घाटा हुआ है । समूह ने 31 मार्च , 2019 को निवेश- लागत के बराबर संचित हानि की पहचान “ समेकित वित्तीय विवरण 2018-19 ” में की ।

वित्तीय स्थिति

(रु करोड़ में)

विवरण	साल के लिए	
	31मार्च, 2019	31मार्च, 2018
परिसंपतियाँ		
संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर, अमूर्त परिसंपतियाँ एवं CWIP (कुल मूल्य)	**3206**	3276
इक्विटी विधि से गणना किया गया निवेश	**149**	409
गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपतियाँ	**4021**	3543
विलंबित कर परिलब्धियाँ (कुल)	**3523**	3632
गैर-वर्तमान अन्य परिलब्धियाँ	**14671**	10471
वर्तमान परिसंपतियाँ	**38349**	42143
कुल	**63919**	63474
इक्विटी एवं देनदारी		
इक्विटी शेयर पूँजी	**696**	734
अन्य इक्विटी	**30176**	31601
गैर- नियंत्रित ब्याज	**(7)**	(4)
गैर-वर्तमान देनदारी	**9973**	9275
वर्तमान देनदारी	**23081**	21868
कुल	**63919**	63474

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इक्विटी में 1425 करोड़ रु. की कमी शेयरो को वापस खरीदने से हुई जिसमें कि 1599 करोड़ रु की कमी आई। इसे पिछले वर्ष के अंतिम लाभांश और वर्तमान वर्ष के अंतरिम लाभांश के समायोजन के पश्चात वर्ष की कुल समेकित आय से बराबर किया गया ।

1.6 पूँजी निवेश

विविधीकरण हेतु मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से बीएचईएल ने वर्ष 2018-19 के दौरान 272 करोड़ रु का निवेश किया । इसके अंतर्गत नए विकास क्षेत्रों की क्षमता के साथ मौजूदा परिसंपतियों के नवीनीकरण और आधारभूत संरचना को सक्षम करने संबंधी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना है ।

वर्ष के दौरान विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजी निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया । इसमें नए विकास क्षेत्रों जैसे Li-Ion आधारित स्पेस ग्रेड सेल, बडे आकार के गेट्स एवं डेम्पर्स एवं देश के ट्रांसमिशन क्षेत्र में बढती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाओं को प्रदान करना है ।

1.7 गुणता निष्पादन

बीएचईएल ने अपनी गुणता नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गुणता प्रबंधन प्रणाली विकसित की है ।

उत्पाद और प्रक्रिया की गुणता में सतत सुधार एवं गुणता प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए वर्ष के दौरान कई पहल की गई ।

(i) बाईस प्रभागों में गुणता प्रबंधन प्रभावशीलता समीक्षा-बीएचईएल का एक स्वदेशी कॉपीराइट गुणता मॉडल- आंतरिक क्रॉस फंक्शन टीम द्वारा की गई । विनिर्माण इकाइयों, इंजीनियरिंग केंद्रों में लगभग 100 उत्पाद प्रक्रिया गुणता लेखा परीक्षा की गई इसके साथ अलग-अलग प्रोजेक्ट साइटों पर 29 गुणता लेखा परीक्षा की गई।

(ii) कॉरपोरेट गुणता एवं व्यापारिक उत्कृष्टता द्वारा 820 कार्यपालकों को गुणता प्रबंधन संबंधी विषयों पर ट्रेनिंग दी गई इसमें लगभग 2000 कार्यदिवस लगे।

3500 से अधिक शिक्षित और समर्पित कर्मचारियो द्वारा बीएचईएल उत्पाद और सेवाओं की गुणता सुनिश्चित करता है।

(iii) बीएचईएल में कामगारों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा चलाए गए गुणता चक्र आंदोलन देश में एक रोल मॉडल की तरह है । हर वर्ष बीएचईएल में अंतर इकाई गुणता चक्र सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें विभिन्न गुणता चक्र अपनी केस स्टडी प्रस्तुत करते हैं । दिनांक 26 अप्रैल, 2018 को बीएचईल, हरिद्वार में 29वाँ वार्षिक गुणता चक्र सम्मेलन आयोजित किया गया । इसमें 15 इकाइयों के 48 गुणता चक्रों ने भाग लिया । एचपीवीपी त्रिची के गुणता चक्र सं 582 को 2018-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ गुणता चक्र भी एस आर उडपा ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया ।

(iv) विनिर्माण इकाइयों और इरेक्शन साइट्स पर गुणता संबंधी मुद्दों पर मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) पर अधिक जोर दिया जाता है । अंतर इकाई स्थायी आरसीए समिति तथा अंतर इकाई विशेष आरसीए समितियाँ मुद्दों का विश्लेषण करती है और उनके सुधार की संस्तुति करती है । आरसीए के निष्कर्षों को ग्राहकों एवं उच्च प्रबंधन के साथ साझा किया जाता है । आरसीए पहल को संगठन में स्थापित किया गया है ।

गुणता प्रमाणन एवं व्यापारिक उत्कृष्टता पुरस्कार-

- मैसर्स अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टीट्यूट (एपीआई) ने एचपीवीपी हैदराबाद को मोनोग्राम लाइसेंसिंग परमिशन पुरस्कार से सम्मानित किया है इसकी वैधता 18, जून 20121 तक है ।
- एचपीबीपी तिरुचि एवं एचपीवीपी वाइजेग को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेकेनिकल इंजीनियरिंग (एएसएमई) द्वारा “एस”, “यु”, “युजेड ” और नेशनल बोर्ड “आर” प्रमाणपत्रों से पुनप्रमाणित किया गया है नए प्रमाण पत्रों की वैधता एचपीबीपी त्रिची के लिए 17 जून, 2021 तथा एचपीवीपी विभाग के लिए 31 जुलाई 2021 तक है।
- 12 फरवरी 2019 को भोपाल इकाई को अपने प्रोजेक्ट “गुणता एवं उत्पादकता उन्नति एवं वर्टिकल एसी मोटर में प्रयुक्त होने वाली थ्रस्ट एवं बियरिंग की भार वहन क्षमता उन्नयन“ के लिए प्रतिष्ठित डीएल शाह सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया ।
- क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया (क्युसीएफआई), हैदराबाद चैप्टर के सितंबर 2018 में आयोजित 32 वें चैप्टर कनवेंशन ऑन क्वलिटी कंसेप्टस(सीसीक्यूसी-218) हैदराबाद इकाई को “भारत में गुणता चक्र आंदोलन के अन्वेषण एवं इसके विकास में योगदान देने के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान“ से सम्मानित किया गया।
- क्युसीएफआई द्वारा ग्वालियर में 21 से 24 दिसबंर, 2018 को 32 वाँ नेशनल कन्वेंशन क्विलटी सर्कल सम्मेलन (एनसीक्यूसी-2018) का आयोजन किया गया। इसमें बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों के 57 गुणता चक्रों ने भाग लिया। जिनमें से 53 गुणता चक्रों को सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट श्रेणी से सम्मानित किया गया ।

1.8 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली-

बीएचईएल को आंतरिक वितीय नियंत्रण (आईएफसी) इसके व्यापार को सुचारु रुप से चलाने के लिये अच्छी तरह से दस्तावेजित नीतियों और विधियों के रुप में तैयार किया गया है । इसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखाधडी एवं त्रुटियों का पता लगाना व रोकना, लेखा प्रलेखों की शुद्धता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को तैयार करना है ।

आईएफसी का रखरखाव और कार्यान्वयन के स्रोत नियम पुस्तिकाएं, दिशा निदेश, शक्तियों का प्रत्यायोजन, सूचना तकनीक प्रणाली और नियंत्रण हैं, तथा यह कंपनी के अंदर विभिन्न विभागों मे प्रक्रियाओं के अलग-अलग स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों का एक सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचा है ।

बीएचईएल का अपने प्रचालन के आकार एंव व्यापार की प्रकृति के अनुकूल अपना आतंरिक लेखा परिक्षा विभाग है । कॉरपोरेट आंतरिक लेखा परीक्षा के अलावा बीएचईल के समस्त इकाईयों की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए 12 आतंरिक लेखा परीक्षा कक्ष निर्मित किए गए हैं । आईएफसी की पर्याप्ता एवं प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा जोखिम केंद्रित क्षेत्रों का सतत ऑडिट करता है तथा संबद्ध क्षेत्रों में प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के कार्य की महत्वपूर्ण समीक्षा करता है ।

ऑडिट का कार्य बोर्ड स्तरीय ऑडिट कमेटी (बीएलएसी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक ऑडिट कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है । आंतरिक लेखा परीक्षा की गतिविधियों के मुख्य बिन्दुओं को विभिन्न फोरमों के माध्यम से वरिष्ठ कार्यपालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है एवं इसे सभी इकाइयों एवं क्षेत्रों से साझा किया जाता है । बीएलएसी प्रमुख आंतरिक लेखा परीक्षा की टिप्पणीयों एवं सी एंड एजी लेखा परीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा करता है । एवं जहाँ आवश्यक हो आईएफसी को मजबूती प्रदान करने के लिए कंपनी जिस गतिशील वातावरण में काम कर रही है उसके लिए निर्देश जारी करता है ।

बीएचईएल की शासन तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रणाली मे सुधार के लिए उठाए गए कदम तथा सतत निगरानी हेतु एक प्रक्रिया है । कंपनी अपने समस्त प्रक्रियाओं और नियंत्रण को सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरुप करने हेतु निरंतर प्रयासरत है ।

बीएचईएल में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का मूल्यांकन वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा इसकी समस्त इकाइयों में दिया गया है। इसके लिए नियंत्रण का परीक्षण और परीक्षण नियंत्रण कंपनी के अंदर प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।

1.9 मानव संसाधन

1.9.1 लर्निंग एवं विकास

संस्थान की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप, ज्ञान हस्तांतरण, कौशल विकास और व्यावहारिक मध्यस्थता को भेल कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक बनाया गया। वर्ष के दौरान, संस्थान में औसत प्रति व्यक्ति 3.58 श्रमदिन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

आईआईएम-कलकत्ता के सहयोग से सात उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम उच्च प्रबंधन स्तर के 217 अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए। तकनीकी कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया जो मौजूदा व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ-साथ उभरते क्षेत्रों के लिए आयोजित किए गए। संगठन में ई-लर्निंग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बीएचईएल, अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ई-लर्निंग मॉड्यूल विकसित कर रहा है और इसके पास पूर्ण-एकीकृत इन हाउस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नयन है जो कि क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से सामग्री निर्माण के मॉडल के अनुरूप विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को पूरा करता है।

कौशल विकास के अंतर्गत बीएचईएल की विभिन्न ईकाइयों में विभिन्न ट्रेडों के 6000 से अधिक आईटीआई शिक्षुता प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया

भेल को भारत सरकार के कौशल विकास की पहल में भी सक्रिय रूप से शामिल किया गया और लगभग 20,000 गैर-भेल कर्मचारियों को प्रशिक्षुता और औद्योगिक यात्राओं के एनएपीएस और एनएटीएस जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षण दिया गया।

1.9.2 निष्पादन और कैरियर विकास

क्यूएआई इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संगठन में लोक क्षमता परिपक्वता मॉडल (पीसीएमएम) मूल्यांकन किया गया । जो प्रमाणित करता है कि बीएचईएल द्वारा पीए-सीएमएम स्तर 2 प्रक्रिया क्षेत्रों को मुख्य तौर पर कुछ सुधार के साथ व्यापक स्तर पर लागू किया गया है ।

युवा अधिकारियों की कैरियर विकास आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और प्रमुख पदों के लिए उत्तराधिकार योजना के लिए उच्च संभावित अधिकारियों की एक व्यवस्थित सूची का निर्माण करने के लिए, उच्च संभावित (हाईपो) कर्मचारी योजना उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए है। हाईपो योजना के तहत, 1210 मध्य-स्तर के अधिकारियों की पहचान की गई है। योजना में परिकल्पित ऐसे अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सभी इकाइयों में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ प्रक्रिया जारी है।

उच्च स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करने और संगठन के विकास में योगदान करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के उद्देश्य से और कर्मचारियों के लगनशीलता स्तर को बढ़ाने के लिए भेल की

बीएचईएल कर्मचारी - संगठनात्मक प्रगति की ओर योगदान करते एवं नवाचार के प्रति उत्साहित

पहलों एसएचएल साइकोमेट्रिक टूल के माध्यम से लगभग 1000 अधिकारियों की व्यवहारिक दक्षता का आकलन किया गया है। इस अभ्यास से प्राप्त विवरण से व्यक्तिगत विकास योजना तैयार करने में मदद मिली है और इसका उपयोग उच्च क्षमता वाले कर्मचारियों और संभावित उत्तराधिकारियों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है।

हमारी बेहतर रूप में स्थापित निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को लगातार विकसित करने के लिए, भेल में कर्मचारी विकास और उच्च निष्पादन संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए एक निष्पादन सुधार योजना शुरू की गई है। निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, मूल्यांकन की जाने वाली दक्षताओं की संख्या को युक्तिसंगत बनाया गया है।

मुख्य कार्यक्रम जैसे यंग मैनेजर्स प्रोग्राम, जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोग्राम, एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम, विभिन्न तकनीकी और फंक्शन विशिष्ट प्रोग्राम ऑन क्वालिटी, मैटेरियल मैनेजमेंट, आदि और बिहेवियरल प्रोग्राम, प्रतिभा प्रबंधन प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हैं।

कंपनी अधिनियम की धारा 134 (3) (पी) के तहत प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (पी) के अनुसार, एक सूचीबद्ध कंपनी की बोर्ड की रिपोर्ट में बोर्ड, व्यक्तिगत निदेशकों आदि के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन की विधि को दर्शाने वाला विवरण शामिल होगा। दिनांक 5 जून, 2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट को अधिसूचित किया गया, जो अन्य बातों के साथ धारा 134 (3) (पी), औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन विवरणिका के संबंध में सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी यदि निदेशक मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जो प्रशासनिक रूप से प्रभारी है।

इसके अलावा, उपर्युक्त छूट के अनुरूप, नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगी ।

सीपीएसई में, कंपनी और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित एमओयू उन मापदंडों और

पहलों का विवरण देता है जो कंपनी को उस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू करने के लिए आवश्यक हैं। इस एमओयू का वर्ष के अंत में सरकार द्वारा मूल्यांकन किया जाता है एवं निर्धारित मानदंडों के आधार पर बीएचईएल को निष्पादन रेटिंग दी जाती है । इसके अलावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है । सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने एक प्रारूप तैयार किया है और कार्यात्मक निदेशक के निष्पादन मूल्यांकन हेतु एक प्रक्रिया निर्धारित की है। कार्यात्मक निदेशकों के कार्यकाल की अवधि पाँच वर्ष या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख, जो भी पहले हो; को नियुक्ति के शर्तानुसार नियम एवं शर्तों में उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में, उनकी नियुक्ति और कार्यकाल (आमतौर पर तीन साल की अवधि) भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। बोर्ड स्तर की समितियों के विचारार्थ विषय को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है । बोर्ड स्तर की समितियों के कार्यवृत्त को बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ रखा जाता है।

इसके अलावा, हमारे प्रशासनिक मंत्रालय (DHI) के माध्यम से मई, 2018 से DPE ने कंपनी के बोर्ड में गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन / मूल्यांकन का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है।

1.9.3 औद्योगिक संबंध

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के विभन्न विनिर्माण इकाइयों, प्रभागों और कार्यालयों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण रहा । 28 फरवरी, 2019 को वेज रिवीजन सेटलमेंट के विरोध में त्रिची यूनिट में 3 प्रतिभागी यूनियनों द्वारा दिए गए स्ट्राइक कॉल के कारण वर्ष के दौरान 0.022% श्रम दिवस की मामूली क्षति हुई ।

वर्ष के दौरान शीर्ष स्तरीय द्विदलीय मंच, अर्थात् "संयुक्त समिति" की पांच बैठकें आयोजित की गई ।प्लांट काउंसिल की 60 बैठकें और शॉप काउंसिल की 552 बैठकें हुई।इसके अलावा, व्यावसायिक संभावनाओं और चुनौतियों, कंपनी स्तर के मुद्दों आदि पर अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी हुई।ग्राहक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकता, लागत में कमी, गुणवत्ता और सुपुर्दगी में सुधार के द्वारा कंपनी के समग्र प्रदर्शन में सुधार पर केंद्रित विभिन्न चर्चाओं में ध्यान आकृष्ट किया गया है।

कार्यपालक और पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन को वर्ष के दौरान 01.01.2017 से लागू किया गया । श्रमिकों के 01.01.207 से प्रभावी वेतन संशोधन के संबंध में कई दौर की बातचीत के बाद शीर्ष द्विपदी मंच भेल संयुक्त समिति द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 10.01.2019 को सहमति बनी।तदुपरांत कर्मचारियों का वेतन संशोधन 01.01.2017 से लागू किया गया था ।SC / ST / OBC संपर्क अधिकारिकयों और SC / ST / OBC एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के लिए 'आरक्षण नीति' पर वार्षिक कार्यशाला 20.11.2018 से 31.11.2018 तक तिरूचि में आयोजित की गई थी।

निर्माण / संचालन के दौरान अनपेक्षित / अप्रत्याशित घटनाओं के कारण व्यक्ति की मृत्यु / स्थायी अक्षमता के मामलों में मुआवजे पर नीति और बीएचईएल कारखानों / कार्यालयों में आकस्मिक उपचार और कार्य, परियोजना निष्पादन, निर्माण और संचालन, सेवाओं, मरम्मत और रखरखाव, समस्या निवारण के दौरान, भेल इकाइयों / कार्यालयों / टाउनशिप और परिसर / परियोजना स्थलों में काम करने के दौरान या किसी भी कार्य के दौरान कंपनी द्वारा सुनिश्चित किया गया, सेवारत, ओवरहाल, नवीनीकरण और रेट्रोफिटिंग, ट्रायल ऑपरेशन, प्रदर्शन गारंटी परीक्षण।

स्वास्थ्य व सुरक्षा हमारी लिए महत्वपूर्ण है चाहे वे उत्पादन ईकाइयां हो, कार्यालय या प्रोजेक्ट साइट

1.9.4 श्रमशक्ति

भेल की सबसे बड़ी ताकत इसके 35471 कर्मचारियों की अत्यधिक कुशल और प्रतिबद्ध श्रमशक्ति है ।

1.9.5 राष्ट्रपति निदेशों की स्थिति

1.9.5.1 आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति हेतु आरक्षण नीति पर निर्देश

केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण नीति पर राष्ट्रपति के निर्देश प्रत्यक्ष भर्ती में कुछ प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, निर्देशों में प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति में कर्मचारियों की निर्दिष्ट श्रेणी के लिए कुछ रियायतें और छूट का भी प्रावधान है ।

विषय पर राष्ट्रपति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है और सरकार द्वारा निर्धारित पोस्ट आधारित रोस्टर प्रणाली के रखरखाव के माध्यम से आरक्षण प्रतिशत सुनिश्चित किया जाता है। हालांकि, कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इन दिशानिर्देशों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है।

विषय पर अन्य संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

I. एससी / एसटी / ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

31/12/2018 को कुल जनशक्ति में एससी / एसटी / ओबीसी कर्मचारियों का कुल प्रतिनिधित्व क्रमशः 20.47%, 7.05% तथा 33.15% था। वर्ष 2017 के दौरान सीधी भर्ती में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए प्रतिशत क्रमशः 10.99%, 5.50% एवं 20.88% था।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व 31/12/2018 और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाले निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरण, सरकार को प्रस्तुत किया गया है इसका विवरण अनुलग्नक–ए में दिया गया है ।

II. दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को दिव्यांग जनशक्ति

31/12/2018 के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 894 है। वर्ष 2018 में दिव्यांग श्रेणी के तहत 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी।31/12/2018 को कंपनी में दिव्यांग कर्मचारियों की समूहवार जनशक्ति का विवरण अनुलग्नक-बी में दिया गया है।

1.9.5.2. कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा

कार्यस्थल पर महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम एवं लैंगिक उत्पीड़न शिकायतों एवं इससे संबंधित मामलों की "महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 " 9 दिसम्बर 2013 से प्रभाव में आया । यह अधिनियम भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के अंर्तगत "महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013" कहा जाता है ।

इस अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है । इस अधिनियम के अनुसरण में बीएचईएल द्वारा सभी इकाइयों में आंतरिक समितियों का गठन किया गया है एवं उनके गठन एवं संपर्क सूत्र इकाई की वेबसाइट में दिया गया है ।अधिनियम के मुख्य प्रावधान, नियोक्ता के कर्तव्य, शिकायत निवारण कार्यप्रणाली,विद्वेषपूर्ण शिकायतों पर कार्रवाई एवं यौन उत्पीडन संबंधी त्रुटियों को हिन्दी अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में पोस्टरों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इकाइयों में आईसीसी सदस्यों के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा 5 कार्यशालाएं आयोजित की गई।लैंगिक संवेदीकरण/समानता , आत्मरक्षा एवं अधिनियम के प्रति जागरूकता हेतु 32 कार्याशालाएँ / जागरूकता कार्यक्रम इकाई स्तर पर आयोजित की गई । इसके अलावा, बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित उपयुक्त कार्यक्रमों के लिए महिला कर्मचारियों को भी नामित किया जाता है।

2018-19 के दौरान प्राप्त यौन- उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का निवारण एवं 31 मार्च 2019 को स्थिति का विवरण अनुलग्नक-सी में दिया गया है ।

बीएचईएल कॉर्पोरेट नई दिल्ली में महिला दिवस 2019 मनाया गया

अनुलग्नक -ए

ग्रुप	अ.जा. / अ.ज.जाति/ अ.पि.वर्ग का प्रतिनिधित्व (31 दिसंबर,2018 को)				केलेंडर वर्ष 2018 के दौरान की गई नियुक्तियों की सं.										
					सीधी भर्ती के द्वारा				पदोन्नति के द्वारा*			प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा			
	कुल कर्मचारियों की सं.	अ.जाति	अ. ज. जाति	अ. पि. वर्ग	कुल	अ. जाति	अ. ज. जाति	अ. पि. वर्ग	कुल	अ. जाति	अ. ज. जाति	कुल	अ. जाति	अ. ज. जाति	अ.पि. वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ग्रुप ए	11276	1965	869	2650	54	7	4	11	NIL						
ग्रुप बी	8089	1606	642	1915	35	2	1	7							
ग्रुप सी	16174	3671	1018	7200											
ग्रुप डी	382	77	5	156	2	1	0	1							
(एसडब्ल्यू को छोड़कर)	47	42	1	1	0	0	0	0							
ग्रुप डी (एसडब्ल्यू)	**35968**	**7361**	**2535**	**11922**	**91**	**10**	**5**	**19**	**0**	**0**	**0**				
कुल															

* बीएचईएल में प्रवेश स्तर पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है

अनुलग्नक - बी

कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान नियुक्त विकलांग व्यक्तियों का विवरण

समूह	कर्मचारियों की सं.				सीधी भर्ती*							पदोन्नति**						
	कुल कर्मचारियों की सं.	दृ. बा.	श्र. बा.	ओ. एच.	आरक्षित रिक्तियों की सं.			कुल	कुल नियुक्तियाँ की गई			आरक्षित रिक्तियों की सं.			कुल	कुल नियुक्तियाँ की गई		
					दृ. बा.	श्र. बा.	ओ. एच.		दृ. बा.	श्र. बा.	ओ. एच.	दृ. बा.	ओ. एच	श्र. बा.		दृ. बा.	श्र. बा	ओ एच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	**16**	**17**	**18**	**19**
ग्रुप ए	11276	6	18	227	0	1	1	54	0	1	1							
ग्रुप बी	8089	3	14	203	0	0	0	35	0	0	0							
ग्रुप सी	16174	17	31	363	0	0	0	1	0	0	0							
ग्रुप डी	429	1	6	5	0	0	0	1	0	0	0							
कुल	35968	27	69	798	0	1	1	91	0	1	1							

टिप्पणी : (i) दृ. बा. का तात्पर्य दृष्टि बाधित (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति) से है।

ii) श्र.बा. का अर्थ है श्रवण बाधित (श्रवण दोष से पीड़ित व्यक्ति)

iii) ओएच का अर्थ है ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड (लोकोमोटर अपंगता या मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

**कैडर चेंज प्रमोशन के अलावा ग्रुप सी से ग्रुप बी, ग्रुप बी से ए और ग्रुप ए के अंतर्गत बीएचईएल में पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है। ग्रुप सी एंड डी के भीतर भेल में सिवाय कैडर चेंज प्रमोशन के, सीनियारिटी- कम-मेरिट प्रमोशन पॉलिसी का पालन किया जाता है,जिसमें सभी कर्मचारी को वर्तमान ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड के लिए निर्धारित पात्रता अवधि पूरा करने के पर पदोन्नत किया जाता है बशर्ते कर्मचारी का आचरण एवं प्रदर्शन संतोषजनक स्तर का हो ।

अनुलग्नक -सी

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट

1	वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	5
2	वर्ष 2018-19 के दौरान शिकायतों की संख्या का निपटान किया गया	4
3	नब्बे से अधिक दिनों से लंबित मामलों की संख्या	2**
4	यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यशाला या जागरूकता कार्यक्रम की संख्या	37
5	आईसीसी की सिफारिशों पर नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई ।	
-	भेल कर्मचारी के खिलाफ तीन महिला अप्रेंटिस द्वारा शिफ्ट बदलने के दौरान अभद्रता तथा अनैतिक कार्य के लिए शिकायत की गई थी। हालांकि, शिकायतकर्ता प्रतिवादी की पहचान नहीं कर सके और मामला बंद कर दिया गया।	बंद मामला
-	फरवरी 2019 में एक महिला कर्मचारी द्वारा एक पुरुष कर्मचारी के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने, कार्यस्थल और कैंटीन में उसे घूरने की शिकायत की गई थी। प्रतिवादी को मार्च 2019 में चार्जशीट जारी की गई है।	लम्बित मामला
-	एक इकाई के एक महिला कर्मचारी द्वारा किसी अन्य इकाई के पुरुष कर्मचारी द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए शिकायत की गई, जिसमें उसके साथ अवांछित शारीरिक संपर्क शामिल था। गवाहों, दस्तावेजी और परिस्थिति साक्ष्य के बयान के आधार पर, प्रतिवादी को दोषी पाया गया और एक वर्ष की अवधि के लिए वेतनमान के निचले स्तर पर कटौती का जुर्माना लगाया गया। हालांकि, 90 दिनों के भीतर मामले को बंद नहीं किया जा सका।	बंद मामला
-	एक महिला कर्मचारी से एक पुरुष कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार करने जिसमें उसके साथ दुर्व्यवहार तथा शारीरिक संपर्क के लिए शिकायत की गई । प्रतिवादी को चार्जशीट जारी की गई और पूछताछ पर, तीन आरोपों में से एक को साबित किया गया और दो को आंशिक रूप से साबित किया गया। संचयी प्रभाव के बिना 2 साल से अधिक की अवधि के लिए वेतनमान के निचले स्तर पर कमी का जुर्माना और प्रतिवादी के टर्मिनल लाभों को प्रभावित न करते हुए उसे यूनिट से स्थानांतरित कर दिया गया।	बंद मामला
-	मई 2018 में एक पुरुष कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार के लिए एक बेनामी शिकायत प्राप्त हुई थी। विवरण से, यह ज्ञात हुआ कि शिकायत 2017-18 बैच की महिला प्रशिक्षु द्वारा की गई थी। चूंकि सभी प्रशिक्षुओं को शिकायत की प्राप्ति की तारीख से कार्यमुक्त कर दिया गया था, इसलिए प्रतिवादी के अधीन काम करने वाले सभी प्रशिक्षुओं से फोन पर संपर्क किया गया । प्रतिवादी से पूछताछ की गई और उसके साथ काम करने वाली नियमित और संविदा महिला कर्मचारियों से भी आईसीसी द्वारा पूछताछ की गई। शिकायत की सत्यता का पता नहीं चल सका इसलिए मामला बंद कर दिया गया। हालांकि, 90 दिनों के भीतर मामले को बंद नहीं किया जा सका।	बंद मामला

** 1. एक सप्ताह के लिए शिकायतकर्ता के कार्य और शिकायत के कारण आईसीसी सदस्यों की अनुपलब्धता;

2. शिकायत की अनाम प्रकृति के कारण, जांच में अधिक समय लगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुरूप, भेल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। कॉर्पोरेट कार्यालय में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO), 20 प्रमुख CPIO के साथ कंपनी में प्रत्येक प्रमुख प्रशासनिक इकाई में काम कर रहे हैं। 21 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भी अधिनियम के तहत दायर पहली अपीलों को निपटाने के लिए कंपनी में कार्य कर रहे हैं।

नागरिकों को अपने आरटीआई आवेदन और ऑनलाइन अपील दायर करने में सुविधा देने के उपाय के रूप में, भेल ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन आरटीआई वेब पोर्टल (https: // rtionline.gov.in) को अपनाया है। नतीजतन, इस ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर दायर आरटीआई आवेदन और आरटीआई पहली अपील को ऑनलाइन मोड के माध्यम से जवाब दिया जा रहा है।

धारा 4 (1) (बी) के खुलासे को भेल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, कुछ दिशानिर्देश और प्रोफार्मा/मों की जानकारी प्राप्त करने के लिए और अधिनियम के तहत आरटीआई के तहत पहली अपील दाखिल करने हेतु भेल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

CPIO एवं अन्य आंतरिक स्तर पर शामिल हितधारकों को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से अधिनियम के तहत उनके दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है ।

सार्वजनिक उपक्रम (SCOPE) के स्थायी सम्मेलन द्वारा गठित RTI पर संचालन समिति के सदस्य होने के नाते BHEL अपनी बैठकों और SCOPE द्वारा आयोजित RTI मामलों से संबंधित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

. सभी चार (4) तिमाहियों के लिए त्रैमासिक आरटीआई रिटर्न केंद्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत किया गया है । वर्ष की शुरुआत में 47 आरटीआई आवेदनों और 65 आरटीआई अपीलें थीं | 2018-19 के दौरान 1117 आवेदन और 231 अपीलें प्राप्त हुईं और 1064 आवेदन और 228 अपीलों का निपटारा किया गया।

जोखिम और संबद्धता

संरचनात्मक और व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए भेल के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित " जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीति " है । इस चार्टर का उद्देश्य जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक सामान्य समझ, भाषा और कार्यप्रणाली स्थापित करना है और प्रबंधन को यह आश्वासन देना है कि कंपनी में महत्वपूर्ण जोखिमों की सही पहचान और और प्रभावी रूप से प्रबंधित किया जा रहा है ।

बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति '(BLRMC) को कंपनी के जोखिम शासन ढांचे, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोर्ड / BLRMC नियमित रूप से प्रमुख जोखिम वाले क्षेत्रों की समीक्षा करता है।

कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों का " जोखिम प्रबंधन संचालन समिति" (RMSC) द्वारा विस्तार से विश्लेषण किया जाता है, जो जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने एवं कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है।

मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ), BLRMC और RMSC के संयोजक, जोखिम प्रबंधन पर आवधिक रिपोर्टिंग हेतु बोर्ड / BLRMC के प्रति उत्तरदायी हैं ।

यूनिट स्तर पर जोखिम प्रबंधन समितियां अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित जोखिमों का विश्लेषण करती हैं, न्यूनीकरण/शमन योजना तैयार करती हैं, उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर शीर्ष प्रबंधन को भी सूचित करती हैं।

कंपनी के सामने आने वाले कुछ प्रमुख जोखिम और न्यूनीकरण के लिए संबंधित रणनीतियाँ नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित हैं:

जोखिम का विवरण	शमन/ न्यूनीकरण रणनीति
ऑनलाइन डेटा एवं जानकारी नुकसान और महत्वपूर्ण जानकारी के बुनियादी ढांचे के टूटने के लिए सुरक्षा उल्लंघन	• स्थापित संगठनात्मक स्तर साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी), एक सुविधा जिसमें एक सूचना सुरक्षा टीम निरंतर निगरानी और सुधारसंगठन की सुरक्षा मुद्रा • एसओसी के तहत भेल में 23000+ अंतिम बिंदुओं को एकीकृत करके साइबर एसओसी का संवर्द्धन • डेटा लीकेज बिंदुओं की संभावना को कम करने के लिए इंटरनेट गेटवे का समेकन • भेल को बढ़ाना - कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (B-CERT) CERT-In के साथ लाइन में
अतिरिक्त घरेलू विनिर्माण क्षमता, नीतिगत बदलावों के कारण व्यवसाय मिश्रण में बदलाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से लोअर ऑर्डर बुक को बढ़ावा मिला	• गैर-कोयला आधारित व्यापार के विकास पर ध्यान दें • पेशकश और विविधीकरण का विस्तार करना
वर्तमान / भविष्य के बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी तत्परता	• नए उत्पादों / प्रौद्योगिकियों के गृह विकास में • उपयुक्त सहयोगियों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता
Rising debtors	• नकदी संग्रह में तेजी लाने के लिए विशेष समूहों का गठन • ग्राहकों के साथ पंच पॉइंट्स का स्विफ्ट बंद होना • आपूर्ति का बेहतर समय निर्धारण • राज्य उपयोगिताओं के मामले में सरकार के साथ मुद्दों को चिह्नित करना

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

(डॉ. नलिन सिंघल)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्थान: नई दिल्ली

दिनांकः 26 जुलाई, 2019

भावी शहरी

परिवहन योजना में योगदान

ई-मोबिलिटी के क्षेत्रों में आगामी अवसरों को ध्यान में रखते हुए बीएचईएल पूर्णतः तैयार है जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और शहरी परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन।

भेल नवीकरणीय ऊर्जा हेतु ऊर्जा संरक्षण के समाधान के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है । 250 किलोमीटर दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग के साथ सौर आधारित ईवी चार्जर्स की स्थापना के लिए ईईएसएल के पहले आदेश के तहत, भेल ने हरियाणा के राय में चार्जिंग स्टेशन चालू किया है। अन्य चार्जिंग स्टेशनों पर काम जारी है।

पहली 12 मीटर ई-बस का परीक्षण वैधानिक मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है।

12 metre electric bus, currently under performance testing as per statutory norms

बोर्ड रिपोर्ट का अनुलग्नक- II

कोरपोरेट गवर्नेंस

2.1 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर हमारे विचार

भेल कॉर्पोरेट प्रशासन के एक ठोस ढांचे के भीतर कार्य करता है, जो शासन की गुणवत्ता, प्रकटीकरण में पारदर्शिता, संगत हितधारकों के मूल्य वृद्धि और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता भेल अपने नियामक, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और बड़े पैमाने पर समाज के विश्वास के निर्माण के लिए निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए नियामक संरचना और कॉर्पोरेट प्रशासन की बुनियादी आवश्यकताओं से परे जाने का प्रयास करता है। बीएचईएल का कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी और निष्पक्षता के कोने-कोने में रहता है, विशेषकर अल्पसंख्यक शेयरधारकों के लिए।

निम्नलिखित सिद्धांत बीएचईएल में कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करते हैं:

i. बोर्ड की स्वतंत्रता और बहुमुखी प्रतिभा

ii. सभी कर्मचारियों की ईमानदारी और नैतिक व्यवहार

iii. सभी हितधारकों - शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और समाज के प्रति दायित्वों की मान्यता

iv. प्रकटीकरण और पारदर्शिता का उच्च स्तर

v. कंपनी जिन क्षेत्रों में काम करती है, उन सभी क्षेत्रों में पूर्ण कानूनी और नियामक अनुपालन

vi. लोगों और पर्यावरण के लिए करुणा के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति

कंपनी इस तरह से व्यवसाय का संचालन करने में विश्वास करती है जो कॉर्पोरेट प्रशासन प्रक्रियाओं और आचार संहिता का अनुपालन करती है, प्रत्येक मुख्य मूल्यों और भेल को अंशधारकों को दीर्घकालिक रिटर्न देने के लिए, ग्राहकों को अनुकूल परिणाम, आकर्षक अवसर प्रदान करती है। कर्मचारियों को कंपनी को प्रगति और समाज के संवर्धन में भागीदार बनाने का अवसर प्रदान करना।

2.2 निदेशक मंडल

i . निदेशकों की रचना और श्रेणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, भेल एक सरकारी कंपनी 'है, क्योंकि कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 63.17% भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार के पास है।

बोर्ड की स्वतंत्रता को बनाए रखने और बोर्ड के कार्य प्रबंधन एवं नियंत्रण को अलग रखने हेतु भेल के निदेशक मंडल की संरचना में कार्यपालक निदेशकों का एक उपयुक्त मिश्रण है, जो सीएमडी और गैर-कार्यकारी निदेशकों सहित सरकारी नुमाइंदे और स्वतंत्र निदेशकों के प्रतिनिधित्व में रखा गया है ।

जैसा कि अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक होता है, स्वतंत्र निदेशक की भागीदारी बोर्ड की संरचना में 50% होता है।

31 मार्च, 2019 तक निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:

निदेशकों की श्रेणी	बोर्ड की संरचना	वास्तविक शक्ति 31 मार्च, 2019 तक
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	1	1
पूर्णकालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक	5	5
भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी उम्मीदवार)	2	2
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	8	5
कुल	**16**	**13**

31 मार्च, 2019 तक भेल के बोर्ड में अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों की तीन रिक्तियां मौजूद हैं। इन रिक्तियों को भरने का मामला भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम विभाग के विचाराधीन है।

ii. 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड मीटिंग में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति और अंतिम एजीएम

निदेशक का नाम श्री	बोर्ड बैठकों की सं		पिछली एजीएम (19.09.2018 को आयोजित)
	आयोजित	भाग लिया	
कार्यकारी निदेशक			
अतुल सोबती **अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक @**	8	8	हां
डी. बंद्योपाध्याय **निदेशक (मा.सं.)**	8	7	हां
अमिताव माथुर **निदेशक (आई एस एंड पी) (31 मई , 2018 तक)**	2	2	*
सुब्रता बिस्वास , **निदेशक (ई,आर एंड डी)** **(28 फरवरी, 2019 तक) #**	8	8	हां
अखिल जोशी **निदेशक (पावर)** **(30 सितंबर, 2018 तक)**	4	4	हां

निदेशक का नाम श्री	बोर्ड बैठकों की सं		पिछली एजीएम (19.09.2018 को आयोजित)
	आयोजित	भाग लिया	
सुबोध गुप्ता, निदेशक (वित्त) (18 अप्रैल, 2018 से)	7	6	हां
एस. बालाकृष्णन , निदेशक (आई एस एवं पी) (1 जून , 2018 से)	5	5	हां
मनोज कुमार वर्मा, निदेशक (पावर) (19 दिसंबर, 2018 से)	1	1	*
कमलेश दास निदेशक (ई,आर एंड डी) (1 मार्च, 2019 से)	0	0	*
अंशकालिक सरकारी निदेशक – सरकार द्वारा नामित			
डॉ. सुभाष चंद्र पांडेय, विशेष सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	8	6	नहीं
भास्कर ज्योति महंता, सं. सचिव, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (18 मई, 2018 तक)	1	0	*
प्रवीण एल. अग्रवाल, सं सचिव , भारी उद्योग- विभाग(डीएचआई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (18 मई, 2018 से 27 मार्च, 2019 तक)	7	7	हां
अमित वर्धन, सं. सचिव , भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (27 मार्च, 2019 से)	0	0	*
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक			
राजेश किशोर (प्रथम कार्यकाल नवम्बर 30 , 2018 तक) (द्वितीय कार्यकाल , प्रभावी तिथि दिसम्बर 1, 2018 से दिसम्बर 19, 2018 तक)	7	5	नहीं
केशव एन. देसीराजू (नवम्बर 30, 2018 तक)	6	3	हां

निदेशक का नाम श्री	बोर्ड बैठकों की सं		पिछली एजीएम (19.09.2018 को आयोजित)
	आयोजित	भाग लिया	
आर. स्वामीनाथन	8	6	हां
सुश्री सुरमा पाधी	8	4	हां
देश दीपक गोयल	8	6	हां
रंजीत रे	8	5	हां
राजेश शर्मा	0	0	*

\# निदेशक वित्त का अतिरिक्त भार संभाला 17 अप्रैल, 2018 तक

@ निदेशक वित्त का अतिरिक्त भार संभाला 17 अप्रैल, 2018 तक

* दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति अंतिम वार्षिक आम बैठक की दिनांक को बीएचईएल का निदेशक नहीं था

iii. 31 मार्च 2019 को अन्य कंपनियों में निदेशक पदों, समिति सदस्यता, समिति अध्यक्षता का विवरण

निदेशक का नाम श्री	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों का विवरण	समिति सदस्यता एवं समिति अध्यक्षता पद का विवरण
अतुल सोबती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	-
डी. बंद्योपाध्याय, निदेशक (मानव संसाधन)	1. दादा धुनिवाले खण्डवा पावर लिमिटेड 2. एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	**लेखांकन समिति** – एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. **(सदस्य)**
सुबोध गुप्ता, निदेशक (वित्त)	-	-
एस. बालाकृष्णन, निदेशक (आईएस एंड पी)	भारत पम्प एंड कंप्रैसर लि.	-
मनोज कुमार वर्मा, निदेशक (पावर)	रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लि.	-
कमलेश दास, निदेशक (ई, आर एंड डी)	-	-

निदेशक का नाम श्री	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों का विवरण	समिति सदस्यता एवं समिति अध्यक्षता पद का विवरण
डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डेय, अंशकालीन कार्यालय निदेशक	1. एचएमटी लि. 2. नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन लि. 3. इंडिया इंटरनेशनल कन्वेशन एंड एग्जीबिसन सेंटर लि. 4. एमएमटीसी लि. 5. इंवेस्ट इंडिया 6. इंडिया ट्रेड प्रोमोशन संगठन 7. नेशनल जूट मैनुफैक्चर कॉर्पोरेशन लि. 8. नेशनल जूट बोर्ड 9. द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	**लेखा समितिः** इंडिया ट्रेड प्रोमोशन संगठन (सदस्य)
अमित वरदान, अंशकालीन कार्यालय निदेशक	-	-
आर. स्वामीनाथन, स्वतंत्र निदेशक	-	-
सुश्री सुरमा पड़े, स्वतंत्र निदेशक	-	-
देश दीपक गोयल, स्वतंत्र निदेशक	-	-
रंजीत राय, स्वतंत्र निदेशक	-	-
राजेश शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	-	-

**Only Chairmanship/ Membership of the Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee has been considered.*

No Director of the Company holds office at the same time as Director in more than twenty (20) companies. No Director of the Company is a member in more than ten (10) Committees or acts as Chairperson of more than five (5) Committees across all companies in which he is a Director.

Disclosure of relationship between Directors inter-se: NIL

B. सूचीबद्ध संस्थाओं और श्रेणी में निदेशकों का विवरण

31 मार्च, 2019 तक, केवल डॉ. सुभाष चंद्र पांडेय, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक ने सूचीबद्ध संस्थाओं में निर्देशन किया,:

सूचीबद्ध कंपनी का नाम	निदेशक की श्रेणी
1.एचएमटी लि.	नामित निदेशक
2. एमएमटीसी लि.	नामित निदेशक
3. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.	निदेशक

iv. आयोजित बोर्ड बैठकों की सं., आयोजन की तिथि

बोर्ड की बैठकें आमतौर पर नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और पहले से निर्धारित होती हैं। कंपनी सचिव, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के परामर्श से, प्रत्येक निदेशक को प्रत्येक बोर्ड बैठक की लिखित सूचना भेजता है।

बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी की सभी सूचनाओं तक पहुंच होती है और एजेंडे में चर्चा के लिए किसी भी मामले को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र है जिसे आमतौर पर अग्रिम में भेजा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ प्रबंधन को बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि चर्चा किये जाने वाले विषय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जा सके और / या बोर्ड को प्रस्तुतीकरण दिया जा सके। बोर्ड तिमाही में कम से कम एक बार तिमाही परिणामों और अन्य मदों की समीक्षा करने के लिए बैठक करता है। आवश्यक होने पर अतिरिक्त बैठकें की जाती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड की निम्नलिखित तिथियों पर आठ बैठकें हुई:

(i) अप्रैल 18, 2018	(ii) मई 29, 2018	(iii) जून 1, 2018
(iv) जुलाई 25, 2018	(v) अक्टूबर 3-4, 2018	(vi) अक्टूबर 25, 2018
(vii) दिसम्बर 19, 2018	(viii) फरवरी 5, 2019	

v. कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता की सूची

चूंकि बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है, इसके निदेशक मंडल- कार्यात्मक निदेशकों, सरकार के निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों को एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकार द्वारा चुना और नियुक्त किया जाता है। बोर्ड को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए कोर स्किल्स, विशेषज्ञता और क्षमता की आवश्यकताएं जो बिजनेस सेगमेंट के संदर्भ में भेल संचालित करती हैं, इन निदेशकों के चयन की सरकारी प्रक्रिया एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए, बीएचईएल बोर्ड स्वयं किसी भी मूल कौशल या योग्यता की पहचान नहीं करता है जो नौकरी के लिए आवश्यक है।

vi बोर्ड का उत्तरदायित्व

बोर्ड का जनादेश कंपनी की रणनीति दिशा की देखरेख , कॉर्पोरेट प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करना, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना है।

vii. स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड और समिति की बैठकों में विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा कंपनी को इंजीनियरिंग, वित्त, प्रबंधन, कानून, सार्वजनिक नीति आदि के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।

स्वतंत्र निदेशक बोर्ड द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियों जैसे लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और सीएसआर समिति का हिस्सा होते हैं । कंपनी अधिनियम, 2013 और सूची विनियमों के संदर्भ में, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है और संबंधित परिभाषित संदर्भों के अंतर्गत कार्य किया जाता है।

इसके अलावा, सीपीईई के लिए गैर-आधिकारिक निदेशकों के मॉडल रोल और जिम्मेदारियों पर 28 दिसंबर 2012 को डीपी ई OM के अनुरूप बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति का गठन किया था। उक्त समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सूचीबद्ध विनियमों और स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकताओं के अनुपालन में है। सभी बोर्ड स्तर की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को बोर्ड बैठकों में परिचालित और चर्चा की जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों के परिचय कार्यक्रम से संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट 'www. bhel.com' एवं वेब लिंक 'http://www.bhel.com/index.php/ind_dir' पर"स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम" (स्वतंत्र निदेशक संबंधित सूचना) शीर्षक के तहत उपलब्ध हैं।

बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सूचीबद्ध नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

सुश्री सुरमा पाधी, स्वतंत्र निदेशक, ने भेल के निदेशक मंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। 31 मार्च, 2019 को वह ओडिशा के रणपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा, उन्होनें यह भी पुष्टि की है कि इस्तीफे के लिए उनके द्वारा प्रदान किए गए कारण के अलावा कोई अन्य भौतिक कारण नहीं हैं।

viii. निदेशक मंडल के सामने रखी गई जानकारी

बोर्ड इंटरलिया से पहले रखे गए एजेंडे में निम्नलिखित शामिल हैं:

वार्षिक परिचालन योजना और बजट और कोई भी संबंधित अद्यतन ।

- पूंजी बजट और संबंधित अद्यतन ।
- कंपनी और उसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए तिमाही परिणाम।
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- असिस्टेंट सहायक कंपनियों के बोर्ड मीटिंग्स के मिनट।
- सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और व्यवस्थाओं का विवरण बिना लाइसेंस वाली सहायक कंपनियों द्वारा प्रवेश किया गया।
- नीचे वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती की सूचना बोर्ड स्तर।
- निदेशक मंडल की स्वीकृति के लिए किसी भी संयुक्त उद्यम या आरएंडडी परियोजना या तकनीकी सहयोग समझौते का विवरण।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन / औद्योगिक संबंधों में कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे कि वेतन समझौता पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
- सहायक कंपनियों की बिक्री।
- सामग्री मूर्त / अमूर्त संपत्ति की खरीद और बिक्री व्यापार के सामान्य कोर्स में नहीं।
- विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का त्रैमासिक विवरण और प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, प्रतिकूल विनिमय दर आंदोलन के मुद्दों को सीमित करने के लिए, यदि सामग्री।
- बोर्ड द्वारा वांछित मामलों पर कार्रवाई रिपोर्ट।
- निदेशकों और अन्य कंपनियों में उनके द्वारा कब्जा की गई समिति के पदों के बारे में निदेशकों द्वारा ब्याज का प्रकटीकरण।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित जानकारी।
- मध्यस्थता मामलों की स्थिति।
- अधिशेष निधियों का अल्पावधि निवेश।
- कोई भी अनुबंध (ओं) में निदेशक (ओं) को रुचि रखने वाले समझा जाता है।
- तिमाही आधार पर शेयरधारकों की शिकायतों की स्थिति।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन और उसी के कारण।
- विभिन्न इकाइयों / कार्यों का प्रदर्शन।
- नियामक सूची, डीपीई दिशानिर्देश और एसएस -1 आदि के तहत आवश्यक सूचना जानकारी या अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ix. नए निर्देशकों का चयन

भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, भेल के निदेशक मंडल में संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, भेल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,कार्यात्मक निदेशक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) नियुक्त करते हैं । दो अंशकालिक सरकारी निदेशक अर्थात अतिरिक्त सचिव / संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और विशेष सचिव / अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भेल के बोर्ड में नामित किए जाते हैं।

सार्वजनिक उद्योग विभाग की खोज समिति के परामर्श से भारी उद्योग विभाग द्वारा स्वतंत्र निदेशकों का चयन किया जाता है, जो प्रबंधन, वित्त, इंजीनियरिंग, प्रशासन, उद्योग आदि के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों का एक पैनल रखता है ।

x. सदस्यता अवधि और सेवानिवृत्ति नीति

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति पद ग्रहण की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए, या उनकी अधिवर्षिता की आयु तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो तक होगी । अंशकालिक सरकारी निदेशक भारत सरकार के विवेक पर भेल के बोर्ड में बने रहते हैं । भारी उद्योग विभाग द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों का कार्यकाल तय किया जाता है । आम तौर पर, तीन वर्षों की अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जाती है।

xi. आचार संहिता

भेल के अपने कर्मचारियों के लिए उच्च स्तर के आचरण को स्थापित करने के लिए भेल के निरंतर प्रयास के तहत, भेल बोर्ड ने 2005 में पुराने लिस्टिंग करार की धारा 49 के अनुसार 'बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों कि लिए आचार संहिता और नैतिकता'का निर्धारण किया गया है । बाद में समय-समय पर संहिता को नियामक ढांचे में परिवर्तन और बदलते व्यावसायिक गतिशीलता और संहिता को मजबूत करने के लिए अन्य प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था । कोड वर्तमान लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में है । कोड निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- सामान्य नैतिक विकास;
- विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ; तथा
- बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन और उसी के कारण।
- विभिन्न इकाइयों / कार्यों का प्रदर्शन।
- नियामक सूची, डीपीई दिशानिर्देश और एसएस -1 आदि के तहत आवश्यक सूचना जानकारी या अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ix. नए निर्देशकों का चयन

भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, भेल के निदेशक मंडल में संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, भेल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,कार्यात्मक निदेशक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) नियुक्त करते हैं । दो अंशकालिक सरकारी निदेशक अर्थात अतिरिक्त सचिव / संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और विशेष सचिव / अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भेल के बोर्ड में नामित किए जाते हैं।

सार्वजनिक उद्योग विभाग की खोज समिति के परामर्श से भारी उद्योग विभाग द्वारा स्वतंत्र निदेशकों का चयन किया जाता है, जो प्रबंधन, वित्त, इंजीनियरिंग, प्रशासन, उद्योग आदि के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों का एक पैनल रखता है ।

x. सदस्यता अवधि और सेवानिवृत्ति नीति

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति पद ग्रहण की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए, या उनकी अधिवर्षिता की आयु तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो तक होगी । अंशकालिक सरकारी निदेशक भारत सरकार के विवेक पर भेल के बोर्ड में बने रहते हैं । भारी उद्योग विभाग द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों का कार्यकाल तय किया जाता है । आम तौर पर, तीन वर्षों की अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जाती है।

xi. आचार संहिता

भेल के अपने कर्मचारियों के लिए उच्च स्तर के आचरण को स्थापित करने के लिए भेल के निरंतर प्रयास के तहत, भेल बोर्ड ने 2005 में पुराने लिस्टिंग करार की धारा 49 के अनुसार 'बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों कि लिए आचार संहिता और नैतिकता'का निर्धारण किया गया है । बाद में समय-समय पर संहिता को नियामक ढांचे में परिवर्तन और बदलते व्यावसायिक गतिशीलता और संहिता को मजबूत करने के लिए अन्य प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था । कोड वर्तमान लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में है । कोड निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- सामान्य नैतिक विकास;
- विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ; तथा
- बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान। कोड की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट 'www.bhel.com' पर मौजूद है ।

xii. निदेशक मंडल का चार्टर

बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के उद्देश्य से, बोर्ड ने निदेशक मंडल का एक चार्टर रखा है। चार्टर हमारे कॉर्पोरेट प्रशासन के उद्देश्यों और दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करता है ।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सूची समझौते और निदेशकों को प्रदान करने के उद्देश्य से (क) अपने वैधानिक कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि, (ख) भविष्य की कल्पना करने और रणनीति विकसित करने के लिए व्यावसायिक वातावरण की बेहतर समझ और (ग) बोर्ड के सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधारित प्रशिक्षण की आवश्यकता है, भेल बोर्ड ने निदेशकों के प्रशिक्षण के लिए एक नीति को मंजूरी दी है । इसमें कंपनी के विशिष्ट क्षेत्रों की ओर सामान्य और विशिष्ट प्रशिक्षण दोनों शामिल हैं।

xiii. वर्तमान कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण पत्र

कंपनी को वर्तमान कंपनी सेक्रेटरी से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है कि बोर्ड / कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक पदावनत या अयोग्य नहीं हुआ है । प्रति संलग्न है।

xiv. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

लिस्टिंग विनियमों के लिए सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध- III में संलग्न है ।

2.3 बोर्ड स्तर की लेखा परीक्षा समिति

i) विचारार्थ विषय

विचारार्थ विषय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट बोर्ड स्तर की ऑडिट कमेटी के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के साथ-साथ लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप और निम्नानुसार हैं:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का विवरण और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, इसकी वित्तीय जानकारी का खुलासा;
2. नियुक्ति, पारिश्रमिक और शर्तों के लिए सिफारिश कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति;
3. किसी अन्य सेवा के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं हेतु भुगतान की स्वीकृति;
4. वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा, विशेष संदर्भ के साथ:
   - i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 के खंड (सी) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक की जिम्मेदारी वक्तव्य में शामिल होने के लिए आवश्यक मामले;
   - ii) लेखांकन नीतियों और व्यवहार में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उस के कारण;
   - iii) प्रबंधन द्वारा निर्णय की कवायद पर आधारित मुख्य लेखांकन प्रविष्टियों पर आधारित अनुमान;
   - iv) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण समायोजन;
   - v) वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
   - vi) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण;
   - vii) ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में योग्यता;
5. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ त्रैमासिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा;
6. इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, प्रिफेरेंशियल इश्यू) के माध्यम से जुटाए गए फंड के प्रयोग का विवरण, ऑफर दस्तावेजों/ सूचीपत्रों/ सूचनाओं में दिए गए कारणों के अतिरिक्त प्रयोग किए गए फंड के विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना और मॉनिटरिंग एजेंसी द्वारा पब्लिक तथा राइट इश्यू के प्रयोग के संबंध में रिपोर्ट प्रदुतुत करना एवं बोर्ड को इस संबंध में उचित कदम उठाने हेतु संस्तुति करना;
7. ऑडिटर की स्वतंत्रता और निष्पादनऔर ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा;
8. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन में बाद में किए गए संशोधनों का अनुमोदन;
9. अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच;
10. कंपनी के वचनबंधों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहाँ भी आवश्यक है;
11. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
12. वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ समीक्षा;
13. आंतरिक ऑडिट फ़ंक्शन की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक ऑडिट विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग की आधिकारिक प्रमुख की वरिष्ठता, संरचना कवरेज की रिपोर्टिंग और आंतरिक ऑडिट की आवृत्ति शामिल है;
14. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और अनुवर्ती कार्रवाई;
15. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या किसी सामग्री प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट करना है;
16. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के साथ-साथ लेखापरीक्षा के बाद की चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा;
17. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न होने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर गौर करना;
18. व्हिसल ब्लोअर / विजिल तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना;
19. आंतरिक लेखा परीक्षा / बोर्ड और / या भारत सरकार द्वारा बीएलएसी को संदर्भित ऑडिट पैरा की समीक्षा करने लेखा परीक्षा समिति को अंतिम बार 27 मार्च 2019 को पुनर्गठित किया गया था ।
20. वैधानिक ऑडिटरों / आंतरिक ऑडिटरों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संबंध में एक निश्चित समयावधि में चर्चा करना;
21. जहाँ आवश्यक हो बाह्य स्रोतों के पेशेवरों से उचित मामलों में सलाह लेना;
22. ऑडिट समिति निम्नलिखित सूचनाओं की भी समीक्षा करेगी :

क. वित्तीय स्थिति का विश्लेषण एवं प्रचालन के परिणामों पर प्रबंधन के साथ चर्चा;

ख. संबंधित महत्वपूर्ण पार्टी लेनेदेन का विवरण;

ग. प्रबंधन पत्रों / वैधानिक ऑडिटरों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरी संबंधी पत्रों की;

घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट;

23. ऑडिट समिति के विचारार्थ विषय में दिए गए अन्य कार्य

ii) समिति का संगठन, सदस्यों एवं अध्यक्ष के नाम

लिस्टिंग विनियमों के आदेशानुसार ऑडिट समिति में कम से कम दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं । इसके अतिरिक्त समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक है । सदस्य निदेशक वाणिज्य, वित्त, प्रशासन एवं शासन की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले प्रतिष्ठित पेशेवर हैं ।

ऑडिट समिति का पिछली बार 27 मार्च, 2019 को पुनर्गठन किया गया था । समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम श्री/ श्रीमती	पद	बैठकों की सं.	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	भाग लिया
राजेश किशोर, स्वतंत्र निदेशक (19 दिसंबर, 2018 तक)	अध्यक्ष (18 दिसम्बर, 2018 तक)	3	3
	सदस्य (19 दिसम्बर, 2018 से)	0	0
आर.स्वामीनाथन, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (19 दिसम्बर, 2018 से)	1	1
	सदस्य (18 दिसम्बर, 2018 तक)	3	3
भास्कर ज्योति महंता, सं.सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक (18 मई,2018 तक)	सदस्य	0	0
प्रवीण एल. अग्रवाल, सं.सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक (27 मार्च, 2019 तक)	सदस्य (18 मई, 2018 से)	4	4
अमित वर्धन, सं.सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य (27 मार्च, 2019 से)	0	0
सुश्री सुरमा पाधी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4
देश दीपक गोयल, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (20 दिसंबर, 2018 से)	1	1

निदेशक (वित्त) स्थायी आमंत्रित है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख और सांविधिक लेखा परीक्षक के एक प्रतिनिधि लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रित के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। कंपनी के लेखा परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सुनवाई का अधिकार होगा जब लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

iii) बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऑडिट कमेटी ने 28-29 मई, 2018, 25 जुलाई, 2018, 25 अक्टूबर, 2018 और 5 फरवरी, 2019 को चार बार बैठक की । प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

2.4 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

i) पारिश्रमिक नीति

भेल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, भारत सरकार द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक तय किया जाता है। भेल के नियमों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें, निश्चित भत्तों और लाभों के निर्धारण, एचआरए का भुगतान, सुसज्जित आवास, उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन आदि। । अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशकों को बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने के कोई पारिश्रामिक नहीं दिया जाता है । केवल स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए सिटिंग फीस लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

ii) विचारार्थ विषय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और तत्कालीन लिस्टिंग समझौते (अब लिस्टिंग विनियम) की धारा 49 की आवश्यकताओं के अनुरूप, बोर्ड ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति (NRC)गठित की है जो 30 मार्च, 2015 से प्रभावी है । समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

a) उन व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें वरिष्ठ प्रबंधन में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है और बोर्ड को उनकी नियुक्ति और हटाने और प्रत्येक निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। वरिष्ठ प्रबंधन का मतलब उस कंपनी के कर्मियों से है जो इसके प्रमुख प्रबंधन टीम के सदस्य हैं, जो निदेशक मंडल को छोड़कर, कार्यकारी प्रमुखों के एक स्तर से नीचे के सभी सदस्यों को शामिल करते हैं, जिनमें कार्यात्मक प्रमुख शामिल हैं।

b) योग्यता निर्धारित करने के लिए मापदंड तैयार करने के लिए, सकारात्मक गुण एवं निदेशक की स्वतंत्रता एवं बोर्ड को निदेशकों की पारिश्रामिक संबंधी नीतियों की संस्तुति, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम / लिस्टिंग विनियमों / डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड को एक नीति की सिफारिश करना ।

c) स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन के लिए मानदंडों का गठन।

d) बोर्ड विविधता पर एक नीति बनाना।

e) अपने सहायक और अन्य सरकारी संगठनों के बोर्डों में भेल के अधिकारियों का नामांकन का बोर्ड को सिफारिश करना, जिन्हें डीएचआई को आगे प्रस्तुत करने से पहले भेल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

f) विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों पर कंपनी की नीति की पूरी जानकारी, पेंशन अधिकार और पूरे मुआवजे के भुगतान सहित पूरे समय के निदेशकों के लिए अनुलाभ, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय नहीं किए गए हैं

g) पूर्णकालिक निदेशकों, के कुछ भत्तों का अनुमोदन, जो बोर्ड की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं ।व्यक्तिगत निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज के तत्वों की समीक्षा, जैसे कि प्रोत्साहन / लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन आदि।

h) भत्तों और लाभों और अन्य संबंधित मामलों पर नीतियों को अंतिम रूप देना जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं हैं, लेकिन बोर्ड की शक्तियों के अंतर्गत हैं।

i) निष्पादन मानदंडों पर आधारित निश्चित घटक और निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का अनुमोदन ।

j) गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड को अंतिम रूप देना।

k) स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर-कार्यकारी निदेशकों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स / शेयरहोल्डर्स को फीस / मुआवजे / स्टॉक विकल्पों, यदि कोई हो, का भुगतान / दी जाने की सिफारिश।

l) कार्यपालकों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए बोनस / परिवर्तनीय वेतन पूल नीति तय करना ।

m) एनआरसी के संदर्भ की शर्तों से संबंधित किसी अन्य कार्य को करना।

एमसीए की अधिसूचना 5 जून, 2015 को प्रदान की गई थी कि निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी।

iii) समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम

नामांकन और पारिश्रमिक समिति को पिछली बार 27 मार्च, 2019 को पुनर्गठित किया गया था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं

निदेशक का नाम श्री / श्रीमती	पद	बैठकों की सं.	
		कार्यकाल में आयोजित	भाग लिया
केशव एन. देशीराजू स्वतंत्र निदेशक (30 नवंबर, 2018 तक)	अध्यक्ष	2	2
राजेश किशोर, स्वतंत्र निदेशक (19 दिसंबर, 2018 तक)	अध्यक्ष (19 दिसंबर,2018 से)	0	0
	सदस्य (18 दिसंबर, 2018 तक)	2	2
आर. स्वामीनाथन, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (20 दिसंबर, 2018 से)	2	2
डॉ. सुभाष चंद्र पांडेय, SS & FA, DIPP, अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	4	4
भास्कर ज्योति महंता, सं.सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक (18 मई,2018 तक	सदस्य	0	0
प्रवीण एल. अग्रवाल, सं.सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक (27 मार्च, 2019 तक)	Member (w.e.f. May 18, 2018)	4	4
अमित वर्धन, सं.सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य (27 मार्च, 2019 से)	0	0
रंजीत रे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (20 दिसंबर, 2018 से)	2	2
राजेश शर्मा स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (27 मार्च, 2019 से)	0	0

निदेशक (मानव संसाधन) स्थायी आमंत्रित है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

iv) बैठकें और उपस्थिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 28 मई, 2018,

24 अक्टूबर, 2018, 7 जनवरी, 2019 और 14 मार्च, 2019 को चार बैठकें हुई । प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

v) **वर्ष 2018-19 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:**

(in ₹)

क्रम सं.	निदेशक का नाम श्री / श्रीमती	वेतन	सेवा निवृत्ति हितलाभ	अन्य हितलाभ	कुल	सेवा अनुबंध / नोटिस अवधि विच्छेदन फीस
1.	अतुल सोबती	5607622	857706	40200	6505528	
2.	डी. बंद्योपाध्याय (18 अप्रैल, 2018 से)	5046899	794615	599306	6440821	रोटेशन के तहत सेवा निवृत्ति
3.	सुबोध गुप्ता (18 अप्रैल,2018 से)	4359153	741051	258571	5358775	रोटेशन के तहत सेवा निवृत्ति
4.	एस. बालाकृष्णन (1 जून, 2018 से)	3953333	651253	340137	4944723	रोटेशन के तहत सेवा निवृत्ति
5.	मनोज कुमार वर्मा (19 दिसंबर, 2018 से)	2121025	233655	11284	2365964	रोटेशन के तहत सेवा निवृत्ति
6.	कमलेश दास (1 मार्च , 2019 से)	1165384	64702	21378	1251464	रोटेशन के तहत सेवा निवृत्ति
7.	सुब्रत बिस्वास (28 फरवरी, 2018 तक)	6623675	693730	810872	8128277	--
8.	अखिल जोशी (30 सितंबर, 2018 तक)	4069918	356646	671840	5098403	--
9.	अमिताभ माथुर (31 मई, 2018 तक)	3106582	118858	371372	3596812	--

नोट: वेतन में अवकाश नकदीकरण और वेतन संशोधन बकाया राशि शामिल है।

vi) **वर्ष 2018-19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है: -**

(in ₹)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक की फीस		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री राजेश किशोर	130000	165000	295000
श्री केशव एन. देशीराजू	80000	75000	155000
श्री आर. स्वामीनाथन	170000	210000	380000
सुश्री सुरमा पाधी	110000	265000	375000
श्री देश दीपक गोयल	170000	135000	305000
रंजीत रे	140000	155000	295000
श्री राजेश शर्मा	-	-	-

नोट: स्वतंत्र निदेशक 29 मई, 2018 तक आयोजित प्रति बोर्ड बैठक 20,000/ रुपए तथा 15,000/- रुपए प्रति बोर्ड स्तरीय समिति बैठकों की बैठक फीस के हकदार थे । निदेशक मंडल द्वारा 29 मई, 2018 के बाद आयोजित बैठकों के लिए 30,000/- रुपए प्रति बोर्ड बैठक एवं 20,000/- रुपए प्रति बोर्ड स्तरीय बैठक फीस में बढ़ोत्तरी की है ।

स्वतंत्र निदेशक स्टॉक विकल्प के हकदार नहीं हैं ।

vii) **निदेशकों के पास इक्विटी शेयर**

नीचे दिये गये विवरण के अतिरिक्त, किसी भी निदेशक के पास बीएचईएल के इक्विटी शेयर नहीं हैं ।

(31 मार्च, 2019 तक):

निदेशक का नाम	धारण किये गये शेयरों की संख्या
श्री अतुल सोबती	2250

कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है ।

2.5 शेयरधारक समितियां

2.5.1 हितधारक संबंध समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल द्वारा 12 मई 2014 को कंपनी अधिनियम, 2013 और पुराने लिस्टिंग समझौते के अनुरूप शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति का हितधारक संबंध समिति के रूप में पुनर्गठन किया गया । समिति लिंटिंग विनियमों का अनुपालन भी करती है । समिति हितधारकों की शिकायतों का निपटान करती है, जिसमें शेयर अंतरण, बेलेंस शीट प्राप्त न होना, घोषित लाभांश प्राप्त न होना आदि शामिल हैं ।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम

हितधारक संबंध समिति को पिछली बार 27 मार्च, 2019 पुनर्गठित किया गया था । समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

निदेशक का नाम/सुश्री/श्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थिति
आर. स्वामीनाथन, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	4	4
भास्कर ज्योति महंता, सं.सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक (18 मई,2018 तक)	सदस्य	0	0
प्रवीण एल. अग्रवाल, सं.सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक (27 मार्च, 2019 तक)	सदस्य (18 मई, 2018 से लागू)	4	2
अमित वर्धन, सं.सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य (27 मई, 2019 से लागू)	0	0
सुश्री सुरमा पाधी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	4	4
निदेशक (वित्त)	सदस्य	4	4

श्री राजीव कालरा, सेबी के मामले में कंपनी के सचिव अनुपालन अधिकारी हैं (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समिति की वर्ष के दौरान 28 मई, 2018, 24 जुलाई, 2018 और 4 फरवरी, 2019 को तीन बार बैठकें हुई । प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है

शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण

जैसा कि कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) द्वारा सेबी को रिपोर्ट किया गया था, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरधारकों से 1094 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और सभी शिकायतों का 31 मार्च, 2019 तक निवारण किया गया था। रिपोर्ट के तहत अवधि के अंत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी ।

2.5.2 शेयर ट्रांसफर कमेटी

बोर्ड ने 25 मार्च, 1992 को एक शेयर हस्तांतरण समिति का गठन किया । निदेशक मंडल ने समिति के विचारार्थ विषयों को 1 अगस्त, 2014 से संशोधित किया । शेयर ट्रांसफर कमेटी भौतिक मोड में ट्रांसपोजिशन, सब-डिवीजन, कंसॉलिडेशन, डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने आदि से संबंधित शेयर संबंधित मुद्दों पर विचार और अनुमोदन करती है । शेयर ट्रांसफर समिति को पिछली बार 1 सितंबर, 2017 को पुनर्गठित किया गया था और इसमें निदेशक (मा.सं.) अध्यक्ष के रूप में, निदेशक (ई, आर एंड डी) और निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में शामिल हैं ।

2018-19 के दौरान बैठकें

साल के दौरान शेयर ट्रांसफर कमेटी की 8 बार बैठक हुई । शेयर ट्रांसफर कमेटी की बैठकों का कार्य समय-समय पर निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है ।

2.6 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए बोर्ड स्तर की समिति

i. विचारार्थ विषय

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में सीपीएसईएस के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर, बोर्ड द्वारा सीएसआर गतिविधियों की उचित और आवधिक निगरानी के लिए 25 नवंबर, 2010 को सीएसआर के लिए बोर्ड स्तरीय सर्वोच्च समिति का गठन किया । समिति को वर्तमान में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए बोर्ड स्तर की समिति के नाम से बनाया गया है । 12 मई, 2014 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप समिति का पुनर्गठन किया । कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संशोधन के अनुरूप सीएसआर समिति से संबंधित, संदर्भ के संदर्भ में नियम समिति को संशोधित किया गया इस प्रकार हैं:

1. बोर्ड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्माण और सिफारिश जो कंपनी अधिनियम, 2013 में अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी;
2. खंड (1) में उल्लिखित गतिविधियों पर होने वाली परियोजनाओं, कार्यक्रमों और व्यय की राशि की सिफारिश;
3. कंपनी के समय-समय पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की निगरानी करना;
4. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

समिति को पिछली बार 27 मार्च, 2019 को पुनर्गठित किया गया था । समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम/सुश्री/श्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थिति
राजेश किशोर, स्वतंत्र निदेशक (19 दिसंबर, 2018 तक)	अध्यक्ष	2	2
रंजीत रे स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (20 दिसंबर, 2018 से)	1	1
	सदस्य (19 दिसंबर, 2018 तक)	2	2
भास्कर ज्योति महंता, सं. सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक (18 मई,2018 तक)	सदस्य	0	0
प्रवीण एल. अग्रवाल, सं. सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक (27 मार्च, 2019 तक)	सदस्य (18 मई, 2018 से)	3	2
अमित वर्धन, सं.सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य (27 मार्च, 2019 से)	0	0
सुश्री सुरमा पाधी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (20 दिसंबर, 2018 से)	1	1
राजेश शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (27 मार्च, 2019 से)	0	0
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	3	3
निदेशक (वित्त)	सदस्य	3	3

प्रमुख (सीएसआर) – का.नि. / म.प्र. प्रभारी, कॉर्पोरेट कार्यालय स्थायी आमंत्रित हैं । कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है ।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समिति की वर्ष के दौरान 28 मई, 2018, 24 जुलाई, 2018 और 4 फरवरी, 2019 को तीन बार बैठकें हुई । प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है ।

2.7 मानव संसाधन समिति

i. विचारार्थ विषय

बोर्ड ने 31 मई, 2006 को विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों को देखने के लिए मानव संसाधन समिति का गठन किया:

(क) कार्यपालकों की पदोन्नति और पुरस्कार / प्रोत्साहन के संबंध में वर्तमान नीतियों की समीक्षा ।

(ख) अल्पावधि और दीर्घकालिक नीति में परिवर्तन और परिवर्तित / उभरते व्यावसायिक वातावरण के लिए BHEL को तैयार करने के लिए सुझाव देना ।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

समिति को पिछली बार 20 दिसंबर, 2018 को पुनर्गठित किया गया था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम श्री / श्रीमती	पद	बैठकों की सं.	
		कार्यकाल में आयोजित	भाग लिया
राजेश किशोर, (19 दिसंबर, 2018 तक)	अध्यक्ष	1	1
श्री देश दीपक गोयल स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (20 दिसंबर, 2018 से)	1	1
रंजीत रे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	2	2
निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2

प्रमुख (मा.सं.) –का.नि./ म.प्र. प्रभारी, कॉर्पोरेट कार्यालय स्थायी आमंत्रित हैं । कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समिति ने 24 जुलाई, 2018 और 4 फरवरी, 2019 को वर्ष के दौरान दो बार बैठकें

की । प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है ।

2.8 स्वतंत्र निदेशकों की समिति

i. विचारार्थ विषय

सीपीएसई के लिए आदर्श भूमिका और गैर-आधिकारिक निदेशकों की जिम्मेदारियों पर बोर्ड ने दि. 28 दिसंबर 2012 के डीपीई ओएम के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति गठित की, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV की आवश्यकताओं के अनुपालन और लिस्टिंग विनियम में भी है ।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

समिति में निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम श्री / श्रीमती	पद	बैठकों की सं.	
		कार्यकाल में आयोजित	कार्यकाल में आयोजित
राजेश किशोर, स्वतंत्र निदेशक (19 दिसंबर, 2018 तक)	अध्यक्ष एवं मुख्य स्वतंत्र निदेशक	1	1
आर. स्वामीनाथन	अध्यक्ष एवं मुख्य स्वतंत्र निदेशक (20 दिसंबर, 2018 से)	0	0
	सदस्य (19 दिसंबर, 2018 तक)	1	1
श्री केशव एन. देशीराजू (30 नवंबर, 2018 तक)	सदस्य	1	1
सुश्री सुरमा पाधी	सदस्य	1	1
श्री देश दीपक गोयल	सदस्य	1	1
रंजीत रे	सदस्य	1	1
राजेश शर्मा	सदस्य (20 फरवरी, 2019 से)	0	0

iii. बैठकें और उपस्थिति

समिति ने वर्ष के दौरान 24 अक्टूबर, 2018 को एक बार बैठक की । प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है ।

2.9 बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति

i. विचारार्थ विषय

पूर्ववर्ती लिस्टिंग समझौते (अब लिस्टिंग विनियम) के अनुरूप, 14 नवंबर 2014 को निदेशक मंडल ने बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया । समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(i) कंपनी की जोखिम संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढाँचे की समीक्षा करने के लिए, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश, नीतियां और प्रक्रियाएं ।

(ii) पहचाने गए प्रमुख जोखिमों के साथ-साथ ऐसे जोखिमों की निगरानी और उन्हें कम करने की प्रक्रियाओं से संबंधित कंपनी की जोखिम शमन रणनीतियों की समीक्षा करना ।

(iii) समिति की गतिविधियों को सूचनार्थ और प्रस्तावित बदलावों की संस्तुति को बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखना ।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

समिति को पिछली बार 19 दिसंबर, 2018 को पुनर्गठित किया गया था । समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

निदेशक का नाम श्री / श्रीमती	पद	बैठकों की सं.	
		कार्यकाल में आयोजित	कार्यकाल में आयोजित
एसएस एंड एफए, डीआईपीपी अंशकालिक सरकारी निदेशक	अध्यक्ष	1	1
श्री केशव एन. देशीराजू (30 नवंबर, 2018 तक)	सदस्य	1	1
श्री देश दीपक गोयल, स्वतंत्र निदेशक	(19 दिसंबर, 2018 से)	0	0
निदेशक (IS&P)	सदस्य	1	1
निदेशक (वित्त)	सदस्य	1	1
निदेशक (पावर)	सदस्य	1	1
अध्यक्ष, जोखिम प्रबंधन प्रचालन समिति	सदस्य	1	1
मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य एवं संयोजक	1	1

iii. बैठकें और उपस्थिति

समिति ने वर्ष के दौरान 24 जुलाई, 2018 को एक बार बैठक की । प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

2.10 मध्यस्थता एवं प्रमुख कानूनी विवादों हेतु समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल ने 26 मई 2015 को आयोजित बैठक में मध्यस्थता मामलों की विस्तृत समीक्षा के लिए मध्यस्थता और प्रमुख कानूनी विवादों के साथ-साथ प्रमुख कानूनी

विवादों और उसके बाद बोर्ड को इसके अनुसार सूचित करने के लिए समिति का गठन किया ।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

समिति को पिछली बार 27 मार्च, 2019 को पुनर्गठित किया गया था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम श्री / श्रीमती	पद	बैठकों की सं.	
		कार्यकाल में आयोजित	कार्यकाल में आयोजित
सुश्री सुरमा पाधी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	4	4
भास्कर ज्योति महंता, सं.सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक (18 मई,2018 तक)	सदस्य	0	0
प्रवीण एल. अग्रवाल, सं.सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक (27 मार्च, 2019 तक)	सदस्य (18 मई, 2018 से लागू)	4	2
अमित वर्धन,सं.सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य (27 मई, 2019 से लागू)	0	0
श्री देश दीपक गोयल,स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	4	4

विधि के प्रमुख समिति का संयोजक है और समिति द्वारा समीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करता है ।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समिति ने वर्ष के दौरान चार बार 28 मई, 2018, 24 जुलाई, 2018, 24 अक्टूबर, 2018 और 4 फरवरी, 2019 को चार बैठकें की । प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है ।

2.11 विलय एवं अधिग्रहण हेतु बोर्ड स्तर की समिति

i. विचारार्थ विषय, समिति का नाम, अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम

समिति का गठन विलय, अधिग्रहण और संस्थाओं के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावों की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए किया गया था और अंतिम बार 27 मार्च, 2019 को इसका पुनर्गठन किया गया था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम श्री / सुश्री	पद
भास्कर ज्योति महंता सं.सचिव,डीएचआई , अंशकालिक सरकारी निदेशक (18 मई, 2018 तक)	अध्यक्ष
प्रवीण एल. अग्रवाल, सं.सचिव, भारी उद्योग विभाग, अंशकालिक सरकारी निदेशक (27 मार्च, 2019 तक)	अध्यक्ष (मई 18, 2018 से)
अमित वर्धन, सं.सचिव, डीएचआई,अंशकालिक सरकारी निदेशक	अध्यक्ष (मार्च 27, 2019 से)
केशव एन. देसीराजू स्वतंत्र निदेशक (30 नवंबर, 2018 तक)	सदस्य
देश दीपक गोयल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य
निदेशक (वित्त)	सदस्य
निदेशक आइ एस एंड पी)	सदस्य
निदेशक (पॉवर)	सदस्य
निदेशक (ई आर एंड डी)	सदस्य

एम एंड ए विभाग के प्रमुख स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। कंपनी सचिव समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करता है।

ii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विलय एवं अधिग्रहण पर बोर्ड स्तर की समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई |

2.12 वैकल्पिक विवाद एवं समाधान के लिए बोर्ड स्तर की समिति

1। विचारार्थ विषय, समिति का नाम, अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम

निदेशक मंडल ने 29 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में बीएचईएल सुलह योजना, 2018 के तहत मसौदा निपटान समझौते को स्वीकार / अस्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान पर बोर्ड स्तर की समिति का गठन किया। समिति को अंतिम बार 27 मार्च, 2019 को पुनर्गठित किया गया था, समिति में शामिल हैं :

निदेशक का नाम श्री / श्रीमती	पद
सुश्री सुरमा पाधी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
राजेश शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (27 मार्च, 2019 से)
निदेशक (वित्त)	सदस्य
निदेशक (ईआर एंड डी)	सदस्य

समिति में, जब भी आवश्यक हो सम्बंधित निदेशक को अतिरिक्त सदस्य की तरह चुना जाता है

ii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विलय एवं अधिग्रहण पर बोर्ड स्तर की समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई |

2.13 बायबैक समिति

1. विचारार्थ विषय, समिति का नाम, अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम

25 अक्टूबर, 2018 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल ने बायबैक समिति का गठन किया और समिति को शेयरों के बायबैक के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया। समिति को इस तरह के सभी कार्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत किया गया था, अपने संपूर्ण विवेक से आवश्यक, समीचीन, सामान्य या उचित रूप में, क्योंकि बायबैक समिति शेयरधारकों के लिए सर्वोत्तम हित में हो सकती है। बायबैक कार्यान्वयन समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

निदेशक का नाम श्री / श्रीमती	पद	बैठकों की सं.	
		कार्यकाल में आयोजित	उपस्थिति
निदेशक (मा.सं.)	अध्यक्ष	6	5
निदेशक (वित्त)	सदस्य	6	5
निदेशक (ई आर एंड डी)	सदस्य	6	5

कंपनी सचिव/ उप कंपनी सचिव बायबैक कमेटी के सचिव के रूप में कार्य करता है

ii. बैठकें और उपस्थिति

समिति ने वर्ष के दौरान 26 अक्टूबर, 2018, 31 अक्टूबर, 2018, 30 नवंबर, 2018, जनवरी 3, 2019, 8 जनवरी, 2019 और 10 जनवरी, 2019 को छह बैठकें की । प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां बोर्ड ने किसी को स्वीकार न किया हो ।

2.14 सामान्य बैठकें पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें स्थान और समय:

वर्ष	स्थान	दिनांक	समय
वित्तीय- वर्ष 2015- 16 (52 वीं एजीएम	मानेकशॉ केंद्र , परेड रोड , खैबर लाइन ,दिल्ली कैंट, दिल्ली - 110010	सितम्बर 22, 2016	10.00 पूर्वाह्न
वित्तीय वर्ष 2016- 17 (53वीं एजीएम)	मानेकशॉ केंद्र , परेड रोड , खैबर लाइन ,दिल्ली कैंट, दिल्ली - 110010	सितम्बर 22, 2017	10.00 पूर्वाह्न
वित्तीय वर्ष 2017- 18 (54वीं एजीएम)	मानेकशॉ केंद्र , परेड रोड , खैबर लाइन ,दिल्ली कैंट, दिल्ली - 110010	सितम्बर 19, 2018	10.00 पूर्वाह्न

ii. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार, अनुच्छेद 5A की संस्था के अंतरनियमों में संशोधन के लिए शेयरों के बायबैक के लिए 19 सितंबर, 2018 को आयोजित 54 वीं वार्षिक आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था ।

ii. पोस्टल बैलट

पिछले वर्ष में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया । पोस्टल बैलेट के माध्यम से इस तरह का कोई प्रस्ताव रखा जाना प्रस्तावित नहीं है।

2.15 डिसक्लोजर्स

i. भौतिक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी के लेन-देन पर प्रकटीकरण जिसमें बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित विचार हो सकता है

कंपनी ने किसी भी प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन (RPT) नहीं किया है, जिससे कंपनी के हितों के साथ बड़े पैमाने पर संभावित विवाद हो सकता है। अतः, वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 में अलग से वित्तीय विवरणों में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण नोट 47 में दिया गया है।

ii. पिछले तीन वर्षों में कंपनी पर पूँजी बाजार से संबंधित गैर-अनुपालन / पैनल्टी और कड़ाई से लगाए गए दंड

ऐसा कोई गैर-अनुपालन नहीं हुआ है और न ही पिछले तीन वर्षों में कंपनी पर कोई जुर्माना या सख्ती लगाई गई है। कंपनी द्वारा कानूनों के अनुपालन और अनुरूपता के संबंध में उच्चतम मानकों को निर्धारित किया गया है और क़ानून द्वारा निर्धारित। सभी अनुपालन समय सीमा से पहले किए जाते हैं ।

iii. व्हिसल ब्लोअर नीति

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों और सूचीबद्ध कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंजों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के बीच सूची समझौते के खंड के अनुसरण में, कंपनी और इसके द्वारा एक विस्तृत व्हिसल ब्लोअर नीति का मसौदा तैयार किया गया । 12 अगस्त, 2014 को आयोजित 464 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा इसकी विधिवत स्वीकृति दी गई थी। यह नीति सूचीकरण विनियमों के अनुरूप है। इसके बाद, एक परिपत्र द्वारा व्हिसल ब्लोअर नीति को अधिसूचित किया गया और सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए सक्षम प्राधिकारी और अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति के संपर्क विवरण जारी किया गया है ।

व्यापक प्रचार के लिए कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com 'पर व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी की एक प्रति भी उपलब्ध है। सक्षम प्राधिकारी और अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति के पते, संपर्क नंबर और ईमेल पते में परिवर्तन समय-समय पर अधिसूचित किए जाते हैं।

नीति के तहत प्राप्त शिकायतों को इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार संसाधित किया जा रहा है और किसी भी कर्मचारी को ऑडिट समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

iv. कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा निदेशों की आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण, अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन और गैर-अनिवार्य कॉरपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं को सूचीकरण विनियमों को अपनाना।

सीपीएसई और सेबी के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी अनिवार्य आवश्यकताएं (लिस्टिंग ऑब्जेक्शंस और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स), 2015 को बोर्ड द्वारा आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संबंधित संख्या को छोड़कर कंपनी द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया है। लिस्टिंग विनियमों के तहत गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में, बीएचईएल पहले से ही अननोटिफाइड ऑडिट और विनियम के साथ वित्तीय विवरणों में है।

खातों में कोई भी व्यय डेबिट नहीं की गई है जो व्यापार के उद्देश्य के लिए नहीं है और कोई व्यय नहीं किया गया है और जो कि निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत हैं ।

v. राष्ट्रपति के निर्देश

01 जनवरी, 2017 से प्रभावी वेतनमान के पुनरीक्षण के संबंध में बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों एवं और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों हेतु पिछले तीन वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान राष्ट्रपति का निदेश संदर्भ संख्या 3 (06) /2016-PE.XI दिनांकित 27 दिसंबर, 2017 प्राप्त हुआ है। जिसे लागू कर दिया गया है।

vi. जोखिम प्रबंधन

सेबी विनियम 2015 और सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बीएचईएल ने बोर्ड के सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण के बारे में सूचित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित रिस्क मैनेजमेंट चार्टर एंड पॉलिसी बिछाने की जगह दी है। चार्टर का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कंपनी भर में एक संरचित और व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करना है जो यह सुनिश्चित करता है कि जोखिमों को ठीक से पहचाना और प्रभावी रूप से प्रबंधित किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम शमन और नियमित समीक्षा और जोखिमों की निगरानी शामिल है।

बोर्ड स्तर पर कंपनी के जोखिम शासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी के साथ एक बोर्ड स्तर जोखिम प्रबंधन समिति (BLRMC) होती है।

जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आर एम एस सी) कंपनी के जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करती है। आर एम एस सी , कॉरपोरेट फ़ंक्शंस और बिज़नेस सेक्टर्स के फ़ंक्शनल हेड्स शामिल हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को अपनाने और लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। व्यापार क्षेत्र / क्षेत्र / इकाइयों के स्तर पर जोखिम प्रबंधन समितियां (RMC) जोखिम प्रोफाइल और जोखिम शमन योजनाओं की समीक्षा और संबंधित इकाइयों / क्षेत्रों के लिए उनके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

vii. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में खुलासे की जानकारी बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है और यह अनुलग्नक I से पैरा 1.9.5.2 "कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा" के रूप में उपलब्ध है।

viii. नियमन 32 (7 ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से उठाए गए धन के उपयोग का विवरण

शून्य

ix. सूचीबद्ध संस्था और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म / नेटवर्क इकाई में सभी संस्थाओं के लिए भुगतान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क, जिसका वैधानिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है ।

वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क और वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण में शाखा ऑडिटर को नोट 34 में बताया गया है। सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा अलग से नियुक्त किया गया था और वही लेखा परीक्षक नहीं थे जिन्होंने भेल के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया हो।

x. कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन प्रमाण पत्र

कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र संलग्न है।

2.16 संचार के माध्यम

लिस्टिंग विनियमों के तहत, कंपनी बोर्ड मीटिंग्स के स्टॉक एक्सचेंजों को अग्रिम रूप से एक नोटिस जारी करती है, जिसमें विचाराधीन / ऑडिट किए गए वित्तीय परिणाम विचार के लिए होते हैं। इसके अलावा, उक्त परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को रिकॉर्ड / अनुमोदित किए जाने के तुरंत बाद सूचित कर दिए जाते हैं। ये अनुमोदित वित्तीय परिणाम बोर्ड या समिति की बैठक के समापन के 48 घंटों के भीतर पूरे भारत में या पूरे भारत में और दैनिक समाचार पत्र में प्रसारित होने वाले क्षेत्र के भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं, जहां पंजीकृत कंपनी का कार्यालय स्थित है और कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर भी अपलोड किया गया है।

शेयरधारकों से संबंधित अन्य जानकारी अर्थात। निर्देशन में परिवर्तन, अवैतनिक

लाभांश का विवरण, वार्षिक रिपोर्ट आदि, कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं। आधिकारिक समाचारों में प्रमुख आयोजनों की प्राप्ति, प्रमुख परियोजनाओं के चालू होने, महत्वपूर्ण सहयोगों, अन्य सामग्री की घटनाओं जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है और साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को भेजा जाता है। 2018-19 के दौरान, जबकि BHEL ने विश्लेषकों या निवेशकों को वित्तीय परिणामों पर कोई प्रस्तुति नहीं दी है, सम्मेलन कॉल तिमाही के बाद वित्तीय परिणाम घोषणा के साथ आयोजित किए गए थे, स्टॉक एक्सचेंजों को पूर्व सूचना देने और अपनी वेबसाइटों पर समान पोस्ट करने के लिए। BHEL ने नियमित आमने-सामने बातचीत के अलावा विभिन्न निवेशक सम्मेलनों / बैठकों में भी भाग लिया है।

सूचीकरण विनियमों के विनियमन 46 के अनुपालन में, कंपनी अपनी वेबसाइट की सूचनाओं का प्रसार करती है जिसमें अंतर-आलिया होती है, निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना, आचार संहिता, आरपीटी से निपटने की नीति, आरपीटी के साथ संपर्क करने, नामित अधिकारियों के संपर्क की जानकारी निवेशक शिकायतों आदि की सहायता और संचालन के लिए जिम्मेदार हैं ।

भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के " ग्रीन इनिशिएटिव्स " के अनुसरण में, कंपनी उन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना भेजती है जिन्होंने डिपॉजिटरी आवेदकों के साथ अपना ईमेल आईडी पंजीकृत किया है। / RTA और वार्षिक रिपोर्ट की एक भौतिक प्रति के लिए विकल्प नहीं चुना है। इस पहल की निरंतर सफलता के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स / आरटीए के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करें।

2.17 सामान्य शेयरधारक जानकारी

क्र.सं.	एजीएम की दिनांक	समय	स्थान
i	सितम्बर 19, 2019	10:00 पूर्वाह्न	मानेकशॉ केंद्र , परेड रोड , खैबर लाइन ,दिल्ली कैंट, दिल्ली - 110010
ii	वित्त वर्ष	अप्रैल 01, 2018 से मार्च 31, 2019	
iii	बुक- क्लोजर दिनांक	सितम्बर 13, 2019 से सितम्बर 19, 2019 तक (दोनों दिन सम्मिलित)	
iv	लाभांश भुगतान दिनांक	18 अक्टूबर 2019 को या उससे पहले	

v. लाभांश इतिहास:

भेल 1976-77 से लगातार लाभांश का भुगतान कर रहा है। पिछले आठ वर्षों में भेल द्वारा दिए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

वर्ष	लाभांश दर	कुल लाभांश भुगतान किया गया (करोड़ रु. में)	लाभांश घोषित होने की तिथि
2011-2012 (अंतरिम)	136%	665.75	02.03.2012*
2011-2012 (अंतिम)	184%	900.72	19.09.2012
2012-2013 (अंतरिम)	106%	518.89	01.02.2013*
2012-2013 (अंतिम)	164.50%	805.26	20.09.2013
2013-2014 (अंतरिम)	65.50%	320.64	05.02.2014*
2013-2014 (अंतिम)	76%	372.04	19.09.2014
2014-2015 (अंतरिम)	27%	132.17	12.02.2015*
2014-2015 (अंतिम)	31%	151.75	22.09.2015
2015-2016(अंतिम	20%	97.9	22.09.2016
2016-2017(अंतरिम)	40%	195.81	07.02.2017*
2016-2017 (अंतिम)	39%	190.92	22.09.2017
2017-2018 (अंतरिम)	40%	293.72	08.02.2018*
2017-2018 (अंतिम)	51%	374.48	19.09.2018*
2018-2019 (अंतरिम)	40%	278.57	05.02.2018*
2018-2019 (अंतिम)	60%	417.85	**

** निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें अंतरिम लाभांश घोषित किया गया था।*

*** बोर्ड ने 27.05.2019 को आयोजित अपनी 505 वीं बैठक में 2018-19 के लिए अंतिम लाभांश की सिफारिश की, जो एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।*

ध्यान दें:

(1) विभाजन के लिए 04.10.2011 से, शेयरों की संख्या 48.952 करोड़ 10/- प्रति शेयर से बढ़कर 244.76 करोड़ 2/- रुपये प्रति शेयर हो गई है ।

(2) 2017-18 के दौरान, कंपनी ने 03.10.2017 को 1:2 के अनुपात में अपने शेयरधारकों को बोनस इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। यानी प्रत्येक दो पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के लिए प्रत्येक के लिए रु .2 का नया बोनस इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किया गया। नतीजतन, शेयरों की कुल संख्या में 244.76 करोड़ से 367.14 करोड़ की वृद्धि हुई है ।

(3) 2018-19 के दौरान, कंपनी ने 18,,93,36,645 के बाय बैक को पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को जारी किया है, जो कंपनी के शेयरधारकों की कुल जारी और पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हुए रिकॉर्ड तिथि पर किया गया है। (यानी मंगलवार, 06 नवंबर, 2018), की कीमत पर "निविदा प्रस्ताव" प्रक्रिया के माध्यम से एक आनुपातिक आधार पर रु .628 (रुपए अस्सी-सिक्स ओनली) प्रति शेयर शेयर नकद में देय राशि, कुल मिलाकर रु। 1,628.30 करोड़। नतीजतन, शेयरों की कुल संख्या 367.14 करोड़ से घटकर 348.21 करोड़ हो गई है।

(4) यदि किसी शेयरधारक ने पिछले सात वर्षों से लाभांश का दावा / प्राप्त नहीं किया है और उसे अभी तक निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आई ई पी एफ) में

स्थानांतरित नहीं किया गया है, तो वह इस अवैतनिक लाभांश का दावा कर सकता है। कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर अपलोड की गई प्रक्रिया। वर्ष 2010-11 (अंतरिम) और 2010-11 (फाइनल) के लिए लावारिस लाभांश पहले ही वर्ष 2018-19 के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2011-12 (अंतरिम), 2011-12 (अंतिम) और 2012-13 (अंतरिम) के लिए लावारिस लाभांश क्रमशः 06.04.2019, 24.10.2019 और 03.03.2020 पर आई ई पी एफ को हस्तांतरित होने के कारण है।

(5) लाभांश / शेयरों के संबंध में जो आई ई पी एफ को हस्तांतरित किए गए हैं, शेयरधारक, आई ई पी एफ प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके उसका का दावा कर सकते हैं। ये नियम आई ई पी एफ की वेबसाइट (www.iepf.gov.in) और कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर उपलब्धहैं।

vi. a) स्टॉक एक्स्चेंज में लिस्टिंग और स्टॉक कोड

बीएचईएल के शेयर जिनके लिए 2018-19 के दौरान लिस्टिंग फीस अदा की गई है निम्नलिखित स्टॉक एक्स्चेंज में लिस्ट हुए हैं :

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
1. बीएसई लिमिटेड फिरोज जीजाबाई टॉवर, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई – 400 001	500103
2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट सं. सी/1, ब्लॉक-जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुम्बई- 400 051	बीएचईएल

b) डिपॉजिटरी को वार्षिक कस्टोडियन शुल्क का भुगतान

एनएसडीएल और सीडीएसएल को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक कस्टोडियन शुल्क का भुगतान किया गया है।

vii. बीएसई और एनएसई में वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्येक माह के दौरान बीएचईएल के शेयरों और बाजार सूचकांक के उच्च, निम्न, क्लोज और वॉल्यूम नीचे दिए गए हैं:

बाजार मूल्य आँकड़े : वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रत्येक माह के उच्च, निम्न और बंद भाव

माह	बीएसई				एनएसई				बाजार सूचकांक (बंद)	
	उच्च	निम्न	क्लोज	वॉल्यूम	उच्च	निम्न	क्लोज	वॉल्यूम	एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स	एनएसई निफ्टी
	(रुपयों में)			(शेयरों की सं. करोड़ में)	(रुपयों में)			(शेयरों की सं. करोड़ में)		
अप्रैल-18	91.10	81.65	87.75	0.70	91.15	81.55	87.80	9.67	35160.36	10739.35
मई-18	89.55	73.95	83.35	1.62	89.50	73.70	83.65	20.98	35322.38	10736.15
जून-18	84.00	69.45	71.75	1.17	83.55	69.10	71.75	15.45	35423.48	10714.30
जुलाई-18	78.30	64.50	73.95	1.80	78.35	64.45	74.05	19.01	37606.58	11356.50
अगस्त-18	82.65	71.80	80.60	1.48	82.65	71.70	80.60	16.60	38645.07	11680.50
सितम्बर-18	83.25	67.70	68.40	1.53	83.30	67.50	68.50	15.46	36227.14	10930.45
अक्टूबर-18	77.55	66.35	68.85	1.99	77.65	66.35	68.75	25.91	34442.05	10386.60
नवम्बर-18	73.90	65.25	68.80	1.71	73.95	65.10	68.15	31.99	36194.30	10876.75
दिसम्बर-18	73.55	61.55	73.00	2.08	73.50	61.70	73.10	26.44	36068.33	10862.55
जनवरी-19	74.75	63.00	64.70	1.71	74.80	63.20	64.70	19.62	36256.69	10830.95
फरवरी-19	65.95	56.25	64.55	1.49	66.00	56.20	64.45	19.05	35867.44	10792.50
मार्च-19	75.40	64.70	74.90	2.56	76.35	64.65	74.95	32.14	38672.91	11623.90

स्रोत: www.bseindia.com / www.nseindia.com

viii. **इनसाइडर ट्रेडिंग पर नीति:**

बीएचईएल अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखने और ऐसी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयास करता है। इस उद्देश्य के लिए और सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 के अनुसार, कंपनी ने 26 अगस्त, 2002 को "इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता" को अपनाया था, जिसे बाद में 29 जनवरी, 2009 को संशोधित किया गया था।

बोर्ड ने 6 अप्रैल, 2015 को आयोजित अपनी 469 वीं बैठक में सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमों 2015 के अनुरूप 'इनसाइडर द्वारा नियमन और रिपोर्टिंग व्यापार के लिए आचार संहिता और निष्पक्ष प्रकटीकरण, 2015' को मंजूरी दी। सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियम, 2018, बोर्ड ने 01.04.2019 से प्रभावी व्यक्तियों और उनके तत्काल संबंधियों के लिए नियत और रिपोर्टिंग ट्रेडिंग के लिए संशोधित भेल कोड ऑफ कंडक्ट और रिपोर्टिंग ट्रेडिंग को भी मंजूरी दी थी। संहिता का उद्देश्य संशोधित व्यक्तियों के नियमन, निरीक्षण और रिपोर्ट के अनुसार नामित व्यक्तियों के तत्काल संबंधियों को सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन के रूप में संशोधित करने के लिए है। कोड अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए प्रथाओं और प्रक्रियाओं को भी प्रदान करता है। हेड – ' सी एस एम ' इस कोड के तहत कंपनी का मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी (सीआईआरओ) है।

ix. **रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर टी ए)**

दिल्ली पता	**हैदराबाद पता**
कार्वी फिन्टेक प्राइवेट लि. (पूर्व में कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. के नाम से जाना जाता था) **इकाई : बीएचईएल** 305, नई दिल्ली आवास , 27, बाराखम्बा रोड , नई दिल्ली – 110 001 दूरभाष : 011- 43681700 फैक्स : 011-43681710	कार्वी फिन्टेक प्राइवेट लि. (पूर्व में कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. के नाम से जाना जाता था) **इकाई : बीएचईएल** कार्वी सेलेनियम टावर-बी , प्लॉट- 31-32, गाचीबाउली , फिनांसियल डिस्ट्रिक्ट , नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032 दूरभाष : 040-67162222 फैक्स : 040-23001153 ई-मेल : madhusudhan.ms@karvy.com einward.ris@karvy.com वेबसाइट : www.karvyfintech.com

शेयरधारकों की सेवा में आरटीए का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। सभी निवेशक शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया गया है।

x.**शेयर ट्रांसफर सिस्टम**

भौतिक शेयरों के संबंध में शेयर ट्रांसफर प्रणाली में ट्रांसफ़र से हस्तांतरण विलेख के साथ शेयरों की प्राप्ति इसका सत्यापन, अनुमोदन और सूचीकरण नियमों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर संबंधित ट्रांसफ़रियों को विधिवत समर्थन प्रमाणपत्रों को भेजना , जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं, । लिस्टिंग विनियमों के अनुरूप, हस्तांतरण, उप-विभाजन और समेकन के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं। दस्तावेजों की रसीद / प्रेषण जैसे भौतिक खंड के तहत सभी शेयर हस्तांतरण गतिविधियां और उनका सत्यापन मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

शेयरधारकों से यह अनुरोध किया जाता है कि सेबी के अनुसार सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (चतुर्थ शोधन) विनियम, 2018 को 08.06.2018 को अधिसूचित और 01.04.2019 से लागू होने के अनुसार, स्थानांतरण को प्रभावित करने के लिए अनुरोध (प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के मामले को छोड़कर)। प्रतिभूतियों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिभूतियों को डिपॉजिटरी के साथ डीमैटेरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है।

xi. **शेयरहोल्डिंग वितरण**

i. 31 मार्च 2019 तक होल्डिंग के आकार के अनुसार शेयरों का वितरण

कुल इक्विटी शेयर	**शेयर होल्डरों की सं.**	**शेयर होल्डरों का %**	**शेयरों की सं.**	**शेयर होल्डिंग का %**
1-500	439766	86.91	52455847	1.51
501-1000	34853	6.89	25968758	0.75
1001-2000	18280	3.61	26125523	0.75
2001 -3000	5650	1.12	14612374	0.42
3001-4000	1999	0.39	7072179	0.2
4001-5000	1468	0.29	6733737	0.19
5001-10000	2310	0.46	16358825	0.47
10001 and above	1675	0.33	3332736112	95.71
कुल	**506001**	**100**	**3482063355**	**100**

ii. **शेयरहोल्डिंग पैटर्न (दिनांक मार्च 31, 2019 की स्थिति)**

श्रेणी	2019		2018	
	मतदान शक्ति (%)	शेयरों की सं.	मतदान शक्ति (%)	शेयरों की सं.
प्रोमोटर शेयर धारक				
भारतीय प्रोमोटर -				
भारत का राष्ट्रपति (पी.ओ.आई.)	63.17	2199650402	63.06	2315178000
कुल प्रोमोटर	63.17	2199650402	63.06	2315178000
गैर- प्रोमोटर शेयर धारक				

श्रेणी	2019		2018	
	मतदान शक्ति (%)	शेयरों की सं.	मतदान शक्ति (%)	शेयरों की सं.
बैंक, वित्तीय संस्थान, इंसुरेंस कम्पनियाँ	15.47	538614388	15.54	570575233
विदेशी संस्थागत निवेशकर्ता (योग्यता प्राप्त विदेशी निवेशकर्ता शामिल)	11.68	406746839	13.04	478725147
म्यूचुअल फंड एवं यू.टी.आई	3.07	106944845	2.96	108739531
अन्य				
वैयक्तिक	4.66	161941594	4.1	150369894
कॉर्पोरेट निकाय	0.8	27954095	0.9	32995668
एन.आर.आई.	0.25	8714644	0.22	8109847
ट्रस्ट	0.1	3616635	0.13	4722943
निबटान कर्ता सदस्य	0.79	27641632	0.05	1800754
आई.ई.पी.एफ.	0.01	236031	0	180718
निदेशक एवं सम्बंधित	0	2250	0	2265
कुल गैर- प्रोमोटर शेयर धारक	36.83	1282412953	36.94	1356222000
सकल योग	100	3482063355	100	3671400000

टिप्पणी: वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने 18,93,36,645 रुपये के बायबैक को पूरी तरह से जारी किए गए कुल शेयरों के 5.16% का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरी तरह से इक्विटी शेयरों का भुगतान किया है और कंपनी के इक्विटी शेयर पूंजी को अपने शेयरधारकों से रिकॉर्ड तिथि (जैसे मंगलवार, 06 नवंबर) को जारी किया है। 2018), रुपये की कीमत पर "निविदा प्रस्ताव" प्रक्रिया के माध्यम से एक आनुपातिक आधार पर। प्रति शेयर 86 (रुपए अस्सी सिक्स ओनली) प्रति शेयर के हिसाब से नकद में रुपये 1628.30 करोड़ देय है। । नतीजतन, शेयरों की कुल संख्या 367.14 करोड़ से घटकर 348.21 करोड़ हो गई है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न मार्च 31,2019 को

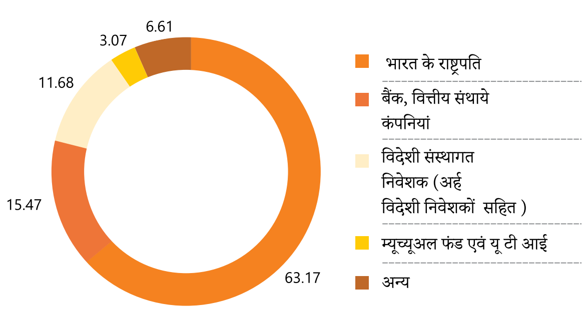

iii .कम्पनी में 1% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों की सूची (मार्च 31, 2019 की स्थिति)

श्रेणी एवं शेयर धारक का नाम	मार्च 31, 2019	
	मतदान शक्ति	शेयरों की सं.
प्रोमोटर		
1. भारत का राष्ट्रपति	63.17	2199650402
गैर- प्रोमोटर		
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	10.07	350647914
2. भारतीय जीवन बीमा निगम प्लस 1 ग्रोथ फंड	1.01	35024598

xii. शेयरों का डिमेटीरियलाइजेशन एवं लिक्विडिटी

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) के निदेशो के अनुसार, 5 अप्रैल, 1999 से सभी श्रेणियों के निवेशकर्ताओं द्वारा बी.एच.बी. शेयरों में डीमेट प्रारूप के तहत व्यवसाय आवश्यक है। बीएचईएल ने देश के दोनों डिपॉजिटरी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के डीमेट मोड के तहत अपनी सिक्योरिटीज के प्रवेश के लिए समझौते को अंजाम दिया है। 31 मार्च, 2019 तक, 99.96% (एनएसडीएल: 98.15%, सीडीएसएल: 1.81%)भेल की कुल इक्विटी शेयर पूंजी शेयरधारकों द्वारा डीमैट मोड में आयोजित की जा रही है। शेयरधारकों द्वारा भौतिक मोड में रखे गए शेयर 0.04% हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति की शेयरहोल्डिंग (कंपनी के प्रमोटर के पास 63.17% कंपनी की पेड-अप शेयर कैपिटल है) भी डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में है। कंपनी को आवंटित अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई 257A01026 है।

xiii. बकाया जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:

शून्य

xiv. क्रेडिट रेटिंग का विवरण – पृष्ठ सं. 26 पर दिया गया है।

xv. विदेशी विनिमय जोखिम या कमोडिटी मूल्य जोखिम तथा हेजिंग गतिविधियाँ

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हेजिंग गतिविधियों / लेनदेन को कंपनी द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरूप किया गया है।

पूरे वर्ष में इकाई द्वारा वाली वस्तु और सामना की जाने कमोडिटी जोखिम के लिए सूचीबद्ध इकाई का एक्सपोजर:

a) वस्तुओं के लिए सूचीबद्ध संस्था का कुल जोखिम: रु. 3500 करोड़ (लगभग)

b) विभिन्न वस्तुओं के लिए सूचीबद्ध इकाई की सामग्री :

कमोडिटी का नाम	कमोडिटी में एक्सपोजर करोड़ रु. में (लगभग)	कमोडिटी में एक्सपोजर की मात्रा (मी.टन में) (लगभग)	कमोडिटी डेरिवेटिव द्वारा इस प्रकार किए गए हेज एक्सपोजर का प्रतिशत				
			घरेलू बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	एक्सचेंज	ओटीसी	एक्सचेंज	
स्टील	3030	592000			-	-	
कॉपर	431	8200					

c)प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं जैसे स्टील, कॉपर, एल्युमीनियम आदि को विभिन्न भेल इकाइयों की आवश्यकताओं को एक सीमा तक ध्यान में रखते हुए, संभवत: मूल्य लाभ प्राप्त करने के लिए एक विशेष इकाई द्वारा केंद्रीकृत तौर पर अधिप्राप्ति की जा रही है। मूल्य में उतार-चढ़ाव के खिलाफ कंपनी को प्रोत्साहित करने के लिए, समय-समय पर फ्रेमवर्क समझौतों को अंतिम रूप दिया जाता है।

xvi. संयत्रों की लोकेशन

बीएचईएल की विनिर्माण इकाईयां	
बेंगुलुरु	1. इलेक्ट्रॉनिक्स डिविजन (ईडीएन) 2. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिविजन (ईएसडी) 3. एलेक्ट्रो प्रोसीलीन डिविजन (ईपीडी)*
भोपाल	4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट (एचईपी)
गोइंदवाल	5. इंड्रस्टियल वाल्व्स प्लांट (आईवीपी)
हरिद्वार	6. हेवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट प्लांट (हीप) 7. सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी)
हैदराबाद	8. हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट (एचपीईपी)
जगदीशपुर	9. इंसुलेटर प्लांट (आईपी)* 10. सेंट्रल स्टेंपिंग एवं फैब्रीकेशन प्लांट (सीएस एंड एफपी)*
झांसी	11. ट्रांसलेटर प्लांट (टीपी)
रुद्रपुर	12. कंपोनेंट फैब्रीकेशन प्लांट (सीएफपी)
रानीपेट	13. बॉयलर एक्सिलरीज प्लांट (बीएपी)
तिरुचिरापल्ली	14. हाइ प्रेशर बॉयलर प्लांट (एचपीबीपी) 15. सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट (एसएसटीपी)
थिरुमयम	16. पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट (पीपीपीयू)
विशाखापत्तनम	17. हेवी प्लेट्स एवं वेसल प्लांट (एचपीवीपी)
बीएचईएल की मरम्मत इकाईयां	
मुम्बई	1. इलेक्ट्रिकल मशीन रिपयर प्लांट (ईएमआरपी)
वाराणसी	2. हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट (एचईआरपी)
बीएचईएल की सहायक कंपनी	
कासारगोड	1. बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लि. (बीएचईएल-ईएमएल)

- *1 अप्रैल 2019 से IP और CS&FP का आपस में विलय हो गया है और इसका नया नाम फैब्रीकेशन, स्टेंपिंग इंसुलेटर प्लांट (एफएसआईपी) हो गया है । ईपीडी को पुनर्नामित करते हुए "इलेक्ट्रिकल एवं फोटोवोल्टिक डिविजन" किया गया है*

xvii. **पत्राचार का पता**

शेयरधारक शेयरों के हस्तांतरण, लाभांश की गैर-रसीद, लाभांश वारंटों के पुन: सत्यापन और कंपनी के शेयरों से संबंधित किसी भी अन्य पत्राचार के बारे में अपने सवाल भेज सकते हैं:

कार्वी फिन्टेक प्राइवेट लि.
(पूर्व में कार्वी कम्पूटरशेयर प्रा. लि. के नाम से जाना जाता था)

इकाई : बीएचईएल
दिल्ली:
305, नई दिल्ली आवास, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली – 110 001
दूरभाष : 011- 43681700, फैक्स : 011-43681710

हैदराबाद:
कार्वी सेलेनियम टावर-बी , प्लॉट- 31-32,
गाचीबाउली , फिनांसियल डिस्ट्रिक्ट , नानकरामगुडा,
हैदराबाद – 500 032, दूरभाष : 040-67162222, फैक्स : 040-23001153

ई-मेल : madhusudhan.ms@karvy.com
einward.ris@karvy.com

अथवा

श्री राजीव कालरा दूरभाष : 011-26001046
कम्पनी सेक्रेटरी फैक्स : 011-66337533
बीएचईएल ई- मेल : shareholderquery@bhel.in
रजि. कार्यालय:
बीएचईएल हाउस ,
सिरी फोर्ट , नई दिल्ली – 110 049

नोट: इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को सभी पत्राचार को संबोधित करना चाहिए।

घोषणा: लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, यह घोषित किया गया है कि सभी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बीएचईएल के "व्यापार आचरण और आचार संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है.

बीएचईएल के निदेशक मंडल के लिए एवं की तरफ से

(डॉ. नलिन सिंघल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई, 2019

निदेशकों की गैर-अयोग्यता प्रमाण पत्र

(विनियमन के लिए उद्देश्य 34(3) एवं अनुसूची V पैरा C धारा(10) (i) सेबी के (सूचीबद्द दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियम, 2015)

सेवा में
सदस्यगण,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049.

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सीआईएन: एल74899डीएल1964जीओआई004281 और बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049 (इसके बाद कंपनी के रूप में जाना जाता है) में पंजीकृत कार्यालय के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और खुलासे की जांच की, इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत विनियमन 34(3) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचियाँ और अस्वीकरण आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करते हुए) विनियमन,2015 की अनुसूची v पैरा-सी उपखंड 10(1) के साथ पढ़ें।

हमारी राय और हमारी जानकारी एवं सत्यापन (निदेशकों की पहचान संख्या सहित (डीआईएन) पोर्टल www.mca.gov.in पर स्थिति) के अनुसार कंपनी और उसके निदेशक/ अधिकारियों द्वारा हमें आवश्यक सुसज्जित और स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन के रूप में, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय या कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

+	निदेशक के नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1	अतुल सोबती	06715578	01.01.2016
2	सुभाष चन्द्र पाण्डेय	01613073	31.03.2016
3	अमित वर्धन	08401348	27.03.2019
4	रामाचन्द्रन स्वामीनाथन	01811819	01.12.2018
5	सूरामा पाधी	07681896	02.02.2017
6	देश गोयल दीपक	07739221	23.09.2017
7	रणजीत राय	07942234	23.09.2017
8	राजेश शर्मा	01586332	20.02.2019
9	देवाशीष बंद्योपाध्याय	07221633	01.08.2015
10	सुबोध गुप्ता	08113460	18.04.2018
11	सुब्रामणियम बालाकृष्णन	07804784	01.06.2018
12	मनोज कुमार वर्मा	08308714	19.12.2018
13	कमलेश दास	08376769	01.03.2019

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/ निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के साथ, जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

अग्रवाल एस एवं एसोसिएट्स के लिए,

कंपनी सचिव,

सीएस सचिन अग्रवाल

सहभागी

एफ़सीएस सं. : 5774

सीपी. सं. : 5910

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: मई 18, 2019

कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में

सदस्य,

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

1. हमने 31 मार्च, 2019 कॉ समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (सीआईएन एल74899डीएल1964जीओआई004281) द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच कर ली है, जैसा कि उक्त कंपनी के भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और लोक उध्यम विभाग द्वारा मई 2010 मेँ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) मेँ कॉर्पोरेट अभिशासन पद्यति पर दिशानिर्देशों मेँ उल्लेख है।

2. कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की ज़िम्मेदारी प्रबंधन पर है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों को कंपनी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओ और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कंपनी का लेखा परीक्षण है और न ही वित्तीय विवरण पर राय की अभिव्यक्ति।

3. हमारी राय और हमें दी गई सूचना के अनुसार हम प्रमाणित करते है कि कंपनी ने डीपीई के दिशानिर्देश और सेबी (एलओडीआर) 2015 के नियम 17 (1) (बी) के अन्तर्गत कॉर्पोरेट अभिशासन को छोड़कर बोर्ड के आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की सारी शर्तों का अनुपालन किया है।

4. हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कंपनी द्वारा किया गया अनुपालन न तो भविष्य मेँ कंपनी की व्यवहार्यता और न ही प्रबंधन की उस कार्यकुशलता या प्रवाभोत्पादकता का आश्वासन देता है जिसके आधार पर कंपनी के प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

(आशु गुप्ता)
पेशेवर कंपनी सचिव
सीओपी. न. : 6646

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 3 मई, 2019

फॉर्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्यगण,

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सचिवीय लेखापरीक्षण किया और पाया कि **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सीआईएनः एल74899डीएल1964जीओआई004281** (जिसे बाद में कंपनी कहा गया है). सचिवीय लेखापरीक्षण इस तरह से किया गया है कि हमें कॉर्पोरेट संचालन/ वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया ।

सचिवीय लेखापरीक्षण के दौरान कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, फॉर्म एवं दायर रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए आँय रिकॉर्ड के साथ ही कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी उनके अधिकारी, एजेंट, प्राधिकृत प्रतिनिधि ऑडिट के दौरान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2019 को हमारे सत्यापन के आधार पर यह पाया गया कि कंपनी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करती है साथ ही उचित बोर्ड-प्रक्रियाओं और अनुपालन-तंत्र को यहाँ रिपोर्टिंग के अधीन रखा गया है।

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा राखी गई पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त की किताबों, फॉर्म और दायर रिटर्न व अन्य रिकॉर्ड की जांच की है। इन प्रावधानों के अनुसार:

i) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियम

ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एमसीआरए) और इसके तहत बनाए गए नियम

iii) डिपोजिटरी अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम और उप नियम 1966

iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम

v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनिमय और दिशा निर्देश:-

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का वास्तविक अधिग्रहण और टेकओवर) विनिमय, 2011;

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यवसाय का निषेध) विनिमय,, 2015;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकता जारी करना) विनिमय, 2009

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्पत योजना एवं कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशा निर्देश, 1999 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियाँ अंक लिस्टिंग व जारी करना) विनिमय, 2008 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);

च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पंजीयकों का अंक एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट) विनियमन, 1993 (कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के बारे में);

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियमन, 2009 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटीज का बायबैक) विनियमन, 1998।

झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूची और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015.

vi) हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू अनुपालन नियमों और संबंधित दस्तावेजों की जाँच तथा रिकॉर्ड में लिए गए विवरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी पर लागू निम्नलिखित विशेष तौर पर लागू नियमों का पालन किया है:

क) कारख़ाना अधिनियम, 1948;

ख) भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923;

ग) खतरनाक रसायन के निर्माण, भंडारण और आयात अधिनियम, 1989;

घ) परमाणु ऊर्जा (विकिरण सुरक्षा) अधिनियम, 2004; और

ङ) बैट्रीज़(प्रबंधन और हैंडलिंग) अधिनियम, 2001.

हमने, निम्नलिखित उपखंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

i) इन्स्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशक मण्डल की बैठकों (एसएस-1) और आम बैठकों (एसएस-2) के संबंध में सचिवीय मानक और

ii) लोक उध्यम विभाग द्वारा अपने ओएम न. 18(8) 2005-जीएम दिनाँक 14 मई 2010 द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देश।

समीक्षा काल के दौरान कंपनी ने ऊपर दिये गए अधिनियमों, क़ानूनों, प्रावधानों, दिशा-निर्देशों, मानकों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) और कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश के पैरा 3.1.4 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन अपेक्षानुसार नहीं था। जैसा कि कंपनी के बोर्ड मेन स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है।

कंपनी ने व्याख्या दी है कि बीएचईएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते स्वतंत्र निदेशकों का नामांकन/नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी ने पहले ही बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के नामांकन के लिए भारी उध्योग विभाग, भारी उध्यम मंत्रालय, भारत सरकार को अनुरोध कर दिया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों का उचित अनुपालन करते हुये किए गए थे।

सामान्यत: बोर्ड की वैठक की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट सभी निदेशकों को कम से कम स्सत दिन पहले भेज दिया जाता है और बैठक से पहले कार्यसूची की अग्रिम जानकारी और स्पष्टीकरण को मांगने और प्राप्त करने के लिए एक तंत्र मौजूद है। जिससे वैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

बैठकों के कार्यवृत को विधिवत रिकॉर्ड कर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाते है और इस कार्यवृत में बोर्ड का निर्णय अंतिम होता है तथा कोई अनावश्यक मामलों कॉ रिकॉर्ड में नहीं लिया जाता है।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा के आधार पर और अपनी बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए विधिक अनुपालनों के प्रमाण पत्र के आधार पर विचार है कि कंपनी के आचार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी के पास पर्याप्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएं हैं और कंपनी लागू क़ानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी एवं इनका अनुपालन सुनिश्चित करती है।

हम आगे सूचित करते हैं कि लेखा परीक्षण के दौरान:-

क) अनुच्छेद 5ए के सम्मिलन द्वारा अनुच्छेद 5 के बाद के शेयरों की वापसी खरीद के बारे में संगति के लेख के परिवर्तन के लिए 19 सितंबर, 2018 को आयोजित वार्षिक आम वैठक में विशेष संकल्प पारित किया गया था।

ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013, (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) कंपनी नियम 2014 और भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी) 2018 के अनुपालन में शेयरों की वापसी खरीद की थी।

कृते के.के.सचदेव एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

के. के. सचदेव

प्रोपराइटर

एफ़सीएस सं. 7153, सीपी सं. 4721

स्थान: नई दिल्ली

दिनाँक: 30 मई,2019

प्रपत्र सं. एमजीटी-9
वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन)

नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में)

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i सीआईएन	:	L74899DL1964GOI004281
ii) पंजीकरण तिथि	:	13th नवंबर, 1964
iii) कंपनी का नाम	:	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
iv) श्रेणी/ कंपनी की उप-श्रेणी	:	सार्वजनिक कंपनी/ सरकारी कंपनी/ शेयरों द्वारा लिमिटेड
v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	:	बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली- 110049 Tel: 011-66337000 Fax: 011-66337428 Email: shareholderquery@bhel.in
vi) क्या कंपनी सूचीबद्ध है (हाँ / नहीं)	:	हाँ
vii) रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	:	कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड(पूर्व में-कार्वी कंम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड) कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, फाइनेंशियल जिला, नानकरामगुड़ा,हैदराबाद-500032 Tel: 040-67162222 Fax: 040-23001153 Website: www.karvyfintech.com Email: madhusudhan.ms@karvy.com einward.ris@karvy.com

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के सभी व्यावसायिक कार्यकलाप कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या उससे अधिक योगदान का ब्योरा:-

क्र. सं	मुख्य उत्पादों/ सेवाओ का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का	कंपनी के कुल कारोबार का
1	पावर प्लांट का निर्माण	4220	30%
2.	स्टीम जनरेटर के साथ उपयोग के लिए सहायक संयंत्र सहित स्टीम जेनरेटर का निर्माण	2513	28%
3.	सहायक उपकरण सहित टर्बाइन, जेनेरेटर सेट का निर्माण	2811	21%
4.	इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण तथा नियंत्रण उपकरण आदि का निर्माण	2710	10%

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ जीएलएन	सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	**बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लिमिटेड** 283/1&2, गाँव पुत्तुर, डाकघर बेद्राद्का, कासरगोड, केरल- 671124	U31909KL2011GOI027440	सहायक	51%	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87)
2.	**रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड** # 22/23, सुदर्शन कॉम्प्लैक्स, शेषाद्री रोड़, बेंगलूरू- 560009	U40101KA2009PLC049582	सहयोगी	27.97%	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6)
3.	**दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड** शेड न. 7, एमपीएसईबी कॉम्प्लैक्स, रामपुर, जबलपुर- 482008	U40100MP2010PLC023131	सहयोगी	50% (परिसमापन के अधीन जे वी)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6)
4.	**बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लिमिटेड** चतुर्थांश सं।.1, 7वीं मंजिल, माँड्यूल – ए1,ए2,ए3, साइवर टावर, हाइटेक सिटी, माधापुर, हैदराबाद-500081	U51505TG1997PTC040657	सहयोगी	50% घटाकर एक शेयर	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6)
5.	**एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्टस प्रा. लिमिटेड** एनटीपीसी भवन स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003	U40102DL2008PTC177307	सहयोगी	50%	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6)
6.	**पावरप्लांट परफारमेंस इंप्रूवमेंट प्रा. लिमिटेड** ई-20, पहली और दूसरी मंजिल, हौज खास नई दिल्ली-110016	U28991DL2003PTC120915	सहयोगी	50% में एक शेयर कम (परिसमापन के अधीन)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6)

IV. शेयरधारिता पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार शेयर पूंजी का ब्रेकअप)

(i) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2018 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2019 को)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन *
	डिमेट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	डिमेट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ़	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) केंद्र सरकार	2315178000	0	2315178000	63.06	2199650402	0	2199650402	63.17	0.11
ग) राज्य सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) निकाय कॉर्पो	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) बैंक / एफ़आई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च) कोई अन्य....	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप-योग (क)(1):-	**2315178000**	**0**	**2315178000**	**63.06**	**2199650402**	**0**	**2199650402**	**63.17**	**0.11**
(2) विदेशी									
क) एनआरआई -व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) अन्य – व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग) निकाय कॉर्पो	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) बैंक / एफ़आई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप-योग (क)(2):-	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
प्रवर्तक की कुल शेयरहोल्डिंग(क) = (क)(1)+(क)(2)	**2315178000**	**0**	**2315178000**	**63.06**	**2199650402**	**0**	**2199650402**	**63.17**	**0.11**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
(1) संस्थाएं									
क) म्युचुअल फंड/ यूटीआई	108715531	24000	108739531	2.96	106921845	23000	106944845	3.07	0.11
ख) बैंक / एफ़आई	190546296	6000	190552296	5.19	157185871	5000	157190871	4.51	-0.68
ग) केंद्र सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) राज्य सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) वेंचर कैपीटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च) बीमा कंपनियां	380019937	3000	380022937	10.35	381421517	2000	381423517	10.96	0.61
छ) एफ़आईआईएस	478711647	13500	478725147	13.04	406742339	4500	406746839	11.68	-1.36
ज) विदेशी उद्यम पूंजीगत निधि	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2018 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2019 को)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन *
	डिमेट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	डिमेट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	
i) अन्य (निर्दिष्ठ करें)									
योग्य विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप-योग (ख)(1):-	**1157993411**	**46500**	**1158039911**	**31.54**	**1052271572**	**34500**	**1052306072**	**30.22**	**-1.32**
(2) गैर-संस्थाएं									
a) कॉर्प निकाय.									
i) भारतीय	32342263	7000	32349263	0.88	27862206	2500	27864706	0.80	-0.08
ii) विदेशी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
b) व्यक्ति									
i) 1 लाख रुपये तक नाममात्र शेयरपूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयर धारक	141895635	1621461	143517096	3.91	154214412	1309890	155524302	4.47	0.56
ii) 1 लाख रुपये से अधिक की नाममात्र शेयरपूंजी रखने बाले व्यक्तिगत शेयर धारक	6852798	0	6852798	0.19	6417292	0	6417292	0.18	-0.01
ग) अन्य (निर्दिष्ठ करें)									
समाशोधन सदस्य	1795799	4955	1800754	0.05	27636677	4955	27641632	0.79	0.74
निदेशक	2265	0	2265	0.00	2250	0	2250	0.00	0.00
आईईपीएफ़	180718	0	180718	0.00	236031	0	236031	0.01	0.01
एनबीएफ़सी	646405	0	646405	0.02	89389	0	89389	0.00	-0.02
अप्रवासी	8091097	18750	8109847	0.22	8695894	18750	8714644	0.25	0.03
भारतीय	4722943	0	4722943	0.13	3616635	0	3616635	0.11	-0.02
न्यास	**196529923**	**1652166**	**198182089**	**5.40**	**228770786**	**1336095**	**230106881**	**6.61**	**1.21**
उप-योग बी)(2):-	**1354523334**	**1698666**	**1356222000**	**36.94**	**1281042358**	**1370595**	**1282412953**	**36.83**	**-0.11**
कुल सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	3669701334	1698666	3671400000	100.00	3480692760	1370595	3482063355	100.00	0.00
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेयर									
कुल योग									
(क+ख+ग)									

*कंपनी के कुल शेयरों में प्रतिशत शेयरहोल्डिंग के संबध में.

(ii) प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग

क्र. सं	शेयरहोल्डर का नाम	वर्ष की शुरूआत में शेयरहोल्डिंग(01.04.2018 के अनुसार)			वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग(के अनुसार31.03.2019)			वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में % परिवर्तन*
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से वचनबद्ध/ एकत्रित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से वचनबद्ध/ एकत्रित शेयरों का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	2315178000	63.06	0.00	2199650402	63.17	0.00	0.11
	कुल	**2315178000**	**63.06**	**0.00**	**2199650402**	**63.17**	**0.00**	**0.11**

*कंपनी के कुल शेयरों में शेयरधारण के प्रतिशत के संबंध में

(iii) प्रवर्तकों के शेयरधारण में परिवर्तन

क्र. सं	नाम	शेयर होल्डिंग वर्ष की शुरूआत में (01.04.2018)/ वर्ष के अंत में(31.03.2019)		वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग(01.04.2018 से 31.03.2019)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	2315178000	63.06					
				11.01.2019	-115527598	Buyback	2199650402	63.17
		2199650402	**63.17**	**31.03.2019**			**2199650402**	**63.17**

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशक, प्रवर्तक, जीडीआर एवं एडीआर धारकों को छोड़ कर) का शेयरधारण पैटर्न

क्र. सं	नाम	शेयर होल्डिंग वर्ष की शुरूआत में (01.04.2018)/ वर्ष के अंत में(31.03.2019)		वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग(01.04.2018 से 31.03.2019)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	345680880	9.42					
				29.03.2019	4967034	क्रय	350647914	10.07
		350647914	10.07	31.03.2019			350647914	10.07
2	पाइनब्रिज निवेश जीएफ़ मॉरीशस लिमिटेड	37875005	1.03					
				11.01.2019	-3545357	वायबैक	34329648	0.99
			0.99	31.03.2019			34329648	0.99
3	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस 1 ग्रोथ फंड	37409820	1.02					
				22.03.2019	-910222	बिक्री	36499598	1.05
				29.03.2019	-1475000	बिक्री	35024598	1.01
		35024598	1.01	31.03.2019			35024598	1.01

क्र. सं	नाम	शेयर होल्डिंग वर्ष की शुरूआत में (01.04.2018)/ वर्ष के अंत में(31.03.2019)		वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग(01.04.2018 से 31.03.2019)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
4	पाइनब्रिज ग्लोबल फंड- पाइनब्रिज इंडिया इक्विटी	34613206	0.94					
				08.06.2018	1000000	क्रय	35613206	0.97
				15.06.2018	-532032	बिक्री	35081174	0.96
				06.07.2018	977340	क्रय	36058514	0.98
				20.07.2018	226165	क्रय	36284679	0.99
				27.07.2018	1547877	क्रय	37832556	1.03
				07.09.2018	2200000	क्रय	40032556	1.09
				11.01.2019	-3920083	वायबैक	36112473	1.04
				22.02.2019	-2500000	बिक्री	33612473	0.97
		33612473	0.97	31.03.2019			33612473	0.97
5	एलआईसी ऑफ इंडिया मनी प्लस ग्रोथ फंड	33610222	0.92					
				22.03.2019	-3340000	बिक्री	30270222	0.87
				29.03.2019	-6586485	बिक्री	23683737	0.68
		23683737	0.68	31.03.2019			23683737	0.68
6	फिडेलिटी प्यूरिटन ट्रस्ट- फिडेलिटी लो- प्राईज्ड स्टॉक फंड	30750000	0.84					
				11.01.2019	-970000	बिक्री	29780000	0.81
				11.01.2019	-4779710	वायबैक	25000290	0.72
				18.01.2019	-1000000	बिक्री	24000290	0.69
				01.02.2019	-2600000	बिक्री	21400290	0.61
				15.02.2019	-100000	बिक्री	21300290	0.61
				22.02.2019	-100000	बिक्री	21200290	0.61
				01.03.2019	-2200000	बिक्री	19000290	0.55
				08.03.2019	-5413600	बिक्री	13586690	0.39
				15.03.2019	-4586400	बिक्री	9000290	0.26
		9000290	0.26	31.03.2019			9000290	0.26
7	भारतीय जीवन बीमा निगम पी एवं जीएस फंड	28354485	0.77		कोई परिवर्तन नहीं, किंतु वायबैक के कारण प्रदत्त शेयर पूंजी में कमी के कारण कंपनी के कुल शेयरों के संदर्भ में वृद्धि			
		28354485	0.81	31.03.2019			28354485	0.81
8	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस ग्रोथ फंड	27580762	0.75					
				22.03.2019	-3380000	बिक्री	24200762	0.70
				29.03.2019	-2255913	बिक्री	21944849	0.63
			0.63	31.03.2019			21944849	0.63
9	एलआईसी ऑफ इंडिया प्रॉफ़िट प्लस ग्रोथ फंड	26071882	0.71					
				22.03.2019	-1331000	बिक्री	24740882	0.71
				29.03.2019	-1655000	बिक्री	23085882	0.66
		23085882	0.66	31.03.2019			23085882	0.66

क्र. सं	नाम	शेयर होल्डिंग वर्ष की शुरूआत में (01.04.2018)/ वर्ष के अंत में(31.03.2019)		वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग(01.04.2018 से 31.03.2019)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
10	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं लि.. - ए/सी रिलायंस टेक्स सेवर (ईएलएसएस) फंड	18900000	0.51					
				13.04.2018	4499990	क्रय	23399990	0.64
				20.04.2018	10	क्रय	23400000	0.64
				14.09.2018	-2700000	बिक्री	20700000	0.56
				26.10.2018	-9900000	बिक्री	10800000	0.29
		10800000	0.31	31.03.2019			10800000	0.31
11	जेपी मॉर्गन इंडियन इंवेस्टमेंट कंपनी (मॉरीशस) लि.	17153584	0.47	26.10.2018#				
				11.01.2019	-1680544	वायबैक	15473040	0.44
		15473040	0.44	31.03.2019			15473040	0.44
12	इंन्टीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजी एशिया पीटीई लि.	23968150	0.65	07.12.2018#				
				14.12.2018	-9386378	बिक्री	14581772	0.40
				21.12.2018	-520170	बिक्री	14061602	0.38
				11.01.2019	-282980	वायबैक	13778622	0.40
				08.02.2019	277357	क्रय	14055979	0.40
				15.02.2019	832071	क्रय	14888050	0.43
				22.02.2019	-106733	बिक्री	14781317	0.42
				01.03.2019	-204777	बिक्री	14576540	0.42
				08.03.2019	-311319	बिक्री	14265221	0.41
				15.03.2019	-600356	बिक्री	13664865	0.39
				22.03.2019	-319839	बिक्री	13345026	0.38
				29.03.2019	-832087	बिक्री	12512939	0.36
		12512939	0.36	31.03.2019			12512939	0.36
13	बीएनपी परिबस पंचायत	17346816	0.50	11.01.2019#				
				25.01.2019	-1921104	बिक्री	15425712	0.44
				01.02.2019	-2883000	बिक्री	12542712	0.36
				08.02.2019	-42957	बिक्री	12499755	0.36
				15.02.2019	-292500	बिक्री	12207255	0.35
				01.03.2019	-2692500	बिक्री	9514755	0.27
				08.03.2019	-38306	बिक्री	9476449	0.27
				15.03.2019	4047803	क्रय	13524252	0.39
				22.03.2019	1006500	क्रय	14530752	0.42
				29.03.2019	53142	क्रय	14583894	0.42
			0.42	31.03.2019			14583894	0.42

क्र. सं	नाम	शेयर होल्डिंग वर्ष की शुरूआत में (01.04.2018)/ वर्ष के अंत में(31.03.2019)		वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग(01.04.2018 से 31.03.2019)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
14	आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल वैल्यू डिस्कवरी फंड	24332375	0.70	25.01.2019#				
				01.02.2019	1500000	क्रय	25832375	0.74
				08.02.2019	2980499	क्रय	28812874	0.83
				15.03.2019	-2302941	बिक्री	26509933	0.76
				22.03.2019	-2701932	बिक्री	23808001	0.68
				29.03.2019	-23430980	बिक्री	377021	0.01
		377021	0.01	31.03.2019			377021	0.01
15	अमुंडी फंड्स एसबीआई एफ़एम इक्टी इंडिया	19874815	0.57	01.03.2019#				
				22.03.2019	2163021	क्रय	22037836	0.63
				29.03.2019	8707579	क्रय	30745415	0.88
		30745415	0.88	31.03.2019			30745415	0.88
16	इन्वेस्को पर्पेचुअल	20458766	0.59	08.03.2019#				
		एशियन फंड		15.03.2019	2493880	क्रय	22952646	0.66
				22.03.2019	932835	क्रय	23885481	0.69
				29.03.2019	2866943	क्रय	26752424	0.77
		26752424	0.77	31.03.2019			26752424	0.77

टिप्पणी: जेपी मॉर्गन इंडियन इन्वेस्टमेंट कंपनी (मॉरीशस) लिमिटेड, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज एशिया पीटीई लिमिटेड, बीएनपी पारिबस आर्बिट्रेज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, अमुंडी फंड्स एसबीआई एफएम इक्विटी इंडिया और इंव्सको पर्पेचुअल एशियन फंड का विवरण केवल शीर्ष दस शेयरधारकों की सूची में प्रवेश की तारीख से दिखाया गया है।

(i) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	नाम सर्वश्री	वर्ष की शुरूआत में (01.04.2018)/ वर्ष के अंत में (31.03.2019) शेयर होल्डिंग		वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग (01.04.2018 से 31.03.2019)/ समाप्ति तक)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	दिनाँक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	अतुल सोबती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2250	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		2250	0.00	31.03.2019			2250	0.00
2	डॉ सुभाष चन्द्र पाण्डेय, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.03.2019			0	0.00
3	भास्कर ज्योति महँता, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (18.05.2018 तक)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	18.05.2018			0	0.00
4	प्रवीण एल. अग्रवाल, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (18.05.2018 से 27.03.2019 तक)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	27.03.2019			0	0.00
5	अमित वर्धन, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (27.03.2019 से)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.03.2019			0	0.00
6	राजेश किशोर, स्वतंत्र निदेशक(19.12.2018 तक)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	19.12.2018			0	0.00
7	केशव एन. देशीराजू, स्वतंत्र निदेशक (30.11.2018 तक)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	30.11.2018			0	0.00
8	आर. स्वामीनाथन, स्वतंत्र निदेशक	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.03.2019			0	0.00
9	सुश्री सुरमा पाधी, स्वतंत्र निदेशक	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.03.2019			0	0.00
10	देश दीपक गोयल, स्वतंत्र निदेशक	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.03.2019			0	0.00
11	रणजीत राय, स्वतंत्र निदेशक	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.03.2019			0	0.00
12	राजेश शर्मा, स्वतंत्र निदेशक (20.02.2019 से)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
			0.00	31.03.2019			0	0.00
13	डी. बंद्योपाध्याय, निदेशक (एचआर)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.03.2019			0	0.00

क्र. सं.	नाम सर्वश्री	वर्ष की शुरूआत में (01.04.2018)/ वर्ष के अंत में (31.03.2019) शेयर होल्डिंग		वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग (01.04.2018 से 31.03.2019)/ समाप्ति तक)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	दिनाँक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
14	अमिताभ माथुर, निदेशक (आईएस एंड पी) (31.05.2018 तक)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.05.2018			0	0.00
15	सुब्रत बिस्वास, निदेशक (ई,आर एंड डी) (28.02.2019 तक)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	28.02.2019			0	0.00
16	अखिल जोशी, निदेशक (पावर) (30.09.2018 तक)	15	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		15	0.00	30.09.2018			15	0.00
17	सुबोध गुप्ता, निदेशक (वित्त) 18.04.2018 से)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.03.2019			0	0.00
18	एस. बालाकृष्णन, निदेशक (आईएस एंड पी) (01.06.2018 से)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.03.2019			0	0.00
19	मनोज कुमार वर्मा, निदेशक (पावर) (19.12.2018 से)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.03.2019			0	0.00
20	कमलेश दास, निदेशक (ई,आर एंड डी) (01.03.2019 से)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.03.2019			0	0.00
21	आई. पी. सिंह, कंपनी सचिव(16.12.2018 तक)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	16.12.2018			0	0.00
22	राजीव कालरा, कंपनी सचिव(17.12.2018 से)	0	0.00		कोई परिवर्तन नहीं			
			0.00	31.03.2019			0	0.00

$ श्री राजेश किशोर और श्री आर. स्वामीनाथन, स्वतंत्र निदेशकों को 01.12.2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया। उनका पहला कार्यकाल 30.11.2018 को समाप्त हुआ था।

v. ऋण ग्रस्तता

ब्याज बकाया /अर्जित सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, लेकिन भुगतान के कारण नहीं

(करोड़ रुपये)

	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋण ग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता	शून्य	**57.18**	शून्य	**57.18**
i) मूल राशि				
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया				
iii) उपार्जित ब्याज किंतु देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)	शून्य	**57.18**	शून्य	**57.18**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• अधिकता	957.27	1538.27	0.00	2495.54
• कटौती				
निवल परिवर्तन	**957.27**	**1538.27**	**0.00**	**2495.54**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	957.27	1595.45	0.00	2552.72
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया				
iii) उपार्जित ब्याज किंतु देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)	**957.27**	**1595.45**	**0.00**	**2552.72**

vi.निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

रुपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/ डबल्यूटीडी/ प्रबंधक का नाम (सर्वश्री)				
		अतुल सोबती सीएमडी	डी. बंधोपाध्याय, निदेशक (एचआर)	अमिताभ माथुर, निदेशक (आईएस एंड पी) *31.05.18 तक	सुब्रत विस्वास, निदेशक (ई,आर एंड डी) * 28.02.19 तक	अखिल जोशी, निदेशक (पावर) *30.09.18 तक
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	6465328	5841515	3225440	7317405	4426563
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	40200	599306	371372	810872	671840
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ					
2.	स्टॉक विकल्प					
3.	स्वेट इक्विटी					
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें					
5.	अन्य, उल्लेख करें					
	कुल	**6505528**	**6440821**	**3596812**	**8128277**	**5098403**

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

(रुपये में.)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/ डबल्यूटीडी/ प्रबंधक का नाम (सर्वश्री)				कुल राशि
		सुबोध गुप्ता, निदेशक (वित्त) * 18.04.18 से	एस. बालाकृष्णन, निदेशक	मनोज कुमार वर्मा, निदेशक (पावर) * 19.12.18 से	कमलेश दास, निदेशक (ई,आर एंड डी) * 01.03.19 से	
1.	सकल वेतन					
	((क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	5100204	* 01.06.18 से	2354680	* 01.03.19 से	40565808
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	258571	340137	11284	21378	3124960
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ					
2.	स्टॉक विकल्प					
3.	स्वेट इक्विटी					
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में अन्य, उल्लेख करें					
5.	अन्य, उल्लेख करें					
	कुल (क)	**5358775**	**4944723**	**2365964**	**1251464**	**43690768**
	अधिनियम के अनुसार सीमा	**लागू नहीं**				

टिप्पणी: वेतन में छुट्टी नगदीकरण और वेतन पुनरीक्षण एरियर शामिल है ।

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(रुपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम(सर्व श्री)							कुल राशि
1.	**स्वतंत्र निदेशक**	राजेश किशोर *19.12.18 तक	केशव एन. देसीराजू *30.11.18 तक	आर. स्वामीनाथन	**सुश्री सुरमा पाधी**	**देश दीपक गोयल**	**रंजीत राय**	राजेश शर्मा *20.02.19 से	
	• **बोर्ड/ समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क**	295000	155000	380000	375000	305000	295000	-	1805000
	• **कमीशन**	-	-	-	-	-	-	-	-
	• **अन्य, कृपया उल्लेख करें**	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (1)	**295000**	**155000**	**380000**	**375000**	**305000**	**295000**	-	**1805000**
2.	**अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक**	**डॉ. सुभाष चंद्र पांडेय**	**भास्कर ज्योति मोहंता *18.05.18 तक**	**प्रवीण एल. अग्रवाल *18.05.18 से 27.03.19 तक**	**अमित वर्धन * 27.03.19 से**	-	-	-	-
	• बोर्ड/ समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
	• कमीशन	-	-	-	-	-	-	-	-
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-	- -	-
	कुल (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल (ख)=(1+2)	**295000**	**155000**	**380000**	**375000**	**305000**	**295000**	-	**1805000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क+ख)								**45495768**
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	सरकारी कंपनी होने के कारण, निदेशकों को दिये गए बैठक शुल्क सहित प्रबंधकीय पारिश्रमिक की सीमा से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 बीएचईएल पर लागू नहीं है।							

ग. एमडी /प्रबंधक /डबल्यूटीडी को छोड़कर मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(रुपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (श्री/सुश्री)				
		सीईओ	**आई पी सिंह कंपनी सचिव * 16.12.18 तक**	**राजीव कालरा कंपनी सचिव * 17.12.18 से**	**सीएफ़ओ**	**कुल राशि**
	सकल वेतन					
	((क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	सारणी VI (क) के अनुसार	3763883	1801007	सारणी VI (क) के अनुसार	5564890
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य		14138	2380		16518
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ					
2	स्टॉक विकल्प					
3	स्वेट इक्वटी					
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें					
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें					
	कुल		**3778021**	**1803387**		**5581408**

टिप्पणी: वेतन में छुट्टी नगदीकरण और वेतन पुनरीक्षण एरियर शामिल है ।

II. अपराधों का जुर्माना /दण्ड /समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए दण्ड/जुर्माना/ समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट]	की गई अपील, यदि कोई हो तो (ब्योरा दें)
दण्ड					
जुर्माना					
समझौता					
चूककर्ता अन्य अधिकारी			लागू नहीं		
दण्ड					
जुर्माना					
समझौता					

बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध-III

सीईओ और सीएफ़ओ प्रमाणन

(सेबी (एलओडीआर) अधिनियम 2015 के 17(8) की शर्तों के अनुसरण में)

सेवा में,

निदेशक मंडल
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
नई दिल्ली

क)हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण तथा कैश फ़्लो विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार:

(I) इन विवरणों में ऐसा कोई असत्य विवरण या छोड़ दी गई जानकारी अथवा भ्रमित करने वाले विवरण नहीं पाये गए हैं।

(ii) ये विवरण कंपनी के मामलों के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं

ख)हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ऐसे किसी प्रकार के लेन-देन में शामिल नहीं पायी गई जो कि झूठे, गैर कानूनी अथवा कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले हों।

ग) हम कंपनी के वित्तीय मामलों में आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग स्थापित करने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने इस आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर लिया है और हमने इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या प्रचालन में पायी गयी कमियों, यदि कोई हो तो और जिनकी हमें जानकारी है, को लेखा परीक्षकों, लेखा परीक्षा समिति की जानकारी में ला दिया है तथा इन कमियों को दूर करने के उपाय किए जा चुके हैं या किया जाना प्रस्तावित है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्न प्रकार सूचित किया है:

(i) वर्ष 2018-19 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो तो;

(ii) वर्ष 2018-19 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो तो और वित्तीय विवरणों में टिप्पणियों का खुलासा किया जा चुका है; और

(iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के उदाहरण, जिनके बारे में हम जागरूक हो गए हैं और इसमें वित्तीय प्रबंधन पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या किसी कर्मचारी की, यदि कोई हो, की भागीदारी है।

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 27 मई, 2019

पर्यावरण की देखभाल

उत्सर्जन नियंत्रण

बीएचईएल देश में एसओएक्स (Sox) उत्सर्जन नियंत्रण के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम (एफ़जीडी), कण नियंत्रण के लिए उच्च क्षमता वाला इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटिटर्स एवं एनओएक्स (Nox) उत्सर्जन नियंत्रण के लिए चयनात्मक उत्प्रेरक कम करने वाली प्रणालियों का निर्माण कर उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण क्षेत्र में एकल सबसे बड़े निर्माता के रूप में उभरा है।

वर्ष 2018 में, बीएचईएल को 17 सेट एफजीडी के ऑर्डर मिले तथा एससीआर के 2 सेट – जो कि किसी भी एक एकल निर्माता के लिए अधिकतम है। इसके साथ, 32 एफजीडी सेट और 11 एससीआर सेट के ऑर्डर प्राप्त कर इस क्षेत्र में बीएचईएल अपनी नेतृत्व की प्रतिष्ठा को बनाए हुए है।

इन-हाउस विनिर्माण क्षमताओं सहित दुनिया में शीर्ष प्रौद्योगिकी से प्राप्त सहयोग बीएचईएल को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाए रखता है।

ट्रॉम्बे 1x250 मेगावाट के लिए समुद्री जल FGD प्रणाली

बीएचईएल द्वारा निर्मित 3x660 मेगावाट ललितपुर थर्मल पावर स्टेशन, सुपरक्रिटिकल सेट

निरंतर विकास

बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध-IV

निरंतर विकास

4.1 निरंतर निष्पादन-पर्यावरण

निरंतर विकास की अवधारणा बीएचईएल की प्रबंधन प्रक्रियाओं में निहित है और यह हमारे मिशन वाक्य "ऊर्जा,उद्योग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निरंतर व्यावसायिक समाधान प्रदान करना" में प्रतिबिंबित होता है। निरंतरता बीएचईएल के लिए अपने आप में एक अहम प्रतिज्ञा है क्योंकि यह हमें व्यापारिक पहलुओं जैसे –लागत मूल्य में कमी एवं दक्षता सुधार करने के लिए नए तरीकों की खोज करने, ब्रांड वैल्यू को बनाने और बढ़ाने, नियामक के साथ-साथ व्यावसायिक जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने, नई ख़ोज को बढ़ावा देने और कर्मचारियों में सम्मान की भावना पैदा करने में मदद करता है।

निरंतर विकास के लिए ट्रिपल बॉटम लाइन दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक वातावरण, सुशासन, समाज के समावेशी विकास को सतत विकास के स्तंभ के रूप में सही परिप्रेक्ष्य में रखते हुए हमारे प्रबंधन के सभी फैसले लिए जाए तथा एक नैतिक तरीके से व्यावसायिक विकास को प्राप्त किए जाए।

प्राकृतिक पर्यावरण के मामले को संबोधित करने के लिए, पर्यावरण संवर्धन की दिशा में हमारे प्रयासों का उद्देश्य पर्यावरण को मौलिक रूप में बहाल करने तथा हमारे पर्यावरण के नुकसान को कम करने से है। हमारे मूल्य श्रृंखला में यह अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल एवं जीवन चक्र के दौरान समग्र पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाने वाले क्लीनर उत्पादों के विकास की दिशा में हमारे प्रयासों में प्रतिबिंबित होता है। हमारी आंतरिक प्रक्रियाओं में, अक्षय ऊर्जा उपयोग बढ़ाना, तीव्र गतिविधियों द्वारा मशीनों और प्रणालियों की ऊर्जा दक्षता में सुधार, रिड्यूस, रिसाइकल एवं रियूज (3 आर) के सिद्धांतों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, क्लीनर ईंधन का प्रयोग एवं बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि इस क्षेत्र में हमारे प्रयासों को पूरी तरह दर्शाते हैं।

हमारा संगठन बड़े पैमाने पर सम्पूर्ण समाज के समावेशी विकास एवं विशेष रूप से हमारे संस्थानों के निकट की आबादी क्षेत्र पर अपने सीएसआर कार्यक्रमों और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करता है।

पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपने प्रयासों में ज्यादा परिणाम प्राप्त करने के लिए, संगठन अपने कर्मचारियों, छात्रों, आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों एवं अन्य हितधारकों के बीच व्यापक भागीदारी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस/सप्ताह/ पखवाड़ा (डबल्यूईडी), पृथ्वी दिवस इत्यादि मनाकर जागरूकता पैदा कर रहा है कि वे कैसे एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण सुरक्षा में अपना योगदान कर सकते हैं। डबल्यूईडी- 2018 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सामूहिक वृक्षारोपण, छात्रों के लिए प्रतियोगिताओं जैसे - पोस्टर बनाना, प्रश्नोत्तरी, स्लोगन लेखन, भाषण, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण मार्च आदि शामिल थे।

निरंतरता की राह पर चलते हुए संगठन ने वर्ष 2018-19 के दौरान जो यात्रा की है उसकी एक झलक निम्नलिखित शीर्षकों के तहत दी गई है।

4.1.1 सामग्री एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

बीएचईएल प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर देता है तथा उनका लगातार प्रबंधन भी करता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सामग्री और संसाधन प्रबंधन के लिए किए गए कुछ विशिष्ट गतिविधियां जिनमें शामिल हैं, इकाइयों में उत्पन्न फेरस स्क्रैप का यथासंभव इन-हाउस रीसाइक्लिंग, फेरस स्क्रैप को सीएफएफपी हरिद्वार में पुनर्चक्रण कर बड़ी कास्टिंग और फोर्जिंग बनाने हेतु भेजना एवं, पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त लकड़ी पैकिंग बनाने एवं भंडारण हेतु कप-बोर्ड इत्यादि बनाने में पुन: उपयोग, अपशिष्ट तेल का शुद्धिकरण के बाद पुन: उपयोग, हाइड्रोलिक तेल का मशीनों में पुन: उपयोग, परियोजना स्थल से लौटाए गए केबल एवं तार के टुकड़ों का घरेलू बिजली के कामों में पुनः उपयोग, सभी कारखानों में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग में कमी, एचईपी भोपाल में 32.4 किलोलीटर कूलेंट का पुनर्चक्रण, एचईपी भोपाल में 1574 मीट्रिक टन रेत के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया।

बीएचईएल द्वारा निर्मित हरिद्वार प्लांट परिसर में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, जमीन पर लगाई गई मोटर ट्रैकिंग और निष्क्रिय ट्रैकिंग मॉड्यूल

4.1.2 ऊर्जा प्रबंधन

एक कुशल तरीके से हमारे प्रतिष्ठानों की ऊर्जा आवश्यकताओं का प्रबंधन हमेशा हमारी ऊर्जा प्रबंधन प्रक्रिया का हॉलमार्क रहा है। नियमित ऊर्जा ऑडिट, इकाइयों के बीच उनकी आधुनिक ऊर्जा दक्षता उपकरणों के उपयोग द्वारा बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करना, ऊर्जा गहन इकाईयों का आईएसओ 50001 प्रमाणन, स्थायी ऊर्जा मिश्रण प्राप्त करने के लिए बेहतर ईंधन का उपयोग ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रबंधित करने में सतत तौर पर हमें सक्षम बनाती हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, हमारी इकाइयों में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों को शामिल किया गया, जिसमें परंपरागत प्रकाश फिक्सर के प्रतिस्थापन के माध्यम से एलईडी बल्बों के लगाने से ऊर्जा खपत में कमी, कूलरों में ऑटो नियंत्रित स्विच का प्रयोग, ऊर्जा की बचत के लिए मुख्य जल टैंक में ऑटो ऑन-ऑफ जल स्तर नियंत्रण प्रणाली, विद्युत उपकरणों के लिए सेंसर का उपयोग, कुछ कार्यालयों के सभी उपकरणों तथा सहायक उपकरणों के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष; ईडीएन-बेंगलुरू में प्रकाश व्यवस्था हेतु इस्तेमाल की जाने वाली बिजली उत्पादन के लिए कारखाने के अंदर इमारतों की छत पर सौर पैनलों को लगाने; बेहतर वेंटिलेशन आदि के लिए फैक्ट्री शेड के अंदर टर्बो वेंटिलेटर का उपयोग आदि शामिल है।

पिछले कुछ वर्षों में, अक्षय ऊर्जा का उपयोग संगठन की ऊर्जा प्रबंधन रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसने हमें अपने परिसर के अंदर स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने, बिजली के लिए डीजी सेट पर निर्भरता कम करने और बिजली के उपयोग से जुड़े कार्बन फूटप्रिंट से बचने में मदद की है। हमारे पास अब 27 मेगावाट के भूआधारित प्रमुख सौर स्थापित हैं। इनके अतिरिक्त, हमारी इकाइयों में छत-आधारित कई सोलर स्थापित हैं तथा इसके अलावा कुछ और संयंत्र स्थापित हो रहें हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से उत्पन्न 15.61 मिलियन यूनिट की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान कुल बिजली का उत्पादन 27.6 मिलियन यूनिट रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 76.8% की वृद्धि है।

4.1.3 जल और जैव विविधता प्रबंधन

जल और अपशिष्ट जल का प्रबंधन करना हमारे संगठन की निरंतर मुख्य ताकत रही है। अधिकांश इकाइयां बागवानी के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग कर रही हैं, जिससे शुद्ध जल संसाधनों की बचत हो रही है। कुल मिलाकर हमारे पास 12 दूषित जल (एफ्लुएंट) ट्रीटमेंट प्लांट्स (ईटीपी) और 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हमारी इकाइयों में कारखानों में उपयोग किए गए प्रदूषित जल और सीवेज के उपचार के लिए काम कर रहे हैं।

बीएचईएल जल संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है और अपने कारखानों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) संस्था बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है ताकि जल संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ जल निकायों के प्रदूषण भार को भी कम किया जा सके। हमारे कई कारखाने जैसे एचईईपी और सीएफएफपी हरिद्वार, एचईपी भोपाल, एचपीईपी हैदराबाद, तिरुच्चि, बीएपी रानीपेट, सीएफपी रुद्रपुर, आईपी जगदीशपुर और पीपीपीयू तिरुमयम को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। अन्य स्थानों पर एसटीपी, ईटीपी और जल पुनर्चक्रण प्रणाली की स्थापना पर काम चल रहा है ताकि अंततः इकाइयों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) बनाया जा सके। एचईईपी हरिद्वार इकाई में, 7 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) क्षमता वाले एसटीपी निर्माणाधीन है। एचईपी भोपाल इकाई में वर्षा जल संचयन के लिए 5200 घन मीटर की कुल संचयी क्षमता के 2 हौदों का निर्माण किया गया है। प्रदूषित जल के सभी मापदंडों को समय-समय पर जांचा जाता है और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्दिष्ट सीमा के भीतर पाया जाता है।

बीएचईएल भोपाल उपनगरी में रोज गार्डन

हमारी इकाइयों में, विश्व पर्यावरण दिवस (डबल्यूईडी)-2018 के अवसर पर किए गए वृक्षारोपण सहित वर्ष के दौरान कुल 21500 से अधिक पौधे लगाए गए थे। इसके अलावा, यह प्रचलित प्रथा है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा अपने संगठन के लिए दिये गए योगदान की याद में अपने सेवा-निवृत्ति के दिन पर पौधे लगाए जाते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, एचईपी भोपाल में 8000, तिरुच्चि में 8276, एचईईपी और सीएफएफपी हरिद्वार में 500, टीपी झांसी में 1500, टीपी रुद्रपुर में 100, सीएसयूएफपी जगदीशपुर में 170, आईपी जगदीशपुर में 300, और पीपीपीयू तिरुमयम में 200 पौधे लगाए गए। ईडीएन बेंगलुरु इकाई में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए शहर के अंदर 2500 पौधे वितरित किए गए। इस तरह से हमारी इकाइयों द्वारा कुल 21500 से अधिक पौधे उनके अंदर के क्षेत्र में या आसपास लगाए गए। ये लगाए गए पौधे एवं पेड़ों की मौजूदा सूची कार्बन सिंक के रूप में काम कर रही है, जो वायु प्रदूषण को कम कर रही है और भूजल को बढ़ाने में भी मदद कर रही है।

4.1.4 कार्बन प्रबंधन

ऊर्जा संरक्षण/दक्षता उपायों, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और बेहतर स्वच्छ ईंधन के प्रयोग करने के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन की दिशा में किए गए ठोस प्रयासों द्वारा हमें अपने कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम कम करने में काफी मदद मिली है। हमारे परिसर के अंदर स्वयं के उपयोग के लिए स्थापित सौर प्रणालियों से उत्पन्न हरित ऊर्जा के उपयोग के कारण, हमने 2018-19 के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (MT CO2-e) के लगभग 26499 मीट्रिक टन के कार्बन फुटप्रिंट से बचाव किया है जो 2017-18 के आंकड़ों की तुलना में लगभग 71.5% अधिक है ।

4.1.5 अपशिष्ट प्रबंधन

हमारे कार्य से उत्पन्न कचरे का स्थायी रूप से प्रबंधन करना हमारे व्यापार प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमारे कार्य से कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करना, उत्पन्न अपशिष्ट का पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अपशिष्ट को कम करने के लिए धातु की चादरें काटने के लिए बेहतर नेस्टिंग योजना, सीएफएफपी हरिद्वार इकाई में फेरस स्क्रैप के पुनर्चक्रण, और इकाइयों में उत्पन्न विभिन्न स्क्रैप के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण द्वारा हमें 3 आर (रिड्यूस-रीसायकल-रीयूज) के सिद्धांत के माध्यम से हमें कचरे का प्रबंधन करने में मदद मिलती है।

बीएचईएल में वर्ष 2018-19 के दौरान सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए की गई विशिष्ट गतिविधियों के कुछ उदाहरणों में एचईईपी हरिद्वार, आईपी जगदीशपुर, एचईआरपी वाराणसी और एचपीबीपी तिरुच्चि इकाइयों में जैविक कचरे से खाद निर्माण शामिल है; आईपी जगदीशपुर और ईडीएन बेंगलुरु में विभिन्न प्रकार के स्क्रैप जैसे लोहा, प्लास्टिक, प्रयुक्त तेल, रसायन आदि के भंडारण के लिए भिन्न-भिन्न डिब्बे प्रदान करना; ईडीएन बेंगलुरु में अपशिष्ट पदार्थों से अलग डिब्बे बनाना; एचईपी भोपाल में वृक्ष रक्षक के रूप में 300 ड्रमों का पुन: उपयोग; एचईपी भोपाल की फाउंड्री में 1000 मीट्रिक टन के एमएस और 47 मीट्रिक टन तांबा स्क्रैप का पुन: उपयोग; ईडीएन बेंगलुरु में इन-हाउस सिविल कार्यों और गड्ढा भरने के लिए भवन निर्माण मलबे का उपयोग; आईपी जगदीशपुर में फुटपाथ/ प्लेटफार्म बनाने में सामग्री के स्टैकिंग के लिए अस्वीकृत इंसुलेटर का उपयोग; एचपीबीपी तिरुच्चि में 67.5 किलो लीटर तेल का पुनर्ग्रहण आदि।

बीएचईएल के पास, पुनर्विक्रय मूल्य वाले ठोस अपशिष्ट/ स्क्रैप को एकल किया गया, अलग किया गया, संग्रहीत किया गया और अधिकृत रिसाइकिलर्स को बेचा गया। खतरनाक कचरे/ ई-कचरे का निपटान प्रासंगिक क़ानूनों की शर्तों के अनुसार किया गया।

4.2 निरंतर प्रदर्शन – सामाजिक

वर्ष के दौरान बीएचईएल को निम्नलिखित सीएसआर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

1. "सीएसआर टाइम्स अवार्ड्स -2018" "आजीविका श्रेणी में"।

2. "पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड्स -2017" इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए

3. "स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड"- जिला खरगोन, मप्र में हमारे सीएसआर हस्तक्षेप के लिए

4. हीमोफिलिया फेडरेशन (इंडिया) ने वर्ष के दौरान दो बार बीएचईएल को सम्मानित किया।

वर्ष 2018-19 में सीएसआर गतिविधियां

बीएचईएल ने सीएसआर हस्तक्षेपों के लिए सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान

की है। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ प्रमुख हस्तक्षेपों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्वच्छ भारत

तत्कालीन सीएमडी, बीएचईएल द्वारा नोएडा के सेक्टर 17 में आम जनता हेतु एक आधुनिक पब्लिक यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन

- बीएचईएल ने सतना नगर निगम (एमपी) को 3 पाँच सीटर मोबाइल शौचालय वैनें प्रदान की।
- बीएचईएल ने बलिया जिले (यूपी) के ग्राम पंचायत चौरवन, ब्लॉक- सियार में स्थित पांच प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी।

हरिद्वार और ऋषिकेश के पास गंगा नदी के किनारे बीएचईएल द्वारा स्थापित बायो-डाइजेस्टर शौचालय

- बीएचईएल ने हरिद्वार और ऋषिकेश में 25 बायो-डाइजेस्टर शौचालयों के निर्माण के लिए अपना कार्यक्रम जारी रखा। इनमें से 18 समूहों को पूरा कर लिया गया है और जनता के उपयोग के लिए परिचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

शिक्षित भारत

- बीएचईएल ने लतिका रॉय मेमोरियल फाउंडेशन, देहरादून स्थित गैर एक सरकारी संगठन के कार्यक्रम "लतिका विहार-सभी का स्वागत है" को अपना सहयोग प्रदान किया। यह मंद बुद्धि वाले बच्चों और युवा वयस्कों के समग्र विकास और समावेश के बौद्धिक विकास के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है।
- बीएचईएल ने उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुंडा बस्ती, झालना महल, झालन, जयपुर में मिड-डे मील शेड के निर्माण के लिए एक सीएसआर परियोजना को मंजूरी दी है।

- बीएचईएल ने गिर्राज सरकारी डिग्री कॉलेज, निजामाबाद, तेलंगाना की चारदीवारी बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की। इससे कॉलेज में

बीएचईएल की प्रमुख इकाइयों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु सुविधा उपलब्ध है

खासकर गर्ल्स हॉस्टल के लिए एक सुरक्षित वातावरण विकसित करने में मदद मिलेगी।

- बीएचईएल ने सरकारी पॉलिटेक्निक, निजामाबाद, तेलंगाना में स्थित छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास के लिए बिल्डिंग के निर्माण के लिए सीएसआर प्रोजेक्ट लिया है। इससे पॉलिटेक्निक में अपने अध्ययन के दौरान हॉस्टल आवास की जरूरत वाले गरीब छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

- बीएचईएल ने भोपाल में शैक्षिक छात्रवृत्ति के माध्यम से अनाथों, विधवाओं के बच्चों और अलग-अलग विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

- बीएचईएल ने कर्नाटक के बेंगलुरु के तीन सरकारी हाई स्कूलों में कंप्यूटर लैब की सुविधा प्रदान की।

- बीएचईएल की विभिन्न विनिर्माण इकाइयों एवं अन्य डिवीजनों ने हरिद्वार, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, झाँसी, गोइंदवाल, जगदीशपुर, दिल्ली-एनसीआर, कोलकाता और तिरुच्चि में बीएचईएल प्रतिष्ठानों के आसपास के कई स्कूलों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से कई अन्य सीएसआर पहल की गई, जैसे कि क्लास रूम का नवीनीकरण, शेड का निर्माण, फर्नीचर की आपूर्ति, किताबों का वितरण, शौचालयों का निर्माण, आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना, पानी की आपूर्ति में सुधार करना, खेल-कूद के सामान प्रदान करना, आरओ प्रदान करना, सभागार का नवीनीकरण, इत्यादि।

बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयों में बीएचईएल द्वारा सहायता प्राप्त आजीविका पहल और कौशल विकास कार्यक्रम एवं महिला सशक्तिकरण

स्वस्थ भारत

- बीएचईएल ने रायगढ़ जिले, महाराष्ट्र में चलाई जा रही मोबाइल मेडिकल यूनिटों की सेवाओं को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है और रत्नागिरी जिलों, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी इसी तरह की सेवा एक वर्ष के लिए शुरू की है।

बीएचईएल टाउनशिप परिसर, नोएडा में दिल्ली एनसीआर के बीएचईएल कर्मचारियों के बच्चों की दिन में देखभाल हेतु सुविधा

- महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं की सेवा प्रदान करने एवं क्षमता निर्माण के लिए एक अनूठी सीएसआर परियोजना, “रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी”, मुंबई के माध्यम से ली गई है।

- भोपाल, हरिद्वार, नागपुर और सूरत में बीएचईएल प्रतिष्ठानों के आसपास के गांवों में मुफ्त चिकित्सा शिविर और योग कक्षाएं आयोजित की गईं। जिम्मेदार भारत, समावेशी भारत और आपदा राहत

- बीएचईएल ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर एलटी लाइनों और एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एक सीएसआर परियोजना को मंजूरी दी है।

- परिवर्तन निर्माताओं में उद्यमिता और विचारों के माध्यम से समावेशी विकास और सामाजिक विकास लाने के लिए "कनेक्ट एंड चेंज प्रोग्राम" नाम की एक अनूठी सीएसआर पहल महाराष्ट्र के पालघर, राजगढ़, ठाणे और मुंबई जिलों में की गई है।

बीएचईएल द्वारा केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान के रूप में रुपये 5.24 करोड़ का चेक माननीय मुख्यमंत्री, केरल श्री पिनाराई विजयन को सौंपा गया

- बीएचईएल की भोपाल इकाई ने आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासी बच्चों को मुफ्त ट्यूशन प्रदान करने के लिए एक सीएसआर पहल की।

- बीएचईएल की हरिद्वार इकाई ने आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के कौशल विकास के लिए विभिन्न ट्रेडों जैसे ब्यूटीशियन, टेलरिंग, संगीत, अंग्रेजी भाषा आदि में अपना कार्यक्रम जारी रखा।

- बीएचईएल की आरसीपुरम, हैदराबाद इकाई ने जरूरतमंद दिव्यांगजन बच्चों के लिए तिपहिया और व्हीलचेयर, वयस्कों के लिए व्हीलचेयर, एल्बो बैसाखी, एक्सिलरी बैसाखी, वाकिंग स्टिक्स, ब्रेल कैन, एमएसआईईडी किट, बीटीई डिजिटल हियरिंग उपकरण और अन्य वस्तुएं प्रदान कर सहायता की।

- हैदराबाद में बीएचईएल की आर एंड डी इकाई ने - ऑटिज्म प्रभावित बच्चों की संस्था' AARAMBH "आरंभ", श्रवण बाधित बच्चों की संस्था आश्रय - अक्रुति - और हैदराबाद में विशेष बच्चों की संस्था श्रीविद्या केंद्र को आर्थिक सहायता प्रदान की।

खुशियां बिखेरती बीएचईएल सीएसआर की पहलें

4.3 सी एस आर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

[कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 की अपेक्षाओं के अनुसार)

क्र.सं.	विवरण		
1.	अवधि जिसके लिए सीएसआर रिपोर्ट की जा रही है:	**दिनांक 01.04.2018 से**	**दिनांक 31.03.2019 तक**
2.	इसमें बीएचईएल की सहायक कंपनी/ज्वाइंट वेंचर के सी एस आर संबंधी आकड़े/जानकारी शामिल नहीं है।		
3.	किसी अन्य संगठन की सी एस आर संबंधी गतिविधियों की जानकारी शामिल नहीं की गयी है		
4.	कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें लिए गए प्रोजेक्ट या कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी, सीएसआर नीति, परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक का संदर्भ इस रिपोर्ट के अनुबंध-क के रूप में संलग्न है।		
5.	बीएचईएल में गठित सीएसआर समिति: बीएचईएल में सीएसआर समिति बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसी) कहलाती है और इसमें निदेशक (मा.सं.), निदेशक(वित्त) एक अंशकालिक सरकारी निदेशक और कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होते हैं। समिति के गठन संबंधी कोई भी परिवर्तन या सी एस आर समिति का पुनर्गठन बोर्ड के अनुमोदन से किया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सी एस आर के लिए गठित बोर्ड स्तरीय समिति निम्न प्रकार से है:		
	नाम (सुश्री/श्री)	**पदनाम**	**सी एस आर समिति में पद**
	राजेश किशोर	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (19.12.2018 तक)
	रंजीत रे	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (20.12.2018 से)
	भास्कर ज्योति महंता, सं.स., भा.उ.मं.	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य (19.12.2018 तक)
	प्रवीण एल. अग्रवाल, सं.स., भा.उ.मं.	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य (18.05.2018 तक)
	अमित वरदान, सं.स., भा.उ.मं.	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य (18.05.2018 से 27.03.2019 तक)
	सुश्री सुरमा पाधी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (27.03.2019 से)
	डी बंद्योपाध्याय	निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य (20.12.2018 से 31.03.2019 तक)
	सुब्रत बिस्वास	निदेशक (ई, आर एंड डी) और (वित्त)	सदस्य **सदस्य (18.04.2018 से)**
	सुबोध गुप्ता	निदेशक (वित्त)	सदस्य (17.04.2018 तक)
	विवरण		राशि रूपये करोड़ में
6.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुरूप पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2015-16, 2016-17 और 2017-18) का औसत शुद्ध लाभ		रुपये 333.29 करोड़
7.	निर्धारित सी एस आर व्यय (बिंदु 6 में उल्लिखित राशि का 2%)		रूपये 6.67 करोड़
8.	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सी एस आर बजट		रूपये 6.70 करोड़
9.	वर्ष के दौरान सी एस आर पर खर्च की गयी राशि का विवरण		
	क. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनुमोदित सीएसआर बजट		रुपये 6.70 करोड़
	ख. प्रतिबद्धता के बाद भी खर्च नहीं की गयी कुल राशि (पिछले वर्षों से लाई गई)		रुपये 31.14 करोड़
	ग. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय के लिए उपलब्ध कुल राशि [क+ ख]		रुपये 37.84 करोड़
	घ. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कुल सीएसआर व्यय #		रुपये 16.01 करोड़
	ङ. प्रतिबद्धता के बाद भी खर्च न की गयी राशि (अगले वित्त वर्ष में ले जायी गई) [ग-घ]		रुपये 21.83 करोड़
	वर्ष 2018-19 में खर्च की गयी राशि के प्रकार का विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध ख के रूप में संलग्न है।		
	# बीएचईएल प्रतिष्ठानों में स्थित स्कूलों पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 19.83 करोड़ रुपये का खर्च को ध्यान में रखते हुए जो सीएसआर व्यय के रूप में योग्य है और सीएसआर व्यय के बजट से ऊपर खर्च किया गया है, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर पर खर्च की गई कुल राशि 35.84 करोड़ रुपये है। इसे ध्यान में रखते हुए, संवैधानिक 2% सीएसआर आवंटन और वास्तविक खर्च के आधार पर खर्च की जाने वाली राशि के बीच का अंतर रु 2.00 करोड़ रु. है।		

10.	धनराशि खर्च न किए जाने के कारणः क) वर्ष के दौरान ली गई कई परियोजनाएं एवं कुछ परियोजनाएं 2018-19 के बाद भी जारी रहने वाली हैं। इन परियोजनाओं पर आने वाले खर्च को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पहले से आबंटित सी एस आर बजट से पूरा किया जाएगा। ख) बीएचईएल की सी एस आर नीति के अनुसार खर्च न की गयी राशि समाप्त नहीं होगी और इसे वित्त वर्ष 2019-20 की सी एस आर परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा ।
11.	हम एतद द्वारा घोषणा करते हैं कि सी एस आर नीति का कार्यान्वयन और इसकी निगरानी कंपनी की सी एस आर नीति के उद्देश्यों के अनुपालन के लिए की जाएगी।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बीएचईएल

अध्यक्ष
सीएसआर समिति

नई दिल्ली
दिनांक: 26 जुलाई, 2019

अनुबंध-क

बीएचईएल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) नीति की रूपरेखा

सीएसआर विजन: एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनना, जो बेहतर कल बनाने के लिए प्रयासरत है।

सीएसआर मिशन:

कंपनी अधिनियम, 2013 में सूचीबद्ध सीएसआर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में कंपनी की जिम्मेदारी को ईमानदारी और प्रभावी ढंग से निर्वहन करना

नीति के उद्देश्य :

- कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (सीएसआर नीति), नियम 2014 और मौज़ूदा डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाली ऐसी परियोजनाएं और कार्यक्रमों, जिन्हें बीएचईएल शुरु करना चाहता है, का विवरण देना।
- सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका।
- सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया।
- हितधारकों को बीएचईएल में विद्यमान सीएसआर अभ्यास से अवगत कराना।
- व्यवसाय एवं सी एस आर एजेंडा को निरंरतर विकास के बृहत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना।

नीति के प्रमुख बिंदु :

- यह कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (सीएसआर नीति), नियम 2014, सी एस आर और निरंतरता पर डीपीई के दिशा निर्देशों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है।
- यह सीएसआर गतिविधियों के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को परिभाषित करती है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित हैं।
- यह हाल ही के तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% सी एस आर गतिविधियों के लिए आबंटित किए जाने का स्पष्ट उल्लेख करती है।
- कंपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए स्थानीय इलाकों को प्राथमिकता देगी और सी एस आर गतिविधियों की राशि का 75% वहाँ खर्च करेगी।
- ऐसी परियोजना, जिसका कुल मूल्य रु. 2 करोड़ या उससे अधिक है, को बड़ी परियोजना (मेगा प्रोजेक्ट) कहा जाएगा और ऐसी परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन/ गणना बाहरी एजेंसियों के माध्यम से करायी जाएगी।
- कुल वार्षिक सीएसआर बजट का 5% आपदा/विनाश के समय राहत कार्यों के लिए आपातकालीन निधि के रूप में आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है।
- कुल वार्षिक सीएसआर बजट का 5% क्षमता निर्माण हेतु आरक्षित रखा जाएगा, जिसमें प्रशासनिक ओवरहैड्स भी शामिल हैं।
- यह बीएचईएल में सीएसआर के लिए संगठनात्मक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

सीएसआर नीति का वेब-लिंक: बीएचईएल सीएसआर नीति www.bhel.com में सीएसआर अनुभाग के अंतर्गत मौज़ूद है, जिस तक http://www.bhel.com/CSR/pdf/BHEL_CSR_Policy_July%202017.pdf लिंक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

अनुलग्नक-ख

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या चिह्नित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है(अनुसूची-VII की मद संख्या) और	परियोजना या कार्यक्रम(1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य(2) राज्य और जिले जहां कार्यक्रम चलाए	व्यय राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	वर्ष 2018-19 के दौरान परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी- व्यय	सीधे (डी) या कार्यान्वयन संस्था (आई. ए.) के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन संस्था का नाम
1.	शिक्षा के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से परियोजनाएं, जिनमें एकल परियोजना की लागत ≤ रु.5.0 लाख है	2, शिक्षित भारत	स्थानीय और अन्य परियोजनाएं ज्यादातर बीएचईएल प्रतिष्ठानों के निकट उत्तराखंड (हरिद्वार, उधम सिंह नगर), यूपी (अमेठी, वाराणसी, झांसी, जीबी नगर) मध्यप्रदेश (भोपाल), तेलंगाना (हैदराबाद और आसपास के जिले), आन्ध्रप्रदेश (विशाखापत्तनम), तमिलनाडु (तिरुच्चि, तिरुमयम, वेल्लोर, चेन्नई), कर्नाटक (बेंगलुरु), महाराष्ट्र (नागपुर, मुंबई और आसपास के जिले) दिल्ली/ एनसीआर, पंजाब (तरन-तारन), बंगाल (कोलकाता)T	82.25	73.61	73.61	प्रत्यक्ष एवं कार्यान्वयन एजेंसी	बीएचईएल/ विभिन्न का. संस्था
2.	स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाएं जिनमें एकल परियोजना की लागत ≤ रु.5.0 लाख है	1, स्वस्थ भारत		20.81	17.21	17.37	प्रत्यक्ष एवं कार्यान्वयन एजेंसी	बीएचईएल/ विभिन्न का. संस्था
3.	महिला सशक्तिकरण, वृद्धाश्रम, राहत और पुनर्वास कार्यों, विकलांग व्यक्तियों की मदद आदि के उद्देश्य वाली परियोजनाएं जिनमें एकल परियोजना की लागत ≤ रु.5.0 लाख है	3, उत्तरदायी भारत		27.84	25.57	25.57	प्रत्यक्ष एवं कार्यान्वयन एजेंसी	बीएचईएल/ विभिन्न का. संस्था
4.	आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के कौशल/ व्यावसायिक प्रशिक्षण, आदिवासी लोगों की सहायता, शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर की सहायता आदि के उद्देश्य से परियोजनाएं, जिनमें एकल परियोजना की लागत ≤ रु.5.0 लाख है	2, समावेशी भारत		10.19	10.09	10.09	प्रत्यक्ष एवं कार्यान्वयन एजेंसी	बीएचईएल/ विभिन्न का. संस्था
5.	साहित्य, कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजनाएं जिनमें एकल परियोजना की लागत ≤ रु.5.0 लाख है	5, विरासत भारत		1.42	1.42	1.42	प्रत्यक्ष एवं कार्यान्वयन एजेंसी	बीएचईएल/ विभिन्न का. संस्था
6.	स्कूलों में शौचालय/मूत्रालय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परियोजनाएँ जिनमें एकल परियोजना की लागत ≤ रु.5.0 लाख है	1, स्वच्छ भारत		6.62	6.04	6.04	प्रत्यक्ष एवं कार्यान्वयन एजेंसी	बीएचईएल/ विभिन्न का. संस्था
7.	कौशल विकास पर व्यय	2, समावेशी भारत		198.98	198.98	198.98	प्रत्यक्ष	बीएचईएल

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या चिह्नित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है(अनुसूची-VII की मद संख्या) और	परियोजना या कार्यक्रम(1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य(2) राज्य और जिले जहां कार्यक्रम चलाए	व्यय राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	वर्ष 2018-19 के दौरान परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी- व्यय	सीधे (डी) या कार्यान्वयन संस्था (आई. ए.) के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन संस्था का नाम
8.	ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सा यूनिट चलाना	1 स्वस्थ भारत	स्थानीय, मध्यप्रदेश (भोपाल)	66.00	3.65	54.82	कार्यान्वयन एजेंसी	पीएचडीआरडीएफ़, नई दिल्ली
9.	ग्रामीण क्षेत्र में सौर यूटिलिटी की स्थापना	4 हरित भारत	स्थानीय, मध्यप्रदेश (भोपाल)	70.00	3.22	67.75	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
10	नगर निगम, सतना को मोबाइल टॉयलेट वैने	1 स्वच्छ भारत	स्थानीय, मध्यप्रदेश (सतना)	10.00	10.00	10.00	कार्यान्वयन एजेंसी	नगर निगम, सतना
11	नयनंदल्ली सर्कल और बस डिपो के बीच रास्ते का सौंदर्यीकरण/ रखरखाव	3 उत्तरदायी भारत	स्थानीय, कर्नाटक (बेंगलुरु)	7.20	4.22	6.66	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
12	हरिद्वार और ऋषिकेश में सामुदायिक बायो-डाइजेस्टर शौचालय	1 स्वच्छ भारत	स्थानीय, उत्तराखंड (हरिद्वार)	565.00	27.43	413.06	कार्यान्वयन एजेंसी	फिक्की नई दिल्ली
13	लतिका विहार-	3 समावेशी भारत	स्थानीय, उत्तराखंड (देहरादुन)	19.00	12.38	12.38	कार्यान्वयन एजेंसी	लतिका रॉय मेमोरियल फ़ाउंडेशन
14	सभी का स्वागत दो सामुदायिक हॉल का निर्माण	3 उत्तरदायी भारत	अन्य, उत्तरप्रदेश (सिद्धार्थनगर)	51.18	20.59	50.59	कार्यान्वयन एजेंसी	आरईडी, सिद्धार्थनगर, उत्तरप्रदेश
15	उडयन शाइनी- छात्राओं को छात्रवृत्ति	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, उत्तराखंड (हरिद्वार)	99.10	0.05	69.87	कार्यान्वयन एजेंसी	उडयन केयर,नई दिल्ली
16	मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला चलाने के लिए वित्तीय सहायता	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, उत्तराखंड (हरिद्वार)	56.19	1.82	45.15	कार्यान्वयन एजेंसी	अगस्त्य इंस्टी. फ़ाउंडेशन नई दिल्ली
17	आरपी- एचपीएलसी मशीनों की खरीदी	4 उत्तरदायी भारत	स्थानीय, बिहार (पटना)	19.80	13.86	17.62	कार्यान्वयन एजेंसी	एएन कॉलेज, पटना
18	किंग जॉर्ज अस्पताल में ब्लॉकों का निर्माण	1 स्वस्थ भारत	स्थानीय, आंध्रप्रदेश (विशाखापट्टणम)	1500.00	800.00	1200.00	कार्यान्वयन एजेंसी	एपीएमएसआईडीसी विशाखापट्टणम
19	मेधावी बीपीएल एवं विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, उत्तरप्रदेश (जी.बी. नगर)	600.00	43.44	563.44	कार्यान्वयन एजेंसी	एफ़एईए, नई दिल्ली
20	चौधरपल्ली, डबक में सामुदायिक भवन का निर्माण	3 उत्तरदायी भारत	स्थानीय, तेलंगाना (मेडक)	8.01	3.91	8.01	प्रत्यक्ष	बीएचईएल

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या चिह्नित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है(अनुसूची-VII की मद संख्या) और	परियोजना या कार्यक्रम(1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य(2) राज्य और जिले जहां कार्यक्रम चलाए	व्यय राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	वर्ष 2018-19 के दौरान परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी- व्यय	सीधे (डी) या कार्यान्वयन संस्था (आई. ए.) के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन संस्था का नाम
21	बोरवेल, पानी के टैंक, सौर दोहरी पंप का निर्माण/ स्थापना और क्षेत्र का सौंदर्यीकरण	3 उत्तरदायी भारत	स्थानीय, उत्तरप्रदेश (रायबरेली)	275.00	29.50	273.71	कार्यान्वयन एजेंसी	ज़िला पंचायत रायबरेली
22	आँखों की जांच और मोतियाबिंद सर्जरी शिविर	1 स्वस्थ भारत	स्थानीय, उत्तरप्रदेश (जी.बी. नगर)	6.50	6.50	6.50	कार्यान्वयन एजेंसी	आई केयर हॉस्पिटल, नोएडा
23	गिर्राज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की चारदीवारी का निर्माण	2 शिक्षित भारत	अन्य, तेलंगाना, निजामाबाद	100.00	20.07	20.07	कार्यान्वयन एजेंसी	जिला पंचायत राज इंजीनियर
24	सरकारी पॉलिटेक्निक में छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण।	2 शिक्षित भारत	अन्य, तेलंगाना, निजामाबाद	300.00	52.48	52.48	कार्यान्वयन एजेंसी	जिला पंचायत राज इंजीनियर
25	बीडीओ को कचरा संग्रहण के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉली	1 स्वच्छ भारत	अन्य, तमिलनाडु, (रामनाथनपुरम)	6.89	6.03	6.03	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
26	नगरपालिका स्थित स्कूल के विद्यार्थियों को 5000 शैक्षिक टैबलेट का वितरण	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, महाराष्ट्र (मुंबई)	312.50	15.60	312.50	कार्यान्वयन एजेंसी	आकांक्षा बांद्रा (ई), (मुंबई)
27	चंद्रपुर टीपीएस के पास के गांवों में पीने के पानी के संयंत्र	1 स्वच्छ भारत	अन्य, महाराष्ट्र (चन्द्रपुर)	90.00	90.00	90.00	कार्यान्वयन एजेंसी	महाजेंको
28	रायगढ़ के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल मेडिकेयर यूनिट का प्रचालन	1 स्वस्थ भारत	अन्य, महाराष्ट्र (रायगढ़)	6.75	6.75	6.75	कार्यान्वयन एजेंसी	वोक्खहार्ड फाउंडेशन
29	कल्याण ब्लॉक, ठाणे के आशा कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण करना	1 स्वस्थ भारत	स्थानीय, महाराष्ट्र (ठाणे)	18.00	6.00	6.00	कार्यान्वयन एजेंसी	रामबहु म्हलगी प्रबोधिनी
30	उद्यमिता और विचारधारा के माध्यम से समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के लिए परिवर्तन निर्माताओं के विकास हेतु कनेक्ट & चेंज कार्यक्रम	2 समावेशी भारत	स्थानीय, महाराष्ट्र (पालघर, राजगढ़, ठाणे एवं मुंबई)	18.00	5.00	5.00	कार्यान्वयन एजेंसी	कनेक्टिंग ड्रीम्स फ़ाउंडेशन (सीडीएफ़)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या चिह्नित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है(अनुसूची-VII की मद संख्या) और	परियोजना या कार्यक्रम(1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य(2) राज्य और जिले जहां कार्यक्रम चलाए	व्यय राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	वर्ष 2018-19 के दौरान परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी- व्यय	सीधे (डी) या कार्यान्वयन संस्था (आई. ए.) के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन संस्था का नाम
31	केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्य	3 उत्तरदायी भारत	स्थानीय, केरल (कोच्चि)	6.43	5.71	5.71	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
32	हील-ए-सोल, हीमोफिलिक्स के लिए एएचएफ़ किट का वितरण और महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जांच	1 स्वस्थ भारत	अखिल भारतीय	320.10	0.30	319.97	कार्यान्वयन एजेंसी	हैमोफीलिया फ़ैडरेशन (भारत)
33	क्षमता / प्रशासनिक ओवरहेड्स	निर्माण क्षमता	अखिल भारतीय	80.07	80.07	80.07	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
कुल (रुपये लाख में) #					**1601.45**			

बीएचईएल प्रतिष्ठानों में स्थित स्कूलों पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 19.83 करोड़ रुपये का खर्च को ध्यान में रखते हुए जो सीएसआर व्यय के रूप में योग्य है और सीएसआर व्यय के बजट से ऊपर खर्च किया गया है, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर पर खर्च की गई कुल राशि 35.84 करोड़ रुपये है। इसे ध्यान में रखते हुए, संवैधानिक 2% सीएसआर आवंटन और वास्तविक खर्च के आधार पर खर्च की जाने वाली राशि के बीच का अंतर रु 2.00 करोड़ रु. है।

डी: डायरेक्ट

आई. ए. : अनुपालन के लिए उत्तरदायी संस्था

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक- V

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2018-19

खंड "क": कम्पनी के बारे में सामान्य जानकारी

1.	कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L74899DL1964GOI004281
2.	कंपनी का नाम	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3.	पंजीकृत पता	बीएचईएल हाउस, सिरीफोर्ट, नई दिल्ली -110 049
4.	वेबसाइट	www.bhel.com
5.	ई-मेल आईडी	shareholderquery@bhel.in
6.	सूचित वित्त वर्ष	2018-19
7.	जिन क्षेत्रों में कंपनी कार्यरत है	"कॉर्पोरेट प्रोफाइल" वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 का संदर्भ लें
8.	कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जो कंपनी निर्माण/प्रदान करती हैं	क) पावर प्लांट का निर्माण (एनआईसी कोडः 4220)
		ख) भाप जेनरेटर (एनआईसी कोड: 2513) के साथ उपयोग के लिए सहायक संयंत्र सहित भाप जेनरेटर का निर्माण
		ग) टर्बाइन का निर्माण जेनरेटर सेट सहायक सहित, (एनआईसी कोडः 2811)
		घ) विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण उपकरण आदि का निर्माण (एनआईसी कोडः 2710)
9.	उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यवसाय गतिविधि की जाती है	क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 के विवरण प्रदान करें) बीएचईएल द्वारा व्यावसायिक गतिविधि शुरू की जाने वाली प्रमुख जगहें दुबई (संयुक्त अरब अमीरात), ढाका (बांग्लादेश), जकार्ता (इंडोनेशिया), काठमांडू (नेपाल) ख) देश में स्थित स्थानों की संख्या कंपनी की 17* उत्पाद इकाइयां, 2 अनुरक्षण इकाइयां, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 सेवा केंद्र एवं 15 क्षेत्रीय प्रचालन कार्यालय हैं।
10.	कंपनी का बाजार क्षेत्र	कंपनी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों ही बाज़ारों मे सेवाएं प्रदान करती है।

1 अप्रैल 2019, को आईपी एवं सीएस एंड एफ़पी का विलय किया गया और उसका नाम बदलकर फेब्रिकेशन, स्टेंपिंग इंसुलेटर प्लांट (एफ़एसआईपी) रखा गया।

खंड- ख: कंपनी का वित्तीय विवरण (2018-19)

1.	पदत्त पूंजी	रुपये 696.41 करोड़
2.	सकल बिक्री/ टर्नओवर	रुपये 29349 करोड़
3.	कर उपरांत सकल लाभ	रुपये 1215 करोड़
4.	सीएसआर पर किया गया कुल खर्च	वर्ष 18-19 के दौरान 6.70 करोड़ रु. (पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत) खर्च हुए। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 19.83 करोड़ रु. स्कूल पर खर्च किए गए, जिसे सीएसआर के अंतर्गत शामिल किया गया है।
5.	सीएसआर व्यय के अंतर्गत की जाने वाले गतिविधियों की सूची: बीएचईएल वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अंतर्गत बोर्ड की रिपोर्ट में 'निरंतर विकास' के अनुलग्नक IV का संदर्भ लें।	

खंड "ग": अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई सहायक अथवा अनुषंगी कंपनी/ कंपनियां हैं?

हाँ, बीएचईएल की एक अनुषंगी कंपनी है- दिनांक 31.03.2019, भारत इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड (बीएचईएल- ईएमएल) कासरगोड

2. क्या सहायक कंपनी/ कंपनियां मूल कंपनी के बीआर भाग लेती हैं। यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी/कंपनियों की संख्या इंगित करें।

बीएचईएल-ईएमएल, कासरगोड बीएचईएल के बीआर पहलों में भाग नहीं लेता है तथापि बीएचईएल-आईएमएल, 'सी' श्रेणी में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करता है।

3. क्या कंपनी व्यापार में भागीदार अन्य इकाई/ संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक इत्यादि) कंपनी की बीआर पहल में भाग लेती हैं? यदि हां तो ऐसी इकाई/संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें? (30% से कम 30-60%, 60% से अधिक)

अधिकतर मामलों में बीआर पहल केवल बीएचईएल द्वारा किए जाते हैं।

खंड "घ": बीआर सूचना

1. बीआर हेतु उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों का विवरण

a) बीआर नीतियों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/ बीआर हेड का विस्तृत विवरण

क्र. सं.	मद	विवरण
i.	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	07221633
ii.	नाम	डी. बंद्योपाध्याय
iii.	पदनाम	निदेशक (मानव संसाधन)
iv.	दूरभाष क्रमांक	011 26001003
v.	ई-मेल आईडी	db@bhel.in

2. सिद्धांत वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (उत्तर हाँ/नहीं में दें)

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा व्यवसाय की सामाजिम पर्यावरण और आर्थिक जिम्मेदारियों (एनवीजी) पर जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों ने व्यावसायिक उत्तरदायित्व के नौ क्षेत्रों को अपनाया है ये संक्षेप में नीचे हैं:

पी 1: नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के गुणों के साथ व्यवसायों को स्वयं अपना संचालन करना चाहिए।

पी 2: व्यवसायों को ऐसी सामग्री और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान दें।

पी 3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

पी 4: व्यवसायों को सभी पणधारियों विशेषतः वंचित, कमजोर और हाशिए वाले पणधारकों के प्रति उत्तरदायी होते हुए उनके हितों को ध्यान में रखना चाहिए।

पी 5: व्यवसायों को मानवधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए।

पी 6: व्यवसायों को पर्यावरण को बहाल करने के लिए उनकी देखभाल के साथ ही उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु प्रयास करना चाहिए।

पी 7: व्यवसाय, जब नियामक नीतियों और जनता को प्रभावित करने लगे तो ऐसी स्थिती में उन्हें उत्तरदायी भूमिका का प्रदर्शन करना चाहिए।

पी 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और न्याय संगत विकास का समर्थन करना चाहिए।

पी 9: व्यवसाय जो अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ व्यवसाय में हो तो इन्हें चाहिए कि उत्तरदायित्वता के साथ इन्हें सम्मान दें।

क्र.	प्रश्नावली	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	क्या आपके पास ..... के लिए कोई नीति/ नीतियां हैं।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
2.	क्या संबंधित पणधारकों की सहमति से नीतियां बनाई गई हैं।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
3.	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, निर्दिष्ट करें? (50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
4.	क्या बोर्ड द्वारा नीतियों को मंजूरी दी जा रही है? यदि हां?, क्या एमडी/मालिक/सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
5.	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कंपनी के पास बोर्ड/ निदेशक/आधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक को क्लिक करें?	जहां भी लागू हैं, वेबलिंक दिए गए हैं								
7.	क्या संगत सभी आंतरिक एवं बाहरी पणधारकों को नीति के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
8.	इन नीतियों के क्रियांवयन हेतु कंपनी के पास क्या कोई आंतरिक संरचना है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
9.	क्या नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए कंपनी की नीति/ नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाहरी संस्था द्वारा इन नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/ मूल्यांकन करवाया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां

टिप्पणियां

1. हमारे पास इन सिद्धांतों के आधार पर स्थापित विभिन्न अभ्यास हैं, लेकिन उनसे संबंधित कोई औपचारिक नीति दस्तावेज नहीं है।
2. एक बार बोर्ड द्वारा पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद, इसे सीएमडी/ बोर्ड निदेशक द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता नहीं है।
3. संगठन की नीतियां और प्रक्रियाएं आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001, सीएजी संसदीय समितियों, निदेशक मंडल, कार्यकारी निदेशकों की समिति, बोर्ड स्तर समितियों और/ या प्रबंधन समिति इत्यादि द्वारा लेखा परीक्षा/ समीक्षाधीन हैं।

2 क. यदि किसी सिद्धांत के विरुद्ध क्रमांक 1 उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया बताएं ऐसा क्योंः (2 विकल्प तक चयनित करें।)

नीति 7 के संबंध में 'पॉलिसी अडवोकेसी' को दृष्टिगत रखते हुए, हमने इस आधार पर जिम्मेदारी के साथ प्रथाओं/प्रचलनों की स्थापना की है।

3. बीआर से संबंधित शासन

- वह समय अंतराल बताएं जिसमें निदेशक मंडल, या सीईओ की समिति कंपनी के बीआर प्रदर्शन का आकलन करती है। (3 महीने के भीतर, 3 - 6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक)

  बीएचईएल में सीएसआर गतिविधियों के आकलन और समीक्षा हेतु बोर्ड स्तरीय समिति ने वर्ष 2018-19 में तीन बार बैठक की जबकि बीएचईएल बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के दौरान उक्त के संबंध में पाँच बैठकें सम्पन्न की।

- क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपर लिंक क्या है? कितनी बार प्रकाशित की गई है?

  बीएचईएल प्रतिवर्ष अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है। निम्नलिखित लिंक के माध्यम से कॉर्पोरेट वेबपृष्ठ पर पिछले 3 वर्षों की रिपोर्टों को देखा जा सकता है:

  http://www.bhel.com/index.php/sustain_report

खंड ङ : सिद्धांत-वार प्रदर्शन

सिद्धांत 1: नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

सीपीएसई हेतु कॉर्पोरेट शासन तथा सेबी द्वारा वर्णित विनियमों पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए कंपनी में निदेशक मंडल अनुमोदित 'व्यापार नियमावली व नैतिक आचरण' संहिता' प्रभावी है।

http://www.bhel.com/investor_relations/pdf/BHEL-Code-of-Business-Conduct-and-Ethics-w-e-f-01-04-2019.pdf

बोर्ड ने निदेशक मंडल का एक चार्टर निर्धारित किया है जो स्पष्ट रूप से बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। इसके अतिरिक्त

कंपनी संवेदनशील आंकड़े तथा अप्रकाशित/अप्रकट मूल्य संबंधी सूचनाओं की सुरक्षा तथा इन के दुरुपयोग को रोकने हेतु यथा-संभव प्रयास करती है। इस हेतु आंतरिक सूत्रों द्वारा व्यापारिक परिचालन एवं रिपोर्टिंग से संबंधित बोर्ड अनुमोदित आचार संहिता तथा सेबी (आंतरिक व्यापार की मनाही) के साथ फेयर डिस्क्लोजर (उचित प्रकटीकरण)-2015 तथा अनुसूचित नीतियां बोर्ड सदस्यों तथा पद नामित कार्मिकों को यह निर्देश देती है कि कंपनी में कार्य के दौरान कार्य की आवश्यकता और प्रकृति अनुसार प्राप्त सूचनाओं की गोपनियता तथा सुरक्षा के दायित्व का पूर्ण निर्वहन करेंगे। 'कोड अप्रकाशित मूल्य/ संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु तत्संबंधी नियमों व प्रक्रियाओं को प्रशस्त करता है।

http://www.bhel.com/investor_relations/pdf/Insider%20Trading%20Code%202019-w-e-f01-04-2019.pdf

Iकॉर्पोरेट गवर्नेस एवं अनुसूचित नियमों पर लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप, बीएचईएल तिमाही आधार पर भारी उद्योग विभाग और स्टॉक एक्सचेंजों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक व्यापार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी आवश्यकतानुसार जो इससे संबंधित/संलग्न हो उनके लिए आंतरिक संचालन दिशानिर्देश को लागू करती है। इकाई प्रमुख/प्रभाग प्रमुख को चाहिए कि इस संहिता के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों से संबंधित सूचना निश्चित समयावधि में देना सुनिश्चित करें। सूचीबद्ध विनियमों के अनुरूप, सभी बोर्ड सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन सालाना यह सुनिश्चित करें कि संबंधित वर्ष के दौरान व्यापार आचार एवं मूल्य संहिता/ नियमावली में वर्णित बिन्दुओं का पूर्णतः अनुपालन किया गया है, तथा इस आशय अनुमोदन/आश्वासन कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में आंतरिक स्रोतों (कार्मिक) व्यापारिक परिचालन तथा विनियमन हेतु आचार संहिता एवं उचित प्रकटीकरण (फेयर डिस्क्लोजर) 2015 के संदर्भ में निदेशक (वित्त) ही कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

इसके अतिरिक्त, बीएचईएल द्वारा अपने कर्मचारियों (स्थापित आदेशों से शासितों के अलावा) के आचरण की उच्चता को बनाए रखने के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप बीएचईएल आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली का प्रादुर्भाव हुआ। इसे आगे धोखाधड़ी रोकथाम नीति एवं विहसल ब्लोअर नीति जोकि किसी को भी कार्यालयीन संस्कृति में अस्वीकार्य कृत्यों/ प्रथाओं के विरुद्ध एकहथियार की तरह काम आती है बल्कि यह इन दुश्क्रत्योन के विरुद्ध एक निवारक भी है। कंपनी 'सूचना का धिकार अधिनियम' 2005, संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा ऑडिट/ लेखा-परीक्षण एवं कंपनी अधिनियम-2013 के खंड 139 के तहत नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के परीक्षणाधीन है।

http://www.bhel.com/pdf/BHEL%20Fraud%20Prevention%20Policy.pdf

http://www.bhel.com/pdf/Whistle%20Blower%20Policy.pdf

http://www.bhel.com//assets/downloads/5c35d305718eaWhistle_Blower.PDF

बीएचईएल ने क्रय एवं अनुबंध गतिविधियों/ क्रियाकलापों में दोनों पक्षों के नैतिक आचरण में अत्यधिक पारदर्शिता व ईमानदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से 'ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त उचित अनुमोदन के आधार पर बीएचईएल में 'पारदर्शिता एवं ईमानदारी नीति' के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु दो स्वतंत्र बाहरी मॉनीटरों (आईईएम) के एक पैनल को नियुक्त किया गया है। बीएचईएल में 'शक्तियों का प्रतिनिधित्व (डेलीगेशन ऑफ पावर्स) के माध्यम से विभिन्न पदाधिकारियों की जिम्मेदारी को भलीभांति परिभाषित किया गया है। कार्य नीति, क्रय नीति तथा ऐसे अन्य नीति निर्धारक दस्तावेज बीएचईएल की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता को परिभाषित करने के साथ ही उच्चतम स्तर की पारदर्शिता के प्रति कम्पनी की प्रतिबद्धता को दर्शाते है। इस नीति के तहत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल तीन प्रस्तुतियां प्राप्त हुई एवं आई ई एम द्वारा सभी का निवारण कर दिया गया है।

कंपनी के पास शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित मामलों को देखने के लिए विशेष रूप से एक शेयरधारक संबंध समिति है। जैसा कि मैसर्स करवी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) द्वारा वर्ष के दौरान 1094 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सभी शिकायतों का निवारण 31 मार्च 2019 तक कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी योजना के तहत आम-जन से कुल 243 लोकव्यथा पर शिकायतें प्राप्त हुईं। सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया था।

सिद्धांत 2: उत्पाद जीवन चक्र निरंतरता

बीएचईएल पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और उपकरणों की दक्षता में सुधार के माध्यम से हरित पर्यावरण में योगदान दे रहा है। बिजली चक्र दक्षता में निरंतर सुधार और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से कम उत्सर्जन, सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल तक प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा समय पर हासिल किया गया है। बीएचईएल की विशेषताओं ने बिजली संयंत्र उपकरण जैसे सहायक उपकरण से बिजली की कम खपत, प्लांट की उच्च दक्षता, संरचनात्मक रूप से ताप सह और उच्च परिचालन उपलब्धता प्रदान करने के साथ ही उन्नत जीवन चक्र लागत प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

चार प्रमुख उत्पाद जो उनके डिजाइन में पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करते हैं वे पावर प्लांट सुपर क्रिटिकल पैरामीटर, फ्लू-गैस डेस्ल्फ़ुराइजेशन (एफ़जीडी), सौर फोटोवोल्टिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिसीटर (ईएसपी) पर भाप के साथ काम कर रहे हैं। उत्पादों में सन्निहित कार्बन की कमी के प्रति सचेत प्रयास भी है। कंपनी ने प्रदूषित ईंधन को स्वच्छ ईंधन से बदलने का विकल्प चुना है, उदाहरण के लिए, गैस (कोयले के बजाय) सेरलिन जैसे उत्पादों के उत्पादन के दौरान ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग की जाती है।

बीएचईएल विभिन्न मोर्चों से विनिर्माण इकाइयों के आसपास सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) और स्थानीय आपूर्ति कर्ताओं का समर्थन कर रहा है। वे बीएचईएल

की आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हैं। साथ ही, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई-भारत सरकार मंत्रालय द्वारा जारी) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, संशोधन आदेश 2018 में अनिवार्य रूप से बीएचईएल ने 2018-19 के दौरान एमएसई से अपनी कुल खरीद का 25% लक्ष्य हासिल कर लिया है। बीएचईएल इकाइयों द्वारा नियमित विक्रेता बैठक और आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, विशेषतः एमएसई (स्थानीय आपूर्ति कर्ताओं समेत) के साथ-साथ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए विशिष्ट, जो जरूरतों की पहचान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और पारस्परिक लाभ के लिए कार्य योजना तैयार करता है।

कंपनी की विनिर्माण प्रक्रियाएं धातु स्क्रैप की उचित मात्रा उत्पन्न करती हैं। बाद में कुछ स्क्रैप कंपनी के भीतरी साइक्लिंग से गुजरती है और इसका पुनः उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हरिद्वार में सेंट्रल फाउंड्री फ़ोर्ज प्लांट (सीएफ़एफ़पी) स्टील फोर्जिंग्स और कास्टिंग्स बनाती है जिसके लिए स्टील स्क्रैप एक प्रमुख कच्ची सामग्री है। पुनः प्रयोज्य सामग्री का इस्तेमाल भी निर्मित वस्तुओं के पैकिंग के लिए किया जाता है।

सिद्धांत 3: कर्मचारी कल्याण

बीएचईएल मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। कंपनीकी एचआरएम नीति के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत, सक्षम, प्रेरित और प्रभावशाली मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संगठनात्मक मिशन की उपलब्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए है। कंपनी ने रोजगार संबंध, करियर विकास/ विकास और कर्मचारियों के अनुमोदन/लाभ, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण को विनियमित करने के लिए पारदर्शिता और कार्यान्वयन की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए 'कार्मिक मैनुअल' के रूप में एचआरएम नीतियों और नियमों को दस्तावेज़ के रूप में तैयार किया गया है। इन नीतियों को एक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा आगे जोड़ा जाता है। बीएचईएल में कर्मचारी शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी की दो निर्धारित योजनाएं हैं- एक श्रमिकों के लिए और अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए। योजना के उद्देश्य के लिए एक शिकायत का मतलब कंपनी नीतियों/ नियमों या प्रबंधन निर्णयों के कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी व्यक्तिगत कर्मचारी से संबंधित शिकायत है। ये दोनों योजनाएं तीन स्तरीय समाधान प्रदान करती हैं। प्रत्येक चरण में शिकायत के समाधान के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाती है। इसके अलावा कर्मचारी और अधिकारियों के लिए शिकायत निवारण योजना के मामले में इस योजना के तहत एक अपीलीय तंत्र भी प्रदान किया जाता है, जहां शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं होने पर पीड़ित कर्मचारी तुरंत संपर्क कर सकता है।

बीएचईएल की स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) नीति है जो सभी कर्मचारियों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह नीति आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001/ आईएसओ 45001 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन की आवश्यकताओं के अनुरूप है और इस तक http://www.bhel.com/healthsafety/HSE%20POLICY.pdf. लिंक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। नीति को लागू करने के लिए बीएचईएल की सभी इकाइयों/ विभागों में एचएसई विभाग है और कॉर्पोरेट एचएसई विभाग संगठन स्तर पर एचएसई

Heavy Electrical Equipment Plant (HEEP), BHEL - Haridwar

मामलों से संबंधित सामरिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। एचएसई नीति हमारे सभी कार्यस्थलों पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होती है ताकि श्रमिकों के बीच जागरूकता पैदा हो सके और स्थानीय भाषा में भी इसका अनुवाद किया जाता है।

कार्यस्थलों पर लागू आईएसओ 14001 एवं ओएचएसएएस 18001 प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी एजेंसियों द्वारा आवधिक लेखा परीक्षा की जाती है जिसमें नीति और इसके महत्वपूर्ण तत्वों का कार्य शामिल है।

1. मार्च 31, 2019 को नियमित कर्मचारी की कुल संख्या: 35,471

2. अस्थायी/ संविदा आधार पर कर्मचारियों की कुल संख्या: बीएचईएल कर्मचारियों की अस्थायी/ आकस्मिक आधार पर भर्ती नहीं करता है। हालांकि, बीएचईएल संगठनात्मक जरूरतों के अनुसार अपने विभिन्न इकाइयों/प्रभाग/विभागों में ठेकेदारों को कार्य आवंटन/ काम ठेका इत्यादि देता है। ठेकेदारों के श्रमिकों की संख्या समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती है।

3. मार्च 31, 2019 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या : 2,053

4. मार्च 31, 2019 को स्थायी दिवयांगजन कर्मचारियों की संख्या: 905

5. बीएचईएल में सहभागी प्रबंधन के सिद्धांत के आधार पर कार्यकारी प्रतिनिधियों के साथ श्रमिकों और कंपनी के हित संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शीर्ष स्तर के द्विपक्षीय निकाय अर्थात बीएचईएल की संयुक्त समिति में प्रतिनिधित्व करने वाली कुल पच्चीस ट्रेड यूनियन हैं। उपरोक्त के अलावा बीएचईएल में अधिकारियों और पर्यवेक्षकों हेतु एक-एक यानी कुल दो कर्मचारी संघ हैं।

6. कर्मचारियों की सभी तीन श्रेणियां जैसे- अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व उनकी संबंधित एसोसिएशन/ ट्रेड यूनियनों द्वारा किया जाता है। हालांकि कार्यपालक/ पर्यवेक्षक संघों और श्रमिक संघों की सटीक सदस्यता का पता लगाने के लिए कोई चेक-ऑफ सुविधा नहीं है, इसलिए कर्मचारियों के तीन वर्गों के संबंध में फर्म नंबर उपलब्ध नहीं हैं।

7. वर्ष 2018-19 में कंपनी को यौन उत्पीड़न पर कुल पाँच शिकायतें मिलीं जिसमें से कुल चार का संतोषजनक ढंग से समाधान कर लिया गया है और एक वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है। इसके अलावा बालश्रम/ मजबूर श्रम/ अनैच्छिक श्रम/ भेद-भावपूर्ण रोजगार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

8. वर्ष 2018-19 के दौरान प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण मानव-दिवस की कुल संख्या 3.58 है कंपनी अपने कर्मचारियों को तकनीकी और व्यवहार कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करती है। स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई) पहलू पर प्रशिक्षण हमारे प्रस्तावना प्रशिक्षण कार्यक्रम के आवश्यक तत्वों में से एक है। इसके अतिरिक्त आंतरिक और बाहरी संकाय दोनों सदस्यों द्वारा एचएसई पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए बीएचईएल की सभी विनिर्माण इकाइयों और परियोजना साइटों पर नियमित रूप से भिन्न-भिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ठेकेदारों के साथ कार्य/ कार्य अनुबंध के माध्यम से आने वाले आकस्मिक / अस्थायी / संविदाकर्मियों को सुरक्षा पर प्रशिक्षण

भी प्रदान किया जाता है। उन कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हें 2018-19 में सुरक्षा और कौशल (तकनीकी और व्यवहार दोनों) उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था:

क	स्थायी कर्मचारी	43%
ख	स्थायी महिला कर्मचारी	61%
ग	आकस्मिक/ अस्थायी/ संविदात्मक श्रमिक	22%
घ	दिव्यांगजन कर्मचारी	51%

सिद्धांत 4: हितधारकों की वचनबद्धता

बीएचईएल के पणधारियों के अंतर्गत "ग्राहक", "कर्मचारी", "शेयरधारक", "वेंडर" एवं सोसाइटी है। पणधारियों के हितों एवं उनकी कंपनी से आकांक्षाओं की सुनिश्चितता हेतु प्रक्रियाएं स्थापित है। हितधारकों की सहभागिता द्वारा तथा कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन योजनाओं को स्पष्ट एवं मापनीय लक्ष्यों को बताते हुए प्रमुख समस्याओं की पहचान की जाती है। क्षमता वृद्धि हेतु बीएचईएल इकाइयां नियमित रूप से वेंडर मीट विशेषतः एमएसई (स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करते हुए) का आयोजन करती हैं जो खुला संवाद/ वार्ता के साथ-साथ सहयोग और परस्पर लाभप्रदता प्रदान करती है। ग्राहक "कस्टमर मीट" जैसे कार्यक्रमों से कंपनी से जुड़े रहते हैं। निवेशक समुदाय सम्मेलनों/ बैठकों के माध्यम से जुड़े रहते हैं तथा उन्हें इन बैठकों में उनके निवेश संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है।

बीएचईएल ने बीएचईएल विनिर्माण इकाइयों/ क्षेत्रों/ प्रभागों/ साइटों/ कार्यालयों के आसपास के वंचित, कमजोर, गरीब, जरूरतमन्द और हाशिए वाले हितधारकों की पहचान की है और उनकी चिंताओं को बीएचईएल की सीएसआर नीति जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के अनुपालन में तथा सीपीएसई के लिए सीएसआर और स्थायित्व पर डीपीई दिशा निर्देशों के साथ-साथ नियम भी बनाए गए हैं।

http://www.bhel.com/index.php/csr_policy

सिद्धांत 5: मानवाधिकार

भारत का संविधान और विभिन्न लागू क़ानूनों के परिपेक्ष्य में बीएसईएल नीतियाँ मानवाधिकारों के सिद्धांतों के अनुरूप है। बीएचईएल में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएचईएल के पास विशेष प्रावधान है। कंपनी में मानवाधिकार दुरुपयोग का कोई मामला दर्ज नहीं है।

बीएचईएल ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क (जीसीएनआई) भारत का आजीवन सदस्य है और इसकी पहल में सक्रिय भागीदार है। कंपनी प्रगति संबंधी जानकारी के माध्यम से वर्ष 2001 से यूएनजीसी के दस सिद्धांतों पर अपने निष्पादन की रिपोर्ट वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करती है जिसमें यूएनजीसी से सिद्धांतों पर कायम रहने के प्रति बीएलईएल की प्रतिबद्धता भी शामिल है।

यह सीओपी यूएनजीसी वेबसाइट पर वेब होस्ट है और इस वेबपेज पर के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/419416

सीओपी पर के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

http://www.bhel.com/index.php/ungc_program

सिद्धांत 6: पर्यावरण

बीएचईएल की सभी प्रमुख विनिर्माण इकाइयों और पावर सेक्टर क्षेत्रों में आईएसओ 14001:2004/2015 से मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) स्थापित है। कॉर्पोरेट एचएसई नीति के आधार पर सभी विनिर्माण इकाइयों और क्षेत्रों ने अपने एचएसई सिस्टम बनाया है जो आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के मानक की आवश्यकता के अनुरूप है। ईएमएस व्यवस्थित ढंग से पर्यावरण से संबधित जोखिमों का सक्रिय रूप से पहचानने और प्रतिबंध करने के लिए एक उत्कृष्ट ढांचा प्रदान करता है। सभी बीएचईएल ईकाइयों के साथ-साथ पावर सेक्टर क्षेत्रों में एचएसई प्रकोष्ठ रणनीतिक मार्ग दर्शन करने के लिए शीर्ष स्तर पर कॉर्पोरेट एचएसई विभाग द्वारा समर्थित एचएसई नीति के कार्यान्वयन की देख-रेख करती है। ईएमएस के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण निकाय द्वारा आवधिक लेखापरीक्षा की जाती है और आईएसओ 14001 की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। कंपनी की की एचएसई नीति इंटरनेट पर उपलब्ध है और इसे वेबलिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है: http://www.bhel.com/healthsafety/HSE%20POLICY.pdf.

बीएचईएल रानीपेट में बीएचईएल के 5 मेगावाट सोलर पीवी का जमीन पर संस्थापन

एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में संगठन ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के बीच सह-संबंध को बीएचईएल रानीपेट में बीएचईएल के 5 मेगावाट सोलर पीवी का जमीन पर संस्थापन

स्वीकार करता है। इस वैश्विक चुनौती को हल करने के लिए बीएचईएल अपने उत्पादों और सेवाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रहा है जिससे ग्राहकों को संयंत्र के जीवन चक्र में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना स्थायी तरीके से बिजली उत्पन्न करने में सक्षम बनाया जा सकता है।

अपने आंतरिक परिचालनों में भी संगठन, ऊर्जा दक्षता और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। कंपनी ने बीएचईएल के विभिन्न स्थानों पर कुल 27 मेगावाट के सोलर फोटोवोल्विक (एसपीवी) संयंत्र स्थापित किए हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन स्रोतों की हमारी सूची में किलोवाट स्केल रूफटॉप और ग्राउंड आधारित एसपीवी प्रणाली, सौर जल हीटर, सौर स्ट्रीट लाइटिंग आदि शामिल हैं।

इस तरह की पहल के परिणामस्वरूप, बीएचईएल ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा आधारित प्रणालियों के माध्यम से वर्ष 2018-19 के दौरान 26,499 MT CO_2-e उत्सर्जन कम किया जो कि वर्ष 2017-18 की तुलना में 71% अधिक थी। विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से उत्पन्न कुल ऊर्जा वर्ष 2018-19 के दौरान 27.60 मिलियन यूनिट रही, जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान 15.61

मिलियन यूनिट थी। कंपनी ने जल व ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन संरक्षण इत्यादि से संबधित कई परियोजनाएं भी ली हैं।

भारत में पहले से ही सुपरक्रिटिकल तकनीक पेश करने के बाद, कंपनी अपने परिचालन जीवन चक्र के दौरान बीएचईएल निर्मित उत्पादों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में आगे काम कर रही है। कोयला प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के तहत बीएचईएल आईजीसीएआर और एनटीपीसी के सहयोग से स्वच्छ उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। तकनीक सब-क्रिटिकल के 38% और सुपरक्रिटिकल सेट के 41-42% की दक्षता के मुकाबले 45-46% की लक्षित दक्षता प्राप्त करेगी। नतीजतन, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की तुलना

उत्सर्जन नियंत्रण के लिए चयनात्मक उत्प्रेरक कमी (एससीआर) हेतु नैनो कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (टीसीए) पर हस्ताक्षर

बीएचईएल उच्च राख वाले भारतीय कोयले को मेथनॉल में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के विकास पर काम कर रहा है। इस तकनीक के सफल कार्यान्वयन से पेट्रोल के साथ मिश्रित होने के लिए औद्योगिक पैमाने पर मेथनॉल पैदा करने में मदद मिलेगी जो देश के बढ़ते कच्चे तेल आयात बिल पर काफी हद तक अंकुश लगा सकता है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार कर सकती है।

बीएचईएल ने बड़े पैमाने पर निष्क्रिय एमिटर रियर कांटैक्ट (पीईआरसी) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च दक्षता वाले सौर सेलों का विकास किया है। इस परियोजना में मोनो और मल्टी-सी सौर सेलों का विकास शामिल है और उच्च दक्षता वाले सौर सेलों के उत्पादन के लिए व्यावसायिक रूप से तैयार किए जाएंगे।

बीएचईएल, एएसएससीपी गुरुग्राम में निष्क्रिय एमिटर और रियर सेल (पीईआरसी) की विकास सुविधा

परिवहन क्षेत्र में, परिवहन के भविष्य के साधन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन गतिशीलता की ओर अग्रसर है। बीएचईएल पहले से ही ई-बस, स्थायी चुंबक मोटर्स, इंडक्शन मोटर्स, ई-बसों के लिए आईजीबीटी नियंत्रक, ई-मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित कर रहा है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रभाग, सथुवाचारी, वेल्लोर द्वारा बीएपी रानीपेट को कारण बताओ नोटिस मिला है। स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है और मामला समाधान के लिए लंबित है। वर्ष 2017-18 के दौरान औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय, तमिलनाडु से त्रिची निर्माण इकाई को प्राप्त हुआ कारण बताओ नोटिस का समाधान कर दिया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से प्राप्त कारण बताओ/ कानूनी नोटिस दिनांक 31.03.19 तक लंबित है। वर्ष 2018-19 के दौरान एसपीसीबी बेंगलुरु द्वारा आईएसजी बेंगलुरु को नोटिस दिया गया है। स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है और मामला समाधान के लिए लंबित है।

सिद्धांत-:7 नीति समर्थन (पॉलिसी अडवोकेसी)

बीएचईएल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (फिक्की), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), इंटरनेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी), पीएचडी चेम्बर ऑफ वाणिज्य और उद्योग (पीएचडी) सार्वजनिक उपक्रम (स्कोप) का स्थायी सदस्य होने के साथ ही अनेक उद्योग और व्यापार निकायों का सदस्य है। कंपनी विश्व ऊर्जा परिषद (डबल्यूईसी) की भी सदस्य है जो ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा इक्विटी और पर्यावरणीय स्थिरता पहलुओं को संतुलित करने वाली नीतियों को बढ़ावा देने में सक्षम है। बीएचईएल, नीति से संबंधित मामलों में अपने विचारों और राय को सामने रखने के लिए ऐसे निकायों (जैसे- सेमिनारों और बैठकों में भागीदारी, कार्य समूहों में भागीदारी आदि) के साथ बातचीत के विभिन्न तंत्रों का उपयोग करता है।

कंपनी के हितों को सरकारी प्रश्नों, ज्ञान साझा करने, सर्वेक्षणों के जबाव, उद्योग की जरूरतों पर प्रतिक्रिया, जीएसटी जैसी सरकारी नीतियों का गठन, वित्तीय बजट, विदेशी व्यापार, कंपनी कानून, औद्योगिक नीति, पूंजीगत वस्तु नीति, निर्यात संवर्धन इत्यादि की प्रविष्टि के माध्यम से दर्शाया जाता है। कंपनी अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, यूके, रूस, जापान, ब्रुनेई आदि जैसे देशो के साथ व्यापार संवर्धन और सहयोग के लिए बहुपक्षीय निकायों में भाग लेती है। कंपनी डीएचआई, डीपीई, डीआईपीपी, नीति आयोग जैसे सरकारी निकायों के साथ भी बातचीत करती है और राष्ट्रीय विद्युत नीति, रोजगार उत्पादन, विकास और कौशल विकास की चुनौतियाँ, भारत में मेक इन हाउस आर&डी, मानव संसाधन प्रबंधन, सीपीएसई के विकास के लिए रोड मैप आदि जैसे नीतियों के निर्माण में भी भाग लेती है।

कंपनी ने देश में प्रौद्योगिकी के आधार को मजबूत करने वाली कौशल विकास, भारतीय बिजली क्षेत्र के विकास, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के विकास और भारतीय विनिर्माण उद्योग, निर्यात, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विकास आदि नीतियों के विकास में सुशासन के माध्यम से विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया है।

सिद्धांत-8: समावेशी विकास

बीएचईएल के पास अच्छी संरचित संगठनात्मक सेट-अप, नीति और प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। सीएसआर नीति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- VII से कई गतिविधियों की पहचान की है। इन गतिविधियों को सात शीर्षकों जैसे स्वच्छ भारत, हरित भारत, स्वस्थ भारत, विरासत भारत, समावेशी भारत, शिक्षित भारत और जिम्मेदार भारत के शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। नीति को वेबसाइट लिंक http://www.bhel.com/index.php/csr_policy पर होस्ट किया गया है और जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

नीति को यूनिट स्तरीय सीएसआर कमेटी के साथ कॉर्पोरेट स्तर (बोर्ड, सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति और लेवेल-1 समिति) पर तीन स्तरीय संरचना के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। कंपनी देश भर में कई सामाजिक पहल का समर्थन करती है जो सीएसआर नीति के अनुरूप विशिष्ट एजेंसियों जैसे एनजीओ, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से समाज के गरीब, जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद की जाती है। बीएचईएल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ भारत, पर्यावरण संरक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा विकास और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में कई सीएसआर पहल की हैं, जिन्होंने अंततः समाज के समग्र कल्याण और समावेशी विकास में योगदान दिया है। समाज को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने और शुरू की गई पहलों की सुनिश्चितता के उद्देश्य से सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण किया जाता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सीएसआर गतिविधियों को वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध IV में संलग्न किया गया है। इसके अलावा परियोजना का विवरण लिंक http://www.bhel.com/index.php/projects पर देखा जा सकता है।

सीएसआर के माध्यम से समावेश विकास के अलावा, कंपनी सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अल्पसंख्यकों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ समाज

के सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के लिए भर्ती और पदोन्नति में सकारात्मक कार्यवाही करती है। कंपनी सभी को समान अवसर प्रदान करने वाली नियोक्ता है जो भर्ती एवं रोजगार के संबंध में लिंग जाति, धर्म, भाषाई, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है।

सिद्धांत 9: ग्राहक मूल्य

ग्राहक मूल्य बीएचईएल की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है जो हमारे विज़न, मिशन और मूल्य में भी दिखाई दे रहा है। बीएचईएल लगातार उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से ग्राहक के लिए मूल्य बनाने की दिशा में काम कर रहा है। लागू कानून की अनिवार्य आवश्यकता के अलावा, कंपनी अपनी आवश्यकताओं और अनुबंधों की शर्तें के अनुसार ग्राहकों को विस्तृत उत्पाद लेबल/नाम प्लेट/टेस्ट प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

बीएचईएल के विविध और बड़े पैमाने पर परिचालन की प्रकृति को देखते हुए, ग्राहक शिकायतों को पंजीकृत और कई तरीकों से हल किया जाता है। दो केंद्रीकृत ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जैसे कस्टमर केयर मैनेजमेंट सिस्टम (सीसीएमएस) और साइट एक्शन रिक्वेस्ट (एसएआर)/ कमीशन एक्शन रिक्वेस्ट (सीएआर) समाधान प्रणाली चालू हैं। वर्ष 2018-19 में ग्राहक द्वारा रिपोर्ट किए गए मुख्य गुणवत्ता वाले मुद्दों को मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) के लिए लिया गया था और चौदह मामलों का समाधान किया गया। शिकायतों के अलावा, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, ग्राहकों की बैठक और आमने-सामने बातचीत एवं प्रशंसा पत्रों के माध्यम से ग्राहक प्रतिक्रिया नियमित रूप से ली जाती है।

पिछले पाँच वर्षो के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और या विरोधी प्रतिस्पर्धा व्यवहार के संबंध में कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा कोई मामला दायर नहीं किया गया है और न ही वित्तीय वर्ष के अंत में दिनांक 31 मार्च 2019 तक लंबित है।

बीएचईएल हैदराबाद इकाई में स्टेट ऑफ द आर्ट टरवाइन ब्लेड शॉप

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी उपलब्धियां

बोर्ड की रिपोर्ट में अनुबंध- VI

6.1 नव प्रवर्तन

अनुसंधान एवं विकास और प्रोद्यौगिकी उपलब्धियां

आज के प्रतिस्पर्धी कारोबारी वातावरण में, नवीनतम तकनीकी विशेषताओं के साथ नए उत्पादों और प्रणालियों की पेश करना महत्वपूर्ण है। बीएचईएल विश्वसनीय उत्पाद प्रदान करने के लिए अपने आरएंडडी फ्रेमवर्क और व्यापार रणनीति को संरेखित कर रहा है जो न केवल लागत-प्रतिस्पर्धी हैं, बल्कि दक्षता और प्रदर्शन में भी उन्नत हैं।

आज के चुनौतीपूर्ण माहौल में आत्म-निर्वाह और विकास के लिए गृह अनुसंधान और विकास बेहद महत्वपूर्ण है। बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के गृह विकास के लिए कंपनी के पास एक मजबूत इंजीनियरिंग और आर&डी आधार है।

बीएचईएल ने अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और इंजीनियरिंग कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता किया है। कंपनी ने भारतीय ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने कामों में विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक स्वदेशी बना दिया है। आज, सोलह सहयोगी के साथ, बीएचईएल इन प्रौद्योगिकियों के सफल अनुकूलन और समय पर आत्मसात करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

वर्तमान मे जारी प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते

विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग

सं.	सहयोगी का नाम	उत्पाद
1.	मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान	पंप
2.	नुवो पिजनन एस आर एल, इटली	सेंटरीफ़्युगल कंप्रेशर्स
3.	जनरल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी GmbH, स्विट्जरलैंड	एक बार बॉयलर और कोल पुल्वरिसर्स के माध्यम से
4.	वोग्ट पावर इंटरनेशनल इंक यूएसए	हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर
5.	सिमन्स एजी, जर्मनी	स्टीम टर्बाइन, जेनरेटर और लेटरल / एक्सियल कंडेनसर
6.	शेफ़ील्ड फ़ोर्जमास्टर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, यूके	फोर्जिंग्स
7.	ओटो मेलारा, इटली** (**फिनमेकेनिका एस.पी.ए, इटली के साथ विलय)	76/62 सुपर रैपिड गन माउंट
8.	कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान	मेट्रो के लिए स्टेनलेस स्टील के डिब्बे और बोगी
9.	एचएलबी पावर कंपनी लिमिटेड, कोरिया	गेट्स और डैम्पर्स
10.	टीएलटी टर्बो GmbH, जर्मनी	पंखे
11.	मित्सुबिशी हिताची पावर सिस्टम लिमिटेड, जापान	फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन
12.	मेटसो ऑटोमेशन इंक फ़िनलैंड	आधुनिकतम सी & आई स्वचालन
13.	नैनो कंपनी लिमिटेड कोरिया	डे-नॉक्स अनुप्रयोग के लिए एससीआर उत्प्रेरक
14.	बेबकोक पावर एनवायरमेंटल इंक,यूएसए	डे-नॉक्स अनुप्रयोग के लिए एससीआर उत्प्रेरक
15.	जनरल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी GmbH, स्विट्जरलैंड	परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए 700 MWe स्टीम टर्बाइन

भारतीय संस्था के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग

1.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), भारत	अंतरिक्ष ग्रेड लिथियम आयन सेल

6.2 आर एंड डी रणनीति

बीएचईएल ने रणनीतिक विविध विकास को संबोधित करने के लिए पांच विस्तृत दृष्टिकोण, रणनीतिक दिशा, पोर्टफोलियो प्रबंधन, साझेदारी और गठबंधनों, ज्ञान प्रबंधन और एनबेलर्स से युक्त, के माध्यम से संरचित और केंद्रित तरीके से अपने आर एंड डी और नवाचार को बदल दिया है।

कार्यनीतिक दिशा

- अनुसंधान एवं विकास सलाहकार परिषद
- अनुसंधान एवं विकास नीति
- अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन प्रणाली
- प्रौद्योगिकी मानचित्रण

पोर्टफोलियो प्रबंधन

- यूएचवी ट्रांसमिशन, परिवहन, उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्लांट, अक्षय ऊर्जा, पानी आदि के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की स्थापना।

समर्थक

- लोगों की क्षमताएँ
- बुनियादी ढांचे का विकास
- उत्कृष्टता केंद्र
- प्रक्रियाएं
- संगठन का समर्थन
- अनुसंधान और उत्पाद विकास समूह

साझेदारी और गठबंधन

- राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं/ संस्थानों/ शिक्षा/ कंपनियों के साथ सहयोगात्मक संबंध

ज्ञान प्रबंधन

- उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन (पीएलएम) और ज्ञान आधारित इंजीनियरिंग (केबीई) का कार्यान्वयन
- सभी समाधान के लिए सिस्टम इंजीनियरिंग
- एकीकृत इंजीनियरिंग स्वचालन प्रक्रियाएं

- अद्वितीय उत्पाद में उनके प्रभावी रूपांतरण के लिए आईपीआर रणनीति का विकास

6.3 आर एंड डी संरचना

कंपनी के आरएंडडी संगठनात्मक संरचना का नेतृत्व कॉर्पोरेट स्तर पर कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी प्रबंधन (सीटीएम) द्वारा समर्थित निदेशक (ई, आर एंड डी) द्वारा किया जाता है जिसे एकीकृत और केंद्रित तरीके से बीएचईएल की इंजीनियरिंग और आर एंड डी की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए गठित किया गया है ताकि उत्पाद विकास और इंजीनियरिंग में क्षमताओं ने मुख्य रूप से बाजार की बढ़ती मांगों की प्रतिक्रिया के आधार पर निर्देशित किया है।

इकाइयों में प्रत्येक उत्पाद समूह में समर्पित अनुसंधान और विकास (आरपीडी) मौजूद है, जिन्हें समर्थन प्रदान करने के लिए हैदराबाद में केंद्रीकृत अनुसंधान एवं विकास प्रभाग स्थापित है।

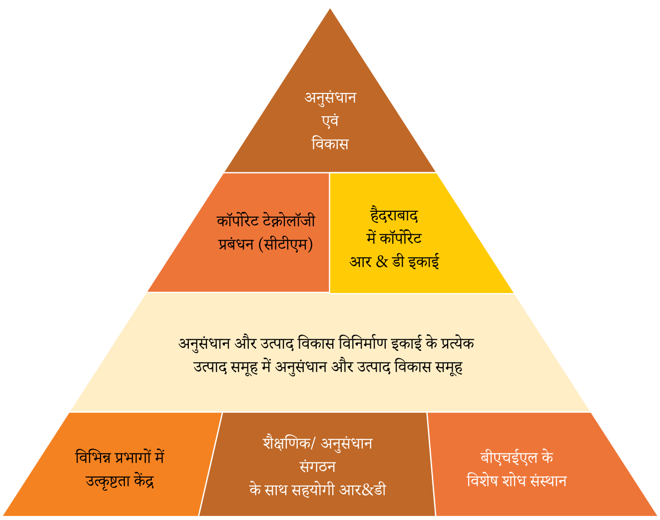

कंपनी के पास एक संरचित अनुसंधान और विकास बुनियादी ढांचा है, जिसमें कॉर्पोरेट आर एंड डी और विनिर्माण इकाइयों, उत्कृष्टता केंद्र, विशिष्ट अनुसंधान संस्थानों इत्यादि में प्रयोगशालाएं शामिल हैं, जो अत्याधुनिक आर एंड डी बुनियादी ढांचे से युक्त हैं और विश्व के सबसे अच्छे बेंचमार्क में है।

बीएचईएल में 14 उत्कृष्टता केंद्र हैं जिनमें शामिल हैं:

कॉर्पोरेट आर एंड डी हैदराबाद में

- कुशल मशीनें और रोबोटिक्स
- मशीन गतिशीलता
- कंप्रेशर्स और पंप्स
- नैनो-प्रौद्योगिकी
- यूएचवी प्रयोगशाला
- सिम्युलेटर
- अभिकलनात्मक जटिलता द्रव गतिकी
- सरफेस इंजीनियरिंग
- स्थायी चुंबक मशीनें
- उन्नत ट्रांसमिशन

बेंगलुरु में

- पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईजीबीटी और नियंत्रक प्रौद्योगिकी
- नियंत्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए उत्कृष्टता केंद्र

तिरुच्चिराप्पल्लि में

- कोयला अनुसंधान केंद्र
- उन्नत फैब्रिकेशन प्रौद्योगिकी

इसके अतिरिक्त बीएचईएल के पाँच विशिष्ट शोध संस्थान हैं।

बीएचईएल के विशिष्ट शोध संस्थान

- प्रदूषण नियंत्रण और अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई), हरिद्वार
- वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई), तिरुच्चि
- सिरेमिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (सीटीआई), बेंगलुरु
- विद्युत परिवहन केंद्र (सीईटी), भोपाल
- अमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल संयंत्र (एएसएससीपी), गुरुग्राम

कंपनी के ज्ञान आधार के प्रबंधन के लिए, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास के इन केंद्रों में प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं में नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं के बेंच मार्किंग की पहचान की जाती है। अपने सभी उत्पादों में डिजाइन चक्र समय और डिजाइन अनुकूलन को कम करने के लिए ज्ञान आधारित इंजीनियरिंग (केबीई) पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, बीएचईएल ने केबीई/ पीएलएम गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई केबीई परियोजनाओं की शुरुआत की है।

बीएचईएल ने ज्ञान अंतराल को पाटने, अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ सहयोग पर ज़ोर दिया है। वर्तमान में, बीएचईएल ने प्रमुख शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। कंपनी अपनी महत्वाकांक्षी प्रौद्योगिकी प्रयासों में सफल होने के लिए सभी क्षमताओं जैसे लोगों की क्षमताओं, बुनियादी ढांचे, प्रक्रियाओं और संगठन के समर्थन में भी ज़ोर दे रही है।

कुछ प्रमुख शैक्षणिक/ अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास

- भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
- प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए केंद्रीय संस्थान, भुवनेश्वर
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नै
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
- भारतीय संस्थान इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिबपुर
- पाउडर धातु विज्ञान और नई सामग्री (एआरसीआई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद
- मिश्र धातू निगम लिमिटेड (मिधानी), हैदराबाद
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुच्चिराप्पल्लि
- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई

6.4 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

वर्ष के दौरान इंजीनियरिंग, प्रक्रियाओं और उत्पादों जिनमें बिजली, उद्योग, परिवहन, ट्रांसमिशन, नवीकरण और भविष्य के क्षेत्र जैसे विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्र शामिल हैं, में महत्वपूर्ण विकास/सुधार हुए हैं। कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- भारत में पहली बार, बीएचईएल ने अपने इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों द्वारा भारतीय रेल के DC प्रोपल्शन सिस्टम वाले WAG7 इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए आईजीबीटी आधारित रिजनरेशन प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह आईजीबीटी आधारित पुनर्योजी (रिजनरेटिव) ब्रेकिंग प्रणाली, मोटर्स से ऊर्जा को पुनः प्राप्त करेगा और 25 केवी एसी ओवरहेड कैटेनरी को आपूर्ति करेगा। इस प्रणाली द्वारा मोटरिंग के दौरान कुल ऊर्जा की खपत की लगभग 15% रिकवरी हो जाएगी।

- स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित और निर्मित कम ध्वनि वाला, कॉम्पैक्ट 3.5 मेगावाट 430 वोल्ट, 50 हर्ट्ज टर्बो अल्टरनेटर जो सामरिक अनुप्रयोगों हेतु वाटर कूल्ड स्टेटर वाइंडिंग एवं फ्रेम युक्त है। मशीन का मैकेनिकल रन टेस्ट, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टर तथा ओपन सर्किट कैरेक्टर टेस्ट के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है।

- कोयला से मेथनॉल (सीटीएम) परियोजना के पायलट संयंत्र के लिए सिनगैस के मेथनॉल रूपांतरण प्रक्रिया हेतु मॉडलिंग और सिमुलेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है।

- 1600 एचपी डेमू (डीईएमयू) प्रयोग के लिए कॉम्पैक्ट 1095 किलोवाट ट्रैक्शन अल्टरनेटर का डिजाइन, विकास और निर्माण पूरा किया गया। अल्टरनेटर को किसी भी समस्या रहित संचालन तथा अधिकतम सेवाकाल प्रदान करने के लिए मजबूत, हल्के और ट्यूबलर फ्रेम निर्माण के साथ डिजाइन और निर्मित किया गया है। विकसित मशीन का ग्राहक की उपस्थिति में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

- भारत में पहली बार, उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) अनुप्रयोग के लिए सुपर हीटर सेफ्टी वाल्व का डिज़ाइन, विकास और निर्माण किया गया। विस्तृत डिज़ाइन दस्तावेज़ को ईपीआरआई, यूएसए द्वारा पुनरीक्षण किया गया। इस परियोजना के तहत, वेल्डिंग प्रक्रिया के साथ इंकोनेल 617 और इंकोनेल 740सामग्रियों की मशीनिंग स्थापित की गई थी। सुरक्षा वाल्व की एसेम्बली और कार्यात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

सीएफ़एफ़पी हरिद्वार ने एयूएससी अनुप्रयोगों के लिए इंकोनेल कास्टिंग की आपूर्ति के लिए अपना तकनीकी कौशल साबित कर दिया है

- बीएचईएल ने मिश्र धातु 625 एम टरबाइन केसिंग (निचला आधा और ऊपरी आधा) विकसित किया है। लोअर हाफ केसिंग किसी भी एप्लिकेशन के लिए मिश्र धातु 625 में बनाई गई दुनिया की सबसे भारी कास्टिंग है (भारित वजन लगभग 50 टी)। बीएचईएल ने एयूएससी अनुप्रयोगों के लिए गुणवत्ता युक्त इंकोनेल कास्टिंग की आपूर्ति के लिए अपनी तकनीकी कौशल सिद्ध किया है।

कॉर्पोरेट आर एंड डी हैदराबाद में एलॉय एवं बेल्ड्स के फायर साइड कोरोजन के परीक्षण हेतु भट्टी

- फायर साइड कोरोजन टेस्ट रिग (एफ़एससीटीआर) का एनटीपीसी दादरी थर्मल पावर प्लांट में सफलतापूर्वक कमीशन किया गया है। यह सुविधा तीन वर्षों तक निरंतर संचालन में रहेगी और 720 डिग्री सेल्सियस पर इनकॉन बॉयलर ट्यूब के फायर साइड कोरोजन तथा स्टीम साइड ऑक्सीकरण के मूल्यांकन हेतु तकनीकी आंकड़े डेटा उपलब्ध करेगी।

- सामरिक अनुप्रयोग के प्रत्यक्ष ड्राइव कॉम्पैक्ट एवं कुशल 350 किलोवाट स्थायी चुंबक (PM) आधारित रिज़र्व प्रोपल्शन मोटर तथा नियंत्रक का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकसित एवं परीक्षण किया गया है। विकसित मोटर को पूर्ण भार एवं विभिन्न आंशिक भारों पर 100 घंटे तक का सहन-शक्ति परीक्षण किया गया है और यह सभी आईईसी मानकों के अनुसार परीक्षण जरूरतों पर खरा उतरा है।

- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित कॉम्पैक्ट 67 किलोवाट और 130 किलोवाट लिक्विड कूल्ड इंडक्शन मोटर्स। विकसित मोटरों की प्रमुख विशेषताओं में उच्च टार्क एवं विद्युत घनत्व, विस्तृत गति सीमा, उच्च दक्षता, विश्वसनीयता, कम शोर तथा कम लागत शामिल है। इन मोटरों का सफल परीक्षण एवं प्रमाणन एआरएआई पुणे द्वारा प्रमाणित किया गया।

- बीएचईएल ने एआरएआई, पुणे में ई-बस अनुप्रयोग के लिए लिक्विड कूल्ड स्टेटर फ्रेम के साथ 125 किलोवाट स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर (पीएमएसएम) का सफलतापूर्वक विकास और परीक्षण किया है।

कॉर्पोरेट आर एंड डी हैदराबाद मे इलेक्ट्रकि वाहनों के लिए घरेलू स्तर पर डिजाइन किया गया पीएमएम (पर्मानेन्ट मैग्नेट मोटर)

आधारभूत संरचना व्यवसाय में सड़क किनारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) की चार्जिंग के लिए 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर को विकसित किया गया है। विकसित चार्जर ने एआरएआई, पुणे में अपने सभी आवश्यक परीक्षण पास कर लिए हैं। विभिन्न साइटों पर स्थापित अपने सभी ईवी चार्जिंग स्टेशनों की निगरानी और नियंत्रण के लिए तथा उपयोगकर्ताओं/ड्राइवरों को मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध ईवी चार्जर, बैटरीचार्जर की स्थिति आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु ओसीपीपी 1.6 प्रोटोकॉल के अनुसार केंद्रीय प्रबंधन प्रणाली(सीएमएस) को विकसित किया गया है।

- सौर पैनलों की सतह पर जमा होने वाले धूल और अन्य मलबे के कारण उत्पन्न बिजली की समस्या को कम करने हेतु सौर पैनलों पर जमा धूल और अन्य मलबे की सफाई के लिए सौर पैनल क्लीनिंग रोबोट को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है जिससे सौर पैनलों की दक्षता बनी रहती है।
- ऑयल रिग अनुप्रयोगों में गहरी ड्रिलिंग रिग के लिए आवश्यक 5000 पीएसआई के अधिकतम प्रेशर के साथ 1700 एचपी ट्रिपलेक्स रेसिप्रोकेटिंग मड पंप को विकसित किया गया है। पूर्ण लोड परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधा और बिना अलग परीक्षण मोटर की आवश्यकता के अद्वितीय सुविधा के साथ मड पंप के पूर्ण लोड प्रदर्शन को सुनिश्चित कर लिया गया है।

बीएचईएल कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास, हैदराबाद में परिचलित स्वदेशी तकनीक से विकसित सोलर क्लिनिंग पैनल रोबोट

- 1 MWh ग्रिड कनेक्टेड बैटरी आधारित एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) को ली-आयन बैटरी, फ्लो बैटरी और उन्नत लीड एसिड बैटरी युक्त हाइब्रिड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ इन-हाउस स्थापित कर लिया गया है। इस विकास के साथ बीएचईएल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक नए उत्पाद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएस) को पेश करने में सक्षम हो जाएगा।

1 MWh ग्रिड से जुड़ी बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) जिसे बीएचईएल द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसे कॉर्पोरेट आर एवं डी हैदराबाद में स्थापित किया गया है।

- प्रोटॉन-एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) फ्यूल सेल द्वारा संचालित 1.25 kW हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट वाहन, इलेक्ट्रिक वाहनों के ड्राइव रेंज विस्तार के लिए विकसित और प्रदर्शित किया गया है। यह गाड़ी ऑनबोर्ड हाइड्रोजन भंडारण सिलेंडर के साथ लगभग 130 किमी चल सकती है।

ईंधन सेल ऊर्जायुक्त 1.25 किलोवाट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट बीएचईएल द्वारा विकसित वाहन है

- बीएचईएल ने स्वदेशी तकनीक से पुनात्संगछु, भूटान हाइड्रो पावर प्लांट के लिए सबसे बड़े आकार के बटरफ्लाई वाल्व (6 मीटर) और स्फेरिकल वाल्व (3 मीटर) को डिज़ाइन किया है, जिसका वजन सामान्य से 20% कम है यह इन-हाउस अनुकूलन का परिणाम है। कास्टिंग को भी इन-हाउस विकसित किया गया है।
- बीएचईएल ने 7x116 मेगावाट कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए उच्चतम रेटिंग (प्रत्येक 116 मेगावाट) वाला ऊर्ध्वाधर पंप-मोटर सेट तथा इसके संबद्ध सहायक यंत्रों को डिजाइन, निर्मित एवं चालू किया है। इस परियोजना में, श्रीपदा येलमपल्ली जलाशय से मेदराम जलाशय के लिए पानी को उठाया जाता है ताकि आस-पास के क्षेत्रों में सिंचाई और पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जा सके।
- बीएचईएल ने मेसर्स TANGEDCO की उत्तरी चेन्नई परियोजना के लिए 21.5 मेगावाट, 11 केवी, 4 पोल क्लोज्ड एयर सर्किट वाटर कूल्ड (सीएसीडब्ल्यू) बॉयलर फीड पंप मोटर को विकसित किया है। बीएचईएल इन उच्च रेटिंग मोटर्स की आपूर्ति करने वाला एकमात्र भारतीय निर्माता है।
- बीएचईएल ने अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर के मुख्य स्टीम लाइन के लिए सामग्री और डिजाइन के रूप में विश्व स्तरीय सर्वश्रेष्ठ प्रकार के 22 इंच/ 3500 स्पेशल क्लास एफ 92 गेट वाल्व को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया है। विकसित गेट वाल्व ASME मानक को पूरा करते हैं और IBR आवश्यकताओं के अनुरूप है।

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना संबद्ध सहायक यंत्रों के साथ-साथ सबसे बड़े रेटिंग वाले वर्टिकल पंप-मोटर सेट से युक्त है

- पहली बार, बीएचईएल ने डिजिटल सबस्टेशन एप्लिकेशन के लिए एनालॉग और डिजिटल दोनों आउटपुट देने वाला 245 kV फाइबर ऑप्टिक करंट ट्रांसफॉर्मर (FOCT) को डिजाइन तथा विकसित किया है। इस उत्पाद को विकसित किया गया है, तथा इसके सभी प्रमुख तकनीकी मानकों को अन्य वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के पास उपलब्ध, आयातित ऑप्टिकल सीटी उत्पाद के साथ बेंचमार्क किया गया है। यह किसी डिजिटल सबस्टेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो पारंपरिक पावर ग्रिड को स्मार्ट ग्रिड में परिवर्तित करने में मदद करता है।
- बीएचईएल ने Fr-6FA + e यूनिट रोटर की इन हाउस मरम्मत की क्षमता को हासिल कर लिया है। रोटर को नए कल-पुर्जों के साथ पुनर्निर्मित, संतुलित और साइट (असम पावर जनरेशन कॉर्प लिमिटेड, नामरूप) को भेजा गया । इस विकास ने बीएचईएल के एफ-क्लास गैस टर्बाइनों के विनिर्माण मैट्रिक्स और आर एंड एम पोर्टफोलियो को बढ़ा दिया है। इस स्वदेशी क्षमता के साथ, ग्राहक भारत में ही अपने रोटर की मरम्मत करवा सकते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
- 3 डी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए हाई स्पीड नैरो गैप (उच्च गति संकीर्ण अंतर) 300 मिमी व्यास रोटेटिंग 2 डी कंप्रेसर इम्पेलर का एक टुकड़े में जटिल ज्यामिति के साथ, साइकिल टाइम कम को करने के स्टेनलेस स्टील 17-4PH सामग्री का उपयोग करते हुए निर्माण किया गया है। 3 डी प्रिंटेड कंप्रेसर इंपेलर में आवश्यक धातुकर्म और यांत्रिक गुणों को प्राप्त करने के लिए, हीट ट्रीटमेंट साइकिल को भी विकसित किया गया है।
- बीएचईएल ने CFD विश्लेषण का उपयोग करते हुए मैत्री (2X600 MW) बांग्लादेश परियोजना के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) प्रणाली के बहु-चरण सिमुलेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस विकास के तहत, FGD प्रणाली के इष्टतम प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए मल्टिपल सिमुलेशन द्वारा घोल (तरल) के प्रवाह और समरूप गैस प्रवाह वितरण की भविष्यवाणी और सुनिश्चित करने के लिए एक पद्धति विकसित की गई है।

6.5 आर एवं डी और प्रौद्योगिकी विकास के लिए विशेष ध्यान दिए जाने योग्य क्षेत्र

विकास प्राप्त करने के लिए, बीएचईएल क्षमताओं के निर्माण और समेकित करने पर निम्नलिखित उभरते और मौजूदा क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित कर रहा है:

- एनटीपीसी और आईजीसीएआर के साथ सह-व्यवस्था से भविष्य के थर्मल पावर संयंत्रों के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी का विकास।
- उच्च राख वाले भारतीय कोयले से मेथनॉल उत्पन्न करने के लिए स्वदेशी तकनीक का विकास।
- उन्नत ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे ±800 केवी एचवीडीसी, 765 केवी, 1200 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम/ उत्पाद
- पॉवर ट्रेन, चार्जिंग स्टेशन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली आदि सहित ई-मोबिलिटी इको सिस्टम के लिए समाधान विकसित करना
- स्पेस ग्रेड ली-ओन सेलों के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी की स्थापना
- आईजीबीटी आधारित एप्लिकेशन, डीजल इलेक्ट्रिक लोको के लिए तीन फेज एसी ड्राइव सिस्टम, एमईएमयू, मेट्रो और उच्च गति ट्रेन के लिए कोच निर्माण सहित कुशल, विश्वसनीय और लागत प्रभावी परिवहन समाधान
- उच्च दक्षता वाले सोलर सेल, ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा सोलर पीवी सेल और सिस्टम का विकास
- रक्षा उत्पाद
- नैनो-प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ऊर्जा और ईंधन सेलों पर आधारित अनुप्रयोग
- सर्कुलेटिंग फ्लुइडाइज़ बेड कम्बसन (सीएफ़बीसी) बॉयलर
- फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफ़जीडी) सिस्टम की प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण
- उच्च दक्षता वाले बड़े आकार के जल विद्युत संयंत्र और प्लांट का लंबा कार्यकाल
- कंपन और शोर में कमी, शेष जीवन मूल्यांकन अध्ययन और सिमुलेटर
- सिरेमिक अनुप्रयोगों सहित सरफेस कोटिंग
- उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी
- कुशल मशीनों और रोबोटिक्स सहित नई तकनीकों का प्रयोग
- ज्ञान प्रबंधन और विशेष इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन
- डिजाइन ऑटोमेशन/ केबीई/ पीएलएम पर ध्यान देने के साथ ईपीसी सहित सभी इंजीनियरी समाधान

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी

कोयले से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करना

बीएचईएल, एनटीपीसी और आईजीसीएआर के साथ मिलकर उन्नत अल्ट्रासुपरक्रिटिकल (एयूएससी) तकनीक विकसित कर रहा है – यह राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है, जो उच्च दक्षता से युक्त और कम उत्सर्जन के साथ कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों के लिए किया जा रहा है।

बीएचईएल को पावर साइकिल उपस्कर के डिजाइन और निर्माण का कार्य सौंपा गया था और कम्पनी ने परियोजना के प्रथम चरण, जो पूरा होने वाला है, में इंजीनियरिंग का कार्य पूरा करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें महत्वपूर्ण उपकरणों का डिजाइन भी शामिल है। दूसरे चरण में,एनटीपीसी सीपत में 1x800 MWटेक्नॉलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान्ट स्थापित करने की योजना है।

इस यात्रा में अन्य उपलब्धियोके साथ-साथ एक अद्वितीय उपलब्धि यह रही कि अलाय 625 के लिए लगभग 50 टन कास्टिंग की पोरिंग सफलतापूर्वक की गई, जो किसी भी एप्लिकेशन के लिए दुनिया की सबसे भारी कास्टिंग है।

एयूएससीपावर प्लांट अनुप्रयोगों के लिए उन्नत सामग्री की क्रीप टेस्टिंग

उन्नत उच्च तापमान सामग्री के साथ एयूएससीबॉयलरों हेतु मॉक-अप थिक वॉल सुपरहीटर हेडर

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध – VII

7.1 ऊर्जा का संरक्षण

बीएचईएल ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित चार आयामों पर काम कर रहा है :

1) उत्पादन जागरूकता;

2) ऊर्जा संरक्षण;

3) ऊर्जा दक्षता;

4) अक्षय ऊर्जा।

कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को बीएचईएल आवास नगरी में ऊर्जा संरक्षण पर जागरूकता शिविरों का आयोजन कर जागरूकता प्रदान की गई।

ऊर्जा लेखा परीक्षण के लिए प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों/प्रबंधकों का एक पूल बनाया गया है। इकाइयों में नियमित आवधिकता पर ऊर्जा आडिट किए गए, सुधार के अवसरों की पहचान की गई और योजनाबद्ध तरीके से ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं के रूप में कार्यान्वित की गई। कार्यान्वित परियोजनाओं में पारंपरिक रोशनी के साधनों के स्थान पर ऊर्जा कुशल एल ई डी लगाना शामिल हैं; पुराने एसी के स्थान पर ऊर्जा-कुशल 5-स्टार एसी लगाना; ऑटोमेटिक पावर फेक्टर कंट्रोलर लगाना; कंप्रेशर एयर सिस्टम में रिसाव को रोकना; वेस्ट हीट रिकवरी; टर्बो वेंटिलेटर लगाना; प्राकृतिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए वर्कशॉप में एफआरपी शीट लगाना; सौर पीवी संयंत्रों के माध्यम से सौर ऊर्जा, आदि का उपयोग शामिल है।

चरणबद्ध तरीके से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, इकाइयों को आईएसओ 50001: 2011 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन प्राप्त हुआ है। सीएफएफपी-हरिद्वार, एचईईपी-हरिद्वार, एचईपी-भोपाल, एचपीईपी-हैदराबाद, ईपीडी-बैंगलोर, एचपीबीपी-त्रिची, एसएसटीपी- त्रिची, पीपीपीयू-तिरुमयम और बीएपी-रानीपेट इकाइयों को आईएसओ 50001 प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके। 2018-19 में, बीएपी-रानीपेट भी आईएसओ 50001 प्रमाणित हो चुका है।

स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए बीएचईएल की निर्माण इकाइयों में सोलर पीवी प्लांट्स (ग्रिड-इंटरएक्टिव और रूफटॉप) की स्थापना की गई। बीएचईएल में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 28 मेगावाट है । वित्त वर्ष 2018-19 की सौर ऊर्जा की राष्ट्रीय औसत 7.91% की तुलना में 20.81% (औसत) ऊर्जा प्राप्त करता है।

7.2 प्रौद्योगिकी समावेशन और अनुसंधान एवं विकास:

1. विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य किए गए।
2. उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के फ्लस्वरूप प्राप्त लाभ।
3. ध्यान दिए जाने वाले भावी क्षेत्र ।

बोर्ड की रिपोर्ट में अनुलग्नक – VI के अंतर्गत "अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां" में दिया गया है।"

4. अनुसंधान एवं विकास पर खर्च:

कुल	819.69 करोड़ रुपए
रिकरिंग	810.67 करोड़ रुपए
पूंजी	9.02 करोड़ रुपए
सम्पूर्ण कारोबार में खर्च का प्रतिशत	2.80%

7.3 प्रौद्योगिकी समावेशन:

पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण :

प्रौद्योगिकी	आयातित वर्ष	समावेशन स्थिति
फ्ल्यू गैस डिसल्फ्यूरिजेशन (FGD) प्रणाली	2013	प्रौद्योगिकी समावेशन प्रगति पर है।
स्टेनलेस स्टील मेट्रो कोच एवं बोगियां	2017	
गेट एवं डेम्पर	2018	
सिलेक्टिव केटेलिटिक रिडक्शन (SCR) केटेलिस्ट	2018	
एस सी आर प्रणाली	2018	

7.4 विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

(करोड़ रु.)

विवरण	2018-19	2017-18
उपयोग मे लाई गई विदेशी मुद्रा	4880	2482
कमाई गई विदेशी मुद्रा	3787	1309

निदेशक मंडल के लिए की ओर से

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(डॉ. नलिन सिंघल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनाँक: 26 जुलाई, 2019

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध–VIII

फार्म ए ओ सी - I

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधानों के अनुसरण में)

सहायक कंपनियों / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं:

भाग "क" सहायक कंपनियाँ

(प्रत्येक सहायक कंपनी का विवरण करोड़ रूपए की राशि में)

1. क्रम संख्या	01
2. सहायक कंपनी का नाम	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लिमिटेड
3. उस तारीख से जब सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया था।	19 जनवरी, 2011
4. संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी के रिपोर्टिंग समय से भिन्न हो।	लागू नहीं
5. विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर।	लागू नहीं
6.शेयर पूंजी	10.50
7. आरक्षित और अधिशेष	(24.23)
8. कुल संपति	21.04
9. कुल देनदारिया	34.77
10. निवेश	शून्य
11. कारोबार	18.65
12. कराधान से पूर्व लाभ	(7.00)
13. कराधान के लिए प्रावधान	(1.54)
14.कराधान के बाद लाभ	(5.46)
15. प्रस्तावित लाभांश	शून्य
16. शेयर धारिता का प्रतिशत	51%

कोष्ठक में दिए गए अंक ऋणात्मक हैं ।

नोट: निम्न जानकारी विवरण के अंत में प्रस्तुत की जाएगी:

1.सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अब तक परिचालन शुरू नहीं किया है ।	शून्य
2. सहायक कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया या बेचा गया ।	शून्य

निदेशक मण्डल की दिनांक 29 मई, 2018 को आयोजित बैठक में केरल सरकार को कंपनी की 51% हिस्सेदारी के हस्तांतरण (भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग के अनुमोदन के अधीन) को मंजूरी दी गई।

भाग "ख" : सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियो एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

संयुक्त उद्यम के नाम	बीएचईएल- जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	रायचूर पावर कारपोरेशन लिमिटेड
1. नवीनतम अंकेक्षित तुलन पत्र की तारीख	31.03.19	31.03.18	31.03.18
2. वह तारीख जिसमे संयुक्त उद्यम का अधिग्रहण किया गया था	5 मई, 1997	28 अप्रैल 2008	15 अप्रैल 2009
3. वर्ष के अंत में बीएचईएल के द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर			
संख्या	2379999	50000000	664039700
निवेश की राशि	2.38	50.00	664.04
होल्डिंग प्रतिशत की सीमा :	50 प्रतिशत में एक शेयर कम	50%	27.97%
4 महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	संयुक्त नियंत्रित इकाइयां		
5. सहयोगी /संयुक्त उद्यम समेकित न होने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6. नवीनतम अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयर धारिता के लिए कारण नेटवर्थ	149.42	10.17	204.63
7. वर्ष के लिए लाभ / हानि	इक्विटी पद्धति के अनुसार		
i. समेकन में विचार किया गया	27.03	(7.38)	(205.25)
ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	-	(19.13)	(145.56)

कोष्ठक मे दिए गए अंक ऋणात्मक हैं। आरपीसीएल में, बीएचईएल द्वारा अपने नॉमिनी के नाम पर 300 शेयर भी रखे गए हैं।

मेसर्स दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड, एवं मैसर्स पावर प्लांट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लिमिटेड परिसमापन के अधीन है। इसलिए इन दोनों संयुक्त उद्यमों के समेकन पर विचार नहीं किया गया है। इन संयुक्त उद्यमों में क्रमशः रु 5.20 करोड़ और रु 2.00 करोड़ की राशि निवेश हेतु प्रदान की गई है।

निदेशक मण्डल की ओर से

(राजीव कालरा)
कंपनी सचिव
एम.सं.14567

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08113460

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06715578

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एवं कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 002074N

(सीए संदीप संदिल्ल)
भागीदार
सद.संख्या 081085

कृते तिवारी एवं एसोसिएट्स
चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 002870N

(सीए रजत जैन)
भागीदार
सद.संख्या 085747

कृते महेश सी सोलंकी एंड कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 006228C

(सीए गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सद.संख्या 413515

स्थान :नई दिल्ली

दिनांक 27 मई, 2019

फार्म एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3)के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण मे)

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 188 के उपखंड (1) के संदर्भ मे तृतीय प्रावधान के तहत कुछ शर्तो के साथ हुए लेन-देन के साथ कंपनी के ठेकों / अनुबंधों(लेखों) के विवरणों के संबंध में प्रकटीकरण करने के प्रपत्र ।

1. ठेके / अनुबंधों / लेन- देन के विवरण (आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं) :

(क) संबंधित पक्ष का / के नाम एवं संबंध का स्वरूप :शून्य

(ख) ठेके / व्यवस्थाओं / लेन-देन का स्वरूप :शून्य

(ग) ठेकों या व्यवस्थाओं / लेन-देन की अवधि :शून्य

(घ) ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन-देन की विशिष्ट शर्तें, मूल्य सहित अगर हो तो :शून्य

(ड) इन ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का औचित्य :शून्य

(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि / तिथियां :शून्य

(छ) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, अगर हो तो :शून्य

(ज) वह तारीख जब आम सभा मे प्रस्ताव पारित हुआ, जैसा कि खंड 188 के तहत वांछित है :शून्य

2. सामग्री संबंधी ठेकों या अनुबंधों या लेन-देन के विवरण (आर्म्स लेंथ आधार पर)

(क) संबंधित पार्टी के नाम एवं संबंध का स्वरूप :शून्य

(ख ठेकों / व्यवस्थाओं / लेन-देन की प्रकृति :शून्य

(ग) ठेकों या व्यवस्थाओं / लेन-देन की अवधि :शून्य

(घ) ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन-देन की विशिष्ट शर्तें, मूल्य सहित अगर हो तो :शून्य

(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि / तिथियां :शून्य

(छ) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, अगर हो तो :शून्य

निदेशक मंडल के लिए की ओर से

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(डॉ. नलिन सिंघल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 26 जुलाई, 2019

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध – IX

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने यहां भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न एकल वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 के अनुसार तुलन पत्र तथा इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा (अन्य व्यापक आय सहित) तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण एवं वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है, के सारांश की लेखा परीक्षा की है। इसके अलावा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश भी दिया गया है (इसके पश्चात इसे "एकल वितीय विवरण" कहा जाएगा) जिसे लेखा परीक्षा की तिथि को / पर समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारे द्वारा तैयार किए गए 16 शाखाओं के रिटर्न तथा कंपनी के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षित 16 शाखाओं के रिटर्न भी संलग्न हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए विवरण के अनुसार स्पष्टीकरणों के अनुरूप पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") में अपेक्षित तरीके के अनुसार सूचना प्रदान करते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतो और कंपनीज (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड) नियम 2015 (इंड ए.एस.), यथा संशोधित, के साथ पाठित धारा 133 के तहत निर्धारित इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुरूप 31 मार्च 2019 को कंपनी की स्थिति तथा इसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रवाह का एक वास्तविक और सही विवरण प्रदान करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखा परीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की जांच की है। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के खंड, लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां, में इन मानकों के अन्तर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे वर्णित किया गया है। इंस्टीव्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, हमने कंपनी अधिनियम, 2013 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार हमारे एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत नैतिक आवश्यकताओं को पूरा किया है तथा हमने इन आवश्कताओं और आचार संहिता के अनुसार अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमारा मानना है कि लेखा परीक्षा के जो साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, कंपनी के एकल वित्तीय विवरण पर हमारी राय हेतु एक लेखा परीक्षा आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय

मुख्य लेखा परीक्षा के विषय वे हैं जो कि हमारे व्यावसायिक मतानुसार वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण थे। इन विषयों पर राय बनाते हुए एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संबंध में पूर्णतः समाधान किया गया और हमें इन विषयों पर और कोई राय नहीं देनी है। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा विषयों के नीचे वर्णित मामलों का उल्लेख किया है।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
01 अप्रैल 2018 से लागू इंड ए.एस. 115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" (रेवेन्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड) के अपनाए जाने के फलस्वरूप मान्यता, माप, प्रस्तुति और राजस्व का खुलासा तथा अन्य संबंधित शेष की सटीकता। वर्तमान वित्त वर्ष से नए राजस्व लेखा मानकों के अनुप्रयोग से विभिन्न प्रदर्शन दायित्वों की पहचान, पहचाने गए प्रदर्शन दायित्वों के लेन-देन मूल्य का निर्धारण, वित्तीय विवरणों में शेष के प्रस्तुतिकरण सहित एक अवधि में राजस्व की पहचान और खुलासे को मापने के लिए आधार की उपयुक्तता से संबंधित कतिपय मुख्य निर्णय शामिल हैं। आकलित प्रयास राजस्व निर्धारण करने का एक महत्वपूर्ण आकलन है क्योंकि इसके लिए अनुबंध की प्रगति, आज तक किए गए प्रयासों, शेष प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों पर विचार करना आवश्यक है। एकल वित्तीय विवरण के नोट 49 को देखें।	प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया हमने नए राजस्व लेखांकन मानक को अपनाने के प्रभाव की पहचान करने के लिए कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया का आकलन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता के परीक्षण में निम्नलिखित शामिल हैः • नए राजस्व लेखा मानकों को लागू करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन का मूल्यांकन किया गया। • मौजूदा जारी अनुबंधों और नए अनुबंधों में से एक सेंपल चुनकर विशिष्ट प्रदर्शन दायित्व और लेन-देन की कीमत निर्धारण से संबधित आंतरिक नियंत्रण की संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • लेखा प्रणालियों, अनुबंधों और संबंद्ध सूचनाओं से जुड़ी बदलाव संगत सूचनाओं का परीक्षण किया, जिनका नए राजस्व लेखा मानकों के अनुसार राजस्व का खुलासा करने और अभिलेखबद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। • महत्वपूर्ण उपलब्धियां (Milestone) प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान के लिए अनुबंधों में से एक सेंपल चुनकर समीक्षा की गई, जिसमें कि शेष प्रदर्शन दायित्व को पूर्ण करने में आकलित प्रयासों को बदलने की आवश्यकता है। • तर्कसंगतता और अन्य संबंधित सामग्री मदों के ब्योरों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया।
अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की वसूली एवं मूल्यांकन 31 मार्च, 2019 के अंत में कंपनी के पास ₹ 22,296.54 करोड़ (निवल) की अनुबंध संपत्तियां तथा ₹15,944.77 करोड़ के व्यापार प्राप्य बकाया हैं। ये शेष इंड़ ए.एस. 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुसार पूर्ण हुए अनुबंधों और चालू अनुबंधो के लिए स्वीकृत राजस्व से संबंधित हैं। लेखा परीक्षा मूल्यांकन में इसकी वसूली इसके आकार और उच्च स्तरीय प्रबंधन निर्णय के कारण एक मुख्य लेखा विषय है। एकल वित्तीय विवरणों के नोट 6,10,12,17,49(d) को देखें।	प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य के राजस्व और समीक्षा तंत्र की पहचान के लिए हमने कंपनी की आतंरिक प्रक्रिया को प्रदर्शित किया है। हमारी लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का प्रभावशील संचालन का परीक्षण निम्नानुसार शामिल हैः • बीजक बनाने, सत्यापन करने तथा ग्राहकों के साथ पुनर्मिलान की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया। • परियोजनावार बकाया विवरण और प्रबंधन द्वारा इसके समीक्षा तंत्र की सूची को प्राप्त किया। • अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की क्षति पर कंपनी के दिशानिर्देशों और नीतियों की समीक्षा की। • वर्ष के अंत में सेंपल आधार पर अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की एजिंग की सटीकता की जांच की। तर्कसंगतता, वसूली और अन्य संबंधित सामग्री मदों के ब्योरों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया।

एकल वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

एकल वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में शामिल है प्रबंधन चर्चा में शामिल जानकारी और विश्लेषण, बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा शेयरधारकों की सूचना, लेकिन एकल वित्तीय विवरण और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर (cover) नहीं करती है और हम इस पर कोई आश्वासन या निष्कर्ष नहीं देते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते हुए ध्यान रखना कि वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचनाएं कहीं असंगत तो नहीं हैं अथवा लेखापरीक्षा में प्राप्त जानकारी अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है ।

यदि, किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि यह अन्य सूचना गलत कथित है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संदर्भ में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार किए जाने के संबंध में कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के लिए जिम्मेदार है, जो कि भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और इंड. ए.एस. के अनुरूप वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तनों तथा कंपनी के नकदी प्रवाह का एक वास्तविक और सही विवरण प्रदान करते हैं।

इस जिम्मेदारी में शामिल है कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण आकलन और निर्णय लेना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो एक वास्तविक और सही दृष्टिकोण देते हैं और गलतकथन से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी का प्रबंधन कंपनी को एक उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए रखने की क्षमता का आकलन करने, उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान से संबंधित मसलों पर और उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लेखांकन पर आधारित, जैसा लागू हो, प्रकट करने, जब तक कंपनी प्रबंधन या तो कंपनी संचालन बंद करने या ऐसा करने के अलावा अन्य कोई वास्तविक विकल्प न हो या परिसमापन करने का इरादा नहीं करता है, के लिए ज़िम्मेदार हैं।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में सारतः गलत कथन से मुक्त है, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण सदैव किसी सारतः गलत कथन का पता लगा ही लेगा, यदि कोई हो। गलत कथनी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें संदेहास्पद माना जाता है, यदि,एकल रूप में या कुल मिलाकर, वे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप में प्रभावित करना प्रत्याशित है।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार एक लेखा परीक्षण के भाग के रूप में, पूरे लेखा परीक्षण के दौरान हम पेशेवर तरीके से निर्णय लेते हैं और पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। । हम भी:

- वित्तीय विवरणों के सारतः गलत कथन, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, की पहचान करना और जोखिमों को आंकना और इन जोखिमों के अनुक्रियाशील लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को पूरा करना, और लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करना जो कि हमारी राय के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप सारतः गलत कथन को न खोज पाने का जोखिम, गलती के परिणामस्वरूप से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जाल-साजी, जानबूझकर की गई चूकें, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी (override) किया जाता है।

- परिस्थितियों के अनुसार लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षण के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) (i) के अनुसार, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन में प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों और संबंधित प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन की चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या कुछ ऐसी अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है, जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वस्तुगत अनिश्चितता (material uncertainty) मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक

की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन पर ध्यान आकर्षित करना होगा या हमारी राय को संशोधित करने के लिए इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष, तारीख तक हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं । हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी की चिंता का विषय बनी रह सकती है।

- प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और व्यवसाय को उचित रूप में दर्शाते हैं।

भौतिकत्व (Materiality) एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है जो, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकता हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे (Scope) की योजना बनाने और परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पाई गई किसी गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भौतिकत्व (Materiality) और गुणात्मक कारकों (qualitative factors) पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखा परीक्षण के प्लान किए स्कोप तथा समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में पाई गई कमियों को शामिल करते हैं, जो लेखा परीक्षण के दौरान हमारी नज़र में आती हैं ।

हम उन आरोपों को भी इस उल्लेख के साथ गवर्नेंस प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों, जो हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, वहां सुरक्षा संबंधी उपायों पर निर्भर करते हैं, को संप्रेषित करते हैं।

बताए गए मामलों में से जिन मामलों में गवर्नेंस पर आरोप लगाए गए हैं, हम उन मामलों को मौजूदा अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मामलों के रूप निर्धारित करते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों को तब तक रखते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम होंगे और इस तरह के जिक्र से लोकहित प्रभावित होगा ।

अन्य विषय:

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरण में शामिल 16 (सोलह) वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं का लेखा परीक्षण नहीं किया था जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2019 को रु. 39063 करोड़ की कुल संपत्ति और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए रु. 20331 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरण में दर्शाया गया था। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/जानकारियों की शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई जिनकी रिपोर्ट हमें भेजी गई और ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटन पर हमारी राय प्रस्तुत की गई।

हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट:

1) अधिनियम के खंड 143 के उपखंड (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के संदर्भ में अपेक्षानुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर **"अनुबंध क"** प्रस्तुत करते हैं।

2) अधिनियम के खंड 143 (3) के संदर्भ में अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट देते हैं कि:

क) जहाँ तक हमें जानकारी और विश्वास है, हमने लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारियां एवं विवरण प्राप्त कर लिए हैं।

ख) हमारे विचार से, कंपनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियां रखी हैं, जैसा कि हमें इन बहियों की जांच में मिला है और हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो गई है।

ग) शाखा लेखा परीक्षकों के द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखा की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है और रिपोर्ट करते समय हमारे साथ सही तरीके से विचार विमर्श किया गया है।

घ) इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा जांचे गए तुलन पत्र (अन्य व्यापक आय) सहित लाभ एवं हानि खाता विवरण तथा इक्विटी लेन-देन में परिवर्तन और हमारे द्वारा इस दौरान की गई शाखाओं से प्राप्त जानकारियों के अनुसार है।

ङ) हमारी राय में, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ संशोधित हैं।

च) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) जो इस बारे में है कि किसी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, अधिसूचना जी.एस.आर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के मद्देनजर कंपनी पर लागू नहीं है।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उचितता के संबंध में और इस तरह के प्रचालन प्रभाव के संबंध में नियंत्रण, **"अनुबंध ख"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) अन्य विषयों के संबंध में हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 में लेखा

परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किया गया।

i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी 41 का संदर्भ लें।

ii. कंपनी ने लंबी अवधि के अनुबंध पर, सामग्री के संभावित नुकसान (यदि कोई हो) के लिए लागू कानून और लेखा मानकों के तहत आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया है। वित्तीय विवरणों पर नोट 48 का संदर्भ लें।

iii. कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके तहत नियमों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नही हुई है।

3) इस अधिनियम की धारा 143(5) में अपेक्षित, हमने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर विचार किया है, उसके बाद उसी के अनुसार कार्य किया है और उसका प्रभाव कंपनी के लेखा एवं वित्तीय विवरण **"अनुबंध ग"** पर आया है।

कृते राज हर गोपाल एवं कंपनी	**कृते तिवारी एवं एसोसिएट्स**	**कृते महेश सी सोलंकी एंड कंपनी**
चार्टड एकाउंटेंट	चार्टड एकाउंटेंट	चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 002074N	**एफआरएन 002870N**	**एफआरएन 006228C**
(सीए गोपाल कृष्ण)	**(सीए संदीप संदिल्ल)**	**(सीए रजत जैन)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सद.संख्या 413515	**सद.संख्या 081085**	**सद.संख्या 085747**

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक 27 मई, 2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध – क

(भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लेखों की समसंख्यक दिनांक की हमारी जो 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत दी गई है, के पैरा-1 में यथा उल्लिखित)

i) (क) कंपनी ने सामान्यत: मात्रात्मक विवरण और अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखा है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा तीन वर्ष की अवधि में सभी अचल परिसम्पत्तियों सहित सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को शामिल करते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अधीन चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जा रहा है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और व्यवसाय के स्वरूप की दृष्टि से समुचित समझा जाता है और वर्ष के दौरान कराए गए सत्यापन में कोई मूर्त विसंगति नहीं देखी गई ।

(ग) कंपनी के नाम से धारित नहीं की गई अचल संपत्ति के विलेख के विवरण वित्तीय विवरण के नोट न. 3.1 (क से च) में दिए गए हैं।

ii) हमें जैसा स्पष्ट किया गया है, कुछ यूनिटों में चालू कार्य के भंडार और तैयार माल, जहाँ ऐसी यूनिटों के उत्पादन योजना विभाग का निरीक्षण तथा उत्पादन रिपोर्टों के संदर्भ में इनका वर्ष के अंत में सत्यापन किया जाता है, को छोड़कर वर्ष के दौरान नियमित अंतरालों पर स्थायी मालसूची कार्यक्रम के अधीन प्रबंधन द्वारा मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। संविदाकारों / फैब्रीकेटरों और अन्य पक्षों के पास पड़े हुए स्टॉक के संबंध में केवल कुछ मामलों में पुष्टियां प्राप्त हुई थीं। हमारी राय में सत्यापन की आवृत्ति उचित है। सामग्री के संबंध में कोई विसंगति प्राप्त नहीं हुई है।

iii) हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों के सीमित दायित्व भागीदारों अथवा किसी अन्य पक्षों को प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है। अत: चालू वर्ष के लिए कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश पैरा 3 के खंड (iii) क, (iii) ख, एवं (iii) ग कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv) कंपनी ने ऋण निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों का अनुपालन किया है।

v) कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधानों और कंपनी (जमाराशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार वर्ष के दौरान आम जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

vi) हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा विहित कंपनी (लागत रिकार्ड्स एवं लेखा) नियम, 2014 के अनुसरण में, कंपनी द्वारा रखी गई लेखा पुस्तिकाओं तथा कंपनी के रिकार्डों का व्यापक निरीक्षण किया और हमारी राय में कंपनी ने निर्धारित लेखा एवं रिकार्ड्स को संरक्षित रखा है। तथापि, इन लेखों और लागत रिकार्डों की विस्तृत जांच की न तो हमारी अपेक्षा है और न ही हमने की है।

vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रस्तुत की गई तथा हमारे द्वारा जांची गई बहियों और रिकार्ड के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी सामान्यत: नियमित रूप से भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों पर यथा लागू कोई अन्य वास्तविक सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को जमा कर रही है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भुगतान की तारीख से 6 महीने से अधिक माह की अवधि हेतु 31 मार्च 2019 को भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक देयता बकाया राशि विवादित नहीं थीं।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार जिस बिक्री कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क और उपकर को विवाद के कारण जमा नहीं किया है, वह निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	सांविधिक प्रावधान का नाम	देयताओं की प्रकृति	लंबित राशि	प्रतिबाधित भुगतान राशि	न्यायालय जहां प्रकरण लंबित है
1	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, विभिन्न राज्यों के मूल्य वर्धित कर और बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर, वैट	21.26	5.70	आकलन अधिकरी
			427.58	74.88	उपायुक्त / संयुक्त आयुक्त / आयुक्त (अपील)
			325.84	120.35	अपीलीय अधिकरण
			404.05	29.39	विभिन्न अपीलीय प्राधिकारी
			35.33	8.72	उच्च न्यायालय
			4.84	4.84	सर्वोच्च न्यायालय
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	81.45	4.32	आयुक्त (अपील)
			87.96	7.64	अपीलीय अधिकरण
			59.84	5.19	उच्च न्यायालय
			0.55	0.55	सर्वोच्च न्यायालय
3	वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन	सेवा कर	0.06	0	आकलन अधिकरी
			16.26	0.27	आयुक्त (अपील)
			944.45	22.57	अपीलीय अधिकरण
4	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	5.80	5.80	उच्च न्यायालय

viii) हमारे द्वारा कंपनी के रिकॉर्ड की जांच और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय संस्थानों, बैंकों से लिए गए ऋण या लोन की अदायगी में चूक नहीं हुई है। कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

ix) हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्ड की जांच और हमें दी गई वर्ष के दौरान कोई धनराशि आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या भावी सार्वजनिक प्रस्ताव शामिल या सावधि ऋण के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है।

x) कंपनी के रिकार्ड और बहियों के बारे में हमारी जांच के दौरान, भारत मे आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा पद्धति के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई भी धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई भी धोखाधड़ी नहीं पाई या बताई गई है।

xi) एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के मद्देनजर कंपनी पर लागू नहीं है।

xii) निधि कंपनी नहीं होने के कारण, कंपनी पर निधि कंपनी से संबंधित खंड सं 3 (xii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

xiii) हमे दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी और हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्ड की जांच के अनुसार, संबंधित पक्ष का लेंनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुसार है और इसका वित्तीय विवरण में उल्लेख किया गया है।

xiv) हमारी जांच और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वर्ष के दौरान आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर या पूरी तरह या शेयरों के प्राइवेट प्लेसमेंट या अधिमान्य आवंटन से संबंधित खंड सं (xiv) के प्रावधान वर्ष के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट ने जगह ली या अधिमान्य आवंटन किसी रूप में कंपनी पर लागू नहीं है।

xv) हमारी जांच और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी के निदेशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है।

xvi) हमारी जांच और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुभाग 45 – आई ए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

कृते राज हर गोपाल एवं कंपनी	**कृते तिवारी एवं एसोसिएट्स**	**कृते महेश सी सोलंकी एंड कंपनी**
चार्टड एकाउंटेंट	चार्टड एकाउंटेंट	चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 002074N	**एफआरएन 002870N**	**एफआरएन 006228C**
(सीए गोपाल कृष्ण)	**(सीए संदीप संदिल्ल)**	**(सीए रजत जैन)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सद.संख्या 413515	**सद.संख्या 081085**	**सद.संख्या 085747**

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक 27 मई, 2019

"अनुबंध – ख"

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समान तिथि को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (1) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट:

हमने समान तिथि को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (''कंपनी") की 31 मार्च 2019 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने कि लिए जिम्मेदार है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रखरखाव, जिसके तहत क्रमबद्धता सुनिश्चित करने के लिए जो कि अपने व्यापार का कुशल एवं प्रभावी ढंग से संचालन किया जा रहा था, जिसमे सम्मिलित हैं - कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियां, सटीकता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता का पता लगाना और कंपनी अधिनियम 2013, के तहत अपेक्षानुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करना।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करने के लिए है। हम अपना लेखा परीक्षण लेखापरीक्षा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस नोट) पर लेखा परीक्षण के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर गाइडेंस नोट के अनुसार संचालित करते हैं, जो इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण के लिए लागू, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण की सीमा लागू करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित समझी गईं हों और आईसीएआई द्वारा जारी की गईं हों। उन मानकों और गाइडेंस नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करें और लेखापरीक्षा की योजना इस बात को ध्यान में रखकर बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें, उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और व्यवस्थित किया गया था और सभी भौतिक पहलुओं में इस तरह का प्रभावी ढंग से नियंत्रण संचालित है।

हमारी आंतरिक वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग को नियंत्रित करती है, जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना शामिल है, जिसमें सामग्री दोष के जोखिम का निर्धारण करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर डिजाइन का परीक्षण और मूल्यांकन तथा आंतरिक नियंत्रण का प्रभावी प्रचालन शामिल है। चुनी हुई प्रतिक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरण को गलत दर्शाए जाने के जोखिम का निर्धारण भी शामिल है, चाहे कारण धोखाधड़ी या त्रुटि हो।

हम मानते हैं कि जो लेखा परीक्षण साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं और अन्य मामले पैराग्राफ में नीचे दी गई अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में उनके द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक डिजाइन की गई प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती है और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने और सामन्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है, जो (1) ऐसे रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जिसमें कंपनी की सम्पत्तियों का विवरण पर्याप्त, सही और उचित रूप में दर्शाया गया है। (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए दर्ज हो रहे हैं और कहां कि प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और कंपनी के निदेशक प्राधिकरण के अनुसार किया जा रहा है और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान का समय पर पता लगाने या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं हैं, जिनमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन और नियंत्रण का ओवरराइड भी शामिल है। इसलिए त्रुटि या जालसाजी के कारण गलत विवरण होने तथा उनका पता न लग पाने की आशंका है। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान रहे। इस जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों के अनुपालन की डिग्री या प्रक्रियाएं खराब हो सकती हैं

राय

हमारी राय में, कंपनी में सभी प्रत्यक्ष मामलों में 31 मार्च 2019 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रही है, जो इंस्टीव्यूट ऑफ चार्टर्ड एकांउटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड पर आधारित है।

कृते राज हर गोपाल एवं कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 002074N

(सीए गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सद.संख्या 413515

कृते तिवारी एवं एसोसिएट्स
चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 002870N

(सीए संदीप संदिल्ल)
भागीदार
सद.संख्या 081085

कृते महेश सी सोलंकी एंड कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 006228C

(सीए रजत जैन)
भागीदार
सद.संख्या 085747

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक 27 मई, 2019

“अनुबंध- ग” स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (एकल) के 2018 -19 के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश।

क्र.सं.	जांच किए गए क्षेत्र	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन करने की व्यवस्था है। यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की प्रामाणिकता पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन के निहितार्थ, यदि कोई हो, जिसका उल्लेख किया जा सकता है।	हां, कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन करने की प्रणाली है।
2	क्या किसी मौजूदा ऋण रि-स्ट्रक्चर किया हो या कर्ज की अदायगी/ कर्ज/ब्याज/ ऋण इत्यादि के मामलों को कंपनी के ऋण को चुकाने में असमर्थता के कारण किया गया हो? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, ऋण चुकाने में कम्पनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की कोई रि-स्ट्रक्चरिंग/ वेवर/ राइट ऑफ नहीं किया गया है/ ब्याज नहीं लगाया गया है।
3	क्या केंद्रीय/राज्य की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधि का निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से उपयोग किया गया है? जिन मामलों में भिन्नता हो उनकी सूची बनाएं।	केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधि को निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से उपयोग किया गया है।

कृते राज हर गोपाल एवं कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 002074N

(सीए गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सद.संख्या 413515

कृते तिवारी एवं एसोसिएट्स
चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 002870N

(सीए संदीप संदिल्ल)
भागीदार
सद.संख्या 081085

कृते महेश सी सोलंकी एंड कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 006228C

(सीए रजत जैन)
भागीदार
सद.संख्या 085747

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक 27 मई, 2019

No. MAB-III/REP/01-47/Acs-BHEL-Ph. III/2019-20/6237

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

Indian Audit & Accounts Department
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III
NEW DELHI

सत्यमेव जयते

दिनांक/Dated: 11/07/2019

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली - 110049.

विषय: 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि।

(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवा तल ,एनेक्सी बिल्डिंग 10 ,बहादुरशाह जफ़र मार्ग,नई दिल्ली 110002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110 002
Ph. 23239227; Fax 23239211; e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019.

The preparation of financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 27.05.2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2019 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Rajdeep

(Rajdeep Singh)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board – III,
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 11 July 2019

वित्तीय विवरण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 166

तुलन पत्र 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रुपए)

विवरण	नोट	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	
A. आस्तिया					
(1) गैर–मौजूदा आस्तियां					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3a		2883.92		2977.53
(ख) चालू पूंजीगत कार्य	3b		223.21		194.53
(ग) अमूर्त आस्तियां	4a		83.07		91.31
(घ) विकास के तहत अमूर्त आस्तियां	4b		12.23		8.23
(ङ) वित्तीय आस्तियां					
(i) निवेश	5	669.36		690.74	
(ii) कारोबार प्राप्य राशी	6	3935.20		3437.23	
(iii) ऋण	7	82.82		84.28	
(iv) अन्य वित्तीय आस्तियां	8	-	4687.38	0.02	4212.27
(च) आस्थगित कर आस्तियां (देयताएं)	9		3514.53		3625.88
(छ) अन्य गैर–मौजूदा आस्तियां	10		14671.78		10470.22
कुल गैर–मौजूदा आस्तियां			26076.12		21579.97
(2) वर्तमान परिसंपत्ति					
(क) माल सूचियां	11		8113.49		6258.76
(ख) वित्तीय आस्तियां					
(i) कारोबार प्राप्य राशी	12	12009.57		14064.06	
(ii) नकद और नकद समकक्ष	13क	795.60		2768.68	
(iii) नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक में जमा राशी	13ख	6707.74		8407.19	
(iv) ऋण	14	157.45		143.59	
(v) अन्य वित्तीय आस्तियां	15	162.19	19832.55	150.61	25534.13
(ग) वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)	16		-		222.94
(घ) अन्य मौजूदा आस्तियां	17		10393.85		10122.28
कुल मौजूदा आस्तियां			38339.89		42138.11
कुल आस्तियां			64416.01		63718.08
ख. इक्विटी और दायित्व					
(3) इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	18		696.41		734.28
(ख) अन्य इक्विटी	18क		30703.45		31866.80
कुल इक्विटी			31399.86		32601.08

तुलन पत्र 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रुपए)

विवरण	नोट	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	
देयताएं					
(4) गैर–मौजूदा देयताएँ					
क वित्तीय देयताएँ					
(i) उधारी	19	95.45		57.18	
(ii) कारोबार देनदारियाँ	20				
(i.) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया		-		-	
(ii.) सूक्ष्म उद्यम और छोटे उद्यम के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशी		702.98		479.06	
(iii) अन्य वित्तीय देयता	21	91.53	889.96	114.41	650.65
ख प्रावधान	22		5454.54		4923.11
ग अन्य गैर–मौजूदा देयताएँ	23		3615.88		3636.70
कुल गैर– मौजूदा देयताएँ			9960.38		9210.46
(5) मौजूदा देयताएँ					
क वित्तीय देयताएँ					
(i) उधारी	24	2457.27		-	
(ii) कारोबार देयताएँ	25				
(i) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया		361.17		283.43	
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया बकाया		11013.94		10303.43	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	26	2068.14	15900.52	2270.40	12857.26
ख प्रावधान	27		2485.48		3782.77
ग वर्तमान कर देनदारियाँ (शुद्ध)	16		91.40		-
घ अन्य चालू देनदारियां	28		4578.37		5266.51
कुल चालू देनदारियां			23055.77		21906.54
कुल देनदारियां			33016.15		31117.00
			64416.01		63718.08
तैयारी, माप और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का आधार	2				

साथ में दिए गए नोट इन वित्तीय वक्तव्यों का एक अभिन्न हिस्सा हैं

निदेशक मंडल कि ओर से और उनके लिए

(राजीव कालरा)
कम्पनी सचिव
एम.नं.14567

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08113460

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06715578

संलग्न तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 002074एन

(सी.ए. गोपाल कृष्ण)
पार्टनर
एम.नं. 081085

तिवारी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंटे
एफआरएन-002870एन

(सी.ए. संदीप सांडिल)
पार्टनर
एम.नं. 085747

महेश सी. सोलंकी एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन-006228सी

(सीए. रजत जैन)
पार्टनर
एम.नं. 413515

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 27, 2019

लाभ और हानि का विवरण
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(करोड़ रुपए)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
संचालन से राजस्व	**29**		**30348.95**		28813.00
अन्य आय	**30**		**677.64**		694.28
कुल आय			**31026.59**		29507.28
व्यय					
सामग्री की खपत, निर्माण और इंजीनियरिंग खर्च	**31**		**19307.85**		15899.90
तैयार माल की माल–सूची में परिवर्तन और प्रगति पर काम करना	**32**		**(1073.16)**		736.13
कर्मचारी लाभ खर्च	**33**		**6261.27**		6067.34
निर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण व्यय	**34**		**2693.93**		2002.37
प्रावधान	**35**		**1075.98**		2282.41
मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय	**3.1/4.1**		**474.81**		786.40
वित्तीय खर्च	**36**		**286.93**		254.55
घटाएँ रू आंतरिक उपयोग के लिए पूंजीकृत व्यय			**58.88**		106.81
कुल व्यय			**28968.73**		27922.29
कर–पूर्व लाभ			**2057.86**		1584.99
कर व्यय	**37**				
क) वर्तमान कर		**735.07**		578.67	
ख) आस्थगित कर		**107.40**	**842.47**	199.72	778.39
वर्ष के लिए लाभ (क)			**1215.39**		806.60

लाभ और हानि का विवरण
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(करोड़ रुपए)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य व्यापक आमदनी	38		
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (शुद्ध कर)			
परिभाषित कर्मचारी लाभों का पुनः मापन		**(119.18)**	83.33
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (ख)		**(119.18)**	83.33
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क. ख)		**1096.21**	889.93
इक्विटी प्रति शेयर आय	39		
(1) बेसिक प्रत्येक 2 रुपये का अंकित मूल्य,		**3.35**	2.20
(2) मंदित प्रत्येक 2 रुपये का अंकित मूल्य,		**3.35**	2.20
तैयारी, माप और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का आधार	2		
साथ में दिए गए नोट इन वित्तीय वक्तव्यों का एक अभिन्न हिस्सा हैं			

निदेशक मंडल कि ओर से और उनके लिए

(राजीव कालरा)
कम्पनी सचिव
एम.नं.14567

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08113460

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06715578

संलग्न तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 002074एन

(सी.ए. गोपाल कृष्ण)
पार्टनर
एम.नं. 081085

तिवारी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंटे
एफआरएन-002870एन

(सी.ए. संदीप सांडिल)
पार्टनर
एम.नं. 085747

महेश सी. सोलंकी एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन-006228सी

(सीए. रजत जैन)
पार्टनर
एम.नं. 413515

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 27, 2019

इक्विटी में बदलावों का विवरण (एसओसीआईई)
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

(करोड़ रुपए)

भारतीय रु. 2 प्रत्येक के जारी किए गए, पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर	शेयरों की संख्या		राशि	
	2018–19	2017–18	2018–19	2017–18
अवधि की शुरुआत में शेष	**3671400000**	2447600000	**734.28**	489.52
जोड़ें: वर्ष के दौरान आवंटित बोनस शेयर	**-**	1223800000	**-**	244.76
घटाएँ: शेयर वापस खरीदा	**189336645**	-	**37.87**	-
अवधि के अंत में शेष	**3482063355**	3671400000	**696.41**	734.28

क. अन्य इक्विटी
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(करोड़ रुपए)

विवरण	कोष और अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी
	संपत्ति कोष	पूंजी ऋणमुक्तिकोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय		
01 अप्रैल, 2018 तक शेष राशि	**35.18**	**-**	**32,104.96**	**(251.29)**	**(22.05)**	**31,866.80**
जोड़ें: इंड एएस–115 पारगमन समायोजन	**-**	**-**	**-**	**126.49**	**-**	**126.49**
जोड़ें / (घटाएँ): वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**1,215.39**	**(119.18)**	**1,096.21**
घटाएँ: पूंजी ऋणमुक्ति कोष में स्थानांतरित	**-**	**37.87**	**37.87**	**-**	**-**	**-**
घटाएँ: बायबैक से संबंधित लेनदेन लागत [नोट 18]	**-**	**-**	**-**	**8.32**	**-**	**8.32**
घटाएँ: बायबैक पर भुगतान की गई राशि [नोट 18]	**-**	**-**	**1590.43**	**-**	**-**	**1590.43**
घटाएँ: वित्त वर्ष 2017–18 के लिए अंतिम लाभांश [नोट 40]	**-**	**-**	**-**	**374.49**	**-**	**374.49**
घटाएँ: वित्त वर्ष 2018–19 के लिए अंतरिम लाभांश [नोट 40]	**-**	**-**	**-**	**278.57**	**-**	**278.57**
घटाएँ: लाभांश वितरण कर [नोट 40]	**-**	**-**	**-**	**134.24**	**-**	**134.24**
31 मार्च, 2019 तक शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30,476.66**	**294.97**	**(141.23)**	**30,703.45**

इक्विटी में बदलावों का विवरण (एसओसीआईई)
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(करोड़ रुपए)

विवरण	कोष और अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी
	संपत्ति कोष	पूंजी ऋणमुक्ति कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय		
01 अप्रैल, 2017 तक शेष राशि	35.18	-	32,349.72	(474.60)	(105.38)	31,804.92
जोड़ें / (घटाएँ): वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	806.60	83.33	889.93
घटाएँ: वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अंतिम लाभांश (नोट 40)	-	-	-	190.92	-	190.92
घटाएँ: वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अंतरिम लाभांश (नोट 40)	-	-	-	293.71	-	293.71
घटाएँ: लाभांश वितरण कर (नोट 40)	-	-	-	98.66	-	98.66
घटाएँ: बोनस शेयर जारी करना (नोट 18)	-	-	244.76	-	-	244.76
31 मार्च, 2018 तक शेष राशि	35.18	-	32,104.96	(251.29)	(22.05)	31,866.80

निदेशक मंडल कि ओर से और उनके लिए

(राजीव कालरा)
कम्पनी सचिव
एम.नं.14567

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08113460

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06715578

संलग्न तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 002074एन

(सी.ए. गोपाल कृष्ण)
पार्टनर
एम.नं. 081085

तिवारी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंटे
एफआरएन-002870एन

(सी.ए. संदीप सांडिल)
पार्टनर
एम.नं. 085747

महेश सी. सोलंकी एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन-006228सी

(सीए. रजत जैन)
पार्टनर
एम.नं. 413515

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 27, 2019

नगदी प्रवाह विवरण
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
I. ऑपरेटिंग गतिविधियों से वर्ष के लिए लाभ (कर से पहले) नकदी प्रवाह समायोजनः		
प्रावधान	**2057.86**	1584.99
मूल्य ह्रास और परिशोधन		
वित्त लागत (ब्याज की छूट सहित)	**1738.37**	2196.52
बट्टे–खाते में डाला हुआ खराब ऋण, बंद नुकसान और नुकसान	**474.81**	786.40
संयुक्त उद्यमों में निवेश से हानि	**286.93**	254.55
उचित मूल्य समायोजन	**93.18**	41.50
ब्याज और लाभांश आय	**4.10**	44.39
पुनः लिखी गईं देनदारियाँ	**-**	60.63
म्यूचुअल फंड की इकाइयों की बिक्री से लाभ	**(615.56)**	(616.53)
पीपीई की वस्तुओं के निपटान पर लाभ	**(181.05)**	(97.01)
इक्विटी शेयर के निवेश में उचित मूल्य (लाभ)/हानि	**(17.00)**	(25.85)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालनों से उत्पन्न नकदी	**(2.25)**	(9.41)
कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजनः	**(0.02)**	1.01
व्यापार प्राप्य और अनुबंध आस्तियां	**3839.37**	4221.19
माल सूचियाँ		
ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां	**(4593.25)**	(6341.95)
पूर्ण योग	**(1943.80)**	997.44
व्यापार देनदारियां	**(181.56)**	(714.37)
ग्राहकों, जमाओं और अन्य से अग्रिम	**(6718.61)**	(6058.88)
प्रावधान	**980.97**	1747.54
पूर्ण योग	**(933.83)**	1223.90
शुद्ध नकदी (कार्य में प्रयुक्त)/कार्यशील पूंजी से	**(628.62)**	(186.34)
प्रचालन से उत्पन्न नकदी	**(581.48)**	2785.10
आयकर वापसी	**(7300.09)**	(3273.78)
आयकर भुगतान	**(3460.72)**	947.41
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**408.68**	720.42
ख. निवेश गतिविधियों से धनापूर्ति	**(829.41)**	(677.28)
बैंक जमाओं की प्रतिदान/परिपक्वता (मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक की होने पर)	**(3881.45)**	990.55
प्राप्त ब्याज	**1700.00**	600.00
संयुक्त उद्यमों से प्राप्ति	**588.40**	657.38
म्यूचुअल फंड से प्राप्त आय	**17.30**	-
संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश	**17.00**	36.67
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री	**16.18**	14.76
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	**1.04**	11.43
संयुक्त उद्यमों में निवेश	**(425.03)**	(281.25)
शुद्ध नकदी (प्रयुक्त)/निवेश गतिविधियों से	**-**	(74.72)
शुद्ध नगदी/निवेशित प्रक्रियाओं से	**1914.89**	964.27

नगदी प्रवाह विवरण
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ग.वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अल्पकालिक उधारी से आय	**2457.27**	.
वित्त पट्टा दायित्व की (चुकौती) / आय	**54.45**	(50.41)
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद (प्रीमियम भुगतान सहित)	**(1628.30)**	-
प्रदत्त लाभांश	**(652.75)**	(484.63)
लाभांश वितरण कर का भुगतान किया	**(134.24)**	(98.66)
प्रदत्त ब्याज	**(94.63)**	(37.33)
पुनः खरीद पर व्यय	**(8.32)**	-
वित्तीय गतिविधियों से (में प्रयुक्त) कुल नकद राशी (बिन्दु 3 देखें)	**(6.52)**	(671.03)
घ. नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**(1973.08)**	1283.79
नकद और नकद समकक्ष का प्रारम्भिक शेष	**2768.68**	1484.89
नकदी और नकदी समकक्षों का जमा शेष नोट 13 देखें	**795.60**	2768.68

(1) इंड एएस 7 में वर्णित अप्रत्यक्ष विधि के तहत धनापूर्ति का विवरण तैयार किया गया है–धनापूर्ति का विवरण।
(2) पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं भी लागू किए गए हैं, उन्हें फिर से एकत्र/पुनर्गठित किया गया है
(3) वित्तपोषण गतिविधियों से धनापूर्ति में वर्ष के दौरान कोई गैर नकद मद नहीं है।

(4) 0.02 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.41 करोड़ रुपये) का भिन्न मुद्रा विनिमय लाभ शामिल है।

निदेशक मंडल कि ओर से और उनके लिए

(राजीव कालरा)
कम्पनी सचिव
एम.नं.14567

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08113460

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06715578

संलग्न तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 002074एन

(सी.ए. गोपाल कृष्ण)
पार्टनर
एम.नं. 081085

तिवारी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंटे
एफआरएन-002870एन

(सी.ए. संदीप सांडिल)
पार्टनर
एम.नं. 085747

महेश सी. सोलंकी एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन-006228सी

(सीए. रजत जैन)
पार्टनर
एम.नं. 413515

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 27, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वक्तव्यों के लिए नोट्स

नोट [1] कंपनी की जानकारी

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल या कंपनी) भारत में स्थित एक सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली –110049 में है।

कंपनी एक एकीकृत बिजली संयंत्र उपकरण निर्माता है और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि विद्युत, पारेषण, उद्योग, परिवहन, अक्षय ऊर्जा, वाटर, तेल एवं गैस और रक्षा एवं एयरोस्पेस के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, निर्माण, परीक्षण, कमीशन और सर्विसिंग में संलग्न है।

नोट [2] तैयारी, माप और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का आधार

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

क अनुपालन विवरण

ख. वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है और इसके बाद के संशोधन के साथ–साथ कंपनी अधिनियम, 2013 में और उसके बाद संशोधित वित्तीय विवरणों के लिए लागू अतिरिक्त आवश्यकताओं के साथ तैयार किए गए हैं।

ग. माप का आधार

वित्तीय विवरणों को सुनाम प्रतिष्ठान आधार पर और लेखांकन के संग्रहण (अक्रूअल) तरीके से तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में ऐतिहासिक लागत का उपयोग जैसा कि अन्यथा नीति में उल्लिखित है को छोड़कर किया गया है ।

घ. कार्यात्मक और प्रतिपादन मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय मुद्रा में तैयार किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

ङ. अनुमान और निर्णय का उपयोग

भारतीय लेखा मानको के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान लगाने और ग्रहण करने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।

लेखांकन अनुमानों के संशोधन उत्तरव्यापी प्रभाव से मान्यता प्राप्त हैं।

लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

लेखांकन नीतियों को लागू करने में किए गए अनुमान और निर्णय जो वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं:

i) राजस्व

कंपनी निर्माण अनुबंध के संबंध में राजस्व के लिए लेखांकन में लागत दृष्टिकोण के आधार पर इनपुट पद्धति का उपयोग करती है। इनपुट विधि के उपयोग से कंपनी को अपने प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि हेतु कुल अपेक्षित लागत की सापेक्ष लागत का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। अनुबंध की अवधि के दौरान अनुमानों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समय के साथ संतुष्ट अपने प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को फिर से मापती है।

कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिस्थितियों में बदलाव को दर्शाने के लिए ईमानदारी से प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में अपने अनुमानित लेनदेन मूल्य को अपडेट करती है।

ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पीपीई,

आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार (चार्ज) संपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन और उसके जीवन के अंत में अपेक्षित शेष मूल्य का आकलन करने के बाद प्राप्त होता है। कंपनी की आस्तियों की मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का अनुमान प्रबंधन द्वारा उस समय लगाया जाता है जब परिसंपत्ति का अधिग्रहण और समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान की जाती है।

iii) कर्मचारी लाभ योजना

परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक लाभ योजनाएं जीवनांकिक मान्यताओं के आधार पर मापी जाती हैं। हालाँकि, इन धारणाओं में किसी भी परिवर्तन का प्रभाव दायित्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि पर पड़ सकता है।

iv) प्रावधान और आकस्मिक व्यय

प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों को स्वीकार करने हेतु किए गए आकलन वर्तमान उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार किए गए हैं।

2. संपत्ति संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत, संचित मूल्यह्रास और संचित हानि नुकसान, यदि कोई हो को घटा कर तय की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (अनुबंध के तहत विदेश में उपयोग किए गए के अतिरिक्त) पर मूल्यह्रास का शुल्क कंपनी के अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी–कटौती प्रणाली पर लगाया जाता है, निम्न मदों को छोड़कर जहां अनुमानित उपयोगी जीवन तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन आकलन पर आधारित है:

	वर्ष
निर्माण उपस्कर, कैपिटल टूल्स और टैकल	5
जल निकासी, सीवरेज और पानी की आपूर्ति	30
सर्वर और नेटवर्क	5
सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र	25

मूल्य ह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, का उत्तरव्यापी रूप से हिसाब लगाया जाता है। लीज अवधि के छोटे और उनके उपयोगी जीवन पर लीज की गई आस्तियों का तब तक ह्रास किया जाता है जब तक कि यह निश्चित रूप से तय नहीं हो जाता कि कंपनी लीज अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त कर लेगी। फ्री होल्ड जमीन का मूल्यहास नहीं होता।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर जिनकी कीमत रु. 10,000/— या उससे कम है और जिनका वर्ष की शुरुआत में मूल्य रु. 10,000/— या उससे कम लिखा गया है, उनका पूरी तरह से मूल्य ह्रास हो जाता है।

निर्माण/परियोजना स्थलों पर सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत अनुबंध के कार्यकाल पर पूरी तरह से परिशोधित है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युत प्रतिष्ठान और अन्य समान सक्षम कार्य (अस्थायी संरचनाओं के अलावा) अवशिष्ट मूल्य को निर्धारित करने के बाद अनुबंध का कार्यकाल पूरा होने पर मूल्य ह्रास किया जाता है, यदि कोई हो

भारत के बाहर लंबी अवधि के अनुबंधों के लिए उपयोग की जाने वाली आस्तियों का मूल्य ह्रास प्रारंभिक अनुबंध की अवधि पूरा होने पर किया जाता हैं।

निर्माण के वर्ष में अस्थायी संरचनाएं पूरी तरह से ह्रासमान हैं।

अलग—अलग उपयोगी जीवन के साथ महत्वपूर्ण घटकों को लेखाबद्ध किया जाता है और अलग से मूल्य ह्रास किया जाता है

3. पट्टे (लीज)

एक व्यवस्था की शुरुआत में, कंपनी यह निर्धारित करती है कि ऐसी व्यवस्था एक पट्टा (लीज) है या नहीं।

प्रारंभिक मान्यता पर, वित्त पट्टे पर ली गई आस्तियों को उनके उचित मूल्य के निचले हिस्से और न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि पर पूंजीकृत किया जाता है।

वित्त पट्टों के तहत किए गए न्यूनतम पट्टे के भुगतान वित्त व्यय और बकाया देयता को कम करने के बीच प्रभाजित हैं। लीज अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि के लिए वित्त व्यय आवंटित किया जाता है ताकि देयता के बकाया शेष पर निरंतर आवधिक दर प्रस्तुत की जा सके।

परिचालन पट्टों के तहत उत्पन्न होने वाले पट्टे के किराये की अवधि के आधार पर लाभ और हानि के विवरण को एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां पट्टे के किराये में वृद्धि मुद्रास्फीति की सामान्य दर के अनुरूप है।

वित्त पट्टे पर दी गई आस्तियों के लिए, कंपनी प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पट्टा अवधि में वित्त आय को स्वीकार करती है। व्यय की हुई आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें वित्त पट्टा प्राप्य के प्रारंभिक माप में शामिल हैं और पट्टे की अवधि में स्वीकृत आय की मात्रा को कम करती हैं।

परिचालन पट्टे से उत्पन्न होने वाली आय को एक सीधी रेखा के आध ाार पर पट्टे की अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जहां पट्टे के किराये में आवधिक वृद्धि अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप है।

4. अमूर्त आस्तियां

रु. 10000/ — से अधिक कीमत वाली अमूर्त वस्तुओं का पूँजीकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है और कम संचित ऋण परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

लाभ और हानि के विवरण में अमूर्त संपत्ति को उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से अनुमानित उपयोगी जीवन पर एक सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है। अमूर्त संपत्ति के लिए अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैंरू

सॉफ्टवेयर	3 वर्ष
अन्य	10 वर्ष

वर्ष की शुरुआत में डब्ल्यूडीवी रु.10000/ — या उससे कम की अमूर्त संपत्ति पूरी तरह से परिशोधित की जाती है।

परिशोधन अवधि और परिशोधन के तरीकों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, का लेखा—जोखा उत्तरव्यापी प्रभाव से किया जाता है।

अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, लाभ और हानि विवरण में किए गए व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है। विकास गतिविधियों पर व्यय तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय को मजबूती से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से संभव है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी के पास विकास को पूरा करने और संपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। पूंजीकृत किए गए खर्च में सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड लागत शामिल है जो इसके इच्छित उपयोग और उधार लेने की लागत, यदि कोई हो, के लिए संपत्ति तैयार करने से सीधे संबंधित है। अनुसंधान और विकास के उद्देश्यों के लिए अधिग्रहीत संपत्ति को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लेने की लागत

अर्हक (क्वालिफाइंग) आस्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए लिए गए उधार की लागत को ऐसी आस्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

एक आस्ति जो, इसके इच्छित उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है, जिसे बारह महीने से अधिक माना जाता है, एक अर्हक (क्वालिफाइंग) आस्ति है।

अन्य सभी उधार लेने की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

6. सहायक और संयुक्त उपक्रमों में निवेश

सहायक और संयुक्त उपक्रमों में निवेश लागत, क्षति से हुए हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मानी जाती है।

यदि प्रबंधन का इरादा निकट भविष्य में निवेश का निपटान करना है, तो इसे बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है और बेचने के लिए इसकी वहन राशि के निम्न और उचित मूल्य में से बेचने की लागत घटाकर मापा जाता है।

7. माल–सूची

इन्वेंटरी का मूल्यांकन कीमत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। तैयार माल और काम में प्रगति के मूल्यांकन के संदर्भ में, लागत का मतलब कारखाना लागत है। कच्चे माल, घटकों, ढीले उपकरण, दुकानों और पुर्जों के संदर्भ में लागत के संदर्भ में लागत का मतलब भारित औसत लागत है।

8. राजस्व मान्यता

राजस्व को एक राशि में ग्राहकों को प्रस्तावित वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण को चित्रित करने के लिए मान्यता प्राप्त है। यह विचार उस विचार को दर्शाता है, जिसके लिए इकाई उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है। निर्माण और दीर्घकालिक सेवा अनुबंधों के संबंध में, कंपनी वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को स्थानांतरित करती है और समय के साथ राजस्व स्वीकार करती है। लागत दृष्टिकोण के आधार पर इनपुट पद्धति का उपयोग करके राजस्व को मान्यता दी जाती है। समय के साथ प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रति प्रगति को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में फिर से मापा जाता है।

माल और सेवाओं की बिक्री से राजस्व ग्राहक को नियंत्रण हस्तांतरण और अनुबंध के तहत प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि पर मान्यता प्राप्त है।

अन्य आय

उस तारीख पर लाभ और हानि के विवरण में लाभांश आय को मान्यता दी जाती है जिस दिन कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

प्रभावी आय दर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

निर्यात प्रोत्साहन / शुल्क वापसी, शुल्क वापसी और बीमा के दावों का हिसाब संग्रहण आधार पर किया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा विनिमय / लेन–देन

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्राओं में लेन–देन दर्ज किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रभावी मुद्रा विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित मौद्रिक संपत्ति और देनदारियों का कार्यात्मक मुद्रा में विनिमय किया जाता है। निपटान और अनुवाद से उत्पन्न विदेशी मुद्रा लाभ या हानि, लाभ और हानि विवरण में मान्यता पाते हैं।

गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों और गैर–मौद्रिक देनदारियों को विदेशी मुद्रा में दर्शाया जाता है और ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है, लेनदेन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर पर विनिमय किया जाता है।

10. कर्मचारी लाभ

परिभाषित योगदान योजनाएँ

कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन फंड सहित कंपनी के पेंशन फंड में योगदान को परिभाषित योगदान योजना के तहत कवर किया गया है और इसे कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि में लाभ और हानि के बयान में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा योजना परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति की हैं।

इन परिभाषित लाभ योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त दायित्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य, यदि कोई हो, को घटाकर। परिभाषित लाभ दायित्व की प्रतिवर्ष अनुमानित क्रेडिट यूनिट का उपयोग करके स्वतंत्र एक्च्यूरीज द्वारा गणना की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य एक उपयुक्त सरकारी बॉन्ड दर का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के लिए परिपक्वता की शर्तें होती हैं।

बीमांकिक लाभ और हानि के साथ–साथ योजना परिसंपत्तियों पर वापसी और शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों के बीच अंतर को भी अन्य व्यापक आय (शुद्ध आयकर) में मान्यता प्राप्त है।

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

लंबी अवधि के अवकाश की देयता कंपनी क्षतिपूर्ति अनुपस्थित जमा की अपेक्षित लागत को मापती है रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जमा हुए अप्रयुक्त अधिकारों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त राशि के भुगतान की उम्मीद की जाती है। गैर–संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति पर व्यय उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें अनुपस्थिति होती है। कंपनी प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित शेष राशि के लिए एक दायित्व रिकॉर्ड करती है। लाभ और हानि से संबंधित दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित पुनःमापन और अन्य खर्चों को मान्यता दी जाती है।

11. प्रावधान

(i) समान लेन–देन के अनुभव के पूरक उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के प्रबंधन के आकलन के आधार पर कंपनी के सम्मुख निर्णीत हर्जाने के दावों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है।

(ii) कंस्ट्रक्शन अन्य अनुबंधों के लिए, वर्ष के अंत में वारंटी के तहत अनुबंध के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के लिए अनुबंध के मूल्य का 2.5% पर रखरखाव किया जाता है। और पूरे वॉरंटी अवधि के दौरान इसे बनाए रखता है। अन्य अनुबंधों के लिए, वर्ष के अंत में वारंटी के तहत अनुबंध के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के लिए अनुबंध के मूल्य के 2.5% पर कायम रखा जाता है। एकल उत्पाद की आपूर्ति के लिए अनुबंधों के मामले में प्रत्येक पूर्ण उत्पाद के मूल्य का 2.5% प्रदान किया जाता है।

(iii) जब यह संभावित है कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाएगी, तो अपेक्षित नुकसान को तुरंत पहचान लिया जाता है।

(iv) अन्य प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, यदि पिछले घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी के पास एक वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है जिसका अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी।

हालांकि, जहां धन के समय के मूल्य का प्रभाव भौतिक है, प्रावधानों को निर्धारित किया जाता है और जहां कहीं भी लागू हो, अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर बनाए रखा जाता है ।

12. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन मिलता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, और अनुदान प्राप्त किया जाएगा। गैर मौद्रिक अनुदानों को संपत्ति के उचित मूल्य पर लेखांकित जाता है और इसे आस्थगित आय के रूप में माना जाता है।

आस्थगित आय को संपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है। राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदान को संबंधित लागतों, जिसकी उन्हें क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों पर लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

13. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं। आयकर व्यय को लाभ और हानि विवरण में इस हद तक मान्यता दी जाती है, कि यह अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है।

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर है, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से लागू कर दरों (कर कानूनों) का उपयोग करते हुए और पिछले वर्षों के संबंध में कर के खाते में समायोजन शामिल करता है।

बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है, जो बैलेंस शीट में परिसंपत्ति या देयता की राशि और उसके कर आधार के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है।

आस्थगित कर को उन दरों पर मापा जाता है, जिन्हें लागू करने की उम्मीद तब की जाती है जब रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किए गए या सख्ती से लागू किए गए कानूनों के आधार पर अस्थायी मतभेदों का एहसास या निपटान हो जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ अस्थायी असमानताओं का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति हो जाएगी।

लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आयकर को उसी समय स्वीकार किया जाता है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्यता दी जाती है।

14. आस्तियों की हानि

वित्तीय आस्तियों की हानि

व्यापार प्राप्तियों और पट्टे प्राप्तियों के संबंध में हानि भत्ता जीवनकाल की अपेक्षित ऋण हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि भत्ता, जिन्हें बिगड़ा जाना आवश्यक है, आजीवन अपेक्षित ऋण हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है यदि उस वित्तीय साधन पर ऋण जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है।

हालाँकि, अगर रिपोर्टिंग तिथि पर, वित्तीय उपकरण पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है, तो नुकसान भत्ता को 12–महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

गैर–वित्तीय आस्तियों की हानि

नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के अंकित मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है, जहां किसी भी तरह की हानि का संकेत होता है। लाभ और हानि विवरण में क्षति द्वारा हानि की पहचान की जाती है जहां नकदी पैदा करने वाली इकाइयों का अंकित मूल्य, वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है। पूर्व अवधियों में मान्यता प्राप्त हानि के नुकसान का आकलन हानि कम हो या अब मौजूद न हो के किसी भी संकेत के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है ।

यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में कोई बदलाव हुआ है तो हानि का नुकसान रद्द हो सकता है। यदि अपनी कमी से हुई हानि मान्य नहीं की गई है, एक कमी से हुई हानि केवल इस हद तक रद्द हो सकती है कि संपत्ति की वहन राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो निर्धारित की गई होगीय जो मूल्यह्रास या परिशोधन के बराबर है ।

15. सेगमेंट रिपोर्टिंग

राजस्व और व्यय को खंड की परिचालन गतिविधियों से उनके

संबंधों के आधार पर खंड में पहचाना जाता है। राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियां जो उचित आधार पर खंडों के लिए आवंटित नहीं की जाती हैं, उन्हें ष्असूचीबद्ध राजस्व / व्यय / संपत्ति / देयताएं के तहत शामिल किया गया है।

16. वित्तीय प्रपत्र

प) गैर–व्युत्पन्न वित्तीय साधन

गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को वर्गीकृत किया जाता है:

– वित्तीय संपत्ति, निम्न पर मापा गया है

(क) परिशोधन लागत और

(ख) लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य

– वित्तीय देनदारियों को परिशोधन लागत पर निर्धारित किया गया है

प्रारंभ में, सभी वित्तीय साधनों को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है। यदि एफवीटीपीएल में वित्तीय साधनों को नहीं मापा जाता है, तो वहन राशि का निर्धारण करने में लेन–देन की लागत शामिल होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों को तब अमान्य माना जाता है जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही रखे जाते हैं, वहाँ वित्तीय परिसंपत्तियों को तभी मान्यता दी जाती है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा हो। वित्तीय देनदारियां तब अमान्य हो जाती है जब संविदात्मक दायित्वों को खारिज, रद्द या समाप्त कर दिया जाता है।

गैर–व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति बाद में निम्न रूप में मापी जाती है:

क. ऋण चुकाने की लागत

परिशोधन लागत पर वित्तीय लिखतेंष बाद में प्रभावी इंटरेस्ट रेट (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत में मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर परिशोधन वित्त आय में शामिल है। मूल्य ह्रास से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

ख. एफवीटीपीएल श्रेणी

इस श्रेणी में वर्गीकृत वित्तीय साधन बाद में लाभ और हानि विवरण में दर्ज बदलाव के साथ उचित मूल्य पर किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से देय लेनदेन लागत को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को बाद में निम्न रूप में मापा जाता हैरू

प्रारंभिक मान्यता के बाद, गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

पप) व्युत्पन्न वित्तीय साधन

सामग्री प्रभाव सहित एंबेडेड डेरिवेटिव, यदि कोई हो, तो सारे अनुबंधों से अलग कर दिया जाता है और अलग–अलग लेखाबद्ध किया जाता है। यदि सारे अनुबंधों और एम्बेडेड व्युत्पन्न की आर्थिक विशेषताओं और जोखिमों का निकट संबंध नहीं है, तो एम्बेडेड व्युत्पन्न के समान शर्तों के साथ एक अलग उपकरण एक व्युत्पन्न की परिभाषा को पूरा करेगा, और संयुक्त दस्तावेजों को लाभ और नुकसान के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा नहीं जाता है ।

आरंभ में उचित मूल्य पर डेरिवेटिव को मान्यता दी जाती है और मापा जाता है। अंतिम लेनदेन लागत लागत के रूप में लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, लाभ और हानि के माध्यम से डेरिवेटिव को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

16. नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष में बैंक और उपलब्ध नकदी शामिल है। इसमें तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा और अन्य अल्पकालिक मुद्रा बाजार में जमा शामिल हैं जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी के लिए परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम का विषय हैं।

नोट [3 ए] – गैर–वर्तमान आस्तियां, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर लेखांकन नीति के लिए नोट 2 के बिंदु 2 को देखें। (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
सकल खंड	**5746.15**	5404.27
घटाएँ: संचित मूल्यह्रास	**2862.23**	2426.74
नेट ब्लॉक (नोट 3.1 का विवरण देखें)	**2883.92**	2977.53

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, और तदनुसार 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को इंड एएस ट्रांसिशन की तारीख को निर्णीत कीमत माना गया है।

नोट [3 बी] – गैर–वर्तमान आस्तियां पूंजीकृत कार्य प्रगति पर है

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक		31 मार्च, 2018 तक	
संयंत्र और मशीनरी और अन्य उपकरणरू				
निर्माणाधीन / संरचना / निर्माण की प्रतीक्षा में	**102.72**		110.26	
मार्ग में	**30.29**	**133.01**	29.70	139.96
निर्माण कार्य में प्रगति – सिविल		**88.63**		52.86
निर्माण भंडार (पारगमन सहित)		**1.57**		1.71
		223.21		194.53

नोट [4 ए] – गैर–वर्तमान आस्तियां अमूर्त आस्तियां

अमूर्त संपत्ति पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 4 देखें। (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
सकल खंड	**250.00**	221.87
घटाएँरू संचित मूल्यह्रास	**166.93**	130.56
नेट ब्लॉक (नोट 4.1 का विवरण देखें)	**83.07**	91.31

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, और तदनुसार 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को इंड एएस ट्रांसिशन की तारीख को निर्णीत कीमत माना गया है।

नोट [4 बी] – गैर–वर्तमान संपत्ति विकास के तहत अमूर्त आस्तियां

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
विकास के तहत अमूर्त आस्तियां	**12.23**	8.23
	12.23	8.23

नोट 3.1 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण

(करोड़ रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
	01.04.2018 को प्रारम्भिक जमा	परिवर्धन / समायोजन	कटौती / समायोजन	31.03.2019 को अंतिम शेष	01.04.2018 तक संचित मूल्यह्रास	मूल्यह्रास / वर्ष के लिए परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2019 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि										
i) फ्रीहोल्ड भूमि (विकास खर्च सहित)	27.67	0.00	0.00	**27.67**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**27.67**	27.67
ii) लीजहोल्ड भूमि (विकास खर्च सहित)	110.85	0.00	0.00	**110.85**	3.62	1.40	0.00	**5.02**	**105.83**	107.23
इमारतें										
i) फ्रीहोल्ड इमारतें	1516.69	70.44	(1.35)	**1585.78**	319.26	102.49	(0.09)	**421.66**	**1164.12**	1197.43
ii) लीजहोल्ड इमारतें	1.63	0.00	0.00	**1.63**	0.16	0.05	0.00	**0.21**	**1.42**	1.47
सड़कें, पुल और पुलिया	12.81	2.51	(0.19)	**15.14**	10.79	1.21	(0.00)	**12.00**	**3.14**	2.02
जल निकासी, सीवरेज और जल आपूर्ति	27.11	1.17	(0.19)	**28.09**	3.61	1.19	0.00	**4.80**	**23.29**	23.50
संयंत्र और मशीनरी (स्वामित्व में)	2957.61	115.81	0.01	**3073.43**	1650.79	206.20	2.22	**1859.21**	**1214.22**	1306.82
रेलवे साइडिंग	8.85	0.00	0.00	**8.85**	2.80	0.69	0.00	**3.49**	**5.36**	6.05
लोकोमोटिव और वैगन्स	28.34	0.00	0.00	**28.34**	9.41	2.16	0.00	**11.57**	**16.77**	18.93
फर्नीचर और फिक्सचर	54.58	7.64	(2.00)	**60.22**	23.89	7.07	(1.65)	**29.31**	**30.91**	30.69
वाहन	10.29	0.96	0.15	**11.40**	4.23	1.41	0.15	**5.79**	**5.61**	6.06
कार्यालय और अन्य उपकरण										
स्वामित्व वाले कार्यालय और अन्य उपकरण	103.70	21.35	(2.08)	**122.97**	70.04	15.24	(1.97)	**83.31**	**39.66**	33.66

(करोड़ रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
	01.04.2018 को प्रारम्भिक जमा	परिवर्धन / समायोजन	कटौती / समायोजन	31.03.2019 को अंतिम शेष	01.04.2018 तक संचित मूल्यह्रास	मूल्यह्रास / वर्ष के लिए परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2019 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2019 को	31.03.2018 को
लीज पर कार्यालय और अन्य उपकरण	14.62	1.58	0.00	**16.20**	7.62	2.81	0.00	**10.43**	**5.77**	7.00
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण										
i) स्वामित्व वाले	54.50	1.29	(23.03)	**32.76**	48.69	2.27	(22.70)	**28.26**	**4.50**	5.81
ईडीपी उपकरण	169.08	102.82	22.66	**294.56**	113.67	49.09	22.57	**185.33**	**109.23**	55.41
ii) पट्टे पर	229.47	14.48	(2.04)	**241.91**	94.14	32.22	(0.83)	**125.53**	**116.38**	135.33
निर्माण उपकरण	67.67	4.03	0.20	**71.90**	55.22	6.44	0.20	**61.86**	**10.04**	12.45
रु. 10000 /– तक की लागत वाले	8.70	5.51	0.14	**14.35**	8.70	5.59	0.06	**14.35**	**0.00**	0.00
स्थायी आस्तियां										
पट्टे पर –अन्य	0.10	0.00	0.00	**0.10**	0.10	0.00	0.00	**0.10**	**0.00**	0.00
कुल	**5404.27**	**349.59**	**(7.72)**	**5746.15**	**2426.74**	**437.53**	**(2.04)**	**2862.23**	**2883.92**	**2977.53**
पिछले वर्ष	5174.44	236.94	(7.11)	**5404.27**	1683.32	749.12	(5.70)	**2426.74**	2977.53	3491.12
/ उपरोक्त में आर एवं डी पूंजीगत मदों का विवरण शामिल है										
संयंत्र और मशीनरी अन्य उपकरण	250.32	21.02	(2.12)	**269.22**	121.42	28.85	0.00	**150.27**	**128.90**	118.94
इमारत	23.35	0.01	(0.06)	**23.30**	3.40	1.10	0.00	**4.50**	**19.95**	18.80

सकल ब्लॉक (पूर्व आईजीएएपी के अनुसार) 31.03.2018 के अनुसार रु. 12755.58 करोड़ और 31.03.2019 के अनुसार रु. 13033.88 करोड़

टिप्पणी:

31.03.2019 तक सकल ब्लॉक में रु. 0. 12 करोड़ (पिछले वर्ष रु. **0.12** करोड़) में सक्रिय उपयोग से बाहर की गई और अस्वीकृत संपत्ति शामिल हैं

31.03.2019 तक नेट ब्लॉक में रु. 0. 12 करोड़ (पिछले वर्ष रु. **0.12** करोड़) में सक्रिय उपयोग से बाहर की गई और अस्वीकृत संपत्ति शामिल हैं

	31.03.2019	31.03.2018
सकल ब्लॉक निष्पादन एजेंसी के रूप में अनुसंधान के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से खरीदी गई संपत्ति की लागत को बाहर रखता है चूंकि संपत्ति कंपनी के साथ निहित नहीं है। (रु / करोड़)	180.32	59.18

वर्ष के दौरान अचल आस्तियों में मूल्यहास से कोई हानि नहीं हुई है।

वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में मूल्य ह्रास से कोई हानि नहीं हुई हैं।

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
1. भूमि और भवन में शामिल हैं		
कं i) एक एकड़ जमीन जिसके लिए औपचारिक हस्तांतरण/लीज डीड का निष्पादन नहीं किया गया है, नेट ब्लॉक	**8196.93**	8196.93
नेट ब्लॉक	**68.45**	72.90
ii) उन फ्लैटों की संख्या जिनके लिए औपचारिक हस्तांतरण/पट्टे विलेख निष्पादित नहीं किए गए हैं	**12**	12
नेट ब्लॉक	**1.19**	1.24
iii) भवनों की संख्या जिनके लिए औपचारिक हस्तांतरण/लीज डीड को निष्पादित नहीं किया गया है, नेट ब्लॉक	**-**	-
नेट ब्लॉक		
iv) कई एकड़ भूमि जिसके लिए भुगतान की गई लागत अनंतिम हैय	**506.46**	506.46
[पंजीकरण शुल्क और स्टांप ड्यूटी, (प्रावधान का शुद्ध) भुगतान होने पर लेखाबद्ध किया गया]।	**-**	-
नेट ब्लॉक	**64.79**	65.61
ख. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभागों और अन्यों को लीज पर दी गई कई एकड़ जमीन	**30.37**	30.37
ग. रक्षा मंत्रालय (बीईजी) द्वारा उपयोग की जा रही कई एकड़ भूमि जिसके लिए लाइसेंस समझौता 30.11.2018 तक वैध था	**180**	180
घ. कई एकड़ भूमि पर प्रतिकूल कब्जा/अतिक्रमण है।	**701.86**	774.55

क. हरिद्वार प्लांट में 1242.71 एकड़ (पि. वर्ष 1242.71 एकड़) जमीन का म्यूटेशन विचाराधीन है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई जारी है। इसमें 878.85 एकड़ भूमि शामिल है, जो बीएचईएल के कब्जे में है, लेकिन वर्ष 2004 और 2007 में गलत तरीके से उत्तराखंड सरकार के नाम पर रूपांतरित हो गई है।

ख. आगे उत्तराखंड सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01.12.2003 के तहत हरिद्वार संयंत्र में, 8 एकड़ भूमि का आईओसीएल/राज्य सरकार को हस्तांतरण अनिर्णीत है।

(ऊपर उल्लिखित (बी से एफ) की भूमि की लागत महत्वपूर्ण नहीं है)

	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
2. i) एकड़ों में भूमि का कुल क्षेत्रफल	**16409.03**	16409.03
ii) एकड़ में 2 (प) में से फ्री होल्ड लैंड (बिक्री विलेख)/ संपत्ति के अधिकार / लाइसेंस	**15735.69**	15735.69
iii) एकड़ में 2 (प) में से लीजहोल्ड भूमि	**673.34**	673.34

3. रु 10000 / – लागत / प्रारम्भिक नेट ब्लॉक वाली पीपीई के आइटम पर कंपनी 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास प्रदान करती है। पहले के वर्षों के प्रभाव पर विचार किए बिना, लाभ पर पीपीई की किसी वस्तु पर 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास प्रदान करने का प्रभाव निम्नानुसार है:

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
रु. 10,000 / – पीपीई पर 100% मूल्य ह्रास रुपये तक लिया शुल्क	**8.08**	3.98
घटाएँ: उपरोक्त पर सामान्य मूल्य ह्रास।	**2.07**	1.15
वर्ष के लिए मूल्यह्रास की अतिरिक्त राशि	**6.01**	2.83

4. वित्त वर्ष 2018–19 में पीपीई की कुछ वस्तुओं के अनुमानित उपयोगी जीवन में समीक्षा और संशोधन के कारण मूल्य ह्रास पर प्रभाव 201.42 करोड़ रु की कमी है।

नोट 4.1 – अमूर्त आस्तियों का विवरण

(करोड़ रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
	01.04.2018 को आरंभिक शेष	परिवर्धन / समायोजन	कटौती / समायोजन	31.03.2019 को अंतिम शेष	01.04.2018 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2019 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2019 को	31.03.2018 को
आंतरिक रूप से विकसित										
अन्य	50.55	11.14	0.00	**61.69**	33.92	11.33	0.00	**45.25**	**16.44**	16.63
अन्य										
सॉफ्टवेयर	26.81	23.32	(5.00)	**45.13**	23.91	3.07	10.42	**37.40**	**7.74**	2.90
तकनीकी जानकारी	134.24	8.93	0.00	**143.17**	62.46	21.82	0.00	**84.28**	**58.89**	71.78
अन्य	10.27	(15.40)	5.13	**0.00**	10.27	0.00	(10.27)	**0.00**	**0.00**	0.00
कुल	221.87	27.99	0.14	**250.00**	130.56	36.22	0.15	**166.93**	**83.07**	91.31
पिछले वर्ष	198.04	23.83	0.28	**221.87**	93.28	37.28	0.30	**130.56**	91.31	104.76

31.03.2018 तक सकल ब्लॉक (पूर्व IGAAP के अनुसार) रु. 505.26 करोड़ और 31.03.2019 तक रु. 534.48 करोड़ पर

नोट [5] – अप्रचलित आस्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां– निवेश

सहायक और संयुक्त उपक्रमों में निवेश पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 6 का संदर्भ लें। (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को			31 मार्च, 2018 को		
	शेयरों की संख्या (भारतीय रुपए में अंकित मूल्य)	राशि		शेयरों की संख्या (भारतीय रुपए में अंकित मूल्य)	राशि	
I उद्धृत इक्विटी उपकरण	.		.	.		.
II निर्विवाद इक्विटी उपकरण (पूरी तरह भुगतान किए गए शेयर)						
(क) संयुक्त उद्यम में निवेश (लागत पर)						
(i) रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि.	**664040000 (10)**		**664.04**	664040000 (10)		664.04
(ii) बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्रा.लि.	**2379999 (10)**		**2.38**	2379999 (10)		2.38
(iii) एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि.	**50000000 (10)**	**50.00**		50000000 (10)	50.00	
घटाएँ: मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		**50.00**	.		45.60	4.40
(iv) पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रोवेमेंट लि.	**1999999 (10)**	**2.00**		1999999 (10)	2.00	
घटाएँ: मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		**2.00**	.		2.00	-
(v) दादा धुनिवाले खंडवा पावर लि.	**22500000 (10)**	**22.50**		22500000 (10)	22.50	
घटाएँ: प्राप्त राशि		**17.30**			.	
घटाएँ: मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		**5.20**	**-**		5.50	17.00
			666.42			687.82
(ख) सहायक कंपनी में निवेश (लागत पर)						
बीएचईएल–इलेक्ट्रिकल मशीन लि.	**5355000 (10)**	**5.36**		5355000 (10)	5.36	
घटाएँ: मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		**5.36**	**-**		5.36	-
(ग) पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी उपकरणों में निवेश (एफवीटीपीएल पर)						
(i) नीलांचल इस्पात निगम लि.	**5000000 (10)**	**5.00**		5000000 (10)	5.00	
(ii) एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लि.	**728960 (10)**	**0.91**		728960 (10)	0.91	
(iii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	**1892 (10)**	*****		1892 (10)	*	
		5.91			5.91	
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन		**(2.97)**	**2.94**		(2.99)	2.92
सहकारी समितियों में हिस्सेदारी #			**-**			-
			669.36			690.74
’ भा.रु. 1 लाख से कम का मूल्य						
निर्विवाद निवेश की कुल राशि			**734.89**			752.19
निवेश के मूल्य में हानि की सकल राशि			**65.53**			61.45

विभिन्न कर्मचारी सहकारी समितियों में आयोजित इक्विटी शेयर, जिनका मूल्य 1 लाख / – से कम है।

संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के बारे में जानकारी

(करोड़ रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(क) संयुक्त उद्यम का नाम (जेवीसी)	**निगमनो का देश**	**स्वामित्व का अनुपात (%)**	
बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्रा.लि. (बीजीजीटीएस)	इंडिया	एक हिस्सा 50% से कम	एक हिस्सा 50% से कम:
एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. (एनबीपीपीएल)		**50%**	50%
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि. (आरपीसीएल)		**27.97%**	27.97%
दादा धुनिवाले खंडवा पावर लि. (डीडीकेपीएल)		**50%**	50%
पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रोवेमेंट लि. (पीपीआईएल)		एक हिस्सा 50% से कम	एक हिस्सा 50% से कम

(i) एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर 50.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष तक 45.60 करोड़ रुपये) तक किया गया है। 08 फरवरी, 2018 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने एनबीपीपीएल के समापन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

(ii) दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड में निवेश के एवज में वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 17.30 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर निवेश में मूल्य ह्रास का प्रावधान 5.20 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5.50 करोड़ रुपये) की सीमा तक बनाए रखा गया है। जेवीसी परिसमापन के तहत है।

(iii) पावर प्लांट परफॉरमेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान 2.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2.00 करोड़ रुपये) किया गया है क्योंकि जेवीसी परिसमापन के तहत है और इक्विटी के रूप में भुगतान की गई राशि वसूली योग्य नहीं है।

विवरण		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(ख) सहायक कंपनी का नाम	निगमनो का देश	स्वामित्व का अनुपात (%)	
बीएचईएल–इलेक्ट्रिकल मशीन लि. (बीएचईएल ईएमएल)	भारत	**51%**	51%
निदेशक मंडल ने 29 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी केरल सरकार को हस्तांतरित करने (भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग के अनुमोदन की दशा में) की मंजूरी दे दी है।			

नोट [6] – अप्रचलित संपत्ति

वित्तीय संपत्ति – व्यापार प्राप्य

वित्तीय परिसंपत्तियों मूल्य ह्रास के संबंध में लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 14 देखें। (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		.		.
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		**4529.16**		3798.95
साख का मूल्य ह्रास		**10424.80**		7160.51
		14953.96		10959.46
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	**10445.38**		7030.36	
घटाएँ: स्वचालित मूल्य में कमी समायोजन	**573.38**	**11018.76**	491.87	7522.23
		3935.20		3437.23
शामिल हैं:				
(क) निदेशकों से प्राप्य		**-**		.
(ख) अधिकारियों से प्राप्य		.		.

व्यापार प्राप्तियों के मूल्य ह्रास हेतु सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, वर्गीकरण इंड एएस 109 के के अनुसार किया जाता है।

नोट [7] – अप्रचलित परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

वित्तीय परिसंपत्तियां के मूल्य ह्रास हेतु लेखांकन नीति के नोट [2] का बिंदु 14 देखें। (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
प्रतिभूति जमा				
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		.		.
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है				
एसईबी, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य के पास जमा		**82.81**		84.27
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि		**-**		.
साख का मूल्य ह्रास				
दूसरों की जमा		**1.77**		1.62
		84.58		85.89
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते		**1.77**		1.62
		82.81		84.27
ऋण				
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		.		.
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है				
उपार्जित ब्याज और ऋणों पर देय	**0.01**	**0.01**	0.01	0.01
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि		.		.
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है और इसके लिए व्यवस्था की जाती है				
उपार्जित ब्याज और ऋणों पर देय		**-**		0.01
		0.01		0.02
साख का मूल्य ह्रास				
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते		**-**		0.01
		0.01		0.01
		82.82		84.28
शामिल हैं:				
निदेशकों से प्राप्य		.		.
अधिकारियों से प्राप्य		.		.

नोट [8] अप्रचलित परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वित्त पट्टे पर प्राप्य किराया	-	0.02
	-	0.02

नोट [8] अप्रचलित परिसंपत्तियां
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (कुल देयताएं)

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 13 का संदर्भ लें। (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान	**2620.06**	2721.55
वैधानिक बकाया (भुगतान के आधार पर अनुमत)	**744.01**	652.95
मूल्य ह्रास – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	**118.20**	160.98
अन्य	**32.26**	101.30
	3514.53	3636.78
आस्थगित कर देनदारियाँ	**-**	10.90
आस्थगित कर आस्तियां (कुल देनदारियाँ)	**3514.53**	3625.88

आस्थगित कर शेषों का संचलन (करोड़ रुपए)

विवरण	01 अप्रैल, 2018 को शेष राशि	प्रतिधारित कमाई में मान्य	लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्य	ओसीआई में मान्य	31 मार्च, 2019 तक शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रावधान	2721.55	-	(101.49)	-	**2620.06**
वैधानिक बकाया (भुगतान के आधार पर अनुमत)	652.95	-	27.04	64.02	**744.01**
मूल्य ह्रास (पीपी और ई और अमूर्त संपत्ति)	160.98	-	(42.78)	-	**118.20**
अन्य	101.30	(78.87)	9.83	-	**32.26**
पूर्णयोग	3636.78	(78.87)	(107.40)	64.02	**3514.53**
घटाएँ: स्थगित कर देनदारियां	10.90	(10.90)	-	-	**-**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (कुल देनदारियाँ)	**3625.88**	**(67.97)**	**(107.40)**	**64.02**	**3514.53**

नोट [10] अप्रचलित परिसंपत्तियां
अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास हेतु लेखांकन नीति के नोट [2] का बिंदु 14 देखें। (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
संविदा परिसंपत्तियां (बिना बिल के राजस्व सहित)				
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	.		.	
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	**14392.34**		10263.95	
साख का मूल्य ह्रास	1779.61		1132.07	
	16171.95		11396.02	
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध ऋणों के भत्ते	**1779.61**	**14392.34**	1132.07	10263.95
प्रतिभूति जमा				
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	.		.	
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है				
कर प्राधिकारियों और अन्यों के पास जमा	**135.08**		121.21	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	.		.	
साख का मूल्य ह्रास	**25.09**		24.01	
	160.17		145.22	
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध जमा के भत्ते	**25.09**	**135.08**	24.01	121.21
ऋण एवं अग्रिम				
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	.		.	
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है				
खरीद के लिए अग्रिम	**73.54**		47.06	
वसूली योग्य दावा और अन्य	**74.88**		40.63	
पूंजीगत अग्रिम	**22.17**		21.98	
	170.59		109ण्67	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	.		.	
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम	**26.23**	**144.36**	24.61	85.06
		14671.78		10470.22
(क) अनुबंध परिसंपत्तियां (कुल प्रावधानों) में शामिल हैं:				
आस्थगित ऋण		**13058.01**		10103.02
(ख) ऋण और अग्रिम में शामिल हैं:				
अ. निदेशकों से प्राप्य		.		.
आ. अधिकारियों से प्राप्य		.		.

नोट [11] – वर्तमान परिसंपत्तियां
माल सूची

माल सूची के मूल्यांकन हेतु लेखांकन नीति के नोट [2] के बिंदु 7 का संदर्भ लें। (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
कच्चा माल और घटक	**3479.58**		2858.55	
मार्गस्थ सामग्री	**451.01**	**3930.59**	217.10	3075.65
कार्य प्रगति पर		**3219.82**		2283.83
(उप–ठेकेदारों के पास मदों सहित)				
तैयार माल	**977.21**		863.79	
अंतर – इकाई मार्गस्थ स्थानांतरण	**114.93**	**1092.14**	85.88	949.67
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स				
उत्पादन	**176.99**		190.66	
ईंधन भंडार	**6.97**		8.36	
विविध	**54.13**	**238.09**	48.55	247.57
अन्य माल सूची				
फैब्रिकेटरों / ठेकेदारों के पास सामग्री	**63.02**		**76.12**	
अबद्ध उपकरण	**34.40**		**31.10**	
स्क्रैप (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)	**90.89**	**188.31**	61.21	168.43
		8668.95		6725.15
घटाएँ: रुकी हुई इन्वेंट्री के लिए प्रावधान		**555.46**		466.39
		8113.49		6258.76
नोट :				
माल सूची में गिरी हुई दरें		**115.90**		142.96
घटाएँ: इसके उलट		**26.83**		26.78
शुद्ध राशि		**89.07**		116.18

नोट [12] – वर्तमान परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

वित्तीय के मूल्य ह्रास हेतु लेखांकन नीति के नोट [2] का बिंदु 14 देखें। (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		.		.
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		13589.70		15726.61
साख का मूल्य ह्रास		481.39		2547.74
		14071.09		18274.35
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध ऋणों के भत्ते	2005.21		4103.63	
घटाएँ: मूल्य में कमी का स्वचालित समायोजन	56.31	2061.52	106.66	4210.29
		12009.57		14064.06
(क) निदेशको से प्राप्य		-		-
(ख) अधिकारियों से प्राप्य		.		.

नोट [13 ए] – वर्तमान परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां – नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 17 का संदर्भ लें। (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
बैंकों में बकाया राशि :				
कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट	.		1702.03	
ईईएफसी खाता	102.22		441.73	
करंट / कैश क्रेडिट खाता	623.83	726.05	214.70	2358.46
अधिकार में चेक, डिमांड ड्राफ्ट		69.43		210.03
बैंकों में 3 महीने या उससे कम अवधि वाले जमा		-		200.00
अधिकार में नकदी और स्टेम्प		0.12		0.19
		795.60		2768.68

नोट [13बी] – वर्तमान परिसंपत्तियां वित्तीय परिसंपत्तियां – बैंक में जमा राशि

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
3 महीने से अधिक की लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता वाली फिक्स्ड डिपॉजिट'		6700.00		8400.00
जारी किए गए बीजी के लिए मार्जिन मनी के नामे फिक्स्ड डिपॉजिट		2.28		2.16
बैंकों में बकाया राशि (निर्धारित):				
लावारिस लाभांश खाता	3.61		3.30	
गैर–प्रत्यावर्तनीय खाता	1.82		1.70	
बोनस अंक पर आंशिक शेयरों की बिक्री से आय	0.03	5.46	0.03	5.03
		6707.74		8407.19
कुल नकद एवं बैंक में जमा राशि [13क + 13ख]		7503.34		11175.87

* एफडी पर ओवरड्राफ्ट के रूप में लिए गए ऋण और 2 अप्रैल, 2019 को चुकाए गए ऋण के नामे 775 करोड़ रुपये की एफडी गिरवीं है।

नोट [14] – वर्तमान परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास के संबंध में लेखांकन नीति के नोट [2] का बिंदु 14 देखें।

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
प्रतिभूति जमा				
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		.		.
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है				
ईएमडी और अन्य जमा		157.45		143.59
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि		.		-
साख का मूल्य ह्रास		3.53		3.60
		160.98		147.19
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध जमा के लिए भत्ते		3.53		3.60
		157.45		143.59
ऋण				
सहायक कंपनी को ऋण	3.00		3.00	
पीएसयू को ऋण ’	12.00		12.00	
ऋणों पर उपार्जित और देय ब्याज	2.04	17ण04	2.06	17.06
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध जमा के लिए भत्ते		17.04		17.06
		.		-
उपरोक्त के अतिरिक्त:				
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-		-	
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-		-	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
साख का मूल्य ह्रास	17.04		17.06	
		157.45		143.59
शामिल हैं:				
अ. निदेशकों से प्राप्य		-		-
आ. अधिकारियों से प्राप्य		0.01		0.01

* भारत पंप और कंप्रेशर्स लिमिटेड को दिया गया ऋण पूरी तरह से प्रदान किया गया है

नोट [14] - वर्तमान परिसंपत्तियां
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
बैंकों जमा और निवेश पर अर्जित ब्याज	128.94		117.94	
कर्मचारियों को अग्रिम	33.27		32.52	
वित्त पट्टे पर प्राप्य किराया	0.03		0.17	
	162.24		150.63	
घटाएँरू दोषयुक्त और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	0.05	162.19	0.02	150.61
		162.19		150.61
शामिल हैं :				
(अ) निदेशकों से प्राप्य		-		-
(आ) अधिकारियों से प्राप्य		0.05		0.01

नोट [16] - वर्तमान परिसंपत्तियां
वर्तमान कर परिसंपत्तियां / देयताएं (शुद्ध)

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 13 का संदर्भ लें। (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अग्रिम कर और टीडीएस	**2888.12**	2551.94
घटाएँ: कराधान के लिए प्रावधान	**2979.52**	2329.00
	(91.40)	222.94

नोट [17] - वर्तमान परिसंपत्तियां अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास के लिए लेखांकन नीति के नोट [2] का बिंदु 14 देखें। (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
संविदा परिसंपत्तियां (बिना बिल के राजस्व सहित)				
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-		-	
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	**7904.20**		7728.22	
साख का मूल्य ह्रास	**202.40**		370.31	
	8106.60		8098.53	
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	**202.40**	**7904.20**	370.31	7728.22
वसूली योग्य दावे				
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	**1187.73**		1009.33	
वसूली योग्य दावा और अन्य	**735.53**		708.18	
अग्रिम				
सहायक कंपनी	**0.24**		0.36	
वेंडर / उपठेकेदार	**257.72**		434.74	
	2181.22		2152.61	
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध अग्रिमों और दावों के लिए भत्ते	**126.45**	**2054.77**	235.40	1917.21
उपरोक्त के अतिरिक्त:				
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	**-**		-	
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	**2054.77**		1917.21	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	**-**		-	
साख का मूल्यह्रास	**126.45**		235.40	
प्रतिभूति जमा				
कर प्राधिकारियों और अन्यों के पास जमा	**495ण75**		511.48	
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध जमा के लिए भत्ते	**60.87**	**434.88**	34.63	476.85
उपरोक्त के अतिरिक्त:				
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	**-**		-	
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	**434.88**		476.85	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	**-**		-	
साख का मूल्यह्रास	**60.87**		34.63	
		10393.85		10122.28
अनुबंध संपत्ति (कुल प्रावधान) में शामिल हैं:				
		5625.80		5440.00
आस्थग ऋण				

नोट [18] - इक्विटी

इक्विटी शेयर पूंजी

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	शेयरों की संख्या (रुपये में अंकित मूल्य)	राशि	शेयरों की संख्या (रुपये में अंकित मूल्य)	राशि
A इक्विटी शेयर कैपिटल				
अधिकृत	**10000000000 (2)**	**2000.00**	10000000000 (2)	2000.00
जारी किया गया, सब्सक्राइब किया गया और पूरी तरह से भुगतान किया गया	**3482063355 (2)**	**696.41**	3671400000 (2)	734.28
क) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का सामंजस्य				
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	**3671400000**	**734.28**	2447600000	489.52
जोड़ें: वर्ष के दौरान आवंटित बोनस शेयर	**-**	**-**	1223800000	244.76
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	**189336645**	**37.87**	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**3482063355**	**696.41**	3671400000	734.28
ख) शेयरधारकों द्वारा वर्ष के अंत में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरों का विवरण				
भारत के राष्ट्रपति	**2199650402**	**63.17%**	2315178000	63.06%
भारतीय जीवन बीमा निगम	**360647914**	**10.07%**	345680880	9.42%
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)		**2.00**		2.00

क) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम / अधिकार:

कंपनी के पास केवल 2 रुपये प्रति शेयर (पिछले वर्ष 2 रुपये प्रति शेयर) के बराबर मूल्य वाली श्रेणी के इक्विटी शेयरों हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

ख) बोनस शेयर जारी करना:

कंपनी ने 03 अक्टूबर, 2017 को 1: 2 के अनुपात में बोनस शेयर आवंटित किया, यानी दो मौजूदा पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के लिए एक इक्विटी शेयर। परिणामस्वरूप, भुगतान की गई पूंजी वित्त वर्ष 2016-17 में 489.52 करोड़ रुपये से बढ़कर आरक्षित निधि के पूंजीकरण द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 में 734.28 करोड़ रुपये हो गई।

ग) शेयर बायबैक

25 अक्टूबर, 2018 को हुई बैठक में बोर्ड ने कंपनी को 2 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले पूरी तरह से भुगतान किए गए 18,93,36,645 इक्विटी शेयरों के बायबैक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 86 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर कुल 1628,29,51,470 रुपये से अधिक की राशि के लिए कंपनी के पात्र इक्विटी शेयरधारकों को जारी और पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी का 5.16% दर्शाता है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी और कंपनी की आरक्षित निधि दोनों के 5% तक बायबैक ऑफर के बराबर था जो 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की आरक्षित निधि और पूरी तरह से भुगतान की गई शेयर पूंजी के योग के 10% की वैधानिक सीमा के भीतर था। बायबैक की रिकॉर्ड तिथि 06 नवंबर, 2018 थी।

कंपनी ने 13 दिसंबर, 2018 को निविदा प्रस्ताव मार्ग और बायबैक ऑफर को अपनाया और 27 दिसंबर, 2018 को समाप्त कर दिया। कुल 18,93,36,645 इक्विटी शेयर 86 रुपये प्रति इक्विटी शेयर रुपये की कीमत पर वापस खरीदे गए। इक्विटी शेयरों के बायबैक में उपयोग की गई कुल राशि, लेनदेन लागत को छोड़कर, 1628,29,51,470 रुपए थी। 10 जनवरी, 2019 को हुई बैठक में बायबैक कमेटी ने वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों के समापन की मंजूरी दे दी। परिणामस्वरूप, भुगतान की गई शेयर पूंजी वित्त वर्ष 2017-18 में 734.28 करोड़ रुपए से कम होकर वित्त वर्ष 2018-19 में 696.41 करोड़ रुपये हो गई ।

नोट [18 - ए] - अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अन्य इक्विटी बैलेंस का सारांश:		
संपत्ति कोष	**35.18**	35.18
पूंजी मोचन आरक्षित	**37.87**	-
सामान्य रिजर्व	**30476.66**	32104.96
प्रतिधारित आय	**294.97**	(251.29)
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनःपूर्ति	**(141.23)**	(22.05)
	30703.45	31866.80

आरक्षित निधि की प्रकृति और उद्देश्य:

क. पूंजी कोष : यह मुख्य रूप से भेल के साथ तत्कालीन सहायक कंपनी (एचपीवीपी) के समामेलन के दौरान भुगतान की गई मुआवजे की लागत से अधिक निवल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

ख. पूंजी मोचन आरक्षित निधि: कंपनी ने अपने सामान्य रिजर्व से इक्विटी शेयरों की खरीद पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को मान्यता दी है। पूंजी मोचन आरक्षित निधि में वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर राशि है।

ग. सामान्य आरक्षित निधि: यह भविष्य में (ज्ञात / अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लाभ के संचय का प्रतिनिधित्व करता है।

घ. प्रतिधारित आय: सामान्य आरक्षित को हस्तांतरण, लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) या शेयरधारकों को भुगतान किए गए अन्य वितरण घटाकर रिटायर्ड कमाई वह लाभ है जो कंपनी ने अब तक अर्जित किया है।

ङ. शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः मापः योजना परिसंपत्तियों और वास्तव में हासिल की गई रिटर्न पर ब्याज से आय के बीच अंतर, और योजनाओं के भीतर एक्चुरियल धारणा या अनुभव समायोजन में परिवर्तन के कारण वर्ष में देनदारियों में कोई भी परिवर्तन, 'अन्य व्यापक आय' में मान्यता प्राप्त हैं और इसके बाद लाभ और हानि के विवरण में पुनःवर्गीकृत करने के लिए नहीं है।

नोट [19] – अप्रचलित देनदारियां

वित्तीय देनदारियां- ऋण राशि

पट्टे पर लेखांकन नीति के लिए नोट 2 के बिंदु 3 का संदर्भ लें।

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
प्रतिभूति-रहित		
	95.45	57.18
वित्त पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता	**95.45**	57.18

(पट्टे पर नोट [45] के अनुसार प्रकटन)

नोट [20] - अप्रचलित देनदारियां

वित्तीय देनदारियां-व्यापारिक देय राशि

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
व्यापारिक देय राशियाँ				
(i) सूक्ष्म और छोटे उद्यमों का कुल बकाया	.		.	
(ii) सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया बकाया	702.98	**702.98**	479.06	479.06
		702.98		479.06

नोट [21] - अप्रचलित देनदारियां

अन्य वित्तीय देनदारियां

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
ठेकेदारों और दूसरों से जमा	**85.17**	110.43
पूंजीगत व्यय के लिए देयता	**6.36**	3.98
	91.53	114.41

नोट [22] - अप्रचलित देनदारियां

प्रावधान

कर्मचारी लाभ और प्रावधानों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 10 और 11 को देखें।

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अनुबंधातम्क दायित्व	**3843.71**	3477.90
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	**1303.01**	1259.94
दूसरे प्रावधान	**305.42**	184.31
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व *	**2.40**	0.96
	5454.54	4923.11

*(सीएसआर व्यय पर नोट [34] के बिंदु (viii) के अनुसार प्रकटीकरण)

नोट [23] - अप्रचलित देनदारियां
अन्य अप्रचलित देनदारियां

त्मित चवपदज 12 व िछवजम ख्2, वित ˙बबवनदजपदह चवसपबल वद ळवअमतदउमदज हतंदजे (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अनुबंध देयता	**3577.93**	3610.10
(बिलिंग में ग्राहकों से राजस्व से अधिक प्राप्त अग्रिम)	**37.95**	26.60
आस्थगित आय- सरकारी अनुदान #	**3615.88**	3636.70

सोलर पीवी प्लांट लगाने के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ

नोट [24] - वर्तमान देनदारियाँ
वित्तीय देनदारियां – ऋण

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
सुरक्षित		
बैंकों से ऋण (सावधि जमा पर)	**600.00**	.
पूर्व शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट	**357.27**	.
(कच्चे माल, पुरज़ों, चालू कार्य, तैयार माल और सामाग्री की उधारी द्वारा सुरक्षित)		
	957.27	
असुरक्षित		
वाणिज्यिक पत्र	**1500.00**	.
	1500.00	.
कुल उधारी	**2457.27**	.

(i) कंपनी के पास बैंकों से कुल मिलाकर 6000 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपये 5000 करोड़) की नकद क्रेडिट सीमा है और बैंक गारंटी / साख पत्रों के संबंध में कंसोर्टियम बैंकों द्वारा मंजूर 54000 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपये 55000 करोड़) की कंपनी की काउंटर गारंटी / प्रति-गारंटी है। कच्चे माल, पुरज़ों, चालू कार्य, तैयार माल, स्टोर, व्यापार प्राप्य और वर्तमान और भविष्य दोनों में अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों की गिरवीं के माध्यम से इन्हें प्रथम ऋण भार द्वारा सुरक्षित किया जाता है। 31 मार्च, 2019 को बकाया बैंक गारंटी 43136 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43881 करोड़ रुपये) है।

(ii) 775 करोड़ रुपये की सावधि जमा की सुरक्षा के लिए ओवरड्राफ्ट के रूप में बैंक से लिया गया ऋण जो 02 अप्रैल 2019 को चुका दिया गया ।

(iii)वर्ष के अंत में बकाया वाणिज्यिक पत्र जून 2019 में चुकाने योग्य है।

(iv)कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में पैकिंग क्रेडिट (PCFC) का लाभ उठाया गया है। यूएस डॉलर 51.31 मिलियन की बकाया राशि जो आंशिक रूप से सितंबर 19 तक और आंशिक रूप से दिसंबर 19 तक चुकाने योग्य है।

(v) 31 मार्च, 2019 तक बकाया दायित्वों के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी 1433 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष के 1747 करोड़ रुपये) है।

नोट [25] - वर्तमान देनदारियाँ

वित्तीय देनदारियां - व्यापारिक देनदारियां

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
व्यापारिक देनदारियाँ:				
(i) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया		**361.17**		283.43
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	**10961.66**		10234.46	
(iii) स्वीकृतियां	**52.28**	**11013.94**	68.97	10303.43
		11375.11		10586.86
क. सूक्ष्म और लघु उद्यमों का प्रकटन				
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में बकाया के रूप में आपूर्तिकर्ता का मूलधन		**361.17**		283.43
(ii) लेखा वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को बकाया, देय ब्याज		.		-
(iii) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान के साथ, धारा 16 के संदर्भ		.		0.44
में दिए गए ब्याज की राशि		.		.
(iv) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देने योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान किया गया है) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।		.		.
(v) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि और वर्ष के अंत में अदत्त शेष		.		.
(vi) आगे के वर्षों में देय और अदत्त शेष ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब उपरोक्त ब्याज की राशि कटौती योग्य व्यय के रूप में प्रतिबंध के प्रयोजन के लिए वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान की जाती है।				

नोट [26] . वर्तमान देनदारियाँ
अन्य वित्तीय देनदारियां

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
देनदारियाँ:				
कर्मचारी देय अन्य देय पूंजीगत	**510.32**		855.60	
व्यय	**879.74**		761.92	
ठेकेदारों और दूसरों से जमा	**88.75**	**1478.81**	111.38	1728.90
वित्त पट्टा दायित्व की वर्तमान परिपक्वताएं :		**522.09**		492.12
अदत्त लाभांश *		**58.45**		42.27
उपार्जित ब्याज और ऋण पर देय :		**3.61**		3.30
वित्त पट्टा दायित्व		**4.41**		3.43
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं		**0.77**		0.38
		2068.14		2270.40

(i) *वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने हेतु कोई राशि देय और शेष नहीं है ।

(ii) #पट्टे पर नोट [45] के अनुसार प्रकटीकरण

(iii) अन्य देय राशि में बोनस शेयर जारी करने से होने वाली आंशिक शेयरों की बिक्री लाभ के रूपये 0.03 करोड़ शामिल हैं।

नोट [27] . वर्तमान देनदारियाँ
प्रावधान

कर्मचारी लाभ और प्रावधानों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 10 और 11 को देखें।

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अनुबंधात्मक दायित्व	**1443.10**	1853.42
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	**781.03**	1563.11
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ##	**19.43**	30.18
अन्य प्रावधान	**241.92**	336.06
	2485.48	3782.77

##(सीएसआर व्यय पर नोट [34] के बिंदु (viii) के अनुसार प्रकटीकरण)

नोट [28] – वर्तमान देनदारियाँ
अन्य वर्तमान देनदारियाँ

सरकारी अनुदान पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 12 देखें

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अनुबंध देयता (राजस्व से अधिक बिलिंग सहित ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम)	**3261.05**	3962.66
वैधानिक देयताओं के प्रति दायित्व	**1310.87**	1296.39
आस्थगित आय – सरकारी अनुदान	**6.45**	7.46
	4578.37	5266.51

नोट [29]
प्रचालनों से राजस्व

राजस्व मान्यता पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 8 देखें।

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
बिक्री	**22402.11**	21888.47
बाहरी निर्माण और अन्य सेवाओं से आय	**6947.10**	5961.97
कुल बिक्री (ए)	**29349.21**	27850.44
अन्य परिचालन आय		
भाड़ा और बीमा	**263.62**	288.07
स्क्रैप आय	**205.58**	147.19
आपूर्तिकर्ताओं से बरामदगी	**186.97**	142.68
देनदारियों का प्रतिलेखन	**181.05**	97.01
बीमा दावे	**41.08**	37.44
निर्यात प्रोत्साहन	**3.64**	26.48
अन्य	**117.80**	223.69
अन्य परिचालन आय (बी)	**999.74**	962.56
परिचालनों से राजस्व (C = A + B)	**30348.95**	28813.00
प्रचालनों से राजस्व में निम्न शामिल नहीं हैं:		
क. माल और सेवा कर	**4491.81**	3715.75
ख. सेवा कर	**-**	140.91
ग. उत्पाद शुल्क	**-**	247.98

नोट [30]
अन्य आय

राजस्व मान्यता पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 8 देखें।

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय *		
बैंकों से	**498.65**	520.25
अन्य	**100.73**	70.70
	599.38	590.95
लाभांश आय		
संयुक्त उद्यमों में निवेश पर लाभांश (दीर्घकालिक व्यापार)	**16.18**	14.76
म्यूचुअल फंड में निवेश पर लाभांश	**-**	10.82
	16.18	25.58
अन्य आय		
म्यूचुअल फंड की इकाइयों की बिक्री पर लाभ	**17.00**	25.85
सरकारी अनुदान	**6.50**	8.73
पीपीई और पूंजी भंडार (नेट) की बिक्री से लाभ	**2.25**	9.41
अन्य	**36.33**	33.76
	62.08	77.75
कुल अन्य आय	**677.64**	694.28
'टीडीएस शामिल है	**41.38**	43.97

नोट [31]
सामग्री की खपत, निर्माण और इंजीनियरिंग व्यय

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
कच्चे माल और पुरजों की खपत	**15030.08**	12096.45
सिविल, निर्माण और इंजीनियरिंग व्यय	**3866.10**	3417.72
सामग्री और पुर्जों की खपत	**411.67**	385.73
	19307.85	15899.90

नोट [32]
तैयार माल की सूची में परिवर्तन और चालू कार्य

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
चालू कार्य				
अंतिम शेष	**3219.82**		2283.83	
प्रारंभिक शेष	**2283.83**	**(935.99)**	2533.69	249.86
तैयार माल +				
अंतिम शेष	**977.21**		863.79	
प्रारंभिक शेष	**863.79**	**(113.42)**	1293.90	430.11
अंतर विभागीय स्थानांतरण यात्रा में		**(23.75)**		56.16
		(1073.16)		736.13
नोट:				
+ तैयार माल में उत्पाद शुल्क का अंश				
अंतिम शेष		**लागू नही**		लागू नही
प्रारंभिक शेष		**लागू नही**		134.25

नोट [33]
कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 10 का संदर्भ लें।

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते और अन्य लाभ	**5443.17**	5077.09
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	**426.39**	383.03
कर्मचारी कल्याण खर्च	**275.47**	275.87
ग्रेच्युटी फंड में योगदान	**107.14**	321.17
सामूहिक बीमा	**9.10**	10.18
	6261.27	6067.34

नोट [34]
निर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण व्यय

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
बिजली और ईंधन		**496.63**		463.31
बाहरी ढुलाई		**377.52**		387.14
अन्य उप अनुबधों पर व्यय		**351.04**		350.50
सुरक्षा एजेंसियों को भुगतान		**225.32**		217.92
मरम्मत और रख रखावः				
इमारतें	**60.45**		56.70	
संयंत्र एवं मशीनें	**38.56**		32.24	
अन्य	**107.14**	**206.15**	113.07	202.01
सहयोग और रॉयल्टी पर व्यय		**138.31**		147.37
यात्रा और वाहन		**125.03**		122.12
उत्पाद शुल्क (शुद्ध)		**-**		(112.71)
बीमा		**124.18**		104.48
अनुसंधान एवं विकास व्यय		**123.12**		47.99
बैंक प्रभार		**89.76**		75.01
किराया व्यय		**74.20**		70.03
कौशल विकास पर व्यय		**51.84**		37.73
दरें और कर		**50.05**		56.40
कार्यालय व्यय		**45.06**		47.33
जल प्रभार		**40.38**		40.37
ईडीपी, सॉफ्टवेयर और लीज लाइन व्यय		**35.58**		38.72
कानूनी, लेखा परीक्षा और प्रमाणन व्यय		**31.55**		36.70
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		**26.54**		10.40
गैर आवासीय किराए		**22.05**		21.91
प्रचार और जनसंपर्क खर्च		**19.90**		28.55
मनोरंजन और शिष्टाचार खर्च		**10.77**		10.43
निर्यात संबंधी व्यय		**10.06**		14.44
पर्यावरण संरक्षण		**7.82**		8.53
संगोष्ठी, विकास और प्रशिक्षण व्यय		**7.27**		5.12
विविध व्यय		**70.34**		89.32
		2760.47		2522.13
शुद्ध विनिमय विचरण लाभ (–) / हानि (+)		**(66.54)**		(519.76)
		2693.93		2002.37

नोट [34]

प्रकटीकरण–निर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण व्यय

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) कानूनी, लेखा परीक्षा और प्रमाणन व्यय में शामिल हैं:		
वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान:		
लेखा – परिक्षण शुल्क	**0.82**	0.71
टैक्स ऑडिट	**0.20**	0.16
त्रैमासिक सीमित समीक्षा और अन्य	**0.76**	0.39
लेखा परीक्षण व्यय	**0.20**	0.12
	1.98	1.38
लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान:		
लेखा – परिक्षण शुल्क	**0.15**	0.15
(ii) निदेशक की फीस	**0.16**	0.16
(iii) विभागीय मरम्मत और रखरखाव पर खर्च:		
संयंत्र एवं मशीनरी	**238.08**	202.30
इमारतें	**47.64**	53.98
अन्य	**40.47**	47.80
(iv) अनुसंधान और विकास पर व्यय	**267.59**	261.74
(v) विदेश यात्रा पर व्यय		
दौरों की संख्या	**332**	224
व्यय	**6.33**	5.39

(vi) उत्पाद शुल्क पिछले वर्ष में परिचालन से राजस्व से संबंधित राशि का निवल है।

(vii) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर पर खर्च की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक व्यय में विद्यालय पर व्यय किए गए 19.83 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(vii) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के साथ जारी डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, अपनी सीएसआर नीति के अनुसार कंपनी को प्रत्येक वित्त वर्ष में अपने पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का कम–से–कम 2% हिस्सा व्यय करना आवश्यक है।

वर्ष के लिए सीएसआर खर्चों का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	6.70	10.40
ख. पिछले वर्ष से उपलब्ध राशि	31.14	53.90
ग. कुल (क+ख)	37.84	64.30
घ. वर्ष के दौरान निम्न पर खर्च की गई राशि–		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण व अधिग्रहण	-	-
(ii) ऊपर (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	16.01	33.16
कुल	16.01	33.16
अग्रेनीत राशि:	21.83	31.14
वर्तमान	19.43	30.18
गैर वर्तमान	2.40	0.96

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
	नगद में	अभी तक नकद में भुगतान किया जाना है	नगद में	अभी तक नकद में भुगतान किया जाना है
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	.	.	.	.
(ii) ऊपर (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	4.16	2.54	7.36	3.04
	4.16	2.54	7.36	3.04

नोट [35]

कर्मचारी लाभ, संपत्ति के प्रावधान और मूल्यह्रास पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 10, 11 और 14 देखें।

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
संदिग्ध ऋण, चुकता के गए नुकसान और ऋण, अग्रिम और जमा				
वर्ष के दौरान बनाया गया	**3024.98**		3365.12	
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापसी	**1231.80**	**1793.18**	764.11	2601.01
अनुवंधनीय दायित्व				
वर्ष के दौरान बनाया गया	**744.69**		797.48	
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापसी	**795.92**	**(51.23)**	727.47	70.01
अन्य				
वर्ष के दौरान बनाया गया	**240.65**		309.10	
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापसी	**1003.90**	**(763.25)**	783.60	(474.50)
		978.70		2196.52
जेवी में निवेश का मूल्य ह्रास		**4.10**		44.39
नुकसान खारिज		**2.12**		31.99
अशोध्य ऋण खारिज		**26.03**		8.22
निर्णीत क्षति और संविदात्मक शुल्क प्रभारित		**65.03**		1.29
		1075.98		2282.41

नोट [36]

वित्तीय लागत

उधार लेने की लागत और प्रावधानों पर लेखांकन नीति के लिए नोट 5 [2] के बिंदु 5 और 11 देखें। (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
ऋण लागतः				
प्रावधान और आस्थगित देनदारियों की अनदेखी		190.93		219.98
ब्याज लागतः				
बैंक व वित्तीय संस्थान	69.45		-	
वित्त पट्टा और अन्य पर	17.23	86.68	34.57	34.57
वाणिज्यिक पत्रों पर छूट		9.32		-
		286.93		254.55
घटाएँः पूंजीकृत उधार लागत		-		-
		286.93		254.55

नोट [37] कर व्यय

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट (ख) के बिंदु 13 का संदर्भ लें। (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
चालू वर्ष के लिए	**719.06**		551.81	
पहले के वर्षों के लिए	**16.01**	**735.07**	26.86	578.67
आस्थगित कर				
चालू वर्ष के लिए	**6.76**		(62.83)	
पहले के वर्षों के लिए	**100.64**	**107.40**	262.55	199.72
		842.47		778.39

(i) अनुसंधान और विकास व्यय रू वर्ष के दौरान किए गए अनुसंधान और विकास व्यय का विवरण, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2क ख) के तहत कटौती के योग्य (भूमि या भवन के अलावा) है।

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
क (i) भूमि		.		.
(ii) इमारत		**(0.05)**		2.08
ख संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		**9.02**		11.34
ग राजस्व व्यय				
वेतन और मजदूरी	**181.09**		157.70	
सामग्री, उपभोग्य सामग्रियों और पुर्जे	**60.77**		17.80	
उपयोगिताओं	**0.69**		0.54	
आरएंडडी से संबंधित अन्य सीधे व्यय	**22.94**	**265.49**	30.93	206.97
कुल राजस्व व्यय (ग)		**265.49**		206.97
घ आर एवं डी केंद्र द्वारा कोई रसीद / आय		**(0.51)**		(1.69)
ड़ शुद्ध राशि कटौती के योग्य है (ख+ग एवं घ)		**274.00**		216.62

कार्बन डाइ–ऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन के साथ–साथ कोयले की खपत को कम करने पर विचार कर, बीएचईएल, आईजीसीएआर और एनटीपीसी के संघ ने अगस्त, 2010 में उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसंधान और विकास परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक एमओयू में प्रवेश किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 10 अगस्त, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजना को मंजूरी दे दी। आर एंड डी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस परियोजना में 1554 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय शामिल है, जिसमें बीएचईएल से 270 करोड़ रुपये, एनटीपीसी से रुपये 50 करोड़, आईजीसीएआर से रुपये 234 करोड़, डीएसटी से 100 करोड़ रुपये और भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार द्वारा 900 करोड़ रुपये का शेष व्यय शामिल है। स्वयं के योगदान से बीएचईएल ने संचयी रुपए 117.50 करोड़ (पिछले वर्ष तक 23.60 करोड़ रुपये) खर्च किए और आर एंड डी खर्च के रूप में दर्ज किए।

(ii) आयकर व्यय और लेखा लाभ (टीसीआई) की प्राप्ति को आयकर दर से गुणा किया जाता है (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
कर से पहले कुल व्यापक आय (टीसीआई) (क)	**1874.66**	1712.42
वैधानिक आयकर दर (ख)	**34.944%**	34.608%
कर व्यय x = (क X ख)	**655.08**	592.63
के कारण अंतररू (घ)		
कर उद्देश्यों के लिए कटौती योग्य व्यय नहीं	**60.24**	21.64
आय कर से मुक्त आय	**(5.65)**	(8.85)
आयकर प्रोत्साहन	**(47.87)**	(37.48)
टैक्स दर में बदलाव	**-**	(34.86)
कर व्यय में परिवर्तन – पहले के वर्ष	**116.65**	289.41
पूर्ण योग (घ)	**123.37**	229.86
शुद्ध कर व्यय ङ = (ग+घ)	**778.45**	822.49

नोट [38]

अन्य व्यापक आय / व्यय (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
आय व्यय)		
परिभाषित कर्मचारी लाभ की पुनः प्राप्ति	**(183.20)**	127.43
घटाएँ: उपरोक्त वस्तुओं से संबंधित आयकर*	**64.02**	44.10
	(119.18)	83.33
* शामिल हैं		
वर्तमान कर	**-**	28.33
आस्थगित कर	**(64.02)**	15.77

नोट [39]

प्रति शेयर आय

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरधारकों के लिए निश्चित लाभ	**1215.39**	806.60
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**362.94**	367.14
आईएनआर 2 की प्रति शेयर मूल और आंशिक आय	**3.35**	2.20

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की वेटेज औसत संख्या द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर की मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयर की गई आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ के हिसाब से की जाती है, जो कि प्रति शेयर शेयर पर बेसिक कमाई को प्राप्त करने के लिए मानी जाने वाली इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से होती है और उन सभी इक्विटी शेयरों की वेटेज औसत संख्या जो सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे। 2018–19 के लिए इक्विटी शेयर की वेटेज औसत संख्या 10 जनवरी, 2019 को सम्पन्न हुए शेयरों के बायबैक को देखते हुए निकाली गई है। मूल और आंशिक ईपीएस एक समान हैं।

नोट [40]
प्रति शेयर लाभांश

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों पर घोषित और भुगतान किए गए लाभांश		
प्रति क्वालीफाइंग इक्विटी शेयर पर रुपये 1.02 (पिछले वर्ष रुपये 0.78) का अंतिम लाभांश	**374.49**	190.92
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	**76.97**	38.87
प्रति क्वालीफाइंग इक्विटी शेयर पर रुपये 0.80 (पिछले वर्ष रुपये 0.80) का अंतरिम लाभांश	**278.57**	293.71
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	**57.27**	59.79
	787.30	583.29
ख इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश को दायित्व नहीं माना गया है		
वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 1.20 रुपये प्रति शेयर का अंतिम लाभांश प्रस्तावित। (वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 1.02 रुपये प्रति शेयर)	**417.85**	374.49
	85.89	76.97
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	**503.74**	451.46

इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है और बैलेंस शीट की तारीख को देयता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

नोट [41] . आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क आकस्मिक देयताएँ		
कंपनी के विरूद्ध दावा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
(क) बिक्री कर मामले	**1194.96**	1683.30
(ख) न्यायालय और मध्यस्थता मामले	**583.81**	951.09
(छ) सेवा कर मामले	**960.78**	387.82
(घ) उत्पाद शुल्क के मामले	**229.82**	311.43
(डी) सीमा शुल्क और अन्य	**5.80**	16.46
(च) अन्य मामले (विवादित स्टाफ मामलों सहित)	**48.79**	37.66
(छ) लिक्विडेटेड डैमेज (एलडी) हेतु दावा	**4410.68**	5068.15
	7434.64	8455.91

(i) कंपनी द्वारा विवादित विभिन्न अदालती मामलों, मुकदमों और दावों के मद्देनजर संसाधनों का बहिर्वाह इस स्तर पर संभव नहीं है।

(ii) संबंधित कार्यवाही के लंबित समाधान के कारण वस्तुओं (क) से (छ) के संबंध में वास्तविक नकदी बाहिर्य के समय का अनुमान लगाना कंपनी के लिए व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, संभावना बहुत कम और आकस्मिक हैं।

(iii) लिक्विडेटेड डैमेज परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा संभावित दावों या राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जो विलंब विश्लेषण के आधार पर परियोजना के कमीशन और परीक्षण संचालन के बाद निपटाया जाएगा और इंड एएस –37 के अनुसार प्रकटन किया जा रहा है।

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(प) आकस्मिक देनदारियों में हरकत		
वर्ष के आरंभ में शेष	**8455.91**	**9983.90**
घटाएँ: प्रारम्भिक शेष से घटौती	**2720.04**	**2782.95**
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (शुद्ध)	**1698.77**	**1254.96**
वर्ष के अंत में शेष	**7434.64**	**8455.91**

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
ख. प्रतिबद्धताएँ		
(क) अनुबंधों की अनुमानित राशि, शुद्ध अग्रिमों, शेष पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाएगा और इसके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।	**274.79**	226.51
(उपरोक्त में अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित शामिल हैं)	**(3.23)**	(10.01)
(ख) संयुक्त उद्यम संस्थाओं में निवेश जिसके लिए कंपनी के निगमन / परियोजना / पहली इकाई का वाणिज्यिक संचालन परियोजना / ईपीसी अनुबंध का पूरा होना, जैसा भी मामला हो, की तारीख से पांच साल के लिए उनके निपटान के लिए प्रतिबंध है।	**50.00**	50.00
(ग) अतिरिक्त इक्विटी हिस्सेदारी लेने के लिए अन्य जेवी साझेदार की अक्षमता के मामले में संयुक्त उद्यम में अतिरिक्त निवेश के प्रति प्रतिबद्धता	**-**	-

(घ) व्यवसाय की प्रकृति के दृष्टिगत, लंबी अवधि के निर्माण अनुबंध होने पर सामग्री आदि की खरीद के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, जिसे अन्य व्यावसायिक प्रक्रिया माना जाता है।

नोट [42]

वर्तमान वित्तीय देनदारियों में 1990–91 तक सरकार की अनुशंसा पर कंपनी द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में भारत सरकार द्वारा मांगे गए जमानत शुल्क के रूप में 100.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 100.51 करोड़ रुपये) शामिल हैं। कंपनी द्वारा ऋण (सरकार द्वारा गारंटीकृत) लेने के समय इस तरह के जमानत शुल्क के भुगतान के लिए कोई शर्त नहीं होने के कारण, इसकी माफी का मामला सरकार के साथ उठाया गया है।

नोट [43]

कंपनी 1 अप्रैल, 1999 को अमॉर फॉससिलिकन सोलर सेल संयंत्र (एएसएससीपी), गुरुग्राम को नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से 30 साल की अवधि के लिए पट्टे पर लिया था। नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ औपचारिक पट्टा समझौते को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

नोट [44]

व्यापार प्राप्तियों, व्यापारिक देनदारियों, ठेकेदारों के अग्रिमों, जमा राशि और उप–ठेकेदारों / फैब्रिकेटरों के पास पड़े हुए स्टॉक/सामग्री के तहत दर्शाए गए शेष पुष्टि, समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो,के अधीन हैं। कंपनी दीर्घकालिक निर्माण संविदाओं के के तहत कार्य कर रही है और ग्राहकों द्वारा अनुमोदित बिलिंग अनुसूची एवं संविदा के अनुसार ग्राहकों को बिल प्रस्तुत किए जाते हैं। जहां आवश्यक समझा जाता है, वहां वर्तमान स्थिति और प्रावधानों के आधार पर समाधान किया जाता है। ग्राहक के साथ अंतिम समाधान,परियोजना पूरी होने पर किया जाता है (ट्रायल ऑपरेशन और पीजी टेस्ट पूरा होने पर)। पूरी की गई परियोजनाओं में 29025 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 29234 करोड़ रुपये) की व्यापार प्राप्तियों में से 7388 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6287 करोड़ रुपये) बकाया हैं। पूरी की गई संविदाओं में से, जिन परियोजनाओं के संबंध में ग्राहकों के साथ समाधान किया जा चुका है, उनमें 6622 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5497 करोड़ रुपये) की व्यापार प्राप्ति बकाया है।

नोट [45]

पट्टों पर खुलासा - इंड एएस17 के रूप में

i) परिचालन पट्टा प्रतिबद्धताएं –पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी रद्द करने योग्य और न रद्द करने योग्य दोनों रूपों में कर्मचारियों के आवास, कार्यालय भवनों और आईटी उपकरणों के लिए परिचालन पट्टे संचालित कर रही है। पट्टे की अवधि सामान्य रूप से दो से पांच साल होती है और आमतौर पर नवीनीकरण आपसी सहमति से या दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार की गई शर्तों पर होता है। लाभ और हानि के विवरण में पट्टे केकुल किराए को किराए के रूप में दर्शाया जाता है।

रद्द न करने योग्य परिचालन पट्टेके तहत भविष्य का न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैंः (रु. करोड़ में)

	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
एक साल और इससे कम	**1.59**	1.53
एक साल से अधिक और पाँच साल से कम	**3.06**	1.53
पाँच साल से अधिक	**1.88**	1.31
	6.53	4.37

वित्तीय पट्टा प्रतिबद्धताएं – पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टे भूमि, भवन और आईटी उपकरणों के लिए वित्तीय पट्टों के संबंध में है। कंपनी ने कंप्यूटर संबंधी वस्तुओं, प्रिंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों और सहायक उपकरणों के लिए वित्तीयपट्टे की व्यवस्था के लिए दर संविदा की है। पट्टा संविदा की अवधि आम तौर पर पांच साल के लिए होती है, और पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के पास रु. 1/– के नाममात्र मूल्य पर लीज की गई संपत्ति खरीदने का विकल्प होता है। पट्टे पर ली गई संपत्तियों कोसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में अलग–अलग पूंजीकृत किया जाता है और दर्शाया जाता है। ब्याज और रखरखाव प्रभार को लाभ – हानि विवरण में तथा मूल राशि को पट्टा दायित्वों के साथ समायोजित किया जाता है।

(रु. करोड़ में)

	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
एक साल और इससे कम	**72.42**	49.86
एक साल से अधिक व पाँच साल से कम	**112.07**	69.84
पाँच साल से अधिक	**-**	-
	184.49	119.70
खर्चके रूप में दर्शाया गया आकस्मिक किराया	**-**	-

वित्तीय पट्टा देनदारियाँ निम्नानुसार देय हैं

(रु. करोड़ में)

विवरण	भविष्य का न्यूनतम पट्टा भुगतान		ब्याज		न्यूनतम पट्टे का वर्तमान मूल्य भुगतान	
	जैसे					
	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	मार्च 31,2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
एक साल और इससे कम	**72.42**	49.86	**13.97**	7.59	**58.45**	42.27
एक साल से अधिक व पाँच साल से कम	**112.07**	69.84	**16.62**	12.66	**95.45**	57.18
पाँच साल से अधिक	**-**	-	**-**	-	**-**	-

कंपनी की पट्टा दाता के रूप में वित्तीय पट्टा प्रतिबद्धताएं

कंपनी ने लोकोमोटिव को वित्तीय पट्टे के तहत दिया है। वित्तीय पट्टा प्राप्तियों के घटक निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
पट्टे में कुल निवेश:		
एक साल और इससे कम	**0.03**	0.17
एक साल से अधिक व पाँच साल से कम	**-**	0.02
पाँच साल से अधिक	**-**	-

वित्त प्राप्ति में शुद्ध निवेश (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
अनर्जित वित्तीय आय	**-**	0.01
वित्तीय प्राप्तियों में शुद्ध निवेश	**0.03**	0.19
आय के रूप में आकस्मिक किराया	**-**	-
बिना गारंटी के अवशिष्ट मूल्य	**-**	-

न्यूनतम पट्टा प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है: (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य रु		
एक साल और इससे कम	**0.03**	0.17
एक से पाँच वर्ष के बीच	**-**	0.02
	0.03	0.19

नोट [46]"कर्मचारी लाभ" का विवरण– इंड ए एस 19 के अनुसार

परिभाषित लाभ योजनाओं में कंपनी की निम्नलिखित योजनाएँ शामिल हैं:

i) ग्रेच्युटी योजना

ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना

iii) भविष्य निधि योजना

iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावा

क. ग्रेच्युटी (वित्त पोषित योजना)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान कर चुका प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर ग्रेच्युटी का हकदार है (15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता), किंतु इसकी अधिकतम सीमा

20 लाख रुपये है। ग्रेच्युटी देयता भविष्य में भुगतान के लिए होती है, जो सेवानिवृत्ति, सेवा में मृत्यु या निकासी की स्थिति में दी जाती है।

देनदारी का आकलन अनुमानित यूनिट क्रेडिट एक्चुरियल विधि का उपयोग करके किया गया है।

(रु. करोड़ में)

विवरण	निर्धारित शुद्ध लाभ देयता		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति/देयता	
	जैसे					
	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018
प्रारंभिक शेष	**2,052.77**	1,931.43	**1,814.02**	1,931.43	**238.75**	-
वार्षिक लाभ सहित:						
वर्तमान सेवा लागत	**107.14**	120.69	**-**	-	**107.14**	120.69
पूर्व सेवा लागत	**-**	200.47	**-**	-	**-**	200.47
ब्याज लागत/(आय)	**162.17**	144.86	**162.17**	144.86	**-**	-
वर्ष में लाभ के रूप में कुल राशि	**269.31**	466.02	**162.17**	144.86	**107.14**	321.16
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)						
क्षतिपूर्ति हानि (वृद्धि):						
बीमांकिक से उत्पन्न हानि(वृद्धि):						
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन	**(22.37)**	(52.18)	**-**	79.28	**(22.37)**	(131.46)
अनुभव समायोजन	**85.11**	49.05	**(2.17)**	-	**87.28**	49.05
व्यापक आय में स्वीकृति प्राप्त कुल राशि	**62.74**	(3.13)	**(2.17)**	79.28	**64.91**	(82.41)
अन्य						
नियोक्ता द्वारा किए गए भुगतान	**-**	-	**238.75**	-	**(238.75)**	-
लाभ का भुगतान	**(350.00)**	(211.55)	**(350.00)**	(211.55)	**-**	-
अवैतनिक लाभ का भुगतान	**-**	(130.00)	**-**	(130.00)	**-**	-
अंतिम शेष	**2,034.82**	2,052.77	**1,862.77**	1,814.02	**172.05**	238.75

I. योजना परिसंपत्तियों का विवरण

	31 मार्च,2019 तक	31 मार्च,2018 तक
बीमाकर्ता द्वारा पोषित निधि	**62.47%**	55.24%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (उद्धृत)	**34.30%**	41.84%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ (उद्धृत)	**2.32%**	2.24%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर (उद्धृत)	**0.90%**	0.67%
बैंक में जमा राशि		0.01%
कुल	**100.00%**	100.00%

I. बीमांकित अनुमान

II. रिपोर्टिंग की तारीख को मूल बीमांकित अनुमान निम्नानुसार थे।

	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
आर्थिक अनुमानः		
छूट की दर	**7.75%**	7.90%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्षों तक 6.60: प्रतिवर्ष उसके बाद 6 : प्रतिवर्ष	प्रथम 4 वर्षों तक 6.60: प्रतिवर्ष उसके बाद 6 :प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकी अनुमान :	**60**	60
मृत्यु दर तालिका	100% आईएएलएम (2006-08)	
निकासी दरः (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	**3%**	**3%**
31 से 44 वर्ष	**2%**	**2%**
44 वर्ष से ऊपर	**1%**	**1%**

III. संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ देयता की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

(करोड़ में)

विवरण	**ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)**			
	31 मार्च, 2019 तक		31 मार्च, 2018 तक	
	वृद्धि	**कमी**	**वृद्धि**	**कमी**
छूट दर में परिवर्तन (0.50% बदलाव)	**(73.71)**	**79.98**	(67.84)	73.42
वेतन वृद्धि दर में परिवर्तन (0.50% बदलाव)	**80.86**	**(75.13)**	74.12	(69.06)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता ज्यादा नहीं है और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है। भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर के रूप में संवेदनशीलता, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पहले पेंशन वृद्धि की दर लागू नहीं होती है।

उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रमुख अनुमानों में होने वाले उपर्युक्त परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप परिभाषित लाभ देयता पर पड़ने वाले प्रभावका व्यापक अनुमान लगाने की प्रणाली के आधार पर किया गया है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का द्योतक नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि अनुमानों में परिवर्तन अलग–अलग घटितहोगा। कुछ अनुमान सहसंबद्ध हो सकते हैं।

IV. भविष्य के वर्षों में ग्रेच्युटी योजना का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषणः

(रु. करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2019 तक	**31 मार्च, 2018 तक**
एक वर्ष और उससे कम	**318.18**	328.33
एक व दो वर्ष के बीच	**216.76**	274.93
दो व तीन वर्षों के बीच	**176.35**	150.07
तीन व चार वर्षों के बीच	**155.27**	114.10
चार व पाँच वर्षों के बीच	**112.98**	96.19
पाँच व छः वर्षों के बीच	**112.98**	77.51
छः वर्षों से ज्यादा	**942.30**	1,011.64
कुल	**2,034.82**	2,052.77

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी योजनाओं में अपेक्षित योगदान रुपये 123.87 करोड़ है। समीक्षाधीन अवधि के अंत में ग्रेच्युटी परिभाषित लाभ योजना देयता की भारित औसत अवधि 14.89 वर्ष (31 मार्च, 2018: 14.78 वर्ष) है।

V. जोखिम

मूल्य निर्धारण कुछ अनुमानों के आधार पर किए गए हैं, जो परिवर्तन शील हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। इस प्रकार, कंपनी को विभिन्न जोखिम उठाने पड़ते हैं– जैसे वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट की दर, मृत्युदर, विकलांगता और आहरण।

ख. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (वित्त पोषित योजना)

कंपनी के पास सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उन के पति / पत्नी को कंपनी के अस्पतालों / चिकित्सा अस्पतालों में मेडिकल सुविधा प्रदान की जाती है, जो कंपनी के चिकित्सा नियमों के अधीन हैं। वे कंपनी द्वारा तय सीमा तक बहि रंग रोगी के रूप में भी इलाज करा सकते हैं। इस संबंध में देयता का निर्धारण प्रतिवर्ष वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

I. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/देयता की गतिविधियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	निर्धारित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति/दायित्व	
	जैसे					
	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
प्रारंभिक शेष	**1,925.72**	1,820.70	**1,881.03**	1,820.70	**44.69**	-
वार्षिक लाभ सहितः						
वर्तमान सेवा लागत	**39.48**	32.66	**-**	-	**39.48**	32.66
ब्याज लागत/(आय)	**152.13**	136.55	**152.13**	136.55	**-**	-
वर्ष की लाभ सहित कुल राशि	**191.61**	169.21	**152.13**	136.55	**39.48**	32.66
अन्य व्यापक आय में शामिल (ओसीआई)						
पुनः मूल्यांकन हानि (लाभ):						
बीमांकिक से उत्पन्न हानि (बढ़ना):						
जनसांख्यिकीय अनुमान	**-**	-	**-**	-	**-**	-
वित्तीय अनुमान	**31.71**	(103.19)	**-**	33.78	**31.71**	(136.97)
अनुभव समायोजन	**76.74**	149.00	**2.87**	-	**73.87**	149.00
अन्य व्यापक आय की कुल राशि	**108.45**	45.81	**2.87**	33.78	**105.58**	12.03
अन्य						
नियोक्ता द्वारा किए गए भुगतान	**-**	-	**44.69**	-	**(44.69)**	-
लाभ का भुगतान	**(145.00)**	(110.00)	**(145.00)**	(110.00)	**-**	-
अंतिम शेष	**2,080.78**	1,925.72	**1,935.72**	1,881.03	**145.06**	44.69

कंपनी की योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी के फंड दायित्वों के लिए ली गई एक बीमा पॉलिसी के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्रबंधित ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है।

बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग की तारीख को मूल बीमांकित अनुमान में निम्नानुसार थे:

विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
आर्थिक अनुमानः		
छूट की दर	**7.75%**	7.90%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्षों तक 6.60% प्रतिवर्ष उसके बाद 6% प्रति वर्ष	प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.60% प्रति वर्ष उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकी अनुमानः		
सेवानिवृत्ति आयु	**60**	60
मृत्यु दर तालिका	100% आईएएलएम (2006-08)	
निकासी दर : (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	**3%**	3%
30 से 44 वर्ष तक	**2%**	2%
44 वर्ष से से ऊपर	**1%**	1%

III. संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नानुसार है

(रु. करोड़ में)

विवरण	सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ			
	31 मार्च, 2019 तक		31 मार्च, 2018 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% बदलाव)	**(102.71)**	**104.19**	(94.49)	96.49
लागत में परिवर्तन (0.50% बदलाव)	**105.27**	**(103.71)**	97.02	(95.17)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता ज्यादा नहीं है और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रमुख अनुमानों में होने वाले उपर्युक्त परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप परिभाषित लाभ देयता पर पड़ने वाले प्रभाव का व्यापक अनुमान लगाने की प्रणाली के आधार पर किया गया है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का द्योतक नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि अनुमानों में परिवर्तन अलग–अलग घटित होगा। कुछ अनुमान सह संबद्ध हो सकते हैं।

IV. भविष्य के वर्षों में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण:

(रु. करोड़ में)

विवरण	सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	
	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
एक वर्ष और इससे कम	**139.44**	121.85
एक व दो वर्ष के बीच	**150.01**	123.81
दो व तीन वर्षो के बीच	**163.18**	126.78
तीन व चार वर्षो के बीच	**178.49**	129.37
चार व पाँच वर्षो के बीच	**194.36**	132.78
पाँच व छः वर्षो के बीच	**211.85**	138.09
छः वर्षो से ज्यादा	**1,043.45**	1,153.04
कुल	**2,080.78**	1,925.72

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजनाओं में अपेक्षित योगदान रुपये 46.06 करोड़ है।

समीक्षाधीन अवधि के अंत में सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना परिभाषित दायित्व की भारित औसत अवधि 11.97 वर्ष (31 मार्च, 2018 रू 12.84 वर्ष) है।

V. जोखिम

मूल्य निर्धारण कुछ अनुमानों के आधार पर किए गए हैं, जो परिवर्तनशील हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। इस प्रकार, कंपनी को विभिन्न जोखिम उठाने पड़ते हैं– जैसे वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट की दर, मृत्युदर, विकलांगता और आहरण।

ख. भविष्य निधि

कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है। कंपनी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर प्रतिफल प्राप्त हो। तदनुसार, कंपनी ने एक्ट्यूरी की रिपोर्ट प्राप्त करली है। जहां कहीं भी बीमांकित मूल्यांकन प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज में संभावित कमी के कारण देयता उत्पन्न होती है, उसका प्रावधान लेखों में किया गया है।

I. भविष्य निधि ट्रस्ट में ब्याज की कमी का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष समाप्ति पर	
	2018–19	2017–18
वर्ष के लिए बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में अतिरिक्त/(कमी)	**(5.15)**	1.72
बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में कमी के लिए संचित प्रावधान	**6.96**	1.81
अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त लाभ / (हानि)	**(12.53)**	10.39
ब्याज की कमी / (अधिशेष) लाभ और हानि के बयान के माध्यम से	**(7.38)**	8.67

कंपनी के कर्मचारियों को कवर करने के लिए कंपनी के विभिन्न स्थानों पर पीएफ ट्रस्ट स्थित हैं, जो अलग–अलग संचालित किए जाते हैं। योजना बद्ध परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण इस प्रकार है

(रु. करोड़ में)

स्थान	निर्धारित लाभ देयता		निर्धारित लाभ देयता		अधिशेष / (कमी)	
	जैसा					
	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर, हरिद्वार	**1379.70**	1359.02	**1387.17**	1,362.23	**7.47**	3.21
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि, त्रिची	**1119.51**	1094.10	**1119.83**	1,094.87	**0.32**	0.77
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि, भोपाल	**1176.79**	1081.53	**1175.50**	1,088.32	**(1.29)**	6.79
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि, फंड ट्रस्ट, नई दिल्ली	**1008.05**	882.34	**1018.78**	894.53	**10.73**	12.19
बीएचईएल कर्मचारी भविष्यनिधि, हैदराबाद	**811.28**	840.78	**835.87**	878.01	**24.59**	37.23
बीएचईएल पीपीडी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट, चेन्नई	**656.18**	563.21	**651.53**	561.40	**(4.65)**	(1.81)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि, बैंगलूरू	**613.12**	544.91	**616.44**	549.86	**3.32**	4.95
बीएचईएल (बीएपी यूनिटक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट, रानीपेट)	**392.94**	363.29	**391.92**	363.87	**(1.02)**	0.58
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट, झाँसी	**365.26**	355.32	**371.89**	361.43	**6.63**	6.11
भारत हेवी प्लेट्स और वेसेल्स	**118.79**	104.17	**165.08**	147.60	**46.29**	43.43
सीमित कर्मचारी अंशदान	**7641.62**	7188.67	**7734.01**	7302.12	**92.39**	113.45
भविष्य निधि, बाइजैग						
कुल						

II. भविष्य निधि पर शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति) देयता में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (समेकित)			
	निर्धारित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	
	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
प्रारंभिक शेष	**7,188.67**	6,876.55	**7,302.12**	6,966.80
वार्षिक लाभ सहितः				
वर्तमान सेवा लागत	**341.66**	278.82	**-**	-
पूर्व सेवा लागत	**567.91**	517.97	**567.91**	517.97
ब्याज लागत/(आय)	**909.57**	796.79	**567.91**	517.97
अन्य स्वीकृत आय (ओसीआई):				
क्षतिपूर्ति हानि (बढ़ना):				
बीमांकिक से उत्पन्न हानि (लाभ):				
जनसांख्यिकी छूट	**-**	-	**-**	-
वित्तीय छूट	**0.36**	(0.98)	**-**	-
अनुभव का समायोजन	**43.77**	18.35	**23.07**	54.48
अन्य व्यापक आय में कुल स्वीकृत राशि	**44.13**	17.37	**23.07**	54.48
दूसरे				
नियोक्ता द्वारा किए गए भुगतान	**698.53**	499.81	**341.66**	263.69
कर्मचारी योगदान	**-**	-	**698.53**	501.03
भुगतान किए गए लाभ	**(1,363.08)**	(1,095.01)	**(1,363.08)**	(1,095.01)
निपटारा/स्थानांतरण	**163.80**	93.16	**163.80**	93.16
अंतिम शेष	**7,641.62**	7,188.67	**7,734.01**	7,302.12

कमी को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया गया है और अन्य व्यापक आय का विवरण ऊपर बिंदु (I) में दिखाया गया है।

III. **योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का विवरण** (रु. करोड़ में)

	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	**1499.90**	1271.09
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	**2698.48**	2458.59
कॉर्पोरेट बॉन्ड	**2612.37**	2605.41
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	**382.54**	303.53
विशेष जमा	**495.33**	626.67
लिक्विड फंड	**25.13**	13.99
अल्पावधि जमा	**1.82**	3.59
म्यूचुअल फंड	**18.44**	19.26
कुल	**7,734.01**	7,302.12

IV. बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग की तारीख तक का मुख्य बीमांकिक अनुमान निम्नानुसार थे

विवरण	31 मार्च, 2019 में	31 मार्च, 2018 में
आर्थिक अनुमानः		
रियायती दर	**7.75%**	7.90%
बही खाता पर वैधानिक ब्याज दर का अनुमान	**8.65%**	8.55%
फंड के ब्याज आय में कमी का अनुमान	**0.05%**	0.05%
जनसांख्यिकीय अनुमान :	**60**	60
मृत्यु दर तालिका	**आईएएलएम का 100% (2006-08)**	
निकासी दर : (सभी आयु के लिए)		
30 वर्ष तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्ष तक	**2%**	2%
44 वर्ष से अधिक	**1%**	1%

ट. सूक्ष्मग्राही विश्लेषण

महत्वपूर्ण मूलधन क अनुमान में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की सूक्ष्मगाहिता निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट			
	31 मार्च, 2019 में		31 मार्च, 2018 में	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
रियायत दर में बदलाव (0.50% गति)	(1.25)	**1.29**	(1.72)	1.82

VI. छठी भविष्य के वर्षों में अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

विवरण	विवरण भविष्य निधि	
	31 मार्च, 2019 में	31 मार्च, 2018 में
अगले 12 महीनो के भीतर	**798.36**	870.91
2–5 वर्ष के बीच में	**1,450.20**	1,859.38
5–10 वर्ष के बीच में	**1,095.62**	1,217.58
10 वर्ष से अधिक	**4,297.44**	3,240.80
कुल	**7,641.62**	7,188.67

अ. सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावा – (सेटलमेंट भत्ता–गैर वित्त पोषित योजना)

कर्मचारी (परिवार के सदस्यों सहित) को सेवा निवृत्तिया सेवा के दौरान मृत्यु पर अपने निवास स्थान या भारत के किसी भी स्थान पर सामान के साथ बसने का इरादा रखता है उसके लिए सेटलमेंट भत्ता की प्रतिपूर्ति की जाती है।

I. शुद्ध परिभाषित लाभ में संपत्ति)/देयता में संचलन (रु. करोड़ में)

	निर्धारित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)	
	देयता					
	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018
प्रारंभिक शेष	**8.44**	9.12	.	.	8.44	9.12
इस वर्ष के लाभ में समाहित :						
वर्तमान सेवा लागत	**0.49**	0.47	.	.	0.49	0.47
ब्याज लागत / आय	**0.67**	0.68	.	.	0.67	0.68
	1.16	1.15	**-**	-	**1.16**	1.15
वर्ष के लिए लाभ में पाई गई कुल राशि						
अन्य व्यापक आय युक्त (ओसीआई)						
पुनर्भुगतान हानि (लाभ):	.	.	.	.	.	.
बीमांकिक हानि (लाभ) से उत्पन्न:	**0.20**	(0.27)	.	.	0.20	(0.27)
जन सांख्यिकीय अनुमान	**(0.03)**	(0.83)		.	(0.03)	(0.83)
वित्तीय अनुमान	**0.17**	(1.10)	**-**	-	**0.17**	(1.10)
अनुभव समायोजन						
अन्य व्यापक आय से मान्यता प्राप्त कुल लाभ राशि	.	.	.	.	.	.
अन्य	**(1.24)**	(0.73)	.	.	(1.24)	(0.73)
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	**8.53**	8.44	.	.	8.53	8.44
भुगतान किया गया हितलाभ						
अंतिम शेष						

II. बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग की तारीख में निम्न मुख्य बीमांकिक अनुमान था।

विवरण	समायोजन भत्ता	
	मार्च 31,2019में	मार्च 31, 2018 में
आर्थिक अनुमानः		
रियायती दर	**7-75%**	7-90%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्षों के लिए 6-60% प्रति वर्ष और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष	प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.60% प्रति वर्ष और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमानः		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
	आईएएलएम का 100% (2006-08)	
निकासी दर : (सभी आयु के लिए)		
30 वर्ष तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्ष तक	**2%**	2%
44 वर्ष से अधिक	**1%**	1%

III- संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण मूलधन के अनुमान में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नानुसार हैः

(रु. करोड़ में)

विवरण	सेटलमेंट भत्ता			
	मार्च 31, 2019 में		मार्च 31, 2018 में	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
रियायत दर में परिवर्तन (0-50% गति)	**(0.32)**	**0.32**	(0.33)	0.35

IV- भविष्य के वर्षों में सेटलमेंट भत्ता का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(रु. करोड़ में)

विवरण	सेटलमेंट भत्ता	
	मार्च 31, 2019 में	मार्च 31, 2018 में
एक वर्ष से कम	**1.14**	**1.21**
1–2 साल के बीच	**0.89**	**1.08**
2–3 साल के बीच	**0.67**	**0.83**
3–4 साल के बीच	**0.59**	**0.65**
4–5 साल के बीच	**0.43**	**0.57**
5–6 सालकेबीच	**0.39**	**0.42**
6 साल से अधिक	**4.42**	**3.68**
कुल	**8.53**	**8.44**

I. दीर्घकालिक छुट्टी देयता (नकद योग्य छुट्टी –ईएल/अर्धवैतन छुट्टी–एचपीएल) – (गैर वित्तपोषित योजना)

कंपनी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी एवं अर्ध वैतन छुट्टी लाभ प्रदान करती है जो क्रमशः 15 दिन (अधिकतम) और 10 दिनों में अर्धवार्षिक रूप से अर्जित करती है सेवा में रहते हुए अर्जित छुट्टी भुनाई जा सकती है कंपनी के कर्मचारियों को अर्धा वैतनिक अवकाश जो छः माह के लिए एवं क्रमशः होता है। कंपनी एवं छुट्टी नगदीकरण के नियमानुसार सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिता पर अधिकतम 300 दिन की अर्जित छुट्टी एवं अर्धवैतनिक छुट्टी भुनाई जा सकती हैं। छुट्टी देयता को अन्य दीर्घ कालिक लाभ के रूप में माना गया है और अनुमानित इकाई क्रेडिट बीमांकक विधि का उपयोग कर के मूल्यांकन किया गया है।

I- शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/देयता में संचलन

(रू करोडो में)

विवरण	दीर्घावधि छुट्टी में देयता	
	मार्च 31,2019 में	मार्च 31, 2018 में
प्रारंभिक शेष	**1,525.65**	1,769.49
वर्ष के लिए लाभ में शामिल :		
वर्तमान सेवा लागत	**174.81**	146.37
ब्याज लागत (आय)	**120.53**	132.71
बीमांकिक हानि (लाभ)	**(23.38)**	137.08
वर्ष के लिए लाभ में पाई गई कुल राशि	**271.96**	416.16
अन्य		
नियोक्ता द्वारा भुगतान योगदान	**-**	-
भुगतान किया गया लाभ	**305.55**	660.00
अंतिम शेष	**1,492.06**	1,525.65

II- बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग की तिथि तक निम्नलिखित प्रमुख बीमांकिक अनुमान थे ।

विवरण	दीर्घावधि छुट्टी में देयता	
	मार्च 31, 2019 में	मार्च 31, 2018 में
आर्थिक अनुमानः		
रियायत दर	**7-75%**	7.90%
	प्रथम चार वर्षों के लिए 6.60% प्रतिवर्ष और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष	प्रथम चार वर्षों के लिए 6.60% प्रतिवर्ष और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि दर		
	60	60
जनसांख्यिकी अनुमानः 60	**आईएएलएम का 100ः (2006–08)**	
सेवानिवृत्ति आय		
मृत्यु दर तालिका	**3%**	3%
सेवानिवृत्ति आय	**2%**	2%
मृत्यु दर तालिका	**1%**	1%

नोट [47] – संबंधित पक्षों का लेनदेन

(i)

नियंत्रित कंपनी	संयुक्त उपक्रमः	अन्यः
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	बीएचईएल–जीई गैस टर्बाईन सर्विसेस प्राईवेट लि (बीजीजीटीएस) एनटीपीसी–बीएचईएल पावर परियोजना प्राईवेट लि (एनबीपीपीएल) रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि (आरपीसीसीएल)	केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाएं भविष्य निधि ट्रस्ट ग्रेच्युटी ट्रस्ट, पीआरएमबी ट्रस्ट, पेंशन ट्रस्ट

(ii) अन्य प्रमुख पक्ष (मुख्य प्रबंधन कार्मिक–कार्यकारी निदेशकः वर्तमान एवं सेवा निवृत्त एवं कंपनी सचिव):

संबंधित पक्षों का नाम	रिश्ते की प्रकृति
श्री अतुल सोबती	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
श्री डी बंद्योपाध्याय	निदेशक (मानव संसाधन)
श्री सुबोध गुप्ता	निदेशक (वित्त) (अप्रैल 18, 2018 से)
श्री एस बालकृष्णन	निदेशक (आईएस–पी) (जून 1, 2018 से)
श्री मनोज कुमार वर्मा	निदेशक (ऊर्जा) (दिसंबर 19,2018 से)
श्री कमलेश दास	निदेशक (अभियांत्रिकी, अनु एवं वि) (मार्च 1, 2019 से)
श्री अमिताभ माथुर	निदेशक (आईएस–पी) (मई 31,2018 तक)
श्री एस बिस्वास	निदेशक (अभियांत्रिकी, अनु एवं वि) (फरवरी 28,2019 तक)
श्री अखिल जोशी	निदेशक (ऊर्जा) (सितंबर 30,2018 तक)
श्री राजीव कल्रा	कंपनी सचिव (दिसंबर 17, 2018 तक)
श्री आईपी सिंह	कंपनी सचिव (दिसंबर 16, 2018 तक)
श्री एस बसु	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक– बीएचईएल – ईएमएल

(रू करोडो में)

मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	समाप्त वर्ष के लिए	
	मार्च 31, 2019 में	मार्च 31, 2018 में
वेतन का भुगतान	**4.70**	3.20
केएमपी के रिश्तेदार		
समाप्त वर्ष हेतु बीएचईएल को देय राशि	**0.01**	-
लेन–देन का विवरण		
कर्मचारी अल्पकालिक लाभ	**4.10**	2.76
सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ	**0.60**	0.44
भुगतान किया गया कुल पारिश्रमिक	**4.70**	3.20

कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनि कपक्रम है और भारत सरकार के द्वारा शासित है इसके महत्वपूर्ण लेन–देन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य स्वामित्व वाली उपयोगिताओं, रेलवे आदि है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित किया जाता है। ऐसी इकाईयों के साथ लेन लेन–देन सामान्य है जो पर बाजार संचालित दरों पर अनुमानित कीमत में होता है।

(iii) संयुक्त उद्यमों के साथ लेनदेन एवं शेष राशि का विवरण

(रू करोडो में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए							
	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018
	बीजीटीएस		आरपीसीएल		एनबीपीपीएल		कुल	
माल और सेवाओं की बिक्री	**278.33**	196.48	**34.94**	91.22	**6.08**	77.27	**319.35**	364.97
लाभांश आय	**16.18**	14.76		-		-	**16.18**	14.76
रॉयल्टी से आय	**1.17**	0.90		-		-	**1.17**	0.90
माल और सेवाएं की खरीद	**0.98**	1.02		-	**4.83**	7.38	**5.81**	8.40
शेयरों की खरीद	**-**	-	**-**	74.72	**-**	-	**-**	74.72
वर्ष के अंत में बीएचईएल पर बकाया रकम	**76.98**	48.06	**510.71**	484.76	**280.93**	310.43	**868.62**	843.25
वर्ष के समाप्त पर (अग्रिम के साथ) बीएचईएल से बकाया रकम।	**0.35**	0.08	**11.00**	16.94	**82.52**	90.58	**93.87**	107.60
संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**0.70**	0.22	**-**	-	**1.64**	23.34	**2.34**	23.56

iv) सहायक कंपनी से साथ लेनदेन का विवरण एवं शेष राशि

(रू करोडो में)

सहायक कंपनी	समाप्त वर्ष के लिए	
	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018 में
माल और सेवाओं की खरीदी	**-**	0.04
ब्याज से आय	**-**	0.31
वर्ष के समाप्ति पर बीएचईएल पर बकाया रकम	**3.94**	4.06
वर्ष के समाप्ति पर बीएचईएल से बकाया रकम (अग्रिम सहित)	**1.07**	1.19
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**3.70**	3.70

नोट [48] – प्रकटीकरण प्रावधानमें गति, इंड एएस– 37

(क) निर्णीत हर्जाना (रू करोडो में)

विवरण	मार्च 31, 2019 में	मार्च 31, 2018 में
प्रारंभिक शेष	**5846.50**	3881.84
जोड़ें: परिवर्धन	**1967.45**	2180.46
घटाएँ: उपयोग / लिखनाबंद / भुगतान	**12.67**	1.29
कम: निकासी / समायोजन	**251.63**	214.51
अंतिम शेष	**7549.65**	5846.50

निर्णीत हर्जाना कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप प्रदान की जाती है और इसे निपटारे या अन्य खातों में उचित रूप से निपटाया जाता है निर्णीत हर्जाने

(ख) संविदागत दायित्व (रू करोडो में)

विवरण	मार्च 31, 2019 में	मार्च 31, 2018 में
प्रारंभिक शेष	**5331.32**	5227.97
जोड़ें: लागत उधार लेना	**190.93**	190.96
जोड़ें: परिवर्धन	**892.15**	1055.19
घटाएँ: पीवी समायोजन	**156.71**	302.11
घटाएँ: उपयोग / लिखना / भुगतान करना	**128.65**	223.56
घटाएँ: निकासी / समायोजन	**851.48**	661.53
जोड़ें / (घटाएँ): आंकलित और दरों में परिवर्तन	**9.25**	44.40
अंतिम शेष	**5286.81**	5331.32

अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए संविदात्मक दायित्व के प्रावधान को महत्वपूर्ण लेखा संख्या 11 के साथ धन के सामायिक मूल्य के प्रभाव पर विचार करते हुए किया जाता है । नीति (नोट [2]) के बिंदु संख्या 11 के अनुरूप मूल्य के प्रभाव को देखते हुए किया गया है। अनुबंध की वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक इसे बरकरार रखा जाता है। क्रमशः अलग अलग अनुबंध वर्ष के नियमों और शर्तों के आधार पर वारंटी दायित्व पर वास्तविक खर्चा भिन्न हो सकते हैं ।

टिप्पणी [49] – प्रकटी करण से ग्राहकों को अनुबंध से राजस्व आईएनडी एएस–115

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एम सी ए) ने 1 अप्रैल, 2018 से ग्राहकों के साथ राजस्व एवं संविदा अनुबंध किया है । नए आईएनडी ए एस ने मौजूदा राजस्व मान्यता मानक आईएनडी 11 (निर्माण अनुबंध) और आईएनडी ए एस 18 (राजस्व) का स्थान लिया है। मानक पूर्व व्यापी दृष्टिकोण की अनुमति देता है जो संचयी प्रभाव के साथ लागू है (संचयी कैच–अप दृष्टिकोण)। कंपनी ने 1 अप्रैल, 2018 से प्रतिधारित कमाई को दर्शाने के लिए संचयी कैच–अप दृष्टिकोण के साथ संक्रमण समायोजन को चुना है।

क. 01 अप्रैल 2018 को कंपनी की बरकरार कमाई पर प्रभाव

(रु करोडो में)

प्रतिधारित आय में परिवर्तन		
प्रतिधारित कमाई (01 अप्रैल 2018 से प्रारंभिक शेष)		(251.29)
जोड़ें / (घटाएँ): संविदा संपत्ति का पुन: माप (विचार का उचित मूल्य) और आस्थगित देनदारियों	194.46	
जोड़े / (घटाएँ): आस्थगित कर परिसंपत्तियों पर प्रभाव (सकल)	(67.97)	
इंड एएस 115 संक्रमण प्रभाव		126.49
एस इंड 115 प्रभाव से प्रतिधारित कमाई का समायोजन		(124.80)

ख. ह्रास प्रावधानों में परिवर्तन

(रु करोड़ो में)

	2018–19		2017–18	
	स्वीकार योग्य व्यापार	संविदा की संपत्ति	स्वीकार योग्य व्यापार	संविदा की संपत्ति
प्रारंभिक शेष	**6104.51**	**719.38**	5860.62	325.74
जोड़ें: परिवर्धन	**931.51**	**101.96**	712.9	437.76
घटाएँ: राईट आफ	**25.92**	**0.11**	8.22	-
घटाएँ: रिवर्सल	**611.53**	**166.50**	460.79	44.12
अंतिम शेष	**6398.57**	**654.73**	6104.51	719.38

ग) ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व का विभाजन

(रु करोड़ो में)

विवरण	पावर		उद्योग		कुल
	भारत के भीतर	भारत से बाहर	भारत के भीतर	भारत से बहर	
2018-19					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व मान्यता का समय					
(क) एक समय में (उत्पाद / सेवाएँ)	**2830.48**	**22.30**	**3740.3**	**28.41**	**6621.49**
(ख) समयोपरि	**17447.70**	**3104.48**	**2172.22**	**3.32**	**22727.72**
2017-18					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व मान्यता का समय					
(क) एक समय में (उत्पाद / सेवाएँ)	2386.22	9.29	3461.58	22.74	5879.83
(ख) समयोपरि	19831.81	653.72	1483.53	1.55	21970.61

(रू करोड़ो में)

विवरण	2018–19		2017–18	
	ऊर्जा	उद्योग	ऊर्जा	उद्योग
ग्राहकों से राजस्व				
सीपीएसयू	**5323.43**	**2320.06**	6235.82	1880.26
रेलवेज	**-**	**1595.98**	-	1177.88
टीएएनजीईडीसीओ	**5331.04**	**-**	3637.73	-
टीएसजेनको	**4544.66**	**-**	2777.84	-

घ) संविदा शेष (नेट प्रावधान)

(रू करोडो में)

विवरण	मार्च 31, 2019 में	मार्च 31, 2018 में
स्वीकार योग्य व्यापार	**15944.77**	17501.29
कंट्रैक्ट संपत्ति (बिना बिल के राजस्व सहित)	**22296.54**	17992.17
कंट्रैक्ट देनदारियाँ	**6838.98**	7572.76

ङ. मान्यता प्राप्त संविदा राजस्व

(रू करोडो में)

विवरण	मार्च 31, 2019 में	मार्च 31, 2018 में
अनुबंध देनदारियों के समक्ष मान्यता प्राप्त राजस्व (ग्राहक अग्रिमों का समायोजन और वर्ष के दौरान मूल्यांकन समायोजन)	**2573.84**	2923.51
पिछले वर्ष किए गए प्रदर्शन में संतुष्ट निष्पादन के लिए मान्यता प्राप्त राजस्व (संविदा राजस्व में परिवर्तन के कारणवश)	**210.44**	85.74

बिजली परियोजनाओं का निर्माण एक दीर्घ चक्र व्यवसाय है, जहाँ कंपनी कंट्रैक्ट को ईपीसी कंट्रैक्ट (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) या बीटीजी पैकेज द्वारा (यानी बॉयलर, टर्बाइन और जेनरेटर पैकेज) प्राप्त किया जाता है। पावर परियोजना लंबी अवधि के लिए होता है जैसे सामान्यतः कंट्रैक्ट अवधि 3 से 5 वर्ष के लिए होता है। बीएचईएल की सेवाओं के दायरे में उपकरण की आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग, प्लांट को ग्रिड से सिंक्रोनाइज करना, ट्रायल ऑपरेशन पूरा करना एवं गैरंटी पैरामेटरस् और गारंटी कृत पैरामीटर प्रदान करना शामिल होता है। यद्यपि समग्र दायरे में कई घटक हैं, ऐसी परियोजनाओं को आमतौर पर एक–प्रदर्शन दायित्व माना जाता है।

निष्पादन अवधि के दौरान ही नियंत्रण को सौंपा जाता है चूंकि इकाई संपूर्ण अवधि के लिए कार्य करती है न कि असतत समय बिंदुओं पर अतः समय के आधार पर कार्य की प्रगति के अनुसार राजस्व की वसूली होती है।

नोट (50) वित्तीय लिखत – (प्रकटीकरण इंड एएस– 107) लेखा वर्गीकरण और उचित मूल्य माप

नकदी और नकद समक्षों का उचित मूल्य, बैंक शेष, ऋण, व्यापार प्राप्तियां, व्यापार देय और अन्य उनकी ले जाने वाली राशि का अनुमान लगाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानियों पर विचार प्राप्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य को निर्धारित करने और प्रकट करने के लिए कंपनी निम्नलिखित अनुक्रम का उपयोग करती है:

उचित मूल्य पदानुक्रम

मूल्यांकन तकनीक में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर वित्तीय साधनों के उचित मूल्यको निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

स्तर 1: समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (कोटिड) मूल्य (असंगत)

स्तर 2: उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट जो स्तर 1 के भीतर शामिल है जो संपत्ति या देयता के लिए या तो सीधे (यानी, कीमतों के रूप मे) या परोक्ष रूप से (यानी, कीमतों से व्युत्पन्न) देखे जा सकते है।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो विचार योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नही हैं।

वित्तीय परिसंपत्ति /देयता वर्गीकरण **(रू करोडो में)**

विवरण	ले जाने वाली राशि	
	मार्च 31, 2019 में	**मार्च 31, 2018 में**
अमूर्त लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां		
व्यापार प्राप्य	**15944.77**	17501.29
नकद और नकद समकक्ष	**795.60**	2768.68
अन्य बैंक शेष राशि	**6707.74**	8407.19
ऋण	**240.27**	227.87
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	**162.19**	150.63
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति		
निवेश (इक्विटी इंस्ट्रूमेंटस)	**2.94**	2.92
परिशोधन लागत परवित्तीय संपत्ति		
व्यापार देनदारियां	**12078.09**	11065.92
अन्य वित्तीय देयताएँ	**2096.81**	2339.11
वित्त पट्टा दायित्व	**158.31**	102.88
लघु अवधि की उधारी	**2457.27**	.

(रू करोडो में)

वित्तीय परिसंपत्ति एवं उचित मूल्य पर मापी गई देनदारियाँ– उचित मूल्य माप आवर्ती	**स्तर 3 पदानुक्रम**	
	मार्च 31, 2019 में	**मार्च 31, 2018 में**
गैर उद्धृत इक्विटी उपकरणों में निवेश	**2.94**	2.92

ग. उचित मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग की गई मूल्यांकन तकनीक

गैर उद्धृत इक्विटी घटकों का उचित मूल्य लेवल 3 इनपुट का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है जिसमें शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य प्रति शेयर के आधार पर निवेश की गई कम्पनी के वित्तीय विवरणों से इनपुट शामिल है

एफवीटीपीएल संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत गैर उद्धृत इक्विटी शेयरों के उचित मूल्यमापन का मिलान

	(रू करोडो में)
31 मार्च, 2018 में	2.92
उचित मूल्य में परिवर्तन	0.02
31 मार्च, 2019 में	2.94

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियो उस क्षेत्र में परिचालन करने वाली किसी भी कम्पनी के प्राकृतिक व्यापारिक एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले विभिन्न वित्तीय जोखिमों को उजागर करती है। कंपनी का वित्तीय जोखिम प्रबंधन व्यवसाय कार्यनीतियों का एक एकीकृत भाग है। कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप वित्तीय जोख़िम से संबंधित अपनी नीतियों और दिशा निर्देशों की समय-समय पर समीक्षा और संरेखण करती है | कंपनी वित्तीय कारको के उपयोग से निम्नलिखित जोख़िम उजागर करती है –

- क्रेडिट जोख़िम
- नकदी जोख़िम
- बाजार जोख़िम

यह नोट उपरोक्त प्रत्येक जोख़िम, कंपनी उद्देश्यों, नीतियों और जोख़िम के मापन एवं प्रबंधन तथा कंपनी द्वारा पूंजी प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है | आगे मात्रात्मक प्रकटन वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए हैं।

जोख़िम प्रबंधन ढांचा

बीएचईएल ने एकबोर्ड द्वारा स्वीकृत जोख़िम प्रबंधन चार्टर और नीति बनाई है जो कंपनी में जोख़िम प्रबंधन के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करता है। चार्टर का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरी कंपनी में एक ऐसा ढांचागत एवं व्यापक जोख़िम प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन करना है जो यह सुनिश्चित करे कि जोखिमों को उचित रूप से पहचाना जा रहा है और उनको प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। कंपनी में त्रि-स्तरीय जोख़िम प्रबंधन ढांचा है। प्रथम स्तर पर–कंपनी की बोर्ड स्तरीय जोख़िम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) को कंपनी के जोख़िम प्रशासन संरचना, जोख़िम निर्धारण एवं जोख़िम प्रारूप प्रबंधन, दिशानिर्देश, नीतियां एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। द्वितीय स्तर पर जोख़िम प्रबंधन स्थाई समिति (आरएमएससी) का जोख़िम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और कार्यान्वित करने एवं पूरी कंपनी में जोख़िम प्रबंधन संबंधी पहल का नेतृत्व करने का उत्तरदायित्व है । मुख्य जोख़िम अधिकारी (सीआरओ) बीएलआरएमसी एवं आरएमएससी के संयोजक के रूप में कार्य करता है जिसका समय – समय पर बोर्ड / बीएलआरएमसी को जोख़िम प्रबंधन पर रिपोर्टिंग करने का दायित्व है। कंपनी के समक्ष प्रमुख जोख़िमों का विश्लेषण कर इकाई स्तर पर सबंधित क्षेत्र के लिए जोख़िम शमन योजना एवं उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा रहा है।

क्रेडिट जोख़िम प्रबंधन

क्रेडिट जोख़िम को व्यवसाय करने के जोखिमों का एक संतुलित अभिन्न हिस्सा माना जाता है। बीएचईएल सरकारी क्षेत्र (राज्य सुविधाएं, पीएसयू, रेलवे एवं अन्य सरकारी विभाग आदि) एवं निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के कार्य में संलग्न है। सामान्यतः परियोजनाएं वितीय संस्थानों / बैंक या क्रेडिट पत्र (एलसी) द्वारा संरक्षित भुगतानों के माध्यम से निधि पोषित होती है । परियोजना अवधि 3 से 5 वर्ष तक होती है और भुगतान सामान्यतः चरणों में अनुबंध के अनुसार (अग्रिम सहित), प्रगति भुगतान, माइलस्टोन भुगतान और शेष भुगतान परियोजना के समापन पर किया जाता है।

चूंकि अधिकांश ग्राहक प्रोफाइल सरकारी क्षेत्र से संबंधित है, कुल प्राप्तियों के 81% तक जमा इस तथ्य के साथ प्राप्त हो जाता है कि कंपनी स्वयं एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई है) और क्रेडिट जोख़िम अपेक्षाकृत कम है। निजी क्षेत्र के ग्राहक के संबंध में भुगतान एलसी द्वारा निर्धारित होताहै। कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुरूप समुचित ध्यान और प्राप्यों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु कंपनी ने संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर प्राप्य के लिए समीक्षा प्रणाली स्थापित की है। कंपनी हानि या लाभ का आंकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग करती है और इसका खुलासा अन्यत्र किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपने खातों को अनुदारवादी आधार पर तैयार करती है और किसी भी स्थिति को हल करने के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध रखा जाता है |

(i) क्रेडिट जोखिम का विवरण

वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि अधिकतम क्रेडिट आशंका को प्रकट करती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम की अधिकतम आशंका निम्नानुसार थीः-

(रू करोडो में)

विवरण	31 मार्च 2019 में	31 मार्च 2018 में
वित्तीय परिसम्पत्तियां जिनके लिए 12 माह अनुमानित क्रेडिट हानियों का उपयोग कर हानि छूट मापी जाती है।		
नकदी एवं नकदी समतुल्य	**795.60**	2768.68
अन्य बैंक शेष	**6707.74**	8407.19
ऋण	**240.27**	227.87
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**162.19**	150.63
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन केलिए पूर्ण जीवन काल अनुमानित क्रेडिट हानियों का उपयोग कर हानि छूट मापी जाती है		
व्यापार प्राप्य	**15944.77**	17501.29

क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण- भौगोलिक	कुल राजस्व का प्रतिशत	
	31 मार्च 2019 में	31 मार्च 2018 में
भारत के भीतर	**93.46%**	96.61%
भारत के बाहर	**6.54%**	3.39%

व्यापार एवं अन्य प्रकार के प्रतिपक्षों से प्राप्यों के लिए क्रेडिट जोखिम के संबंध में कंपनी की आशंका निम्नानुसार है-

विवरण	कुल व्यापार प्राप्यों का प्रतिशत	
	31 मार्च 2019 में	31 मार्च 2019 में
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं रेलवे तथा सरकार विभाग भी शामिल	**31.81%**	32.92%
राज्य विद्युत बोर्ड	**49.94%**	47.35%
निजी ग्राहक एवं अन्य	**11.71%**	16.34%
निर्यात	**6.54%**	3.39%
	100%	100%

छः क्षतिजन्नय हानि

क) वित्तीय परिसम्पत्तियां जिनके लिए 12 माह अनुमानित क्रेडिट हानियों का उपयोग कर हानि छूट मापी जाती है

कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियां है जहां दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता में प्रतिपक्ष है जहां गलती का जोखिम बहुत कम है। वर्ष के दौरान ऋण के संबंध में क्षतिजन्नय के लिए अनुमानित में गतिशीलता निम्नानुसार है

(रू करोड़ो में)

वर्ष के दौरान ऋण के संबंध में हानि के लिए भत्ते में आंदोलन इस प्रकार था:

	31 मार्च 2019 में	31 मार्च 2019 में
1 अप्रैल को शेष राशि	**22.29**	18.04
क्षतिजन्नय हानि मान्यता / वट्टा / वापसी	**0.05**	4.25
शेष राशि 31 मार्च तक	**22.34**	22.29

मूल्य ह्रास से हानि प्रावधानों का निस्सरण/समाधान

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्य और संविदा परिसंपत्तियों के संबंध में हानि संबंधी भत्ता निम्नानुसार था :-

(रू करोडो में)

	31, मार्च 2019 को	31, मार्च 2018 को
1 अप्रैल को शेष राशि	**6823.89**	6186.36
चिन्हित क्षतिजन्नय हानि	**1033.47**	1150.66
बट्टाकृत/निकाली गई राशि	**(804.06)**	(513.13)
शेष राशि 31 मार्च तक	**7053.30**	6823.89

बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित कंपनी की निवेश नीति तथा डीपीई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के साथ कंपनी सरप्लस फंडों में से निवेश करती है, नकदी और नकदी समतुल्यों और सावधि जमाओं पर क्रेडिट जोखिम बहुत सीमित है क्योंकि कंपनी आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा नियुक्त उच्च क्रेडिट रेटिंग के साथ जमाओं में निवेश करती है।

B. लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन

कंपनी सावधि जमा सहित पर्याप्त नकदी और नकदी समतुल्य बनाए रखने के साथ लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है और जब भी जहाँ भी देय हो, देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखती है। मजबूत नकदी प्रबंधन प्रणाली और नकदी प्रवाह की नियमित मॉनीटरिंग प्रबंधन को पूरे वर्ष के दौरान पर्याप्त स्रोतों से अपनी निधि की आवश्यकता को पूरा करने और उन्हें बनाए रखने की योजना के लिए समर्थ/सक्षम बनाती है। पर्याप्त नकदी और बैंक बैलेंस के अलावा, कंपनी क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाती है। कंपनी आंतरिक संसाधनों जैसे परिचालन से प्राप्त फंड तथा बेहतर ट्रेजरी प्रबंधन संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले अल्पकालिक उधार के माध्यम से निवेश पर रिटर्न को अनुकूल करके अपनी सभी फंड आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

अनुबंधित नकदी प्रवाह के आधार पर, गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की अनुबंधित परिपक्वता निम्नानुसार हैं:-

(रू करोडो में)

विवरण	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2019	
	1 वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक
व्यापार देयताएं	**11375.11**	**702.98**	10586.86	479.06
ठेकेदारों और अन्यों से जमा	**522.09**	**85.17**	492.12	110.43
वित्त लीज़ दायित्व	**62.86**	**95.45**	45.70	57.18
अन्य देय / दायित्व				
कर्मचारी देय	**510.32**	**-**	855.60	-
अन्य देय	**884.12**	**-**	765.60	-
कैपेक्स देय	**88.75**	**6.36**	111.38	3.98
अल्पकालिक उधार	**2457.27**	**-**	-	-
कुल	**15900.52**	**889.96**	12857.26	650.65

ख. बाजार जोखिम

कंपनी अपने प्रचालनों से प्राप्त होने वाली कुछ मुद्रा, वस्तु, ब्याज दर जोखिमों के संपर्क में है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा विनियम जोखिम प्रबंधन पॉलिसी है जो विदेशी विनियम जोखिम को कवर करती है। प्रमुख वस्तु/माल की कीमत में उतार-चढ़ाव के खिलाफ, कंपनी को प्रोत्साहित करने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों सहित आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ दावों के माध्यम से मूल्य समझौते सहित रूप रेखा समझौते नियमित रूप से दर्ज किए जा रहे हैं। प्रचालनों से प्राप्त अधिशेष निधियों का पीएसयू बैंकों या बड़े निजी बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में तथा सार्वजनिक क्षेत्र

म्युचुअल निधि की ऋण आधारित योजनाएं में ही निवेश किया जाता है, जिससे जोखिम कम रहता है।

विदेशी मुद्रा जोखिम विवरण- रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा जोखिम में कंपनी का विवरण निम्नानुसार है-

गौण घटक जो 31.03.2019 को प्रतिरक्षी और बकाया है, शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)

विदेशी मुद्रा विवरण जो व्युत्पन्न कारक या किसी अन्य द्वारा प्रतिरक्षित नहीं हैं, निम्नानुसार है-

विदेशी मुद्रा मिलियन में

(रू करोडो में)

विवरण	जैसे की					
	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
	भारतीय मुद्रा समकक्ष	यूरो	भारतीय मुद्रा समकक्ष	अन्य भारतीय मुद्रा	अन्य भारतीय मुद्रा	अन्य भारतीय मुद्रा
परिसंप्तियाँ						
व्यापार प्राप्य	**187.45**	**1441.89**	153.26	1222.56	**52.22**	**4.91**
संविदा परिसंपत्तियाँ	**270.26**	**2080.95**	251.80	2005.21	**72.17**	**63.16**
अन्य परिसंपत्तियाँ	**14.74**	**114.21**	22.26	162.84	**195.45**	**164.97**
कुल योग	**472.45**	**3637.05**	427.32	3390.61	**319.84**	**233.04**
ग्राहक से अग्रिम						
व्यापार देयता और अन्य	**45.96**	**316.67**	46.83	318.77	**38.69**	**40.90**
कुल योग (ख)	**62.42**	**494.44**	73.50	600.16	**288.55**	**401.77**
परिसंपत्तियाँ	**108.38**	**811.11**	120.33	918.93	**327.24**	**442.67**
(शुद्ध देनदारियां)	**364.07**	**2,825.94**	306.99	2,471.68	**(7.40)**	**(209.63)**

विवरण	**31 मार्च, 2019 को**		**31 मार्च, 2018 को**	
	यूएस डॉलर	**भारतीय मुद्रा समकक्ष**	**यूएस डॉलर**	**भारतीय मुद्रा समकक्ष**
परिसंपत्तियाँ				
व्यापार प्राप्य	**226.08**	**1555.43**	184.34	1188.72
अनुबंधनीय परिसंपत्तियाँ	**259.71**	**1780.33**	200.65	1293.59
अन्य परिसंपत्तियाँ	**2.87**	**18.82**	4.97	32.16
कुल योग(क)	**488.66**	**3354.58**	389.96	2514.47
देयताएं				
ग्राहक से अग्रिम	**155.49**	**957.72**	291.77	1832.81
व्यापार देयताएं तथा अन्य	**124.91**	**871.61**	97.64	646.47
अल्पकालिक उधार	**51.31**	**357.27**	-	-
कुल योग (ख)	**331.71**	**2186.60**	389.41	2,479.28
परिसंपत्तियाँ (शुद्ध देनदारियाँ)	**156.95**	**1,167.98**	0.55	35.19

उपरोक्त आंकड़े प्रावधान के शुद्ध हैं, यदि कोई हो

संवेदनशीलता विश्लेषण

यूएसडी, यूरो और अन्य की तुलना में भारतीय रुपए को मजबूत / कमजोर करने का प्रभाव नीचे दर्शाए गए अनुसार लाभ या हानि में दर्शाया गया है। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर पर आधारित होता है जिससे कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर उचित संभवता पर विचार करना होता है। पिछले वर्ष के लिए इसी आधार पर विश्लेषण किया गया है, सिवाए इसके कि जहां नीचे दर्शाए गए अनुसार विदेशी विनिमय दर अंतर भिन्न था ।

विवरण	जैसे की			
	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
लाभ/हानि पर	मजबूत	कमजोर	मजबूत	कमजोर
1% गतिशीलता यूरो	**28.26**	**(28.26)**	24.72	(24.72)
यूएसडी	**11.68**	**(11.68)**	0.35	(0.35)
अन्य	**(0.07)**	**0.07**	(2.10)	2.10

ब **पूँजी प्रबंधन**

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य व्यवसाय को जारी रखते हुए, अपनी पूंजी को सुरक्षित, संरक्षित तथा उसमें वृद्धि करना है जिससे यह , शेयर धारकों के लिए रिटर्न और अन्य स्टेक होल्डरों के लिए लाभ प्रदान कर सके तथा पूंजी की लागत को कम करके इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखा जाए। निदेशक मंडल इक्विटी शेयर धारकों के लाभांश के स्तर की निगरानी करते हैं, कंपनी सामान्यतः उद्योग और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए वित्तीय अनुपात के आधार पर मध्यम अवधि परिदृश्य एवं दीर्घ अवधि परिदृश्य का प्रयोग कर कंपनी पूंजी की निगरानी करती हैं। कंपनी बाह्य रूप से लगाई गई पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं होती है। कंपनी की पूंजी संरचना का प्रबंधन मजबूत क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने के लिए अपेक्षित विभिन्न वित्तीयें अनुपात के अधीन होता है।

नोट (51) परिचालन खंड

खंडों की पहचान संबंधित व्यवसाय क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए आर्डरों के आधार पर पावर और उद्योग के तौर पर की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन समूह द्वारा बुक किए आर्डरों को यथा स्थिति पावर अथवा उद्योग, जैसा भी मामला हो, में शामिल किया जाता है। कंपनी के कार्यकारी निदेशकों की समिति की पहचान मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में की गई है।

प्रमुख ग्राहक- बीएचईएल के कुल राजस्व का 10% से अधिक एकल ग्राहक से राजस्व का विवरण

(रू करोडो में)

विवरण		31.3.2019 को समाप्त वर्ष			31.3.2018 को समाप्त वर्ष		
		पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
I.	खंड राजस्व						
	प्रचालन राजस्व- बाहरी	**23404.96**	**5944.25**	**29349.21**	22881.04	4969.40	27850.44
II.	खंड परिणाम						
a.	खंड परिणाम	**2812.18**	**437.21**	**3249.39**	2792.14	179.55	2971.69
b.	अनावंटित व्यय (आय का कुल)			**904.60**			1132.15
c.	वित्त लागत एवं आयकर से पूर्व लाभ (क)-(ख)			**2344.79**			1839.54
d.	(इसमें ब्याज की छूट शामिल है) वित्त लागत (इसमें ब्याज की छूट शामिल है)			**286.93**			254.55
e.	आय कर पूर्व निवल लाभ			**2057.86**			1584.99
f.	आय कर			**842.47**			778.39
g.	आयकर पश्चात् निवल लाभ			**1215.39**			806.60
III	परिसंपत्तियाँ एवं देयता						
a.	खंड परिसंपत्तियाँ	**45185.71**	**9372.15**	**54557.86**	40812.18	8522.98	49335.16
b.	सामान्य परिसंपत्तियाँ			**9858.15**			14382.92
c.	कुल परिसंपत्तियाँ			**64416.01**			63718.08
d.	खंड देयताएं	**24823.96**	**5251.54**	**30075.50**	24541.30	4799.21	29340.51
e.	सामान्य देयताएं			**2940.65**			1776.49
f.	कुल देयताएं			**33016.15**			31117.00
IV	अन्य जानकारी						
a.	पूँजी व्यय	**255.08**	**81.88**		186.74	48.05	
b.	मूल्य ह्रास एवं परिशोधन	**343.34**	**87.49**		589.56	153.20	
c.	) गैर-नकद व्यय (मूल्य ह्रास एवं परिशोधन के अलावा)	**1160.35**	**30.00**		1867.25	319.49	
भौगोलिक खंड		भारत में	भारत के बाहर	कुल	भारत में	भारत के बाहर	कुल
1	निवल बिक्री / प्रचालनों से राजस्व	**26190.70**	**3158.51**	**29349.21**	**27163.14**	**687.30**	**27850.44**
2.	गैर मौजूदा परिसंपत्तियाँ (पीपीई एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ)	**3188.48**	**13.95**	**3202.43**	**3247.41**	**24.19**	**3271.60**
3.	पूँजी व्यय	**378.65**	**24.23**	**402.88**	**256.04**	**13.66**	**269.70**

प्रमुख ग्राहक- बीएचईएल के कुल राजस्व का 10% से अधिक एकल ग्राहक से राजस्व का विवरण

विवरण	पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
सीपीएसयू	**5323.43**	**2320.06**	**7643.49**	6235.82	1880.26	8116.08
रेलवे	**-**	**1595.98**	**1595.98**	-	1177.88	1177.88
टीएएनजीईडीसीओ	**5331.04**	**-**	**5331.04**	3637.73	-	3637.73
टीएसजीईएनसीओ	**4544.66**	**-**	**4544.66**	2777.84	-	2777.84

नोट [52] – अन्य सूचना

(रू करोडो में)

क.	आयात का मूल्य	वर्ष के अंत में	
		2018-19	2017-18
	सीआईएफ आधारित		
	कच्चा माल	**2192.44**	1558.13
	अवयव तथा कलपुर्जे	**2473.37**	744.99
	पूँजीगत माल	**52.73**	24.25
	कुल	**4,718.54**	2,327.37

(रू करोडो में)

ख.	विदेशी मुद्रा में व्यय	वर्ष के अंत में	
		2018-19	2017-18
	रॉयल्टी	**132.08**	141.53
	तकनीकी जानकारी	**11.57**	4.05
	व्यावसायिक परामर्श शुल्क	**2.79**	3.41
	ब्याज एवं अन्य	**14.85**	5.52

(रू करोडो में)

ग.	कच्चा माल, अवयव, भण्डार एवं कलपुर्जे की खपत का मूल्य	वर्ष के अंत में	
		2018-19	2017-18
	i) आयातित (सीमा शुल्क सहित)	**4603.07**	2526.61
	ii) घरेलू	**10838.68**	9955.58
	iii) कुल खपत का प्रतिशत		
	आयातित	**30**	20
	स्वदेशी	**70**	80

सारणीबद्ध, जहाँ कहीं भी अभिलिखित हैं, शामिल की गई हैं

(रू करोडो में)

घ.	विदेशी विनियम से आय	वर्ष के अंत में	
		2018-19	2017-18
	माल का निर्यात (एफओबी आधार)	**2231.92**	182.44
	इरेकशन एवं अन्य सेवाएं	**762.22**	112.36
	मानित निर्यात पर विदेशी विनियम (घरेलू संविदाओं और एसईज़ेड निर्यात सहित)	**793.06**	1014.00
		3,787.20	1,308.80

(रू करोडो में)

E.	उपभोग की गई कच्ची सामग्री एवं अवयव का विवरण	वर्ष के अंत में	
		2018-19	2017-18
	सामग्री का ग्रुप		
	i) फैरस सामग्री	**3461.21**	2431.11
	ii) नॉन- फैरस सामग्री	**313.91**	333.09
	iii) इंसुलेटिंग सामग्री	**168.39**	168.29
	iv) इंसुलेटेड केबल्स एवं मैग्नेट वायर	**20.46**	26.76
	v) अवयव	**6447.46**	4944.14
	vi) अन्य	**4618.65**	4193.06
	कुल	**15030.08**	12096.45

नोट [52]

एसईवीआई (सूचीयन बाध्यता एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी द्वारा दिए गए ऋण के तौर पर ऋणों एवं अग्रिमों का अपेक्षित विवरण नीचे दिया गया है-

(I) सहायक कंपनियों के संबंध में

(रू करोड़ों में)

विवरण	जैसा कि	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन लि.		
बकाया ऋणों के तौर पर ऋण एवं अग्रिम	**3.00**	3.00
वर्ष के दौरान बकाया ऋणों के तौर पर ऋणों एवं अग्रिमों की अधिकतम राशि	**3.00**	3.00

i) कोई भी ऋण(कर्मचारियों के ऋणों के अलावा) नहीं दिया गया है जिसके कारण कोई पुन: भुगतान शैड्यूल अथवा सात वर्षों से परे पुर्नभुगतान नहीं हैं।

iii) फर्म/कंपनियाँ जिसमें निदेशक मंडल इच्छुक हैं, को ऋणों के तौर पर कोई भी ऋण और अग्रिम नहीं है।

नोट [54]

परिसंपत्तियाँ एवं देयताएं परिचालन चक्र के रूप में 12 माह की अवधि पर विचार करते हुए चालू एवं गैर चालू के बीच वर्गीकृत की जाती है।

नोट [55]

सीपीएसई के लिए तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिश के आधार पर और राष्ट्रपति निर्देशों के अनुसार, 01 जनवरी, 2017 से अधिकारियों को वेतन संशोधन बकाया का भुगतान वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कर दिया है। पर्यवेक्षकों और कामगारों के लिए भी 01, जनवरी 2017 से देय संशोधन बकाया का भुगतान यूनियनों के साथ मजदूरी निपटान पर किया गया है। इस वेतन संशोधन पर 01जनवरी , 2017 से 31 मार्च, 2019 तक कुल बकाया राशि लगभग 1940 करोड़ रु. थी जिसमें से 1306 करोड़ की राशि 31 मार्च, 2018 तक तथा शेष राशि वित्त वर्ष 2018-19 में प्रदान की गई थी। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वेतन बकाया के रूप में 1475 करोड़ की राशि का वितरण किया गया है।

नोट [56]

वर्ष के अंत में 8.14% (पिछले वर्ष @ 8.30%) पर उधार की भारित औसत लागत को दीर्घकालिक प्रावधानों के वर्तमान मूल्य और अपेक्षित ऋण हानि के लिए माना गया है।

नोट (57) हाल ही के लेखा विकास

जारी मानक जो अभी प्रभावी नहीं

इंड एएस 116 (लीज़)

30 मार्च, 2019 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने इंड एएस-116 (लीज़) के रूप में अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2019 जारी किया है। कंपनी पर मानक दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से लागू होता है तथा मौजूदा इंड एएस 17 (लीज़) और संबंधित व्याख्याओं का स्थान लेगा। यह इंड एएस पट्टेदार और पट्टेदार के लिए पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुतियों और प्रकटीकरण हेतु सिद्धांतों को निर्धारित करता है। इसे 12 से अधिक महीनों की लीज अवधि वाले सभी लीज लेनदेन के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं को चिन्हित के करने लिए पट्टेदार की आवश्यकता होती है, जब तक कि अंतर्निहित परिसंपत्तियाँ कम मूल्य की न हो। वर्तमान इंड एएस 17 के अंतर्गत प्रचालन लीज खर्च लाभ और हानि की विवरणी के लिए शुल्क लिया जाता है।

इसके अलावा, नए इंड एएस के लिए व्यापक प्रकटन की आवश्यकता है। इंड एएस 8 के अनुपालन में पूर्वव्यापी मानक स्वीकृति अथवा इस मानक (संचयी दृष्टिकोण) को लागू करने के संचयी प्रभाव से पूर्वव्यापी दृष्टिकोण की अनुमति देता है

इंड एस 12 में संशोधन - आयकर

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2019 से इंड 12 परिशिष्ट में लागू आयकर उपाय पर अनिश्चितता के रूप में संशोधन अधिसूचित किया है। यह कर योग्य लाभ / हानि को निर्धारित करते हुए आयकर उपाय पर अनिश्चितता को लागू करता है। इंड एएस 12 में संशोधन लाभ अथवा हानि में लाभांश के आयकर परिणामों को पहचानने, ओसीआई अथवा इक्विटी जहाँ मूल रूप से पहचाना जाए, को स्पष्ट करता है। इंड एएस 8 और संचयी अप्रोच के साथ समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव के अनुसार/अनुपालन में होगा।

इंड एस 19 में संशोधन – कर्मचारी हितलाभ

30 मार्च, 2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने एक योजना में संशोधन, संक्षेप या निपटान के बाद शेष अवधि के लिए शुद्ध ब्याज के रूप में पिछली सेवा लागत निर्धारित करने के लिए अद्यतित मान्यताओं का उपयोग करने के लिए कर्मचारी लाभों के लिए इंड एस 19 में संशोधन अधिसूचित किया। कंपनी की वित्तीय विवरणी पर उक्त परिवर्तनों के प्रभाव की जांच और मूल्यांकन की प्रक्रिया में है तथा मानकों एवं संशोधनों का प्रभावी तिथि से पालन किया जाएगा। तथापि, कोई सामग्री प्रभाव कथित / नहीं माना जाता है।

नोट [58]

पिछली अवधि की त्रुटियां जो प्रत्यक्ष हैं, पूर्व अवधि (ओं) के लिए तुलनात्मक राशि को बहाल करके पूर्वव्यापी प्रभाव से ठीक की जाती हैं, जिसमें ऐसी त्रुटि हुई थी। त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई, संपत्ति की प्रारंभिक शेष राशि, प्रस्तुत अवधि के लिए देनदारियों और इक्विटी को बहाल किया जाता है।

नोट [59]

रुपये के निकटतम आंकड़े राउंड ऑफ किए गए हैं। करोड़ में दो दशमलव के साथ ।

नोट [60]

पिछले वर्ष के आंकड़े जहाँ भी, आवश्यक माना गया पुन: एकत्रित /पुन: व्यवस्थित किए गए हैं।

नोट [61]

दिनांक 27 मई, 2018 को आयोजित बैंक में निदेशक मंडल वित्तीय विवरणी 2018-19 जारी करने हेतु अधिकृत है।

निदेशक मंडल कि ओर से और उनके लिए

(राजीव कालरा)	**(सुबोध गुप्ता)**	**(अतुल सोबती)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.नं.14567	**डीआईएन 08113460**	**डीआईएन 06715578**

संलग्न तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कंपनी	**तिवारी एंड एसोशिएट्स**	**महेश सी. सोलंकी एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंटे	चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 002074एन	**एफआरएन-002870एन**	**एफआरएन-006228सी**
(सी.ए. गोपाल कृष्ण)	**(सी.ए. संदीप सांडिल)**	**(सीए. रजत जैन)**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
एम.नं. 081085	**एम.नं. 085747**	**एम.नं. 413515**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 27, 2019

वित्तीय विवरण

संक्युक्त वित्तीय विवरण 238

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (कंपनी) तथा सहायक कंपनी (होल्डिंग कंपनी और इसकी एक सहायक कंपनी को सामूहिक रूप से "समूह" के रूप में संदर्भित किया जाता है) और संयुक्त रूप से नियंत्रित तीन संस्थाओं /इकाइयों जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2019 तक की समेकित बैलेंस शीट भी शामिल है, का समेकित वित्तीय विवरणी का ऑडिट किया है लाभ एवं हानि की समेकित विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण तथा वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की समेकित विवरणी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश (बाद में समेकित वित्तीय विवरणी के रूप में संदर्भित) वित्तीय स्थिति ") का ऑडिट किया है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए विवरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत आवश्यक जानकारी को अपेक्षित तरीके से देते हैं तथा (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पठित अधिनियम (भारतीय लेखा मानक) यथासंशोधित (इंड एएस) नियम 2015 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप तथा भारत में स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखा सिंद्धांतों, दिनांक 31 मार्च, 2019 को कंपनी के कार्य की स्थिति, समेकित लाभ तथा कुल समेकित व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन की समेकित विवरणी और इसके समेकित नकदी प्रवाह की विवरणी की तिथि को/पर समाप्त हुए वर्ष का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

राय के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत विशेष लेखा परीक्षा मानदंडों (ऑडिट) के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। हमारा मानना है कि हमें जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे, समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मुख्य ऑडिट मामले

मुख्य ऑडिट मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि की समेकित वित्तीय विवरणी के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर अलग राय नहीं दी है। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मैटर	ऑडिटर की प्रतिक्रिया
दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से लागू इंड एस 115 को ध्यान में रखते हुए अन्य संबंधित शेष ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व "(राजस्व लेखा मानक) को अपनाते हुउ राजस्व की मान्यता/स्वीकृति की सटीकता, मापन, प्रस्तुतिकरण एवं प्रकटन वर्तमान वित्तीय वर्ष से नए राजस्व लेखांकन मानक के उपयोग में विभिन्न मुख्य आबध /दायित्वों, की पहचान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, लेनदेन मूल्य के निर्धारण के चिन्हित निष्पादन आबध, किसी अवधि में मान्यता प्राप्त राजस्व के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता तथा वित्तीय विवरणी जिसमें शेष का प्रस्तुतिकरण हो । अनुमानित प्रयास राजस्व का निर्धारण करने के लिए एक समीक्षात्मक अनुमान है, क्योंकि इसके लिए अनुबंध की प्रगति, आज तक किए गए प्रयास, शेष प्रदर्शन आबध / दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों पर विचार करना आवश्यक है। समेकित वित्तीय विवरण के नोट 52 का संदर्भ ग्रहण करें	मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया हमने नए राजस्व लेखांकन मानक को अपनाने के प्रभाव की चिन्हित करने के लिए समूह की कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया का मूल्यांकन/आकलन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में प्रक्रियाओं के डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण एवम संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण की प्रक्रिया निम्ननुसार है: • नए राजस्व लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन से संबंधित आतंरिक नियंत्रण के डिज़ाइन का मूल्यांकन किया गया। • मौजूदा चलते हुए अनुबंधों और नए अनुबंधों, तथा आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण, निष्पादन दायित्वों की पहचान संबंधी और लेनदेन मूल्य निर्धारण के नमूने का चयन किया गया। • नए राजस्व लेखांकन मानक के अनुपालन में संगत जानकारी, लेखांकन प्रणाली तथा अनुबंधों से संबंधित परिवर्तन तथा संगत जानकारी की रिकॉर्डिंग और प्रकटन राजस्व का परीक्षण किया गया। • अनुबंधों में माइलस्टोन प्राप्ति में संभावित विलंब की पहचान, जिनमें शेष निष्पादन दायित्वों को पूरा करने के लिए अनुमानित प्रयासों में परिवर्तन अपेक्षित है। • तर्कशीलता/विश्वसनीयता और अन्य संबंधित सामग्री मदों के लिए विवरणों का विश्लेषणात्मक प्रक्रियाऐं और टेस्ट किए गए।
व्यापार प्राप्य तथा अनुबंध परिसंपत्तियाँ का निर्धारण और प्रतिलब्धता 31 मार्च 2019 की समाप्ति पर कंपनी के पास रु. 15947.01 करोड़ का व्यापार प्राप्य (कुल) और रु. 15947.01 की अनुबंध परिसंपत्तियाँ (कुल) बकाया है। ये शेष इंड एएस 115 से संबंधित "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" के साथ चल रहे अनुबंधों और पूर्ण हुए अनुबंधों के लिए स्वीकृत राजस्व से संबंधित हैं। इसकी पुनर्प्राप्ति इसके आकार और उच्च स्तर के प्रबंधन निर्णय के कारण ऑडिट मामलों में महत्वपूर्ण है समेकित वित्तीय विवरण के नोट 6,10,12,17,52,(ड) का संदर्भ ग्रहण करें	मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया हमने व्यापार प्राप्यों और अनुबंध परिसंपत्तियों के राजस्व और समीक्षा तंत्र को पहचानने के लिए समूह की आंतरिक प्रक्रिया का आकलन किया है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में डिज़ाइनों की टेस्टिंग तथा आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता शामिल है: • ग्राहकों के साथ इनवायसिंग, सत्यापन और सामंजस्य की प्रक्रिया का मूल्यांकन । • परियोजनावार बकाया विवरण की सूची प्राप्त करना तथा प्रबंधन द्वारा इसकी समीक्षा करना। • व्यापार प्राप्य की हानि तथा निविदा परिसंपत्तियों पर कंपनी के दिशा-निर्देशों तथा नीतियों की समीक्षा करना। • सैम्पल आधार पर वर्ष के अंत में व्यापार प्राप्यों तथा निविदा परिसंपत्तियों की संगतता की जाँच करना • तर्कसंगगता, पुनर्प्राप्ति/प्रतिलब्धि और अन्य संबंधित सामग्री मदों के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रिया तथा विवरणों जाँच करना।

समेकित वित्तीय विवरण के अलावा अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाएं तैयार करने के संबंध में जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट सहित अनुबंध की रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर आश्वस्त निष्कर्ष के किसी भी रूप को अभिव्यक्त नहीं करते।

समेकित वित्तीय लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य जानकारी का अध्ययन और विचार करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है अथवा लेखा परीक्षा से प्राप्त हमारी जानकारी अन्यथा प्रतीत होती है कि भौतिक रूप से गलतब्यान की गई है।

हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी अन्य जानकारियों की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करनी आवश्यक हो सकती थी,इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी तो नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जो समेकित वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं, समेकित वित्तीय प्रदर्शन, समेकित कुल व्यापक आय, इस प्रकार की इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और इंडस्ट्रीज़ और अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार समूह के नकदी प्रवाह विवरण को भारत में आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोक थाम के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल है; यथोचित लेखांकन नीतियों का चयन और लागू करने के; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेक पूर्ण हैं; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी तरीके से संचालित हो रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है धोखाधड़ी या त्रुटि के कारणों और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं जो एक सटीक और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते देते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों के निदेशक मंडल समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो एक चिंतन, प्रकटीकरण के रूप में जारी रखने हेतु, लागू होने वाले मामलों, चिंतन से संबंधित मामलों और लेखांकन के चलते वैचारिक आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी हैं। जब तक प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

समूह में शामिल कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलतफहमियों से मुक्त हैं जिसमें चाहे धोखाधड़ी हो या त्रुटि के कारण हो, एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने हेतु जिसमें हमारी राय भी शामिल है। यथोचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार सम्पादित ऑडिट का अर्थ यह नहीं है कि वह किसी गलतब्यानी होने का पता लगा सकेगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रुप से, उन्हें यथोचित रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशे वर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हमारा यह भी कथन है कि :

- समेकित वित्तीय विवरणों की भौतिक गलतफहमी के जोखिमकी पहचान करने और उनका आकलन करने, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिम के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादन, तथा ऑडिट प्राप्त साक्ष्य जो कि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड भी शामिल हो सकती है।

- धारा 143 (3) के तहत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के डिजाइन करने हेतु परिस्थितियों के अनुरूप लेखा परीक्षार्थ प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना है।

  (i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनियों के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता है।

- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत लेखांकन अनुमानों,प्रयोग में लायी गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना है।

- चल रहे लेखांकन के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री की अनिश्चितता मौजूद है जो समूह की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है जो कि लेखा परीक्षा का एक विचारणीय विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होता है यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त पाए जाते हैं तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए उपयुक्त है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण उक्त समूह के संचालन कार्य को जारी रखना एक विचारणीय विषय बन सकता है।

- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन सहित खुलासे, क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हों।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबायनी का परिमाण है जो कि एकल अथवा समग्र रुप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता पर विचार करते हैं और (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना तैयार करने और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचान किए गएकिसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु गुणात्मक कारक हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश, समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसकी कि हम अपनीलेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित हैं।

उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता सहन करने हेतु उपयुक्त माना जा सकता है,जिनका कि हमने प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है इस विवरण के साथ शासन पर आरोपित संबंधित सुरक्षा उपाय जहां कहीं भी लागू हों हम उपलब्ध करवाते हैं।

शासन पर आरोप लगाने वाले मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो कि वर्तमान अवधि के दौरान समेकित वित्तीय विवरणोंकी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के विषय थे। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उन मामलों का ही वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या

विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करना होता है अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों मेंहम यह भी निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में ऐसे किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम निकल सकते है। इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ का अतिभार होगा।

अन्य मामले

(अ) हमने एक सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण कुल परिसंपत्ति को दर्शाते है। 31 मार्च, 2019 तक रु.13.03 करोड़ और निवल संपत्ति रु.13.73 करोड़, कुल राजस्व रु.18.76 करोड़ और निवल नकद प्रवाह घटा कर रु.2.23 करोड़ है, जो कि उस वर्ष की समाप्ति तिथि को समेकित माना जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी में समूह की कुल आय रु.7.03 करोड़ का शुद्ध लाभ और 31 मार्च, 2019 को समाप्य वर्ष के लिए रु.0.02 करोड़ की अन्य व्यापक आय सम्मिलित है, जैसा कि संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है [एक सहयोगी और एक संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी] । इन वित्तीय विवरणों की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन वर्ग द्वारा हमें प्रस्तुत की गई और समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय दी गई है, जहां तक यह इन सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराओं (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जैसा कि यह पूर्वोक्तसहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(ब) हमने दो संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है । समेकित वित्तीय विवरणी में समूह की कुल हिस्सेदारी रु.212.63 करोड़ का घाटा और अन्य व्यापक आय रु। 31 मार्च, 2019 को समाप्य वर्ष में शून्य है, जैसा कि संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है। ये वित्तीय विवरण लेखा परीक्षित नहीं हैं और प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरणियोंपर हमारी राय युक्त है, जहां तक संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे से संबंधित है, और उक्त के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट - अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के तहत अब तक यह संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह से ऑडिट न किए गए वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, इस विषय में हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है।

पॉवर प्लांट पर फॉरमेंस इम्प्रूवमेंट्स लिमिटेड के खातों को बीएचईएल के एक संयुक्त उद्यम के रूप में समेकित नहीं किया गया है क्योंकि उक्त कंपनी परिसमापन अधीन है और इक्विटी निवेश की पूरी राशि प्रदान की गई है। दादा धुनीवालेखंडवा पावर लिमिटेड के खातों को भी समेकित नहीं किया गया है क्योंकि निवेश प्रदान किया गया हैऔरउक्त कंपनी परिसमापन अधीन है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय परिवर्तित नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1.सहायक कंपनी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार के आधार पर तथा हमारी लेखा परीक्षा के आधार परअधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकता के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों को "अन्य मामलों" पैराग्राफ में उल्लिखित किया गया है, हमलागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण, हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरण की तलाश की जो कि हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित पुस्तकों को अभी तक रखा गया है जैसा कि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रकट होता है;

(ग) समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी का उद्देश्यइक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए समेकित नकदी प्रवाह विवरण खाते की संबंधित पुस्तकों के साथ अनुबंध में हैं;

(घ) हमारे विचार से, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 की धारा 113 के तहत उल्लिखित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार अन्य लेखांकन सिद्धांत, जैसा कि आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं;

(ड.) सं.जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05-06-2015 के तहत जारीअधिसूचना के अनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय केकंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है;

(च) होल्डिंग कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों को भारत में शामिल किया गया है तथा इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता पर हमारी रिपोर्टअलग से"अनुबंध ए" में संदर्भित है। कंपनी (लेखा परीक्षा एवं(लेखा परीक्षक) अधिनियम2014के नियम 11 के तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले हैं।

(छ) अन्य विषयों के संबंध में हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए सपष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखा परीक्षा

एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के तहत तथा हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के विचार के आधार पर और साथ ही सहायक कंपनी की अन्य वित्तीय जानकारी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के रूप में नोट किया गया। "अन्य मामलों में" पैराग्राफ;

(i) समेकित वित्तीय विवरणी समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट करती है। संदर्भ नोट 42 समेकित वित्तीय विवरणी

(ii) लंबी अवधि के अनुबंधों पर सामग्री की हानि, यदि कोई है, के पूर्वाभास के लिए लागू नियम अथवा भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत अपेक्षित समेकित वित्तीय विवरणी में प्रावधान बनाए गए हैं। समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित मदों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणी के संदर्भ में नोट 51 तथा

(ii) होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ जिन्हें भारत में शामिल किया गया है, के द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, अपेक्षित राशि ट्रांसफर करने में कोई देरी नहीं की गई है।

अनुबंध "ए"

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, भारत में अलग-अलग तारीखों के परिणाम का लेखा-जोखा

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के तहत

31 मार्च, 2019को समाप्य वर्ष यथा उक्त दिनांक को कंपनी के समेकित उद्योग के वित्तीय विवरण हमारे लेखा परीक्षा के साथ, हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की,(अध्योपरांत"होल्डिंग कंपनी" के रुप में संदर्भित होगा) ।एक सहायक और तीन संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियों के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा नहीं की गई,जिनमें से एक संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनी हैऔर एक सहायक कंपनी की, दूसरे लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई और संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनीलेखा परीक्षित नहींहैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी के संबंधित बोर्ड के निदेशकमंडल, इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां, जो भारत में शामिल कंपनियां हैं, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के घटक,इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे,जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम का पता लगाना शामिल है। त्रुटियों, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता, पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्वलेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंगआधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय लेखा परीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कीलेखा परीक्षा(आईसीएआई द्वारा जारी किए गए "मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआईके मानक एवंआईसीएआई द्वारा जारी किए गए मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा का संचालन किया गया जो कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तकइंस्टीट्यूटऑफ चार्टर्डएकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए कंपनी अधिनियम, 2013की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माने जाते है। उक्त मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्तार्थमार्गदर्शन नोट के तहत लेखा परीक्षा कर यह भी सुनिश्चित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं देना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी है, मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हो।

हमेंविश्वासहै किहमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट के संदर्भ में नीचे दिए गए ऑडिट साक्ष्य,अन्य सामग्री पैराग्राफ में दी गई हैं, कंपनी की वित्तीयनियंत्रण प्रणाली पर वित्तीय रिपोर्टिंगएवं आंतरिक लेखा परीक्षा पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी की बाबत में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती है जो कि (1)रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, यथोचित रुप से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यथोचित रुप से आश्वस्त करते हैं कि लेन-देन के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुरूप अनुमति प्रदानार्थ रिकार्ड किया जाता है, कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) अनाधिकृतअधिग्रहण, उपयोग, या कंपनी की संपत्ति का निपटान जो कि वित्तीय विवरणों को वस्तुगत रुप में प्रभावित कर सकता है का समय रहते पता लगाने व रोकथाम का उचित आश्वासन प्रदान करना है।

कृते राज हर गोपाल एवं कंपनी	कृते तिवारी एवं एसोसिएट्स	कृते महेश सी सोलंकी एंड कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट	चार्टड एकाउंटेंट	चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 002074N	एफआरएन 002870N	एफआरएन 006228C
(सीए गोपाल कृष्ण)	(सीए संदीप संदिल्ल)	(सीए रजत जैन)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सद.संख्या 081085	सद.संख्या 085747	सद.संख्या 413515

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2019

अनुबंध “ए”

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, भारत में अलग-अलग तारीखों के परिणाम का लेखा-जोखा

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2019 को समाप्य वर्ष यथा उक्त दिनांक को कंपनी के समेकित उद्योग के वित्तीय विवरण हमारे लेखा परीक्षा के साथ, हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की, (अध्योपरांत"होल्डिंग कंपनी” के रुप में संदर्भित होगा)। एक सहायक और तीन संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियों के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा नहीं की गई, जिनमें से एक संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनी है और एक सहायक कंपनी की, दूसरे लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई और संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनी लेखा परीक्षित नहीं हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी के संबंधित बोर्ड के निदेशक मंडल, इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां, जो भारत में शामिल कंपनियां हैं, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के घटक, इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम का पता लगाना शामिल है। त्रुटियों, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता, पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय लेखा परीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कीलेखा परीक्षा (आईसीएआई द्वारा जारी किए गए “मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआईके मानक एवं आईसीएआई द्वारा जारी किए गए मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा का संचालन किया गया जो कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए कंपनी अधिनियम, 2013की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माने जाते है। उक्त मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्तार्थ मार्गदर्शन नोट के तहत लेखा परीक्षा कर यह भी सुनिश्चित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं देना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी है, मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हो।

हमें विश्वास है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट के संदर्भ में नीचे दिए गए ऑडिट साक्ष्य,अन्य सामग्री पैराग्राफ में दी गई हैं, कंपनी की वित्तीयनियंत्रण प्रणाली पर वित्तीय रिपोर्टिंगएवं आंतरिक लेखा परीक्षा पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्रय उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी की बाबत में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती है जो कि (1)रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, यथोचित रुप से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और

निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यथोचित रुप से आश्वस्त करते हैं कि लेन-देन के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुरूप अनुमति प्रदानार्थरिकार्ड किया जाता है, कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या कंपनी की संपत्ति का निपटान जो कि वित्तीय विवरणों को वस्तुगत रुप में प्रभावित कर सकता है का समय रहते पता लगाने व रोकथाम का उचित आश्वासन प्रदान करना है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ

चूँकि, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ हैं जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रण का ओवरराइड, त्रुटि या जालसाजी के कारण गलत ब्यान तथा उनका पता न लग पाना शामिल है। इसके अलावा, भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अधीन किसी भी मूल्यांकन का अनुमान रहे, इस जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों के अनुपालन की डिग्री अथवा प्रक्रियाएं बिगड़ सकती है।

अन्य मुद्दे

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट एक सहायक कंपनी और तीन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित है, जो भारत में शामिल कंपनियां हैं, से संबंधित एक संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के लेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट तथा भारत में निगमित एक सहायक कंपनी और अन्य दो संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के प्रबंधन प्रमाण पत्र पर आधारित है, जो भारत में शामिल है।

राय

हमारी राय में होल्डिंग कंपनी, इसकी एक सहायक कंपनी और तीन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं, जो भारत में शामिल की गई संस्थाएं हैं, सभी प्रत्यक्ष मामलों में, 31 मार्च, 2019 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रही है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड पर आधारित हैं।

कृते राज हर गोपाल एवं कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 002074N

(सीए गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सद.संख्या 081085

कृते तिवारी एवं एसोसिएट्स
चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 002870N

(सीए संदीप संदिल्ल)
भागीदार
सद.संख्या 085747

कृते महेश सी सोलंकी एंड कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 006228C

(सीए रजत जैन)
भागीदार
सद.संख्या 413515

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2019

सत्यमेव जयते

गोपनीय

No. MAB-III/REP/03-03/Acs-CFS BHEL/2019-20/239

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-III

नई दिल्ली

Indian Audit & Accounts Department

OFFICE OF THE

PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III

NEW DELHI

दिनांक/Dated: 11/07/2019

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली - 110049

विषय: 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के Consolidated Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) एवं धारा 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के **Consolidated Financial Statements** पर कम्पनी अधिनियम, **2013 की धारा 143 (6) (b)** एवं धारा 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि।

(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवा तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10 बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली 110002.
6th & 7th floor, Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110 002
Ph. 23239227; Fax 23239211; e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019

The preparation of consolidated financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) read with section 129 (4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 27 May 2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2019 under section 143(6) (a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited, but did not conduct supplementary audit of the financial statements of subsidiaries, associate companies and jointly controlled entities listed in Annexure I for the year ended on that date. Further , Section 139(5) and 143(6)(b) of the Act are not applicable to BHEL-GE Gas Turbine Services Limited, being a private entity for appointment of their statutory auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the statutory auditors nor conducted the supplementary audit of the Company. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6) (b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Rajdeep

(Rajdeep Singh)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board – III,
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 11 July 2019

Annexure I

List of subsidiaries, associate companies and jointly entities whose financial statements were not audited by the Comptroller And Auditor General of India

A. Subsidiaries Companies

1. BHEL Electrical Machines Limited

B. Joint Ventures Companies

1. NTPC-BHEL Power Projects Private Limited
2. Raichur Power Corporation Limited

समेकित बैलेंस शीट– 31मार्च, 2019 को

(रु. करोड़ों में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
क. परिसम्पत्तियां					
(1) गैर चालू सम्पत्तियां					
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3a		2887.39		2981.90
ख) प्रगति निर्माणाधीन कार्य पूंजी	3b		223.21		194.53
ग) अमूर्त सम्पत्ति	4a		83.07		91.31
घ) विकास शील अमूर्त सम्पत्ति	4b		12.23		8.23
ङ) इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए किया गया निवेश	5		149.42		409.05
च) वित्तीय सम्पत्तियां					
(i) निवेश	5a	2.94		19.92	
(ii) व्यवसाय प्राप्य	6	3935.09		3438.55	
(iii) ऋण	7	82.82		84.28	
(iv) अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	8	-	4020.85	0.02	3542.77
छ) आस्थगित कर परिसम्पत्ति (शुद्ध देनदारियां)	9		3522.61		3632.43
ज) अन्य गैर चालू सम्पत्तियां	10		14671.78		10470.22
कुल गैर चालू सम्पत्तियां			25570.56		21330.44
2 चालू सम्पत्तियां					
क) माल सूची	11		8116.24		6263.15
ख) वित्तीय सम्पत्ति					
(i) व्यासायिक प्राप्य	12	12011.92		14064.68	
(i) नगद और नगद समकक्ष	13a	795.74		2768.81	
(ii) नगद और नगद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक बैलेंस	13b	6707.80		8407.47	
(iii) ऋण	14	157.71		144.39	
अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	15	165.40	19838.57	153.26	25538.61
(iv) वर्तमान कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध)	16		-		222.94
(v) अन्य चालू सम्पत्तियाँ	17		10393.90		10118.47
कुल चालू सम्पत्ति			38348.71		42143.17
कुल सम्पत्ति			63919.27		63473.61
B. इक्विटी और देयता					
(1) इक्विटी					
(a) इक्विटी शेयर पूंजी	18		696.41		734.28
(b) अन्य इक्विटी	18a		30175.97		31600.71
			30872.38		32334.99
गैर नियंत्रित लाभ			(6.73)		(4.05)
कुल इक्विटी			30865.66		32330.94

समेकित बैलेंस शीट– 31मार्च, 2019 को

(रु. करोड़ों में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
देनदारियां					
(2) गैर चालू देनदारियां					
क) वित्तीय देनदारियां					
(i) उधारी	19	95.45		57.18	
(ii) व्यावसायिक भुगतान	20				
(i) सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों का कुल बकाया		-		-	
(ii) सूक्ष्म उद्योगों तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया		702.87		481.75	
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	21	91.29	889.61	114.41	653.34
ख) प्रावधान	22		5467.43		4984.89
ग) गैर चालू अन्य देनदारियां	23		3615.88		3636.68
कुल गैर चालू देनदारियां			9972.92		9274.91
(3) चालू देनदारियां					
(a) वित्तीय देनदारियां					
(i) उधारी	24	2470.11		10.28	
(ii) व्यापारिक भुगतान	25				
(i) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की कुल देनदारियां		361.17		283.96	
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया		11019.81		10305.29	
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	26	2070.24	15921.33	2271.38	12870.91
(b) प्रावधान	27		2488.94		3729.30
(c) वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)	16		91.34		-
(d) अन्य वर्तमान देनदारियां	28		4579.08		5267.55
कुल वर्तमान देनदारियां			23080.69		21867.76
कुल देनदारियां			33053.61		31142.67
कुल इक्विटी और देनदारियां			63919.27		63473.61
तैयारी का आधार , मापन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				
साथ में दिए गए नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं					

निदेशक मंडल कि ओर से और उनके लिए

(राजीव कालरा)
कम्पनी सचिव
एम.नं.14567

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08113460

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06715578

संलग्न तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 002074एन

(सी.ए. गोपाल कृष्ण)
पार्टनर
एम.नं. 081085

तिवारी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंटे
एफआरएन-002870एन

(सी.ए. संदीप सांडिल)
पार्टनर
एम.नं. 085747

महेश सी. सोलंकी एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन-006228सी

(सीए. रजत जैन)
पार्टनर
एम.नं. 413515

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 27, 2019

लाभ और हानि का समेकित विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ों में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
परिचालन से राजस्व	29		**30367.65**		28827.48
अन्य आय	30		**661.52**		679.24
कुल आय			**31029.17**		29506.72
व्यय					
सामग्री खपत, निर्माण और इंजिनियरिंग खर्च	31		**19320.20**		15907.27
तैयार माल और प्रगतिशील कार्य की इनवेंट्री में परिवर्तन	32		**(1071.67)**		739.00
कर्मचारी लाभों पर व्यय	33		**6268.92**		6075.55
निर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण पर व्यय	34		**2698.49**		2003.36
प्रावधान	35		**1072.66**		2240.24
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	3.1/4.1		**475.74**		787.33
वित्तीय खर्च	36		**288.01**		255.16
घटाएं : आंतरिक उपयोग के लिए पूंजी व्यय			**58.88**		106.82
कुल व्यय			**28993.47**		27901.09
विशेष मदों और कर से पूर्व लाभ			**2035.70**		1605.63
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों के शुद्ध लाभ / (हानि) का हिस्सा			**(185.60)**		(390.76)
कर से पूर्व लाभ / (हानि)			**1850.10**		1214.87
कर पर व्यय	37				
अ) वर्तमान कर		**735.07**		578.67	
इ) आस्थगित कर		**105.87**	**840.94**	198.01	776.68
(क) वर्ष के लिए लाभ			**1009.16**		438.19
अन्य व्यापक (विस्तृत) आय	38				
वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (शुद्ध कर)					
निर्धारित कर्मचारी लाभों का पुनःआकलन			**(119.17)**		83.30
संयुक्त उद्यमों के अन्य व्यापक आय का हिस्सा इक्विटी प्रणाली के उपयोग हेतु			**0.02**		0.18
(ख) वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय			**(119.15)**		83.48
(क+ख) वर्षों के लिए कुल व्यापक आय			**890.01**		521.67
अन्य कारकः					
मूल के इक्विटी धारक			**892.69**		524.63
अनियंत्रित ब्याज			**(2.68)**		(2.96)
			890.01		521.67

लाभ और हानि का समेकित विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ों में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष भर के लिए कुल अन्य व्यापक आय			
अन्य कारक:			
मूल के इक्विटी धारक		**(119.15)**	83.47
गैर नियंत्रित ब्याज		**-**	0.01
		(119.15)	83.48
वर्षभर का कुल लाभ			
मूल के इक्विटी धारक		**1011.84**	441.16
गैर–नियंत्रित ब्याज		**(2.68)**	(2.97)
		1009.16	438.19
प्रति इक्विटी शेयर आय	39		
(1) मूल [प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये]		**2.78**	1.19
(2) मिश्रित [प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये]		**2.78**	1.19
तैयारी का आधार, मापन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		

साथ में दिए गए नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं

निदेशक मंडल कि ओर से और उनके लिए

(राजीव कालरा)
कम्पनी सचिव
एम.नं.14567

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08113460

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06715578

संलग्न तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 002074एन

(सी.ए. गोपाल कृष्ण)
पार्टनर
एम.नं. 081085

तिवारी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंटे
एफआरएन-002870एन

(सी.ए. संदीप सांडिल)
पार्टनर
एम.नं. 085747

महेश सी. सोलंकी एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन-006228सी

(सीए. रजत जैन)
पार्टनर
एम.नं. 413515

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 27, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

(रु. करोड़ों में)

2 रुपये मूल्य के जारी सभी इक्विटी शेयर, अभिदत्त और पूर्णतः भुगतान किए हुए	शेयरों की संख्या		राशि	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
समयावधि के आरम्भ में शेष राशि	**3671400000**	2447600000	**734.28**	489.52
जोड़ेः वर्ष के दौरान आबंटित बोनस शेयर	**-**	1223800000	**-**	244.76
घटायेंः वापिस खरीदे गए शेयर	**189336645**	-	**37.87**	-
समयावधि के अंत में शेष राशि	**3482063355**	3671400000	**696.41**	734.28

ख. अन्य इक्विटी

31मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ों में)

विवरण	भंडार और अधिशेष				अन्य व्यापक आय के अन्य मद	कुल अन्य इक्विटी	गैर नियंत्रण ब्याज
	पूंजी भंडार	ऋणमुक्ति पूंजी भंडार	सार्वजनिक भंडार	प्रतिधारित आय			
01अप्रैल, 2018 को शेष राशि	**35.18**	**-**	**32,104.96**	**(517.45)**	**(21.98)**	**31,600.71**	**(4.05)**
जोड़ें : इंड एएस –115 परिवर्तन समायोजन	-	-		**126.49**	-	**126.49**	-
घटायेंः समायोजन (2017–2018 के लिए ऑडिटिड और अनऑडिट हानि)	-	-		**57.87**	-	**57.87**	-
जोड़ें वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-		**1,011.86**	**(119.17)**	**892.69**	**(2.68)**
घटायें : पूंजी रिडेमप्शन रिजर्व में स्थानांतरण	-	**37.87**	**37.87**	-	-	-	-
घटायेंरू बायबैक से सम्बंधित लेन देन व्यय [नोट 18]	-	-	-	**8.32**	-	**8.32**	-
घटायें : बायबैक पर भुगतान की गयी राशि [नोट 18]	-	-	**1590.43**	-	-	**1590.43**	-
घटायें : वित्त वर्ष 2017–18 के लिये अंतिम लाभांश [नोट 40]	-	-		**374.49**	-	**374.49**	-
घटायें : वित्त वर्ष 2018–19 के लिये अंतरिम लाभांश [नोट 40]	-	-		**278.57**	-	**278.57**	-
घटायें : लाभांश वितरण कर [नोट 40]	-	-		**134.24**	-	**134.24**	-
31 मार्च, 2019 को शेष राशि	**35-18**	**37.87**	**30,476.66**	**(232.59)**	**(141.15)**	**30,175.97**	**(6.73)**

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ों में)

विवरण	भंडार और अधिशेष				अन्य विस्तृत आय के दूसरे मद	कुल अन्य इक्विटी	अनियंत्रित ब्याज
	पूजी भंडार	पूंजी मोचन भंडार	सामान्य भंडार	प्रतिधारित कमाई			
01 अप्रैल, 2017 को शेष राशि	**35.18**	**-**	**32,349.72**	**(380.15)**	**(105.28)**	**1,899.47**	**(1.08)**
जोड़ें : समायोजन (वर्ष 2016–17 के लिए अंकेक्षित और अनंकेक्षित लाभ /हानि	-	-	-	4.66	-	4.66	-
जोड़ें: वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	-	441.33	83.30	524.63	-
घटायें : वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अंतिम लाभांश [नोट 40]	-	-	-	190.92	-	190.92	2.96
घटायें: वित्त वर्ष 2017–18 के लिए अंतरिम लाभांश [नोट 40]	-	-	-	293.71	-	293.71	-
घटायें : लाभांश वितरण कर [नोट 40]	-	-	-	98.66	-	98.66	-
घटायें: जारी किए गए बोनस शेयर [नोट 18]	-	-	244.76	0.00	-	244.76	-
31 मार्च, 2018 को शेष राशि	**35.18**	**-**	**32,104.96**	**(517.45)**	**(21.98)**	**31,600.71**	**(4.05)**

निदेशक मंडल कि ओर से और उनके लिए

(राजीव कालरा)
कम्पनी सचिव
एम.नं.14567

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08113460

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06715578

संलग्न तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 002074एन

(सी.ए. गोपाल कृष्ण)
पार्टनर
एम.नं. 081085

तिवारी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंटे
एफआरएन-002870एन

(सी.ए. संदीप सांडिल)
पार्टनर
एम.नं. 085747

महेश सी. सोलंकी एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन-006228सी

(सीए. रजत जैन)
पार्टनर
एम.नं. 413515

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 27, 2019

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु
क. परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकद		
कर पूर्व लाभ	**1850.10**	1214.87
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
प्रावधान	**1739.15**	2198.75
मूल्यह्रास और परीशोधन	**475.74**	787.33
वित्तीय लागत (ब्याज की छूट सहित)	**288.01**	255.16
संयुक्त उद्यमों और निवेशों में हानि का हिस्सा	**185.60**	390.76
डूबे ऋण, निर्णीत हर्जाना व बट्टे –खाते डाले गए व्यय	**93.18**	41.49
उचित मूल्य समायोजन	**-**	60.63
ब्याज व लाभांश से आय राइट	**(599.44)**	(601.49)
राइट बैक की गई देयताएं	**(181.05)**	(97.01)
म्यूचुअल फंड यूनिटों के विक्रय से लाभ	**(17.00)**	(25.85)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में से किसी मद के विक्रय से लाभ	**(2.25)**	(9.41)
ईक्विटी शेयर में निवेश से उचित मूल्य (लाभ)/हानि	**(0.02)**	1.01
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालनों से प्राप्त नकद	**3832.02**	4216.24
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन		
व्यापारिक प्राप्तियां एवं ठेका परिसंपत्तियां	**(4594.29)**	(6340.91)
माल सूची	**(1942.16)**	1000.34
ऋण, अग्रिम व अन्य संपत्तियों	**(188.73)**	(711.64)
उप योग	**(6725.18)**	(6052.21)
व्यापारिक देयताएं	**981.65**	1743.92
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, जमा एवं अन्य	**(932.55)**	1224.86
प्रावधान	**(620.85)**	(186.89)
उप योग	**(571.75)**	2781.89
कुल नकदी (उपयोग की गई) / कार्यशील पूंजी से	**(7296.93)**	(3270.32)
परिचालन से प्राप्त नकद	**(3464.91)**	945.92
आय कर से वापसी	**408.68**	720.42
आय कर भुगतान	**(829.47)**	(677.27)
परिचालन से उत्पन्न कुल नकदी प्राप्ति	**(3885.70)**	989.07
ख. विनिवेश गतिविधियों से नकदी प्राप्ति		
बैंक जमा का नकदीकरण (छूट) / परिपक्वता (जिसकी मूल परिपक्वता 3 माह से अधिक है)	**1700.22**	600.45
प्राप्त ब्याज	**591.98**	653.84
संयुक्त उद्यमों से प्राप्त राशि	**17.30**	-
म्युचुअल फंड्स से प्राप्त लाभ	**17.00**	36.67
संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश	**16.18**	14.76
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के विक्रय से आय	**1.02**	11.46
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का क्रय	**(425.34)**	(281.25)
संयुक्त उद्यमों में निवेश	**-**	(74.72)
कुल नकदी (उपयोग की गई) / विनिवेश गतिविधियों से	**1918.36**	961.21

नकदी प्राप्ति का समेकित विवरण
31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहः		
अल्पावधि ऋण से आय	2459.83	3.83
वित्तीय पट्टे की देयता से आय/चुकौती	54.45	(49.99)
ईक्विटी शेयरों का पुनः क्रय (प्रीमियम भुगतान सहित)	(1628.29)	-
प्रदत्त लाभांश	(652.75)	(484.63)
लाभांश वितरण पर कर का भुगतान	(134.24)	(98.66)
ब्याज का भुगतान	(96.41)	(37.94)
वापिस खरीद पर व्यय	(8.32)	-
वित्त पोषण गतिविधियों से कुल नकदी / (उपयोग की गई) / (देखें बिंदु 3)	(5.73)	(667.39)
घ. नकदी व नकदी समतुल्य में कुल वृद्धि/ (ह्रास)	(1973.07)	1282.89
नकदी व नकदी समतुल्य का प्रारंभिक शेष	2768.81	1485.92
नकदी व नकदी समतुल्य का अंतिम शेष [देखें नोट 13 क]	795.74	2768.81

(1) भारतीय लेखा मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण में यथाविनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।
(2) जहॉं भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत कर दिए गए हैं।
(3) वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह में वर्ष के दौरान कोई गैर नकदी मद नहीं है।.
(4) नकदी व एक्सचेंज वेरिएशन ट्रांसलेशन लाभ सहित नकदी समतुल्य का 31 मार्च 2019 को अंतिम शेष रू. 0.02 करोड़ है (पिछला 31 मार्च 2019 को 0.41 करोड)

निदेशक मंडल कि ओर से और उनके लिए

(राजीव कालरा)
कम्पनी सचिव
एम.नं.14567

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08113460

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06715578

संलग्न तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 002074एन

तिवारी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंटे
एफआरएन-002870एन

महेश सी. सोलंकी एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन-006228सी

(सी.ए. गोपाल कृष्ण)
पार्टनर
एम.नं. 081085

(सी.ए. संदीप सांडिल)
पार्टनर
एम.नं. 085747

(सीए. रजत जैन)
पार्टनर
एम.नं. 413515

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 27, 2019

टिप्पणी [1] कंपनी के बारे में जानकारी

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("बीएचईएल" अथवा "कंपनी") भारत में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है एवं इसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली –110049 है।

कंपनी एक एकीकृत बिजली संयंत्र उपकरण निर्माता है जो अभिकल्प, अभियंत्रण, उत्पादन, इरेक्शन, परीक्षण, कमीशनिंग सेवाओं में काम कर रही है एवं अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, पारेषण, परिवहन, उद्योग, अक्षय ऊर्जा, तेल, गैस और रक्षा को विभिन्न प्रकार के उत्पाद व सेवाऐं प्रदान करता है।

कंपनी की एक सहायक कंपनी बीएचईएल– इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड एवं संयुक्त उद्यम कंपनियां बीएचईएल–जीई गैस टरबाईन सर्विस लिमिटेड, एनटीपीसी– बीएचईएल पावर प्रोजैक्ट्स लिमिटेड, रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर प्लांट परफोमंस इंप्रुवमेंट लिमिटेड और दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड नाम से हैं।

टिप्पणी [2] तैयारी व आकलन के आधार एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

क) अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के अनुपालन में यथा अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) और उसके अनुवर्ती संशोधनों के साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू अतिरिक्त अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ख) आकलन का आधार

वित्तीय विवरण, प्रचलित प्रणालियों और लेखाकरण की वर्तमान पद्धति के अनुसार तैयार किए गए हैं। नीति में अन्यथा वर्णित को छोड़कर वित्तीय विवरण तैयार करते समय परंपरागत लागत का प्रयोग किया जाता है।

ग) कार्यात्मक एवं दर्शाई गई मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में तैयार किए गए हैं जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

घ) अनुमानों एवं निर्णयों का उपयोग

प्रबंधन द्वारा लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं संपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय की सूचित मात्राओं को प्रभावित करने वाले निर्णयों, आकलनों व मान्यताओं के निर्धारण की आवश्यकता को प्रतिपादित करने वाले भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। किए गए अनुमान एवं निहित पूर्वधारणाएं अनवरत रूप से पुनरीक्षित की जाती हैं। लेखाकरण अनुमानों में संशोधनों को प्रत्याशित प्रभाव से मान्यता दी जाती है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण अनुमान एवं निर्णय

वित्तीय विवरणों में लेखांकन नीतियों को लागू करने हेतु निर्धारित किए गए अनुमान एवं निर्णय जो मान्यता प्राप्त राशियों पर महत्तवपूर्ण प्रभाव डालते हैं, निम्नानुसार है:

i) राजस्व

कम्पनी निर्माण अनुबंधों के संबंध में राजस्व की गणना के लिए लागत –ष्टिकोण इनपुट पद्धति का उपयोग करती है। इनपुट पद्धति के उपयोग हेतु कंपनी को आवश्क है कि वह अपने निष्पादन आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि की अनुमानित लागत के संगत लागत को अनुमानित करे। अनुबंध की अवधि के दौरान अनुमानों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनरू आकलन करती है।

कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान परिस्थितियों एवं रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिस्थितियों में परिवर्तन को ईमानदारी से प्रदर्शित करने हेतु प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में अपने अनुमानित लेनदेन मूल्य को अद्यतन करती है।

ii) सम्पत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी

आवधिक मूल्यहा्स के संबंध में प्रभार परिसम्पत्तियों का अनुमानित उपयोग काल और इसकी उपयोग अवधि की समाप्ति के बाद अनुमानित बचत मूल्य के आंकलन के बाद व्युत्पन्न किया जाता है। प्रबंधन द्वारा मूल्यह्रास पद्धति, कंपनी की परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्य का आकलन संपत्ति के उपार्जन के समय किया जाता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी समीक्षा की जाती है।

iii) कर्मचारी हितार्थ योजनाएं

कर्मचारी परिभाषित हितलाभ योजना और दीर्घकालीन हितलाभ योजना की गणना बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर की जाती है। तथापि, इन मान्यताओं में कोई भी परिवर्तन देयता एवं व्यय की दर्ज मात्रा पर प्रभाव डाल सकता है।

iv) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार प्रावधानों को मान्यता प्रदान करने हेतु मूल्यांकन प्रारंभ किए गए हे एवं एवं आकस्मिकताओं स्थान दिया गया है।

2. सम्पत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी (पीपीई)

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर अल्प संचित मूल्यह्रास एवं संचित इम्पेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, को लागत में से घटाने के बाद प्राप्त किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (संविदा के अधीन विदेश में प्रयुक्त को छोड़कर), पर मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 में निर्धारित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार स्ट्रेट लाइन मेथड से प्रभारित किया जाता है, किंतु निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिनका उपयोगी जीवनकाल तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है:

	वर्ष
ईरेक्शन उपस्कर, पूंजीगत औजार व सामग्री	5
जल एवं मल निकासी व जल आपूर्ति	30
सर्वर व नेटवर्क	5
सौर उर्जा उत्पादन संयंत्र	25

मूल्यह्रास पद्धति, उपयोग अवधि एवं शेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और इनमें परिवर्तन, यदि कोई हो, की गणना प्रत्याशित रूप से की जाती है।

पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में, जब तक यह यथोचित रूप से निश्चित न हो जाए कि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर कपनी संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त कर लेगी, तब तक पट्टे की अपेक्षाकृत कम अवधि पर और उसके उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। फ्रीहोल्ड भूमि को मूल्यह्रासित नहीं किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण जिनकी लागत : 10, 000/– या उससे कमहै और जिनका वर्ष के प्रारंभ में राइट ऑफ किया गया मूल्य रु.10, 000/–या उससे कम हो, का पूर्णतः मूल्यह्रास किया जाता है।

संस्थापना/परियोजना स्थल परः सड़कों, पुलों और नालों की लागत को अनुबंध की अवधि की समाप्ति पर पूर्णतः परिशोधित किया जाता है जबकि, शेड, रेलवे साइडिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन और अन्य समरूप कार्यों (अस्थायी संरचना को छोड़कर) को बचत मूल्य, यदि कोई हो, को प्राप्त करने के बाद संविदा की अवधि की समाप्ति पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

दीर्घावधि संविदा के अनुपालन में भारत से बाहर प्रयुक्त परिसम्पत्तियों को प्रारंभिक संविदा की अवधि के समाप्त होने पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

अस्थायी संरचनाओं को निर्माण वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

विभिन्न जीवन काल वाले उल्लेखनीय कम्पोनेंट की गणना की जाती है और अलग से मूल्यहृास किया जाता है।

बीएचईएल–जीई गैस टरबाइन सर्विस लिमिटेड के मामले में

मूल्यह्रास उन परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन मेथड से किया जाता है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–ii के तहत निर्धारित दरों से बराबर / कम हैं।परिसंपत्तियों के वास्तविक उपयोग को प्रतिबिंबित करने के लिए, संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है।

विभिन्न उपयोगी जीवनकाल वाले महत्वपूर्ण घटकों की गणना की जाती हैऔर अलग से मूल्यह्रास किया जाता है।

परिसंपत्ति का प्रकार	अनुमानित उपयोगीजीवन काल (वर्षों में)
प्लांट व मशीनरी	2.15
इलेक्ट्रिकल पनाएं	3.10
फर्नीचर व क्चर्स	1.8
कम्प्यूटर्स	3
कार्यालय उपस्कर	3.5

वित्त पट्टे के अंर्तगत परिसंपत्तियां पट्टे की अवधि या उपयोगी जीवन काल, जो भी कम हो, पर परिशोधित होती है।

रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में

सीईआरसी विनियमन 2009 में निर्दिष्ट दरों पर स्ट्रेट लाइन मेथड पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। उन संपत्तियों के संबंध में जिनके लिए सीईआरसी नियमों में दरों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, वे कंपनी एक्ट, 2013 के अनुसूची ii के अंतर्गत निर्दिष्ट दरों प्रदान किया जाता है।

परिसंपत्तियों को लागत के 90% की सीमा तक मूल्यह्रासित किया जाता है 10% को अवशिष्ट मूल्य के रूप में रखा बचाए जाता है।

परिसंपत्तियों की वृद्धि पर मूल्यह्रास, वृद्धि होने की तिथि के निरपेक्ष पूरे वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। संपत्ति के विक्रय/ परित्याग/ विनष्टीकरण के वर्ष में विक्रय की गई/ परित्यक्त संपत्तियों पर मूल्यह्रास लागू नहीं किया जाता है। रू 5, 000 तक की लागत की व्यक्तिगत परिसंपत्तियों पर उस वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास लागू किया जाता है, जिस वर्ष में उनका उपयोग आरंभ किया जाता है।

एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

कंपनी एक्ट, 2013 की अनुसूची ii में निर्धारित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाया जाता है।

3. पट्टा

व्यवस्था की शुरुआत में, कंपनी निर्धारित करती है कि ऐसी व्यवस्था पट्टा है या इसमें पट्टे का प्रावधान है।

प्रारंभिक मान्यता पर, वित्तीय पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को उनके उचित मूल्य से कम मूल्य के बराबर राशि और न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया गया है। वित्तीय पट्टे के अंतर्गत न्यूनतम पट्टा भुगतान वित्त व्यय और बकाया दायित्वों की कमी के बीच विभाजित किए जाते हैं।

लीज अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि में वित्त व्यय को इस प्रकार से आबंटित किया जाता है कि ताकि देयताओं के शेष बकाया पर नियत आवधिक दर पर ब्याज उत्पन्न हो सके।

परिचालन पट्टों के अतर्गत उत्पन्न होने वाले पट्टे के किराये को पट्टा की अवधि के पर लाभ और हानि के विवरण को स्ट्रेट लाइन के आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि पट्टे के किराये में वृद्धि मुद्रास्फीति की सामान्य दर के अनुरूप है। वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के लिए, कंपनी प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर पट्टा अवधि पर वित्त आय को मान्यता देती है। उत्पन्न आरंभिक प्रत्यक्ष लागत को वित्तीय पट्टे पर प्राप्तियों के आरंभिक मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाता है और पट्टा अवधि परमान्य आय को धटाया जाता है।

परिचालन पट्टे से उत्पन्न होने वाली पट्टे से आय को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि पट्टा किराये में आवधिक वृद्धि अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप है।

4. अमूर्त परिसंपत्ति

रू 10, 000/– से अधिक की लागत वाली अमूर्त मदों का मूल्यांकन पूंजीकरण के लिए किया जाता है और संचित परिशोधन और संचित क्षति, यदि कोई है तो, के अंतर को लागत के रूप में लिया जाता है।

लाभ और हानि के विवरण में अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने की दिनांक से अनुमानित उपयोगी जीवन काल को स्ट्रेट लाइन मेथड से परिशोधित किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नवत् हैंः

सॉफ्टवेयर	3 साल
अन्य	10 साल

डब्ल्यूडीवी रू 10, 000/– या उससे कम की अमूर्त परिसंपत्तियां वर्ष के आरंभ में पूर्ण रूप से परिशोधित होती हैं।

परिशोधन अवधि और परिशोधन विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और यदि कोई परिवर्तन हो, तो उसकी गणना भावी संभावित

रूप से की जाती है।

अनुसंधान गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय लाभ और हानि के रूप में माने जाते हैं (जैसा हो)। विकास गतिविधियों पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी विकास को पूरा करने और संपत्ति का उपयोग या बिक्री करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रयोजन रखती है। पूंजीकृत व्यय में सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड लागत शामिल होती है जो कि परिसंपत्ति तैयार करने के लिए इसके इच्छित उपयोग हेतु, और उधार लेने की लागत, यदि कोई हो तो सीधे जिम्मेदार होती हैं।

अनुसंधान व विकास कार्यों के उद्देश्य से अभिगृहित संपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागत

अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर कारक उधार लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

एक परिसंपत्ति जो उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने हेतु आवश्यक रूप पर्याप्त समय, 12 माह से अधिक लेती है, इस उद्देश्य हेतु अर्ह संपत्ति है।

अन्य सभी उधारी लागतों को लाभ–हानि विवरण उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

6. माल सूची

माल सूची को लागत अथवा मूल्य या शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो पर मूल्यित किया जाता है। तैयार माल और कार्य प्रगति पर के मूल्यांकन संबंध में, लागत का मतलब कारखाना लागत है। कच्चे माल, घटकों, औजारों, भंडारों और कल पूर्जों की लागत का अर्थ भारित औसत लागत है।

7. राजस्व मान्यता

राजस्व ग्राहकों को निश्चित वस्तुओं या सेवाओं को एक राशि में हस्तांतरित करने हेतु निरूपित एक इकाई के रूप में मान्य किया जाता है जो उन वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय में पात्र होने की अपेक्षा के विचार को दर्शाती है।

निर्माण अनुबंधों और दीर्घकालिक सेवा अनुबंध के संबंध में कंपनी ग्राहक को वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और समय के साथ राजस्व को मान्य करती है। राजस्व को लागत एप्रोच पर आधारित इनपुट पद्धति का उपयोग का मान्य किया जाता है। समय के साथ सुतुष्ट निष्पादन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की प्रगति को रिपोर्टिंड समयावधि के अंत में पुनः मापित किया जाता है।

वस्तुओं व सेवाओं की विक्री से राजस्व ग्राहक को नियंत्रण के हस्तांतरण पर और अनुबंध के अंतर्गत निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि पर मान्य किया जाता है।

अन्य आय

- लाभांश आय को लाभ–हानि विवरण में उस तिथि को मान्य किया जाता है जिस पर कंपनी को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- ब्याज से आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति के उपयोग कर मान्य किया जाता है।
- निर्यात प्रोत्साहन/कर में कमी, कर वापिसी और बीमा के दावों की गणना उपचय के आधार पर की जाती है।
- सामान्य गतिविधियों के दौरान गैस टरबाइन के भागों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्रतिफल की प्राप्ति अथवा प्राप्य, सकल विक्री कर और विक्रय विवरणी के उचित मूल्य पर आकलित किया जाता है।

बीएचईएल–जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्रा.लि. के मामले में

पूर्जों का विक्रय

सामान्य प्रक्रिया के दौरान गैस टरबाइन के अंशों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य आय, बिक्री कर को छोड़कर और बिक्री से प्राप्त प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। ग्राहकों के लिए प्रतिबद्ध उत्पादों या सेवाओं के नियंत्रण के हस्तांतरण के बाद राजस्व को उस राशि में दर्शाया जाता है, जो हम उन उत्पादों या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मेद करते हैं। राजस्व ग्राहकों को प्रतिज्ञित वस्तुओं या सेवाओं को एक राशि में हस्तांतरित करने हेतु निरूपित एक इकाई के रूप में मान्य किया जाता है जो उन वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय में पात्र होने की अपेक्षा के विचार को दर्शाती है।

इंजीनियरिंग सेवाएं

नियत–मूल्य, निश्चित–समय–सीमा के इंजीनियरिंग और आपूर्ति अनुबंधों से राजस्व, जहां निष्पादन दायित्वों को समय के साथ संतुष्ट किया जाता है और जहां प्रतिफल के आंकलन या वसूली के संबंध में कोई अनिश्चितता नहीं है, पूर्णता प्रतिशत पद्धति के आधार पर मान्य किया जाता है।

मरम्मत सेवाएं

मरम्मत सेवाओं के मामले में, राजस्व ग्राहक के साथ अनुबंध के आधार पर मान्य किया जाता है। मरम्मत सेवाओं के अनुबंध के अतर्गत आपूर्ति किए गए प्रतिस्थापित पूर्जों का विक्रय को ग्राहक को स्वामित्व के महत्तवपूर्ण जोखित व पारितोषिक के हस्तांतरण पर और शुद्ध विक्रय कर एवं विक्रय विवरणी पर मान्य किया जाता है।

रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल) के मामले में

- ठेकेदारों को दिए गए कार्यों पर अग्रिम के ब्याज से उत्पन्न ठेकेदारों से आय कोवसूली/स्वीकृति आधार पर मान्य किया जाता है।
- अस्थिर ऊर्जा की बिक्री से आय और अन्य विविध पावतियों को सीईआरसी/ केईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजीगत लागत के अपेक्षाकृत कम करके गिना जाता है।
- केईआरसी (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2014के दिशानिर्देशों के अनुसार ऊर्जा की बिक्री से राजस्व को मान्य किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में विनिमय/आदान– प्रदान

विदेशी मुद्राओं में आदान प्रदान लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रभावी विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा नामित संपत्तियों और दायित्वों को क्रियाशील मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। निपटान अथवा विनिमय से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियां और गैर– मौद्रिक देनदारियों का आंकलन ऐतिहासिक लागत पर और लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

परिभाषित योगदान योजनाएं

कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन कोष सहित कंपनी के पेंशन फंड में कंपनी के योगदान परिभाषित योगदान योजना अंतर्गत आता है उस अवधि जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की गई हैं, के लिए और लाभ हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

परिभाषित हितकारी योजनाएं

कंपनी की उपदान योजना, भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति के समय यात्रा दावा, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा योजना परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति के हैं।

इन परिभाषित लाभ योजना के संबंध में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (यदि हो तो) के अंतर को तुलन पत्र बैलेंस शीट में दायित्व के रूप में मान्य किया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व की अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके स्वतंत्र एक्ट्यूरीज द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य एक उपयुक्त सरकारी बॉन्ड दर जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तो के अनुसार परिपक्वता अनुमानित करने की शर्त हो, का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह की छूट देकर निर्धारित किया जाता है।

पुर्नमूल्यांकन वास्तविक लाभ और हानि के साथ–साथ योजित संपत्तियों और शुद्ध पारिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध ब्याज में सम्मिलित राशियों के अंतर को अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल) में मान्य किया जाता है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य व्ययों को लाभ हानि विवरण में दिखाया गया है।

दीर्घकालिक छुट्टी देयता

कंपनी संचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियों की लागत का अनुप्रयुक्त पात्रता के परिणाम स्वरूप आपेक्षित अतिरिक्त भुगतान की राशि के रूप में मूल्यांकन करती है जो कि रिर्पोटिंग अवधि के अंत में संचित हो जाती है। असंचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियों पर व्यय उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें अनुपस्थितियां होती हैं। कंपनी प्रोजेक्टेड युनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर संचित शेषराशि के लिए दायिताएं रिकॉर्ड करती है। दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित पुनः आकलन और अन्य व्यय लाभ और हानि विवरण में दिए गए हैं।

10. प्रावधान

(i) समान लेन–देन के अनुभव के द्वारा अनुपूरित उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम का प्रबंधन के आकलन के आधार पर कंपनी के विरूद्ध परिनिर्धारित क्षति के दावों को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है।

(ii) निर्माण अनुबंधों के लिए कंपनी जब राजस्व को जब मान्य करती है, तब राजस्व के 2.5% पर उत्तरोत्तर वारंटी लागत प्रदान करती है वारंटी अवधि के दौरान इसे बनाए रखती है। अन्य अनुबंधों के लिए, वर्ष के अंत में वारंटी के अधीन अनुबंधों के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के प्रावधान अनुबंध के मूल्य के 2.5% पर बनाए रखा जाता है। एक से अधिक उत्पाद की आपूर्ति के लिए अनुबंधों के मामले में प्रत्येकपूर्ण उत्पाद के मूल्य का 2.5% प्रदान किया जाता है।

(iii) जब यह संभाव्य हो कि कुल अनुबंध लागत, कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाएगी, तो अपेक्षित हानि तत्काल पहचान ली जाएगी।

(iv) अन्य प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, यदि पिछले किसी घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी के पास एक वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है जिसका अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

हालांकि, जहां पैसे के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, जहां भी लागू हो, अपेक्षित भविष्य नकदी प्रवाह को छूट देकर प्रावधान निर्धारित और अनुरक्षित किऐ जाते हैं।

11. शासकीय अनुदान

शासकीय अनुदानों को केवल तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब उसके साथ अनुलग्न शर्तों की पूर्ति होने एवं एवं अनुदान प्राप्त होगा का युक्ति युक्त आश्वासन हो। गैर मौद्रिक अनुदान की गणना परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर की जाती है और उन्हें आस्थगित आय के रूप में माना जाता है। आस्थगित आय को परिसपत्तियों के उपयागी जीवनकाल पर व्यवस्थित और तकर्सगंत आधार पर लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है। राजस्व से संबंधित शासकीय अनुदान को उन संबंधित लागतों जिन्हें वे प्रति पूरित करने की अपेक्षा करते हों, के लिए आवश्यक समयावधि पर लाभ–हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्य किया जाता है।

12. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर और स्थगित कर सम्मिलित है। आयकर व्यय को, इस सीमा को छोड़कर कि यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में आने वाले वस्तुओं से संबंधित है, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया गया है।

वर्तमान कर रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों (टैक्स कानून) का उपयोग करके वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है और पिछले वर्षों के संबंध में कर खाते में समायोजन को सम्मिलित करता है।

स्थगित कर बैलेंस शीट विधि का उपयोग करके ज्ञात जाता है, जो बैलेंस शीट और उसके कर आधार में संपत्ति या देयता की धारक राशि के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है।

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कानूनों के आधारपर अस्थायी अंतर या तो वसूले जाते हैं या निपटान किए जाते हैं।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की इस सीमा तक गणना की जाती है कियह संभाव्य है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके सापेक्ष अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की धारक राशि की समीक्षा की जाती हैं और उस सीमा तक कम किया जाता है, जहां संभाव्य न रह जाए कि संबंधित कर लाभ की वसूली होगी ।

लाभांशों के वितरण से उद्भूत अतिरिक्त आयकर का निर्धारण उस समय किया जाता है, जब सबंधित लाभांश के भुगतान की देयता का निर्धारणकिया जाता है।

13. परिसंपत्तियों की क्षति

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

व्यापारिक प्राप्तियों और पट्टे की प्राप्तियों के संबंध में हानि भत्ता जीवन

भर में अपेक्षित क्रेडिट घाटे के समतुल्य राशि पर मापा जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि भत्ता, जिसकी हानि होना अभीष्ट है, यदि प्रारंभिक गणना से ही क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो पूरी अवधि की अपेक्षित क्रेडिट हानियों को बराबर राशि पर मापा जाता है। तथापि, यदि रिपोर्टिंग की तिथि को प्रारंभिक निर्धारण के समय से वित्तीय विलेख में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है तो हानि भत्ते का आकलन 12 माह की आपेक्षित क्रेडिट हानि की समतुल्य राशि पर किया जाएगा।

गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

जहॉं हानि का कोई संकेत हो, वहॉं नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयों की धारक राशि की समीक्षा प्रत्यंक रिर्पोटिंग दिनांक को की जाती है। ह्रास हानि को लाभ हानि विवरण में वहॉं मान्यता दी जाती है जहॉं किसी नकद उत्पन्न करने वाली की धारक राशि वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाती है।पूर्व अवधियों में मान्यता प्राप्त हानि के नुकसान का आंकलन हानि में कमी या इसका अस्तित्व न रहने के किसी संकेत के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है।

यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में कोई बदलाव हुआ है तो हानि का नुकसान हो सकता है। ह्रास हानि उलटी होती है यदि वसूली योग्य राशि के निर्धारण हेतु अनुमानित उपयोग में कोई परिवर्तन होता है। ह्रास हानि उस सीमा तक उलट हो सकती है कि परिसंपत्ति की धारक राशि उस राशि से अधिक नहीं होती, जो मूल्यह्रास या परिशोधन पर किसी भी ह्रास हानि न होने पर निर्धारित किया गया होता।

14. सेगमेंट रिपोर्टिंग

सेगमेंट (खंडों) की परिचालन गतिविधियों से उनके संबंधों के आधार पर सेगमेंट को राजस्व और व्यय के रूप में जाना जाता है। राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियां जो उचित कारणों से खंडों के लिए आवंटन योग्य नहीं हैं, उन्हें "असूचीबद्ध राजस्व / व्यय / संपत्ति / देयताएं" के अतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

15. वित्तीय विलेख

i) मौलिक वित्तीय विलेख

मौलिक वित्तीय लिखितों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

– वित्तीय सपंत्तियां, जो निम्नलिखित कारकों पर मापी गई हैं:

(क) परिशोधन लागत पर

(ब) लाभ और हानि (''एफवीटीपीएल'') के माध्यम से उचित मूल्य

– परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्व

आरंभ में, सभी वित्तीय विलेखों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है। यदि लेन–देन लागत एफवीटीपीएल में नहीं आकलित की गई है तो लेन–देन लागत को धारक मूल्य निर्धारित करने वाली राशि में सम्मिलित किया जाता है। जब वित्तीय संपत्ति के व्यापक जोखिम व प्रतिफल के स्वामित्व को हस्तातंरित किया गया हो, तब वित्तीय परिसपंत्तियों को नहीं दर्शाया जाता है। जहॉं वित्तीय संपत्ति के व्यापक जोखिम व प्रतिफल के स्वामित्व को न तो हस्तातंरित किया गया हो, ना ही यथावत रखा गया हो, वहां वित्तीय परिसपंत्तियों को केवल तब नहीं दर्शाया जाता है, जब कंपनी ने वित्तीय संपत्ति पर नियंत्रण न रखा हो। यदि संविदात्मक देयताओं को समाप्त कर दिया गया हो, निरस्त किया गया हो या समय–सीमा समाप्त हो गई हो तो वित्तीय देयताओं को नहीं दर्शाया जाता है।

मौलिक वित्तीय परिसंपत्तियों को तदुपरांत निम्नानुसार आकलित किया जाता है:

क) परिशोधित लागत–

बाद में "परिशोधित लागत पर वित्तीय विलेखों" को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का प्रयोग कर परिशोधित लागत पर आकलित किया जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन किसी छूट या अधिग्रहण पर किस्त और शुल्क या लागत, जो कि ईआईआर का अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ– हानि विवरण में दर्शाया गया है। ह्रास से उत्पन्न हानियों को लाभ – हानि विवरण में दर्शाया गया है।

ख) एफवीटीपीएल श्रेणी–

बाद में इस श्रेणी में वर्गीकृत वित्तीय विलेख लाभ – हानि विवरण में उल्लिखित परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर शामिल किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से देय लेन–देन लागत को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया गया है।

बाद में मौलिक वित्तीय देनदारियों को निम्नानुसार मापा जाता है:

प्रारंभ में दर्शाने के बाद, मौलिक वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

ii) व्युत्पन्न वित्तीय विलेख

यदि कोई ऐसे व्युत्पन्न आंकड़े अंतर्निहित हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं तो उन्हें मुख्य संविदा से अलग किया गया है और अलग से हिसाब में रखा गया है। यदि मुख्य संविदा की आर्थिक विशेषताएं और जोखिम तथा अंतर्निहित व्युत्पन्न आंकड़े निकटता से जुड़े हुए नहीं हैं तो समान शर्तों पर एक अलग विलेख तैयार किया जाता है और अंतर्निहित व्युत्पन्न आंकड़ा व्युत्पन्न की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होता है। संयुक्त विलेख को लाभ–हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर आकलित नहीं किया जाता है।

व्युत्पन्न आंकड़ों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर शामिल किया जाता है और मापा जाता है। निश्चित लेन–देन लागत को लाभ – हानि विवरण में लागत के रूप में दर्शाया गया है। व्युत्पन्न आंकड़ों को प्रारंभ में दर्शाने के बाद, लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

16. नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक में एवं स्वयं के पास उपलब्ध नकदी शामिल है। इसमें मियादी जमा और तीन माह या उससे कम अवधि के मूल मैच्योरिटी वाले अन्य शॉर्ट टर्म मनी मार्केट जमा शामिल हैं, जिन्हें नकदी की निर्धारित राशियों के लिए आसानी से भुनाया जा सकता है और जिनमें मूल्य परिवर्तन होने पर ज्यादा जोखिम न उठाना न पड़े।

टिप्पणी [3a] - गैर –चालू परिसंपत्तियां, परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) की लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी [2] के बिंदु 2 का संदर्भ ग्रहण करें (करोड़ रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर	31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर
सकल ब्लॉक	575322	5411.36
घटाएंः संचित मूल्यह्रास	2865.83	2429.46
निवल ब्लॉक (विवरण हेतु नोट 3.1 देखें)	2887.39	2981.90

कम्पनी ने इंड एएस 101 के अंतर्गत छूट का विकल्प चुना था और तदनुसार 31.03.2015 को उसके मूल्य को इंड एएस परिवर्तन तिथि को डीम्ड लागत माना था।

टिप्पणी [3b] - गैर– चालू परिसंपत्तियां कार्यशील पूंजी

(करोड़ रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर		31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर	
प्लांट व मशीनरी एवं अन्य उपकरण				
संस्थापन/ फेब्रीकेशन के अधीन/इरेक्शन के लिए प्रतीक्षारत	**102.72**		110.26	
मार्गस्थ	**30.29**	**133.01**	29.70	139.96
चल रहा निर्माण कार्य–सिविल		**88.63**		52.86
निर्माण भंडार (मार्गस्थ सहित)		**1.57**		1.71
		223.21		194.53

टिप्पणी [4a] - गैर– चालू परिसंपत्तियां अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्तियां की लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी [2] के बिंदु 4 का संदर्भ ग्रहण करें (करोड़ रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर	31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर
सकल ब्लॉक	**250.00**	221.87
घटाएंः संचित परिशोधन	**166.93**	130.56
निवल ब्लॉक (विवरण हेतु नोट 4.1 देखें)	**83.07**	91.31

कम्पनी ने इंड एएस 101 के अंतर्गत छूट का विकल्प चुना था और तदनुसार 31.03.2015 को अग्रेषित मूल्य को इंड एएस परिवर्तन तिथि को डीम्ड लागत माना था।

टिप्पणी [4b] - गैर– चालू परिसंपत्तियां विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर	31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर
विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां	**12.23**	8.23
	12.23	8.23

टिप्पणी [3.1]

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का विवरण

(करोड़ रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक				विवरण				निवल ब्लॉक	
	01.04.2018 को प्रारंभिक जमा	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2019 को अंतिम शेष	01.04.18 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.19 को संचित मूल्यह्रास	31.03.19 की स्थिति	31.03.18 की स्थिति
भूमि	27.98	0.00+	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27.98	27.98
i) फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	110.85	0.00	0.00	110.85	3.62	1.40	0.00	5.02	105.83	107.23
ii) पट्टे की भूमि विकास व्यय सहित)										
भवन	1519.62	70.44	(1.35)	1588.71	319.56	102.59	(0.09)	422.06	1166.65	1200.06
i) फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	1.63	0.00	0.00	1.63	0.16	0.05	0.00	0.21	1.42	1.47
ii) पट्टे की भूमि विकास व्यय सहित)	12.81	2.51	(0.19)	15.14	10.79	1.21	(0.00)	12.00	3.14	2.02
सड़कें, पुल एवं नाले	27.11	1.17	(0.19)	28.09	3.61	1.19	0.00	4.80	23.29	23.50
जल व मल निकासी एवं जल–आपूर्ति	2961.17	115.81	0.01	3076.99	1653.02	206.99	2.20	1862.21	1214.78	1308.15
प्लांट व मशीनरी	8.85	0.00	0.00	8.85	2.80	0.69	0.00	3.49	5.36	6.05
(स्वामित्व)	28.34	0.00	0.00	28.34	9.41	2.16	0.00	11.57	16.77	18.93
रेल्वे साइडिंग	54.58	7.64	(2.00)	60.22	23.89	7.07	(1.65)	29.31	30.91	30.69
लोकोमोटिव व वेगन	10.29	0.96	0.15	11.40	4.23	1.41	0.15	5.79	5.61	6.06
फर्नीचर व फिक्चर्स										
वाहन	103.75	21.35	(2.08)	123.02	70.09	15.24	(1.97)	83.36	39.66	33.66
कार्यालय व अन्य उपस्कर	14.62	1.58	0.00	16.20	7.62	2.81	0.00	10.43	5.77	7.00
i) स्वामित्व वाला कार्यालय व अन्य उपस्कर	54.51	1.29	(23.03)	32.77	48.70	2.27	(22.70)	28.27	4.50	5.81
ii) पट्टे पर कार्यालय व अन्य उपस्कर	169.08	102.82	22.65	294.55	113.67	49.09	22.57	185.33	109.22	55.41
	229.69	14.48	(2.04)	242.13	94.24	32.25	(0.83)	125.67	116.46	135.45
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपस्कर	67.67	4.03	0.19	71.89	55.24	6.45	0.18	61.87	10.02	12.43
i) स्वामित्व वाला ईपीडी उपस्कर	8.71	5.51	0.14	14.36	8.71	5.59	0.05	14.35	0.01	0.00
ii) पट्टे पर ईपीडी उपस्कर	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
इलेक्ट्रिकल संस्थापनाएं	5411.36	349.59	(7.74)	5753.22	2429.46	438.46	(2.09)	2865.83	2887.39	2981.90
निर्माण उपस्कर	5181.51	237.00	(7.15)	5411.36	1685.08	750.05	(5.67)	2429.46	2981.90	3496.43

@ उपरोक्त में विकास व अनुसंधान संबंधी पूंजीगत मदों का विवरण शामिल है

(करोड़ रु. में)

विवरण	सकल ब्लाक				विवरण				छमज ठसवबा	
	01.04.2018 को प्रारंभिक जमा	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2019 को अंतिम शेष	01.04.2018 को प्रारंभिक जमा	परिवर्धन/समायोजन	कटौती/समायोजन	31.03.19 को संचित मूल्यह्रास	31.03.19 की स्थिति	01.04.2018 को प्रारंभिक जमा
प्लांट, मशीनरी व अन्य उपस्कर	250.32	21.02	(2.12)	269.22	121.42	28.85	0.00	150.27	128.90	118.94
भवन	23.35	0.01	(0.06)	23.30	3.40	1.10	0.00	4.50	19.95	18.80

सकल ब्लॉक (पिछले भारतीय जीएएपी के अनुसार) 31.03.2018 को रू 12766.54 एवं 31.03.2019 को रू 13044.84 करोड़ था

टिप्पणियांः

31.03.2019 को सकल ब्लॉक में रू. 0.12 करोड मूल्य की अनुपयोगी व सक्रिय उपयोग से विरत संपत्तियों को सम्मिलित किया गया है (पिछले वर्ष का रू. 0.12 करोड़)।

31.03.2019 को निवल ब्लॉक में रू. 0.12 करोड मूल्य की अनुपयोगी व सक्रिय उपयोग से विरत संपत्तियों को सम्मिलित किया गया है (पिछले वर्ष का रू. 0.12 करोड़

सकल ब्लॉक में निष्पादक एजेंसी के रूप में अनुसंधान के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों की लागत शामिल नहीं है क्योंकि ये संपत्तियां कंपनी से जुड़ी नहीं हैं ।

31.03.2019	31.03.2018
180.32	59.18

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपतियों में कोई हानि नहीं हुई ।

टिप्पणी [3.1] की अतिरिक्त घोषणाएंः संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1. भूमि व भवन में सम्मिलित हैंः		
A i) एकड़ भूमि जिसका औपचारिक हस्तांतरण/पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है।	8196.93	8196.93
निवल ब्लाक	68.45	72.90
ii) फ्लैटों की संख्या जिनके लिए औपचारिक हस्तांतरण/पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है।	12	12
निवल ब्लाक	1.19	1.24
iii) भवनों की संख्या औपचारिक हस्तांतरण/पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है।		
निवल ब्लाक		
iv) एकड़ में भूमि जिसकी भुगतान की गई लागत अनंतिम है;	506.46	506.46
[पंजीकरण व स्टाम्प ड्यूटी (प्रावधानों का निवल) की गणना भुगतान पर की जाएगी]		
निवल ब्लाक	64.79	65.61
b. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार विभागों एवं अन्य को पट्टे पर दी गई एकड़ भूमि	30.37	30.37
c. रक्षा मंत्रालय (बीईजी) द्वारा उपयोग की जा रही एकड़ भूमि जिसके लिए लाइसेंसिंग अनुबंध 30.11.2018 तक वैध है	180	180
d. एकड़ में भूमि जिस पर प्रतिकूल कब्जा / अतिक्रमण है।	701.86	774.55

e. हरिद्वार में 1242.71 एकड़ (पी.वाई. 1242.71 एकड़) भूमि का लंबित उत्तराधिकार जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इसमें भूमि परिमाप 878.85 एकड़ जो कि बीएचईएल के कब्जे में है लेकिन गलती से वर्ष 2004 एवं 2007 में सिडकुल, उत्तराखंड सरकार के नाम में परिवर्तित हो गई है, भी शामिल है।

f. इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सरकार के दिनांक 01.12.2003 के कार्यालय ज्ञापन के तहत हरिद्वार प्लांट की 8 एकड़ भूमि आईओसीआई / राज्य सरकार को हस्तांतरित करनी है।

(उपरोक्त वर्णित ख, ग, घ, एवं च की भूमि की लागत भौतिक नहीं है)

(करोड़ रु. में)

	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
2. i) भूमि का कुल क्षेत्र एकड़ में	16409.03	16409.03
ii) 2 (i) में से फ्रिहोल्ड भूमि (विक्रय विलेख) / कब्जा का अधिकार/अनुज्ञा प्राप्त भूमि एकड़ में	15735.69	15735.69
iii) 2 (i) में से पट्टेपर दी गई भूमि	673.34	673.34

3. कंपनी रू 10000/– तक की लागत/ प्रारंभिक निवल ब्लाक मूल्य के प्रत्येक पीपीई सामग्री पर शत प्रतिशित मूल्यह्रास्य उपलब्ध कराती है। पीपीई वस्तुओं पर शत प्रतिशित मूल्यह्रास्य प्रदान करने पर लाभ पर प्रभाव, पिछले वर्षों में प्रभाव को ध्यान में न रखते हुए निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
रू 10000/– तक की पीपीई वस्तुओं पर 100% मूल्यह्रास्य में दी गई छूट	8.08	3.98
घटाऐं: उपरोक्त पर समान्य मूल्यह्रास्य	2.07	1.15
वर्ष के लिए मूल्यह्रास की अतिरिक्त राशि	6.01	2.83

|4. वित्त वर्ष 2018–19 में पीपीई की कुछ वस्तुओं के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा और संशोधन के कारण इनके मूल्यह्रास पर प्रभाव रुपये 201.42 करोड़ रु की कमी है।

टिप्पणी [4.1] -अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण

(करोड़ रु. में)

विवरण	सकल ब्लाक				विवरण				निवल ब्लाक	
	01.04.2018 को प्रारंभिक जमा	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2019 को अंतिम शेष	01.04.2018 पर संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	31.03.2019 को संचित मूल्यह्रास	31.03.19 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2019 की स्थिति पर	31.03.2018 की स्थिति पर
आंतरित स्त्रोंतो द्वारा विकसित										
–अन्य	50.55	11.14	0.00	61.69	33.92	11.33	0.00	45.25	16.44	16.63
अन्य										
–साफ्टवेयर	26.81	23.32	(5.00)	45.13	23.91	3.07	10.42	37.40	7.74	2.90
–तकनीकी ज्ञान	134.24	8.93	0.00	143.17	62.46	21.82	0.00	84.28	58.89	71.78
–अन्य	10.27	(15.40)	5.13	0.00	10.27	0.00	(10.27)	0.00	0.00	0.00
कुल	221.87	27.99	0.14	250.00	130.56	36.22	0.15	166.93	83.07	91.31
पिछला वर्ष	198.04	23.83	0.28	221.87	93.28	37.28	0.30	130.56	91.31	104.76

सकल ब्लॉक (पिछले भारतीय जीएएपी के अनुसार) 31.03.2018 को रू 505.26 एवं 31.03.2019 को रू 534.48 करोड़ था

टिप्पणी [5] -गैर-चालू परिसंपत्तियां
निवेश (ईक्विटी पद्धति के उपयोग के लिए गणना की गई)

(करोड़ रु. में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
बीएचईएल–जीई गैस टरबाईन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड		
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	138.55	129.31
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	27.03	23.82
अन्य महत्वपूर्ण आय	0.02	0.18
घटाएं: वितरित लाभांश	16.18	14.76
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	149.42	138.55
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	266.10	584.39
समायोजन (पिछले वर्ष का अंकेक्षिक/अंकेक्षिक लाभ/ (हानि))	(60.85)	(16.78)
अतिरिक्त ईक्विटी अंशदान	-	74.72
वर्ष का लाभ/ (हानि)	(205.25)	(376.23)
अन्य उल्लेखनीय आय	-	-
लाभांश भुगतान	-	-
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	-	266.10
एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड		
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	4.40	21.31
समायोजन (पिछले वर्ष का अंकेक्षिक/अंकेक्षिक लाभ/ (हानि))	2.98	21.44
वर्ष का लाभ/(हानि)	(7.38)	(38.35)
अन्य उल्लेखनीय आय	-	-
लाभांश भुगतान	-	-
अंतिम निवल परिसंपत्तियां		4.40
दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड		
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	-	18.19
समायोजन*	-	(18.19)
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	-	-
कुल निवेश (इक्विटी पद्धति द्वारा गणना)		
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	409.05	753.20
समायोजन (पिछले वर्ष का अंकेक्षिक/अन अंकेक्षिक लाभ/ (हानि))	(57.87)	4.66
अतिरिक्त ईक्विटी अंशदान	-	74.72
वर्ष का लाभ/ (हानि)	(185.60)	(390.76)
अन्य उल्लेखनीय आय	0.02	0.18
घटाएं: लाभांश भुगतान	16.18	14.76
समायोजन	-	(18.19)
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	149.42	409.05

*संयुक्त उद्यम परिसमापन के अधीन है।

टिप्पणी [5] -गैर चालू–परिसंपत्तियां
विनिवेश (ईक्विटी पद्धति से लेखाकृत)

i) आरपीसीएम (संयुक्त उपक्रम कंपनी) ने हानियां दर्ज कीं जिसके कारण समूह ने दिनांक 31 मार्च 2019 को निवेश की लागत के समतुल्य संचित हानि दर्शाई। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार समूह के पास रूपय 146.19 राशि के अमान्य अंश है।

ii) एनबीपीपीएल (संयुक्त उपक्रम कंपनी) ने हानियां दर्ज की जिसके कारण समूह ने दिनांक 31 मार्च 2019 को निवेश की लागत के समतुल्य संचित हानि दर्शाई। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अनंकेक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार समूह के पास रु.16.44 दर्शाई गई हानि है।

टिप्पणी [5] - गैर चालू परिसंपत्तियां
वित्तीय संपत्तियां-विनिवेश

(करोड़ रु. में)

विवरण	31, मार्च 2019 की स्थिति पर			31, मार्च 2018 की स्थिति पर		
	अंशों की संख्या (अंकित मूल्य रूपयों में)	राशि		अंशों की संख्या (अंकित मूल्य रूपयों में)	राशि	
उद्धृत ईक्विटी लिखित			-		-	
उद्धृत ईक्विटी लिखित						
I गैर (पूर्णदत्त अंश)						
पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी लिखतों में निवेश (एफवीटीपीएल में)	5000000 (10)	5.00		5000000 (10)	5.00	
नीलांचल इस्पात निगम लि.	728960 (10)	0.91		728960 (10)	0.91	
एपी गैस पावर कॉर्पोशन लि.	1892 (10)	*		1892 (10)	*	
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.		5.91			5.91	
जोड़ें/घटाएं : उचित मूल्य समायोजन		(2.97)	2.94		(2.99)	2.92
दादा घूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड	22500000 (10)	22.50		22500000 (10)	22.50	
घटाएं: प्राप्त राशि		17.30			-	
घटाएं: ह्रास के प्रावधान		5.20	-		5.50	17.00
पावर प्लांट पर्फॉर्मेन्स इंप्रूवमेंट लि.	1999999 (10)	2.00		1999999 (10)	2.00	
घटाएं: ह्रास के प्रावधान		2.00	-		2.00	-
सहकारी समिति में अंश#			-			-
			2.94			19.92
*1 लाख रु. से कम मूल्य						
गैर उद्धृत निवेश की सकल राशि			13.11			30.41
निवेश मूल्य के ह्रास की सकल राशि			(10.17)			(10.49)

#कर्मचारी सहकारी समितियों में धारित 1 लाख रुपए से कम मूल्य के विभिन्न ईक्विटी अंश

संयुक्त उद्यमों व सहायक कम्पनी के बारे में जानकारी

(करोड़ रु. में)

विवरण	निगमन देश	31, मार्च 2019 की स्थिति	31, मार्च 2018 की स्थिति
(क) संयुक्त उद्यम का नाम (जेवीसी)		स्वामित्व का अनुपात (%)	
बीएचईएल–जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)	भारत	50% से कम का एक अंश	50% से कम का एक अंश
एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल)		50%	50%
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)		27.97%	27.97%
दादा घूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड (डीडीकेपीएल)		50%	50%
पावरप्लांट पर्फॉर्मेन्स इंप्रूवमेंट लि. (पीपीआईएल)		50 % से कम का एक अंश	50% से कम का एक अंश

i) एनटीपीसी–बीएचईएलपावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में सकल वित्तीय स्थिति के आधार पर निवेश के मूल्य में रुपये 50.00करोड की सीम तक ह्रासका प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष का 45.60 करोड़ रुपये तक)। निदेशक मंडल ने 8 फरवरी 2018 को आयोजित अपनी बैठक में एनबीपीपीएल के समापन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

ii) दादा धूनीवाले खंडवा पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड से वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निवेश के विरूद्ध 17.30 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। सकल वित्तीय स्थिति के आधार पर निवेश के मूल्य में रुपये 5.20 करोड की सीमा तक ह्रास का प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष का 5.50 करोड़ रुपये तक)। संयुक्त उपक्रम परिसमापन के अधीन है।

iii) पावर प्लांट पर्फॉर्मेन्स इंप्रूवमेंट लि. रुपये 2.00 करोड की सीमा तक ह्रास का प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष का 2.00 करोड़ रुपये तक)। चूंकि संयुक्त उपक्रम परिसमापन के अधीन है और ईक्विटी के रूप में प्रदत्त राशि वसूली योग्य नहीं है।

विवरण	निगमन देश	31, मार्च 2019 की स्थिति	31, मार्च 2018 की स्थिति
(ब) संयुक्त उपक्रम का नाम (जेवीसी)		स्वामित्व का अनुपात (%)	
बीएचईएल इलेक्ट्रीकल मशीन लिमिटेड (बीएचईल ईएमएल)	भारत	51%	51%

निदेशक मंडल ने 29 मई 2018 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की 51% हिस्सेदारी को केरला सरकार को अंतरित करना अनुमोदित किया है (भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन पर आधारित)

टिप्पणी [6] गैर चालू–परिसंपत्तियां
वित्तीय संपत्तियां–व्यापारिक प्राप्तियां

वित्तीय संपत्तियों पर ह्रास की लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 13 का संदर्भ ग्रहण करें । (रू करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति		31 मार्च 2018 की स्थिति	
प्रतिभूत, स्वीकृत माल		.		.
अप्रतिभूत, स्वीकृत माल		**4529.05**		3800ण27
क्रेडिट इम्पेयर्ड		**10424.80**		7162.90
		14953.85		10963ण17
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के लिए भत्ते	**10445.38**		7032.75	
घटाएं: स्वतः मूल्य ह्रास समायोजन	**573.38**	**11018.76**	491.87	7524ण62
		3935ण09		3438ण55
व्यापारिक प्राप्तियों पर ह्रास के लिए सरलीकृत तरीका अपनाया गया है, इंड एस 109 के अनुसार वर्गीकरण किया गया है।				
(क) निदेशकों से देय		-		-
(क) अधिकरियों से देय		-		-

टिप्पणी[7] -गैर चालू–परिसंपत्तियां
वित्तीय संपत्तियां–ऋण

वित्तीय संपत्तियों पर ह्रास की लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 13 का संदर्भ ग्रहण करें। (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति		31 मार्च 2018 की स्थिति	
प्रतिभूति जमा				
प्रतिभूत, स्वीकृत माल		-		-
अप्रतिभूत, स्वीकृत माल				
एसईबी, पोर्ट ट्रस्ट व अन्य में जमा		82.81		84.27
क्रेडिट रिस्क में महत्तवपूर्ण वृद्धि		-		-
क्रेडिट इम्पेयर्ड				
अन्य जमा		1.77		1.62
		84.58		85.89
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध जमा के लिए भत्ते		1.77		1.62
		82.81		84.27
ऋण				
प्रतिभूत, स्वीकृत माल		-		-
अप्रतिभूत, स्वीकृत माल				
ऋण पर उत्पन्न व देय ब्याज	0.01	0.01	0.01	0.01
क्रेडिट रिस्क में महत्तवपूर्ण वृद्धि		-		-
अप्रतिभूत, संदिग्ध और ऋण पर उत्पन्न व देय ब्याज के लिए उपलब्ध कराई गई		-		0.01
		0.01		0.02
क्रेडिट इम्पेयर्ड		-		-
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणोंके लिए भत्ते		-		0.01
		0.01		0.01
		82.82		84.28
जोड़ें:				
निदेशकों से देय		-		-
अधिकारियों से देय		-		-

टिप्पणी [8] - गैर चालू–परिसंपत्तियां
वित्तीय संपत्तियां–अन्य वित्तीय संपत्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति
वित्तीय पट्टे पर प्राप्य किराया	-	0.02
	-	0.02

टिप्पणी [9] -गैर चालू परिसंपत्तियां

आस्थगित कर परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर)

आयकर की लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 12 का संदर्भ ग्रहण करें (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति	31 मार्च 2018 की स्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान	2628.14	2728.10
सांविधिक देयताएं (भुगतान आधार पर अनुमत)	744.01	652.95
मूल्यह्रास – संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर एवं अमूर्त परिसंपत्तियां	118.20	160.98
अन्य	32.26	101.30
	3522.61	3643.33
आस्थगित कर दायित्व	-	10.90
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर)	3522.61	3632.43

टिप्पणी [10] - गैर चालू परिसंपत्तियां अन्य चालू परिसंपत्तियां

वित्तीय संपत्तियों पर ह्रासके लिए लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 13 का संदर्भ ग्रहण करें (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति		31 मार्च 2018 की स्थिति	
संविदागत परिसंपत्तियां (अनबिल्ड राजस्व को मिलाकर)				
प्रतिभूत, स्वीकृत माल	-		.	
अप्रतिभूत, स्वीकृत माल	14392.34		10263.95	
क्रेडिट इम्पेयर्ड	1779.61		1132.07	
	16171.95		11396.02	
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	1779.61	14392.34	1,132.07	10263.95
जमा सुरक्षा निधि				
प्रतिभूत, स्वीकृत माल	-		-	
अप्रतिभूत, स्वीकृत माल				
कर प्राधिकरण एवं अन्य के पास जमा	135.08		121.21	
क्रेडिट रिस्क में महत्तवपूर्ण वृद्धि	-		-	
क्रेडिट इम्पेयर्ड	25.09		24.01	
	160.17		145.22	
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	25.09	135.08	24.01	121.21
ऋण व अग्रिम				
प्रतिभूत, स्वीकृत माल	-		-	
अप्रतिभूत, स्वीकृत माल				
क्रय के लिए अग्रिम	73.54		47.06	
वसूली योग्य क्रय दावे	74.88		40.63	
एवं अन्य पूंजी अग्रिम	22.17		21.98	
	170.59		109.67	
क्रेडिट रिस्क में महत्तवपूर्ण वृद्धि	-		-	
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए भत्ते	26.23	144.36	24.61	85.06
		14671.78		10470.22
क) संविदागत परिसंपत्तियों (प्रावधान को छोड़कर) में सम्मिलित हैं:				
आस्थगित कर्ज		13058.01		10165.14
ऋण व अग्रिम में सम्मिलित हैं:				
ख) निदेशको से देय				
ग) अधिकारियों से देय				

टिप्पणी [11] - चालू परिसंपत्तियां
माल सूची

माल सूची के मूल्यांकन के लिए लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 6 का संदर्भ ग्रहण करें। (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति		31 मार्च 2018 की स्थिति	
कच्चा माल व पुर्जे	3480.94		2860.07	
मार्गस्थ सामग्री	451.01	3931.95	217.10	3077.17
चल रहा कार्य (उप ठेकेदारों के पास पड़ी मदों सहित)		3220.71		2285.51
तैयार माल				
मार्गस्थ अंतर–प्रभागीय अंतरण	977.74		865.01	
भंडार व कल पुर्जे	114.93	1092.67	85.88	950.89
उत्पादन ईंधन भंडार				
विविध	177.02		190.69	
अन्य मालसूची	6.97		8.36	
	54.13	238.12	48.55	247.60
फेब्रिकेटर्स/ठेकेदारों के पास सामग्री				
	63.02		76.12	
फुटकर औजार	34.40		31.10	
कबाड़ (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)	90.89	188.31	61.21	168.43
घटाएंः अचल माल सूची के लिए प्रावधान		8671.76		6729.60
		555.52		466.45
		8116.24		6263.15
नोटः				
कम हुई माल सूची		115.90		142.96
घटाएं : उनकी वापसी		26.83		26.78
शुद्ध		89.07		116.18

टिप्पणी [12] - चालू परिसंपत्तियां
वित्तीय संपत्तियां– व्यापारिक प्राप्तियां

वित्तीय संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 13 का संदर्भ ग्रहण करें। (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
प्रतिभूत, स्वीकृत माल		-		-
अप्रतिभूत, स्वीकृत माल		13592.05		15727.23
क्रेडिट इम्पेयर्ड		484.74		2548.20
		14076.79		18275.43
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	2008.56		4104.08	
घटाएं: मूल्य में कमी का स्वत: समायोजन	56.31	2064.87	106.67	4210.75
		12011.92		14064.68
सम्मिलित है:				
क) निदेशको से देय		-		-
ख) अधिकारियों से देय		-		-

टिप्पणी [13a] - चालू परिसंपत्तियां
वित्तीय संपत्तियां – नकदी व नकदी समतुल्य

नकदी व नकदी समतुल्य के मूल्यांकन के लिए लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 17 का संदर्भ ग्रहण करें। (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
बैंकों में शेष				
कॉर्पोरेट लिक्विड सावधि जमा	-		1702.03	
ईईएफसी खाता	102.22		441.73	
चालू/ केश क्रेडिट खाता	623.96	726.18	214.83	2358.59
स्वयं के पास चेक, डिमांड ड्राफ्ट		69.43		210.03
3 माह या कम में परिपक्व होने वाले बैंक जमा		-		200.00
स्वयं के पास नकद व स्टाम्प		0.13		0.19
		795.74		2768.81

टिप्पणी [13b] - चालू परिसंपत्तियां
वित्तीय संपत्तियां बैंक शेष

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
3 माह से अधिक के सावधि जमा, जो 12 माह से अधिक न हों '		6700.06		8400.28
जारी किए गए बैंक गारंटी हेतु मार्जिन मनी के रूप में सावधि जमा		2.28		2.16
बैंकों में जमा (निश्चित किया गया)				
गैर दावाकृत लाभांश खाता	3.61		3.30	
गैस वापिसी योग्य खाता	1.82		1.70	
आंशिक अंशों पर जारी बोनस के विक्रय आगम	0.03	5.46	0.03	5.03
		6707.80		8407.47
कुल नकद व बैंक शेष [13a + 13b]		7503.54		11176.28

* एफडीओ के लिए ओवर ड्राफ्ट के रूप में लिए गए ऋण के विरुद्ध रु. 775 करोड के सावधि जमा को गिरवी रखा गया और 2 अप्रैल 2019 को ऋण चुकाया गय।

टिप्पणी [14] - चालू परिसंपत्तियां
वित्तीय संपत्तियां – ऋण

वित्तीय संपत्तियों में ह्रास के लिए लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 13 का संदर्भ ग्रहण करें। (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
प्रतिभूति जमा				
प्रतिभूत, स्वीकृत माल		-		-
अप्रतिभूत, स्वीकृत माल				
ईएमडी व अन्य जमा		157.71		143.84
क्रेडिट रिस्क में उल्लेखनीय वृद्धि		-		-
क्रेडिट इम्पेयर्ड		3.53		3.60
		161.24		147.44
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध जमा के लिए भत्ते		3.53		3.60
		157.71		143.84
ऋण				
कर्मचारियों को ऋण	-		0.01	
पीएसयू को ऋण'	12.00		12.00	
ऋण से उत्पन्न व देय ब्याज	1.34	13.34	4.90	16.91
धटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते		13.34		16.36
				0.55
उक्त में से:				
प्रतिभूत, स्वीकृत माल	-		0.01	
अप्रतिभूत, स्वीकृत माल	-		0.54	
क्रेडिट रिस्क में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्रेडिट इम्पेयर्ड	13.34		16.36	
		157.71		144.39

भारत पम्प्स व कम्प्रेशर्स लि. को दिया गया ऋण सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है।

सम्मिलित है:		
क) निदेशको से देय	-	-
ख) अधिकारियों से देय	0.01	0.01

टिप्पणी [15] - चालू परिसंपत्तियां
अन्य वित्तीय संपत्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
बैंक जमा और निवशों पर उत्पन्न ब्याज	128.96		117.94	
कर्मचारियों को अग्रिम	36.46		35.17	
वित्तीय पट्टे पर प्राप्य किराया	0.03		0.17	
	165.45		153.28	
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	0.05	165.40	0.02	153.26
		165.40		153.26
सम्मिलित है:				
(a) निदेशकों से देय				
(b) अधिकारियों से देय		0.05		0.01

टिप्पणी [16] - चालू परिसंपत्तियां
चालू कर संपत्तियां /देयताएं (शुद्ध)

आय कर पर लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 12 का संदर्भ ग्रहण करें।

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
अग्रिम कर व टीडीएस	2888.18	2551.94
घटाएं: कराधान के लिए प्रावधान	2979.52	2329.00
	(91.34)	222.94

टिप्पणी [17] - चालू परिसंपत्तियां
अन्य चालू संपत्तियां

वित्तीय संपत्तियों के ह्रास पर लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 13 का संदर्भ ग्रहण करें। (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
अनुबंध संपत्तियां (अनबिल्ड राजस्व को मिलाकर)				
प्रतिभूत, स्वीकृत माल	**-**		-	
अप्रतिभूत, स्वीकृत माल	**7904.43**		7728.22	
क्रेडित इम्पेयर्ड	**202.40**		370.31	
	8106.83		8098.53	
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए भत्ते	**202.40**	**7904.43**	370.31	7728.22
वसूली योग्य दावे				
वसूली योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	**1187.74**		1009.33	
वसूली योग्य दावे एवं अन्य	**735.57**		708.26	
अग्रिम				
आपूर्तिकर्ता / उप ठेकेदार	**257.73**		431.22	
	2181.04		2148.81	
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों व दावों के लिए भत्ते	**126.45**	**2054.59**	235.40	1913.41
उनमें से :	**-**		-	
प्रतिभूत, स्वीकृत माल				
अप्रतिभूत, स्वीकृत माल	**2054.59**		1913.41	
क्रेडिट रिस्क में उल्लेखनीय वृद्धि	**-**		-	
क्रेडित इम्पेयर्ड	**126.45**		235.40	
जमा सुरक्षा निधि				
कर प्राधिकरणों व अन्य के पास जमा	**495.75**		511.47	
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध जमा के लिए भत्ते	**60.87**	**434.88**	34.63	476.84
उनमें से:				
प्रतिभूत, स्वीकृत माल	**-**		-	
अप्रतिभूत, स्वीकृत माल	**434.88**		476.84	
क्रेडिट रिस्क में उल्लेखनीय वृद्धि	**-**		-	
क्रेडित इम्पेयर्ड	**60.87**		34.63	
		10393.90		10118.47
संविदागत संपत्तियां (प्रावधान को छोड़कर) में सम्मिलित है:				
आस्थिगित उधार		**5625.80**		5440.00

टिप्पणी [18] - ईक्विटी
ईक्विटी शेयर पूंजी

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
	अंशों की संख्या (रू में अंकित मूल्य)	राशि	अंशों की संख्या (रू में अंकित मूल्य)	राशि
ईक्विटी शेयर पूंजी				
प्राधिकृत	**10000000000 (2)**	**2000.00**	10000000000 (2)	2000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्णतरू प्रदत्त	**3482063355 (2)**	**696.41**	3671400000 (2)	734.28
क) बकाया ईक्विट अंशों की संख्या का समाधान	**3671400000**	**734.28**	2447600000	489.52
वर्ष के आरंभ में शेष	**-**	**-**	1223800000	244.76
जोड़ें : वर्ष के दौरान आवंटित बोनस अंश	**189336645**	**37.87**	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान वापस लाए गए अंश	**3482063355**	**696.41**	3671400000	734.28
वर्ष के अंत में शेष				
ख) वर्ष के अंत में 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण				
भारत के राष्ट्रपति	**2199650402**	**63.17%**	2315178000	63.06%
भारतीय जीवन बिमा निगम	**360647914**	**10.07%**	345680880	9.42%
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु. में)		**2.00**		2.00

ग) ईक्विटी शेयरों के साथ जुड़ी शर्तें/अधिकार :
कंपनी के पास ईक्विटी अंशों का केवल एक वर्ग है जिसका सम मूल्य रु. 2 प्रति अंश (पिछले वर्ष का रु. 2 प्रति शेयर) है। ईक्विटी अंशों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का पात्र है।

घ) बोनस शेयर जारी करना: कंपनी ने 03 अक्टूबर, 2017 को 1रू 2 के अनुपात में अर्थात विद्यमान पूर्णत: प्रदत्त दो ईक्विटी शेयरों के लिए एक बोनस की दर से शेयर आवंटित किए। परिणामत:, आरक्षित निधि के पूंजीकरण के द्वारा प्रदत्त पूंजी को वित्त वर्ष 2016–17 में 4, 89.52 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2017–18 में रु.734.28 करोड़ कर दिया गया।

ङ) शेयर का पुन: क्रय: संचालक मण्डल ने 25 अक्टूबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी को कुल जारी किए गए एवं पूर्णतरू प्रदत्त ईक्विटी अंशों के 5.16% का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रति अंश 2 रूपय की अंकित मूल्य के 18, 93, 36, 645 पूणतरू प्रदत्त इक्विटी अंशों को कंपनी के पात्र इक्विटी अंश धारको से 86 रुपए प्रति ईक्विटी शेयर की दर से अधिकतम राशि रु .628, 29, 51, 470 के लिए इक्विटी शेयरों के पुन: क्रय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। पुन: क्रय ऑफर का आकार एकल व समेकित प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की फ्री आरक्षित निधियों का 5: तक था, जोकि पूर्णतरू प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निर्बंध आरक्षित निधियों 5% तक था, जोकि पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निर्बंध आरक्षित निधियों का कुल के औसतन 10% की वैधानिक सीमा के काफी भीतर था।

पुन: क्रय की अभिलिखित दिनांक 06 नवम्बर 2028 थी।

टिप्पणी [18] - ईक्विटी ईक्विटी शेयर पूंजी

कंपनी ने निविदा प्रस्ताव मार्ग को अपनाया और बायबैक प्रस्ताव 13 दिसंबर, 2018 को खोला और 27 दिसंबर, 2018 को बंद कर दिया। ईक्विटी अंशों के पुनः क्रय में लेनदेन लागत को छोड़कर उपयोग की गई कुल राशि रूपय 1628, 29, 51, 470 के साथ रूपय 86 प्रति इक्विटी अंश की दर पर 18, 93, 36, 645 के कुल इक्विटी अंश वापस खरीदे गए। पुनः क्रय कमेटी ने 10 जनवरी, 2019 को हुई उसकी पुनः क्रय किए गए इक्विटी अंशों के परिशमन को अनुमोदित किया।

फलरूवरूप, प्रदत्त अंश पूंजी वित्त वर्ष 2017–18 में 734.28 करोड़ रु से वित्त वर्ष 2018–19 में **696.41 करोड़** तक घट गई ।

टिप्पणी [18a] - अन्य ईक्विटी

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
अन्य ईक्विटी शेषों का सारांशः		
आरक्षित पूंजी निधि	35.18	35.18
पूंजी मोचन आरक्षित निधि	37.87	-
सामान्य आरक्षित निधि	30476.66	32104.96
प्रतिधारित उपार्जन	(232.59)	(517.45)
पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	(141.15)	(21.98)
	30175.97	31600.71

आरक्षित निधियों की प्रकृति एवं उद्देश्यः

(क) आरक्षित पूंजी निधि : यह मुख्य रूप से बीएचईएल के साथ तत्कालीन सहायक कंपनी (एचपीवीपी) के समामेलन के दौरान भुगतान की गई प्रतिफल की लागत पर लिए गए निवल संपत्तियों से अधिकता का प्रतिनिधित्व करता है।

(ख) पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व : कंपनी ने अपनी सामान्य आरक्षित निधि से ईक्विटी शेयरों की खरीद पर पूंजी मोचन आरक्षित निधि को मान्यता दी है। पूंजी मोचन आरक्षित निधि में राशि पुर्नक्रय किए गए ईक्विटी शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर है।

(ग) सामान्य आरक्षित निधिः यह कंपनी द्वारा भावी (ज्ञात/अज्ञात) देयताओं की पूर्ति हेतु रखे गए संचित लाभ का प्रतिनिधित्व करता है।

(घ) प्रतिधारित उपार्जनः प्रतिधारित उपार्जन आज की दिनांक तक सामान्य आरक्षित निधि, लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) या अंशधारकों को प्रदत्त अन्य वितरिणों को घटा कर अर्जित किया गया लाभ है।

(ङ) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन : योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय और वास्तव में उपलब्ध प्रतिफल, एवं बीमांकिंत मान्यताओं में परिवर्तन या योजनाओं के अंतर्गत अनुभव समायोजन के कारण वर्ष भर में दायित्वों में किसी भी परिवर्तन को "अन्य व्यापक आय" के रूप में मान्यता दी जाती है और तदुपरांत, इन्हें लाभ– हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

टिप्पणी [19] - गैर चालू दायित्व
वित्तीय देयताएं – उधार

पट्टा पर लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 3 का संदर्भ ग्रहण करें।

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
अप्रतिभूत		
वित्त पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता	**95.45**	57.18
	95.45	57.18

(पट्टे पर टिप्पणी [48] के अनुसार उद्घोषणा)

टिप्पणी [20] - गैर चालू देयताएं
वित्तीय देयताएं –व्यापारिक देयताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
व्यावसायिक देयताएं				
(i) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		-		-
(ii) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया	**702.87**	**702.87**	481.75	481.75
		702.87		481.75

टिप्पणी [21] - गैर चालू देयताएं
अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
ठेकेदारों व अन्य से जमा	**84.93**	110.43
पूंजीगत व्यय के दायित्व	**6.36**	3.98
	91.29	114.41

टिप्पणी [22] & गैर चालू देयताएं
प्रावधान

कर्मचारी लाभ व प्रावधान पर लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिन्दु 9 व 10 का संदर्भ ग्रहण करें।

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
संविदागत देयताएं	**3843.71**	3477.90
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	**1308.70**	1265.26
अन्य प्रावधान	**312.62**	240.77
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व*	**2.40**	0.96
	5467.43	4984.89

*(सीएसआर व्ययों पर टिप्पणी [34] के बिंदु (अपपप) के अनुसार उद्घोषणा)

टिप्पणी [23] - गैर चालू दायित्व
अन्य गैर चालू दायित्व

शासकीय अनुदानों पर लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 11 का संदर्भ ग्रहण करें। (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
संविदागत देयताएं	3577.93	3610.08
(राजस्व पर बिलिंग आधिक्य रहित ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम)	37.95	26.60
आस्थगित आय – शासकीय अनुदान#	3615.88	3636.68

#शासकीय अनुदान सोलार पीवी प्लांट स्थापित करने हेतु दिया गया है।

टिप्पणी [24] - चालू दायित्व
वित्तीय दायित्व –उधार

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
संरक्षित		
बैंकों से ऋण (फिक्स्ड डिपाजिट के विरुद्ध)	600.00	-
प्री शिपिंग पैकिंग क्रेडिट (कच्चे माल, पूर्जों, प्रकतिशील कार्य, तैयार माल व भंडार के –ष्टिबंधक से संरक्षित)	357.27	-
	6.69	4.55
नकद जमा (बीएचईएल ईएमएल द्वारा)	963.96	4.55
असंरक्षित		
वाणिज्यिक दस्तावेज	1500.00	-
कंपनियों से ऋण (बीएचईएल ईएमएल द्वारा)	6.15	5.73
	1506.15	5.73
कुल उधार	2470.11	10.28

(i) कंपनी के पास संघीय बैंको द्वारा स्वीकृत बैंकों से नकद ऋण सीमा कुल मिलाकर रु 6000 करोड़ (पिछले वर्ष रु 5000 करोड़) और बैंक गारंटी/बैंक साख पत्र के संबंध में और कंपनी की प्रति गारंटी / क्षतिपूर्ति दायित्व की सीमा कुल मिलाकर रू 54000 करोड़ (पिछले वर्ष रु 55000 करोड़) है।कच्चे माल, पूर्जों, प्रगतिशील कार्य, तैयार माल, भंडार, व्यापार प्राप्य और वर्तमान व भविष्य दोनों में अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के –ष्टिबंधक के माध्यम से इन्हें प्रथम प्रभाव द्वारा सुरक्षित किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक बकाया बैंक गारंटी रु 43136 करोड़ (पिछले वर्ष 43881 करोड़ रुपये) है।

(ii) रुपये 775 करोड़ की सावधि जमा की जमानत पर बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में ऋण लिया गया जो 02 अप्रैल 2019 को चुकाया गया है।

(iii) वह वर्ष के अंत में बकाया वाणिज्यिक पत्र जून 2019 में चुकाया जाना है। कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में पैकिंग क्रेडिट (PCFC) का लाभ उठाया गया है। बकाया राशि यूएसडी 51.31 मिलियन है जो आंशिक रूप से सितंबर 19 तक और आंशिक रूप से दिसंबर 19 तक चुकाया जाना है।

(iv) 31.03.2019 को बकाया स्वयं के दायित्वों के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी रुपये 1433 करोड़ (पिछले वर्ष 1747 करोड़ रुपये) है ।

टिप्पणी [25] - चालू दायित्व

वित्तीय दायित्व – व्यापारिक देयताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
व्यापारिक देयताएं:				
(i) सूक्ष्म व लघु उद्यमों का कुल बाकया देय		**361.17**		283.96
(ii) सूक्ष्म व लघु उद्यमों के अतिरिक्त देनदारों का कुल बकाया देय	**10967.53**		10236.32	
स्वीकृतियां	**52.28**	**11019.81**	68.97	10305.29
		11380.98		10589.25

अ. सूक्ष्म व लघु उद्यमों की उद्घोषणा		
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अदत्त शेष मूल राशि	**361.17**	283.96
(ii) लेखांकन वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को उस अदत्त शेष पर देय ब्याज	**-**	-
(iii) वर्ष के दौरान, नियुक्ति की तारीख के बाद से आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान के साथ धारा 16 की शर्तों पर किए गए भुगतान के ब्याज की राशि	**-**	0.44
(iv) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (जो वर्ष के दौरान नियुक्ति की दिनांक के बाद से भुगतान किया जाना था)	**-**	-
(v) वर्ष के दौरान उत्पन्न ब्याज एवं वर्षांत अदत्त शेष की राशि	**-**	-
(vi) कटौती योग्य व्यय के रूप में निषेध के प्रयोजन के लिए उस दिनांक तक जब लघु उद्यम को उपरोक्तानुसार देय ब्याज का वास्विक भुगतान कर दिया गया हो, उत्तरवर्ती वर्षों में भी बकाया ब्याज देय और भुगतन योग्य राशि	**-**	-

टिप्पणी [26] - चालू दायित्व

अन्य वित्तीय दायित्व

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
देयताएं:				
कर्मचारी देयताएं	512.14		856.19	
अन्य देयताएं	880.54		762.13	
पूंजीगत व्यय	88.75	1481.43	111.38	1729.70
ठेकेदारों व अन्यों से जमा		522.27		492.30
वित्त पट्टा देयता की वर्तमान परिपक्वता#		58.45		42.27
अप्रदत्त लाभांश*		3.61		3.30
ऋणों पर उत्पन्न व देय ब्याज				
वित्तीय पट्टा देयताएं		4.41		3.43
उत्पन्न परन्तु अदेय ब्याज		0.07		0.38
		2070.24		2271.38

(i) * वर्षांत निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि को अंतरित करने कोई राशि देय और बकाया नहीं है।

(ii) # पट्टे पर उद्घोषणा टिप्पणी [48] के अनुसार

(iii) अन्य देयताएं में बोनस अंशों के जारी करने से उत्पन्न भिन्नात्मक शेयरों की बिक्री प्रक्रिया के लिए रु. 0.03 करोड़ सम्मिलित है।

टिप्पणी [27] - चालू दायित्व

प्रावधान

कर्मचारी लाभ व प्रावधानों पर लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिन्दु 9 व 10 का संदर्भ ग्रहण करें (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
संविदागत देयताएं	1443.10	1853.42
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	784.49	1566.10
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व ##	19.43	30.18
अन्य प्रावधान	241.92	279.60
	2488.94	3729.30

(सीएसआर व्यय पर उद्घोषणा टिप्पणी [34] के अनुसार)

टिप्पणी [28] - चालू दायित्व
अन्य चालू दायित्व

शासकीय अनुदानों पर लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 11 का संदर्भ ग्रहण करें (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
संविदागत देयताएं (राजस्व पर बिलिंग आधिक्य सहित ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम)	3261.68	3963.62
वैधानिक देयों के प्रति दायित्व	1310.95	1296.47
आस्थिगित आय–शासकीय अनुदान	6.45	7.46
	4579.08	5267.55

टिप्पणी [29]
परिचालनों से राजस्व

राजस्व मान्यताओं पर लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 7 का संदर्भ ग्रहण करें (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
ठेकेदारों के अनुबंधों से राजस्व		
विक्रय	22419.54	21901.83
बाहरी निर्माण व अन्य सेवाओं से आय	6948.31	5963.01
कारोबार (आ)	29367.85	27864.84
अन्य परिचालन आय		
भाड़ा व बीमा	263.62	288.07
स्क्रेप से आय	205.64	147.27
आपूर्तिकताओं से वसूलियां	186.97	142.68
राइट बैक की गई देयताएं	181.05	97.01
बीमा दावे	41.08	37.44
निर्यात प्रोत्साहन	3.64	26.48
अन्य	117.80	223.69
अन्य परिचालन आय (ब)	999.80	962.64
परिचालनों से राजस्व (स=अ+ब)	30367.65	28827.48
परिचालनों से राजस्व में सम्मिलित नहीं है :		
क. माल एवं सेवा कर	4491.81	3715.75
ख. सेवा कर	-	140.91
ग. उत्पाद शुल्क	-	247.98

टिप्पणी [30]
अन्य आय

राजस्व मान्यताओं पर लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 7 का संदर्भ ग्रहण करें (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
ब्याज से आय*		
बैंकों से	498.71	520.27
अन्य से	100.73	70.40
	599.44	590.67
लाभांश से आय		
म्युचुअल फंडों में निवेश पर लाभांश	-	10.82
	-	10.82
अन्य आय		
म्युचुअल फंडों की इकाइयों के विक्रय से लाभ	17.00	25.85
शासकीय अनुदान	6.50	8.73
पीपीई व पूंजीगत भंडार (शुद्ध) के विक्रय से आय	2.25	9.41
अन्य	36.33	33.76
	62.08	77.75
कुल अन्य आय	661.52	679.24
*टीडीएस सम्मिलित	41.44	43.98

टिप्पणी [31]
सामग्री उपभोग, परिनिर्माण एवं इंजीनियरिंग व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
कच्चे माल व कलपुर्जों की खपत	15041.62	12102.78
सिविल, इरेक्शन एवं इंजीनियरिंग व्यय	3866.88	3418.67
भंडार व पुर्जों की खपत	411.70	385.82
	19320.20	15907.27

टिप्पणी [32]

पूर्ण निर्मित व अर्धनिर्मित वस्तुओं की वस्तुसूची में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
प्रगतिशील कार्य				
अंतिम शेष	3220.71		2285.51	
आरंभिक शेष	2285.51	(935.20)	2535.60	250.09
तैयार माल +				
अंतिम शेष	977.74		865.01	
आरंभिक शेष	865.01	(112.73)	1297.76	432.75
पारगमन में अंतर विभागीय अंतरण		(23.74)		56.16
		(1071.67)		739.00
+ तैयार माल में उत्पाद शुल्क का अंश				
अंतिम शेष		N.A.		N.A.
आरंभिक शेष		N.A.		134.25

टिप्पणी [33]

कर्मचारी लाभार्थ व्यय

कर्मचारी लाभों पर लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 9 का संदर्भ ग्रहण करें (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते व अन्य लाभ	5448.49	5082.98
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान	427.04	383.72
कर्मचारी कल्याण व्यय	276.53	276.76
उपदान निधि में अंशदान	107.76	321.91
समूह बीमा	9.10	10.18
	6268.92	6075.55

टिप्पणी [34]

विनिर्माण, प्रशासन, विक्रय व वितरण व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
ईधन व विद्युत		496.94		463.62
बहिर्गामी वाहन		377.52		387.15
अन्य उप निविदाओं पर व्यय		351.34		350.50
सुरक्षा अभिकरणों को भुगतान		225.32		217.92
मरम्मत व अनुरक्षण:				
भवन	60.45		56.70	
संयंत्र व मशीनरी	38.60		32.29	
अन्य	107.14	206.19	113.07	202.06
कॉलाबरेशन्स व रॉयल्टी पर व्यय		138.31		147.38
यात्रा व वाहन		125.11		122.21
उत्पाद शुल्क (शुद्ध)		-		(112.94)
बीमा		124.20		104.48
अनुसंधान एवं विकास व्यय		123.12		47.99
बैंक चार्ज		89.92		75.01
हायर चार्ज		74.20		70.03
कौशल विकास पर व्यय		51.86		37.73
दरें व कर		50.06		56.45
कार्यालय व्यय		45.10		47.33
जल कर		40.38		40.37
ईडीपी, साफ्टवेयर व लीज लाइन व्यय		35.58		38.72
विधि, लेखा परीक्षा व प्रमाणन व्यय		31.57		36.56
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व		26.54		10.40
गैर आवास का किराया		22.05		21.91
प्रचार व जनसंपर्क व्यय		19.90		28.55
मनोरंजन व आतिथ्य व्यय		10.78		10.43
निर्यात संबंधी व्यय		10.06		14.43
पर्यावरण संरक्षण		7.82		8.53
संगोष्ठी, विकास एवं प्रशिक्षण व्यय		7.27		5.12
विविध व्यय		73.89		90.13
		2765.03		2523.08
निवल विनिमय परिवर्तन लाभ (–) / हानि (+)		(66.54)		(519.72)
		2698.49		2003.36

टिप्पणी [34]

उद्घोषणा– विनिर्माण, प्रशासन, विक्रय व वितरण व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
(i) विधि, लेखा परीक्षा व प्रमाणन व्यय में सम्मिलि है :		
वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतानः		
लेखा परीक्षा शुल्क	0.83	0.73
लेखा परीक्षा कर	0.20	0.16
त्रैमासिक सीमित समीक्षा व अन्य	0.76	0.39
लेखा परीक्षा व्यय	0.20	0.12
	1.99	1.40
लागत लेखा परीक्षकों को भुगतानः		
लेखा परीक्षा शुल्क	0.15	0.15
(ii) निदेशकों का शुल्क	0.16	0.16
(iii) विभागीय मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय :		
संयंत्र व मशीनरी	238.08	202.30
भवन	47.64	53.98
अन्य	40.47	47.80
(iv) अनुसंधान व विकास में व्यय	267.59	261.74
(v) विदेश यात्राओं में व्यय		
दौरों की संख्या	332	224
व्यय	6.33	5.39

(vi) उत्पाद शुल्क पिछले वर्ष में परिचालनों से राजस्व से संबंधित शुद्ध राशि है।

(vii) वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर पर व्यय की न्यनतम आश्यकता पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय में स्कूल व्यय पर खर्च किए गए रूपय 19.83 करोड़ सम्मिलित है।

(viii) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 सहपाठित डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी को उसकी सीएसआर नीति के अनुपालन में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय करने की आवश्यकता है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार हैरू

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
A. वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि	6.70	10.40
B. पिछले वर्ष से उपलब्ध राशि	31.14	53.90
C. कुल (A+B)	37.84	64.30
D. वर्ष के दौरान निम्न पर किए गए व्यय राशि–		
(i) किसी परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण में	-	-
(ii) उक्त (i) के अतिरिक्त अन्य में	16.01	33.16
कुल	16.01	33.16
आगे ले जाई गई राशि :	21.83	31.14
चालू	19.43	30.18
गैर चालू	2.40	0.96

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
	नगद में	नगद में भुगतान होना हैं	नगद में	नगद में भुगतान होना हैं
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-
(ii) उक्त (i) के अतिरिक्त अन्य	4.16	2.54	7.36	3.04
	4.16	2.54	7.36	3.04

टिप्पणी [35] प्रावधान

कर्मचारी लाभों, प्रावधानों एवं संपत्तियों के ह्रास पर लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 9, 10, 13 का संदर्भ ग्रहण करें (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
अशोध्य कर्ज, परिनिर्धारित क्षतियां व ऋण, अग्रिम व जमाएं				
वर्ष के दौरान जमा किए गए	**3025.49**		3365.56	
घटाएंः वर्ष के दौरान निकासी	**1231.80**	**1793.69**	764.12	2601.44
अनुबंधगत देयताएं				
वर्ष के दौरान निर्मित	**744.69**		797.48	
घटाएंः वर्ष के दौरान निकासी	**795.92**	**(51.23)**	727.48	70.00
अन्य				
वर्ष के दौरान निर्मित	**240.92**		312.12	
घटाएंः वर्ष के दौरान निकासी	**1003.90**	**(762.98)**	784.81	(472.69)
		979.48		2198.75
बट्टे में डाली गई हानि		**2.12**		31.98
बट्टे में डाले गए अशोध्य कर्ज		**26.03**		8.22
प्रतिभारित परिनिर्धारित क्षतियां व अनुबंधगत देयता भार		**65.03**		1.29
		1072.66		2240.24

टिप्पणी [36]
वित्तीय लागतें

ऋण लागतों एवं प्रावधानों पर लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 5, 10 का संदर्भ ग्रहण करें (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
ऋण लागतें				
प्रावधानों एवं आस्थगित दायित्वों का मोचन		**190.93**		219.98
ब्याज लागतः				
बैंक / वित्तीय संस्थान	**69.45**		-	
वित्तीय पट्टे व अन्य पर	**17.71**	**87.16**	35.18	35.18
वाणिज्यिक दस्तावेजों पर छूट		**9.92**		-
		288.01		255.16
घटाएंः पूंजीकृत ऋण लागतें		**-**		-
		288.01		255.16

टिप्पणी [37]
कर व्यय

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिंन्दु 12 का संदर्भ ग्रहण करें (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
वर्तमान कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	**719.06**		551.81	
पिछले वर्ष के लिए	**16.01**	**735.07**	26.86	578.67
आस्थगित कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	**5.23**		(64.54)	
पिछले वर्ष के लिए	**100.64**	**105.87**	262.55	198.01
		840.94		776.68

(i) अनुसंधान व विकास व्यय रु वर्ष के दौरान हुए अनुसंधान व विकास व्यय का विवरण, जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (2 अ ब) (भूमि व भवन के अतिरिक्त) के अंतर्गत कटौती योग्य है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च 2018 की स्थिति पर	
अ. (i) भूमि		**-**		-
(i) भवन		**(0.05)**		2.08
ब. संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी		**9.02**		11.34
स. राजस्व व्यय				
वेतन व मजदूरी	**181.09**		157.70	
सामाग्री, उपभोग्य व पूर्जे	**60.77**		17.80	
उपयोगिताएँ	**0.69**		0.54	
आर–डी से सीधे संबंधित अन्य व्यय	**22.94**	**265.49**	30.93	206.97
कुल राजस्व व्यय (स)		**265.49**		206.97
द. आर एंड डी केन्द्र द्वारा कोई प्राप्ति/आय		**(0.51)**		(1.69)
इ. कटौती योग्य शुद्ध राशि (बी+सी–डी)		**274.00**		216.62

बीएचईएल, आईजीसीएआर और एनटीपीसी का एक संघ ने भविष्य के ताप विद्युत केंन्द्रों, कोयला खपत के साथ साथ कार्बन डाई आक्साईड उत्सर्जन को कम करने की परिकल्पना हेतु उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए अगस्त, 2010 में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 10 अगस्त, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में इस परियोजना को अपना अनुमोदन प्रदान किया। आर एंड डी परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु बीएचईएल से 270 करोड़ रु, एनटीपीसी से 50 करोड़ रु, आईजीसीएआर से 234 करोड़ रु, डीएसटी से 100 करोड़ रु और शेष भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार द्वारा 900 करोड़ रू के अंशदान के साथ इस परियोजन का अनुमानित व्यय 1554 करोड़ रुपये सम्मिलित है। बीएचईएल ने अपने स्वयं के योगदान से **117.50 करोड़** रू संचयी रूप से व्यय किए है (पिछले वर्ष तक 23.60 करोड़ रू) और आर–डी व्यय में इसे गिना है।

टिप्पणी [37]

(ii) आयकर व्यय और लेखा लाभ (टीसीआई) को आयकर दर से गुणा का पुनः मिलान (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
कर पूर्व कुल व्यापक आय (TCI) (A)	**1666.93**	1342.44
वैधानिक आयकर दर (B)	**34.944%**	34.608%
कर व्यय (C) = AXB	**582.49**	464.59
निम्न के कारण अंतरः		
कर उद्देश्य के लिए गैर कटौती योग्य व्यय	**60.18**	6.99
आयकर मुक्त आय	**-**	(3.74)
आयकर प्रोत्साहन	**(47.87)**	(37.48)
कर दरों में परिवर्तन	**0.62**	(34.17)
कर व्यय में परिवर्तन– पिछले वर्षों में	**116.65**	289.41
संयुक्त उपक्रमों के अंश पर कर प्रभाव लाभ/हानि	**64.85**	135.17
उप योग (D)	**194.43**	356.18
शुद्ध कर व्यय (E) = C+D	**776.92**	820.77

टिप्पणी [38]

अन्य व्यापक आय/व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
आय /(व्यय)		
परिभाषित कर्मचारी लाभों का पुनः आंकलन	**(183.19)**	127.39
घटांएः उक्त मदों संबंधित आय कर*	**64.02**	44.09
	(119.17)	83.30
* सम्मिलित है		
वर्तमान कर	**-**	28.33
आस्थगित कर	**(64.02)**	15.76

टिप्पणी [39]

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
ईक्विटी अंशधारकों के लिए लाभ	**1009.16**	438.19
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**362.94**	367.14
2 रू प्रति अंश की मूल व मिश्रित (तनुकृत) आय	**2.78**	1.19

प्रति इक्विटी अंश की मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों के कारण शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से को विभाजित करके की जाती है। प्रति अंश मिश्रित (तनुकृत) आय की आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों के कारण शुद्ध लाभ को प्रति अंश मूल आय को व्युत्पन्न करने हेतु मान्य इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और तनुकरण योग्य सभी संभाव्य इक्विटी अंश के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भी विभाजित कर की जाती है। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए इक्विटी अंश की भारित औसत संख्या 10 जनवरी, 2019 अंशों के पुनः क्रय की संपन्नता पर विचार करके ज्ञात किए गए हैं । मूल और तनुकृत ईपीएस समान हैं।

टिप्पणी [40]
प्रति अंश लाभांश

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
A वर्ष के दौरान इक्विटी अंशों पर घोषित व प्रदत्त लाभांश		
अर्ह प्रति इक्विटी अंश रू **1.02** का अंतिम लाभांश (पिछले वर्ष का रू 0.78)	**374.49**	190.92
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	**76.97**	38.87
अर्ह प्रति इक्विटी अंश **रू 0.80** का अंतरिम लाभांश (पिछले वर्ष का रू 0.80)	**278.57**	293.71
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	**57.27**	59.79
	787.30	583.29
B दायित्व के रूप में अमान्य इक्विटी अंश पर प्रस्तावित लाभांश		
वर्ष 2018 19 के लिए प्रस्तावित प्रति इक्विटी अंश 1.02 रू का अंतिम लाभांश (वर्ष 2017–18 के लिए रू 1.02 प्रति अंश)	**417.85**	374.49
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	**85.89**	76.97
	503.74	451.46

इक्विटी अंशों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में कंपनी के अंशधारकों के स्वीकृति के अधीन है और तुलन पत्र (बैलेंस शीट)की तारीख को दायित्व के रूप में मान्य नहीं है।

नोट [41]

खातों के लिए नोट

समेकित वित्तीय विवरण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (कंपनी), इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम संस्थाओं में इसके सरोकार से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं-

लेखांकन का आधार

i) सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण और समेकन में संयुक्त उद्यम के हित मूल कंपनी के समान रिपोर्टिंग तिथि तक रेखांकित किया जाता है ।

ii) समेकित वित्तीय विवरणों को "समेकित वित्तीय विवरणों" पर भा. ले. मा.110 और "सहयोगी और संयुक्त उपक्रमों में निवेश" पर भा.ले.मा. 28 के अनुसरण में तैयार किया गया है।

समेकन का आधार

1. सहायिका मूल कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई है। सहायिका के वित्तीय विवरण "समेकित वित्तीय विवरणों" पर भा. ले. मा. 110 के अनुसार लाइन बाई लाइन आधार पर अंतर सामूहिक शेषों व अंतर सामूहिक लेनदेनों के विलोपन के पश्चात परिसम्पत्तियों, दायित्वों, आय और व्यय जैसे एक समान मदों के बही मूल्य को आपस में जोड़कर और अवास्तविक लाभ या हानि का मिश्रण है ।

2. इक्विटी-एकाउंटेड निवेशकों में कंपनी की रूचि संयुक्त उपक्रम में रुचि से मिलकर बनती है। एक संयुक्त उपक्रम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कम्पनी के पास संयुक्त नियंत्रण होता है, जिसके द्वारा कम्पनी के पास उसकी परिसम्पत्तियों पर अधिकार एवं उसकी देयताओं का दायित्व के बजाय व्यवस्था की शुद्ध परिसम्पत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त उपक्रमों में प्रतिफलों की गणना इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। उन्हें प्रारम्भिक लागतों पर मान्य किया जाता है जिसमें लेनदेन की लागत सम्मिलित है। प्रारंभिक मान्यताओं के तदुपरांत, उस तारीख को जिस पर उल्लेखनीय हिस्सेदारी या संयुक्त नियंत्रण समाप्त नहीं हो जाता, समेकित वित्तीय में कंपनी के लाभ या हानि का भाग और इक्विटी-अकाउंटेड निवेशों की अन्य व्यापक आय सम्मिलित हैं।

   जब तक कि किसी संयुक्त उद्यम के नुकसान का हिस्सा उस संयुक्त उद्यम में समूह के ब्याज से अधिक हो जाता है, तो समूह अपने आगे के हिस्से के नुकसान को पहचानना बंद कर देता है। अतिरिक्त नुकसान को केवल उस सीमा तक पहचाना जाता है जब तक समूह ने कानूनी या रचनात्मक दायित्वों को पूरा किया हो या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो।

3. समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों का उपयोग करके समान परिस्थितियोंमें लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए एक समान तैयार किए गए हैं और संभव सीमा तक प्रस्तुत किए गए हैं।

5. समेकित सहायिका की शुद्ध देनदारियों के अल्पांश ब्याज को समेकित वित्तीय विवरण में कंपनी शेयरधारक की संपत्ति/देनदारियों और इक्विटी से अलग चिन्हित और प्रस्तुत किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित संस्थाओं के परिणाम शामिल हैं-

विवरण	मुख्य व्यापार केंद्र	स्वामित्व का अनुपात	
		2017-19	2017-18
सहायक कम्पनी			
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड (बीएचईएल ईएमएल)	भारत	**51%**	51%
संयुक्त उद्यम कंपनियां (इक्विटी विधि का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार)			
बीएचईएल -जीई गैस टर्बाइन सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	**50% से कम का एक शेयर**	50% से कम का एक अंश
एनटीपीसी- बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड		**50%**	50%
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		**27.97%**	27.97%

a) बीएचईएल ईएमएल के वित्तीय विवरणों को 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण के आधार पर समेकित किया गयाहै।

b) बीएचईएल -जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उपक्रम में प्रतिफल लेखांकित वित्तीय विवरणों के आधार पर माना गया है।

c) एनटीपीसी- बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उपक्रम में प्रतिफल गैर लेखांकित वित्तीय विवरणों के आधार पर माना गया है।

d) पावर प्लांट परफोरमेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड के संबंध में सम्बंध में वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रतिफल मान्य नहीं किया गया है क्योंकि कम्पनी परिसमापन के अधीन है । इक्विटी निवेश की पूर्ण राशि रुपये 2 करोड़ ह्रास के रूप में उपलब्ध करायी गयी है।

e) दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड के संबंध में वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रतिफल मान्य नहीं किया गया है क्योंकि कम्पनी परिसमापन के अधीन है । इक्विटी निवेश की पूर्ण राशि रुपये 5.20 करोड़ ह्रास के रूप में उपलब्ध करायी गयी है

नोट[42] - तत्काल देनदारियां और प्रतिबद्धतायें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31मार्च, 2019तक	31मार्च, 2018तक
अ. तत्काल देनदारियां		
कम्पनी विरुद्ध दावा ऋण के रुप में नहीं स्वीकार किया गया :		
(क) बिक्री कर मामले	1194.96	1683.30
(ख)न्यायालय और मध्यस्थता मामले	583.81	951.09
(ग) सेवा कर मामले	960.78	387.82
(घ)उत्पादशुल्कमामले	229.82	311.43
(ङ) सीमा शुल्क और अन्य मामले	5.80	16.46
(च) अन्य मामले (विवादित कर्मचारी मामलों सहित)	48.79	37.66
(छ) परिनिर्धारित नुकसान कि ओर दावा	4410.68	5068.15
	7434.64	8455.91

(i) इस स्तर पर कंपनी द्वारा विवादित विभिन्न अदालती मामलों, मुकदमों और दावों के मद्देनजर संसाधनों का बहिर्वाह विश्वसनीय नहीं है ।

(ii) संबंधित कार्यवाही के लंबित समाधान के कारण, (क) से (छ), यदि कोई हो, के संबंध में वास्तविक नकदी बहिर्वाह के समय का अनुमान लगाना कंपनी के लिए व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, संभावना दूरस्थ और आकस्मिक हैं।

(iii) परिसमापक नुकसान परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा संभावित दावों या राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जो विलंब विश्लेषण के आधार पर परियोजना के कमीशन और परीक्षण संचालन के बाद निपटाया जाएगा और इंड एएस -37 के अनुसार उद्घाटित किया जा रहा है।

(रु. करोड़ में)

विवरण	31मार्च, 2019तक	31मार्च, 2018तक
(iv) आकस्मिक देनदारियों में संचलन		
वर्ष के आरम्भ में शेष राशि	8455.91	9983.90
घटायें : प्रारम्भिक शेष राशि में कमी	2720.04	2782.95
जोड़ें :वर्ष के दौरान परिवर्धन (शुद्ध)	1698.77	1254.96
वर्ष के अंत में शेष राशि	7434.64	8455.91

(रु. करोड़ में)

विवरण	31मार्च, 2019तक	31मार्च, 2018तक
ब. प्रतिबद्धताएं		
(क) अनुबंध की अनुमानित राशि,शुद्ध अग्रिम ,शेष पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाएगा और इसके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।	274.79	226.51
- (उपरोक्त में अमूर्त संपत्ति से संबंधित अधिग्रहण शामिल हैं)	(3.23)	(10.01)
(ख) संयुक्त उद्यम संस्थाओं में निवेश कंपनी के लिए उनके निपटान की तारीख से पांच साल के लिए के लिए प्रतिबंध है परियोजना का समावेश / वाणिज्यिक संचालन / पहली इकाई पहले ईपीसी अनुबंध की परियोजना / पूर्णता जैसा भी मामला हो		50.00	50.00
(ग)अन्य संयुक्त उद्यम साझेदार की अतिरिक्त इक्विटी शेयर लेने की असमर्थता की स्थिति में संयुक्त उद्यमों में अतिरिक्त निवेश के प्रति प्रतिबद्धता	.	.

(घ)व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दीर्घकालिक निर्माण अनुबंध होने पर सामग्री आदि की खरीद के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, जिसे सामान्य व्यापार प्रक्रिया माना जाता है।

नोट [43]

वर्तमान वित्तीय देनदारियों में 100.51 करोड़ रुपये की राशि शामिल है (पिछले वर्ष रुपये 100.51 करोड़) । भारत सरकार द्वारा 1990-91 तक सरकार के इशारे पर कंपनी द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में गारंटी शुल्क के लिए माँग की गई। कंपनी द्वारा ऋण लेते समय (सरकार द्वारा गारंटीकृत) इसके गारंटी शुल्क के भुगतान के लिए कोई शर्त नहीं होने के कारण इसकी माफी का मामला सरकार के साथ उठाया गया है।

नोट [44]

कंपनी ने 1 अप्रैल, 1999 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से एमॉर्फस सिलिकन सोलर सेल प्लांट (ASSCP), गुड़गांव को 30 साल की अवधि के लिए लीज (पट्टे) परलियाथा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ औपचारिक लीज (पट्टा) समझौते को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

नोट [45]

व्यापा रप्राप्य, व्यापार के भुगतान, ठेकेदारों के अग्रिम, जमा औ र स्टॉक / उप ठेकेदारों / फैब्रिकेटर्स के पास रखी सामग्री के तहत दिखाए गए शेष, पुष्टि, मिलान और अनुवर्ती समायोजन के अधीन हैं, यदि कोई हो। कंपनी दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों के व्यवसाय में है, ग्राहकों द्वारा अनुमोदित बिलिंग अनुसूची के अनुबंध अनुसार ग्राहकों के बिल उठाए जाते हैं, और जहां भी आवश्यक हो, अनुबंध और प्रावधानों के आधार पर मिलान किया जाता है। ग्राहक के साथ अंतिम मिलान परियोजना के पूरा होने पर किया जाता है (ट्रायल ऑपरेशन और पीजी टेस्ट पूरा होने)। कुल 29025 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 29234 करोड़ रुपये), के व्यापार प्राप्तियों में से, पूर्ण हुई परियोजनाओं में 7388 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6287 करोड़ रुपये) बकाया हैं। पूर्ण किए गए अनुबंधों में से, ग्राहकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली परियोजनाओं के लिए 6622 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5497 करोड़ रुपये) की कुल व्यापार प्राप्तियां बकाया हैं ।

नोट [46] - सहायक

(a) सहायकों के नाम	व्यापार का मुख्य केंद्र	कंपनी द्वारा आयोजित स्वामित्व हित का अनुपात		गैर-नियंत्रित ब्याज द्वारा स्वामित्व हित का अनुपात	
		को जैसा		को जैसा	
		31मार्च , 2019	31मर्च, 2018	31मार्च , 2019	31मार्च , 2018
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड	भारत	51%	51%	49%	49%

बीएचईएल ईएमएल (सहायक कम्पनी) घूमने वाली विद्युत मशीनों के निर्माण के काम में लगा हुआ है और केरल के कासरगोड में स्थित है।

(b) संक्षेप में सहायक कंपनियों की वित्तीय जानकारी इस प्रकार है। सहायकों के लिए प्रकट की गई राशि अंतर कंपनी उन्मूलन से पहले की हैं

(रु. करोड़ में)

संक्षिप्त बैलेंस शीट	को जैसा	
	31मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति	11.60	12.42
वर्तमान संपत्ति	9.44	9.54
कुल सम्पत्ति	21.04	21.96
गैर तात्कालिक देनदरियां	5.69	8.11
वर्तमान देनदरियां	29.08	22.12
कुल देनदरियां	34ण77	30ण23
शुद्ध सम्पत्ति	;13ण73द्ध	(8.27)
गैरनियंत्रित संचित ब्याज (एनसीआई)	;6ण73द्ध	(4.05)

(रु. करोड़ में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	वर्ष के लिए	
	2018.19	2017.18
राजस्व	18.76	14.53
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(5.46)	(6.01)
अन्य व्यापक आमदनी	0.01	(0.04)
कुल व्यापक आमदनी	(5.45)	(6.05)
एनसीआई के कारण लाभ / (हानि)	(2.68)	(2.97)

संक्षिप्त नगदी प्रवाह	वर्ष के लिए	
	2018-19	2017-18
परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	(2.78)	(5.17)
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	-	-
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	2.55	3.83
नगद और नगद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि /(कमी)	(0.23)	(1.34)

सहायक कम्पनी की कार्यशील पूंजी दबाव में है। इसलिए, कम्पनी की स्थिति के विषय में अनिश्चितता है ।

नोट [47] & संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं

a. संयुक्त उद्यम की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी, भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर और वित्तीय विवरणों में निवेश की वहन राशि के साथ मिलान नीचे निर्धारित किया गया है :

संयुक्त उपक्रम का नाम (इक्विटी पद्धति पर आधारित)	व्यापार का मुख्य केंद्र	स्वामित्व अनुपात		ले जाई जाने वाली रकम	
		31मार्च तक		31मार्च तक	
		2019	2018	2019	2018
बीएचईएल-जीई गैसटर्बाइन सर्विसेजप्राइवेट लिमिटेड(बीजीजीटीएस)	भारत	50% में एक शेयर कम	50% में एक शेयर कम	2.38	2.38
एनटीपीसी- बीएचईएलपावर प्रोजेक्टसप्राइवेट लिमिटेड(एनबीपीपीपीएल)	भारत	50.00%	50.00%	-	4.40
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)	भारत	27.97%	27.97%	664.04	664.04
दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%	-	17.00

बीजीजीटीएस बीएचईएल और जीई की संयुक्त उद्यम कंपनी है, अमेरिका ने इसे जीई द्वारा डिज़ाइन किए गए गैस टर्बाइनों की मरम्मत और सर्विसिंग के लिए

बनाया है। बीएचईएल ने एनटीपीसी लिमिटेड केसाथ भारत और विदेशों में बिजली संयंत्रों और अन्यबुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ईपीसी अनुबंधों को पूरा करनेके लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी "एनटीपीसी- बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड" को बढ़ावा दियाहै। रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को येरामरुस, रायचूर, कर्नाटक में2x800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मलपावर प्लांटकीस्थापनाकेलिए बढ़ावा दियागयाहै,स्वयं निर्माण और संचालन के आधार पर एदलापुर, रायचूर, कर्नाटक में1x800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई है।येरामरुसटीपीपी की यूनिटI औरयूनिटII कीसीओडी (कैश ऑन डिलीवरी)क्रमशःमार्च2017 और अप्रैल 2017 में प्राप्त की।

(a) एनटीपीसी-बीएचईएलपावरप्रोजेक्ट्सप्राइवेटलिमिटेड में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर 50.00 करोड़ (पिछले वर्ष45.60 करोड़रुपये) रुपयेकीसीमातककियागयाहै।08 फरवरी, 2018 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने एनबीपीपीएल के (वाइंडिंग)समापन कोआगे बढ़ाने के लिए सैद्धांति कमंजूरी देदी है।

(b) पॉवर प्लांट पर फॉरमेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड के निवेश में 2 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2 करोड़ रुपये) मूल्य में कमी किए गए हैं चूंकि कंपनी परिसमापन के अधीन है और इक्विटी के रूप में भुगतान की गई राशि वसूली योग्य नहीं है।

(c) शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर दादा धुनीवा लेखंड वापावर लिमिटेड में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान 5.20 करोड़ (पिछलेवर्ष5.50 करोड़ रुपये)रुपये की सीमा तक बनाए रखा गयाहै। कंपनी का परिसमापन प्रक्रिया में है। डीडी के पीएल में निवेश राशि 22.50 करोड़ रुपये के सामने 27अप्रैल, 2018 को 17.30 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

b. समूह की संयुक्त उद्यम कंपनियों की संक्षेप में वित्तीय जानकारी इस प्रकार है:

नीचे दी गई तालिका समूह की संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय जानकारी को सारांशित करती है। जानकारी संयुक्त उद्यम कंपनियों के संबंधित वित्तीय वक्तव्यों के अनुसार है तथा इन राशियों के समूह का हिस्सा नहीं।

बीएचईएल जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

(रु. करोड़ में)

बैलेंस शीट	को जैसा	
	31मार्च,2019	31मार्च,2018
बीएचईएल शेयर	50%	50%
गैर तत्कालिक सम्पत्ति	43.94	37.72
वर्तमान सम्पत्ति	460.03	454.19
वर्तमान संपत्तियों में शामिल नकद और नकद समतुल्य (बैंक बैलेंस साथ)	112.69	49.70
गैर-वर्तमानदेनदारियां	9.27	4.65
गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियां (व्यापार के भुगतान को छोड़कर)	0.24	0.66
वर्तमानदेनदारियां	195.87	210.19
वर्तमान वित्तीय देनदारियां (व्यापार के भुगतान को छोड़कर)	7.28	8.58

लाभ और हानि का विवरण	वर्ष की समाप्ति पर	
	31मार्च ,2019	31मार्च ,2018
राजस्व	688.80	642.66
ब्याज आय	13.46	10.05
मूल्यह्रास और परिशोधन	5.21	4.58
ब्याज व्यय	0.16	0.45
आयकर व्यय	31.56	29.40
वर्षभर के लाभ / हानि	60.73	53.64
अन्य व्यापक आय	0.04	0.36
कुल व्यापक आय	60.77	53.99

रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(रु. करोड़ में)

बलैंस शीट	को जैसा	
	31मार्च,2019	31मार्च ,2018
बीएचईएल शेयर	27.97%	27.97%
गैर-वर्तमान सम्पत्ति	11,653.53	12,260.29
वर्तमान सम्पत्ति	1,520.63	993.51
वर्तमान परिसंपत्तियों में शामिलन कद और नकद समतुल्य	1.27	3.64
गैर मौजूदा देनदारियों	8,537.20	11,234.33
गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियों (व्यापार केभुगतान को छोड़कर)	8,537.20	11,234.33
वर्तमान देनदारियां	5,159.59	1,070.24
वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय को छोड़कर)	5,145.38	490.63

लाभ और हानि का विवरण	वर्ष के लिए	
	31मार्च,2019	31मार्च ,2018
राजस्व	1154.73	922.48
मूल्यह्रास और परिशोधन	673.33	672.42
ब्याज व्यय	1,316.09	1,141.17
आयकर व्यय	-	-
वर्षभर के लाभ / (हानि)	(1,254.24)	(1,345.12)
कुल व्यापक आय	(1,254.24)	(1,345.12)

एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजक्टस प्राइवेट लिमिटेड

(₹ in Crore)

बलैंस शीट	As at	
	31मार्च,2019	31मार्च ,2018
बीएचईएल शेयर	50%	50%
गैर वर्तमान सम्पत्ति	418.33	390.14
वर्तमान सम्पत्ति	317.11	334.46
वर्तमान परिसंपत्तियों में शामिल नकद और नकद समतुल्य	5.76	12.12
गैर मौजूदा देनदारियों	317.42	318.76
वर्तमान देनदारियां	450.88	397.04
वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय को छोड़कर)	102.69	75.86

लाभ और हानि का विवरण	वर्ष की समाप्ति पर	
	31मार्च,2019	31मार्च ,2018
राजस्व	74.02	146.48
मूल्यह्रास और परिशोधन	7.28	8.10
ब्याज व्यय	2.42	1.20
आयकर व्यय	(29.06)	(23.86)
वर्षभर के लाभ / (हानि)	(53.02)	(76.70)
कुल व्यापक आय	(53.20)	(76.70)

नोट [48] – पट्टों (लीज) पर खुलासा – भारतीय लेखा मानक 17

i) पट्टा परिचालन प्रतिबद्धताएं - कम्पनी पट्टेदार के रूप में

कंपनी कर्मचारी आवास, कार्यालय भवनों और आईटी उपस्करों के परिचालन पट्टों को रद्द करने और गैर-रद्द करने केरूप में प्रचलन में है। पट्टे की अवधि सामान्य रूप से दो से पांच साल है और आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमतशर्तों पर आपसी सहमति से नवीकरण योग्य है। कुल पट्टे का किराया देय लाभ और हानि के विवरण में किराए के रूप में लिया जाता है। गैर-संचालनीय परिचालन पट्टे के तहत भविष्य के न्यूनतम भुगतान निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़ में)

	31मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
एक वर्ष से ज्यादा नहीं	1.59	1.53
एक वर्ष के बाद और 5 वर्ष तक	3.06	1.53
5 वर्ष के बाद	1.88	1.31
	6.53	4.37

वित्त पट्टा प्रतिबद्धताएं - कम्पनी पट्टेदार के रूप में

कंपनी के महत्वपूर्ण वित्त पट्टे अनुबंध भूमि, भवन और आईटी उपस्करों के संबंध में हैं। कंपनी ने कम्प्यूटर आइटम, प्रिंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपस्करों और बाह्य उपस्करों की व्यवस्था के लिए के लिए एकदर वित्तीय पट्टा अनुबंध किया है। लीज एग्रीमेंट(पट्टा अनुबंध) की अवधि सामान्यत: पांच साल के लिए होती है और लीज अवधि के समाप्ति पर कंपनी के पास पट्टा परिसम्पत्ति को उनके नाम मात्र मूल्य रुपये 1/- पर खरीदने का विकल्प होता है। लीज पर ली गई संपत्ति को पूंजीकृत किया जाता है और परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपस्करों में अलग से उद्घोषित किया जाता है । वित्त पट्टा किराया का आबंटन ब्याज, अनुरक्षण और मूल कीमत के बीच किया जाता है। लाभ और हानि विवरण के लिए ब्याज और अनुरक्षण शुल्क लिए जाते हैं और मूल राशि को पट्टे पर दायित्वों के लिए समायोजित किया जाता है ।

(रु. करोड़ में)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
एक वर्ष के बाद नहीं	72.42	49.86
1 वर्ष के बाद और 5 वर्ष तक	112.07	69.84
5 वर्ष के बाद	-	-
	184.49	119.70
आकस्मिक किराए को एक व्यय के रूप में दी गई मान्यता	-	-

वित्त पट्टा देयताएं निम्नानुसार देय हैं :

(रु. करोड़ में)

	भविष्य के पट्टे का न्यूनतम भुगतान		ब्याज		पट्टे के भुगतान का न्यूनतम वर्तमान मूल्य	
	31मार्च, 2019को	31मार्च, 2018 को	31मार्च ,2019 को	31मार्च, 2018 को	31मार्च, 2019 को	31मार्च, 2018 को
एक वर्ष के बाद नहीं	72.42	49.86	13.97	7.59	58.45	42.27
1 वर्ष के बाद और 5 वर्ष तक	112.07	69.84	16.62	12.66	95.45	57.18
5 वर्ष के बाद	-	-	-	-	-	-

ii) वित्त पट्टा प्रतिबद्धताएं - कम्पनी पट्टादाता के रूप में

कंपनी ने वित्त पट्टे (लीज) के तहत लोकोमोटिव दिया है। वित्तपट्टा प्राप्तियों के घटक निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़ में)

	31मार्च ,2019तक	31मार्च ,2018तक
पट्टे (कलीज) में सकल निवेश :		
एक वर्ष के बाद नहीं	**0.03**	0.17
1 वर्ष के बाद और 5 वर्ष तक	-	0.02
5 वर्ष के बाद	-	-

वित्त प्राप्ति में शुद्ध निवेश

(रु. करोड़ में)

	31मार्च ,2019तक	31मार्च ,2018तक
अनर्जित वित्त आय	-	0.01
वित्त प्राप्य में शुद्ध निवेश	**0.03**	0.19
आकस्मिक किराए को आय के रूप में मान्यता दी गई	-	-
अनाश्वस्त अवशिष्ट मूल्यों की प्राप्ति	-	-

न्यूनतम पट्टे(लीज) प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

	31मार्च ,2019तक	31मार्च ,2018तक
न्यूनतम पट्टे(लीज) प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य:		
1 वर्ष से कम	**0.03**	**0.17**
1 से 5 वर्ष के बीच	-	**0.02**
	0.03	**0.19**

नोट [49] & कर्मचारी लाभों पर उद्घोषणा &भारतीय लेखा मानक 19

कंपनी की प्रकृति में परिभाषित लाभ योजनाओं की निम्नलिखित योजनाएं हैं :

i) ग्रेच्युटी योजना

ii) सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना

iii) भविष्य निधि योजना

iv) सेवा-निवृत्ति पर यात्रा दावा

A. ग्रेच्युटी (वित्त पोषित योजना)

कंपनी की एक परिभाषित ग्रेच्युटी लाभ योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, वह सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के ग्रेच्युटी वेतन का पात्र है।(15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) अधिकतम 20 लाख रुपये की सीमा तक। ग्रेच्युटी देयता भविष्य के भुगतान के कारण उत्पन्न होती है, जो कि सेवानिवृत्ति, सेवा में मृत्यु या निकासी की स्थिति में किए जाने की आवश्यकता होती है। देनदारियों के आंकलन का अनुमान यूनिट क्रेडिट एक्च्युरियल विधि का उपयोग करके किया गया है।

1. ग्रेच्युटी योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति) / देयता में संचलन: (रु. करोड़ में)

विवरण	निर्धारित लाभ दायित्व		परिसम्पत्ति योजनाओं का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति) देयताएं	
	31 मार्च तक					
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
आरम्भिक शेष	2,058.05	1,936.16	1,814.01	1,931.42	244.04	4.74
वर्षभर के लाभ सहित :						
वर्तमान सेवा लागत	107.36	121.07	-	-	107.36	121.07
विगत सेवा लागत		200.47	-	-	-	200.47
ब्याज लागत /(आय)	162.56	145.21	162.17	144.86	0.39	0.35
वर्ष भर के लिए कुल लाभ स्वीकृत राशि	269.92	466.75	162.17	144.86	107.75	321.89
अन्य सम्मिलित व्यापक आय						
पुन मूर्ल्यांकन हानि (लाभ):					-	-
बीमांकिक हानि (लाभ) से उत्पन्न:						
वित्तीय धारणा में बदलाव	(22.37)	(52.18)		79.28	(22.37)	(131.46)
व्यवहार समायोजन	85.10	49.10	(2.17)		87.27	49.10
अन्य व्यापक आय से स्वीकृत कुल राशि	62.73	(3.08)	(2.17)	79.28	64.90	(82.36)
अन्य						
नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान	-	-	238.75	-	(238.75)	-
लाभों का भुगतान	(350.30)	(211.78)	(350.00)	(211.55)	(0.30)	(0.23)
अवैतनिक लाभों का भुगतान	-	(130.00)	-	(130.00)	-	-
अंतिम शेष	2,040.40	2,058.05	1,862.76	1,814.01	177.64	244.04

I. योजना परिसम्पत्तियों का विवरण

	31 मार्च ,2019तक	31मार्च , 2018तक
बीमाकर्त्ता द्वारा प्रबंधित राशि (फंड)	62.47%	55.24%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (उद्धृत)	34.30%	41.84%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ (उद्धृत)	2.32%	2.24%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर (उद्धृत)	0.90%	0.67%
बैंक राशि	0.01%	0.01%
कुल	100.00%	100.00%

II. बीमांकिक मान्यताएं

रिपोर्टिंग की तारीख में प्रमुख बीमांकिक मान्यताएं निम्न थे :

	31 मार्च, 2019 तक	31मार्च, 2018 तक
आर्थिक धारणाएं		
छूट दर	7.75%,	7.90%
वेतन वृद्धि दर	6.60% प्रतिवर्ष 14 सालके लिए और फिर उसके बाद	1वर्ष के लिए6.60% प्रतिवर्ष। और फिर उसके बाद6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकी मान्यताएं	6% प्रतिवर्ष	60
मृत्यु दर तालिका	100% of IALM (2006-08)	
निकासी दर% (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	2%	2%
44 वर्ष से ऊपर	1%	1%

III. संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित महत्वपूर्ण लाभ दायित्व की संवेदनशीलता है:

(रु. करोड़ में)

	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)			
	31 मार्च ,2019तक		31मार्च , 2018तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% गति)	(73.88)	80.16	(68.01)	73.60
वेतन वृद्धि दर में परिवर्तन (0.50% गति)	81.03	(75.30)	74.29	(69.23)

संवेदनशीलता मृत्यु दर और निकासी के कारण वस्तुगत नहीं है और इसलिए इनके कारणों में परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती । पेंशन भुगतान की वृद्धि दर के रूप में संवेदनशीलता, पेंशन की वृद्धि दर से पहले सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा नहीं लागू होते हैं। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को एक्सट्रपलेट करता है जो एक विधि के आधार पर ऊपर संवेदनशीलता विश्लेषण निर्धारित किया गया है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

IV. भविष्य के वर्षों में ग्रेच्युटी योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण :

(रु. करोड़ में)

	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	
	31 मार्च ,2019 तक	**31 मार्च ,2018 तक**
1वर्ष से कम	**318.43**	328.57
1से 2 वर्ष के बीच	**216.85**	275.08
2 से 3वर्ष के बीच	**176.67**	150.45
3 से 4वर्ष के बीच	**155.73**	114.52
4 से 5वर्ष के बीच	**113.43**	96.59
5 से 6वर्ष के बीच	**113.48**	77.95
6 वर्ष से ऊपर	**945.81**	1,014.89
कुल	**2,040.40**	2,058.05

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी योजनाओं में अपेक्षित 124.53 करोड़ रु योगदान रहा ।

रिपोर्टिंग अवधिके अंत में ग्रेच्युटी परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि14.89 वर्षहै।

(31 मार्च 2018: 14.78 वर्ष)

V. जोखिम अनावृत्ति

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं, जो प्रकृति में गतिशील हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे कि कंपनी विभिन्न जोखिमों जैसे कि वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट की दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी को उजागर करती है।

B. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (वित्त पोषित योजना)

कंपनी के पास पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी) योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को कंपनी अस्पतालों /कम्पनी के पैनल अस्पतालों में मेडिकल सुविधा प्रदान की जाती है, जो कंपनी चिकित्सा नियमों के अधीन है। वे कंपनी द्वारा तय अधिकतम सीमा तक बाहरी-रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए देयता को सालाना आधार पर बीमांकित मूल्यांकन के द्वारा मान्यता प्राप्त है।

पोस्ट सेवा निवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति) / देयता में गति

(रु. करोड़ में)

	परिभाषित लाभ आभार		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देनदारी	
	31मार्च तक					
	2019	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**
आरम्भिक शेष	**1,925.72**	1,820.70	**1,881.03**	1,820.70	**44.69**	-
वर्ष भर के लाभ में शामिल :						
वर्तमान सेवा लागत	**39.48**	32.66		-	**39.48**	32.66
ब्याज लागत / (आय)	**152.13**	136.55	**152.13**	136.55	**-**	-
वर्ष भर के लाभ में स्वीकृत प्राप्त कुल राशि	**191.61**	169.21	**152.13**	136.55	**39.48**	32.66

(रु. करोड़ में)

	परिभाषित लाभ आभार		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देनदारी	
	31मार्च तक					
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
अन्य व्यापक आय में शामिल:						
पुनर्भुगतान हानि (लाभ):						
बीमांकित हानि (लाभ) से उत्पन्न :						
जनसांख्यिकी मान्यताएं	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताएं	31.71	(103.19)		33.78	31.71	(136.97)
अनुभव सामंजस्य	76.74	149.00	2.87	-	73.87	149.00
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कुल राशि	108.45	45.81	2.87	33.78	105.58	12.03
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए योगदान	-	-	44.69		(44.69)	-
प्रदत्त लाभ	(145.00)	(110.00)	(145.00)	(110.00)	-	-
अंतिम शेष	2,080.78	1,925.72	1,935.72	1,881.03	145.06	44.69

कंपनी की योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी के फंड दायित्वों के लिए ली गई एक बीमा पॉलिसी के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्रबंधित ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है।

I. बीमांकिक मान्यताएं

रिपोर्टिंग की तारीख में मुख्य बीमांकिक मान्यताएं निम्नलिखित थे :

	31 मार्च, 2019 तक	31मार्च, 2018 तक
आर्थिक मान्यताएं:		
छूट की दर	7.75%	7.90%
वेतन वृद्धि दर	6.60% प्रतिवर्ष 14 साल के लिए और फिर उसके बाद 6% प्रतिवर्ष	1वर्ष के लिए 6.60% प्रति वर्ष और फिर उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकी मान्यताएं:		
सेवा निवृत्ति आयु	60	60
मृत्यु दर तालिका	IALM का 100% (2006-08)	
निकासी दर (सभी आयु)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	2%	2%
44 वर्ष से ऊपर	1%	1%

II. संवेदंशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता है:

(रु. करोड़ में)

	सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ			
	31मार्च, 2019 तक		31मार्च, 2018 तक	
	बढ़ोत्तरी	कमी	बढ़ोत्तरी	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% गति)	(102.71)	104.19	(94.49)	96.49
लागत में परिवर्तन (0.50% गति)	105.27	(103.71)	97.02	(95.17)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता वस्तुगत नहीं है और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव की गण्ना करता है जो एक विधि के आधार पर संवेदनशीलता विश्लेषण निर्धारित किया गया है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधिन हीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के पृथकत्व में घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

III. भविष्य में सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना की अपेक्षित परिपक्वता का विश्लेषण:

(रु. करोड़ में)

	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	
	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
1वर्ष से कम	139.44	121.85
1से 2 वर्ष के बीच	150.01	123.81
2 से 3वर्ष के बीच	163.18	126.78
3 से 4वर्ष के बीच	178.49	129.37
4 से 5वर्ष के बीच	194.36	132.78
5 से 6वर्ष के बीच	211.85	138.09
6 वर्ष से ऊपर	1,043.45	1,153.04
कुल	2,080.78	1,925.72

31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना में अपेक्षित योगदान46.06 करोड़ रुपये है ।

समीक्षाधीन अवधि के अंत में सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ योजना दायित्व की अनुमानित औसत अवधि11.97 वर्ष (31 मार्च, 2018: 12.84 वर्ष) है।

IV. जोखिम अनावृत्ति

मूल्यांकन कुछ मान्यता ओंपर आधारित हैं, जो प्रकृति में गतिशील हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे कि कंपनी में विभिन्न जोखिम हैं, जैसे चिकित्सा लागत में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूटदर, मृत्युदर, विकलांगता और निकासी।

स. भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है। कंपनी का दायित्व है कि वह भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा निर्दिष्ट, सदस्यों की न्यूनतम प्रतिफल दर सुनिश्चित करे। तदनुसार, कंपनी ने बीमांकिक रिपोर्ट प्राप्त की है। जहां भी संभावित ब्याज की कमी के लिए बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण पत्र देयता के अनुसार उत्पन्न होता है, वहीं खातों में प्रदान किया गया है।

I. पीएफ ट्रस्ट में ब्याज की कमी का विवरण

(रु. करोड़ में)

	वर्ष के अंत तक	
	2018-19	2017-18
वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में अधिकता / (कमी)	(5.15)	1.72
बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में कमी के लिए संचित प्रावधान	6.96	1.81
अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त लाभ / (हानि)	(12.53)	10.39
ब्याज की कमी / (अधिशेष) लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से हिसाब	(7.38)	8.67

कंपनी के अपने कर्मचारियों को कवर करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पीएफ ट्रस्ट हैं जो अलग से प्रबंधित हैं, योजना परिसंपत्तियों और दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

स्थान	पारिभाषिक लाभ प्रतिज्ञा		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		अधिशेष / (कमी)	
	को जैसा					
	मार्च 31,2019	मार्च 31,2018	मार्च 31,2019	मार्च 31,2018	मार्च 31,2019	मार्च 31,2018
बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर, हरिद्वार	1379.70	1359.02	1387.17	1,362.23	7.47	3.21
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि, त्रिची	1119.51	1094.10	1119.83	1,094.87	0.32	0.77
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि, भोपाल	1176.79	1081.53	1175.50	1,088.32	(1.29)	6.79
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	1008.05	882.34	1018.78	894.53	10.73	12.19
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि, हैदराबाद	811.28	840.78	835.87	878.01	24.59	37.23
बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई	656.18	563.21	651.53	561.40	(4.65)	(1.81)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि, बेंगलुरु	613.12	544.91	616.44	549.86	3.32	4.95
बीएचईएल (बीएपी यूनिट) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट	392.94	363.29	391.92	363.87	(1.02)	0.58
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट, झाँसी	365.26	355.32	371.89	361.43	6.63	6.11
भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि, विशाखापत्तनम	118.79	104.17	165.08	147.60	46.29	43.43
कुल	7641.62	7188.67	7734.01	7302.12	92.39	113.45

II. भविष्य निधि पर शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति) / देयता में संचलन

(रु. करोड़ में)

	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (समेकित)			
	पारिभाषिक लाभ प्रतिज्ञा		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	
	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
प्रारंभिक शेष	7,188.67	6,876.55	7,302.12	6,966.80
वर्षभर के लाभ में शामिल :				
वर्तमान सेवा लागत	341.66	278.82	-	-
ब्याज लागत / (आय)	567.91	517.97	567.91	517.97
वर्ष के लिए लाभ में स्वीकृति प्राप्त कुल राशि#	909.57	796.79	567.91	517.97
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) मेंशामिल:				
पुनर्भुगतान हानि (लाभ):				
बीमांकिक हानि (लाभ) सेउत्पन्न:				
जनसां ख्यिकी मान्यताएं	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताएं	0.36	(0.98)	-	-
अनुभव सामंजस्य	43.77	18.35	23.07	54.48
अन्य व्यापक आय में स्वीकृति प्राप्त कुल राशि#	44.13	17.37	23.07	54.48
अन्य				
नियोक्ता द्वारा देय भुगतान (योगदान)	698.53	499.81	341.66	263.69
कर्मचारी योगदान	-	-	698.53	501.03
प्रदत्त लाभ	(1,363.08)	(1,095.01)	(1,363.08)	(1,095.01)
स्थानांतरण में / समाधान	163.80	93.16	163.80	93.16
अंतिम शेष	7,641.62	7,188.67	7,734.01	7,302.12

#नोट: पीएफ ट्रस्ट के संबंध में ब्याज की कमी केवल लाभ और हानि के विवरण और अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से देखी गई है जैसा कि ऊपर बिंदु (I) के तहत दिखाया गया है।

III. योजना परिसम्पत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

	31मार्च ,2019तक	31मार्च ,2018 तक
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	1499.90	1271.09
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	2698.48	2458.59
कॉर्पोरेट बॉन्ड	2612.37	2605.41
सूचिबद्ध कम्पनियों के इक्विटी शेयर	382.54	303.53
विशेष जमा	495.33	626.67
लिक्विड फंड	25.13	13.99
अल्पावधि जमा	1.82	3.59
म्युचुअल फंड	18.44	19.26
कुल	7,734.01	7,302.12

IV. बीमांकिक मान्यताएं

रिपोर्टिंग की तारीख में मुख्य बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थे

	31मार्च ,2019तक	31मार्च ,2018 तक
आर्थिक धारणाएं:		
छूट दर	7.75%	7.90%
खाता शेष पर वैधानिक ब्याज दर की उम्मीद	8.65%	8.55%
फंड पर प्राप्त ब्याज आय में कमी की -उम्मीद	0.05%	0.05%
जनसांख्यिकी मान्यताएं:	60	60
मृत्युदर तालिका	100% of IALM (2006-08)	
निकासी दर % (सभी आयु)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	2%	2%
44 वर्ष से ऊपर	1%	1%

V. संवेदंशीलता विश्लेषण

परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख मान्यताएं है:

(रु. करोड़ में)

	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट			
	31 मार्च, 2019तक		31 मार्च, 2018 तक	
	बढ़ोत्तरी	कमी	बढ़ोत्तरी	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% गति)	(1.25)	1.29	(1.72)	1.82

VI. भविष्य के वर्षों में अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रुपए)

	भविष्य निधि	
	31 मार्च, 2019 तक	31मार्च, 2018 तक
अगले 12 महीनों के अंदर	798.36	870.91
2 से 5 वर्ष के बीच	1,450.20	1,859.38
5 से 10 वर्ष के बीच	1,095.62	1,217.58
10 वर्ष के बाद	4,297.44	3,240.80
कुल	7,641.62	7,188.67

घ. सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा- (भुगतान भत्ता - अपव्ययी योजना)

एक कर्मचारी को जहाँ वह सेवा के बाद, सेवानिवृत्तिया मृत्यु के बाद रहने की ईच्छा रखता है (अपने परिवार के सदस्यों सहित)। उसे गृह नगर या भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए यात्रा और सामान की शिफ्टिंग के लिए व्यय प्रतिपूर्ति की जाती है ।

I. शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति) / देयता में संचलन

(करोड़ रुपए)

	पारिभाषिक लाभ प्रतिज्ञा		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति) देयता	
	31मार्च , 2019तक	31मार्च ,2018 तक	31मार्च ,2019तक	31मार्च ,2018 तक	31मार्च ,2019तक	31मार्च ,2018 तक
प्रारम्भिक शेष	8.44	9.12	-		8.44	9.12
वर्षभर के लाभ सहित :						
वर्तमान सेवा लागत	0.49	0.47			0.49	0.47
ब्याज लागत / आय	0.67	0.68			0.67	0.68
वर्ष भर के लाभ में स्वीकृति प्राप्त कुल राशि	1.16	1.15	-	-	1.16	1.15
आय (ओसीआई) में शामिल):						
पुनर्भुगतान हानि (लाभ):						
बीमांकिक हानि (लाभ)						
से उत्पन्न:						
जनसांख्यिकी मान्यताएं			-	-	-	-
वित्तीय मान्यताएं	0.20	(0.27)			0.20	(0.27)
अनुभव सामंजस्य	(0.03)	(0.83)		-	(0.03)	(0.83)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृति प्राप्त कुल राशि	0.17	(1.10)	-	-	0.17	(1.10)
अन्य						
नियोक्ता द्वारा देय भुगतान (योगदान)	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	(1.24)	(0.73)			(1.24)	(0.73)
अंतिम शेष	8.53	8.44	-	-	8.53	8.44

II. बीमांकिक मान्यताएं

रिपोर्टिंग की तारीख में मुख्य बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थे

	निपटान भत्ता	
	31मार्च ,2019तक	31मार्च ,2018 तक
आर्थिक धारणाएं:		
छूट दर	7.75%, 6.60% प्रतिवर्ष 14 सालके	7.90%
वेतन वृद्धि दर	लिए और फिर उस के बाद 6% प्रति वर्ष	1 वर्ष के लिए 6.60% प्रतिवर्ष और फिर उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकी मान्यताएं:		
मृत्युदर तालिका	60	60
निकासी दर(सभी आयु)	IALM का 100% (2006-08)	
निकासी दर(सभी आयु)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष	2%	2%
44 वर्ष से ऊपर	1%	1%

III. संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख मान्यताओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन की संवेदनशीलता है :

(करोड़ रुपए)

	निपटान भत्ता			
	31मार्च ,2019तक		31मार्च ,2018 तक	
	बढ़ोत्तरी	कमी	बढ़ोत्तरी	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	(0.32)	0.32	(0.33)	0.35

IV. भविष्य के वर्षों में निपटान भत्ता की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रुपए)

	निपटान भत्ता	
	31मार्च, 2019 तक	31मार्च, 2018 तक
1 वर्ष से कम	1.14	1.21
1 से 2 वर्ष के बीच	0.89	1.08
2 से 3 वर्ष के बीच	0.67	0.83
3 से 4 वर्ष के बीच	0.59	0.65
4 से 5 वर्ष के बीच	0.43	0.57
5 से 6 वर्ष के बीच	0.39	0.42
6 वर्ष से ऊपर	4.42	3.68
कुल	8.53	8.44

II. दीर्घकालिक अवकाश देयता (अदायगी अवकाश -ईएल / अर्ध वेतन अवकाश-एचपीएल) - (अपव्ययी योजना)

कंपनी, अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्धवेतन अवकाश प्रदान करती है, जो क्रमशः15 दिन (अधिकतम) और10 दिन प्रति छमाही अर्जित करते हैं। अर्जित अवकाश सेवा में रहते हुए नगदी करण होते है। सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता पर, अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश एक साथ अधिकतम 300 दिनों तक का नकदीकरण किया जाता है जो कंपनी की नीतियों और अवकाश नगदी करण नियमों के अधीन है। अवकाश देयता को अन्य दीर्घकालिक लाभों के रूप में माना गया है और ईकाइ द्वारा क्रेडिट एक्चुरियल विधि का उपयोग कर के मूल्यांकन किया गया है।

I. शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति) / देयता में संचलन

(करोड़ रुपए)

	दीर्घ कालिक अवकाश देयता	
	31मार्च , 2019 तक	31मार्च, 2018 तक
प्रारम्भिक शेष	1,525.65	1,769.49
वर्ष भर के लाभ सहित:		
वर्तमान सेवा लागत	174.81	146.37
ब्याज लागत (आय)	120.53	132.71
बीमांकिक हानि (लाभ)	(23.38)	137.08
वर्ष भर के लाभ में स्वीकृति प्राप्त कुल राशि	271.96	416.16
अन्य		
नियोक्ता द्वारा देय भुगतान (योगदान)		
प्रदत्त लाभ	305.55	660.00
अंतिम शेष	1,492.06	1,525.65

II. बीमांकिक मान्यताएं

रिपोर्टिंग की तारीख में मुख्य बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थे

	दीर्घ कालिक अवकाश देयता	
	31मार्च, 2019 तक	31मार्च, 2018 तक
आर्थिक धारणाएं:		
छूट दर	7.75%	7.90%
वेतन वृद्धि दर	**6.60% प्रतिवर्ष 14 साल के लिए और फिर उसके बाद 6% प्रतिवर्ष**	1वर्ष के लिए 6.60% प्रतिवर्ष। और फिर उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकी मान्यताएं:		
सेवानिवृत्ति आयु	**60**	60
मृत्युदर तालिका	IALM का 100% (2006-08)	
निकासी दर (सभी आयु)		
30 वर्ष तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्ष तक	**2%**	2%
44 वर्ष से ऊपर	**1%**	1%

संयुक्त उद्यम:

नोट [50] - संबंधित पार्टियों के बीच लेनदेन

i)

सहायक कंपनी:	संयुक्त उद्यम:	अन्य:
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	बीएचईएल -जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)	केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित इकाइयाँ
	एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेटलिमिटेड (एनबीपीपीएल)	भविष्य निधि ट्रस्ट
	रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)	ग्रेच्युटी ट्रस्ट पीआरएमबी ट्रस्ट पेन्शन ट्रस्ट
	दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड	
	पावर प्लांट परफॉरमेन्स इम्प्रूवमेंट लिमिटेड	

ii) अन्य संबंधित पार्टियां (प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - कार्यकारी निदेशक: वर्तमान व सेवानिवृत्त कंपनी सचिव):

प्रबंधन मंडल	दायित्व
श्री अतुल सोबती	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री डी. बंद्योपाध्याय	निदेशक (मानव संसाधन)
श्रीसुबोध गुप्ता	निदेशक (वित्त) (18 अप्रैल, 2018 से)
श्री एस. बालाकृष्णन	निदेशक (आईएसएंड पी) (1जून, 2018 से)
श्री मनोज कुमार वर्मा	निदेशक (पावर) (19 दिसम्बर, 2018 से)
श्री कमलेश दास	निदेशक (इंजीनियरिंग, आर एंड डी) (1 मार्च, 2019 से)
श्री अमिताभ माथुर	निदेशक (आईएसएंड पी) (31 मई, 2018 तक)
श्री एस. बिस्वास	निदेशक (इंजीनियरिंग, आर एंड डी) (28 फरवरी, 2019 तक)
श्री अखिल जोशी	निदेशक (पावर) (30 सितम्बर, 2018 तक)
श्री राजीव कालरा	कंपनी सचिव (17 दिसम्बर, 2018 से)
श्री आई. पी. सिंह	कंपनी सचिव (16 दिसम्बर, 2018 तक)
श्री एस. वासू	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - बीएचईएल ईएमएल

(करोड़ रुपए)

प्रमुख प्रबंधन प्रतिनिधि (केएमपी)	वर्षान्त पर	
	मार्च31, 2019	मार्च31, 2018
वेतनों का भुगतान	4.70	3.20
केएमपी के संबंधी		
वर्षान्त पर बीएचईएल को देय राशि	0.01	-
लेनदेनों का विवरण		
अल्प कालीन कर्मचारी लाभ	4.10	2.76
सेवोपरांत लाभ	0.60	0.44
कुल प्रदत्त मानदेय	4.70	3.20

बीएचईएल से एक अभियंता एवं श्री एस. बासु, प्रबंध निदेशक प्रतिनियुक्ति पर हैं और वेतन व भत्तों का भुगतान बीएचईएल द्वारा किया जाता है।

कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी अधिकांश हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। महत्वपूर्ण लेन-देन अन्यपीएसयू, राज्य स्वामित्व सेवाएं, रेलवे इत्यादि केसाथ है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा परोक्षया अपरोक्ष रूप से नियंत्रित किया जाताहै। इस प्रकार की संस्थाओं के साथ लेनदेन सामान्य, आर्म लेंथ प्राइंस पर खुले बाजार मूल्य पर आधारित होता है।

संयुक्त उपक्रमों के साथ लेनदेन एवं शेष

(करोड़ रुपए)

विवरण	वर्षान्त पर							
	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018
	बीजीजीटीएस		आरपीसीएल		एनबीपीपीएल		कुल	
वस्तुओं व सेवाओं का विक्रय	**278.33**	196.48	**34.94**	91.22	**6.08**	77.27	**319.35**	364.97
लाभांश आय	**16.18**	14.76	-	-	-	-	**16.18**	14.76
रॉयल्टी आय	**1.17**	0.90	-	-	-	-	**1.17**	0.90
वस्तुओं व सेवाओं का क्रय	**0.98**	1.02	-	-	**4.83**	7.38	**5.81**	8.40
अंशों का क्रय	-	-	-	74.72	-	-	-	74.72
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि	**76.98**	48.06	**510.71**	484.76	**280.93**	310.43	**868.62**	843.25
वर्ष के अंत में बीएचईएल से देय राशि (अग्रिमों सहित)	**0.35**	0.08	**11.00**	16.94	**82.52**	90.58	**93.87**	107.60
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	**0.70**	0.22	-	-	**1.64**	23.34	**2.34**	23.56

नोट [51] - उद्घोषणा[प्रावधानों में संचलन] - भा.ले.मा.- 37

(रू.करोड़ में)

क	परिनिर्धारित हर्जाना	31मार्च, 2019 की स्थिति पर	31 मार्च, 2018 की स्थिति पर
	आंरभिक शेष	**5848.50**	3883.84
	जोडें: परिवर्धन	**1967.45**	2181.25
	घटाएं: प्रथा/ बट्टा /भुगतान	**12.67**	1.29
	घटाएं: निकासी/समायोजन	**253.63**	215.30
	अंतिम शेष	**7549.65**	5848.50

कंपनी की लेखा नीति के अनुरूप परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है और निपटान या अन्यथा पर खातों में समान रूप से निपटाया जाता है। परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति से संबंधित आकस्मिक देयता को नोट 42 के पैरा ए (आई) (जी) में दिखाया गया है।

(रू.करोड़ में)

ख	अनुबंधगत देयताएं	31 मार्च, 2019 की स्थिति पर	31मार्च, 2018 की स्थिति पर
	आंरभिक शेष	**5331.32**	5227.97
	जोडें: ऋण लागत	**190.93**	190.96
	जोडें: परिवर्धन	**892.15**	1055.19
	घटाएं: पीवी समायोजन	**156.71**	302.11
	घटाएं: प्रथा/ बट्टा /भुगतान	**128.65**	223.56
	घटाएं: निकासी/ समायोजन	**851.48**	661.53
	जोडें /(घटाएं):आंकलनों एवं दरों में परिवर्तन	**9.25**	44.40
	अंतिम शेष	**5286.81**	5331.32

अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए संविदात्मक दायित्व के लिए प्रावधान महत्वपूर्ण लेखांकन नीति नंबर 10 के अनुरूप मुद्रा के आवधिक मूल्य के प्रभाव को देखते हुए बनाया गया है। अनुबंध की वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक इसे प्रतिधारित किया गया है। वारंटी दायित्व पर वास्तविक व्यय अनुबंध से अनुबंध और संबंधित अनुबंध के नियमों और शर्तों के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष भिन्न हो सकते हैं।

टिप्पणी[52] - उद्घोषणा- ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व &भा. ले.मा.-115

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने 1 अप्रैल, 2018 से नए भा.ले.मा-ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को अधिसूचित किया है। नया भा.ले.मा विद्यमान राजस्व मान्यता मानक भा.ले.मा 11 (निर्माण अनुबंध) और भा.ले.मा 18 (राजस्व) को प्रतिस्थापित करता है। यह मानक आरंभिक मानक अनुप्रयोग के संचयी प्रभाव के साथ पूर्वप्रभावी दृष्टिकोण को अनुमत करता है (संचयी कैच-अपदृष्टिकोण)। कंपनी ने 1 अप्रैल, 2018 को बरकरार आरंभिक आय के पारगमन समायोजन के साथ संचयी कैच-अप दृष्टिकोण को चुनाहै।

क. 01 अप्रेल 2018 की स्थिति पर कंपनी की प्रतिधारित उपार्जन पर प्रभाव

(रू.करोड़ में)

प्रतिधारित उपार्जन में संचलन	
प्रतिधारित उपार्जन - (01 अप्रेल 2018 को आरंभिक)	**(251.29)**
जोड़े/(घटाएं): अनुबंधगत संपत्ति का पुन: आंकलन (प्रतिफल का उचित मूल्य) व आस्थगित दायित्व	**194.46**
जोड़े/(घटाएं): आस्थगित कर संपत्ति पर प्रभाव (शुद्ध)	**(67.97)**
भा.ले.मा. 115 संक्रमण प्रभाव	**126.49**
प्रतिधारित उपार्जन -भा.ले.मा. 115 प्रभाव के साथ समायोजन	**(124.80)**

ख. ह्रास प्रावधानों में संचलन

(रू.करोड़ में)

	2018-19		2017-18	
	व्यापारिक प्राप्य	अनुबंध परिसम्पत्तियां	व्यापारिक प्राप्य	अनुबंध परिसम्पत्तियां
आरंभिक शेष	**6105.35**	**719.38**	5861.8	325.74
जोड़े: परिवर्धन	**934.03**	**101.96**	712.9	437.76
घटाएं: बट्टा खाते में	**25.92**	**0.11**	8.22	-
घटाएं: निरसर	**611.53**	**166.50**	461.13	44.12
अंतिम शेष	**6401.93**	**654.73**	6105.35	719.38

ग. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व का विभाजन

(रू.करोड़ में)

विवरण	ऊर्जा		उद्योग		कुल
	भारत में	भारत से बाहर	भारत में	भारत से बाहर	
2018-19					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व मान्यता का समय					
(a) ठीक समय पर (उत्पाद/सेवाएं)	2830.48	22.30	3758.94	28.41	6640.13
(b) समय के बाद	17447.70	3104.48	2172.22	3.32	22727.72
2017-18					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व मान्यता का समय					
(a) ठीक समय पर (उत्पाद/सेवाएं)	2386.22	9.29	3475.98	22.74	5894.23
(b) समय के बाद	19831.81	653.72	1483.53	1.55	21970.61

(रू.करोड़ में)

विवरण	2018-19		2017-18	
	ऊर्जा	उद्योग	ऊर्जा	उद्योग
Revenue from customers				
सीपीएसयू	5323.43	2320.06	6235.82	1880.26
रेलवे	-	1595.98	-	1177.88
टेनजेनको	5331.04	-	3637.73	-
टीएसजेनको	4544.66	-	2777.84	-

घ. अनुबंध शेष (प्रावधानों का निवल)

(रू.करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
व्यापारिक प्राप्य	15947.01	17503.23
अनुबंध संपत्तियां (अबिल्ड राजस्व को मिलाकर)	22296.77	17992.17
अनुबंध दायित्व	6839.61	7573.70

ङ. मान्य अनुबंध राजस्व

(रू.करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
अनुबंध दायित्व के विरूद्ध मान्य राजस्व (वर्ष के दौरान ग्राहक अग्रिमों का समायोजन और मूल्यांकन समायोजन)	2573.84	2923.51
	210.44	85.74
पिछले वर्ष में निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि से मान्य राजस्व		
(अनुबंध राजस्व में परिवर्तन का प्रभाव)		

विद्युत परियोजना का निर्माण एक दीर्घकालीन व्यवसाय है, जिसमें कंपनी द्वारा प्राप्त अनुबंध या तो ईपीसी (अभिकल्प, क्रय व निर्माण)या बीजीजी पैकिज (बायलन, टरबाईन और जनरेटर पैकिज) होते हैं।अनुबंध की सामान्य निष्पादन अवधि 3 से 5 वर्षों के साथ विद्युत परियोजनाएं लंबी उत्पादन-पूर्व अवधि की परियोजनाएं हैं। बीएचईएल सेवाओं की परिधि में उपकरण की आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग, प्लांट को ग्रिड से सिंक्रोनाइज़ करना, ट्रायल ऑपरेशन को पूरा करना और गारंटीकृत पैरामीटर प्रदान करना शामिल है।

यद्यपि समग्र कार्यक्षेत्र में कई घटक हैं, ऐसी परियोजनाओं को आमतौर पर एक प्रदर्शन दायित्व माना जाता है। नियंत्रण का अंतरण निष्पादन अवधि में एक साथ होता है क्योंकि यह निष्पादन इकाई का है न कि समय के विभिन्न बिन्दुओं पर और इसलिए समय के साथ प्रगति के मापन के अधार पर राजस्व को मान्यता दी जाती है।

टिप्पणी[53] & भा. ले. मा. 107 के अनुसार उद्घोषणा [वित्तीय विलेख- लेखांकन वर्गीकरण व उचित मूल्य का आंकलन]

क. नकदी व नकदी समतुल्य, बैंक शेषों, ऋणों, व्यापारिक प्राप्यों, व्यापारिक देयताओं एवं अन्य यथोचित उनका उचित मूल्य अनुमानित करते हैं। व्यापारिक प्राप्यों का मूल्यांकन अपेक्षित ऋण हानियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। कंपनी मूल्यांकन पद्धतियों द्वारा वित्तीय विलेखों के उचित मूल्य का निर्धारण एवं घोषणा करने हेतु निम्नलिखित सोपानों का उपयोग करती है:

उचित मूल्य सोपान

मूल्यांकन पद्धति के उपयोग किए गए इनपुट के अधार पर वित्तीय विलेखों के उचित मूल्यको निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

स्तर 1: सक्रिय बाजार में चिन्हित परिसंपत्तियों व दायित्वों का उद्धृत (लिखित) मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर सम्मिलित किए गए उद्धृत मूल्य के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष (यानी, कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी, कीमतों से प्राप्त) अवलोक्य हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

ख. वित्तीय परिसंपत्तियों /दायित्वों का वर्गीकरण

(रू.करोड़ में)

विवरण	मूल्य	
	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018की स्थिति पर
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां		
व्यापारिक प्राप्य	**15947.01**	17503.23
नकदी व नकदी समतुल्य	**795.74**	2768.81
अन्य बैंक शेषों	**6707.80**	8407.47
ऋण	**240.53**	228.67
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**165.40**	153.28
लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां		
निवेश (ईक्विटी विलेख)	**2.94**	2.92
परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्व		
व्यापारिक प्राप्य	**12083.85**	11071.00
अन्य वित्तीय दायित्व	**2098.67**	2340.09
वित्तीय पट्टा दायित्व	**158.31**	102.88
अल्प कालीन उधार	**2470.11**	10.28

(रू.करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां एवं दायित्व- आवर्ती उचित मूल्य मापन	स्तर 3 सोपान	
	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
वित्तीय परिसंपत्तियां		
अनकोटिड इक्विटी इन्सट्रूमेंट्स में निवेश	**2.94**	2.92

ग. उचित मूल्य के निर्धारण हेतु मूल्यांकन तकनीकें

उद्धृत इक्विटी विलेखों का उचित मूल्य स्तर 3 इनपुट का उपयोग कर के निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रति अंश शुद्ध संपत्ति मूल्य के आधार पर निवेशकर्ता कंपनी के वित्तीय विवरणों से इनपुट सम्मिलित हैं।

एफवीटीएल परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत गैर उद्धृत इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य मूल्यांकन का समाधान

	(रु. करोड़ में)
31 मार्च 2018 की स्थिति पर	2.92
उचित मूल्य में परिवर्तन	0.02
31 मार्च 2019 की स्थिति पर	2.94

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

उद्देश्य व नीतियां

कंपनी की गतिविधियाँ इस क्षेत्र में परिचालन करने वाली किसी कंपनी की स्वाभाविक व्यापारिक संभावनाओं से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों के प्रति जागरूक होती है। वित्तीय जोखिम का प्रबंधन हमेशा कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों और नीतियों का एक अभिन्न अंग बना रहा है। कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए समय-समय पर अपनी नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा करती है और उन्हें संरेखित करती है। वित्तीय साधनों के उपयोग से एक्सपोजर जोखिम को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- ऋण जोखिम
- चलनिधि जोखिम
- बाज़ार जोखिम

यह नोट कंपनी के उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक के लिए, कंपनी के उद्देश्य, जोखिम के आंकलन व प्रबंध के लिए नीतियां प प्रक्रियाएं और कंपनी की पूंजी के प्रबंधन और प्रबंधन बारे में कंपनी के एक्सपोजर प्रस्तुत करता है। इन वित्तीय विवरणों में आगे मात्रात्मक उद्घोषणाएं सवत्र सम्मिलित की गई हैं।

जोखिम प्रबंधन ढांचा

बीएचईएल के पास निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन अधिकार पत्र (चार्टर) और नीति है जो कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करता है। चार्टर का उद्देश्य जोखिमों की सही पहचान, आंकलन और उपयुक्त जोखिम शमन उपायों को अपनाकर प्रभावी प्रबंधन किया जाना सुनिश्चित करना है। कंपनी के पास त्रिस्तरीय जोखिम प्रबंधन संरचना है।प्रथम स्तर पर, कंपनी के निदेशक मण्डल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (BLRMC) को कंपनी के जोखिम नियमन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन रूपरेखा, दिशानिर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। दूसरे स्तर पर जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (RMSC) पूरी कंपनी में जोखिम प्रबंधन रूपरेखा को अपनाने व लागू करने और जोखिम प्रबंधन पहलों का नेतृत्व करने के लिए उत्तरदायी है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बीएलआरएमसी और आरएमएससी के संयोजक होने के नाते निदेशक मण्डल/ बीएलआरएमसी को जोखिम प्रबंधन पर आवधिक रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है। कंपनी के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण यूनिट स्तर से उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए जोखिम शमन योजना तैयार करने और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है

अ. क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम को व्यापार करने के जोखिम प्रतिफल संतुलन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। बीएचईएल भारत और विदेशों में सरकारी क्षेत्र (राज्य उपयोगिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों आदि) और निजी क्षेत्रों से संबंधित विद्युतपरियोजनाओं की स्थापना से जुड़ी है। परियोजनाओं को सामान्यत: वित्तीय संस्थानों / बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है या भुगतान खास पत्र (एलसी) द्वारा कवर किया जाता है। परियोजना की अवधि 3 से 5 साल तक होती है और भुगतान सामान्यत:अनुबंध की शर्तों के अनुसार चरणों में किया जाता है, जिसमें अग्रिम, प्रगति भुगतान, माइलस्टोन भुगतान और इस तरह की परियोजनाओं के पूरा होने पर रोके गए भुगतान की अदायगी भी सम्मिलित हैं। चूंकि अधिकांश ग्राहक सरकारी क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए इस तथ्य के साथ कि कंपनी स्वयं एक सीपीएसई है कुल प्राप्तियों का 81%बनाते हैं, क्रेडिट जोखिम अपेक्षाकृत कम है। निजी क्षेत्रों के ग्राहकों के संबंध में, भुगतान की शर्तें मुख्य रूप से साख पत्र के माध्यम से हैं। कंपनी में कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्राप्ति के लिए समुचित आर्कषण और फोकस सुनिश्चित करने के लिए संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर प्राप्तियों के लिए सुव्यवस्थित समीक्षा तंत्र है। कंपनी ने हानि या लाभ मे ह्रास के आंकलन के लिए आपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोगा किया है और इसकी उद्घोषणा अन्यत्र किया गया है। इसके अलावा, किसी भी संभावना से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए हुए हैं:

(i) **ऋण जोखित के लिए एक्सपोजर**

वित्तीय परिसंपत्तियों का धारित मूल्य अधिकतम ऋण जोखित को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखित के लिए अधिकतम एक्सपोजर था:

(रू.करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए 12 माह अनुमानित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) का		
उपयोग कर हानि भत्ते का आंकलन किया गया है	**795.74**	2768.81
नकदी व नकदी समतुल्य अन्य बैंक शेष	**6707.80**	8407.47
बैंक ऋण	**240.53**	228.67
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**165.40**	153.28
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए ह्वास हानियों सहित आपेक्षित जीवन काल क्रेडिट हानियों (ईसीएल) का		
उपयोग कर हानि भत्ते का आंकलन किया गया है	**15947.01**	17503.23
व्यापारिक प्राप्य		

क्रेडिट हानियों का संकेन्द्रण- भौगोलिक	कुल राजस्व का प्रतिशत	
	31 मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
भारत के भीतर	**93.46%**	96.61%
भारत के बाहर	**6.54%**	3.39%

प्रतिपक्षकारों के प्रकार के अनुसार व्यापारिक प्राप्यों, अनुबंध संपत्तियों व अन्य प्राप्तों के लिए कंपनी की क्रेडिट जोखिम का एक्सपोजर निमनानुसार है:

विवरण	कुल व्यापारिक प्राप्यों का प्रतिशत	
	31मार्च2019 की स्थिति पर	31मार्च 2018की स्थिति पर
रेलवे व सरकारी विभागो सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	**31.81%**	32.92%
राज्य विद्युत मण्डल	**49.94%**	47.35%
निजी ग्राहक व अन्य	**11.70%**	16.34%
निर्यात	**6.54%**	3.39%
	100%	100%

II. क्षतिगत हानियां

अ. वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए 12 माह अनुमानित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) काउपयोग कर हानि भत्ते का आंकलन किया गया है:

जहॉ प्रतिपक्षकारों के पास उनके दायित्वो को पूरा करने के लिए पर्यापत क्षमता होती है और जहाँ चूक की संभावना कम होती है वहाँ कंपनी के पास संपत्ति होती है।

वर्ष के दौरान ऋणों के संदर्भ में ह्वास के लिए भत्तों के संचलन निम्नानुसार थे:

(रू.करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2019 की स्थिति पर	31 मार्च 2018 की स्थिति पर
1 अप्रेल को शेष	**22.29**	18.04
ह्रास हानि मान्य/ बट्टा पर / वापस	**0.05**	4.25
31 मार्च को शेष	**22.34**	22.29

(ब) ह्रास हानि प्रावधानों पर समाधान

वर्ष के दौरान व्यापारिक प्राप्यों और अनुबंध परिसंपत्तियों के संदर्भ में ह्रास के लिए भत्तों के संचलन निम्नानुसार थे:

(रू.करोड़ में)

विवरण	31मार्च2019 की स्थिति पर	31मार्च2018की स्थिति पर
1 अप्रेल को शेष	**6824.73**	6187.54
मान्य की गई ह्रास हानि	**1035.99**	1150.66
बट्टा पर / वापस राशियां	**(804.06)**	(513.47)
31 मार्च को शेष	**7056.66**	6824.73

कंपनी निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप अधिशेष निधियों में से निवेश करती है। नकद और नकद समकक्षों और सावधि जमाओं पर क्रेडिट जोखिम बहुत सीमित है क्योंकि कंपनी सामान्यत: क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उच्च क्रेडिट रेटिंग प्राप्त बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ में जमाओं निवेश करती है।

ब. चल निधि जोखिमका प्रबंधन

कंपनी जब और जैसे आवश्यक हो, सावधि जमा सहित पर्याप्त नकदी व नकद समतुल्य बनाए रखने और क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से निधियों की पर्याप्त मात्रा उपलब्धता को बनाए रखकर चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है। मजबूत नकदी प्रबंधन प्रणाली और नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी प्रबंधन को वर्ष भर में अपनी निधि आवश्यकताओं को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त स्रोतों के आयोजन की योजना बनाने और बनाए रखने में सक्षम बनाती है। पर्याप्त नकदी और बैंक बैलेंस के अतिरिक्त, कंपनी सुलभ क्रेडिट सुविधाओं का उपयोग भी करती है। कंपनी निवेश पर प्रतिफल को इष्टतम करने कंपनी कोष के बेहतर संचालन हेतु आंतरिक संसाधनों अर्थात परिचालन से उत्पन्न निधि और अल्पकालीन ऋणों से अपनी सभी निधियेां की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर, गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं:

वित्तीय देनदारियां	31 मार्च 2019 की स्थिति पर		31 मार्च2018 की स्थिति पर	
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां	1 वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक
व्यापारिक देय	**11380.98**	**702.87**	10589.25	481.75
ठेकेदारों व अन्यों से जामाएं	**522.27**	**84.93**	492.30	110.43
वित्तीय पट्टा देयताएं	**62.86**	**95.45**	45.70	57.18
अन्य देय/दायित्व				
कर्मचारी देय	**512.14**		856.19	
अन्य देय	**884.22**		765.81	
कैपेक्स देय	**88.75**	**6.36**	111.38	3.98
अल्पकालीन ऋण	**2470.11**		10.28	
कुल	**15921.33**	**889.61**	12870.91	653.34

स. बाजार जोखिम

कंपनी अपने परिचालन से उत्पन कतिपय मुद्रा, वस्तु, ब्याज दर के जोखिम का सामना करती है। विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कवर करने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम प्रबंधन नीति है। प्रमुख वस्तुओं की कीमत में बड़े उतार-चढ़ाव से कंपनी को पृथक करने, आपूर्तिकर्ताओं व ग्राहकों सहित आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ दावो के माध्यम से मूल्य पास सहित रूपरेखा अुनबंध दर्ज किए जा रहें है। परिचालन से उत्पन्न अधिशेष निधि का निवेश केवल पीएससू बैकों अथवा बड़े निजी बैंकों में और सार्वजनिक क्षेत्र की म्युचुअल फंड्स की ऋण आधारित योजनाओं में ही किया जाता है, जिससे जोखिम की संभावना कम से कम होती है।

विदेशी मुद्रा जोखिम अनावरण - रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए कंपनी का अनावरण निम्नानुसार है:

(i) 31.03.2018 को रुके हुए और बकाया व्युत्पन्न विलेख **शून्य** (पिछले वर्ष शून्य) है

(ii) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर जो व्युत्पन्न विलेख द्वारा नियंत्रित नहीं हैं या अन्यथा निम्नानुसार हैं

एफसी मिलियन में
(रू. करोड़ में)

विवरण	को जैसा		को जैसा		को जैसा	
	मार्च 31,2019		मार्च 31,2018		मार्च 31,2019	मार्च 31, 2018
परिसंपत्तियां	**यूरो**	**समतुल्य भा. रू.**	**यूरो**	**समतुल्य भा. रू.**	**अन्य मुद्रा**	**अन्य मुद्रा**
व्यापारिक प्राप्य	**187.45**	**1441.89**	153.26	1222.56	**52.22**	4.91
अनुबंध परिसंपत्तियां	**270.26**	**2080.95**	251.80	2005.21	**72.17**	63.16
अन्य परिसंपत्तियां	**14.74**	**114.21**	22.26	162.84	**195.45**	164.97
उप कुल (अ)	**472.45**	**3637.05**	427.32	3390.61	**319.84**	233.04
देयताएं						
ग्राहकों से अग्रिम	**45.96**	**316.67**	46.83	318.77	**38.69**	40.90
व्यापारिक देय अन्य	**62.42**	**494.44**	73.50	600.16	**288.55**	401.77
उप कुल (ब)	**108.38**	**811.11**	120.33	918.93	**327.24**	442.67
परिसंपत्तियां (देयताओं की शुद्ध)	**364.07**	**2,825.94**	306.99	2,471.68	**(7.40)**	(209.63)

परिसंपत्तियां	**यूएसडालर**	**समतुल्य भा. रू.**	**यूएसडालर**	**समतुल्य भा. रू.**
व्यापारिक प्राप्य	**226.08**	1555.43	184.34	1188.72
अनुबंध परिसंपत्तियां	259.71	1780.33	200.65	1293.59
अन्य परिसंपत्तियां	2.87	18.82	4.97	32.16
उप कुल (अ)	488.66	3354.58	389.96	2514.47
देयताएं				
ग्राहकों से अग्रिम	155.49	957.72	291.77	1832.81
व्यापारिक देय अन्य	124.91	871.61	97.64	646.47
अल्प कालीन ऋण	51.31	357.27	.	.
उप कुल (ब)	331.71	2186.60	389.41	2,479.28
परिसंपत्तियां (देयताओं की शुद्ध)	156.95	1,167.98	0.55	35.19

उक्त प्रावधान प्रावधानों, यदि कोई है तो का निवल है।

संवेदनशील विश्लेषण

वर्षान्त में लाभ या हानि पर यूरो, यूएस डालर और अन्य के साथ साथ भारतीय रुपया के मजबूत / कमजोर होने के प्रभाव को नीचे दर्शाया गया है। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर संस्करण पर आधारित है जिसे कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के अंत में यथोचित रूप से संभव माना है। विश्लेषण पिछले वर्ष के लिए उसी आधार पर निष्पादित किया जाता है, यद्यपि यह संभव है कि विदेशी मुद्रा विनिमय दर भिन्न हो, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	को जैसा			
	मार्च 31, 2019		**मार्च 31, 2018**	
लाभ/(हानि) पर प्रभाव	उछाल	गिरावट	उछाल	गिरावट
1% संचलन				
यूरो	**28.26**	**(28.26)**	24.72	(24.72)
यू एस डी	**11.68**	**(11.68)**	0.35	(0.35)
अन्य	**(0.07)**	**0.07**	(2.10)	2.10

ड. पूंजी प्रबंधन

कंपनी का पूंजी प्रबंधन के दौरान उद्देश्य, अंशधारकों को अधिकतम प्रतिफल उपलब्ध कराने हेतु अपनी पूंजी की रक्षा, संरक्षा एवं वृद्धि करना है, अन्य हितधारकों को लाभ एवं पूंजी की लागत कम करने हेतु इष्टतम पूंजीगत संरचना बनाए रखना है। निदेशक मण्डल भी ईक्विटी अंशधारकों को लाभांश के स्तर को मॉनीटर करते हैं। कंपनी सामान्यत: उद्योगों और साथ ही साथ रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वित्तीय अनुपातों की एक संख्या के आधार पर, मध्यम अवधि व दीर्घावधि दृष्टिकोण का उपयोग कर पूंजी की मॉनीटरिंग करती है। कंपनी अनुप्रयुक्त बाह्य पूंजी आवश्यकताओं की विषय वस्तु नहीं है। कंपनी की पूंजी संरचना को विभिन्न वित्तीय अनुपातों के विरूद्ध प्रबंधित किया जाता है जो कि उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निदेशक मंडल पूंजी पर प्रतिफल की मॉनीटरिंग करता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 1.36% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी का पूंजी पर प्रतिफल **3.27%** है।

टिप्पणी [54] - समेकित परिचालन खण्ड

खंडों को संबंधित व्यवसाय क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए आर्डरों के आधार पर ''पावर'' और 'उद्योग' के रूप में चिन्हित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालन समूह द्वारा बुक किए गए आर्डरों को यथास्थिति पावर अथवा उद्योग, जैसा भी मामला हो, में सम्मिलित किया जाता है।

कंपनी के कार्यकारी निदेशकों की समिति को मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में चिन्हित किया गया है।

(रु. करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 के लिए			समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 के लिए		
		पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
I.	खण्ड राजस्व						
क.	खण्ड राजस्व	23404.96	5962.89	29367.85	22881.04	4983.80	27864.84
II.	खण्ड परिणाम						
क.	खण्ड परिणाम	2812.18	431.59	3243.77	2792.14	172.75	2964.89
ख.	गैर आवंटित व्यय (शुद्ध आय व संयुक्त उद्यम का अंश)			1105.66			1494.86
ग.	वित्त लागत पूर्व लाभ व आयकर			2138.11			1470.03
घ.	वित्तीय लागत (ब्याज की अंनवाईडिंग सहित)			288.01			255.16
ड.	आय कर पूर्व शुद्ध लाभ (ग) -(घ)			1850.10			1214.87
च.	आय कर			840.94			776.68
छ.	आयकर पश्चात निवल आय (ड.) -(च)			1009.16			438.19
III	परिसंपत्तियां व दायित्व						
क.	खण्ड परिसंपत्तियां	45185.71	9393.19	54578.90	40812.66	8544.93	49357.59
ख.	सामान्य परिसंपत्तियां			9340.37			14116.02
ग.	कुल परिसंपत्तियां			63919.27			63473.61
घ.	खण्ड दायित्व	24823.96	5286.31	30110.27	24541.30	4829.44	29370.74
ड.	सामान्य दायित्व			2943.34			1771.93
च.	कुल दायित्व			33053.61			31142.67
IV	अन्य जानकारी						
क.	पूजीगत व्यय	255.08	81.88		186.74	48.07	
ख.	ह्रास व परिशोधन	343.34	88.41		589.56	154.14	
ग.	गैर नकदी व्यय (ह्रास व परिशोधन के अतिरिक्त)	1160.35	31.08		1867.25	320.54	

	भौगोलिक खण्ड	भारत मे	भारत के बाहर	कुल	भारत मे	भारत के बाहर	कुल
1	शुद्ध विक्रय/ परिचालनों से राजस्व	26209.34	3158.51	29367.85	27177.54	687.30	27864.84
2	गैर- चालू परिसंपत्तियां(पीपीई व अमूर्त परिसंपत्तियां)	3191.95	13.95	3205.90	3251.78	24.19	3275.97
3	पूंजीगत व्यय	378.65	24.23	402.88	256.06	13.66	269.72

प्रमुख ग्राहक-एकल ग्राहक से प्राप्त राजस्व का विवरण जो बीएचईल के कुल राजस्व से 10% से अधिक है

	पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
के. सा. क्षे. उ.	5323.43	2320.06	7643.49	6235.82	1880.26	8116.08
रेलवे		1595.98	1595.98		1177.88	1177.88
टेनजेनको	5331.04		5331.04	3637.73		3637.73
टीएसजेनको	4544.66		4544.66	2777.84		2777.84

टिप्पणी[55] - अतिरिक्त जानकारी

(रू. करोड़ में)

समूह में इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष	शुद्ध परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियां धटाएं कुल देयताओं से		लाभ या हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
			राशि	कुल समेकित लाभ या हानि का %	राशि	कुल समेकित अन्य व्यापक आय का %	राशि	कुल समेकित कुल व्यापक आय का %	राशि
बीएचईएल	2018-19	99.56	30729.97	118.93	1200.21	100.03	(119.18)	121.46	1081.03
	2017-18	98.76	31930.16	190.55	834.97	99.82	83.33	176.03	918.30
सहायिकाएं-									
बीएचईएल ईएमएल	2018-19	(0.02)	(7.00)	(0.28)	(2.78)	(0.01)	0.01	(0.31)	(2.77)
	2017-18	(0.01)	(4.22)	(0.70)	(3.07)	(0.02)	(0.02)	(0.59)	(3.09)
बीएचईएल ईएमएल गैर नियंत्रित हित	2018-19	(0.02)	(6.73)	(0.26)	(2.67)	0.00	0.00	(0.30)	(2.67)
	2017-18	(0.01)	(4.05)	(0.67)	(2.95)	(0.01)	(0.01)	(0.57)	(2.96)
संयुक्त उद्यम (ईक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)-									
बीएचईएल-जीई गैस टरबाईन सर्विसेज लिमिटेड	2018-19	0.48	149.42	2.68	27.03	(0.02)	0.02	3.04	27.05
	2017-18	0.43	138.55	5.44	23.82	0.22	0.18	4.60	24.00
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	0.00	0.00	(0.73)	(7.38)	-	-	(0.83)	(7.38)
	2017-18	0.01	4.40	(8.75)	(38.35)	0.00	0.00	(7.35)	(38.35)
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	0.00	0.00	(20.34)	(205.25)	-	-	(23.06)	(205.25)
	2017-18	0.82	266.10	(85.86)	(376.23)	0.00	0.00	(72.12)	(376.23)
कुल	2018-19	100.00	30,865.66	100.00	1009.16	100.00	(119.15)	100.00	890.01
	2017-18	100.00	32330.94	100.00	438.19	100.00	83.48	100.00	521.67

टिप्पणी [56]

सेबी अधिनियम 2015 (सूचीयन के दायित्व व प्रकटन आवश्यकताएं) के अनुसार कंपनी द्वारा दिए गए ऋण की प्रकृति में ऋणों और अग्रिमों के अपेक्षित विवरण नीचे दिए गए हैं:

i) सहायिका कंपनी के संदर्भ में :

(रू करोड़ में)

	As at	
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
बीएचईएल ईलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड		
बकाया ऋणों की प्रकृति में ऋण और अग्रिम	**3.00**	3.00
वर्ष के दौरान बकाया ऋणों की प्रकृति में ऋणों और अग्रिमों की अधिकतम राशि	**3.00**	3.00

ii) ऐसे कोई ऋण नहीं दिया गया (कर्मचारियां के अतिरिक्त) जिसमें अदायगी की काई समय सीमा न हो या अदायगी 7 वर्षों से अधिक हो, और

iii) फर्मों/ कंपनियों को, जिनमें निदेशकों की रूचि हो, पर ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

टिप्पणी [57]

परिसंपत्तियों एवं दायित्वों को 12 माह की परिचालन चक्र मानते हुए चालू व गैर चालू में वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी [58]

के.सा.क्षे.उ. के लिए तीसरे वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर और राष्ट्रपति के निर्देशों के मुद्दे के अनुसार, अधिकारियों को दिनांक 01.01.2017 से देय वेतन पुनरीक्षण बकाया का भुगतान वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान किया गया है। पर्यवेक्षकों और श्रमिकों के लिए भी 01.01.2017 से देय वेतन पुनरीक्षण बकाया का भुगतान यूनियनों के साथ मजदूरी समझौता होने पर किया गया है। इस मद पर दिनांक से 01.01.2017 से 31.03.2019 तक कुल बकाया राशि लगभग 1940 करोड़ रुपये थी जिसमें से 31.03.2018 तक 1306 करोड़ रूपय की राशि प्रदान की गई और वित्त वर्ष 2018-19 में शेष राशि प्रदान की गई थी। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वेतन बकाया पर 1475 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है।

टिप्पणी[59]

वर्ष के अंत में **8.14%** (पिछले वर्ष@ 8.30%) पर उधार की भारित औसत लागत को दीर्घकालिक प्रावधानों के वर्तमान मूल्य और अपेक्षित ऋण हानि केलिए माना गया है।

टिप्पणी [60]

हाल में हुए लेखांकन विकास

मानक जो जारी किए गए परन्तु प्रभावी होना शेष है भा. ले. मा. 116 (पट्टे)

30 मार्च 2019 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2019 जारी किया, जिसमें भा. ले. मा. 116 (पट्टे) को अधिसूचित किया गया था। मानक 1 अप्रैल, 2019 से कंपनी के लिए लागू है और वर्तमान भा. ले. मा. 17 (पट्टे)और संबंधित व्याख्याओं को प्रतिस्थापित करेगा।

यह भा. ले. मा पट्टागा्रही और पट्टादाता हेतु पट्टे की मान्यता, माप, प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित किया है। पट्टेदार के लिए आवश्क है कि जब तक अंतर्निहित संपत्ति कम मूल्य की न हो, तब तक सभी पट्टा लेनदेन के लिए 12 महीने से अधिक की पट्टा अवधि के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्य करे। वर्तमान भा. ले. मा. 17 के अंतर्गत परिचालन पट्टा व्यय को लाभ हानि विवरण में भारित किया जाता है।

भा. ले. मा. 12 में संशोधन -आयकर

एमसीएने 1 अप्रैल, 2019 से लागू आयकर उपचार अनिश्चितता पर भा. ले. मा. 12 परिशिष्ट सी में संशोधन को अधिसूचित कर जारी कर दिया है। यह कर योग्य लाभ / हानि के निर्धारण का निष्पादन करते समय अनुप्रयोग किए जाने वाले आयकर उपचार पर अनिश्चितता को निर्धारित करता है। भा. ले. मा. 12 का संशोधन लाभ या हानि, अन्य व्यापक आय या इक्विटी जहाँ इन्हें मूलत: मान्य किया जाता है में लाभांश के आयकर परिणाम को मान्य किया जाना स्पष्ट करता है। भा. ले. मा. 8 के अनुसार समायोजन पूर्व प्रभावी होगा अथवा संचयी केच अप एप्रोज होगा।

भा. ले. मा. 19 में संशोधन - कर्मचारी लाभ

एक सुनियोजित योजना में संशोधन, कटौती या निपटान के बाद शेष अवधि के लिए शुद्ध ब्याज के रूप में पिछली सेवा लागत निर्धारित करने के लिए अद्यतन मान्यताओं को उपयोग को आवश्यक करने हेतु एमसीए ने 30 मार्च, 2019 को भा. ले. मा. 19 कर्मचारी लाभ में संशोधन अधिसूचित किया। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर उक्त परिवर्तनों के प्रभाव की जांच और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है और मानकों और संशोधनों की प्रभावी तिथि से इसका पालन किया जाएगा। हॉलांकि, कोई भौतिक प्रभाव अनुभव नहीं किया गया।

टिप्पणी[61]

पूर्व अवधि की त्रुटियां जो भौतिक हैं, पूर्ववर्ती अवधि (यों), जिसमें ऐसी त्रुटि हुई हो के लिए तुलनात्मक राशि की पुन: घोषणा द्वारा पूर्व व्यापी रूप से ठीक की जाती हैं, प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई त्रुटि के लिए, प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती संतुलन की पुन: घोषणा की जाती है।

टिप्पणी[62]

आकड़ों को करोड़ में रूपये निकटतम दो दशमलव अंको तक राउंड ऑफ किया गया है।

टिप्पणी[63]

पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुन: समूहित/पुन:व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी [64]

निदेशक मण्डल ने दिनांक 27 मई 2019 आयोजित उनकी बैठक में वित्तीय विवरण 2018-19 को जारी करना प्राधिकृत किया है।

निदेशक मंडल कि ओर से और उनके लिए

(राजीव कालरा)	**(सुबोध गुप्ता)**	**(अतुल सोबती)**
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.नं.14567	**डीआईएन 08113460**	**डीआईएन 06715578**

संलग्न तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कम्पनी	**तिवारी एंड एसोशिएट्स**	**महेश सी. सोलंकी एंड कम्पनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंटे	चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 002074एन	**एफआरएन-002870एन**	**एफआरएन-006228सी**
(सी.ए. गोपाल कृष्ण)	**(सी.ए. संदीप सांडिल)**	**(सीए. रजत जैन)**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
एम.नं. 081085	**एम.नं. 085747**	**एम.नं. 413515**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 27, 2019

स्टेक होल्डरों के लिए अतिरिक्त जानकारी

वित्तीय सारांश	327
वर्षवार पूंजीगत व्यय	328
लाभांश वितरण नीति	329
उत्पाद प्रोफाइल	331
शब्दावली एवं संक्षेपाक्षर	341
शब्दावली (वित्तीय वाक्य)	342
मूल्य वर्धन विवरण	345

वित्तीय निष्पादन प्रवत्ति

रु. करोड़ में

विवरण	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
A. वित्तीय परिणाम					
I. आय					
टर्नओवर	**29349**	27850	27740	25091	29542
अन्य परचिालन आय	**1000**	963	859	711	852
परिचालनों से राजस्व	**30349**	28813	28599	25803	30394
II. व्यय					
सामग्री उपभोग, इरेक्शन व इंजीनियरिंग व्यय	**19308**	15900	16566	16377	17758
एफजी व डब्ल्यूआईपी की मालसूची में परिवर्तन	**(1073)**	736	994	210	(338)
कर्मचारी लाभ व्यय	**6261**	6067	5395	5380	5450
विनिर्माण, प्रशासनिक, विक्रय एवं वितरण व्यय	**2760**	2635	2741	2855	3044
उत्पदा शुल्क (शुद्ध)	**-**	(113)	152	197	225
विनिमय परिवर्तन(लाभ) /हानि(शुद्ध)	**(67)**	(520)	270	(403)	386
प्रावधान	**1076**	2282	1444	2075	1667
ह्रास व परिशोधन व्यय	**475**	786	849	936	1077
वित्तीय लागतें	**287**	255	351	359	92
घटाएं: आंतरित उपयोग के लिए पूंजीकृत व्यय	**59**	107	25	47	28
कुल परिचालन व्यय	**28969**	27922	28737	27939	29333
परिचालन लाभ /(हानि) [एमओयू के अनुसार]	**1380**	891	(138)	(2136)	1061
जोड़े: अन्य आय	**678**	694	766	972	1079
कर पूर्व लाभ /(हानि)	**2058**	1585	628	(1164)	2140
कर व्यय (निवल)	**842**	778	132	(454)	721
कर पश्चात लाभ /(हानिद्ध	**1215**	807	496	(710)	1419
कुल व्यापक आय	**1096**	890	467	(786)	-
लाभांश भुगतान	**696**	668	387	98	284
लाभांश वितरण कर	**143**	136	79	20	57
ईबीआईडीटीए	**2820**	2626	1827	131	3309
B. वित्तीय स्थिति					
III. कंपनी क्या स्वामित्व रखती है (परिसंपत्तियां)					
संपत्ति, प्लांट व उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियां	**2967**	3069	3596	3962	4140
विकासशील पूंजी डब्ल्यूआईपी एवं अमूर्त परिसंपत्तियां	**235**	203	169	318	518
गैर चालू निवेश	**669**	691	661	664	418
गैर चालू परिसंपत्तियों के अतिरिक्त	**18690**	13991	10069	11435	12632
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	**3515**	3626	3841	3659	2221
चालू परिसंपत्तियां	**38340**	42138	42894	45125	48538
कुल परिसंपत्तियां	**64416**	63718	61230	65163	68467

वित्तीय निष्पादन प्रवत्ति

रु. करोड़ में

विवरण	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
IV. कंपनी क्या स्वामित्व रखती है (देयताएं)					
गैर चालू देयताएं	4506	4287	3809	4634	5420
गैर चालू प्रावधान	5455	4923	5001	7625	6802
चालू देयताएं	20570	18124	15934	17388	17922
चालू प्रावधान	2485	3783	4192	3336	4238
कुल देयताएं	33016	31117	28936	32982	34382
ईक्विटी अंश पूंजी	696	734	490	490	490
अन्य ईक्विटी	30704	31867	31804	31691	33595
V. कुल कीमत	31400	32601	32294	32181	34085
कुल कीमत (ओसीआई के अलावा)	31541	32623	32399	32257	34085
VI. प्रयुक्त पूंजी	27650	28772	28284	28204	31346
VII. वित्तीय निष्पादन अनुपात					
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	4.55	3.09	(0.48)	(8.28)	3.49
ईबीआईडीटीए मार्जिन (%)	9.61	9.43	6.59	0.52	11.20
लाभ मार्जिन (%)	7.01	5.69	2.26	(4.64)	7.24
कुल कीमत पर प्रतिफल (%)	3.79	2.48	1.53	(2.14)	4.23
प्रतिकर्मचारी टर्नओवर (रू लाख में)	83	74	70	59	66
VIII. ईक्विटी अनुपात					
वर्तमान अनुपात	1.66	1.92	2.13	2.18	2.19
व्यापारिक प्राप्य - (दिनों की संख्या)	167	194	156	183	174
मालसूची(दिनों की संख्या)	101	82	97	140	125
IX. प्रति अंश डाटा					
प्रति अंश अर्जन (रु.)	3.35	2.20	1.35	(1.93)	3.87
प्रति अंश लाभांश (रु.)	2.00	1.82	1.05	0.27	0.77
प्रति अंश कुल कीमत (रु.)	90.18	88.80	87.96	87.65	92.84

टिप्पणी:

1. परिचालनों से टर्नओवर व राजस्व में उत्पाद शुल्क व कर सम्मिलित नहीं है।
2. लाभांश भुगतान अंतरिम लाभांश एवं वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभाश है।
3. 2017-18में 1:2 बोनस जारी होने पर प्रति अंश डाटा की पुर्नघोषणा की गई।
4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के वर्षान्त ईक्विटी अंश पूंजी जनवरी 2019 में बायबैक के पश्चात है।
5. आंकड़े वित्तीय वर्ष 2015-16 के बाद से इंड ए एस के अनुसार एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आईजीएएपी के अनुसार है।
6. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुर्नसमूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

वर्षवार पूंजी व्यय

रु. करोड़ में

निवेश की श्रेणी	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
योजनाएं	**112**	19	210	80	217
आधुनिकीकरण, युक्तिकरण व अन्य	**61**	164	51	141	119
ग्राहक परियोजनाआं से संबंधति पूंजी निवेश	**99**	66	33	90	59
कुल	**272**	249	294	311	395

लाभांश वितरण नीति

1. कार्य क्षेत्र एवं उद्देश्य

1.1 यह पॉलिसी 8 जुलाई, 2016 को सेबी (अधिसूचित दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 के विनियमन 43। अधिसूचित वीडियोग्राफी के अनुरूप तैयार की गई है। उक्त अधिसूचना में लाभांश वितरण नीति तैयार करने के लिए शीर्ष पाँच सौ सूचीबद्ध कंपनियों (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाजार पूंजीकरण के आधार पर) की आवश्यकता होती है, जिसका खुलासा इसकी वार्षिक रिपोर्ट और इसकी वेबसाइट पर किया जाएगा।

1.2 तदनुसार, कंपनी ने 6 अप्रैल, 2017 को अपनी बैठक में इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ("पॉलिसी") को मंजूरी दे दी है और जो पॉलिसी की प्रभावी तारीख से स्वीकार कर लिया है।

1.3 पॉलिसी का इरादा मौटे तौर पर उन मापदंडों (बाहरी और आंतरिक कारकों) को निर्दिष्ट करना है जो लाभांश की घोषणा करते समय विचार किए जाएंगे और जिन परिस्थितियों में कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश की उम्मीद नहीं है / हो सकता है और कैसे बरकरार रखी गई आय का उपयोग किया जा सकता है, आदि।

कंपनी शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने का प्रयास करती है और उनका मानना है कि यह ड्राइविंग ग्रोथ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पॉलिसी शेयरधारकों को लाभांश के माध्यम से पुरस्कृत शेयरधारकों के बीच एक इष्टतम संतुलन बनाने का प्रयास करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी और अन्य आवश्यकताओं की वृद्धि के लिए पर्याप्त लाभ बरकरार रहे।

पॉलिसी लाभांश की सिफारिश करने हेतु नीति बोर्ड के निर्णय का विकल्प नहीं है, जो प्रत्येक वर्ष कंपनी के हित को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और नीति या अन्य कारकों में संलग्न सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को बोर्ड द्वारा प्रासंगिक के रूप में तय किया जा सकता है।

2. परिभाषाएं

2.1 ''बोर्ड'' का तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल से होगा।

2.2 कंपनी अधिनियम का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 और अधीन बनाए गए नियम, जो समय–समय पर संशोधित किए गए, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित हैं।

2.3 लाभांश में अंतरिम लाभांश शामिल है।

2.4 कंपनी" अर्थात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड.

2.5 ''पॉलिसी'' का अर्थ है लाभांश वितरण नीति।

2.6 ''विनियम'' का तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित, समय–समय पर संशोधित किया जाएगा।

2.7 स्टॉक एक्सचेंज का मतलब एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज होगा, जिसे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (एफ) के तहत परिभाषित किया गया है, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

3. कंपनी के लाभांश पर निर्णय लेने और भुगतान करने के दौरान वित्तीय मानकों सहित कारकों पर विचार किया जाएगारू

3.1 बाह्य कारकः

3.1.1 आर्थिक और व्यावसायिक वातावरणः किसी भी वर्ष में लाभांश की घोषणा करते समय वर्तमान और संभावित व्यावसायिक परिदृश्य सहित मैक्रो आर्थिक परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा।

3.1.2 उद्योग की स्थितिः जिस उद्योग में कंपनी संचालित होती है, उसमें पूर्ववर्ती स्थितियों को लाभांश की घोषणा के संबंध में निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा।

3.1.3 वैधानिक प्रावधान और दिशानिर्देशः कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में सेबी और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के कंपनी अधिनियम और विनियमों के प्रावध ाानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी लाभांश घोषणा के संबंध में लागू दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी, जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किया जाता है।

3.1.4 लाभांश पर कर सहित लागू करः कंपनी पर लागू होने वाले कर सहित लाभांश पर कर, जो कुल नकदी बहिर्वाह को प्रभावित करते हैं।

3.2 आंतरिक कारक

बोर्ड एक वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ, कंपनी के संचालन की प्रकृति और पैमाने को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकता हैरू –

3.2.1 तिमाही/वित्तीय वर्ष तक के लिए लाभ

3.2.2 कंपनी के फ्री रिजर्व में उपलब्ध शेष राशि

3.2.3 कंपनी और उद्योग के लाभांश भुगतान की प्रवृत्ति

3.2.4 आगामी व्यवसायिक अनुमान और परिचालन आवश्यकताएं

3.2.5 आय और भावी लाभ के अनुमानों की स्थिरता

3.2.6 निकट भविष्य हेतु नकदी प्रवाह, कोषागार स्थिति और नकदी प्रवाह अनुमानों का संचालन करना

3.2.7 ऋण लेने के स्तर और ऋण लेने की क्षमता

3.2.8 कंपनी के वर्तमान और भविष्य के पूंजीगत व्यय की योजनाएं जिसमें जैविक / अकार्बनिक विकास रास्ते शामिल हैं

3.2.9 कंपनी के सहयोगी और संयुक्त उपक्रम/सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश की आवश्यकताएं

3.2.10 अप्रत्याशित घटनाओं और आकस्मिकताओं के लिए प्रदान करना जिसमें वित्तीय निहितार्थ हैं।

3.2.11 किसी अन्य कारक को बोर्ड द्वारा उपयुक्त माना जा सकता है।

3.3 विनियमों, लेखांकन नितियों, लेखांकन मानकों अथवा अन्यथा में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप किसी मध्य के गैर नगदी मद में बदलने पर हटाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल स्व विवेक से किसी वर्ष के लाभ को समायोजित कर सकता है।

3.4 बोर्ड को उचित लगने पर अंतरिम लाभांश के भुगतान पर विचार कर सकता है। पूर्व लागू नियमों और विनियमों के तहत कंपनी के शेयर धारकों के लिए अंतिम लाभांश बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

4. ऐसी परिस्थितियाँ जिनके तहत शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं

लाभांश के रूप में मुनाफे का वितरण अन्य उद्देश्यों और व्यवसाय में उपयोग हेतु इसका कुछ अनुपात बनाए रखना हर कंपनी के लिए एक मौलिक निर्णय है। इस निर्णय के लिए लाभांश के माध्यम से उचित रूप से पुरस्कृत शेयरधारकों के बीच पर्याप्त संतुलन की आवश्यकता होती है और व्यवसाय की परिचालन आवश्यकताओं और विकास योजनाओं को निधि देने के लिए मुनाफे को बनाए रखना होता है।हालाँकि कंपनी लगातार अपने शेयरधारकों को लाभांश दे रही है और वे भविष्य में भी इसकी अपेक्षा कर सकते हैं, जब तक कि कंपनी निम्नलिखित परिस्थितियों में लाभांश घोषित नहीं करने के लिए विवश है:

(अ) लाभ अभाव या अपर्याप्तता – यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, कोई लाभ नहीं है या यह निर्धारित किया जाता है कि कंपनी का लाभ पर्याप्त नहीं है, तो बोर्ड उस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित नहीं करने का निर्णय ले सकता है।

(ब) अन्य बाधाएं – नकदी संसाधनों की सीमित / गैर उपलब्धता, भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमानों के कारण सीमाएं, महत्वपूर्ण संसाधनों की जरूरतोंकी आकस्मिक आवश्यकताएं, अस्थिर व्यापार और लाभ के अनुमान आदि जैसे महत्वपूर्ण कारक और उस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित नहीं करने के निर्णय पर पहुंचने के दौरान बोर्ड द्वारा विचार किए गए किसी भी अन्य वैधानिक कारक।

5. रोककर रखी गई आय का उपयोग

लाभांश के वितरण के बाद कंपनी की बरकरार रखी गई आय, मुख्य रूप से विकास योजनाओं की आवश्यकताओं के लिए और कंपनी की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपयोग की जाएगी क्योंकि कंपनी निरंतर विकास और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

6. विभिन्न वर्गो के शेयरों के संबंध में अपनाए जाने वाले पैरामीटर कंपनी

के पास वर्तमान में शेयरों का केवल एक वर्ग है यानी इक्विटी शेयर। जब और जब यह किसी अन्य वर्ग के शेयरों को जारी करने का प्रस्ताव करता है, तो नीति को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

7. पॉलिसी में संशोधन

कंपनी नीति के किसी भी या सभी प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है क्योंकि यह सेबी या भारत सरकार या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार फिट हो सकता है। हालाँकि, नीति में बदलाव का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर औचित्य के साथ–साथ मौजूदा नियामक प्रावधानों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में किया जाएगा।

8. सामान्य

इस नीति के तत्वों के अतिरिक्त मापदंडों के आधार पर लाभांश की घोषणा या नीति के किसी भी तत्व के संशोधन के परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ कंपनी की वेबसाइट पर भी खुलासा किया जाएगा।

किसी विनियामक प्रावधान के साथ नीति असंगत होने की स्थिति में, इस तरह के नियामक प्रावधान इस नीति के संगत प्रावधान पर लागू होंगे और नीति को ऐसे प्रावधान की प्रभावी तिथि से संशोधित किया जाएगा।

बीएचईएल की उत्पाद प्रोफाइल

थर्मल पावर प्लांट

- स्टीम जेनरेटर, स्टीम टर्बाइन, टर्बो जेनरेटरों के निर्माण और आपूर्ति के लिए क्षमता, जीवाश्म–ईंधन के लिए 1000 मेगावाट क्षमता और संयुक्त–चक्र अनुप्रयोगों के लिए 350 मेगावाट तक पुनर्योजी फीड चक्र के साथ।
- हवा और पानी ठंडा कंडेनसर, कंडेनसेट एक्सट्रैक्शन पंप, बॉयलर फीड पंप, डुप्लेक्स हीटर, वाल्व और 1000 मेगावाट तक के टीजी सेट की आवश्यकता से अधिक हीट एक्सचेंजर्स की बैठक।
- ऊर्जा कुशल नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईई आरएंडएम) और पुराने थर्मल पावर प्लांट्स का लाइफ एक्सटेंशन (एलई) और अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन (आरएलए) अध्ययन।

न्यूक्लियार पावर प्लांट

- न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए रिएक्टर साइड कंपोनेंट्स जैसे स्टीम जनरेटर, रिएक्टर हेडर्स, एंड शील्ड्स, विशेष उद्देश्य हीट एक्सचेंजर्स, प्रेशर वेसल्स, मोटर्स आदि।
- स्टीम टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर्स, एमएसआर (मॉइस्चर सेपरेटर रेहेटर्स), अन्य हीट एक्सचेंजर्स और पंपों को शामिल करते हुए ईपीसीश सॉल्यूसन, फेजजीआर (प्रेसराइज हेवी वाटर रिएक्टर), एफबीआर (फास्ट ब्रीडर रिएक्टर) और एएचडब्ल्यूआर (एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर) के टीजी आइलेंड उपकरण।

गैस आधारित बिजली संयंत्रों

- निम्नलिखित सुविधाओं के साथ गैस टर्बाइन और मेचिंग जनरेटर 25 मेगावाट से लेकर 299 मेगावाट (आईएसओ) रेटिंगरू
    - उद्योग और यूटिलिटी एप्लीकेशन हेतु गैस टरबाइन आधारित को–जनरेशन और संयुक्त साइकल सिस्टम
    - ईंधन के विभिन्न संयोजनों में मिश्रित गोलीबारी के साथ विभिन्न प्रकार के ईंधन (गैसीय और तरल पदार्थ दोनों) को जलाने की क्षमता ।
    - ड्राई लो नॉक्स (डीएलएन) दहन और ध्वनि की आवश्यकता के साथ नॉक्स का 15 पीपीएम तक कम निकास उत्सर्जन स्तर ।

हाइड्रो पॉवर प्लांट

- ईपीसी और टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट (सिविल कार्यों सहित) कपलान के कस्टम–निर्मित पारंपरिक हाइड्रो टर्बाइन, 300 मेगावाट तक के जनरेटर के साथ फ्रांसिस और पेल्टन का मिलान ।
- 250 मेगावाट तक के मोटर–जनरेटर के साथ पंप टर्बाइन का मेचिंग
- 10 मेगावाट तक के मिलान जनरेटर के साथ बल्ब टरबाइन
- उच्च क्षमता वाले पंपों के साथ–साथ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए मोटरें (150 मेगावाट तक)
- मिनी / माइक्रो और छोटे पनबिजली संयंत्र 25 मेगावाट इकाई की रेटिंग तक
- सभी प्रकार के हाइड्रो पावर प्लांट के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजिटल गवर्निंग सिस्टम
- जल विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उत्थान

  हाइड्रो स्टेशनों के लिए गोलाकार (रोटरी) वाल्व, तितली वाल्व और सहायक
- संयंत्र और सिस्टम इंटीग्रेशन का संतुलन

सोलार पावर प्रणाली

- सौर पीवी बिजली संयंत्रों के ईपीसी समाधानः
    - बीईएसएस(बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) के साथ और इसके बिना ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम
    - स्टैंडअलोन सिस्टम
    - रूफ टॉप सिस्टम
    - हाइब्रिड सिस्टम
    - केनल टॉप सिस्टम
    - फ्लोटिंग सोलार पावर संयंत्र
- सोलार पर आधारित वाटर पम्पिंग सिस्टम

डीजी बिजली संयंत्र

- एचएसडी, एलडीओ, एफओ, एलएसएचएस, प्राकृतिक गैस आधारित डीजल जनरेटर बिजली संयंत्र, 20 मेगावाट तक की इकाई रेटिंग और आपातकालीन स्थिति के लिए 11 केवी तक वोल्टेज, साथ ही साथ टर्नकी आधार पर आधार लोड संचालन

डेसिलाइजेशन और जल उपचार योजनाएं प्लांट

- बिजली संयंत्रों के लिए पूर्ण जल प्रबंधन समाधान, विभिन्न उपचार तकनीकों के साथ औद्योगिक अनुप्रयोग और नगर निगम के अनुप्रयोगः

- प्री ट्रीटमेंट प्लांट (पीटी)
- डेसिलाइजेशन प्लांट
- डेमिनेरीलाइजेशन प्लांट (डी एम)
- मेम्ब्रेन आधारित उपचार प्रणाली
- इलेक्ट्रो डियोनाइजेशन प्लांट
- प्रवाह उपचार प्लांट (ईटीपी)
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)
- शून्य तरल निर्वहन (जेडएजडी) प्रणाली
- कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
- टरशियरी ट्रीटमेंट प्लांट

प्रणाली और सेवाएं

- पावर जनरेशन सिस्टम
  - टर्नकी पावर स्टेशन ध्ईपीसी
  - संयुक्त–चक्र बिजली संयंत्र
  - कोजेनरेशन सिस्टम
  - केपटिव पावर प्लांट
  - पावर स्टेशनों और आरएलए अध्ययनों का आधुनिकीकरण और नवीकरण
  - उपयोगिताओं के लिए सिमुलेटर सहित सॉफ्टवेयर पैकेज
  - उपरोक्त सभी प्रणालियों के लिए निर्माण, कमीशन, समर्थन सेवाएं,
  - प्रबंधन और परामर्श सेवाएं
- रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण

औद्योगिक प्रणाली

- सिविल और स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वर्क्स और ऑटोमेशन सिस्टम सहित कोयला हैंडलिंग प्लांट और ऐश हैंडलिंग प्लांट
- माइन विंडर सिस्टम
- कच्चे माल, लोहे के कॉम्पैक्टिंग और प्रोसेसिंग हेतु इलेक्ट्रिक्स, ड्राइव, नियंत्रण और स्वचालन प्रणाली, आयरन मेकिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील मेकिंग, कॉस्टर और स्टील फिनिशिंग जैसे मिल्स और प्रोसेस लाइन्स दोनों लंबे उत्पादों और फ्लैट उत्पादों के लिए।
- कच्चे माल की हैंडलिंग प्रणाली जिसमें स्टील और अन्य उद्योगों के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सिस्टम शामिल हैं
- एल्युमीनियम पौधों के लिए स्मेल्टर्स और प्रोसेसिंग मिल्स के उच्च वर्तमान रेक्टिफायर्स के लिए इलेक्ट्रिक्स और ऑटोमेशन सिस्टम
- स्वचालित भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली (एएसआरएस)

बॉयलर

- कोयले, लिग्नाइट, तेल, प्राकृतिक गैस या इन ईंधन के संयोजन का उपयोग करके उपयोगिताओं के लिए भाप जनरेटर, 30 से 800 मेगावाट क्षमता तकय 1000 मेगावाट इकाई आकार तक के सुपरक्रिटिकल मापदंडों के साथ बॉयलरों के निर्माण की क्षमता
- ईंधन लचीले बॉयलर आयातित / स्वदेशी कोयले के विभिन्न गुणों को सम्मिश्रण / सह–फायरिंग करने में सक्षम हैं, लिग्नाइट, पेटकोक, आदि के सम्मिश्रण।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए भाप जनरेटर, आदि
- कोयला, प्राकृतिक गैस, औद्योगिक गैसों, बायोमास, लिग्नाइट, तेल, बैगास से या इसके संयोजन के उपयोग से 40 से 450 टन / घंटा क्षमता के औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए स्टीम जनरेटर
  - पुलीवराइज्ड कोयला / लिग्नाइट फायर्ड बॉयलर
  - स्टोकर फायर्ड बॉयलर
  - बबलिंग फ्लूडाइज्ड बेड कम्बशन (बीएफबीसी) बॉयलर
  - परिसंचरित फ्लूडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलर
  - हीट–रिकवरी स्टीम जनरेटर (एचआरएसजी)
  - पेपर उद्योग के लिए रासायनिक पुनर्प्राप्ति बॉयलर, सूखी ठोस की 100 से 1000 टन / दिन की क्षमता से लेकर बायलर ऑक्सीलरी

बॉयलर ऑक्सीलरी

फेन

- 200°C तक स्वच्छ वायु अनुप्रयोग और धूल से लदी गर्म गैस अनुप्रयोगों के लिए एकल चरण और दोहरे चरण की अक्षीय प्रतिक्रिया प्रशंसकों की क्षमता 40 से 1300m^3/ सेलसियस तक होती है और 400 से 1,500 एमएमडब्ल्यूसी तक का दबाव होता है।
- स्वच्छ हवा और ग्रिप गैस दोनों के लिए फ्लू गैस एप्लीकेशन 200°C तक, 25 से 600 m^3/ सेकेन्ड / तक की क्षमता के साथ और 300 से 700 एमएमडब्ल्यूसी तक के दबाव के ।
- 400°C तक की स्वच्छ हवा और धूल से भरे गर्म गैस अनुप्रयोगों के लिए सिंगल और डबल सक्शन रेडियल प्रशंसक (प्लेट एयरोफिल ब्लेड), जिनकी क्षमता 4 से 660 m^3/ सेकेन्ड तक होती है और दबाव 200 से 3000 एमएमडब्ल्यूसी तक होता है।

एयर प्रीहीटर

- औद्योगिक, उपयोगिता बॉयलर और सीएफबीसी बॉयलर के लिए ट्यूबलर एयर प्रीहेटर्स
- 1000 मेगावाट तक की क्षमता वाली उपयोगिताओं के लिए रोटरी रीजेनरेटिव एयर–प्रीहेटर्स (विभिन्न प्रकार जैसे बिसेसर, ट्राई सेक्टर और क्वाड सेक्टर)।
- डी–एनओएक्स एप्लीकेशन के लिए चयनात्मक उत्प्रेरक कमी (एससीआर) के साथ बॉयलरों के लिए एयर प्रीहाइटर

पल्वराइजर्स

- कोल फायर्ड थर्मल स्टेशनों के लिए बाउल मिल्स की धीमी और मध्यम गति (दबाव वाले और सक्सन के वातावरण दोनों के लिए) और क्षमता 10 टन /प्रतिघंटा से 120 टन /प्रतिघंटा तक होती है जो 1000 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशनों तक उपयुक्त होती है।
- बॉल ट्यूब मिल्स उच्च श्रेणी की सामग्री के साथ 30 टन / प्रतिघंटा से 110 टन / प्रतिघंटा कैटरिंग के लिए लो–ग्रेड कोयले को 110 मेगावाट / 500 मेगावाट से 500 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशनों तक पहुँचाने हेतु

इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी)

- कोयला उत्सर्जित उपयोगिता और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए 17 एमजी / एनएम 3 (दक्षता 99.97ः तक) के रूप में आउटलेट उत्सर्जन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स जिसमें बायो मास फायर्ड बॉयलर, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, सोडा रिकवरी बॉयलर आदि शामिल हैं।
- उपयोगिता और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए बैग फिल्टर
- एससीआर एप्लीकेशन हेतु मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर
- अमोनिया फ्ल्यू गैस कंडीशनिंग सिस्टम

गिलोटिन गेट्स और डैम्प

- इलेक्ट्रिक / वायवीय एक्टुएटर के साथ गिलोटिन गेट । सील एयर की चौड़ाई 7 मीटर और डक्ट ऊंचाईरू 14.5 मीटर के साथ 100% लीक प्रुफ
- इलेक्ट्रिक/न्यूमेटिक एक्चुएटर के साथ बाई–प्लेन डेम्पर्स। सील 100% लीक प्रुफ एयर के साथ टाइप –1ः चौड़ाईः 7 मीटर और डक्ट ऊंचाईः 14.5, टाइप –2ः चौड़ाई 12 मीटर और डक्ट ऊंचाईः 10.5 मी।
- इलेक्ट्रिक/न्यूमेटिक एक्चुएटर के साथ लौवर डेम्पर्स (ओपन क्लोज / रेगुलेटिंग)ः टाइप –1ः चौड़ाईः 7 मीटर और डक्ट ऊंचाईः 14.5, टाइप –2ः चौड़ाई 12 मीटर और डक्ट ऊंचाईः 10.5 मी।
- बिजली / वायवीय एक्ट्यूएटर के साथ कंट्रोल डैम्पर्स (विनियमन) टाइप –1ः चौड़ाईः 7 मीटर और डक्ट ऊंचाईः 14.5, टाइप –2ः चौड़ाई 12 मीटर और डक्ट ऊंचाई 10.5 मीटर

फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम

- समुद्री जल / चूना पत्थर के घिसने वाले स्क्रबर के साथ फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम
- हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर (एचआरएसजी), औद्योगिक बॉयलरों, सहायक बॉयलरों और अन्य फ्ल्यू गैस निकास अनुप्रयोगों के लिए स्टील चिमनी

सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (SCR) सिस्टम

- एनओएक्स उत्सर्जन नियंत्रण के लिए निर्जल अमोनिया/जलीय अमोनिया / यूरिया अभिकर्मक के साथ एससीआर सिस्टम (हनीकॉम्ब और प्लेट टाईप)

सेलेक्टिव नॉन–कैटेलिटिक रिडक्शन (एसएनसीआर) सिस्टम

- यूरिया और अमोनिया हैंडलिंग सिस्टम के साथ सेलेक्टिव नॉन–कैटेलिटिक रिडक्शन (एसएनसीआर) सिस्टम

सूट ब्लोअर्स

- 12.2 मी तक की यात्रा हेतु लांग रीट्रेक्टेबल शूट ब्लोअर्स (एलआरएसबी)
- यात्रा की लंबाई 10 मीटर हेतु फर्नेस टेम्प्रेचरप्रुब (एफटीपी)
- एयर हीटर हेतु आगे उड़ने के साथ लंबे समय तक वापस लेने योग्य गैर–घूर्णन (एलआरएनआर) सॉट ब्लोअर्स
- सीएफबीसी बॉयलर एप्लीकेशन हेतु ऐश डिस्चार्ज वाल्व
- अनुक्रमिक पीएलसी, नियंत्रण कक्ष और इंटीग्रल स्टार्टर के साथ सॉट ब्लोअर
  - रैक टाइप लंबी वापसी योग्य सॉट ब्लोअर्स
  - रोटरी सॉट ब्लोअर्स
- वॉल ब्लोअर्स

वाल्व

- उपयोगिताओं और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उच्च और निम्न–दबाव टर्बाइन बायपास वाल्व और हाइड्रोलिक प्रणाली
- उच्च और मध्यम दबाव वाल्व, कास्ट और जाली स्टील वाल्व गेट, ग्लोब, नॉन–रिटर्न (स्विंग–चेक और पिस्टन लिफ्ट–चेक) प्रकार भाप, तेल और गैस कर्तव्यों के लिए 950 मिमी व्यास, अधिकतम दबाव वर्ग 4500 (791) किलो / सेमी.^{2}) और 650^{0}C तापमान
- हॉट रिहीट एंड कोल्ड रिहीट आइसोलटिंग डिवाइसेस 900 एमएम

- पाइप साइज क्लास 1500 तक और स्टीम टेम्पो 650^{0}C तक
- 372 किग्रा / से.मी.^{2} और 630^{0}C तक के तापमान पर उच्च दबाव वाले स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व
- 210 किलो /से.मी.^{2} और 593^{0}C तक के तापमान के लिए सेट दबाव के लिए स्वचालित विद्युत संचालित दबाव राहत वाल्व
- 421 किग्रा/ से.मी.^{2} तक के दबाव और 537^{0}C तक के तापमान के लिए बिजली, प्रक्रिया और अन्य उद्योगों में अनुप्रयोगों के लिए सुरक्षा राहत वाल्व
- प्रतिक्रियाशील सह शोषक प्रकार वेंट साइलेंसर अधिकतम व्यास 2700 मिमी।
- प्रत्यक्ष जल स्तर गेज
- एगल ड्रेन वाल्व – टरबाइन ड्रेन अनुप्रयोगों हेतु एकल और मल्टी स्टेज
- आरएच और एसएच स्प्रे लाइनों के लिए सिवियर सेवा नियंत्रण वाल्व
- एक्सट्रैक्शन लाइनों और कोल्ड रिहीट नॉन रिटर्न वाल्व के लिए क्विक क्लोजिंग नॉन रिटर्न वाल्व्स, 800 मिमी व्यास तक, 158 किग्रा / सेमी 2 प्रेशर और 540^{0}C तापमान

पाइपिंग सिस्टम

- बिजली सायकल पाइपिंग, स्थिर लोड हैंगर, परिवर्तनीय स्प्रींग हैंगर, हैंगर घटक, कम दबाव पाइपिंग जिसमें सुपर क्रिटिकल सेट सहित 1000 मेगावाट क्षमता तक के बिजली स्टेशनों के लिए पानी के पाइपिंग को परिचालित करना शामिल है।
- परमाणु ऊर्जा स्टेशनों, संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक बॉयलरों और प्रक्रिया उद्योगों के लिए पाइपिंग सिस्टम
- पूर्व संबंधित पाइपिंग/ बतख स्पूल को रिफाइनरी खंड को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय संघ अभियंता अभियंताओं (एनएसीई) की आवश्यकताओं का अनुपालन

सीमलेस स्टील ट्यूब

- एएसटीएम / एएसएमई और अन्य अंतरराष्ट्रीय विनिर्देशों के अनुरूप कार्बन स्टील और निम्न–मिश्र धातु स्टील्स में 21 से 133 मिमी के बाहरी व्यास और 2 से 12.5 मिमी की दीवार की मोटाई के साथ अलग–अलग रेंज वाली गर्म–तैयार और ठंड से तैयार सीमलेस स्टील ट्यूब।
- एएसएमई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टताओं के अनुरूप कार्बन स्टील और कम मिश्र धातु स्टील्स में 38.1 से 63.5 मिमी की ट्यूब बाहरी व्यास और 5.6 मिमी से 7.1 मिमी की दीवार की मोटाई के साथ अलग–अलग रेंज वाली राइफल ट्यूब (रिब्ड)।
- स्पारल पंख वाली ट्यूब 31.8 से 114.3 मिमी के बाहरी बाहरी व्यास और 2.4 मिमी से 9.5 मिमी की दीवार की मोटाई के साथ भिन्न होती है और कार्बन स्टील में 40.5 मिमी प्रति मीटर से 12.5 मिमी की ऊंचाई और फिन घनत्व 40 से 240 मीटर तक होता है। और एएसएमई मानकों के अनुरूप मिश्र धातु स्टील्स।

भाप टर्बाइन

- थर्मल सेट के लिए 1000 मेगावाट तक की स्टीम टर्बाइन और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए 700 मेगावाट. रेटिंग तक।
- समुद्री प्रणोदन के लिए 5000 एचपी मरीन टर्बाइन।

टर्बो जनरेटर

- थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए 1000 मेगावाट तक और कंबाइंड साइकल प्लांट के लिए 195 मेगावाट तक की उच्च रेटिंग के टर्बोगेनरेटर।

औद्योगिक सेट

- स्टीम टर्बाइन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट्स
  - एसटीजी / बॉयलर / बीटीजी / ईपीसीः यूनिट रेटिंग 200 मेगावाट तक
  - इकाई रेटिंग 120 मेगावॉट तक नॉन रिहीट
  - इकाई रेटिंग 200 मेगावॉट तक रिहीट
- गैस टर्बाइन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट सीटीजी /एचआरएसजी/ ईपीसीः एफआर–5 (26 मेगावाट) से एफआर–9ई (126 मेगावाट)

कास्टिंग और फोर्जिं

- रेंगने वाले प्रतिरोधी मिश्र धातु स्टील्स, स्टेनलेस स्टील और मिश्र धातु के अन्य ग्रेड के भारी कास्टिंग और फोर्जिंग उप महत्वपूर्ण, सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा–सुपर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के घटकों के लिए कड़े अंतरराष्ट्रीय विनिर्देशों को पूरा करते हैं।

कंडेन्सर और हीट एक्सचेंजर्स

- सतह कंडेनसर
  - 800 मेगावाट तक के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए
  - परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए
  - 12.5 मेगावाट के समुद्री अनुप्रयोग
  - औद्योगिक कंडेनसर

- फीड वॉटर हीटर (एचपी हीटर, एलपी हीटर, ड्रेन कूलर, डुप्लेक्स हीटर, डी–सुपर हीट, आदि)
  - थर्मलः 7 से 500 मेगावाट (उप–महत्वपूर्ण) और 300–800 मेगावाट (एकल स्ट्रीम के साथ सुपर क्रिटिकल)
  - न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्रों (236 मेगावाट, 500 मेगावाट और 700 मेगावाट परमाणु सेट) हेतु नमी विभाजक और पुनरावर्तक (एमएसआर) और अन्य फीड वॉटर हीटर।
- लाइव स्ट्रीम रीहीटर(एलएसआर)
  - 500 मेगावाट एफबीआर न्यक्लियर सेट
- ट्रर्बो और हाइड्रो जनरेटर हेतु सहायक हीट एक्सचेंजर
  - एयर कूलर(फ्रेम और ट्यूब टाइप)
  - ऑयल कूलर (शेल और टाइप और प्लग इन टाइप)
  - हाइड्रो कूलर (फ्रेम और ट्यूब टाइप)
- ट्रांसफार्मर हेतु ऑक्सीलरी हीट एक्सजेंर
  - ऑइल कूलर (शेल और ट्यूब टाइप एकल ट्यूब या कॉनसेनट्रीक डबल ट्यूब टाइप)(फ्रेम और ट्यूब टाइप)
- जनरल एप्लीकेशन हेतु ऑक्सीलरी हीट एक्सजेंर
  - पानी – वाटर कूलर (शेल और ट्यूब प्रकार)
- ग्लैंड स्टीम कंडेंसर
- 7 मेगावाट से 150 मेगावाट औद्योगिक एप्लीकेशन
- थर्मल प्लांट 500 मेगावाट तक
- न्यूक्लियर प्लांट 700 मेगावाट तक
- जीटीजी हेतु एयर–कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स एफआर–9ई तक, और सभी रेटिंग के कंप्रेसर एप्लिकेशन
- 150 मेगावाट तक के कंडेनसर के लिए स्टीम जेट एयर इजेक्टर
- 7 मेगावाट से 800 मेगावाट तक के बुनकर
- कंप्रेसर अनुप्रयोगों के लिए गैस कूलर
- आइल कूलर– 150 मेगावाट तक एसटीजी, एफआर–9ई तक जीटीजी
- जनरेटर एयर कूलर 150 मेगावाट एसटीजी और जीटीजी तक 9 एफए तक
- परमाणु प्राथमिक चक्र हेतु डी2ओ और मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर्स

पम्प्स

- 1000 मेगावाट की क्षमता तक विभिन्न उपयोगिता बिजली संयंत्र के लिए पंपः
  - बॉयलर फीड पंप (मोटर या स्टीम टरबाइन चालित) और बॉयलर फीड बूस्टर पंप।
  - ड्रिप पंप सहित संघनन निष्कर्षण पंप
  - परिसंचारी पानी के पंप (शीतलक पानी पंप के रूप में भी जाना जाता है)
  - कंक्रीट कुंडलित वक्र शीतलक जल पंप्स
  - परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के माध्यमिक पक्ष के लिए पंप्स

कंप्रेशर्स

- रिफाईनरीज, फर्टीलाईजर्स, प्रेटोकेमिकल्स, ऑयल व गैस, स्टील, पावर व नेचुरल गेस ट्रॉंसपोटेशन सेक्टर अनुप्रयोग के लिए विभिन्न गैसे (वायू, CO_2, N_2, H_2, NH_3, नेचुरल गैस, वेट गैस, प्रोपलिन इत्यादि) ऑक्जलरी सिस्टम और मल्टी स्टेज सेन्ट्री फ्यूगल कॉम्प्रेशर ड्राइव्स (स्टीम टरबाईन, इलेक्ट्रीक मोटर, गैस टरबाईन) के साथ।
  - 40 बार डिजाइन प्रेशर तक होरिजॉन्टली स्पिलिट टाइप
  - 350 बार डिजाइन प्रेशर तक वर्टीकली स्पिलिट टाइप

सौर फोटोवोल्टाइक

- मोनो / मल्टी क्रिस्टलीय सौर सेल (156 मिमी)
- मोनो / मल्टी क्रिस्टलीय पीवी मॉड्यूल (330 डब्ल्यूपी तक)
- पावर कंडीशनिंग यूनिट (1.25 मेगावाट तक)
- पावर ट्रांसफॉर्मर (15 एमवीए और उससे अधिक)
- पैसिव सोलर ट्रैकिंग सिस्टम
- अंतरिक्ष ग्रेड सौर पैनल

स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली

- स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली के लिए
  - बॉयलर सुरक्षा सहित स्टीम जनरेटर / बॉयलर नियंत्रण
  - स्टीम टर्बाइन नियंत्रण
  - बॉयलर फीड पंप (बीएफपी) ड्राइव टर्बाइन कंट्रोल
  - स्टेशन नियंत्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन / डीसीएस
  - ऑफसाइट / ऑफ बेस कंट्रोल / प्लांट कंट्रोल का बैलेंस
  - – ऐश हैंडलिंग प्लांट (एएचपी)
  - – कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी)
  - – पावर प्लांट के लिए वाटर सिस्टम
  - – मिल रिजेक्ट सिस्टम (एमआरएस)

- कंडेनसेट ऑन–लोड ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम (सीओएलटीसीएस)
- गैस बूस्टर कंप्रेसर (जीबीसी)
- कंडेनसेट पॉलिशिंग यूनिट (सीपीयू)
- हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी)
- ईंधन तेल उतराई प्रणाली (एफओयूएस)

- हाइड्रो पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम
- गैस टर्बाइन कंट्रोल सिस्टम
- परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्राथमिक चक्र नियंत्रण केंद्र इंस्ट्रूमेंटेशन पैकेज (सीसीआईपी)
- परमाणु ऊर्जा संयंत्र टर्बाइन और माध्यमिक चक्र नियंत्रण प्रणाली
- सौर तापीय बिजली संयंत्र का पावर ब्लॉक
- औद्योगिक स्वचालन
- सब–स्टेशन ऑटोमेशन (एसएएस)
- गैर–एफएसटी एचवीडीसी नियंत्रण पैनल
- रिफाइनरियों के लिए इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम (ईसीएस)
- पावर प्लांट के लिए ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)
- एमवी / एलवी स्विचगियर के लिए इलेक्ट्रिकल इंटरफेस सिस्टम

प्रसारण प्रणाली नियंत्रण

- इएचवी और यूएचवी सब-स्टेशन / एआईएस और जीआईएस दोनों प्रकार के स्विचयार्ड 33 केवी से 765 केवी तक
- एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम
- लचीले एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफएसीटीएस) समाधान
  - फिक्सड सिरीज कंपनसेशन ((एफएससी)
  - स्टेटिक वीएआर कंपनसेशन (एसवीसी)
  - स्टैटकॉम
  - कंट्रोलर शंट रिएक्टर (सीएसआर)
  - फेस शिफिटंग ट्रांसफार्मर (पीएसटी)
- एचवीडीसी और एफएसीटीएस के लिए कनवर्टर वाल्व और नियंत्रण

सॉफ़्टवेयर सिस्टम समाधान

- मेरिट ऑर्डर रेटिंग
- थर्मल यूटिलिटीज हेतु निष्पादन विश्लेषण, निदान और अनुकूलन (PADO)
- निष्पादन गणना और अनुकूलन प्रणाली और वास्तविक समय निष्पादन डेटा मॉनिटरिंग प्रणाली
- डीसीएस से थर्ड पार्टी सिस्टम से ओपीसी कनेक्टिविटी
- एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (ईएएमएस)
- ऑपरेटर प्रशिक्षण सिम्युलेटर

स्विचगियर

36 केवी तक वोल्टेज रेटिंग और 420 केवी तक गैस इंसुलेटेड स्विचगियर्स हेतु इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए मध्यम वोल्टेज वैक्यूम स्विचगियर.

- इंडोर स्विचगियर्स
  - थर्मल, परमाणु, हाइड्रो और संयुक्त चक्र पावर प्लांट परियोजनाओं के लिए 12 केवी, 50 केए, 4000 एमपीओ तक
  - उद्योगों के लिए 36 kV, 31.5 kA, 2500 एम्प तक, सौर पावर प्लांट और रिफाइनरी
  - वितरण प्रणाली के लिए कॉम्पैक्ट स्विचगियर 12 केवी, 25 केए, 1250 एम्प
- आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
  - वितरण खंड के लिए 12 केवी, 25 केए, 1250 एम्प
  - ट्रांसमिशन और वितरण खंड के लिए 36 केवी, 25 केए, 2000 एम्प
  - ट्रैक साइड रेलवे एप्लिकेशन के लिए 25 केवी, 25 केए, 1600 एम्प
- 12 kV ग्रामीण सेगमेंट के लिए आउटडोर पोल माउंटेड कैपेसिटर स्विच (ऑटोरीक्लोजर /सेक्सनलाईजर)
- गैस इंसूलेटेड स्विचगियर
  - रिफाइनरियों , शहरी क्षेत्र हेतु 36 केवी, 40केए, 1600 एम्प,
  - ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क के लिए 145 केवी, 31.5 केए, 2500 एमपी
  - ट्रांसमिशन क्षेत्र (हाइड्रो स्टेशन / मेट्रो) के लिए 420 केवी, 40 केए, 3150 एम्प
- SF_6 सर्किट ब्रेकर ((145केवी, 40 केए, 3150ए), (420केवी, 50केवी, 4000एए)

ऑन लोड टैप चेंजर्स (ओएलटीसी)

- ऑफ सर्किट टैप स्विच 765 केवी वर्ग ट्रांसफार्मर तक और ऑन लोड टैप चेंजर 765 केवी वर्ग ट्रांसफार्मर तक जैसे कि बिजली ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, स्टेशन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर आदि।

एलटी स्विचगियर और बस डक्ट

- 800 मेगावाट क्षमता तक की उपयोगिताओं के जनरेटर बिजली उत्पादन के अनुरूप उपकरणों के साथ बस–डक्ट।

- थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो, न्यूक्लियर, सीपीपी और स्टील उद्योग के लिए 415 वी एलटी स्विचगियर।

ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टर

- 1200 केवी तक वोल्टेज के लिए पावर ट्रांसफार्मर
- जनरेटर ट्रांसफार्मर (600 एमवीए, 420 केवी, 3 फेज / 400 एमवीए, 765 केवी, 1 फेज / 500 एमवीए, 420 केवी, 1 फेज तक)
- ऑटो ट्रांसफार्मर (1000 एमवीए, 400 केवी, 3 फेज / 600 एमवीए, 400 केवी, 1 फेज / 500 एमवीए, 765 केवी, 1 फेज / 1000 एमवीए, 1200 केवी, 1 फेज)
- एचवीडीसी ट्रांसमिशन के लिए कनवर्टर ट्रांसफॉर्मर / स्मूथिंग रिएक्टर (600 एमवीएआर, ±800 केवी तक) / (254 एमवीएआर, ±500 केवी)।
- शंट रिएक्टर (150 एमवीएआर, 420 केवी, 3 फेज / 110 एमवीएआर, 765 केवी, 1 फेज)
- लचीले एसी ट्रांसमिशन सिस्टम अनुप्रयोगों के लिए नियंत्रित शंट रिएक्टर (200 एमवीएआर, 420 केवी, 3 फेज / 200 एमवीएआर, 420 केवी, 1 फेज / 200 एमवीएआर, 765 केवी, 1 फेज)।
- फेस शिफटिंग ट्रांसफॉर्मर (500 एमवीए, 400 केवी, 3 फेज / अप्टो 500 एमवीए 400 केवी 1 फेज तक) ट्रांसमिशन लाइनों के लिए
- इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर
  - 400 केवी तक के प्रचलित ट्रांसफॉर्मर
  - इलेक्ट्रो–मैग्नेटिक वोल्टेज ट्रांसफार्मर 220 केवी तक
  - कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर (33केवी से 1200केवी)
  - एचवीडीसी परियोजनाओं के लिए 24 केवी पीआर क्लास प्रचलित ट्रांसफार्मर
- विशेष ट्रांसफॉर्मर
  - रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर (120 केए, 132 केवी तक)
  - फर्नेस ट्रांसफार्मर (33 केवी, 60 एमवीए तक)
- ईएसपी 95 केवीपी, 1600 एमए तक के ट्रांसफार्मर
- स्मूथिंग रिएक्टर 3.3 एमएच, 2700 एम्प तक
- 300 एमएच, 120 एम्प तक का ड्राई टाइप रिएक्टर।
- डीसी चोक 0.5 एमएच., 4600 एम्प तक
- 15 एमवीए 33 केवी तक के ड्राई टाईप के ट्रांसफार्मर।
- बिजली ट्रांसफार्मर के लिए समग्र निगरानी प्रणाली

केपेसिटर

- एच.टी. केपेसिटर
  - पावर कारक सुधार के लिए मोटर्स कैपेसिटर (3.3 से 11 केवी डेल्टा जुड़े कैपेसिटर बैंक)
  - शंट, सीरीज और एसवीसी (स्टेटिक वीएआर कंपनसेशन), हार्मोनिक फिल्टर और एचवीडीसी एप्लिकेशन (3.3 से 500 केवी, 1 फेज / 3फेज कैपेसिटर बैंक)
- सीवीटी के लिए केपेसिटर डिवाडर
- ट्रांसमिशन लाइनों के लिए कपलिंग कैपेसिटर (33केवी से 800 केवी, 4400 फेज से 13200 फेज)
- जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के लिए सर्ज कैपेसिटर (11केवी से 40केवी)
- ट्रैक्शन लोकोमोटिव के लिए रूफ कैपेसिटर
  - सीवीटी के लिए कैपेसिटर डिवाइडर 1200 केवी तक
  - 400केवी तक वीएलसीसी के लिए कपलिंग कैपेसिटर
  - फ्यूज–लेस केपेसिटर

बुशिंग

- ट्रांसफार्मर अनुप्रयोगों के लिए तेल संसेचित कागज (OIP) कंडेनसर बुशिंग 52 से 525 केवी
- 25 केवी लोकोमोटिव बुशिंग

कंट्रोल गियर

- उद्योगों / बिजली संयंत्रों में ईएसपी के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक
- डिजिटल स्टेटिक उत्तेजना नियंत्रण प्रणाली (2000 ए, 400 वी डीसी
- निरर्थक थाईरिस्टर स्टैक और डीसी क्षेत्र ब्रेकर के साथ)
- पीएलसी आधारित डिजिटल नियंत्रण के साथ बड़े वर्तमान रेक्टिफायर
- ईएचवी पारेषण परियोजनाओं के लिए नियंत्रण और संरक्षण पैनल (400 केवी तक)
- एससीएपी, थराईस्ट, आरएपीसीओएन और एसटीएटीसीओएन पैनलों

इंसूलेटर

- पोर्सिलेन इन्सुलेटर
  - एसी/डीसी अनुप्रयोगों के लिए उच्च–तनाव वाले पोर्सिलेन डिस्क इंसुलेटर, स्वच्छ और प्रदूषित वायुमंडल के लिए 70 केएन से 420 केएन इलेक्ट्रो–मैकेनिकल स्ट्रेंथ तक, 1200 केवी एसी और एचवी

800 केवी एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन और उप–स्टेशनों तक के लिए उपयुक्त है।

- ट्रांसफार्मर और एसएफ 6 सर्किट ब्रेकर के लिए 765 केवी तक के हॉलो इंसुलेटर
- सबस्टेशन अनुप्रयोगों के लिए बस पोस्ट और आईसोलेटर्स के लिए 400 केवी तक के ठोस कोर इंसुलेटर
- कम्पोजिट लॉन्ग रॉड इंसुलेटर
- एचवीडीसी एप्लिकेशन के लिए 800 केवी तक, 420 केएन
- 765 केवी तक, एचवीएसी एप्लिकेशन के लिए 210 केएन
- भारतीय रेलवे के लिए ट्रैक्शन इंसुलेटर स्टेवर्म, ब्रेकेट और 9 टन इंसुलेटर
- सिरेमिक लाइनिंग (सेरालिन) थर्मल पावर प्लांट और ऐश स्लरी एप्लिकेशन के लिए प्रतिरोधी सामग्री पहनते हैं
- औद्योगिक और विशेष सिरेमिक
- बॉयलर में वाटर लेवल मॉनिटरिंग (बीएचईएल विजन सिस्टम) ईडब्ल्यूएलआई –इलेक्ट्रिानिक वाटर लेवल इंडीकेटर का उपयोग किया जाता है
- सिरेमिक और टंगस्टन कार्बाइड फ्लो बीन्स के लिए क्रिसमस ट्री वाल्व।
- थर्मल पॉवर प्लांट में पुलिवरिंग के लिए ग्राडिंग मीडिया

विद्युत मशीनें

- सुरक्षित क्षेत्र अनुप्रयोग के लिए एसी मशीनें
  - स्कवरल केज इंडेक्शन मोटर –15 किलोवाट से 22000 किलोवाट
  - 10000 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स– 150 किलोवाट से 10000 किलोवाट
  - सिंक्रोनस मोटर्स– 1000 किलोवाट. से 25000 किलोवाट
  - सिंक्रोनस मोटर्स– 1000 किलोवाट से 25000 किलोवाट
  - परिवर्तनीय गति मोटर्स– 150 किलोवाट से 22000 किलोवाट (स्कवरल केज इंडेक्शन)
  - परिवर्तनीय गति मोटर्स–1000 किलोवाट से 25000 किलोवाट (सिंक्रोनस मोटर्स)
  - हेजारडस क्षेत्र के अनुप्रयोग के लिए एसी मशीनें (निश्चित गति या वीएफडी के साथ)
  - फ्लेम प्रूफ स्कवरल केज इंडेक्शन मोटर (इएक्स 'डी') (150 किलोवाट से 1500 किलोवाट)
  - गैर–स्पार्किंग गिलहरी पिंजरे प्रेरण मोटर (पूर्व (ईएक्स "एन") (150 किलोवाट से 4000 किलोवाट (अनुरोध पर उच्च रेटिंग))
- बढ़ी हुई सुरक्षा स्कवरल केज इंडेक्शन मोटर (ईएकस 'ई ') (150 किलोवाट से 4000 किलोवाट (अनुरोध पर उच्च रेटिंग))
- दबाव वाली स्कवरल केज इंडेक्शन मोटर (ईएक्स 'पी') (150 किलोवाट से 22000 किलोवाट)
- दबाव वाली सिंक्रोनस मोटर (ईएक्स 'च') (1000 किलोवाट से 25000 किलोवाट)
- औद्योगिक अल्टरनेटर (स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन और डीजल इंजन चालित) (3000 केवीए से 25000 केवीए)
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए प्राथमिक शीतलक पंपों हेतु वर्टीकल मोटर्स
- मिनी / माइक्रो हाइड्रो प्लांट के लिए इंडक्शन जेनरेटर (300 केवीए से 6000 केवीए)
- 2 पोल एयर कूल्ड स्टीम / गैस टर्बाइन चालित जेनरेटर (3 मेगावाट से 160 मेगावाट)
- 4 पोल एयर कूल्ड स्टीम / गैस टर्बाइन चालित जेनरेटर (3 मेगावाट से 40 मेगावाट)
- 2 पोल हाइड्रोजन कूल्ड स्टीम / गैस टर्बाइन चालित जनरेटर 36 मेगावाट से 270 मेगावाट तक
- 5 मेगावॉट तक स्थायी चुंबक आधारित जनरेटर
- गैस टर्बाइन जनरेटर 270 मेगावाट तक
- 2 मेगावाट तक एकल बियरिंग सहित औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अल्टरनेटर

रेल परिवहन

परिवहन प्रणाली

- एसी इलेक्ट्रिक इंजन (6000 एचपी, 25 केवी एसी तक)
- एसी–डीसी दोहरी वोल्टेज इलेक्ट्रिक इंजन
- एसीईएमयू कोच
- मेट्रो कोच
- कर्षण प्रणोदन प्रणाली हेतु:
  - 9000 एचपी आईजीबीटी आधारित एसी लोकोमोटिव
  - 6000 एचपी आईजीबीटी आधारित एसी लोकोमोटिव
  - 3–चरण आईजीबीटी आधारित एसी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स

(ईएमयू)

 - वातानुकूलित एसीईएमयू
 - एसीईएमयू डीसी ड्राइव के लिए इलेक्ट्रिक्स
 - 1600 एचपी आईजीबीटी आधारित डीईएमयू
 - 3–चरण आईजीबीटी एमईएमयू आधारित है
 - 1600 एचपी मल्टी–जेनसेट लोकोमोटिव

- डब्लयूएजी 7 लोकोमोटिव के डीसी प्रणोदन प्रणाली के लिए पुनर्जनन प्रणाली
- डीजल इलेक्ट्रिक पॉवर कार
- डीजल-इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव्स (1400 एचपी तक)
- बैटरी पॉवर लोकोमोटिव
- ओएचई रिकार्डिंग-कम टेस्ट कार
- बैटरी पावर्ड रोड व्हीकल्स
- डायनेमिक ट्रेक स्टेबलाइजर्स
- रेल कम रोड व्हीकल

परिवहन उपकरण

- ट्रेक्शन कनवर्टर एवं आक्जीलरी कनवर्टर
- व्हीकल कंट्रोल इलेक्ट्रानिक्स
- होटल लोड कनवर्टर
- कम्पोसाइट कनवर्टर कम्प्राइसिंग ट्रेक्शन कनवर्टर एंड लोड कनवर्टर
- ट्रेक्शन ट्रांसफार्मर
 - कन्वेंशनल लोकोमाटिव्स के लिए 5400 केवीए तक
 - 3 फेस ड्राइव लोकोमाटिव्स के लिए 7775 केवीए तक
 - कन्वेंशनल एसी ईएमयू/एमईएमयू के लिए 1050 केवीए तक
 - 3 फेस ईएमयू के लिए 1578 केवीए तक
- लोकोमोटिव्स एवं ईएमयू के लिए 3 फेस एसी ट्रेक्शन मोटर्स (1200 कि.वा. तक)
- लोकोमोटिव्स एवं ईएमयू के लिए डीसी ट्रेक्शन मोटर्स (630 कि.वा. तक)
- लोकोमोटिव्स एवं ईएमयू के लिए एसी ट्रेक्शन अल्टरनेटर्स (3860 कि.वा. तक)
- 2000 कि.वा. तक डीसी ट्रेक्शन जनरेटर्स
- डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम के लिए डीसी ब्लोअर मोटर्स (5 कि.वा. तक)
- आक्जीलरी आवश्यकताओं के लिए मोटर जनरेटर सेट्स (25 कि.वा. तक)
- लोकोमोटिव्स एवं ईएमयू के लिए ट्रेक्शन गियर्स एवं पिनियन्स
- वैगन (28 एक्सल, 296 टन तक)

रक्षा एवं अंतरिक्ष

- नौसेना जहाज के लिए सुपर रेपिड 76/62 गन माउंट (एसआरजीएम)
- नौसेना जहाज के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म मैनेजमेंट सिस्टम
- इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम (आईबीएस)
- स्टेटिक मेन मोटर जनरेटर (एसएमएमजी)
- रोटरी मेन मोटर जनरेटर विथ कंट्रोल्स (आरएमएमजी)
- सभी रक्षा एवं पेरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियों के लिए ट्रेनिंग सिम्युलेटर, प्लेटफार्म, रेडर्स, वेपन्स, मिसाइल्स एवं कम्प्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग (सीबीटी)
- टी-72 टेंक के लिए टरेट कास्टिंग
- जहाजों के लिए कास्टिंग और फोर्जिंग
- विभिन्न एयरक्राफ्ट प्लेटफार्म के लिए कॉम्पेक्ट हीट एक्सचेंजर्स
- वाहन और उपग्रह प्रक्षेपण के लिए टैंक का ईंधन एवं अन्य घटक
- ड्राइव यूनिट के साथ स्थायी चुम्बक आवृत्ति कन्वर्टर्स
- ड्राइव यूनिट के साथ रिजर्व प्रोपल्शन मोटर
- कॉम्पेक्ट ब्रशलेस अल्टरनेटर
- अंतरिक्ष ग्रेड बैटरियां

ऊर्जा भंडारण प्रणाली और ई-मोबिलिटी

- इलेक्ट्रिक बस
- मोटर सहित पॉवर ट्रेन इलेक्ट्रिक वाहन के लिए
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर को चार्ज करना
- पॉवर कंडीशनिंग यूनिट (पीसीयू) और एससीएडीए स्काडा सहित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम

तेल वाले उपकरण

- ऑइल रिग्स – 9,000 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग के लिए एसी-वीएफडी और एसी-एससीआर तकनी के साथ तट पर ड्रिलिंग, 6,100 मीटर की गहराई तक कार्य

करने पर रिग्स की सर्विसिंग, 3,000 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग के लिए मोबाइल रिग, जिसमें ड्रॉ-मैचिंग और उत्थान उपकरण शामिल हैं ।

- डोल और उप संरचना
- घूमने वाला उपकरण : ड्रा वर्क्स, रोटरी-शिवेल्स, ट्रेवलिंग ब्लाक्स
- स्वतंत्र रोटरी ड्राइव इकाई
- पंप सहित मड प्रणाली
- बीएचईएल और गैर-बीएचईएल का नवीनीकरण एवं उन्नयन ऑइल रिग्स बनाता है
- 3 चरण तेल रिग मोटर 1150 एचपी तक
- डीसी तेल रिग मोटर्स (ड्रा वर्क्स, मड्ड पंप, ड्रिलिंग) 1000 एचपी तक
- ऑयल रिग अल्टरनेटर 1750 केवीए तक
- ई-760, ई-1400, ई-2000 एवं ई-3000 रिग के लिए एसी/डीसी कंट्रोल रूम
- डीजी सेट के लिए 1430 केवीए तक का एसी पॉवर पैक
    - एसी कंट्रोल माड्यूल
    - डीसी कंट्रोल माड्यूल
- 3 मड पंप, आईआरडी, ड्रॉ. वर्क कंट्रोल और मॉनिटरिंग, लोड रेटिंग (0-1800 ए, 0-1000 वी)
- मोबाइल लाइटनिंग टॉवर, रिग लाइटनिंग टॉवर
- एसी रिग्स के लिए एसी-वीएफडी कंट्रोल्स
- एसी-एससीआर रिग्स में पॉवर फेक्टर सुधार के लिए स्टेटकॉम
- 10,000 पीएसआई तक वेलहेड्स और क्रिसमस ट्री, मड्ड लाईन सस्पेंशन, विविध चॉक एंड किल, डीएसपीएम एच- विविध असेम्बली, मड्ड वाल्वस,

निर्मित उपकरण एवं मेकेनिकल पैकेजेस

- क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन यूनिट
- क्रायोजेनिक स्टोरेज टेंक, माउंडेड स्टोरेज सिस्टम एवं स्टोरेज क्षेत्र
- प्रेशर वाल्वस, कॉलम, रिएक्टर/सेपरेटर्स, हीट एक्सचेंजर्स
- निकाले हुए हीटर्स
- पर्ज गैस रिकवरी यूनिट

शब्दावली और संक्षिप्तीकरण

एसीएस	आक्जीलरी कंट्रोल सिस्टम
एपीजीईएनको	आंध्रप्रदेश पॉवर जनरेशन कारपोरेशन
एपीपीडीसीएल	आंध्रप्रदेश पॉवर डेव्लपमेंट कारपोरेशन
बीपीसीएल	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
बीएससी	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज
सी एंड आई	कंट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन
सीईए	सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी
सीएफबीसी	सरक्यूलेटिंग फ्लडिस्ड बेड कम्बस्टन
सीएलडब्ल्यू	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स
सीपीएसई	सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइज
सीएसआर	कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी
सीवीसी	सेन्ट्रल विजीलेंस कमीशन
डीडीयूजीजेवाय	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना मल्टीपल यूनिट
डीईटीसी	डीजल इलेक्ट्रिक टॉवर कार
डीएचडीटी	डीजल हाइड्रोट्रिटिंग
डीएलडब्ल्यू	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स
डीएमडब्ल्यू	डीजल-लोको मार्डनाइजेशन वर्क्स
डीपीई	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइसेस
डीएसआईआर	डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
ईडी	एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (कार्यपालक निदेशक)
ईएचवी	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज
ईएमयू	इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
ईपीसी	इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन
ईएसपी	इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर
एफएसीटीएस	फ्लेक्सीबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम
एफजीडी	फ्लू गैस डिसपलराईजेशन
जीआईएस	गैस इंसूलेटेड सबस्टेशन
जीटीजी	गैस टरबाइन जनरेटर
जीटीओ	गेट टर्न-ऑफ थ्रिस्टर
जीवीए	ग्रॉस वेल्यू एडेड
एचईपी	हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट
एचएफसीएल	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड एचपी
एचपी टर्बाइन	हाई प्रेशर टर्बाइन
एचआरएसजी	गर्मी पुनः प्राप्त करने वाला भाप जेनरेटर
एचवीडीसी	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट
एचवीओएफ	उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन
आईसीएफ	इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
आईडी फैन	इनड्युस्ड ड्राफ्ट फेन
आईजीबीटी	इन्सुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांसिस्टर
आईजीसीएआर	इंदिरा गाँधी परमाणु अनुसंधान केंद्र
आईओसीएल	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि
आईपीडीएस	एकीकृत बिजली विकास योजना
आईपीएमएस	एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली
मैं जनसंपर्क	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईआर	भारतीय रेल
आईएसओ	अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
केपीसीएल	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एलसीए	लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
एलआईएस	लिफ्ट सिंचाई योजना
एलपी टर्बाइन	लो प्रेशर टर्बाइन
एम एंड ए	विलय और अधिग्रहण
एमईआईएल	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
मेमू	मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
एमएचआई और पीई	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
एमयू	समझौता ज्ञापन
एमयूएस	मिलियन यूनिट्स
एनडीटी	गैर विनाशकारी परीक्षण
एनपीसीआईएल	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
एनएसपीसीएल	एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
ओईएम	मूल उपकरण निर्माता
ओएचपीसी	ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन
ओएनजीसी	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
पीसीयू	पावर कंडिशनिंग यूनिट
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पीएलएम	उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन
पीपीजीसीएल	प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास
आर एंड एम	नवीनीकरण और आधुनिकीकरण
आरडीएसओ	अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन
आरपीसीएल	रायचूर पावर कंपनी लिमिटेड
आरयूपीपीएल	रिलायंस यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
स्कोप	सार्वजनिक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन
एससीआर	चयनात्मक उत्प्रेरक कटौती
एसडी	सतत विकास
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसजी	भाप उत्पादक
एसपीडीपी	स्क्रीन संरक्षित ड्रिप सबूत
एसपीवी	सोलर फोटोवोल्टिक
एसआरजीएम	सुपर रैपिड गन माउंट
स्टैटकॉम	स्टेटिक सिंक्रोनस कंपेंसेटर
एसटीपीपी	सुपर थर्मल पावर प्लांट
टीएएनजीइडीसीओ	तमिलनाडु पीढ़ी और वितरण निगम
टीसीएमएस	ट्रेन नियंत्रण और प्रबंधन प्रणाली
टीईटीवी	पूरी तरह से संलग्न व्यूब वेंटिलेटेड
टीईएफसी	पूरी तरह से संलग्न फैन कूल्ड
टीजी	टर्बाइन और जेनरेटर
टी पी एस	ताप विद्युत केंद्र
टीएसजीएनसीओ	तेलंगाना पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन
यूएचवी	अल्ट्रा हाई वोल्टेज
यूएचवीएसी	अल्ट्रा हाई वोल्टेज एसी
यूपीआरवीयूएनएल	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम
वीसीयू	वाहन नियंत्रण इकाई
वीएफडी	चर आवृत्ति ड्राइव
वीजीओ	वैक्यूम गैस तेल
वीएजी	डब्ल्यू (ब्रॉड गेज), ए (एसी कर्षण), जी (माल शुल्क)

शब्दावली (वित्तीय नियम)

लेखाकंन नीतियां : लेखाकंन नीतियां विशिष्ट लेखाकंन सिद्धांत और वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में कंपनी द्वारा अपनाए गए उन सिद्धांतों को लागू करने की विधि है ।

संभूति: व्यापारिक पद्धति पर वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है । लेनदेन और अन्य घटनाओं को पहचाना जाता है जब वे घटित होते हैं और उन्हें लेखांकन रिकार्ड में दर्ज किया जाता है और उस अवधि के वित्तीय विवरण में रिपोर्ट किया जाता है जिससे वे संबंधित होते हैं ।

परिशोधन : परिशोधन अपने उपयोगी जीवन पर अमूर्त संपत्ति की मूल्यह्रास राशि का व्यवस्थित आवंटन है ।

बैलेंस शीट : बैलेंस शीट एक इकाई की वित्तीय स्थिति का वक्तव्य विवरण है जो किसी विशेष समय में संपत्ति, देनदारियों और मालिकों की इक्विटी बताता है ।

बोनस शेयर: बोनस शेयर शेयरधारकों जो शेयरों की संख्या के आधार पर एक शेयरधारक का मालिक है को दिए गए अतिरिक्त शेयर हैं जो बिना किसी अतिरिक्त लागत के मुफ्त आरक्षण से बाहर हैं ।

खाता मूल्य : वह राशि जो वस्तु के बही खातों या अथवा ग्राहक से जो वस्तु प्राप्त हुई है (या देय राशि पर) उस पर ग्राहक को सेवाएं देने पर विचार किया जाए । वित्तीय विवरणों में दिखाई देती है ।

शेयर वापस खरीदना : शेयर पुर्नखरीद के रूप में भी जाना जाता है, जग एक कंपनी खुले बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या को कम करने के लिए अपने स्वयं के बकाया शेयर खरीदती है ।

नियोजित पूंजी: की गणना सीडब्लूयूआईपी और इकाई की निवल संपत्ति से स्थगित कर परिसंपत्तियों को घटाकर की जाती है ।

पूंजी कोष : वस्तु जो आरक्षित नही है उसका लाभांश के रूप में वितरण नही कर सकते ।

पूंजी प्रतिदान कोष : कंपनी ने अपने सामान्य कोष से इक्विटी शेयरों की खरीद पर पूंजी प्रतिदान कोष को मान्यता दी है । पूंजी प्रतिदान कोष में राशि वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों

नकद और नकद समकक्ष : नकद में हाथ में नकदी और आपूर्ति   जमा सम्मिलित है । नकद समकक्ष अल्पावधि, अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात राशि के लिए परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के एक तुच्छ जोखिम के अधीन हैं ।

अनुबंधित संपत्ति : अनुबंध की संपत्ति (स्थगित देनदार और बकाया राजस्व) अनुबंध की शर्तो के अनुसार भुगतान के लिए अभी तक राशि का प्रतिनिधित्व नहीं करती है / ग्राहकों के साथ निर्धारित कार्यक्रम । संबंधित गतिविधियों / कठिन पड़ाव के पूरा होने पर उसी के अनुसार अनुबंध होगा ।

अनुबंध देयता : माल को स्थानांतरित करने के लिए संस्था का दायित्व ।

(अ) आकस्मिक देयता है : भूतपूर्व घटनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित दायित्व और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवलएक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना से होगी, जो इकाई के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं हैं : अथवा

(ब) एक वर्तमान दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन इसे मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि :

(1) यह संभावना नहीं है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के निकल जाने की आवश्यकता होगी : अथवा

(2) दायित्व की राशि को पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ नहीं मापा जा सकता ।

समेकित वित्तीय विवरण : समेकित वित्तीय विवरण एक समूह का वित्तीय विवरण है जिसमें मूल कंपनियों की संपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह व इसकी सहायक कंपनियों को एकल आर्थिक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ।

ऋण जोखिम : जोखिम जो एक वित्तीय साधन के लिए है, दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहने से दूसरे पक्ष के लिए वित्तीय नुकसान होगा ।

वर्तमान अनुपात: वर्तमान अनुपात एक तरलता अनुपात है जो एक वर्ष के भीतर अल्पकालिक दायित्व या बकाया भुगतान करने की क्षमता को मापता है । इसकी गणना वर्तमान परिसपत्तियों को वर्तमान देनदारियों में विभाजित करके की जाती है ।

वर्तमान संपत्ति : किसी संपत्ति को वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

अ) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में संपत्ति का अनुभव करने, या इसे बेचने या उपभोग करने का इरादा रखता है ।

ब) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाता है ।

स) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर संपत्ति का अनुभव करने की अपेक्षा रखता है ।

द) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है जब तक कि परिसंपत्ति को एक्सचेंज किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है ।

वर्तमान दायित्व : जब देयता को वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाएगा

अ) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में दायित्व का निपटान करने की अपेक्षा रखता है ।

ब) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित किया   जाता है ।

स) देयता रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर तय होने वाली है ।

द) समीक्षाधीन अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक देयता के निपटान को अस्वीकार करने का बिना शर्त अधिकार नहीं रखता है ।

वर्तमान कर व्यय : वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय आयकर (वसूली योग्य) की राशि है ।

स्थगित ऋण : स्थगित ऋण वे ऋण हैं जो अनुबंध के संदर्भ में पहचानी गई उपलब्धियों जैसे ट्रायल ऑपरेशन, पीजी टेस्ट आदि के पूरा होने पर देय हो जाएगें ।

स्थगित कर : स्थगित कर की गणना उन दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें अधिनियमित किया गया है या बैलेंस शीट की तारीख से काफी हद तक

अधिनियमित किया गया है ।

स्थगित कर परिसंपत्ति : स्थगित कर परिसंपत्तियां घटाए गए अस्थायी अंतरों के संबंध में भविष्य की अवधि में वसूली योग्य आयकर करों की माला है, अप्रयुक्त कर नुकसान को आगे ले जाने और अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे ले जाने के लिए है ।

स्थगित कर देयता : स्थगित कर देनदारियां कर योग्य अस्थायी अंतर के संबंध में भविष्य की अवधि में देय आयकर की राशि है ।

निर्धारित लाभ योजना : निर्धारित लाभ योजनाएं हैं, रोजगार लाभ योजनाओं के अलावा अन्य निर्धारित योजनाएं । निर्धारित योगदान योजनाएं रोजगार के बाद की लाभ योजनाएं हैं जिसके तहत एक इकाई एक अलग इकाई (एक फंड) में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और आगे कोई योगदान देने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा यदि फंड सभी कर्मचारी लाभों से संबंधित भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नही रखता है वर्तमान और पूर्व की अवधि में कर्मचारी सेवा के लिए ।

प्रति शेयर लाभांश : इस वर्ष के लिए कुल इक्विटी शेयरों (कुल लाभांश वितरण कर सहित) को बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या से विभाजित करके गणना की जाती है ।

मूल्यह्रास : मूल्यह्रास इसके उपयोगी जीवन पर किसी संपत्ति की मूल्यह्रास राशि का व्यवस्थित आवंटन है ।

लाभांश वितरण कर : यह कंपनी द्वारा लाभांश के माध्यम से घोषित, वितरित या भुगतान की गई किसी भी राशि पर भुगतान किया गया एक अतिरिक्त आयकर है ।

एबिटा अर्थात ब्याज कर मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई । एबिटा से अन्य आय को बाहर करने के बाद ऑपरेटिंग एबिटा का निर्धारण किया जाता है ।

एबिटा मार्जिन (%) : लाभप्रदता प्रदर्शन अनुपात, ब्याज, मूल्यह्रास और टर्नओवर से पहले आय को विभाजित करके गणना की जाती है ।

मूल्यह्रास : मूल्यह्रास इसके उपयोगी जीवन पर किसी संपत्ति की मूल्यह्रास राशि का व्यवस्थित आवंटन है ।

लाभांश वितरण कर : यह कंपनी द्वारा लाभांश के माध्यम से घोषित, वितरित या भुगतान की गई किसी भी राशि पर भुगतान किया गया एक अतिरिक्त आयकर है ।

एबिटा अर्थात ब्याज कर मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई । एबिटा से अन्य आय को बाहर करने के बाद ऑपरेटिंग एबिटा का निर्धारण किया जाता है ।

एबिटा मार्जिन (%) : लाभप्रदता प्रदर्शन अनुपात, ब्याज, मूल्यह्रास और टर्नओवर से पहले आय को विभाजित करके गणना की जाती है ।

प्रति शेयर आय (ईपीएस) : यह प्रत्येक शेयर के लिए वर्ष के दौरान अर्जित लाभ का प्रतिनिधित्व करता है कुल इक्विटी शेयरों की कुल कर के लाभ इरादा नहीं है ।

इक्विटी पद्धति : लेखांकन की इक्विटी विधि का उपयोग उद्यम में किसी कंपनी के निवेश के आकार के अनुपात में संयुक्त उद्यम से उत्पन्न शुद्ध आय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है । इक्विटी विधि लेखांकन की एक विधि है जिसके तहत निवेश को शुरू में लागत से पहचाना जाता है और उसके बाद निवेशकर्ता की शुद्ध संपत्ति के निवेशक के हिस्से में अधिग्रहण के बाद परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है ।

अपेक्षित साख की हानि : सभी संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच का अंतर जो अनुबंध के अनुसार एक इकाई के कारण होता है और सभी नकदी प्रवाह जो इकाई को प्रभावी दर पर छूट प्राप्त करने हेतु अपेक्षित होते हैं ।

उचित मूल्य : उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या परिणाम की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा ।

वित्त पट्टा : वित्त पट्टा एक ऐसा पट्टा है जो किसी भी संपत्ति के स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है । शीर्षक अंततः हस्तांतरित हो भी सकता है और नहीं भी ।

वित्तीय परिसंपत्ति : कोई भी संपत्ति जो (ए) नकदी है, (बी) दूसरी इकाई का इक्विटी साधन, (सी) नकद या किसी अन्य इकाई से कोई अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयता का आदान प्रदान करने के लिए अनुबंध (डी) एक अनुबंध इकाई के अपने इक्विटी उपकरणों में यह तय किया जा सका है या हो सकता है ।

वित्तीय दायित्व : कोई भी देयता (ए) एक इकाई के लिए नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को वितरित करने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान प्रदान करने के लिए (बी) एक अनुबंध है या इकाई के स्वयं के इक्विटी उपकरणों में तय किया जा सकता है या हो सकता है ।

वित्तीय दस्तावेज : कोई भी अनुबंध जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और एक वित्तीय देयता या किसी अन्य इकाई के इक्विटी साधन में वृद्धि करता है ।

वित्तीय गतिविधियां : गतिविधियां जिनके परिणाम से इकाई की अंशदायी इक्विटी के आकार और संरचना में परिवर्तन होता हैं ।

सामान्य अधिशेष : सामान्य अधिशेष कंपनी की बरकरार रखी गई कमाई है जिसे भविष्य के (ज्ञात या अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी के मुनाफे से अलग रखा जाता है ।

क्रियाशील इकाई : इसका अर्थ उस इकाई से है जिसका निकट भविष्य में परिचालन बंद करने का कोई प्रयोजन नहीं है।

स्वामित्व वाली कंपनी : ''स्वामित्व वाली कंपनी'' एक या एक से अधिक अन्य कंपनियों के संबंध में, ऐसी कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनियां सहायक कंपनियां हैं ।

हानिकारक घाटा : हानिकारक घाटा वह राशि है जिसके द्वारा किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पादक इकाई की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है । किसी संपत्ति या नकदी उत्पादन करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि उसके उचित मूल्य के निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है ।

भारतीय लेखा मानक (भारतीय संक्षिप्त शीर्षक आईएनडी-एएस) : आईएनडी-एएस भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के लिए भारतीय एएस लागू लेखा मानक है।

अमूर्त संपत्ति : अमूर्त संपत्ति भौतिक पदार्थ के बिना एक पहचान योग्य गैर-मौद्रिक संपत्ति है ।

दिनों की संख्या में वस्तु सूची : एक वर्ष में दिनों की संख्या से गुणा करने के लिए वस्तुसूची को विभाजित करके गणना की जाती है ।

गतिविधियों की जाँच : गतिविधियों की जाँच लंबी अवधि की संपत्ति का अधिग्रहण और निपटान है और नकदी समकक्षों में शामिल अन्य निवेश नहीं है ।

संयुक्त उद्यम : संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले दलों के पास व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति के अधिकार हैं ।

तरलता जोखिम : देयता के रूप में वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्व को पूरा करने में एक इकाई को होने वाले जोखिम ।

बाजार जोखिम : एक वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में जोखिम, बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण उतार चढ़ाव होगा । बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं :- मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम ।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य : शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यापार की सामान्य पाठ्यक्रम प्रणाली में बिक्री का अनुमानित मूल्य है जो पूरा होने की अनुमानित लागत से कम है और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत ।

कुल मूल्य : किसी कंपनी की कुल देनदारियों के ऊपर उसकी परिसंपत्तियों के बुक वेल्यू की अधिकता । इसे शेयरधारकों के फंड के रूप में भी जाना जाता है ।

प्रति शेयर निवल मूल्य : कुल इक्विटी शेयरों की कुल संख्या के साथ शुद्ध मूल्य को विभाजित करके प्रति शेयर शुद्ध मूल्य की गणना की जाती है ।

गैर नियंत्रित ब्याज : मूल कंपनी के लिए सहायक नहीं होने वाली सहायक कंपनी में इक्विटी स्वामित्व का एक हिस्सा है जिसके पास एक नियंत्रित हित है (50 % से अधिक लेकिन 100% से कम) और सहायक के वित्तीय परिणामों को अपने स्वयं के साथ समेकित करता है ।

वर्तमान परिसंपत्ति : गैर वर्तमान संपत्ति एक परिसंपत्ति है जो बैलेंस शीट की तारीख के एक वर्ष के भीतर अप्रतिबंधित नकदी की ओर मुड़ने की संभावना नही है ।

गैर वर्तमान देयता : गैर वर्तमान देनदारियां वे दायित्व हैं जो एक वर्ष के भीतर निपटान के लिए नहीं हैं ।

परिचालन (पट्टा) लीज : परिचालन पट्टा एक अनुबंध है जो किसी परिसंपत्ति के उपयोग की अनुमति देता है लेकिन परिसंपत्ति के स्वामित्व के अधिकारों को व्यक्त नहीं करता है । एक ऑपरेटिंग पट्टा परिसंपत्तियों की ऑफ बैलेंस शीट की वित्तीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है । जहाँ एक पट्टे पर संपत्ति और भविष्य के किराए के भुगतान की संबद्ध देयताएं कंपनी की बैलेंस शीट पर शामिल नहीं होती हैं ।

अन्य व्यापक आय (क्यूसीआई): अन्य व्यापक आय में आय और व्यय की वस्तुएं शामिल हैं (पुनरावर्तन समायोजन सहित) जो अन्य भारतीय द्वारा आवश्यक या अनुमति के रूप में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त नहीं हैं ।

परिचालन गतिविधि : परिचालन गतिविधियां संस्था की प्रमुख राजस्व उत्पादक गतिविधियां हैं और अन्य गतिविधियां जो निवेश या वित्तीय व्यवस्था की गतिविधियां नहीं कर रही हैं ।

परिचालन लाभ मार्जिन (%) : लाभप्रदता प्रदर्शन अनुपात का उपयोग कंपनी द्वारा अपने परिचालन से उत्पन्न लाभ के प्रतिशत की गणना करने के लिए किया जाता है । यह ब्याज, कर और अन्य आय से पहले आय को विभाजित करके (एमओयू के अनुसार) परिचालन से राजस्व के लिए विभाजित किया जाता है ।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) वास्तविक सामग्री हैं जैसे :

अ) माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग करने के लिए, दूसरो को किराए पर देने के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आयोजित किया जाता है तथा

ब) एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग किए जाने की उम्मीद है ।

लाभ का अंतर (%) : यह टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पन्न लाभ का प्रतिनिधित्व करता है जो कर से पहले लाभ (पीबीटी) से विभाजित करके गणना करता है ।

परिचालन से राजस्व : इकाई की सामान्य गतिविधियों के समय उत्पन्न होने वाली अवधि के दौरान आर्थिक लाभ का सकल प्रवाह के इक्विटी प्रवाह में वृद्धि होती है तो संबंधित वृद्धि के अलावा अन्य इक्विटी प्रतिभागियों का योगदान ।

निवल मूल्य पर लौटें (%) : शुद्ध मूल्य पर वापसी एक कंपनी की लाभप्रदता का एक उपाय है, जिसकी गणना शुद्ध लाभ को औसत शुद्ध मूल्य (ओसीआई को छोड़कर) से विभाजित करके की जाती है

सहायक : सहायक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो किसी अन्य कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण में है जिसे मूल कंपनी या होल्डिंग कंपनी कहा जाता है ।

व्यापार प्राप्तियां : प्राप्तियिों पर इकाई को विचार करने का अधिकार है जो बिना शर्त है । विचार का अधिकार बिना शर्त है यदि भुगतान से पहले उस विचार पर केवल समय बीतने की आवश्यकता है ।

व्यापार प्राप्तियां : इसकी गणना व्यापार प्राप्तियों को परिचालन से राजस्व में विभाजित करके (जीएसटी को मिलाकर) एक वर्ष में दिनों की संख्या से गुणा करके की जाती है ।

प्रति कर्मचारी टर्नओवर : प्रति कर्मचारी वर्ष के दौरान प्राप्त टर्नओवर का प्रतिनिधित्व करता है इसकी गणना टर्नओवर को कर्मचारियों की संख्या से विभाजित करके की जाती है ।

मूल्यांकन समायोजन : लंबी अवधि के निर्माण अनुबंधों में, राजस्व को पूरा करने के तरीके के % पर मान्यता प्राप्त है हांलाकि बिलिंग ग्राहक के साथ सहमत बीबीयू (बिलिंग ब्रेकअप) के अनुसार की जाती है । टर्नओवर और बिलिंग के बीच अंतर को मूल्यांकन समायोजन के रूप में मान्यता दी जाती है ।

कार्यशील पूंजी : किसी संस्था के दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए उपलब्ध धन इसके अलावा यह वर्तमानदेनदारियों से अधिक वर्तमान परिसंपत्तियों की अधिकता का प्रतिनिधित्व करता है ।

संकलित मूल्य विवरण

संकलित मूल्य विवरण : जोड़ा गया मूल्य कंपनी द्वारा पूंजी प्रबंधन और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से बनाए गए मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है ।

रूपए करोड़ में

साल के लिए	2018.19		2017.18	
उत्पादन का मूल्य	30422		27114	
अन्य राजस्व	1678	32100	1657	28771
कम : सामग्री की लागत, निर्माण एवं अभियांत्रिकी खर्चे	18837		15407	
अप्रत्यक्ष सामग्री	412		386	
बिजली और ईंधन	497		463	
अन्य परिचालन व्यय (आय का शुद्ध)	3273	23019	3822	20078
कुल जोड़ा गया मूल्य		9081		8693
वितरण :				
कर्मचारियों के लिए		6261		6067
पूंजी प्रदाता के लिए				
वित्त लागत लाभांश	287		255	
सरकार को आयकर	653	940	485	740
लाभांश वितरण कर				
व्यवसाय में बने रहना	843		778	
मूल्यह्रास और परिशोधन	134	977	99	877
आय को बनाए रखना	475		786	
	428	903	223	1009
कुल		9081		8693

सजगतापूर्ण विवरण

वार्षिक रिपोर्ट में विवरण, कंपनी के उद्देश्य, अपेक्षा या अनुमानों का वर्णन करते हुए लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में देखते हैं । वास्तविक परिणाम आर्थिक विकास, सरकार की नीतियों और अन्य आकस्मिक कारकों के आधार पर व्यक्त या निहित से भिन्न हो सकते हैं ।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(CIN: L74899DL1964GOI004281)

पंजीकृत कार्यालय रू बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली– 110049

दूरभाष: 011–66337000, फैक्स: 011–66337428

बेवसाइट: www.bhel.com, E-mail: shareholderquery@bhel.in

सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत हेवी इलेट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 55 वीं वार्षिक आम सभा 19 सितम्बर प्रात:10 बजे मानेकशॉ केन्द्र, परेड रोड, खैबर लाईन्स, दिल्ली केन्द्र, नई दिल्ली- 110010 (मार्ग मानचित्र में संलग्न) में निम्नलिखित कार्यनिष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरिक्षा एकल एवं समेकित विवरणों के साथ निदेशक की रिपोर्ट व उस पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को प्राप्त, विचार एवं स्वीकृत करना।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश का निर्घारण कराना।

3. श्री सुबोध गुप्ता (डीआईएन: 08113460) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहें है और पात्र होने पर स्वयं की पुन: नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दे रहें है।

4. श्री एस बालाकृष्णन (डीआईएन: 07804784) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहें है और पात्र होने पर स्वयं की पुन: नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दे रहें है।

5. वर्ष 2018-19 के लेखापरिक्षकों का मानदेय तय करने हेतु निदेशक मण्डल को प्राधिकृत करना।

विशेष कार्य

6. **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:

   संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों एवं कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) अधिनियम 2014 (किसी भी संवैधानक सुधारों तथा इसके पुन: प्रवर्तन सहित वर्तमान में लागू) के अनुपालन में निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों को 31 माच 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी के व्ययों का लेखापरीक्षा करने हेतु को मानदेय दिया जाएगा, जैसाकि इस बैठक की सूचना के साथ विवरण संलग्न किया गया है और कंपनी के शेयर होल्डर द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

   यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतद द्वारा इस तरह के सभी कार्यो को करने एवं ऐसे सभी उपाय अपनाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जो इस संकल्प को प्रभाव में लाने हेतु आवश्यक, उचित या प्रभावी हो सकते हैं।

7. **विशेष संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:

   यह संकल्प किया जाता है कि श्री आर. स्वामीनाथन (डीआईएन: 01811819) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149 व 161 (1) के साथ पाठित अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार दिनांक 01.12.2018 से इस वर्ष की आम सभा होने तक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के अनुसरण में स्वयं निदेशक की लिखत सूचना प्राप्त हुई है, को एतद द्वारा कंपनी का स्वतंत्र निदेशक द्वितीय कार्यकाल हेतु पुन:नियुक्त किया जाता है।

8. **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:

   यह संकल्प किया जाता है कि श्री मनोज कुमार वर्मा (डीआईएन: 08308714) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 161 (1) के साथ पाठित अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार दिनांक 19.12.2018 से इस वर्ष की आम सभा होने तक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और

जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के अनुसरण में स्वयं निदेशक की लिखत सूचना प्राप्त हुई है, को एतद द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

9. **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:

   यह संकल्प किया जाता है कि श्री राजेश शर्मा (डीआईएन: 01586332) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149 व 161 (1) के साथ पाठित अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार दिनांक 20.02.2019 से इस वर्ष की आम सभा होने तक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के अनुसरण में स्वयं निदेशक की लिखत सूचना प्राप्त हुई है, को एतद द्वारा कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है।

10. **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:

    यह संकल्प किया जाता है कि श्री कमलेश दास (डीआईएन: 08376769) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 161 (1) के साथ पाठित अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार दिनांक 01.03.2019 से इस वर्ष की आम सभा होने तक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के अनुसरण में स्वयं निदेशक की लिखत सूचना प्राप्त हुई है, को एतद द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

11. **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:

    यह संकल्प किया जाता है कि श्री अमित वर्धन (डीआईएन: 08401348) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 161 (1) के साथ पाठित अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार दिनांक 01.03.2019 से इस वर्ष की आम सभा होने तक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के अनुसरण में स्वयं निदेशक की लिखत सूचना प्राप्त हुई है, को एतद द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।

12. **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:

    यह संकल्प किया जाता है कि डॉ. नलिन सिंघल (डीआईएन: 01176857) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 161 (1) के साथ पाठित अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार दिनांक 0807.2019 से इस वर्ष की आम सभा होने तक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के अनुसरण में स्वयं निदेशक की लिखत सूचना प्राप्त हुई है, को एतद द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।

निदेशक मंडलके आदेश से

(राजीव कालरा)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: अगस्त 9, 2019

नोट : –

1. बैठक में उपस्थित कोई भी सदस्य अपने बदले में अपनी ओर से मतदान में उपस्थित होने के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए पात्र है। ए`सा व्यक्ति जो प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुआ है, वह ए`से सदस्य या सदस्यों जिनकी संख्या 50 से अधिक न हो और जो कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयर उपलब्ध हो उनकी ओर से प्रतिनिधि के रूप में मतदान किया जा सकेगा। इसके बाद भी जैसा कि कंपनियों (प्रबंधन तथा प्रशासन) में निहित नियम 19(2) नियम 2014 के अनुसार जो सदस्य कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक के शेयर प्राप्त किए हों, वे ए`से किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं और इस प्रकार से नियुक्त हुआ व्यक्ति किसी अन्य शेयरधारित सदस्य के लिये कार्य नहीं करेगा। प्रतिनिधि प्रपत्र पूरी तरह से भरकर उसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक साधारण सभा आयोजित होने के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिये। रिक्त प्रतिनिधि प्रपत्र संलग्न है।

2. कार्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे मंडल के संकल्प की प्रति प्रमाणित कर उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भिजवाकर उन्हें वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होकर मतदान करने के लिये भेजें।

3. संबंधित व्याख्यात्मक विवरण में कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 102(1) से संबंधित विशेष व्यवसाय जो कहीं बाहर स्थित हो, उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

4. सर्व श्री सुबोध गुप्ता तथा ए स बालाकृष्णन रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और अभी सेवा करने योग्य होने के कारण उन्होंने पुनरू नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव किया है। यद्यपि नियुक्ति शर्तो के अनुसार सर्व श्री सुबोध गुप्ता का कार्यकाल 17–04–2023 (उनकी नियुक्ति तिथि से 5 वर्ष की अवधि) तथा दिनांक 30–11–2020 (उनकी अधिवार्षिता सेवा होने के कारण) सेवायें समाप्त हो जायेंगी। प्रत्येक निदेशक के उनके विस्तृत व्यक्तिगत विवरण पुनरू नियुक्ति किए जाने संबंधी प्रस्ताव सूचना पत्र के अनुच्छेद में दिये गए है।

5. अंतिम रूप से 60 प्रतिशत लाभांश (रू. 1.20 प्रति शेयर) की घोषणा कंपनी की कुल शेयर पूंजी पर भुगतान किए गए इक्विटी शेयर के लिये की गई है, इसी के साथ वर्ष 2018–2019 में अंतरिम 40 प्रतिशत लाभांश (0.80 प्रति शेयर) कंपनी की कुल शेयर पूंजी पर भुगतान किय गए इक्विटी शेयर की भी अनुशंसा की है।

6. अंतिम रूप से घोषित किए गए लाभांश पाने के लिये जिन अधिकारियों के नामों की घोषणा सदस्यों की शेयर रजिस्टर एवं कंपनी के शेयर स्थानांतरण पुस्तिकाओं में की गई है वे बुधवार 13 सितम्बर 2019 से 19 सितम्बर 2019 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद कर दी जाए गी।

7. अंतिम इक्विटी शेयर का लाभांश जिसकी अनुशंसा वर्षान्त 31–03–2019 के लिए की गई है, यदि उसकी अनुशंसा शेयर धारकों द्वारा वार्षिक साधारण सभा में कर दी जाती है तो घोषणा तिथि से 30 दिनों के अंदर अर्थात कि 18–10–2019 को घोषित तिथि से उन शेयर धारकों को वह राशि देय होगी जिनके नाम सम्मिलित हुए है। (i) ए`से लाभार्थी स्वामियों के शेयर जिनके व्यवसाय समय 12 सितम्बर 2019 को ए न.ए स.डी.ए ल/सी डी ए स ए ल के द्वारा बनाई गई सूची के अनुसार बंद हो गया है और जिनका प्रकार इलेक्ट्रिानिक मोड है। (ii) इसके बाद कंपनी की सदस्य पंजी में जो सदस्य है उनकी शेयर स्थानांतरण संबंधी आवेदन को महत्व दिया जायेगा जिनके नाम 12 सितम्बर, 2019 को व्यवसाय बंद होने के पूर्व कंपनी/आर टी ए में दर्ज है।

8. सदस्यों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने नेशनल इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सर्विस/इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सर्विस (ए न.ई.सी.ए स./ई.सी.ए स.) प्रपत्र भरकर आवश्यक रूप से देवें (जो वार्षिक रिपोर्ट में है) इसे पूर्ण किया जाए हस्ताक्षर कर राशि प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

9. कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 124, के साथ खंड 125 के अनुसार लाभांश जिनका भुगतान या दावा सात साल की समयावधि में नहीं हुआ हो, उसे" इन्वेस्ट ए जूकेशन ए।ड प्रोटेक्शन फंड'' जो कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, तदनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंतिम लाभांश जो दावा करने से बाकी रह गए हों के प्रस्ताव कथित फंड में 24–10–2019 एवं 03–03–2020 को आवश्यक रूप से स्थानांतरित किए जाने चाहिए ए`से सदस्य जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 31–03–2012 के अंत तक या इसी प्रकार के वित्तीय वर्षो में भुगतान का दावा या नकदीकरण नहीं किया हो तो उन्हें कंपनी से भुगतान प्राप्त करने के लिये निर्धारित 7 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व पहुंच जाना चाहिए।

10. मृत्यु होने की दशा में जिनके शेयर उस समय तक रहे हों उन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 72 की शर्तो के अनुसार अपने किसी भी व्यक्ति को नामांकित करने की सुविधा है।

11. कंपनी अधिमियम 2013 के खंड 139 (5) सहपठित 142(2) के अनुसार सीओजी द्वारा शासकीय कंपनियों में अंकेक्षकों की नियुक्ति कराकर उनके पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। इसके लिये वर्ष 2019–20 के लिए आनुपातिक पारिश्रमिक का निर्धारण मंडल द्वारा जो उचित समझा जाए सदस्य मंडल को इसके लिये अधिकृत कर सकते है।

12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे स्वयं के पते या उनसे संबंधित अन्य जानकारी जो हो, जिसमें ए न.ई.सी.ए स./ई.सी.ए स. के विवरण भी सम्मिलित हो, स्थायी लेखा क्रमांक (PAN) आदि में परिवर्तन हुए हों तो इसकी जानकारी से सूचित करें।
    (i) इलेक्ट्रिक शेयर लेखे से संबंधित उनके द्वारा जमा की गई राशि में किया गया योगदान (डी.पी.ए स)
    (ii) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अथवा रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांस्फर ए जेंट मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी भूखंड क्र. 31–32 गाची बोवली,फायनेन्सियल जिला नानक रामगुडा, हैदराबाद–500032 के पास प्रत्यक्ष, शेयर यदि कोई हों तो उनके पार्ट फोलियों नंबर, बैंकर का नाम, लेखा क्रमांक, वारंट आदि सुनिश्चित कर उनकी रसीद प्राप्त करें।

13. ए`से सदस्य जो निर्धारित मात्रा में शेयर प्राप्त करते हैं, उनसे निवेदन

है कि वे अपनी क्लाइंट पहचान, क्लाइंट आईडी तथा डीपी आईडी नंबर उल्लेख करें वे अपने फोलियो नंबर, उपस्थिति पर्ची लेकर बैठक में उपस्थित होने के लिए सभागार में आयें प्रवेश होने के लिये कड़ाई की गई है जिसके लिये सभागार में उपस्थिति होने हेतु पर्ची होना आवश्यक है। पर्ची को स्थल पर स्थित काउंटर पर देकर उपस्थित स्लिप प्राप्त की जा सकती है।

14. कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 108 का पालन करते हुए कंपनियों (प्रबंधन तथा प्रशासन) के सहपठित नियम 2014 तथा सूचीवद्ध अधिनियमें के अधिनियम 44 के अनुसार कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रानिक मतदान करने की सुविधा उपलब्ध है। इसका अर्थ यह है कि मेसर्स कार्वी फिनटेक प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा ए`से सदस्यों के नाम जो लाभान्वित स्वामी सदस्यों की सूची में निर्धारित तिथि गुरूवार सितम्बर 12, 2009 के अनुसार दर्ज हैं, वे मतदान करने के पात्र होंगे। इस उद्देश्य के लिए ई–वोटिंग / ए जीए म तथा ए क ए`सा व्यक्ति होगा जो अंतिम तिथि तक सदस्य न रहा हो। उसे इस जानकारी में सूचना पत्र के समान माना जायेगा। इस ई–मतदान की अवधि रविवार सितम्बर 15,2009 के प्रातरू 9.00 बजे से बुधवार सितम्बर 18,2019 की शाम 5.00 बजे तक की होगी। ई–मतदान सितम्बर 18,2019 की शाम 5.00 बजे रोक दिया जायेगा। ए`से सदस्य जो कि इलेक्ट्रानिक तरीके से मतदान करने के इच्छुक हों,उनको इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया की सूचना सूचनापत्र के साथ उपयोग किए जाने वाले पहचान पत्र,पासवर्ड की सूचना अलग से भेजी जाए गी। अधिनियम के अनुसाद यदि शेयरधारक द्वारा मतदान किया जाता है तो शेयरधारक को उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारकों को कंपनी के शेयर पूंजी के अनुपात में निर्धारित किए गए शेयर जो सितम्बर 12,2019 के अनुसार हैं, के अनुसार मतदान करने का अधिकार होगा।

15. ए जीए म में मतदान करने के लिए मतपत्र की सुविधा ए`से सदस्यों के लिए उपलब्ध रहेगी जो बैठक में उपस्थित रहे हैं। जिन सदस्यों ने ई रिमोट का उपयोग मतदान के लिए नहीं किया है, वे मतपत्र का उपयोग करने के अधिकारी होंगे।

16. ए`से सदस्य जिन्होंने अपना रिमोट से ई–वोट ए जीए म के पहले किया हो और वे बैठक में उपस्थित रहे हैं तो उनको पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

17. कंपनी ने मेसर्स अग्रवाल ए स ए।ड ए सोसिए ट प्रेक्टेसिंग कंपनी के सचिव श्री सचिन अग्रवाल को मतदान प्रक्रिया में स्वच्छता तथा पारदर्शिता बनी रहने के लिए निरीक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त किया है, वे मतदान में निरीक्षण कर्ता का कार्य करेंगे। ए जीए म में मतदान निष्कर्ष के बाद मतदान संबंधी बैठक होगी उस बैठक में उपस्थित ए`से सदस्य जो ई मतदान करने से वंचित रह गए है, उनके लिए दो ए`से गवाह उपस्थित रहेंगे जो कंपनी में कार्यरत न हों। ए जीए म निष्कर्ष के तीन दिन बाद गिने हुए कुल मतों की रिपोर्ट निरीक्षण ाकर्ता द्वारा की जाए गी जो पक्ष में या विपक्ष में रहे हों तो कंपनी अध्यक्ष एवं निरीक्षणकर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com एवं ए जेंसी की वेबसाइट पर तत्काल उपलब्ध करायेंगे। अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित अधिकृत व्यक्ति परिणाम घोषित कर इसके तत्काल बाद स्टाक ए क्सचेंजों में अग्रेषित करेंगे।

18. सदस्यों से अनुरोध है किः–

18.1 वे अपनी उपस्थिति पर्ची पूर्ण एवं हस्ताक्षर कर फोटो पहचान पत्र प्रमाण बैठक स्थल पर अपने साथ लाए।

18.2 फोलियो/डी पी तथा क्लाइंट पहचान नंबरों का उल्लेख सभी पत्र व्यवहारों में करें।

18.3 कृप्या ध्यान दीजिये कि ए जीए म में किसी उपहार का वितरण नहीं होगा।

18.4 ध्यान दें कि सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के अंदर कोई ब्रीफकेस या बैंग ले जाने की
अनुमति नहीं दी जाए गी।

संचालक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता/–

(राजीव कालरा)

कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः अगस्त 9, 2019

सूचना पत्र का अनुच्छेद

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुपालन में व्याखात्मक विवरण

सामग्री तथ्यों से परे व्याख्यात्मक विवरणों से संबंधित व्यवसायों के मद क्रमांक 6 से 12 तक का सूचना पत्र दिनांक 9 अगस्त, 2019 के निम्नलिखित विवरण दिया जाता है :–

मद क्रमांक – 6

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 148 सहपठित कंपनियों (ऑडिट/ऑडिटर) नियम 2014 में लागत अंकेक्षकों का पारिश्रमिक जिसका अनुमोदन संचालक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया है,उसे शेयरधारकों द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

अंकेक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर संचालक मंडल की हुई दिनांक 26 जुलाई, 2019 की बैठक में सात लागत लेखापालों के फर्मो के नामों की अनुशंसा नियुक्ति के लिए की गई है जिनका कुल पारिश्रमिक 15.01 लाख रूपये इस प्रकार से है :–

(₹ लाख में)

क्रमांक	लागत अंकेक्षक का नाम	ईकाई	वित्तीय वर्ष 2019–20 का पारिश्रमिक
1	मेसर्स सोमी ए ।ड बैनर्जी,दिल्ली (मुख्य लागत परीक्षक)	अंकेक्षित रिपोर्ट का ए कीकरण	0.96
		भोपाल	1.91
		झांसी	0.77
		एचईआरपी वाराणसी	0.38
2	मेसर्स के.आर.जे. गोयल ए ।ड कंपनी दिल्ली	ए च ई आर पी वाराणसी	1.91
		सीएफएफपी हरिद्वार	0.38
3	मेसर्स के.आर. जे.गोयल ए सोसियेट्स,हैदाराबा	हैदराबाद	1.91
4	मेसर्स कृष्णा स्वामी ए ।ड ए सोसियेट्स, चेन्नई.	त्रिची	2.54
		बीएपी रानीपेट	1.27
5	मेसर्स जे.ए च.ए ।ड ए सोसियेट्स बैंगलुरू	ईडीपी बैंगलुरू	0.50
		ईडीएन बैंगलुरू	0.64
6	मेसर्स के बी सक्सेनाए ।ड ए सोसियेट्स,लखनऊ.	आईवीपी गोंइदवाल	0.38
		एफएसआई पी जगदीशपुरसीए फपीरूद्रपुर.	0.58
		एचपीवीपी	0.38

(₹ लाख में)

क्रमांक	लागत अंकेक्षक का नाम	ईकाई	वित्तीय वर्ष 2019–20 का पारिश्रमिक
7	मेसर्स उपालापति एंड ए सोसियेट्स विशाखापट्नम	विशाखानट्नम	0.50
		कुल योग	15.01

उपरोक्त शुल्क में सभी प्रकार के लागू कर एवं बाहरी खर्च जो भी अलग से भुगतान योग्य हों, सम्मिलित है।

तदनुसार कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रबंधक एवं मुख्य प्रबंधकीय कर्मी या उनके रिश्तेदार किसी प्रकार से मद क्रमांक 6 में स्थापित संकल्प में वित्तीय या अन्यथा प्रकार से न तो संबंध हैं और न ही इस प्रकार की रूचि रखता है।

संचालक मंडल शेयर धारकों के द्वारा संकल्प में अनुमोदन करने की प्रशंसा करता है।

मद क्रमांक– 7

श्री आर. स्वामीनाथन (डीआईएनः 01811819) आयु 63 वर्ष, स्वतंत्र संचालक के रूप में बीएचईएल में नियुक्त हुए थे। बीएचईएल के संचालक मंडल में वह 1 दिसंबर 2018 से शामिल किये गये है। इसके पूर्व स्वतंत्र संचालक के रूप में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति 18 दिसंबर 2015 से 30 नवंबर 2018 तक की रही।

वह 1980 समूह के भारतीय विदेश अधिकारी (भा.वि.से.) के रूप में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त के समय वह भारत सरकार के बाह्य मामलों संबंधी मंत्रालय (ए मईए) में सचिव थे।

उन्होने मद्रास विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग के स्नातक (आनर्स) की डिग्री प्राप्त की है। औद्योगिक अभियांत्रिकी में उन्होंने राष्ट्रीय उत्पादकता कौसिल (एनजीसी) से मास्टर डिप्लोमा प्राप्त किया है तथा अरबी भाषा में अमेरिकन विश्वविघालय कैरो से डिप्लोमा प्राप्त किया है औद्योगिक अभियांत्रिकी मास्टर स्तर पर उन्होंने टर्नकी परियोजना, पार्ली, बीएचईएल महाराष्ट्र 2019 के पावर प्रोजेक्ट में थीसिस का कार्य किया है।

श्री स्वामीनाथन को राजदूत के रूप में अंतराष्ट्रीय राष्ट्रों के विस्तार का वृहद अनुभव रहा है इसमें आर्थिक वाणिज्यिक, कूटनीति, परियोजना प्रबंधन, विकासात्मक मुद्दे जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता एवं एलओसी, लोक कूटनीति, प्रशासन, अणु ऊर्जा, पासपोर्ट और सलाहकार संबंधी सेवाओं, अरब मुद्दों को हल करने का 35 वर्षो का अनुभव रहा है।

भारत सरकार में सचिव रहते हुए उनकी जिम्मेदारी लेटिन अमेरिकन देशों,कनाडा के साथ ही साथ बाह्य मामलों संबंधी मंत्रालय (एमईए) के प्रति भी जिम्मेदारी रही। वह बाह्य मामलों संबंधी मंत्रालय (एमईए) के निरीक्षणों के लिए महासंचालक भी रहे। इसके पूर्व वे आस्ट्रीया तथा

मोनटेनेग्रो में राजदूत रहे, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा (आईईए) में गवर्नर रहे। वियेना में वे यूएनआईडीओ, यूएनओडी के विशेष प्रतिनिधि रहे। बाह्य अन्तरिक्ष संस्थान एवं अन्य यूएन कार्यालयों में स्थायी प्रतिनिधि रहे। इजिप्ट तथा अरब लीग में राजदूत के रूप में सेवायें दी। बाह्य मामलों संबंधी मंत्रालय (एमईए) की परियोजनाओं में भी संयुक्त सचिव रहे। उन्होंने वियेना के आईएईए सचिवालय में नीति, योजना तथा समन्वय विभाग में कार्य किया श्रीलंका के भारतीय उच्चायोग के वाणिज्य विभाग के प्रमुख रहे। भूटान राज दूतावास में रहकर परमाणु ऊर्जा आयोग के सचिव एवं परमाणु ऊर्जा आयोग में उपसचिव भी रहे। फ्रांस के भारतीय दूतावास में वे भारत सरकार के प्रथम सचिव रहे। कतर भारतीय दूतावास में वे द्वितीय सचिव तथा इजिप्ट के दूतावास में वे तृतीय सचिव रहे। भारतीय विदेश सेवा में उपस्थित होने के पूर्व वे एनपीसी में सहायक संचालक/परामर्शदाता रहे।

उनके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में पासपोर्ट सेवा परियोजना को प्रारंभ किया जाना जो कि भारत सरकार के वृहद प्रारंभिक ई गवर्नेस की थी भारतीय मिशन में पासपोर्ट संबंधी बाह्य संसाधन,वीसा सेवायें, व्यथित भारतीयों का लीबिया,इजिप्ट,इराक के सचिवालय में रहकर विभिन्न भागों से पीड़ितों शोषकों को मुक्त कराया। इसके लिएवर्ष 2005 में उन्हें नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके पूर्व वह भारत सरकार और श्रीलंका के बीच में जो व्यवसायिक अनुबंध था उसे हमेशा के लिये खोला गया।

श्री स्वामीनाथन 30–11–2019 अथवा अन्य कोई आदेश होने तक जो भी इसके पूर्व जारी होता हो, स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। स्वतंत्र निदेशक होने के कारण संचालक मंडल तथा मंडल स्तर की बैठकों में उपस्थित रहने का शुल्क उनको मिलता है।

श्री आर स्वामीनाथन का कंपनी का कोई भी संचालक/प्रबंधक एवं मुख्य प्रबंधकीय कर्मी या उनके रिश्तेदार किसी प्रकार से मद क्रमांक 6 में स्थापित संकल्प में वित्तीय या अन्य प्रकार से न तो संबंध हैं और न ही संकल्प में स्थापित वित्तीय या अन्य प्रकार की रूचि ही है।

श्री आर स्वामीनाथन अपने कार्यकाल में मंडल की छह (आठ में से) बैठकों में उपस्थित रहे जो वित्तीय वर्ष 2018–19 में हुई।

ए मसीए की अधिसूचना दिनांक 05–07–2017 की शर्तो अनुसार डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के माध्यम से भारी उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय के माध्यम से बीएचईएल के प्रशासनिक मंत्रालय के गैर कार्यालयीन स्वतंत्र कर्मचारियों की कार्यक्षमता तथा गणना का कार्य कर उनकी कार्यक्षमता की रिपोर्ट में उनके कार्य का मूल्यांकन किन्तु यह कार्य क्षमता और गणन की बात उनकी नियुक्ति होने पर लागू नहीं है।

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 161 सहपठित ए सोसिए शन आफ कंपनी के आर्टिकल 67 (iv) के सामर्थ्य में श्री स्वामीनाथन साधारण वार्षिक सभा की तिथि निश्चित होने तक कार्यालय में कार्यरत रहे है और द्वितीय बार में नियुक्ति के योग्य हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 160 में चाहे गए अनुसार कंपनी को लिखित सूचना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अभ्यार्थी के रूप में स्वतंत्र निदेशक होने का प्रस्ताव दूसरी बार नियुक्ति के लिए किया है।

कंपनी ने श्री स्वामीनाथन से कंपनी अधिनियम 2013 के दोनों खंड 149 (6) एवं सूचीवद्ध अधिनियमों की सूची 16 के अंतर्गत घोषणा पत्र प्राप्त किया है जिसमें उनकी अर्हताओं का विवरण दिया गया है। इसे दृष्टिगत रखते हुए तथा उनके कौशल व विस्तृत ज्ञान को देखते हुए यह कंपनी हित में उचित होगा कि उनको स्वतंत्र निदेशक के रूप में दूसरी बार पुनः नियुक्ति दी जाए। संचालक मंडल के मत में श्री आर स्वामीनाथन उन सभी शर्तो की प्रतिपूर्ति करते है जो कंपनी के अधिनियम 2013 के नियमों में निहित हैं। इस प्रकार से उनकी नियुक्ति कंपनी के स्वतंत्र निदेशक प्रबंधन के लिये उचित है।

श्री आर. स्वामीनाथन के अतिरिक्त कंपनी का कोई भी संचालकध्प्रबंधक एवं मुख्य प्रबंधकीय कर्मी या उनके रिश्तेदार किसी प्रकार से मद क्रमांक 7 में स्थापित संकल्प में वित्तीय या अन्यथा किसी प्रकार से न तो संबंध है और न ही इस प्रकार की रूचि रखते है।

संचालक मंडल शेयरधारकों द्वारा किए गए अनुमोदन की प्रशंसा करता है।

मद क्रमांक 8

श्री मनोज कुमार वर्मा (डीआईए नः 08308714) आयु 58 वर्ष निदेशक (पावर) के रूप में नियुक्त हुए बीएचईएल मंडल में वे 19 दिसंबर 2018 से प्रभावशील हैं।

वह एसजीएसआईटीएस इंदौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं तथा उन्होंने भोपाल विश्वविद्यालय से एमबीए विपणन विषय में किया है। इसके पूर्व में निदेशक रहे। दक्षिण क्षेत्र चेन्नई में कार्यपालक निदेशक के रूप में पावर सेक्टर के प्रमुख रहे, और अभी वृहद परियोजनाओं का निष्पादन संबंधी कार्य कर रहे थे और साथ ही साथ बीएचईएल के पावर सेक्टर विभाग में अपना योगदान भी देते रहे हैं।

श्री मनोज कुमार वर्मा को ऊर्जा क्षेत्र,औद्योगिक प्रणाली और ढांचाकृत उद्योगों का 35 वर्ष का प्रत्यक्ष अनुभव रहा है। उन्होंने कई वृहद मूल्यगत श्रृंखला संचालनों संबंधी कार्य किया जैसे कि उत्पादन,वाणिज्य प्रबंधन (विपणन तथा व्यवसाय विकास) प्रबंधन नियंत्रण,योजना एवं विकास, सूचना तकनीकी तथा रणनीति प्रबंधन का भी कार्य किया।

श्री मनोज कुमार वर्मा प्रशिक्षु इंजीनियर के रूप में बीएचईएल में ट्रांसफार्मर प्लांट झांसी में आए थे। इसी के साथ वह भारी विद्युत प्लांट भोपाल की ओर अग्रसर हुए जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित किए और बाद में उनका स्थानांतरण महाप्रबंधक के रूप में उद्योग क्षेत्र नई दिल्ली में हुआ। उनके कार्यकाल के दौरान बीएचईएल में सेरामिक व्यवसाय ईकाई बैंगलुरू के वे व्यवसाय प्रमुख रहे। इसके साथ वे इलेक्ट्रोपोरसेलेम विभाग (ई पी डी) बैंगलुरू के इंसुलेटर प्लांट (आई पी) जगदीशपुर के प्रमुख रहकर विभाग के विस्तार का कार्य किया।

श्री मनोज कुमार वर्मा अंशकालिक नामांकित अध्यक्ष की स्थिति रायचूर कार्पोरेशन लिमिटेड में प्राप्त करते है।

श्री मनोज कुमार वर्मा की नियुक्ति वेतनमान 1,80,000–3,40,000 प्रतिमाह भारत सरकार के नियम एवं शर्तो के अनुसार 31–01–2021 अथवा अन्य आगामी आदेश जारी होने तक की या इसमें जो भी पहले घटित होता हो, हुई है।

श्री मनोज कुमार वर्मा का कोई शेयर बीएचईएल में नहीं है न ही कंपनी का कोई भी संचालक/प्रबंधक एवं मुख्य प्रबंधकीय कर्मी या से उनकी किसी भी तरह की रिश्तेदारी मद क्रमांक 8 में स्थापित संकल्प में वित्तीय या अन्यथा प्रकार से न तो संबंध हैं और न ही इस प्रकार की रूचि रखता है।

श्री मनोज कुमार वर्मा मंडल की ए क ही बैठक में उपस्थित हुए हैं जो उनके कार्यकाल के दौरान वित्तीय वर्ष 2018–19 में हुई थी।

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 161 सहपठित एसोसिएशन आफ कंपनी के आर्टिकल 67 (iv) के सामर्थ्य में श्री मनोज कुमार वर्मा साधारण वार्षिक सभा की सुनिश्चित तिथि तक कार्यालय में कार्यरत रहे हैं और वह नियुक्ति के योग्य हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 160 में चाहे गए अनुसार कंपनी को लिखित सूचना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मनोज कुमार वर्मा ने अभ्यर्थी के रूप में कंपनी के निदेशक कार्यालय के लिए नियुक्ति के लिए प्रस्ताव किया है।

इसके अतिरिक्त श्री मनोज कुमार वर्मा के नियुक्त रहते हुए कंपनी में उनका कोई शेयर बीएचईएल में नहीं है न ही कंपनी का कोई भी संचालक/प्रबंधक एवं मुख्य प्रबंधकीय कर्मी या उनके रिश्तेदार किसी प्रकार से मद क्रमांक 8 में स्थापित संकल्प में वित्तीय या अन्यथा प्रकार से न तो संबंध है और न ही इस प्रकार की रूचि रखता है।

संचालक मंडल शेयरधारकों द्वारा किए गए अनुमोदन की प्रशंसा करता है।

मद क्रमांक – 9

श्री राजेश शर्मा (डीआईए नः 01586332) आयु 47 वर्ष स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। बीएचईएल संस्थान में 20 फरवरी 2019 से शामिल किये गये।

श्री राजेश शर्मा वाणिज्य स्नातक रहे हैं और भारत के चार्टड ए काउंट संस्थान के सम्मानीय सुशिक्षित सदस्य रहे है, वे कंपनी सचिव है। वह चार्टड ए काउंटेंट की प्रेक्टिस कर रहे हैं विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, राष्ट्रीय सहकारिताओं, कार्पोरेशन और बैंकों का शानदार 17 सालों का ऑडिट अनुभव रहा है।

वर्तमान में वे चार्टड ए काउंट आफ इंडिया संस्थान में सलाहकार सदस्य रहे है। वे विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं जैसे कि भारत के कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीटयूट के केन्द्रीय सलाहकार तथा केपीटल मार्केट ए ।ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कौंसिल ए सए सओसीए चए म के इत्यादि के सदस्य रहे हैं।

श्री शर्मा विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं जैसे कि व्यथित लोगों को प्रेरणात्मक उपदेश देकर आत्म निर्भर बनाने की कुशलता, नशा मुक्ति पुनर्वास केन्द्र का संचालन भी वह कर रहे हैं। अनेक सेमीनारों, सभाओं जिनका आयोजन देश विदेश में होता रहता है में प्रखर वक्ता रहे है। उन्हें कई प्रतिष्ठित संस्थानों से समाज के लिएवयाख्यात्मक योगदान के लिये सम्मान प्राप्त हुआ है।

श्री शर्मा की नियुक्ति 13–02–2022 तक अथवा अन्य आगामी आदेश होने तक की या इसमें जो भी घटित होता हो, हुई है। स्वतंत्र निदेशक होने के कारण उनको मंडल बैठकों और मंडल स्तर की बैठकों में उपस्थित होने के लिये शुल्क दिया जाता है।

श्री राजेश शर्मा के कंपनी में उनका कोई शेयर नहीं है न ही कंपनी का कोई भी संचालक/प्रबंधक एवं मुख्य प्रबंधकीय कर्मी या उनके रिश्तेदार से किसी प्रकार नहीं हैं।

श्री राजेश कुमार शर्मा उनके कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किसी बैठक में शामिल नहीं हुए।

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 161 सहपठित असोसिए शन आफ कंपनी के आर्टिकल 67 (iv) के सामर्थ्य में श्री राजेश कुमार शर्मा साधारण वार्षिक सभा की सुनिश्चित तिथि तक कार्यालय में कार्यरत रहे हैं और नियुक्ति के योग्य हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 160 में चाहे गए अनुसार कंपनी को लिखित सूचना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें श्री शर्मा ने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव किया है।

कंपनी को श्री राजेश शर्मा से एक घोषणा पत्र भी प्राप्त हुआ है जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 149 (6) तथा सूचीबद्ध अधिनियमों के अधिनियम 16 में इसका प्रावधान है, उनके कौशल और वृहद ज्ञान को देखते हुए यह कंपनी हित में उचित होगा कि श्री राजेश शर्मा को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए। मंडल के मतानुसार श्री राजेश शर्मा कंपनी अधिनियम 2013 में निहित सभी अर्हताओं की पूर्ति करते हैं और उनकी नियुक्ति कंपनी के निदेशक प्रबंधन के लिये उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त श्री राजेश शर्मा की नियुक्ति होते हुए भी कंपनी के किसी निदेशकों/प्रबंधकों अथवा प्रमुख प्रबंधन कंपनी से कोई रिश्तेदारी नहीं है न ही उनकी रूचि मद क्रमांक 9 में स्थापित वित्तीय या अन्यथा प्रकार के मामलों में कोई रूचि है।

मद क्रमांक – 10

श्री कमलेश दास (डी आई ए न : 083767690189 आयु 57 वर्ष, में निदेशक (अभियांत्रिकी अनुसंधान तथा विकास) के रूप में नियुक्त हुये थे। बीएचईएल के मंडल में वे 1 मार्च 2019 से शामिल किये गये।

कमलेश दास कलकत्ता विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक हैं और प्रबंधन में उन्होंने स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है।

निदेश (ई, आर ए ।ड डी) होने के पूर्व श्री कमलेश दास कार्यपालक निदेशक रहे हैं उन्होंने बीएचईएल के विभिन्न उद्योग क्षेत्रों संबंधी व्यवसाय में कार्य किया है जिस कारण कंपनी में प्रारंभिक स्तर से ही अग्रिम ऊंचाईयों को छूने के इस कार्य में उनकी विशेष जिम्मेदारी रही है। इस तरह से उन्होंने कंपनी को प्रारंभिक रूप से प्रगति के सोपान तक पहुंचाया है। वृहद प्रकार के कार्यो में उनके पोर्टफोलियो में ऊर्जा नवीनीकरण, औद्योगिक प्रणाली, इलेक्ट्रिकल तथा ट्रांसमिशन संबंधी कार्य सम्मिलित रहे हैं।

उन्होंने बीएचईएल में इंजीनियरिंग प्रशिक्षु के रूप में कंपनी के इंसुलेटर विभाग में वर्ष 1982 में उपस्थिति दी। ऊर्जा, ट्रांसमिशन तथा औद्योगिक प्रणालियों में श्री दास को 36 वर्षो से भी अधिक उत्कृष्ट अनुभव है। बीएचईएल के कार्यकाल में उन्होंने विभिन्न मूल्यगत गतिविधियों का

सक्षमतापूर्वक विकास तथा श्रेष्ठ प्रदर्शन मूल्यगत श्रृंखला जैसे कि विपणन, अभियांत्रिकी, उत्पादन, वाणिज्य, परियोजना प्रबंधन,मानव संसाधान और औद्योगिक संबंधों, वैधानिक प्रबंधन, परियोजना वित्त और प्रबंधन की रणनीति के लिये किया है। वे बीएचईएल की विभिन्न निर्माण इकाइयों जैसे कि इंसुलेटर प्लांट जगदीशपुर, इलेक्ट्रो पोर्सिलिन विभाग बैंगलूरू और कंपोनेंट फेब्रीकेशन प्लांट रूद्रपुर के भी प्रमुख रहे।

श्री कमलेश दास जी ई गैस टर्बाइन सर्विस प्राईवेट लिमिटेड के मंडल में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते है।

श्री कमलेश दास की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तो एवं नियमों के अनुसार वेतनमान 1,80,000–3,40,000 प्रतिमाह पर दिनांक 31–07–2021 तक या इसके बाद जो भी आगामी आदेश हों और जो पहले घटित होता हो, हुई है।
श्री कमलेश दास के कोई भी शेयर बीएचईएल में नहीं हैं न ही कंपनी में उनकी किसी निदेशक/प्रबंधक प्रमुख प्रबंधन कर्मी के साथ रिश्तेदारी रही है।

उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी मंडल बैठक वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान नहीं हुई है।

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 161 सहपठित ए सोसियेशन आफ कंपनी के आर्टिकल 67 (iv) के अनुपालन में श्री कमलेश दास साधारण वार्षिक सभा की सुनिश्चित तिथि तक कार्यालय में कार्यरत रहे हैं और वे नियुक्ति के योग्य है। कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 160 में चाहे गए अनुसार कंपनी को लिखित सूचना पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें उन्होंने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक अभ्यार्थी के रूप में प्रस्ताव किया है।

इसके अतिरिक्त श्री कमलेश दास के नियुक्त रहते हुए कंपनी में उनकी किसी निदेशक/प्रबंधक प्रमुख प्रबंधन कर्मी के साथ रही है। और मद क्रमांक 10 के स्थापित संकल्प में कोई वित्तीय संबंध या रूचि नहीं है।

संचालक मंडल शेयरधारकों द्वारा किए गए अनुमोदन की प्रशंसा करता है।

मद क्रमांक – 11

श्री अमित वर्धन (डी आई ए न : 08401348) आयु 53 वर्ष अंशकालिक कार्यालयीन निदेशक रहे है। बीएचईएल मंडल में वे 27 मार्च 2019 से शामिल किये गये।

वर्तमान में वे भारी उद्योग, भारी उद्योग तथा लोक व्यवसाय मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थ हैं। श्री अमित वर्धन सेंट स्टीफन महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की स्नातक उपाधि धारण करते हैं तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर उपाधि प्राप्त की है। वे फैकल्टी आफ मैंनेजमेंट स्टडीस दिल्ली विश्वविद्यालय से ए मबीए भी हैं। इसके पूर्व उन्होंने संयुक्त सचिव का कार्यभार ग्रहण किया। वे सिकन्दराबाद में दक्षिण मध्य रेल्वे में मंडल रेल प्रबंधक भी रहे।

अगस्त 1990 में भारतीय रेल यातायात सेवा (आई आर टी ए स) में कार्य किया।

रेलवे कार्यकाल की अवधि के दौरान उन्होंने भारतीय रेलवे के विभिन्न खंडों में कार्य किया जैसे कि संचालन, वाणिज्य, सुरक्षा विजिलेंस, सूचना तकनीकी तथा लोक संबंध की मंडल इकाईयों में विभिन्न स्तरों पर कार्य, रेलवे संचालन में कटिंग एज, रेलवे जोनल मुख्यालय में रहकर कार्य किया। रेलवे सूचना प्रणाली (सी आर आई ए स) के लिये केन्द्र में बने रहकर उन्होंने कार्य किया उपस्थिति के पूर्व वे भारतीय रेलवे में यातायात सेवा में कार्य करते रहें। हिन्दू महाविद्यालय में अर्थशास्त्र व्याख्याता रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय मे।

श्री अमित वर्धन बोर्ड आफ एन्डू यूले एंड कंपनी लिमिटेड में अशंकालीन कार्यालयीन निदेशक की स्थिति धारण करते है। भारत सरकार से नामांकित होने के कारण बीएचईएल मंडल में उपस्थित होने के लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता है।
श्री अमित वर्धन के कंपनी में कोई शेयर नहीं है न ही उनकी किसी निदेशक/प्रबंधक प्रमुख प्रबंधन कर्मी के साथ संबंध नहीं है।

श्री अमित वर्धन के कार्यकाल के दौरान वित्तीय वर्ष 2018–19 में कोई बैठक नहीं हुई है।

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 161 सहपठित ए सोसियेशन आफ कंपनी के आर्टिकल 67 (iv) के अनुपालन में श्री अमित वर्धन साधारण वार्षिक सभा की सुनिश्चित तिथि तक कार्यालय में कार्यरत रहे हैं और में नियुक्ति के योग्य है। कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 160 चाहे गए अनुसार कंपनी को लिखित सूचना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें श्री वर्धन ने निदेशक पद हेतु अभ्यार्थी के रूप में प्रस्ताव किया है।

इसके अतिरिक्त श्री कमलेश दास के नियुक्त रहते हुये कंपनी में उनकी किसी निदेशक/प्रबंधक प्रमुख प्रबंधन कर्मी के साथ रिश्तेदारी रही है और मद क्रमांक 11 के निर्धारित संकल्प में कोई वित्तीय अथवा अन्यथा संबंध या रूचि नहीं है।

संचालक मंडल शेयरकारकों द्वारा किए गए अनुमोदन की प्रशंसा करता है।

मद क्रमांक – 12

डॉ.नलिन सिंघल (डीआईए नः 01176857) आयु 55 वर्ष बीएचईएल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 8 जुलाई 2019 से पदभार ग्रहण किया।

उन्होंने आई आई टी दिल्ली से बीटैक किया है तथा आईआईए म (कलकत्ता) से पीजीडीए म हैं। वह कामनवेल्थ के स्कालर भी रह चुके हैं और आर्थिक यातायात विषय में लीड्स/युनाईटेड किंगडम से डाक्टरेट भी की है।

बीएचईएल में आने से पूर्व वे सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सेल) के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) रहे। वर्ष 2013 में वे सेल में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में कार्य किया। कंपनी जब भीषण आर्थिक कमजोरी का सामना कर रही थी और लगभग 90 प्रतिशत प्रतिष्ठा नष्ट होने को आ गई थी तब श्री सिंघल के नेतृत्व ने सेल में सफलता पूर्वक उसे लाभकारी संस्था में परिवर्तित किया और तेजी से उभरती हुई लाभप्रद

संस्था के लायक बनाया। उनके द्वारा किए गए इस कार्य परिवर्तन को आईआईए म अहमदाबाद के अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

अपनी 30 वर्षो की सेवाकाल की व्यापक अवधि में उन्होंने निजी, सार्वजनिक तथा शासकीय क्षेत्रों में कार्य कर उनकी सीमा रेखा का अधिकाधिक विस्तार किया। उन्होंने भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरसीटीसी) में रहकर विभिन्न कार्या का संचालन, वाणिज्य विपणन, योजना संचालन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में सेल से अलग हटकर कार्य किया। सार्वजनिक सेवा के संस्थान जैसे कि कानकोर, आईआरसीटीसी में महत्वपूर्ण कार्य किए।

सेल में कार्यग्रहण होने के पूर्व वे संचालक (पर्यटन तथा विपणन) भारतीय रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के रूप में रहे। प्रबंध निदेशक के रूप में उन्होंने (आईआरसीटीसी) के पद पर लगभग 2 वर्षो तक कार्य किया। उनके कार्यकाल में कंपनी ने उल्लेखनीय उन्नति की और मिनि रत्न का स्तर प्राप्त किया। संचालक (पर्यटन तथा विपणन) रहते हुए उन्होंने इंटरनेट टिकटिंग को प्रमुखता दी। उनके कार्यकाल के पूर्व में यात्रा तथा पर्यटन के व्यवसाय में 20,000 प्रतिदिन के ई टिकिट विक्रय होते थे बाद में उनकी संख्या बढ़कर 5 लाख प्रतिदिन के हिसाब से हो गई। वे आरआरटीए स की ठोस योजनाओं का निर्धारण करने के प्रति जिम्मेदार बने रहे।

यातायात अर्थशास्त्र एवं लाजिस्टिक के क्षेत्र में डॉ.नलिन सिंघल के अनेक संख्या में देश तथा विदेश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हुए है। अनेकों व्यावसायिक संस्थाओं में विशिष्ट स्थिति धारण करते है।

डॉ. नलिन सिंघल की नियुक्ति 31–10–2023 अथवा आगामी आदेश होने तक जो भी इसके पूर्व घटित होता हो वेतनमान 2,00,000–3,70,000/– प्रतिमाह पर भारत सरकार द्वारा की गई अनुमोदित नियम एवं शर्तो पर हुई है।

बीएचईएल में 100 शेयर डॉ.नलिन सिंघल और उनके पत्नी के नाम संयुक्त रूप में हैं और उनका कंपनी में किसी निदेशक/प्रबंधक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी साथ नहीं है।

जब से डॉ. नलिन सिंघल 08–07–2019 से अध्यक्ष एवं महाप्रबधंक के पद पर कार्यरत रहे हैं तब से उनके कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2018–19 में वे किसी भी मंडल बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 161 सहपठित ए सोसिए शन आफ कंपनी के आर्टिकल 67 (iv) के अनुपालन में श्री अमित वर्धन साधारण वार्षिक सभी की सुनिश्चित तिथि तक कार्यालय में कार्यरत रहे हैं और वे नियुक्ति के योग्य है। कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 160 चाहे गए अनुसार कंपनी को लिखित सूचना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें डॉ. सिंघल ने कंपनी निदेशक कार्यालय पद हेतु अभ्यार्थी के रूप में प्रस्ताव किया है।

इसके अतिरिक्त डॉ. नलिन सिंघल के नियुक्त रहते हुए, कंपनी में वे किसी निदेशक/प्रबंधक प्रमुख प्रबंधन कर्मी या उनकी संबंधियों के साथ किसी प्रकार का वित्तीय अथवा अन्य प्रकार से संबंधित नहीं है, जैसा कि मद क्रमांक 12 में पारित संकल्प में।

संचालक मंडल शेयरधारकों द्वारा किए गए अनुमोदन की प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता/–

(राजीव कालरा)
सचिव

स्थान– नई दिल्ली
दिनांक अगस्त 9,2019

निदेशकों की पुन: नियुक्ति के प्रस्ताव का विवरण

श्री सुबोध गुप्ता

श्री सुबोध गुप्ता (डी आई एन: 08113460) आयु 55 वर्ष निदेशक (वित्त) के रूप में बीएचईएल मंडल में 18-04-2018 से नियुक्त हुए ।

श्री गुप्ता (आईसीएआई) इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया के मानद सदस्य रहे हैं । वे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाणिज्य स्नातक है । निदेशक मंडल में नियुक्ति के पूर्व वे कार्पोरेट वित्त में महाप्रबंधक रहे और विभिन्न परियोजनाओं तथा कोषालय प्रबंधन, टैक्सेशन की रणनीति बनाने का कार्य उनके द्वारा किया गया । इसी के साथ ही साथ वे कंपनी के अधीन कार्यरत विभिन्न व्यावसायिक इकाईयों, उद्योग क्षेत्र के व्यवसायों में वित्तीय निपुणता पूर्वक कार्य किया ।

उन्हें इस प्रकार की विभिन्न वित्तीय संचालनों में 34 वर्ष का उत्कृष्ट अनुभव रहा है । बीएचईएल में प्रशिक्षु (वित्त) के रूप में वर्ष 1985 में उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया । इसके बाद वे उन्नति करते गए और इस दौरान में स्वयं सुदृढ़ बनाकर वित्तीय प्रबंधन संबंधी विभिन्न चुनौतियों तथा जिम्मेदारियों को भरपूर निभाया ।

श्री गुप्ता का आयामी/साहसी नेतृत्व होने के कारण बीएचईएल ने वर्ष 2005 में मैडन आईसी डब्ल्यूएआई का राष्ट्रीय पुरस्कार , नेट लागत प्रबंधन 2005 पुरस्कार बीएचईएल को प्राप्त हुआ तथा मैडेन प्रतिष्ठित सीआईआई एक्सिस बैंक पुरस्कार श्रेष्ठ व्यवसाय 2006 करने के लिये प्राप्त हुआ । यूरोपियन फाउन्डेशन द्वारा प्रमाणित टीक्यूएम गणक पुरस्कार गुणतापूर्व प्रबंधन के लिये प्राप्त हुआ । लगातार व्यवसाय वृद्धि और विभिन्न अंदरूनी तथा बाहरी टीक्यूएम असिसमेंट में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है । वह सीएमए उपलब्धि से संबंधित पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं । कार्पोरट प्रबंधन संबंधी कार्यो के अंतर्गत अधीनस्थ सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रों में इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एकाउन्टेंट आफ इंडिया के रूप में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2016 का उन्हें मैरिट पुरस्कार दिया गया है ।

श्री गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिका प्लानिंग एवं बजटिंग, वित्तीय रिपोर्ट में ढांचाकृत परिवर्तनों, टैक्स प्लानिंग और प्रबंधन के परिणाम स्वरूप कंपनी की पारदर्शी रिपोर्ट बनाने में रही है । योजना संबंधी सभी वित्तीय प्रक्रियाओं का विस्तार करने का मॉडल उन्होंने बनाया है जिसके परिणाम स्वरूप वित्त संबंधी मामलों में कड़ाई होकर लेखा संबंधी कार्यो में अधिक बढ़तोत्तरी हुई । बड़े उधारग्रहीताओं को गिरफ्तार करने की व्यावसायिक नीति को उजागर कर प्राप्ति संबंधी प्रबंधन को उभारा । वित्त तरलता की चुनौती, कंपनी पंजीयन में नकद संग्रहण की वृद्धि विगत वर्षो में हुई है । श्री सुबोध गुप्ता सदा ही शांत बने रहकर विषम चुनौतियों को झेलते हुए लगातार रणनीति बनाने की ओर अग्रसर बने रहते हैं और उच्चतम बैंक गारंटी, वर्ष 2018-19 के दौरान रिक्त हुए पी आई बांडों के प्रति भी आश्वस्त करते हैं । वह कंपनी के वित्तीय मामलों का एकीकरण कर वित्तीय संचालनों और विकसत प्रणालियों का कुशलतापूर्वक चालान करते रहे हैं । वह बजट, अनुशासन, अन्य लागत उपायों तथा श्रेष्ठता के मामलों में भी सुदृढ़ हैं जिसके कारण वित्तीय क्षमताओं और लाभांश मापदंडों का महत्वपूर्ण विकास हुआ ।

श्री सुबोध गुप्ता रायचूर पावर कार्पोरेशन के शेयरकालीन नामांकित अध्यक्ष भी रहे हैं ।

श्री सुबोध गुप्ता की नियुक्ति दिनांक 17-04-2023 एवं आगामी आदेश जो भी पूर्व में घटित होता हो वेतनमान 1, 80, 000-3, 40, 000/- प्रतिमाह पर भारत सरकार के नियम एवं शर्तो के अनुमोदन के पश्चात हुई है ।

श्री सुबोध गुप्ता का कोई शेयर बीएचईएल में नहीं है और नही कंपनी के किसी निदेशक/ प्रबंधक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी से रही है ।

श्री सुबोध गुप्ता छह (सात में से) मंडल बैठकों में उनके कार्यकाल के वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान में उपस्थित हुए ।

श्री एस बालाकृष्णन्

श्री एस बालाकृष्णन् (डी आई एन: 07804784) आयु 58 वर्ष निदेशक (औद्योगिक प्रणाली तथा उत्पादन) के रूप में उपस्थित हुए । बीएचईएल के बोर्ड में वे 2018 से प्रभावशील हुए।

इसके पूर्व श्री एस बालाकृष्णन् हैवी पावर इक्विपमेंट प्लान्ट (एचपीईपी) रामचन्द्रमपुरम जो कि हैदराबाद में बीएचईएल की वृहद ईकाई है के कार्यपालक निदेशक होकर प्रमुख बने रहे । इसके भी पूर्व वह औद्योगिक उत्पादन (व़िद्युत एवं यांत्रिकी जो कि औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में व्यवसाय करती है, महाप्रबंधक के कार्यभार में थे ।

श्री एस बालाकृष्णन इन्दौर विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश के यांत्रिकी अभियांत्रिकी के स्नातक हैं और भोपाल विश्वविद्यालय से उन्होंने तनाव तथा कंपनी विश्लेषण विषय में मास्टर उपाधि प्राप्त की है ।

श्री एस बालाकृष्णन् आर्थिक अर्थात पावर जेनरेशन तथा ट्रांसमिशन, ऊर्जा नवीनीकरण विद्युत चालान, ऊर्जा भंडारण, केप्टिव पावर, तेल तथा गैस, सैन्य तथा जल प्रबंधन में 37 वर्षो से भी अधिक अनुभव रहा है । रणनीतिक प्रबंधन के संचालनों, विपणन तथा व्यवसाय विकास परियोजनाओं विकास तथा निष्पादन, पार्टनर प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन तथा औद्योगिक संबंधों, निर्माण तथा तकनीकी विकास में कोर क्षमताओं का विकास किया ।

बीएचईएल में श्री एस बालाकृष्णन् ने अपना कार्य प्रशिक्षु इंजीनियर के रूप में

वर्ष 1982 में कंपनी की त्रिची ईकाई में उपस्थित हुए तथा इसी के साथ ही साथ वे बीएचईएल भोपाल की ओर अग्रसर हुए जहां पर कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य मशीन, न्यू क्लियर टर्बाइन एवं ट्रांसफार्मर के कार्य बीएचईएल भोपाल के प्लान्ट में किए ।

श्री एस बालाकृष्णन् सी आई जी आर ई-इंडिया के उपाध्यक्ष भी रहे और वह इसकी गवर्निंग काउन्सिल के भी सदस्य रहे हैं ।

श्री एस बालाकृष्णन् की नियुक्ति 30-11-2020 अथवा आगामी आदेश जो भी पहले घटित होता हो, वेतनमान 1, 80, 000-3, 40, 000/- प्रतिमाह पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए नियम एवं शर्तो पर हुई है ।

श्री एस बालाकृष्णन् का बीएचईएल में कोई शेयर नहीं है न ही उनकी रिश्तेदारी किसी अन्य निदेशक/प्रबंधक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के साथ रही है ।

श्री एस बालाकृष्णन् सभी मंडल बैठकों (पांच) में उपस्थित हुए हैं जो वित्तीय वर्ष 2018-2019 उनके कार्यकाल के दौरान में हुई ।

संचालक मंडल के आदेशानुसार

(राजीव कालरा)

कंपनी सचिव

स्थान – नई दिल्ली

दिनांक : अगस्त 9, 2019

यहाँ से फाड़ें

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
(CIN: L74899DL1964GOI004281)
पंजीकृत कार्यालय: बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली -110049
फोन: 011-66337000, फैक्स: 011-66337428
वेबसाइट: www.bhel.com, ई-मेल: shareholderquery@bhel.in

उपस्थिति पर्ची

55 वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 19 सितंबर, 2019 को सुबह 10.00 बजे मानेकशॉ सेंटर,
परेड रोड, खैबर लाइन्स, दिल्ली कैंट, दिल्ली -110010 पर होगी।

उपस्थित होने वाले सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
फोलियो। / डीपी आईडी- क्लाइंट आईडीसंख्या	
लिए गए शेयरों की संख्या	
प्रतिनिधि का नाम (स्पष्ट अक्षरों में, यदि सदस्य के स्थान पर प्रतिनिधि उपस्थित होता है)	

मैं 19 सितंबर, 2019 को 55 वीं वार्षिक आम बैठकमेंअपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं। ______________________

सदस्य / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

विधिवत भरी हुई इस उपस्थिति पर्ची को मीटिंग हॉल के प्रवेश द्वार पर सौंपा जाना है

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
CIN: L74899DL1964GOI004281)
पंजीकृत कार्यालय: बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली -110049
फोन: 011-66337000, फैक्स: 011-66337428
वेबसाइट: www.bhel.com, ई-मेल: shareholderquery@bhel.in

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19 (3) के अनुसार]

प्रॉक्सी फॉर्म

सदस्य (यों) का नाम:	
पंजीकृत पता:	
फोलियो संख्या/ डीपी आईडी- क्लाइंटआईडी:	
ई-मेल आईडी:	
लिए गए शेयरों की संख्या:	

मैं / हम, उपरोक्त नामित कंपनी के .... शेयरों के सदस्य (यों) होने के नाते, एतद द्वारा नियुक्ति करते हैं:

1.	नाम :		हस्ताक्षर:	
	पता:			
	ई-मेल आईडी:			
या उसके न आने पर:				
2.	नाम :		हस्ताक्षर:	
	पता:			
	ई-मेल आईडी:			
या उसके न आने पर:				
3.	नाम :		हस्ताक्षर:	
	पता:			
	ई-मेल आईडी:			

मेरे / हमारी उपस्थिति में भाग लेने और मतदान करने के लिए (मतदान के लिए) मेरे / हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से हमारे प्रतिनिधि के रूप में कंपनी की 55 वीं वार्षिक आम बैठक में, 19 सितंबर, 199 दिन, गुरुवार को10.00 बजे मानेक शॉ केंद्र, परेड रोड, खैबर लाइन्स, दिल्ली कैंट, दिल्ली -110010 आयोजित किया जाना है: और किसी भी स्थगन प्रस्तावों के संबंध में जिनके संकेत नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	संकल्प
सामान्य व्यवसाय	
1.	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ अपनाना।
2.	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश की घोषणा
3.	श्री सुबोध गुप्ता (DIN: 08113460) की पुनः नियुक्ति, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होते हैं
4.	श्री एस.बालाकृष्णन (डीआईएन: 07804784) की पुनःनियुक्ति, जोरोटेशन से सेवानिवृत्त होते हैं
5.	वर्ष 2019-20 के लिए लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को ठीक करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करें।
विशेष व्यवसाय	
6.	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का संशोधन
7.	दुसरे कार्यकाल के लिए निदेशक के रूप में श्री आर. स्वामीनाथन (DIN: 01811819) की नियुक्ति (विशेष संकल्प)
8.	निदेशक के रूप में श्री मनोज कुमार वर्मा (DIN: 08308714) की नियुक्ति
9.	निदेशक के रूप में श्री राजेश शर्मा (DIN: 01586332) की नियुक्ति
10.	निदेश के रूप में श्री कमलेश दास (DIN: 08376769) की नियुक्ति
11.	निदेशक के रूप में श्री अमित वरदान (DIN: 08401348) की नियुक्ति
12.	निदेशक के रूप में डॉ.नलिन शिंगल (DIN: 01176857) की नियुक्ति

इस पर......... 2019 के ....दिन हस्ताक्षर किए गए

शेयरधारक (को) के हस्ताक्षर

पहले प्रतिनिधि का हस्ताक्षर | दुसरे प्रतिनिधि का हस्ताक्षर | तीसरे प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

कृपया रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाएं कृपया रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाएं

नोट (क) फॉर्म को आरटीए / डीपी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए

(ख) इस प्रपत्र को पूरी तरह भरकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, मीटिंग शुरु होने से कम-से-कम 48 घंटे पहले जमा करना चाहिए।

बीएचईएल की 55 वीं एजीएम के लिए रूट मैप

मानेकशॉ केंद्र
धौला कुआँ से 3 कि.मी.

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
(CIN: L74899DL1964GOI004281)
पंजीकृत कार्यालय: बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली -110049
फोन: 011-66337000, फैक्स: 011-66337428
वेबसाइट: www.bhel.com, ई-मेल: shareholderquery@bhel.in

प्रिय शेयरधारक(कों),

उत्तर: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (एनईसीएस) / इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (ईसीएस) के माध्यम से लाभांश का भुगतान

सेबी के अनुसार (दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ सूचीकरण) विनियम, 2015, सभी सूचीबद्ध कंपनियां लाभांश भुगतान के लिए RBI द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा जैसे कि ECS / NECS / प्रत्यक्ष क्रेडिट आदि में से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करेंगी।

यदि आपने पहले ही हमारे रजिस्ट्रारों जैसे मेसर्स कार्वी फिनटेक प्रा.लिमिटेड या आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (डीमैट होल्डिंग के मामले में), को एनईसीएस / ईसीएस / बैंक खाता विवरण नहीं भेजे हैं, तो हम आपको19 सितंबर, 2019 को आयोजित होने वाली कंपनी की 55 वें वार्षिक जनरल बैठक में यदि घोषित किए गए लाभांश के शीघ्र, सुरक्षित और सही भुगतान की सुविधा के लिए नीचे दिए गए प्रारूप में उक्त विवरण प्रदान करने का अनुरोध करते हैं।

कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा रजिस्ट्रार / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत विवरण सही है क्यों कि इसमें कोई भी त्रुटि होने पर लाभांश राशि गलत खाते में जमा हो सकती है।

बेहतर तरीके से आपकी सेवा करने के इस प्रयास में कृपया हमारी मदद करें।

भवदीय,

(राजीव कालरा)
कंपनी सचिव

पुनश्च. यदि आप के शेयर डी मैट फॉर्म में हैं, तो कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अपने बैंक खाते के विवरण / एनईसीएस / ईसीएस / डायरेक्ट क्रेडिट मैं डेट का ध्यान रखें।

एनईसीएस / ईसीएस मेनडेट / बैंक खाता विवरण के लिए फार्म

मैं/हम ... एतद द्वारा बीएचईएल / मेरे डिपॉजिटरी प्रतिभागी को निम्न के लिए अधिकृत करते हैं

☐ निम्नलिखित विवरण मेरे / हमारे लाभांश वारंट पर प्रिंट करने के लिए

☐ एनईसीएस / ईसीएस / डायरेक्ट क्रेडिट (जो लागू न हो उसे काट दें)
पर अपने बैंक खाते में मेरी लाभांश राशि को क्रेडिट करें

मेरा / हमारा फोलियो संख्या .... या डीपीआईडी संख्या .... ग्राहक खाता संख्या ....

बैंक खाते का विवरण:

क. बैक का नाम : ....

ख. शाखा का नाम : ....
(केवल मैंडेट के लिए पता) ....

ग. बैंक और शाखा का 9 अंकों का एमआईसीआर कोड नंबर : ....
जैसा चेक पर प्रदर्शित है : ....

घ. आईएफ़एससी कोड : ....

ङ. खाते काप्रकार (बचत / चालू) : ....

च. चेक बुक पर दिए अनुसार खाता संख्या : ....

छ. शेयर धारक का एसटीडी कोड और टेली फोन नंबर : ....

यदि किसी भी कारण से एनईसीएस / ईसी एस लागू नहीं हो सकाया बैंक ने एनईसीएस / ईसीएस को बंदकर किया तो मैं/ हम कंपनी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे।

मेल करें →

मेसर्स कार्वी फिनटेक प्रा. लिमिटेड
इकाई : बीएचईएल
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली फाइनेंशियल
डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद -500032

....
शेयर धारक के हस्ताक्षर

कृपया इस फॉर्म के साथ (i) 9 अंक कोड संख्या की शुद्धता की पुष्टि के लिए अपने बैंक द्वारा जारी चेक की फोटो कॉपी या एक खाली रद्द चेक और (ii) अपने पैन कार्ड की एक प्रति संलग्न करें।

यहाँ से फाड़ें

बैंकर्स, ऑडिटर और शेयर ट्रांसफर एजेंट

बैंकर्स

अलाहाबाद बैंक
आंध्रा बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
कैनरा बैंक
सेंट्रल बैंक
कॉर्पोरेशन बैंक
एग्ज़ीम बैंक
आईडीबीआई बैंक
इंडियन बैंक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
पंजाब अण्ड सिंध बैंक
पंजाब नैशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
सिंडीकेट बैंक
यूको बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
विजया
एक्सिस बैंक
एचडीएफ़सी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इंडसइंड बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक
आरबीएल बैंक
द फेडरल बैंक लिमिटेड
यस बैंक
सिटी बैंक एन.ए.
ड्यूशबैंकएजी
जेपी मॉर्गन
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
द होंकोंग एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन

ऑडिटर

राज हर गोपाल एण्ड कंपनी लि. नई दिल्ली
तिवारी एण्ड एसोसिएट, नई दिल्ली
महेश सी. सोलंकी एण्ड कं., भोपाल
पोंराज एण्ड कं, तिरूचि
राव एण्ड कुमार, हैदराबाद
एसआरआरके शर्मा एसोसिएट, बंगलूरू
एम श्रीनिवासन एण्ड एसोसिएट, चेन्नई
एमबी गभावाला एण्ड कं., वाराणसी

कॉस्ट ऑडिटर

आरजे गोयल एण्ड कं, दिल्ली
शोम एण्ड बनर्जी, दिल्ली
केआरजे एंड एसोसिएट, हैदराबाद
एम कृष्णास्वामी एंड एसोसिएट, चेन्नै
जे एच एंड एसोसिएट, बंगलुरू
के बी सक्सेना एंड एसोसिएट, लखनऊ
उप्पालापती एंड एसोसिएट, विशाखापत्तनम

शेयर ट्रांसफर एजेंट

मेसर्स कार्वी फिनटेक प्रा. लिमिटेड

इकाई : बीएचईएल

दिल्ली: 305, न्यू दिल्ली हाउस,
27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली – 110 001
टेली. : 011- 43681700
फैक्स: 011-43681710
ईमेल : ksbldelhi@karvy.com,
: einward.ris@karvy.com

हैदराबाद: कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32,
गाचीबावली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद -500032,
टेली: 040-67162222
फैक्स: 040-23001153
ईमेल : madhusudhan.ms@karvy.com
: einward.ris@karvy.com

वेब साइट : www.karvycomputershare.com

पंजीकृत कार्यालय

बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली -110049 (भारत)
CIN: L74899DL1964GOI004281
फोन: 011-66337000, Fax: 011-6337428
वेब साइट : www.bhel.com, E-mail: shareholderquery@bhel.in

परियोजना निष्पादन में नए मानदण्ड स्थापित करना!

कोठागुडम टीपीएस

अपनी परियोजना निष्पादन की शक्तियों का लाभ उठाते हुए और निष्पादन परध्यान केंद्रित करते हुए, **बीएचईएल ने 2018-19 में 46 महीनों के रिकॉर्ड समय में कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन (केटीपीएस), तेलंगाना में ईपीसी आधार पर 800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल सेट को सफलता पूर्वक कमीशन किया।** बीएचईएल तेलंगाना में बिजली उत्पादन के विकास में एक प्रतिबद्ध भागीदार रहा है। बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए सेट राज्य में स्थापित कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों का 88% हिस्सा हैं ।

बीएचईएल देश में सुपर क्रिटिकल थर्मल सेगमेंट में मार्केट लीडर है, जिसमें इसे 56 बॉयलरों और 49 टरबाइन जनरेटर के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

बीएचईएल द्वारा46 महीने के रिकॉर्ड समय में तेलंगाना के कोठागुडम में ईपीसी आधार पर कमीशन 1x800 मेगावाट का सुपरक्रिटिकल सेट

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली – 110049 भारत

सी आई एन : L74899DL1964GOI004281

www.bhel.com

हमें इन पर फॉलो करें

BHELOfficial BHEL_India BHEL_India bhel.india